बुधवार, 11 सितम्बर, 1996

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(ग्यारहवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : पचास रुपये

11 सितम्बर 1996 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(1)	17	कोल्लन	कोल्लम
347	15-16	(क) से (च)	(क), (ख) और (च)
376	4	(ख) से (छ)	(ख), (च) और (छ)

विषय-सूची

एकादश माला, खंड 5, दूसरा सत्र, 1996/1918 (शक)

अंक 28, बुधवार, 11 सितम्बर, 1996/20 भाद्र, 1918 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	541 से 543	1–26
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	544 से 560	26–47
अतारांकित प्रश्न संख्या	5105 से 5351	48–404
सभा पटल पर रखे गए पत्र		404–407
नियम 377 के अधीन मामले		429–433
(एक) देश में छोटे बीड़ी उत्पादकों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता		
श्री दादा बाबूराव परांजपे		429
(दो) महाराष्ट्र सरकार को हल्बा जनजाति के लोगों को जाति-प्रमाणपत्र जारी करने का अनुदेश दिये जाने की आवश्यकता		
श्री बनवारी लाल पुरोहित		430
(तीन) केरल के कोल्लन जिले में रोजेमाला को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किए जाने की आवश्यकता		
श्री कोडीकुनील सुरेश		430–431
(चार) देश में रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाए जाने की आवश्यकता		
श्री के. एच. मुनियप्पा		431
(पांच) औरंगाबाद जिले के औद्योगिक विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता		
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह		432

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय | कालम

(छः) केरल के लोगों को अनिवासी भारतीयों की जमाराशि से ऋण दिये जाने की मांग को पूरा करने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पथ 432

(सात) असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रेल तथा सड़क पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा 432-433

(आठ) बिहार में गंडक सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री रामबहादुर सिंह 433

जम्मू-कश्मीर बजट, 1996-97
और
अनुदानों की मांगें—जम्मू-कश्मीर 434-452

श्री सुरेश प्रभु 435-438

श्री प्रमथेश मुखर्जी 438-440

श्री ई. अहमद 440-443

श्री एम. चंगरप्पा 443-444

श्री पी. चिदम्बरम 445-450

जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 1996—पारित

पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 453

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 453

खंड 2, 3 और 1 453-454

पारित करने के लिए प्रस्ताव 454

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1996 454-494
और 497-576

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री पी. चिदम्बरम 454-471

श्री जसवन्त सिंह 471-485

विषय	कालम

श्री बी. के. गढ़वी	485-494
श्री निर्मल कान्ति चटर्जी	497-509
श्री उत्तम सिंह पवार	509-511
डा. के. पी. रामालिंगम	511-514
श्री पी. आर. दासमुंशी	514-525
श्री वी. वी. राघवन	525-531
श्री गिरधारी लाल भार्गव	531-546
श्री के. पी. सिंह देव	546-553
श्री जी. एम. बनातवाला	553-560
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका	560-568
श्री जी. ए. चरण रेड्डी	568-572
श्री पी. सी. चाको	572-576

मंत्री द्वारा वक्तव्य

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सी टी बी टी)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल	494-497

लोक सभा

बुधवार, 11 सितम्बर, 1996/20 भाद्र, 1918 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजकर 1 मिनट पर समवेत हुई।

(**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल आरम्भ करने से पहले, मेरा निवेदन है कि अगर आप मुनासिब समझें तो मेरी राय है कि हर प्रश्न पर 6 से ज्यादा सप्लीमेंटरीज न हों। कोई रेयर केस होगा तो उसे देख लेंगे। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों पर सप्लीमेंटरी पूछने का आपको चांस मिल सके।

...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : छ: पूरक प्रश्न काफी हैं, यदि मुझे उसमें शामिल किया जाये तो ...(**व्यवधान**)

श्री तारीक अनवर : सभा के सभी पक्षों को इन छ: पूरक प्रश्नों की अनुमति दी जानी चाहिए। मैं समझता हूं ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा शक आपको नहीं करना चाहिए।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

रसोई गैस की खपत

*541. **श्री ओ. पी. जिन्दल** :
श्री नीतीश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में रसोई गैस की वार्षिक खपत का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में चालू वर्ष के दौरान वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस की अनुमानत: कुल कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या स्वदेशी स्रोतों से उत्पादित रसोई गैस देश में रसोई गैस की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपर्याप्त है और विदेशों से भी रसोई गैस का आयात किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान स्वदेशी स्रोतों से और विदेशों से आयात करके अलग-अलग कितनी मात्रा में रसोई गैस की आपूर्ति की गयी है; और

(ङ) सरकार द्वारा आयातित और स्वदेशी गैस पर प्रति सिलिंडर कितनी राजसहायता प्रदान की जाती है?

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1996-97 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के ग्राहकों को आपूर्ति की जाने वाली एल. पी जी की कुल अनुमानित मात्रा 4232 टी एम टी है। वाणिज्यिक उपयोग के लिए एल पी जी की आवश्यकता का कोई अलग अनुमान नहीं लगाया जाता जिसकी आपूर्ति "पैक्ड" और "बल्क" दोनों रूप में की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) 1993-94, 1994-95 और 95-96 में एल. पी. जी. का घरेलू उत्पादन क्रमश: 2699 टी एम टी, 2858 टी एम टी और 3296 टी एम टी था जबकि इन्हीं वर्षों का आयात क्रमश: 410 टी एम टी, 592 टी एम टी और 683 टी एम टी था।

(ङ) 14.2 कि.ग्रा. के एक घरेलू एल. पी. जी. सिलेंडर पर अनुमानित राजसहायता फिलहाल 62.55 रुपये है।

[हिन्दी]

श्री ओ. पी. जिन्दल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पहला सप्लीमेंटरी है कि रसोई गैस की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, हम अपने देश में कब तक इसका अधिक से अधिक उत्पादन करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकेंगे जिससे हमें विदेशों से रसोई गैस न मंगाना पड़े। इस बारे में सरकार क्या उपाय कर रही है? आने वाले दो सालों में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है जिससे हम देश में ही रसोई गैस का उत्पादन करके, इसकी कमी को पूरा कर सकें।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, 1.4.1996 के अनुसार, 4232 टी एम टी की मांग है। देश में 3107 टी एम टी का उत्पादन होता है और आयात 1195 टी एम टी है। माननीय सदस्य ने इस विषय में पूछा है कि कब तक हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे, वर्तमान घरेलू क्षमता 30.1 लाख मीट्रिक टन है। सन् 2001 तक

इसे 60.87 लाख मिट्रिक टन तक बढ़ाया जायेगा। सन् 2001 तक हम आत्म-निर्भर हो सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री ओ. पी. जिंदल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि गांव में रहने वाले विशेष तौर पर पिछड़ी जाति के गरीब लोगों के लिए जिनके पास रसोई गैस या तो है नहीं या उसकी बहुत तंगी रहती है, उनके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या गरीब लोगों को इसका हक नहीं है? क्या उनके लिए कोटा फिक्स नहीं हो सकता। जितनी भी रसोई गैस यूज होती है, वह सब बड़े-बड़े आदमी हथिया लेते हैं और जिस आदमी के पास कोई साधन नहीं है, खेत नहीं है, जमीन नहीं है, उनको गैस नहीं मिलती है। उनके लिए कोटा फिक्स हो जाये, इस तरफ आपको स्पेशल ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए काफी हमदर्द हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया है।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस के विपणन की योजना बनाई है। देश में अच्छी उपलब्धता के बारे में मैंने पहले ही कहा है। रसोई गैस को ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू करने की योजना है। आरम्भ में, प्रमुख शहरों के साथ लगे ग्रामीण क्षेत्रों और गांवों में जिनकी जनसंख्या अधिक है, रसोई गैस देनी शुरू की जायेगी और जिनमें तेल उद्योग द्वारा 1996-97 के आगे नये वितरक केन्द्र खोलने की योजना बनाई गई है ताकि शहरी क्षेत्रों में रसोई गैस की मांग की पूर्ति के बाद समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस देना आरम्भ किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, तेल कम्पनियों को यह भी निदेश दिया गया है कि कस्बों में जिनकी जनसंख्या 10,000 और उससे अधिक है, वहां नए एल पी जी वितरकर्ताओं की सम्भाव्यता और अर्थक्षमता का अध्ययन कराएं, जिनमें 15 कि.मी. के अन्दर की दूरी के समीपवर्ती गांव भी सम्मिलित हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि एल. पी. जी. के एक सिलडर पर 62 रुपये 55 पैसे की सब्सिडी सरकार देती है। देश में अखबारों की खबरों के मुताबिक कुल साढ़े दो करोड़ कन्ज्यूमर्स हैं जो ज्यादातर शहरों में हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि जितने लोगों को एल.पी.जी. कनेक्शन मिला हुआ है, उसमें कितने विनम्र किसान हैं और कितने गरीब लोग हैं? यह सरकार किसानों की बात करती है गरीबों की बात करती है और प्रधानमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि मैं एक विनम्र किसान हूं। सरकार यह बताये कि इन साढ़े दो करोड़ लोगों में कितने विनम्र किसान हैं और कितने गरीब लोग हैं। प्रति सिलंडर 62 रुपये 55 पैसे अपर मिडिल क्लास और अमीर लोगों पर खर्च किया जा रहा है। उनमें खर्च करने की कैपेसिटी भी है लेकिन इसका क्या औचित्य है? इस गरीब मुल्क में जबकि दो प्रतिशत लोगों को एल. पी. जी. कनेक्शन मिला हुआ है, उनको इस प्रकार से प्रति सिलंडर 62 रुपये 55 पैसे राज कोषीय सहायता देने का क्या औचित्य है? हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि अगर इसका औचित्य नहीं है तो इस गरीब मुल्क में इस सब्सिडी को हटाने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? अगर तैयार नहीं है तो क्यों?

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि माननीय प्रधान मंत्री श्री एच. डी. देवेगौड़ा एक किसान हैं, यह बिल्कुल सही है। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं भी किसान हूं। मैं कृषक-समुदाय से संबंधित हूं **(व्यवधान)** मुझे यह कहने में गर्व है।

वह कृषक समुदाय या निम्न वेतनभोगी वर्ग, निम्न आय वाले वर्गों के प्रतिशत का स्तर जानना चाहते हैं। 2,57,00,000 दिए गए कनेक्शनों में से, गरीब वर्ग के लोगों को केवल 3.8 प्रतिशत कनेक्शन ही दिए गए।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इसका औचित्य क्या है? ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

[हिन्दी]

तीन प्रतिशत लोगों को जो गरीब लोग हैं, उनको एल. पी. जी. मिलती है जबकि बाकी 97 प्रतिशत अमीर लोगों के लिए एल. पी. जी. है। यह सरकार अपने को गरीबों की सरकार कहती है और कहती है कि हम किसानों के हितों के संरक्षण की सरकार है तो फिर एक सिलंडर पर 62 रुपये 55 पैसे सब्सिडी देने का क्या औचित्य है? हमने औचित्य का सवाल पूछा था। आप इसका जवाब दें कि इसका औचित्य क्या है? इसका क्या मतलब है कि गरीब लोग इतना बड़ा बोझ सह रहे हैं? साढ़े दो करोड़ कनेक्शन हैं। सरकार ने खुद बताया था कि 297 लाख हैं। एक सिलंडर पर 62 रुपये 55 पैसे हैं तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि प्रति साल 1300-1400 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से अमीर लोगों को दिया जा रहा है।

यह संयुक्त मोर्चे की सरकार अपने को गरीबों की सरकार कहती है, किसानों की सरकार कहती है। जिसके मात्र तीन प्रतिशत कनेक्शन हैं, उसका क्या औचित्य है, यह हम जानना चाहते हैं? ... (**व्यवधान**) सब्सिडी बंद हो जाए, सबके लिए बंद हो। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें उत्तर देने दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, इससे पहले कि मंत्री जी जवाब दें, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। आप केवल स्पष्टीकरण मांग सकते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रश्नकाल में एक पाइंट ऑफ आर्डर हो सकता है और वही है। आज का दिन प्रधानमंत्री जी के जवाब देने का दिन है। आप आज की प्रश्न सूची देख लीजिए। पांच दिन में से केवल एक दिन प्रधानमंत्री जी सदन में जवाब देने के लिए आते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्वश्चन आवर में कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। क्लैरीफिकेशन है, आप चाहें तो वह पूछ लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्लैरीफिकेशन समझ लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, कर लीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज प्रधानमंत्री जी के जवाब देने का दिन है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही कह दिया है कि प्रश्न-काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। यदि वह कुछ स्पष्टीकरण चाहती हैं तो पूछ सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : पांच दिन में से केवल एक दिन प्रधानमंत्री जी सदन में जवाब देने के लिए आते हैं और आज वे अनुपस्थित हैं। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है वर्ना यह सदन की अवमानना है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी के जवाब देने का दिन हो, उस दिन वे अनुपस्थित रहें? यह मेरा क्लैरीफिकेशन है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके खिलाफ पर जवाब देने के लिए और मंत्री हैं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : नहीं, वे बिना अनुमति के यहां से अनुपस्थित नहीं रह सकते। यदि उन्होंने आपसे अनुमति नहीं मांगी तो यह सदन की अवमानना है। जो भी मंत्री यहां से अनुपस्थित होता है, वह आपसे पूर्व अनुमति मांगता है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : यह मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। उनको जवाब देने दीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्रधानमंत्री जी आपसे अनुमति लिए बिना अनुपस्थित नहीं रह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे से कोई अनुमति नहीं ली।...

... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : प्राइम मिनिस्टर का होना जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देने दीजिए। वह उत्तर देने में सक्षम हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : क्या उन्होंने आपसे सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी है? अगर अनुमति नहीं मांगी तो वे अनुपस्थित नहीं रह सकते। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईए। कृपया मुझे कहने का अवसर दें। आज प्राइम मिनिस्टर का दिन है, उनको यहां होना चाहिए। लेकिन क्या कारण है, क्यों नहीं आ सके, मंत्री जी बता देंगे और साथ ही प्रश्न का जवाब भी दे देंगे।

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यह मेरे विभाग के क्षेत्राधिकार के अन्दर ही है। प्रधानमंत्री के पास कई एक विभागीय कार्य हो सकते हैं। मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिए यहां उपस्थित हूं हो। ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप 'हो सकते हैं' शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, हम उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है कि उनके पास काम का काफी दबाव हो सकता है ... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपको उनके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी है तो आप सभा को सूचित कर सकते हैं।

... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : जैना जी, आप बताइए।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सदन की प्राथमिकता होनी चाहिए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मामला समाप्त हो जाता है क्योंकि वह आ गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : दुनिया में कहीं भी यह परम्परा नहीं है कि सवाल का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री उपस्थित हों।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज उनका दिन है। ... (**व्यवधान**) उनको समझा दीजिए, आज उनका दिन है। ... (**व्यवधान**) हम पांच दिन नहीं मांगते, लेकिन पांच दिन में से एक दिन जब उनका दिन है तो उनको यहां रहना होगा। ... (**व्यवधान**) आज उनका दिन है। उनको समझा दीजिए, आज उनका दिन है।

उपाध्यक्ष महोदय : जरा एक मिनट बैठिये।

श्री राम कृपाल यादव : क्वश्चन ऑवर सदस्यों का अपना समय है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए।

...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं कृपया बैठ जाईए। सुषमाजी कृपया बैठ जाईए।

[हिन्दी]

और किसी मुल्क में ऐसी प्रथा है कि नहीं है, कृपया बैठ जाईए और किसी देश में प्रथा है कि नहीं है, भारतवर्ष में है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

... (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर देने में सक्षम है, आपको उनकी मदद करने की आवश्यकता नहीं है।

... (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): महोदय, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं कहना है। प्रधानमंत्री संसद भवन को आ रहे थे। पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रभारी मंत्री पूछे गए पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।

महोदय, हम भी विपक्ष में थे और कई अवसरों पर, प्रश्नकाल के दौरान भी प्रधानमंत्री सभा में उपस्थित नहीं थे। लेकिन विगत् समय में सभा के नेता या विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के लिए इस प्रकार को हो-हल्ला नहीं मचाया गया था। विगत् समय में ऐसा कभी नहीं हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि, एक वरिष्ठ सदस्य यह मामला उठा रही हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : मुझे हैरानी है कि पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर यह कह रहे हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री का दिन होता है, हमेशा प्रधानमंत्री यहां रहते हैं और अगर जाते हैं तो पूर्वानुमति लेकर जाते हैं। मुझे संसदीय कार्य मंत्री की नॉलिज पर हैरानी है।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : मुझे खेद है। ... (**व्यवधान**)

श्रीमती सुषमा स्वराज : संसदीय कार्य मंत्री के रूप में आपकी जानकारी पर मुझे खेद है।

[हिन्दी]

जिस दिन प्रधानमंत्री का दिन होता है, प्रधानमंत्री सदन में रहते हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : आप इस सभा के लिए नई हो सकती हैं। लेकिन मैं नहीं हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप इस सभा में नए हो सकते हैं। मैं राज्य सभा की सदस्य भी थी।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया : यह यहां पर क्या लिखा हुआ है, यह उनसे अपेक्षा है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब इस मामले को समाप्त करते हैं।

... (**व्यवधान**)

श्री श्रीकान्त जेना : महोदय, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कृपया उत्तर सुनिए।

... (**व्यवधान**)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, माननीय सदस्य श्री नीतीश कुमार ने अभी-अभी इस बारे में पूछा था कि रसोई गैस की कीमतों में राजसहायता क्यों दी जाती है... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री मुख्तार अनीस : यह कहीं आवश्यक नहीं है। ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब, कृपया इस मामले को समाप्त कीजिए।

... (**व्यवधान**)

श्री टी. आर. बालू : महोदय, यदि राजसहायता वापस लेने के बारे में कोई आम-सहमति है, यदि कोई आम सर्वसम्मति है तो मैं समझता हूं कि तो सरकार उस पर विचार करने के लिए तैयार है।

श्री नीतीश कुमार : महोदय, यह सभा का निर्णय नहीं बल्कि सरकार का निर्णय था। प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। कृपया उनसे आग्रह करिये कि वे यह बतायें कि घरेलू गैस की कीमतों पर राजसहायता क्यों दी जा रही है ... (**व्यवधान**)

श्री टी. आर. बालू : अगर इस पर आम सहमति है... (**व्यवधान**)। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का क्या होगा? आम सहमति होनी चाहिए ... (**व्यवधान**) अगर सभा में आम सहमति हो जाती है और प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं एवं सभा में ही निर्णय लेने में सक्षम हैं ... (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : नहीं, नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी अथवा जनता अथवा किसी अन्य दल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ... (**व्यवधान**) मैं इस देश की गरीब जनता की ओर से बोल रहा हूँ। ... (**व्यवधान**) सरकार प्रत्येक सिलण्डर पर 52 रुपये की राजसहायता दे रही है। समाज के धनी उच्च वर्गों को राजसहायता क्यों दी जा रही है? यह क्या है? ... (**व्यवधान**) सरकार समाज के उच्च वर्गों को राजसहायता दे रही है। प्रधान मंत्री यहां पर उपस्थित हैं और उनको अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश जी रसोई गैस पर सरकार जो सब्सिडी दे रही है, उसका विरोध कर रहे हैं। इसी सदन में पिछले दिनों जब सरकार ने रसोई गैस की कीमत बढ़ाई थी तो भी नीतीश जी विरोध कर रहे थे कि कीमत क्यों बढ़ाई है। यानि नीतीश जी का उस समय ... (**व्यवधान**)

श्री नीतीश कुमार : आप गलत जानते हैं। उस समय ... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। ... (**व्यवधान**) महोदय, वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। जब प्रधान मंत्री पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा का उत्तर दे रहे थे, उस समय भी मैंने इस प्रश्न को उठाया था ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : बैठिये नीतीश जी। ठीक है।

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, नीतीश जी का ... (**व्यवधान**) सब्सिडी दी तो क्यों दी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि रसोई गैस जो ग्रामीण क्षेत्रों में दी गई है, बहुत कम है। ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ उनको अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : तीन परसेंट सरकार जो बता रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप रसोई गैस को सब्सिडी दे रहे हैं जबकि 98 प्रतिशत जनता को कोई भी जलावन नहीं मिल रहा है। इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आज स्थिति यह है कि लोगों को लकड़ी नहीं मिल रही है और जलावन का दूसरा कोई साधन भी नहीं है। साथ-साथ ही मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का बंटवारा करना चाहते हैं और क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई कोटा निर्धारित करना चाहते हैं कि इतनी परसेंटेज ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा और इतना परसेंटेज शहरी क्षेत्र को मिलेगा?

[अनुवाद]

श्री टी. आर. बालू : महोदय, जहाँ तक राजसहायता का प्रश्न है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री रमेन्द्र कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से कहना यह है ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी का रिप्लाई आ गया है। अब आप कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : सभा को अवगत है कि घरेलू गैस का कोई विकल्प नहीं है। इसलिए, आम आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, शहरी लोग और कमजोर वर्ग के लोग घरेलू गैस का प्रयोग करते हैं।

[हिन्दी]

अमीर लोग डोमेस्टिक गैस यूज करते हैं, गरीब लोगों को नहीं मिलती है.

[अनुवाद]

मैं इस भेदभाव को उठाना नहीं चाहती हूं, सभा को याद होगा कि कांग्रेस सरकार ने उत्पादन शुल्क 60% से घटाकर 30% कर दिया था ताकि आम आदमी के हितों को ध्यान में रखते हुए घरेलू गैस पर राजसहायता दी जा सके। रक्षा जैसे अन्य क्षेत्रों के लिए बजट कम नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से उर्वरकों पर राजसहायता दी जाती है। सरकार घरेलू गैस पर दी जा रही राजसहायता को वापस नहीं ले सकती है क्योंकि आम आदमी के हितों पर कुप्रभाव पड़ता है। मैं अनुरोध करती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों को भी अधिकाधिक अवसर दिये जायें।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं माननीय कुमारी ममता के सुझाव का स्वागत करता हूँ। वर्ष 1995-96 में घरेलू गैस पर 69.70 रुपये राजसहायता दी जा रही थी और वर्ष 1996-97 में घटाकर 62.55 रुपये कर दी गई है। हम धीरे-धीरे राजसहायता कम कर रहे हैं। मैं उनके सुझाव का स्वागत करता हूँ। यह हम सभी के लिए चिन्ता का विषय है। हम उनके सुझाव पर नि:संदेह विचार करेंगे।

श्री मधुकर सर्पोतदार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री नीतीश कुमार ने घरेलू गैस की आपूर्ति पर चर्चा करते हुये एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि घरेलू गैस का प्रयोग करने वालों में से 97% लोग धनी हैं। इस कथन से गलत संकेत मिलते हैं कि देश में घरेलू गैस का प्रयोग करने वाले सभी धनी हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि वे-बेसहारा लोग हैं। मुझे नहीं मालूम कि कितने प्रतिशत धनी लोग घरेलू गैस का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार को यह अवश्य जानकारी होगी। तथ्य यह है कि घरेलू गैस की आपूर्ति आम लोगों विशेषत: शहरों में रहने वाले आम लोगों को की जा रही है जिनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मेरी चिन्ता गैस के नुकसान की है। हमें उपलब्ध सारी गैस का उपयोग करके सभी को चाहे किसान हों, शहरी अथवा ग्रामीण लोग हों को, गैस उपलब्ध करानी चाहिये। हमको यह भेदभाव नहीं करना चाहिये। हमको सभी को घरेलू गैस उपलब्ध कराने के तरीकों को खोजना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ ममता बनर्जी का कथन उचित है कि हमको उत्पादन शुल्क घटा देना चाहिए ताकि आम आदमी को इसका लाभ मिल सके। इस धारणा को खत्म कर देना चाहिए कि सिर्फ धनी लोग ही इसका उपयोग कर रहे हैं। आम आदमी को भी इसका लाभ मिल रहा है। अगर किसानों को यह सुविधा नहीं मिल रही है तो उनको भी यह सुविधा दी जानी चाहिये परन्तु जिनको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है उसका अर्थ यह नहीं है कि वे सभी धनी हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि गैस का उपयोग करने वालों में से कितने प्रतिशत लोग धनी हैं।

श्री टी. आर. बालू : महोदय, मैं सिर्फ यह कह सकता हूँ कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों में से लगभग 3.8% लोग इसका उपयोग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न

... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आपने छह पूरक प्रश्नों का उत्तर देने की सहमति दी थी।

[हिन्दी]

छह सप्लीमेंट्रीज हो चुके हैं। अब अगला प्रश्न।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपने अभी-अभी छह पूरक प्रश्नों की सहमति दी थी।

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्

***542. प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद्, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बना रही है;

(ख) यदि हां, तो किये जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हुई है;

(घ) क्या ऐसी परिषदें राज्यों में भी स्थापित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) : एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (एन सी एस टी सी) अनेक कार्यक्रम आयोजित करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बना रहा है। इन कार्यक्रमों से देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न संचार कार्यपद्धतियों का विकासन, अनुकूलन और उन्नयन एवं लोगों में वैज्ञानिक सोच पैदा करना शामिल है। इन कार्यक्रमों में बहुत बड़ी संख्या में साधारण जनता को शामिल करते हुए परियोजनाएं शामिल हैं, उदाहरणार्थ, भारत जन ज्ञान-विज्ञान जत्था-1992, सूर्यग्रहण 1995 कार्यक्रम, और राष्ट्रीय बाल-विज्ञान कांग्रेस। इन कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के बहुत बड़े भाग में जागरूकता पैदा करना संभव हो पाया है। राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद विभिन्न राज्यों में अपने कार्यक्रमों को राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों तथा देश भर में फैले एक सौ से अधिक गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से निष्पादित करता है। राज्यों में भी उनकी अपनी राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदें हैं जो विज्ञान लोकप्रियकरण सहित विभिन्न कार्य करती हैं।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं माननीय मंत्री को विवरण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

राष्ट्रीय विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी परिषद का एक मुख्य कार्य लोगों में वैज्ञानिक प्रतिभा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पैदा करना है। हमारे संविधान में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वैज्ञानिक प्रतिभा को विकसित करे। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि वर्तमान में हमारे देश में वैज्ञानिक प्रतिभा और दृष्टिकोण का ह्रास हो रहा है। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में बात मत करिये।

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप लोग ही मनगणंत बातें करते हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको : वह बेवजह क्यों दखलअंदाजी करते हैं?

प्रो. पी. जे. कुरियन : आप जानते हैं कि मार्क्सवादी अंधविश्वासी और हठधर्मी लोग हैं... **(व्यवधान)**

श्री पी. सी. चाको : वे बेवजह प्रो. कुरियन को उत्तेजित कर रहे हैं। वे उनको उत्तेजित क्यों कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**

प्रो. पी. जे. कुरियन : अगर वे दखलअंदाजी नहीं करते हैं तो मैं अपने प्रश्न से नहीं हटूँगा। आप कृपया उनको नियंत्रित करिये। ...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. कुरियन, कृपया जारी रखिये।

...**(व्यवधान)**

प्रो. पी. जे. कुरियन : यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में वैज्ञानिक प्रतिभा और दृष्टिकोण का ह्रास हो रहा है। वैज्ञानिक भी इससे अछूते नहीं है। हालांकि, राजनीतिक नेताओं के बीच अंधविश्वास बढ़ रहा है। संविधान में स्पष्ट है कि प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह वैज्ञानिक प्रतिभा और नजरिये को विकसित करे। इसलिए, सरकार का भी कर्त्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने हेतु कार्यक्रम बनाये। मैंने राष्ट्रीय विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों को देखा है। माननीय मंत्री ने इसका उल्लेख विवरण में भी किया है। इनका प्रमुख उद्देश्य लोगों में जागरूकता पैदा करना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं प्रश्न पर आ रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री बसुदेव आचार्य : वह कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

श्री पी. सी. चाको : आप इसके बारे में क्यों चिन्ता करते हैं? कृपया माननीय मंत्री को उत्तर देने दें।

प्रो. पी. जे. कुरियन : इसलिए, हम जोर को भूल जाते हैं। कार्यक्रम का जोर वैज्ञानिक प्रतिभा और दृष्टिकोण को लोगों में विकसित करना होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे और क्या वह इस कार्यक्रम को दुबारा नए सिरे से बनायेंगे ताकि अंधविश्वास को खत्म करके वैज्ञानिक प्रतिभा और दृष्टिकोण को विकसित किया जा सके।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : मैं माननीय सदस्य द्वारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के लिये आभारी हूँ और देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बनाने की आवश्यकता को ऊँची प्राथमिकता दिये जाने पर बल देने के लिए भी आभारी हूँ।

माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि राष्ट्रीय विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी परिषद ने भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था जैसे कार्यक्रम बनाये हैं ताकि जनता की भागीदारी बढ़ाकर लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रसार किया जा सके। देश में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस भी कार्य कर रही है। ये विशिष्ट वैज्ञानिक घटनाओं जैसे ग्रहण आदि का अध्ययन करते हैं ताकि उनके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जा सके। सरकार अब राष्ट्रीय विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी परिषद का पुनर्गठन करने जा रही है। मैं माननीय सदस्य के इस कथन से सहमत हूं कि इस मुद्दे पर सर्वसम्मति से कार्य किया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा दिये गए प्रस्तावों को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

प्रो. पी. जे. कुरियन : मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए धन्यवाद देता हूँ।

दूसरे, मंत्रालय के प्रतिवेदन में उल्लिखित है कि आवश्यक महत्वपूर्ण संघटक हैं "कम्यूनिकेटर्स' और 'साफ्टवेयर्स' का विकास। उन्होंने रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि सूचनादाताओं को पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित नहीं किया गया है तथा समुचित साफ्टवेयर विकसित नहीं किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि क्या वे इस सुझाव पर विचार करने को तैयार हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित किया जाये ताकि स्कूलों और कालेजों में अध्यापक सूचनादाताओं के रूप में कार्य कर सकें। ऐसा करने से विश्वविद्यालय कुछ धन बचा सकेंगे और इससे कालेजों को भी लाभ होगा।

इसके अलावा हम जागरूकता पैदा करने की बात तो करते हैं, किन्तु विज्ञान के प्रति प्राचीन भारत के योगदान को भुला देते हैं। प्राचीन भारत का विज्ञान के प्रति बहुत योगदान रहा है। आप जानते हैं कि कैसे 'शून्य' या 'जीरो' का जन्म हुआ। यह भारत का योगदान था। यहां तक कि अरबी के अंक भी भारत का ही योगदान हैं। उनको अरब द्वारा यूरोप को हस्तांतरित कर दिया गया था लेकिन उनकी उत्पत्ति भारत में हुई। लेकिन इन बातों का प्रचार नहीं किया गया है। लोगों को प्राचीन भारत के विज्ञान के प्रति योगदान से अवगत नहीं कराया गया है।

क्या आप इस विषय को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे?

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि भारत जन विज्ञान जत्था तथा राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस या 'पॉपुलर साइंस नेटवर्क' दोनों के लिए विकसित कार्यक्रमों में साफ्टवेयर के सृजन, 'किट्स' तथा पुस्तकों पर काफी बल दिया गया है। हमने इस कार्यक्रम की प्रो. कासिम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पुनरीक्षा करवाई है। इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु हमारी इन सभी सुझावों पर विचार करने की योजना है?

हमने फिल्मों को भी प्रायोजित किया है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 'भारत की छाप' नामक एक बहुत ही लोकप्रिय फिल्म थी। आपको यह याद होगा कि उसमें प्राचीन भारत के विज्ञान पर भी बल दिया गया है। मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि हम इसको बहुत उच्च प्राथमिकता देते हैं। हाल ही में हमने 'मेमोरी प्लस' नामक एक औषधि जारी की है। जिसका आधार है "दादी मां ने कहा, अपने दिमाग को ठण्डा रखने के लिए ब्राह्मी तेल इस्तेमाल कीजिए।" हमारे वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्राह्मी में पाया जाने वाला प्रोटीन 'दक्टीर्मोसाईट' जब दिमाग के एक विशेष भाग पर लगाया जाता है, तो इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। हमने इस औषधि को चलाया है।

श्री ई. अहमद : इसे पहले संसद सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, 'मेमोरी प्लस' देना वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रौद्योगिकी परिषद का विशेषाधिकार होगा। मैं ऐसा व्यक्तिगत तौर पर कह सकता हूं कि 55 वर्ष की आयु के बाद यह बहुत लाभदायक औषधि है। हम राष्ट्रीय और विश्व बाजार की आशा कर रहे हैं। वास्तव में इसे बाजार में लाया गया है। लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लोग अपनी शक्ति और पर्यावरण के साथ अपने संबंधों को देखें। यह हमारे कार्यक्रम का एक हिस्सा है। इस कार्यक्रम में सभी सुझावों का स्वागत है। हम स्कूल और कालिजों सहित अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि भारत जन विज्ञान जत्था तथा बाल विज्ञान कांग्रेस दोनों स्कूलों के माध्यम से कार्य करते हैं। वर्ष में एक बार हम बहुत से बच्चों को दिल्ली में लाते हैं। हम अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन मैं उनसे सहमत हूं कि काफी कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए।

प्रो. पी. जे. कुरियन : महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था कि ब्राह्मी तेल मार्क्सवादियों को दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही इसका उल्लेख कर दिया है।

... (**व्यवधान**)

श्री जी. जी. स्वैल : यदि मैं गलत नहीं हूं, जिस मंत्री ने उत्तर दिया है वह एक प्रोफेसर है चूंकि उनमें वे सभी आदतें हैं जो लैक्चर देने वाले में होती हैं वे प्रश्नों के उत्तर देने की बजाय लैक्चर देते प्रतीत हो रहे हैं।

वर्तमान स्थिति, हमारी पर्यावरण सुरक्षा तथा सी. टी. बी. टी. पर संयुक्त राष्ट्र से मतभेद को ध्यान में रखते हुए हमें सबसे प्राथमिकता विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा प्रक्षेपास्त्रों के विकास को देनी चाहिए।

'पृथ्वी' विकसित कर लेने के बाद, हालांकि हमने इसे सशस्त्र सेनाओं के साथ नहीं जोड़ा है, मैं नहीं जानता कि 'अग्नि' की क्या स्थिति है। हमारे सामने सबसे बड़ा कार्यक्रम भूभाग में अपने उपग्रह स्थापित करना है...(**व्यवधान**) कुछ समय पहले रूस से क्रायोजेनिक इंजन अथवा क्रायोजेनिक तकनीक प्राप्त करने का प्रश्न था लेकिन हमने कहा कि हम इसे अपने आप करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि स्वयं की क्रायोजेनिक तकनीक के विकास में क्या प्रगति हुई है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, माननीय सदस्य बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वास्तव में मैं एक प्रोफेसर हूं, मैं एक निर्लज्ज प्रोफेसर हूं। मेरे विचार में जिस प्रकार का प्रश्न पूछा गया उसके लिए विस्तृत उत्तर की आवश्यकता है।

जहां तक मिसाइलों और क्रायोजेनिक राकेटों का प्रश्न है मैं अलग से स्पेश से संबंधित संसदीय कार्य देखता हूं और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। तथापि, यदि वे चाहें, वे अलग प्रश्न पूछ सकते हैं और हम उस पर विस्तृत उत्तर दे सकते हैं।

श्री सुरेश प्रभु : महोदय, मैं कुछ मौलिक स्वरूप का प्रश्न उठा रहा हूं जो इससे संबंधित है तथा मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रो. अलघ जैसे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति इस विभाग का प्रभारी है।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आमतौर पर देश को प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कितना खर्च करना पड़ता है तथा खर्च की गई इस राशि की उपयोगिता का पता लगाने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या हम कोई वैज्ञानिक पुनरीक्षा करते हैं। क्या हम इस बात के लिए विश्वस्त होने के लिए कोई सामाजिक या प्रौद्योगिकीय पुनरीक्षा/वित्तीय पुनरीक्षा नहीं करते हैं कि हमने जो राशि खर्च की है और जो उस खर्च की गयी राशि से जो लाभ प्राप्त होता है उसके बीच कोई संबंध है?

महोदय, जिन गैर-सरकारी संगठनों का माननीय मंत्री ने उल्लेख किया है वे सौ प्रकार की हैं तथा उस मिशन में शामिल हैं, जोकि सरकार चला रही है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उस व्यय की कुल प्रतिशतता क्या है जो गैर-सरकारी संगठन सरकार के कुल बजट से प्राप्त करते हैं तथा विभागवार खर्च करते हैं जैसाकि प्रो. कुरियन ने उल्लेख किया है क्या हम इस लिए गए कार्यक्रम का उन ग्रामीण क्षेत्रों तक प्रसार करने जा रहे हैं जहां पर इसको सीखने की इच्छा के कारण अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की संभावना है।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : जहां तक वैज्ञानिक संचार कार्यक्रम का संबंध है, पिछले वर्ष हमने दो करोड़ रुपये से कुछ अधिक खर्च किया था। उसमें से अधिकांश स्वयंसेवी संगठनों, स्कूलों और अन्यों के माध्यम से खर्च किया गया था, क्योंकि सरकार स्वयं इस पर अधिक धन खर्च नहीं करती है।

हमने विस्तृत पुनरीक्षा नहीं करवाई है क्योंकि वास्तव में कार्यक्रम में लाखों करोड़ों बच्चे और अन्य लोग भी शामिल हैं। हमने आंशिक आधार पर आंकलन करवाया है तथा परिणाम इस दृष्टि से उत्साहवर्धक प्रतीत होते हैं कि कार्यक्रमों में लोगों को अपना कौशल दिखाने को मिलता है तथा दिये गये विचारों से व्यापक तौर पर प्रभावित हुए प्रतीत होते हैं। लेकिन मुझे यह स्वीकार करना होगा कि ये आकलन केवल कुछ चुने हुए शहरी क्षेत्रों के हैं।

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है हालांकि उन्हें याद होगा कि भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था वास्तव में इन क्षेत्रों के बीच से गुजरता है और उसने तीन जिलों का दौरा किया है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, ग्रामीण कारीगरों को प्रौद्योगिकीय सहायता के संबंध में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी अध्ययन संस्थान बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। पश्चिम बंगाल राज्य में एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति है तथा मैं उस सलाहकार समिति का चेयरमैन हूं। इससे पूर्व प्रो. निर्मल चटर्जी उस समिति के चेयरमैन थे।

अब यह कार्यक्रम केवल एक जिले बांकुरा तक सीमित है जहां पर कि बड़ी संख्या में कारीगर हैं। हमारे देश में ऐसे दो जिले हैं। ऐसा एक जिला बांकुरा है जहां पर बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण कारीगर हैं।

क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या यह कार्यक्रम अन्य पड़ोसी जिलों तक बढ़ाया जा सकता है ताकि आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उनकी सहायता करके उनकी प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के संबंध में उन जिलों के ग्रामीण कारीगरों को सहायता दी जा सके।

श्री योगेन्द्र के. अलघ : महोदय, हस्तशिल्पियों को सहायता देने के कार्यक्रम विज्ञान संचार पद्धति के अंग नहीं हैं परन्तु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्वयं उन संस्थानों को उस शोध कार्य में सहायता देता है जिससे छोटे किसानों को प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती

हो। हमारे पास ऐसे कई शोध प्रस्ताव हैं जिनको हमने पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्र में वित्तपोषण किया है। सामान्यतः हमारा दृष्टिकोण यह है कि हस्तशिल्पियों और छोटे किसानों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। इस संदर्भ में यदि कोई विशिष्ट प्रस्ताव हैं जो विभाग को उन पर विचार करने में प्रसन्नता होगी।

[हिन्दी]

श्री नन्द कुमार साय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राचीन भारत में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण थे जिनको अनेक रूपों में ऋषि-मुनियों द्वारा शास्त्रों में रचा गया है जैसे स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का विधान है, आज औषधि के रूप में सूर्य स्नान कराया जाता है। इसी प्रकार से घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। तुलसी इस तरह का पौधा है जो रात-दिन आक्सीजन छोड़ता है। क्या इस तरह की वैज्ञानिक विचारधारा जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में है, उसका प्रचार और प्रसार करने के लिए कोई उपाय या विधा या कोई तरीका आप बनाने जा रहे हैं जिससे देश को तथा सम्पूर्ण विश्व में इसकी जानकारी मिल सके?

[अनुवाद]

श्री पी. आर. दासमुंशी : महोदय दिल्ली सरकार लोकसभा को अतिरिक्त शक्तियाँ नहीं प्रदान कर रही ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री योगेन्द्र के. अलघ : उपाध्यक्ष महोदय, प्राचीन भारत में विज्ञान के रूप में जिन्होंने इसका शोध किया, वैज्ञानिकीकरण किया, उसको प्राथमिकता देते हैं। जैसाकि अनिरेबल मैम्बर जानते हैं अभी ब्राम्ही की बात कर रहे थे, इसके लिए हमने एक रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है। डाबर और झंडु के साथ हमने प्रयोग करके और प्राचीन भारत की जो हमारी शक्तियां हैं, उनको दुनिया के सामने लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। उसके लिए 8वीं योजना में शुरू किया है और 9वीं योजना में भी पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारी जो ऐतिहासिक स्ट्रेंग्थ है, उसको बढ़ा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, एक सप्लीमेंटरी मैं भी पूछना चाहता हूं कि ब्राम्ही और तुलसी के अलावा कोई ऐसी जानकारी मिल सके या कहीं कोई ऐसा तेल तैयार हो सके जो कभी कभी हाउस का डैकोरम मेनटेन करने में मददगार साबित हो सके।

...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न संख्या 543

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: छः पूरक प्रश्न पहले ही हो चुके हैं।

[हिन्दी]

सातवाँ मैंने पूछ लिया है।

[अनुवाद]

क्षमा करें।

श्री रूपचन्द पाल: यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप अनुमति दे रहे हैं.... .

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने अनुमति नहीं दी। हमने अगला प्रश्न ले लिया है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रति गारंटी

*543. **श्री संतोष मोहन देव**:
श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी भागीदारी वाली किन-किन फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को केन्द्र सरकार द्वारा प्रति गारंटी दी गयी है;

(ख) निजी क्षेत्र की किन परियोजनाओं को जिनमें विदेशी वित्तीय सहयोग नहीं है अब तक प्रति गारंटी दी गयी है;

(ग) प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि की प्रति गारंटी दी गई है;

(घ) क्या सरकार ने "फास्ट ट्रैक" श्रेणी में रखी गयी सभी परियोजनाओं को प्रति गारंटी देने हेतु कोई तिथि निर्धारित की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्यमंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) केन्द्र सरकार ने अब तक विदेशी भागीदारी वाली निम्नलिखित फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी प्रदान की है।

1. दभोल पावर कंपनी की दभोल सीसीजीटी (740 मेगावाट)

2. मै. एईएस, यूएसए की ईब घाटी टीपीएस (420 मेगावाट)

3. मै. जीवीके इन्डस्ट्रीज की जेगरूपाडु्ब्बी पीपी (216 मेगावाट)

(ख) कोई नहीं।

(ग) **दभोल**: मुद्रा स्फीति, कराधान में परिवर्तन तथा रुपए के अवमूल्यन के कारण उपयुक्त समायोजन के अध्याधीन वित्तीय वर्ष

में नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के लिए सरकार की देयता 1500 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी।

कंपनी द्वारा विद्युत क्रय समझौता समाप्त किये जाने की दशा में गारंटी केवल बकाया विदेशी ऋण तक सीमित होगी जो 300 मिलियन अमरीकी डालर तक और सीमित है।

ईब घाटी: एक वित्तीय वर्ष में नियत प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के लिए सरकार की देयता 667 करोड़ रुपये तक सीमित है और 1.4.96 को और प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में यह सीमा 5% से बढ़ जायेगी।

अंतिम भुगतान के संबंध में देयता विदेशी इक्विटी के समकक्ष विदेशी ऋण तक सीमित है।

जेगरुपाडु: नियत प्रभारों और ऊर्जा प्रभारों के संबंध में कोई देयता नहीं है। सरकार की देयता समाप्ति पर बकाया विदेशी ऋण, जो परियोजना की कुल इक्विटी से अधिक नहीं होगी, तक सीमित है जो विद्युत क्रय समझौते की शर्तों के अनुसार 77.7 मिलियन अमरीकी डालर बैठता है।

(घ) से (च) संबंधित राज्य सरकारों द्वारा गारंटी के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा किये जाने के बाद ही भारत सरकार द्वारा फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं को प्रति गारंटी प्रदान की जा सकती है। जैसे ही शर्तें पूरी कर ली जाती हैं, सरकार प्रति गारंटी जारी करने का प्रयास करती है।

श्री संतोष मोहन देव: माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उन तीन योजनाओं का जिक्र किया है जिन्हें स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है—डाभोल इब वैली, और जेगरुपाडु। 1995 में तत्कालीन सरकार ने इस सभा में कहा कि जिन परियोजनाओं को प्रतिगारंटी की आवश्यकता है वे आठ हैं। अन्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं—गोदावरी जी.वी.वी.पी., एन. एल. सी. की जीरो यूनिट योजना, मंगलौर टी.पी.एस., आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम और भद्रावती। जैसा कि विद्युत सचिव ने अपने एक सम्मेलन में यह घोषणा की है कि सितम्बर 1996 तक सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूँ कि विदेशी और स्वदेशी निवेश से स्थापित होने वाली परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है? सरकार के पास अन्य कितनी परियोजनाएँ लम्बित हैं और उनको स्वीकृति मिलने में कितना समय लगेगा?

दूसरी बात यह है कि मैंने परसों एक समाचार पढ़ा। उसके अनुसार सरकार ने घोषणा की है कि एक हजार करोड़ के अन्दर-अन्दर लागत वाली परियोजनाओं को राज्य सरकारें स्वयंमेव स्वीकृत कर सकेंगी। मैंने एक और विवरण पढ़ा है जिसके अनुसार नई विद्युत परियोजनाएं अन्य संस्थाओं के माध्यम से केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के पास जाने की बजाय प्राधिकरण के पास सीधे आयेंगी। यह सब कुछ मैं समाचारों को पढ़कर बता रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है? यदि यह सच है तो यह वस्तुतः बहुत अच्छा है। हम आपके साथ हैं। अतः हम वस्तुस्थिति जानना चाहते हैं।

डा. एस. वेणुगोपालाचारी: उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है केवल तीन विद्युत परियोजनाओं को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है। जेगरुपाडु के बारे में यह 4-9-1996 को जारी कर दी गई है। स्पेक्ट्रम टेब्बरा की प्रतिगारन्टी वापिस ले ली गई है। आन्ध्र प्रदेश की विशाखापटनम ताप विद्युत परियोजना के बारे में संशोधित पी.पी.ए. दिनांक 17.8.96 को, जो आंध्र प्रदेश की सरकार से 26-8-96 को प्राप्त हुआ था, 30-8-1996 को एम.ओ.यू. और जांच के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास भेज दिया गया है। तमिलनाडु की नेवेली जीरो यूनिट के बारे में 3-9-1996 को यह सूचित किया गया था कि एन.एल.सी. के संबंध में गारंटी लेने चार प्रतिशत प्रभार और नकदी क्षति संशोधन पर कोई बातचीत नहीं की जाएगी। मंगलौर विद्युत परियोजना के बारे में अधिकारी बैठक कर रहे हैं। अधिकारी स्तर की बातचीत चल रही है। महाराष्ट्र के भद्रावती ताप विद्युत परियोजना के बारे में समझौता ज्ञापन के लिए 23-8-96 और 6-9-96 को स्मरण पत्र भेजा गया था। इनमें अनुरोध किया गया कि वे शीघ्र अति शीघ्र अपनी टिप्पणी भेजें। दिनांक 23.8.96 को हमने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल से अनुरोध किया कि वे अपने टैरिफ सारणी भेजें और यदि उनका टैरिफ शिड्यूल भारत सरकार के टैरिफ शिड्यूल से भिन्न है तो इसे प्रमाणित करें।

डाभोल के संबंध में प्रतिगारंटी पहले ही मंजूर की जा चुकी है। सुनवाई पूरी हो चुकी है और उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। उड़ीसा के ईब वैली परियोजना के संबंध में उड़ीसा सरकार द्वारा उठाए गए पी.पी.ए. से जुड़े हुए कतिपय मुद्दों पर भारत सरकार पहले ही कुछ स्पष्टीकरण मांग चुकी है जिससे उन्हें अवगत करा दिया गया है। यह फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के संबंध में है।

जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा सरकार ने 1000 करोड़ रुपये के अन्तर्गत सी.ई.ए. स्वीकृति की घोषणा की है। विद्युत नीति की घोषणा के बाद से हम नियमित रूप से हम सी.ई.ए. के मार्गनिदेशों को सरल और सुचारु बना रहे हैं। हाल ही में परियोजनाओं की स्पर्धात्मक बोली के माध्यम से जिन्हें राज्य विद्युत बोर्डों और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित किया जाता है, यह सीमा 1000 करोड़ रुपये, अर्थात 250 मेगावाट तक बढ़ा दी गई है।

श्री संतोष मोहन देव: क्या यह सच है कि सरकार ने समझौता मार्ग की नीति छोड़ दी है और अब स्पर्धात्मक बोली का

माध्यम अपनाया जा रहा है? यदि यह ऐसा है तो यह अच्छा है। क्या यह सच है?

किसी भी विद्युत परियोजना को मंजूरी देने में पर्याप्त समय लिया जाता है। इसका कारण क्या है? यहां दो बातें हैं. पहला पर्यावरण संबंधी मंजूरी और दूसरे ईंधन की उपलब्धता। इस मामले में ईंधन का मतलब गैस से है। अब विद्युत परियोजनाओं के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर अन्य स्थानों पर गैस उपलब्ध नहीं है। दूसरा कोयला ईंधन है और जब तक कोयला सार्वजनिक क्षेत्र में होने से इस क्षेत्र में निवेश नहीं हो रहा है और इस प्रकार कोयला उपलब्ध नहीं हो पाता है। एक समय यह निर्णय किया गया था कि कैप्टिव कोयला खानें विद्युत परियोजनाओं को दी जाएंगी। ताकि उन्हें पर्याप्त कोयला उपलब्ध हो सके। भारत सरकार की उक्त नीति की अब क्या स्थिति है?

डा. एम. वेणुगोपालाचारी: एम. ओ. यू. प्रणाली का अनुसरण 18 फरवरी तक किया गया। सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट निदेश जारी किये हैं। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए और वर्ष 1992 से बढ़ती हुई आलोचना के कारण, हमने राज्य सरकारों से अक्तूबर 1993 में यह अनुरोध किया कि वे केवल स्पर्धात्मक बोली का ही रास्ता अपनाएँ। 18 फरवरी, 1995 के पश्चात एम.ओ.यू. प्रणाली समाप्त कर दी गई। अब स्पर्धात्मक बोली माध्यम अपनाया जाता है। जहां तक पर्यावरण संबंधी मंजूरी का संबंध है हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्तर मंत्रालयीय सचिवों के साथ एक पुनरीक्षा बैठक की है और "फास्ट ट्रैक" विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु केबिनेट सचिव और अन्तर मंत्रालयीय सचिवों की एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया। एक समिति माननीय प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में भी गठित की गई जो सभी परियोजनाओं की स्वीकृति के कार्य को देखेगी। इसके अलावा हमने पर्यावरण मंत्रालय को भी लिखा है कि वे हमें तकनीकी मार्ग निर्देश दें और वे राज्य सरकारों को इस संबंध में शक्तियाँ प्रदान करने के लिए एक समिति गठित कर रहे हैं।

जहाँ तक ईंधन लिंकेज संबंधी नीति का प्रश्न है। हमने संबंधित विभागों को इस नीति निर्णय पर विचार करने को कहा है और यह विचाराधीन है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: महोदय, मैं इस उत्तर से प्रसन्न हूँ कि प्रतिगारंटी मुद्दे को पूरी तरह बन्द नहीं किया गया है। परन्तु 1995 में जब असम ने अमगुरी गैस आधारित विद्युत परियोजना की प्रतिगारंटी के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया तो असम सरकार को यह कह दिया गया कि आठ फास्ट ट्रैक विद्युत परियोजनाओं के अतिरिक्त प्रतिगारंटी देने का कोई विचार नहीं है।

प्रश्न के उत्तर से यह लगता है कि अभी यह प्रश्न खुला है और यदि ऐसा है तो असम के साथ उस समय अन्याय हुआ है, जिसने इस बात से समझौता कर लिया कि धनी राज्यों को ही प्रतिगारन्टी दी जाएगी और गरीब राज्यों से अन्धकार में ही रहने की अपेक्षा की जाती है। सरकार की यही नीति है और हमने इसे स्वीकार कर लिया है। परन्तु अब प्रश्न यह है कि प्रतिगारंटी तब दी जाती है जब भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई पूंजी पर 16% कर वापसी सुनिश्चित होने का आश्वासन दिया जाए। यदि 68.5 प्रतिशत संयंत्र भार गुणक पर, पूँजी पर 16% की दर से कर वापसी की गणना की जाए और 68.5 की सीमा के बाद प्रत्येक एक प्रतिशत संयंत्र भार गुणक पर 0.7% की दर से अतिरिक्त अधिभार जोड़ा जाए तो वह लगभग 30% हो जाता है और यदि उसमें उपकरण और प्रचालन-पूर्व खर्चे, निर्माण-कला में देय ब्याज और वित्त अधिभार जोड़ा दिए जाए तो निवेशक को वह 60% पड़ जाता है और यदि कर पूर्व स्थिति को लिया जाए तो वह 100% के आसपास बैठता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: यह प्रतिफल तो किसी भी मानदण्डों के अनुसार बहुत अधिक है।

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार फास्ट ट्रैक परियोजनाओं और इस फार्मूला पर आधारित अन्य आई.पी.पी. परियोजनाओं को प्रतिगारन्टी देने पर विचार कर रही है या वह फार्मूले पर पुनर्विचार कर रही है चूंकि जिन अन्य परियोजनाओं को प्रतिगारन्टी नहीं दी जाएगी वे इस गारंटी से वंचित हो जाएँगे। फिर वे उच्च जोखिम की भरपाई के लिए उच्च प्रतिफल की अपेक्षा करेंगे।

दूसरे प्रतिगारन्टी की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आई.पी.पी. को विद्युत सप्लाई करने में एस.ई.बी. की लिक्यूडिटी संशयात्मक होती है।

अब लिक्यूडिटी की यह स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि राज्य बिजली बोर्ड अत्यधिक वित्तीय संकट में है। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि संयंत्र भार गुणक ऊँचा होता है पारेषण और वितरण क्षति अधिक होती है और राजस्व वसूली कम है और सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ ढांचा लागत खर्च से कम है। जब तक बिजली बोर्डों को लाभप्रद नहीं बनाया जाता, तब तक कितनी भी अस्थाई सहायता दी जाए इससे बिजली संकट की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अत: कम से कम शुल्क ढांचे में तो सुधार किया ही जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। प्रश्न काल में केवल पांच मिनट का समय रह गया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: आप शुल्क ढांचे को अधिक लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार और राज्य विद्युत बोर्डों को मनाने के लिए क्या कर रहे हैं।

प्रधान मंत्री (श्री एच. डी. देवेगौड़ा) : महोदय, जहां तक काउंटर गारंटी का संबंध है, तत्कालीन सरकार केवल आठ फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के लिए ही काउंटर गारंटी देने के लिए सहमत हुई थी। जहां तक समझौता ज्ञापन प्रणाली का संबंध है, फरवरी, 1995 में तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय किया था कि समझौता ज्ञापन प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और खुली बोली प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए। ऐसा प्रचार माध्यम सहित विभिन्न क्षेत्रों से होने वाली आलोचना के कारण किया गया था जिन्होंने समझौता ज्ञापन में यह दोष निकाला था कि इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। इसलिए उस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था और खुली बोली प्रणाली शुरु की गई है।

हमारे वरिष्ठ सदस्य श्री सन्तोष मोहन देव ने पूछा है कि क्या इस मुद्दे पर नई सरकार की नीति में कोई परिवर्तन है। जी हाँ, इस संबंध में पुरानी नीति में एक मात्र परिवर्तन राज्य सरकारों को 1000 करोड़ रुपये तक की विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति देने की शक्ति प्रदान करना है। उन्हें केन्द्र सरकार के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूं कि चाहे केन्द्र सरकार की जो भी नीयत हो, आर्थिक उदारीकरण के जो कुछ भी लाभ हों, वास्तव में वह लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंच सका।

श्री प्रमोद महाजन: फिर उन्हें केन्द्र सरकार से स्वीकृति क्यों लेनी चाहिए? ....(**व्यवधान**)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं नहीं चाहता कि वे केन्द्र सरकार के पास आयें। इसीलिए मैं यह कह रहा हूं। उस समय निवेशक ही विश्वास नहीं करते थे क्योंकि स्थिति ही ऐसी थी। मैं पिछली सरकार को दोष नहीं देता। जब मैं यहां था, तो श्री चन्द्रशेखर की सरकार ने 25 टन सोना गिरवी रखा था। मैं उन सभी बातों के विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह सर्वविदित तथ्य था कि उस समय देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। इसलिए, उस समय, निवेशक आगे नहीं आना चाहते थे क्योंकि विद्युत बोर्डों की हालत खस्ता थी और राज्यों की आर्थिक स्थिति अत्यन्त खराब थी तथा देश की आर्थिक स्थिति भी संकटपूर्ण थी।

उस समय, निवेशक भारत सरकार से कुछ गारन्टी चाहते थे। अन्यथा वे यहां पर निवेश के इच्छुक नहीं थे। इस वजह से, विद्युत नीति की घोषणा के एक वर्ष के भीतर अभी आठ फास्ट ट्रेक परियोजनाओं के लिए भारत सरकार काउन्टर गारंटी देने के लिए तैयार हो गई है।

महोदय, मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। सरकार चाहती है कि इन परियोजनाओं को यथा शीघ्र पूरा किया जाये। मैं यहां भारत सरकार के किसी विभाग को दोष नहीं देना चाहता। पूरी प्रक्रिया ही जटिल है। प्रस्ताव पर्यावरण विभाग के पास जायेगा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास जायेगा और आर्थिक कार्य विभाग के पास जायेगा। इस तरह, इसमें काफी समय लगेगा। हम इस तरह की प्रक्रिया नहीं चाहते। हम इसे सरल बनाना चाहते हैं। यही कारण है कि 1000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकृत करने संबंधी कानूनी अधिसूचना कल जारी की जा रही है। 1000 करोड़ रुपये तक की इन परियोजनाओं को केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, हम इसकी प्रशंसा करते हैं। कोई विद्युत परियोजना केन्द्र सरकार के पास नहीं आनी चाहिए। हम 1000 करोड़ रुपये की परियोजना संबंधी आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। यदि 10,000 करोड़ रुपये की भी परियोजना है तो राज्य को ही इसे स्वीकृत करने के लिए कहा जाना चाहिए। यह केन्द्र के पास नहीं आनी चाहिए। केन्द्र को इसे स्वीकृति प्रदान करने और इसे उचित ठहराने की कोई आवश्यकता नहीं है...(**व्यवधान**) मैं आपकी नीति पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि आपको परियोजना सीमा 10,000 करोड़ रुपये तक बढ़ा देनी चाहिए। इसे आप अपने हाथ में न लें। ... (**व्यवधान**)

श्री एच. डी. देवेगौड़ा: यदि इसमें हमें कुछ लाभ दिखाई देगा तो हम इसकी जांच करेंगे। यदि आपके सुझाव से कुछ और सुधार होगा तो मैं इसकी जांच करुंगा। यह निर्णय लेने का उद्देश्य यह है कि राज्यों की विद्युत परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति मिले।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्ड

***544. श्री माधवराव सिंधिया :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी विदेशी और भारतीय विद्युत उत्पादक कंपनियों के साथ सहमत विद्युत उपभोग दरों की तुलना में विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वसूल की जा रही दरें क्या हैं;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों ने इस आधार पर घरेलू, ग्रामीण और वाणिज्यिक उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति की दरों में वृद्धि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को विद्युत की बिक्री के लिए

टैरिफ का निर्धारण प्रत्येक राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विभिन्न तकनीकी और वाणिज्यिक घटकों जिसमें विद्युत के उत्पादन और आपूर्ति तथा क्रय इत्यादि की सम्मिलित लागत शामिल है, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। निजी, विदेशी और भारतीय उत्पादन कंपनियों से विद्युत की बिक्री हेतु टैरिफ का निर्धारण पूरा होने पर, उत्पादन कंपनियों के लिए भारत सरकार की टैरिफ अधिसूचना में निर्धारित सिद्धांतों एवं मानदण्डों के अनुरूप किया जायेगा। अत: रा.बि.बो. द्वारा प्रभारित उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ दरों की तुलना निजी, विदेशी और भारतीय विद्युत उत्पादन कंपनियों की टैरिफ दरों के साथ करना संभव नहीं है। आज तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न रा.बि.बो. द्वारा प्रभारित की जा रहीं विद्युत खपत की दरें विवरण में दी गयी हैं।

(ख) जी, नहीं। विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुसार, रा.बि.बो./राज्य सरकारों को स्वयं ही उपभोक्ताओं का टैरिफ निर्धारण करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

विवरण

विभिन्न रा.बि.बो. में विद्युत की खपत की दरों को, विद्युत शुल्क सहित दर्शाने वाला विवरण-1996-97

(पैसे/कि.वा. घं.)

क्र.सं.	राज्य	घरेलू	वाणिज्यिक	कृषि	औद्योगिक
1.	आंध्र प्रदेश	111.00	261.00	4.75	270.00
2.	असम	105.00	315.00	150.00	214.18
3.	बिहार	137.00	449.00	29.09	209.99
4.	गुजरात	169.50	376.40	61.22	271.59
5.	हरियाणा	171.00	255.00	55.10	255.00
6.	हिमाचल प्रदेश	61.00	155.00	65.00	165.00
7.	कर्नाटक	150.00	390.00	2.00	247.17
8.	केरल	77.00	313.50	14.21	116.57
9.	मध्य प्रदेश	75.00	230.00	36.73	277.71
10.	महाराष्ट्र	116.10	312.00	22.96	308.99
11.	मेघालय	85.00	176.00	56.00	156.07
12.	उड़ीसा	98.75	265.00	70.00	306.58
13.	पंजाब	133.25	267.00	45.91	231.00
14.	राजस्थान	105.00	232.50	41.96	255.00
15.	तमिलनाडु	90.00	330.75	0.22	288.53
16.	उत्तर प्रदेश	120.00	263.63	47.29	282.16
17.	पश्चिम बंगाल	104.43	251.90	87.00	274.40

[हिन्दी]

इन्दिरा आवास योजना में अनियमितताएं

*545. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दिरा आवास योजना में कतिपय अनियमितताएं बरती गई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजारप्पु येरननायडू): (क) से (ग) राज्य सरकारों से कहा गया था कि यदि इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन में किसी तरह की अनियमितताएं हुई हैं, तो उसकी सूचना दें। किन्तु असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और संघशासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, जिन्होंने "शून्य" सूचना दी है, को छोड़कर अब तक किसी भी राज्य ने अनियमितताएं होने के संबंध में कोई सूचना नहीं दी है। इस मंत्रालय में संसद सदस्यों की ओर से कुछ शिकायतें मिली थी, जो लाभार्थियों के चयन में हुई अनियमितताओं एवं कुछ अधिकारियों द्वारा किये जा रहे भ्रष्ट आचरण से संबंधित थी। इन्हें संबंधित राज्यों के पास उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है। इसके अतिरिक्त, निर्माण की घटिया किस्म, इंदिरा आवास योजना के भवनों के निर्माण में ठेकेदारों को शामिल करने तथा निधियों का दुरुपयोग करने से संबंधित अनियमितताओं के सामान्य मुद्दों को संसद सदस्यों ने परामर्शदात्री समिति एवं स्थायी समिति जैसे विभिन्न मंचों के समक्ष उठाया है। यद्यपि विशिष्ट मामलों को सदैव जांच एवं उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/राज्य सरकारों को भेज दिया जाता है, लेकिन यह मंत्रालय सावधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों, मूल्यांकनों तथा इसकी अपनी ही व्यवस्थाओं जैसे क्षेत्रीय अधिकारियों की योजना जिसके तहत मंत्रालय के अधिकारी विशिष्ठ जिलों/राज्यों में यह देखने के लिए नमूना सर्वेक्षण करते हैं कि वहां मंत्रालय द्वारा जारी की गई मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन हुआ है या नहीं, के माध्यम से इंदिरा आवास योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा हाल ही में राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये गए हैं कि वे विभिन्न ग्रामीण रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने तथा सतर्कता बरतने के लिए ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तरों पर निगरानी तथा सतर्कता समितियों का गठन करें। भूतपूर्व संसद

सदस्यों एवं विधायकों के अतिरिक्त अन्य के साथ-साथ संसद सदस्य तथा विधायकगण ऐसी समितियों के सदस्य होते हैं।

[अनुवाद]

प्रसंस्कृत फलों का उत्पादन

***546. श्री पी. एस. गढ़वी:**
प्रो. जितेन्द्र नाथ दास:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रसंस्कृत फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ग्रामीण स्तर पर फल प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यवार और स्थानवार कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ङ) प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु स्थान का चयन करने के लिए क्या मापदंड अपनाया जाता है; और

(च) इससे रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर पैदा करने में सहायता मिलेगी?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) से (ग) विशेष रूप से ग्रामीण स्तर पर फलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत समर्थन, सुविधा, परामर्श इत्यादि उपलब्ध कराने के वास्ते सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय विभिन्न विकासात्मक योजना स्कीमें कार्यान्वित कर रहा है जिसमें बैकवर्ड लिन्केज, विपणन, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि के लिए समर्थन आदि शामिल है। इनमें से एक योजना स्कीम खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना से संबंधित है जो मूलतः ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए है।

(घ) राज्यवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं लेकिन गैर सरकारी संगठनों समेत राज्य सरकार के विभिन्न संगठनों, सहकारिताओं/स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी गई है। फिलहाल प्राप्त सूचना के अनुसार 58 ऐसे केन्द्रों ने काम करना शुरू कर दिया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए स्थान, कच्चे माल, अन्य बुनियादी सुविधाओं जैसे भवन आदि की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वयक एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित किये जाते हैं। केन्द्र सरकार के संगठनों, राज्य सरकार के संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि के ऐसे प्रस्तावों की योजना स्कीम में निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर भारत सरकार मंजूरी देती है।

(च) इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर उद्यमशीलता का सृजन करना है। इस प्रशिक्षण से प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक अनुभव मिलेगा जिससे वे बाद में अपना यूनिट स्थापित कर सकते हैं और इसके फलस्वरूप अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

विवरण

कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण तथा प्रशिक्षण केन्द्रों के राज्य-वार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	खोले जा चुके खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या	स्थान
1.	बिहार	10	राँची, अंगरा, गुमला-2, गोतरा, तोरपा-2, दुमका, साहिबगंज, बराद्वारी
2.	हरियाणा	2	गुड़गांव-2
3.	हिमाचल प्रदेश	1	शोगी
4.	कर्नाटक	2	हब्बाल, डुलकोटी
5.	मध्य प्रदेश	1	सतपुड़ा
6.	मिजोरम	4	सैरांग, वैवेन्गथ, ख्वाजॉल, छिंगछिप
7.	उड़ीसा	10	काशाहारीपुर, नयागढ़-2, सुन्दरगढ़-2, कोरापुट, परलावेमुण्डी, गजपति, खुरदा, ढेंकानाल
8.	तमिलनाडु	1	तिरुपट्टूर
9.	उत्तर प्रदेश	15	लखनऊ-2, मेरठ, पलिया, सहारनपुर, फैजाबाद, देवरिया, गोरखपुर, इलाहाबाद-4, बस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर
10.	पं. बंगाल	8	बरुईपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, झारग्राम, बेलपठासी, मालदा
11.	दिल्ली	1	राजपुताना राइफल्स, दिल्ली कैंट
12.	असम	3	जगी, रांगल्या, बोण्डा
	योग	58	

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम

***547. श्री राजीव प्रताप रुडी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1996-97 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम पर वित्तीय परिव्यय को अत्यधिक कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं;

(ग) क्या योजना परिव्यय को कम कर दिए जाने के कारण बिहार और उड़ीसा राज्य अत्यधिक प्रभावित होंगे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) :

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हेतु बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निधियां निम्नवत हैं:-

(करोड़ रु.)

शीर्ष	1994-95	1995-96	1996-97
बजटीय सहायता	316	348	348
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	160	175	175
कुटीर ज्योति	5	25	25
बजट के जरिये विदेशी सहायता	10	67	50
जोड़ ..	491	615	598

बजटीय सहायता के अतिरिक्त, अतिरिक्त बजटीय स्रोत जैसे कि बाजार उधार और सरकार द्वारा प्रत्याभूत बॉण्डों के जरिये निधियां जुटाए जाने का भी प्रावधान किया गया है। इस तरह की निधियां जुटाए जाने हेतु प्रावधान को वर्ष 1996-97 हेतु योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

(ख) वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 हेतु बजटीय आबंटन में 17 करोड़ रुपये की सीमांत कमी प्रणाली सुधार तथा लघु जल-विद्युत स्कीमों हेतु ओईसीएफ निधियों के प्रत्याशित कम समुपयोजन के कारण हुई।

(ग) और (घ) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं तथा वित्तीय एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप रा.बि.बो./राज्य सरकारों द्वारा बनाए एवं क्रियान्वित किये जाते हैं। ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु वार्षिक योजना का आकार कार्य दलों के विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाता है। बिहार और उड़ीसा राज्यों के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमों हेतु योजना आबंटन को अभी योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया जाना है।

गरीबी रेखा

***548. श्री राम नाईक: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों का वर्ष-वार प्रतिशत क्या है तथा गरीबी रेखा की सीमाएं क्या रही हैं;

(ख) लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए समय-समय पर आरम्भ की गयी विभिन्न योजनाओं का क्या प्रभाव रहा;

(ग) क्या इन योजनाओं से वांछित परिणाम नहीं मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस बारे में क्या उपाचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा आयोजित पंचवार्षिक घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशत का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान 1987-88 (43वां दौर) के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसके अनुसार 1987-88 में 25.49 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे रह रही थी। एन.एस.एस. उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, 1993-94 (50वाँ दौर) के पूरे परिणामों को अभी संशोधित किया जा रहा है। गत 10 वर्षों के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखाएं निम्नानुसार हैं:

वर्ष	गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति मासिक व्यय	
	ग्रामीण	शहरी
1984-85	108.04	124.66
1985-86	114.10	131.65
1986-87	122.26	141.07
1987-88	132.04	152.35
1988-89	143.75	165.86
1989-90	154.26	177.99
1990-91	170.25	196.44
1991-92	193.89	223.72
1992-93	210.62	243.01
1993-94	229.14	264.38

(ख), (ग) और (घ) सरकार द्वारा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना तथा प्रधानमंत्री की रोजगार योजना आदि जैसे कई आय एवं रोजगार उत्पादक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इसके अलावा, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति परिवारों के लाभ के लिए क्रमशः विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उपयोजना जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। कई संगठनों द्वारा आई आर डी पी तथा रोजगार योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है। सरकार द्वारा भी इसे मानीटर किया जाता है। लाभग्राहियों की आय पर इन कार्यक्रमों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की निरन्तर निगरानी के परिणामस्वरूप, इन कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर कदम उठाए जाते हैं।

खोई-आधारित विद्युत संयंत्र

***549. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चीनी कारखानों से खोई-आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 7 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चीनी फैक्ट्रियों से समग्र 202 मेवा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की 20 परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

चीनी मिलों से प्राप्त खोई आधारित सह-उत्पादन परियोजना रिपोर्टों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रिपोर्टों की सं.	अतिरिक्त विद्युत क्षमता (मेवा. में)
1.	आंध्र प्रदेश	1	7.50
2.	कर्नाटक	3	31.00
3.	मध्य प्रदेश	1	11.50
4.	महाराष्ट्र	6	84.10
5.	पांडिचेरी	1	8.40
6.	तमिलनाडु	5	41.00
7.	उत्तर प्रदेश	3	19.20

तीन राज्यों में चीनी मिलों द्वारा समग्र 42 मेवा. अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता की खोई आधारित 13 सह-उत्पादन परियोजनाएं पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं। 49 मेवा. की क्षमता कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। चीनी मिलों द्वारा आगे प्रगति उपकरण को अंतिम रूप दिये जाने, आवश्यक वैधानिक निरापत्तियां प्राप्त करने, वित्तीय संवरण, राज्य विद्युत बोर्डों के साथ विद्युत खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने आदि पर निर्भर करेगी।

शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार

***550. डा. सत्यनारायण जटिया:**
श्री संतोष कुमार गंगवार:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1995 के "द स्टेटमैन" और 20 जून, 1996 के "द इकोनॉमिक टाइम्स" में शान्ति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिये जाने में हुई अनियमितताओं के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार/सी.एस.आई.आर. का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है कि यह पुरस्कार केवल उन्हीं वैज्ञानिकों को दिया जाए जो भारत में कार्य करते हैं ताकि देश में तकनीकी और वैज्ञानिक कार्य को बढ़ावा मिल सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) जी हां।

(ख) दोनों समाचार, सीएसआइआर द्वारा वर्ष 1995 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दो वैज्ञानिकों को दिये गये भटनागर पुरस्कार से संबंधित हैं। "स्टेटसमैन" में छपे समाचार के अनुसार इस मामले में पुरस्कार की पात्रता से संबंधित इस नियम "कि पुरस्कार मुख्यतः पुरस्कार वर्ष से पहले के पांच वर्षों के दौरान भारत में किये जाने वाले अनुसंधान योगदानों के लिए दिया जाना चाहिए" का उल्लंघन हुआ है।

"इकानॉमिक टाइम्स" में छपे समाचार के अनुसार विवाद का समाधान करते समय सीएसआइआर ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को दिये गये इस आश्वासन का सम्मान नहीं किया कि वह पुरस्कार मुद्दे पर विचार करने के लिए नए सिरे से एक समिति का गठन करेगा। वस्तुस्थिति यह है कि इस विवाद का समाधान

करने के लिए सीएसआइआर ने तत्कालीन उपाध्यक्ष, सीएसआइआर के अनुमोदन से एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया था, इस समिति में ऐसे विशेषज्ञ शामिल थे जो उस सलाहकार समिति के सदस्य नहीं थे जिसने विगत में पुरस्कारों की सिफारिश की थी। नई उच्चाधिकार समिति ने नए सिरे से सभी नामांकनों पर विचार किया तथा यह सिफारिश की कि यह पुरस्कार डा. एम. बर्मा को दिया जाना चाहिए जो पात्रता संबंधी सभी मानदंडों पर खरे उतरते हैं। सीएसआइआर ने नई समिति गठित किये जाने के संबंध में उच्च न्यायालय से की गई अपनी वचनबद्धता का सम्मान किया है।

(ग) सीएसआइआर यह सुनिश्चित करेगा कि यह पुरस्कार, पुरस्कार वर्ष से पहले के पांच वर्षों के दौरान मुख्यत: भारत में किये जाने वाले अनुसंधान योगदानों के लिए ही दिया जाए।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे तेल का उत्पादन

*551. **श्री भक्त चरण दास:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1996-97 के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन से कम रहा;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1996-97 के दौरान 31 जुलाई, 1996 तक कच्चे तेल का कितना उत्पादन हुआ तथा वर्ष 1995-96 की तुलना में उत्पादन में कमी का प्रतिशत क्या है;

(ग) इसमें कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 1996-97 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) वर्ष 1996-97 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य 36.312 एम.एम.टी. है। अप्रैल से जुलाई, 1996 के दौरान उत्पादन 10.650 एम एम टी है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 11.833 एम एम टी उत्पादन से लगभग 10 प्रतिशत कम है। उत्पादन में कमी होने के कारण नीचे दिये गये हैं:-

- अप्रत्याशित रिजर्वायर आचरण के कारण बी आर बी सी के मुख्य क्षेत्रों, विशेष रूप से बंबई हाई और नीलम से अनुमानित उत्पादन में कमी होना। यह आचरण पिछले पूर्वानुमानों के अनुरूप नहीं था।
- निरन्तर प्रतिकूल प्रचालन परिस्थितियों के कारण ई आर बी सी में अवरुद्ध गतिविधियां।

(ङ) कच्चे तेल के स्वदेशी उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित विभिन्न कदम उठाए गए हैं:-

(1) नए क्षेत्रों का विकास और वर्तमान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास।

(2) वर्धित तेल निकासी योजनाओं का कार्यान्वयन और कुछ वर्धित तेल निकासी योजनाओं को प्रायोगिक स्तर से पूर्ण स्तर क्षेत्र अनुप्रयोग तक बढ़ाना।

(3) वर्धित पहुंच वेधन, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन जैसी कतिपय विशिष्ट प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।

(4) जहां आवश्यक हो, वहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना।

(5) वर्कओवर प्रचालनों, दाब अनुरक्षण पद्धतियों/उत्प्रेरण/कृत्रिम उठान प्रचालनों के माध्यम से रिजर्वायर की कार्यकुशलता को बनाए रखना।

(6) तेल अन्वेषण और विकास कार्यक्रमों में निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

विद्युत शुल्क की वसूली दर

*552. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में विद्युत शुल्क की वसूली दर केवल 20 प्रतिशत है;

(ख) कृषि उद्योग, लघु उद्योग तथा रेलवे क्षेत्र में विद्युत-शुल्क की वसूली की पृथक-पृथक दर क्या है;

(ग) क्या वसूली की इस कम दर के कारण अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा वसूली की दर में वृद्धि करने तथा बिजली की चोरी को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये जाने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, नहीं।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की बिक्री से वसूली की औसत दरें नीचे दी गयी हैं:-

कृषि	19.43 पैसे/यूनिट
उद्योग (भारी, मध्यम तथा छोटे पैमाने के)	221.43 पैसे/यूनिट
रेलवे	254.33 पैसे/यूनिट

(ग) जी नहीं। वर्ष 1994-95 के दौरान वसूली की औसत दर 86% के लगभग थी।

(घ) वसूली की दर में सुधार लाने के लिए किस्तों में बकाया राशि वसूलने, विद्युत आपूर्ति काटने, न्यायालय में मामले दर्ज करने तथा वार्ता-समिति के माध्यम से विवादों का निपटान करने जैसे उपाय किये जाते हैं। जहां तक विद्युत की चोरी रोकने का संबंध है, इस संबंध में विभिन्न उपाय किये गये हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऊर्जा मीटरों की अधिष्ठापना करना तथा ऊर्जा की चोरी का पता लगाने के लिए अचानक छापे मारने के वास्ते विशेष सतर्कता दल गठित करना शामिल है। बिजली (आपूर्ति) अधिनियम 1910 की धारा 39 के अंतर्गत बिजली की चोरी को एक संज्ञेय अपराध भी बना दिया गया है।

ऊपर बताए गए उपायों के माध्यम से बकाया धनराशियों की वसूली में सुधार लाने के लिए विद्युत मंत्रालय राज्य सरकारों को सुझाव देता रहा है।

[अनुवाद]

दिल्ली के लिए विद्युत की आवश्यकता

***553. श्री बी. एल. शर्मा "प्रेम":** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सन् 2000 तक दिल्ली के लिए विद्युत की अनुमानतः कुल कितनी आवश्यकता होगी;

(ख) क्या उत्तरी ग्रिड द्वारा उपर्युक्त भाग (क) को पूरा किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या स्थानीय विद्युत केन्द्रों द्वारा उपर्युक्त भाग (क) को पूरा किया जायेगा;

(घ) विद्यमान विद्युत संयंत्रों के अनुसार उपर्युक्त भाग (ग) में से कितनी मात्रा में विद्युत उपलब्ध है;

(ङ) क्या शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए योजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) भारत सरकार की 14वीं विद्युत शक्ति सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 ई. तक दिल्ली में प्रक्षेपित व्यस्ततमकालीन मांग 3179 मेगावाट है।

(ख) से (घ) दिल्ली की अतिरिक्त विद्युत संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति आंशिक तौर पर अतिरिक्त स्थानीय विद्युत उत्पादन तथा शेष की पूर्ति उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों से मिलने वाले दिल्ली के हिस्से से किये जाने का प्रस्ताव है। दिल्ली की विद्युत संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए इस समय निम्नलिखित क्षमता उपलब्ध है:-

	अधिष्ठापित क्षमता
1. दिल्ली का स्वयं विद्युत उत्पादन	592.5 मेगावाट
2. बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र	705.0 मेगावाट
3. उत्तरी क्षेत्र में अन्य केन्द्रीय विद्युत क्षेत्रों से दिल्ली का हिस्सा	1587.0 मेगावाट

(ङ) से (छ) डेसू ने राजकोषीय तथा कार्यात्मक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए एक कार्य योजना (1995-2000 ई.) तैयार की है, जिसमें डेसू का संगठनात्मक पुनर्गठन करने तथा डेसू के विभिन्न विंगों को सुसंगत बनाए जाने की परिकल्पना की गई है ताकि इसे एक अति दक्ष निकाय बनाया जा सके। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, नई क्षमता अभिवृद्धि, विद्यमान यूनिटों से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, दिल्ली में पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना, बेहतर मांग प्रबंधन तथा ऊर्जा संवर्धन संबंधी उपायों को अपनाना भी शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डेसू ने दिल्ली में विद्युत वितरण कार्यों का निजीकरण करने के लिए कुछ आम प्रकृति वाले चन्द वैकल्पिक प्रस्ताव भी तैयार किये हैं, जोकि दिल्ली सरकार के पास जांच की प्रारंभिक अवस्था में हैं।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

***554. डा. महादीपक सिंह शाक्य:**
जस्टिस गुमान मल लोढा:

क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1993-94 से 1995-96 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत आबंटित धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रतिवर्ष कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष खर्च की गयी धनराशि की प्रतिशतता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब के कारणों का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन अवरोधों को दूर करने हेतु दिये गये सुझावों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) विगत तीन वर्षों में प्रति वर्ष आवंटित धनराशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	भारत सरकार द्वारा निर्मोचित धनराशि (करोड़ रुपये में)
1993-94	37.8
1994-95	771.0
1995-96	764.0

चूंकि इस योजना के तहत निर्मोचित धनराशि व्यपगत होने वाली नहीं होती, अत: कोई संसद सदस्य इस वर्ष निर्मोचित राशि का बाद के वर्षों में उपयोग कर सकते हैं, किन्तु लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता की अवधि के भीतर ही ऐसा किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वर्ष निर्मोचित की गई राशि के खर्च का प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन तीन वर्षों में भारत सरकार द्वारा निर्मोचित कुल धनराशि का 51% (800.7 करोड़ रुपये) खर्च किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ) इस योजना के अंतर्गत अब तक किया गया खर्च वास्तविक रूप से निर्मोचित धनराशि की तुलना में कम है जिससे धीमी प्रगति लक्षित होती है। इसके लिए उत्तरदायी कुछ मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

(1) आरंभिक वर्षों में राशि का देरी से निर्मोचन।

(2) दिसम्बर, 1994 में दिशा निर्देशों में संशोधन।

(3) दिसम्बर, 1994 में बिहार जैसे कुछ राज्यों में निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का लागू किया जाना।

(4) कुछ मामलों में संबंधित संसद सदस्यों से अनुशंसाएं प्राप्त होने में विलम्ब/अनुशंसाओं का न मिलना।

(5) राज्यसभा के कुछ संसद सदस्यों द्वारा जिलों के संबंध में पसंद की सूचना विलम्ब से मिलना/नहीं मिलना।

(6) योजना नई होने के कारण जिला कलेक्टरों को योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरी तरह समझने में समय लगा।

तथापि, 1995-96 में योजनाओं के लक्ष्यों में काफी गति आई।

योजना में सुधार के लिए जैसा भी और जब भी सुझाव मिलते हैं, उन पर विचार किया जाता है एवं यदि आवश्यक होता है तो योजना के लक्ष्यों को गति प्रदान करने की दृष्टि से दिशा-निर्देश, स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ना—कानूनी राय

***555. श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री चित्त बसु:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 अगस्त, 1996 के "दि हिन्दु" समाचारपत्र में "गवर्नमेंट सीक्स लीगल ओपीनियन आन डीप सी फिशिंग", शीर्षक से छपे समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार एक ऐसी व्यापक मत्स्यन नीति तैयार करेगी, जिसमें स्थायी रूप से मत्स्यन, परम्परागत रूप से मछली पकड़ने वाले समुदायों का अस्तित्व बनाए रखने और स्वदेशी मत्स्यन कौशल का विकास सुनिश्चित किया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) मंत्रालय द्वारा गठित गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति ने 8 फरवरी, 1996 को अपनी रिपोर्ट दे दी थी। समिति की सिफारिशों पर, विधि मंत्रालय (विधि कार्य विभाग) समेत अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके विचार किया गया। समिति की सिफारिश सं. 1 के मामले में, जिसमें संयुक्त उद्यम/चार्टर/लीजिंग/टैस्ट फिशिंग के लिए जारी किये गये सभी परमिटों को कानूनी प्रक्रिया के अधीन रद्द करने का सुझाव दिया था, विधि कार्य विभाग ने सुझाव दिया है कि परमिट/अनुमतियां भारत का समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1981, नियम 1982, अधिनियम के तहत जारी किये गये आदेश तथा परमिटों/अनुमतियों में दी गयी शर्तों का उल्लंघन करने पर ही रद्द किये जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया कि इस परिप्रेक्ष्य में परमिटों/

अनुमतियों को रद्द करने के लिए प्रत्येक मामले की अलग से जांच की जाए। विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर इस मंत्रालय ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर सक्षम प्राधिकरण का निर्णय प्राप्त करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। पारम्परिक मछुआरों के हितों को खतरे में डाले बिना अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मात्स्यिकी संसाधनों के दोहन के लिए एक संशोधित गहन समुद्री मत्स्यन नीति तैयार करने की जरूरत को भी ध्यान में रखा गया है।

हल्दिया पेट्रोलियम

*556. **श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने हल्दिया पेट्रोलियम मेगा परियोजना के लिए कोई ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना में सुधार लाने के लिए इस ऋण से किस सीमा तक सहायता प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) जैसा कि जून, 1996 में **मैसर्स** हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लि. द्वारा सूचित किया गया था उन्होंने ब्रेकर परियोजना के लिए 950 करोड़ रुपये के सावधि ऋण की संपूर्ण धनराशि के संबंध में भारत के वित्त निगम सहित सभी वित्तीय संस्थाओं से मंजूरी प्राप्त कर ली है। कंपनी द्वारा बताया गया आई एफ सी आई अंश 125 करोड़ रुपये है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र

*557. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:**
श्रीमती वसुंधरा राजे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का 1995-96 के दौरान योजनागत तथा गैर-योजनागत कुल बजट आबंटन कितना था;

(ख) विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों को राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का विचार अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार करने का है;

(घ) यदि हां, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इस संबंध में आठवीं योजना की शेष अवधि में तथा नौवीं योजना के लिए कौन-कौन से कार्यक्रम तैयार किये गये हैं;

(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अनुसंधान तथा विकास के किन पहलुओं पर बल देने का विचार है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) से (च) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) वर्ष 1995-96 के दौरान सीएसआइआर का बजट निम्नवत् था:

सरकारी अनुदान

(रु. करोड़ में)

योजना	रु. 160.00
गैर-योजना	रु. 251.68
जोड़	रु. 411.68
उपयोग की गई आंतरिक प्राप्तियां	रु. 33.69
कुल जोड़	रु. 445.37

(ख) विभिन्न अनुसंधान केन्द्रों को राज्यवार आवंटित की गई निधियां निम्नवत् हैं:

प्रयोगशाला/संस्थान	वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तविक आय
आंध्र प्रदेश	
सीसीएमबी	11.27
एनजीआरआइ	12.16
आइआइसीटी	18.50
जोड़	41.93
असम	
आरआरएल-जोरहाट	8.71
बिहार	
सीएफआरआइ	13.34
सीएमआरआइ	9.44
एनएमएल	12.79
जोड़	35.57
गोवा	
एनआइओ	11.41

गुजरात	
सीएसएमसीआरआइ	6.71
हिमाचल प्रदेश	
पालमपुर काम्प्लेक्स	3.47
जम्मू व कश्मीर	
आरआरएल-जम्मू	8.67
कर्नाटक	
सीएफटीआरआइ	13.09
एनएएल	29.81
जोड़	42.90
केरल	
आरआरएल-त्रिवेन्द्रम	5.32
मध्य प्रदेश	
आरआरएल-भोपाल	4.92
महाराष्ट्र	
एनसीएल	20.24
एनईईआरआइ	10.64
जोड़	30.88
उड़ीसा	
आरआरएल-भुवनेश्वर	6.83
राजस्थान	
सीईईआरआइ	9.66
तमिलनाडु	
सीईसीआरआइ	11.41
सीएलआरआइ	14.31
एसईआरसी-मद्रास	4.89
मद्रास काम्पलेक्स	1.17
जोड़	31.78
उत्तर प्रदेश	
सीबीआरआइ	8.25
सीडीआरआइ	14.23
सीआइएमएपी	7.65
आइआइपी	10.95
आइटीआरसी	6.57
एनबीआरआइ	9.34
एसईआरसी-गाजियाबाद	2.29
जोड़	59.28
पश्चिम बंगाल	
सीजीसीआरआइ	11.06
सीएमईआरआइ	12.98
आइआइसीबी	8.07
जोड़	32.11
संघ शासित क्षेत्र दिल्ली	
सीएफबी	3.58
सीआरआरआइ	5.92
इन्स्डॉक	5.7[illegible]
एनपीएल	19.63
निस्कॉम	5.35
निस्टॉड	2.96
सीएसआइआर (मुख्यालय)	46.02
जोड़	89.24
चण्डीगढ़	
सीएसआइओ	10.39
आइएमटी	5.59
जोड़	15.98
कुल जोड़	**445.37**

(ग) से (च) सीएसआइआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम तथा गतिविधियां स्वास्थ्य, खाद्य, ऊर्जा, पर्यावरण, आवास व निर्माण, औद्योगिक विकास, ग्रामीण विकास जैसे अर्थव्यवस्था के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों की विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

योजना के लिए निर्धारित वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आठवीं योजना की अंतिम वर्ष 1996-97 के कार्यक्रम को इन क्षेत्रों

में समेकित किया गया है। इस प्रकार अन्य बातों के साथ-साथ मलेरिया प्रतिरोधी, फलों के परासरणी निर्जलीकरण, असम के कच्चे तेल के लिए फ्लो इम्प्रूवर्स, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन, भूकंपीय क्षेत्रों के लिए आवासों का डिजाइन, एचएफसी 134-ए, नवीन जियोलाइट्स, कृषि उपकरणों के सुधार आदि के विकास से संबंधित कार्यक्रमों पर बल दिया गया है।

नवीं योजना के कार्यक्रम में ऐसे वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान व विकास की व्यवस्था पर बल दिया जाएगा जिससे भारत के लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ हों। ये कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रीय आधारों पर तैयार किए गए हैं:

वांतरिक्ष जीवविज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, औषध एवं फार्मास्यूटिकल्स, भू-संसाधन एवं प्राकृतिक विपदाओं का शमन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं उपकरणन्, ऊर्जा, खाद्य एवं खाद्य प्रक्रमण, आवास एवं निर्माण, सूचना उत्पाद, चर्म, मशीनरी एवं उपस्कर, खनिज़, धातु एवं सामग्री, ग्रामीण विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा सेवाओं का निर्यात।

ईंधन का वैकल्पिक स्रोत

***558. श्री एन.एस.वी. चित्यन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन के वैकल्पिक स्रोत के लिए कोई अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ब्राजील जैसे देशों में शीरे को वैकल्पिक ईंधन के रूप में विकसित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्रोत के विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और इंडियन आयल कारपोरेशन (अनुसंधान और विकास केन्द्र) द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला कि इंजिन के डिजाइन में कोई परिवर्तन किए बिना 3 प्रतिशत मेथानाल अथवा 5 प्रतिशत एथानाल वाले पेट्रोल सम्मिश्रणों के उपयोग द्वारा एक सीमित परिमाण में पेट्रोल का प्रतिस्थापन संभव है।

गैस अथारिटी आफ इंडिया लि., आई बी पी कंपनी लिमिटेड और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने उपयुक्त रूप से परिवर्तित इंजिनों वाले वाहनों में पेट्रोल/डीजल के विकल्प के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए अध्ययन किए हैं।

फरवरी, 1993 से मंत्रालय की पहल पर मुम्बई, दिल्ली और बड़ौदा नगरों में पेट्रोल वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए एक प्रायोगिक परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। अब तक 3179 पेट्रोल इंधन वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग के लिए परिवर्तन किया गया है। फिलहाल गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड परिवर्तित वाहनों के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु तेल कंपनियों के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर 13 सी एन जी बिक्री केन्द्रों का प्रचालन कर रही है।

(ग) ज्ञात हुआ है कि ब्राजील में शीरे से प्राप्त अल्कोहल को ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है।

(घ) सरकार ने पेट्रोल के साथ एथनोल के अधिमिश्रण के प्रौद्योगिक-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के लिये सचिव, खाद्य मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

जैव-गैस संयंत्र

***559. श्री संदीपान थोरात:**
श्री जगमोहन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1600 सामुदायिक, संस्थागत और मल आधारित जैव-गैस संयंत्र में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं;

(ख) क्या कुछ संयंत्र बेकार हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कोई उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) अब तक स्थापित किये गये संयंत्रों में से लगभग 30 प्रतिशत सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र, मुख्यतया प्रबंध संबंधी समस्याओं के कारण, निष्क्रिय होने की रिपोर्ट है जिसकी राज्यवार सूचना नीचे दी गई है:-

राज्य	निष्क्रिय पड़े संयंत्रों की संख्या
आंध्र प्रदेश	28
गुजरात	52
हरियाणा	4
कर्नाटक	4
मध्य प्रदेश	38
महाराष्ट्र	122
पंजाब	104
तमिलनाडु	9
उत्तर प्रदेश	75
अन्य	30

(घ) वर्ष 1993-94 से किये जा रहे उपचारात्मक उपायों में कार्य न कर रहे संयंत्रों को पुन: कार्यशील बनाने और उनकी मरम्मत के लिए एक बार की वित्तीय सहायता का प्रावधान, लाभार्थी समुदाय अथवा संस्था की भागीदारी बढ़ाने के लिए केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता राशि में कमी करना, संयंत्रों के प्रबंधन में गैर सरकारी संगठनों और उद्यमियों की सहभागिता और क्षेत्रीय बायोगैस विकास एवं प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता शामिल हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा धनराशि जुटाना

***560. डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के अंतर्गत तेल और प्राकृतिक गैस निगम को अपनी विस्तार योजनाओं के वित्त पोषण और नियोजित योजनाओं को शुरू करने के लिए धनराशि जुटाने के लक्ष्य में 8000 करोड़ रुपये की कमी रहने की संभावना है;

(ख) क्या निगम को 1997-98 से 2001-2002 तक नौवीं योजना में आवश्यक धनराशि के 80 प्रतिशत भाग को आंतरिक संसाधनों से जुटाने की आशा है;

(ग) यदि हां, तो इस अंतर को कैसे पूरा किये जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विस्तार योजनाओं और नियोजित परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि जुटाने का है; और

(ङ) इन परियोजनाओं हेतु लक्षित धनराशि में कितनी कमी रहने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं। ओ एन जी सी के नौवीं योजना प्रस्ताव के प्रारूप के अनुसार लगभग 23393 करोड़ रुपये के प्रस्तावित योजना परिव्यय के मुकाबले अस्थायी कमी लगभग 5000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ख) तेल और गैस के उत्पादन मूल्यों के वर्तमान स्तर के आधार पर ओ एन जी सी आंतरिक संसाधनों में से नौवीं योजनावधि के लिए अपने अनुमानित परिव्यय के लगभग 78 प्रतिशत का वित्तपोषण करने की उम्मीद करता है।

(ग) और (घ) इस कमी को विद्यमान बाजार स्थितियों के आधार पर ऋण और इक्विटी के इष्टतम संयोग द्वारा वित्तपोषित किया जाना प्रस्तावित है।

(ङ) ऊपर (ग) और (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण रियायत

5105. श्री गिरधारी यादव: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के आदिवासियों/हरिजनों को कोई ऋण रियायत दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किये गये विषयों की संख्या कितनी है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी हाँ। समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के लिए ऋण आधारित केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत सब्सिडी को केन्द्र और राज्य द्वारा 50 : 50 के आधार पर वहन किया जा रहा है। जबकि ऋण वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा वितरित किया जाता है। सब्सिडी की सीमा छोटे किसानों के लिए 25%, सीमांत किसानों, कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों के लिए 33$^1/_3$% और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% है। अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लिए सब्सिडी की अधिकतम सीमा 6000 रुपए है। योजना बिहार के सभी जिलों में कार्यान्वत की जा रही है।

कर्नाटक में शहरी योजनाएँ

5106. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में समेकित शहरी विकास योजनाएं केन्द्रीय सहायता से शुरू की जा रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को किन-किन क्षेत्रों में शुरू किया जा रहा है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास की योजना के तहत शामिल किये गये कस्बों, परियोजना लागत तथा जारी की गई केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1979-80 से मार्च 31, 1996)

छोटे तथा मध्यम कस्बों के समेकित विकास की स्कीम के तहत जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्रम सं.	राज्य/कस्बा	अनुमोदित लागत	रिलीज की गई कुल केन्द्रीय सहायता 6ठी योजना	7वीं योजना	8वीं योजना 90-91	91-92	92-93	93-94	94-95	95-96	जारी केन्द्रीय सहायता का योग	मार्च 96 तक सूचित व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6ठी योजना												
1.	हसन	82.590	35.210	4.790	-	-	-	-	-	-	40.000	83.030
2.	चित्रदुर्ग	108.645	26.420	24.635	-	-	-	-	-	-	51.055	115.480
3.	टक्कुर	118.794	27.390	27.527	-	-	-	-	-	-	54.917	111.830
4.	रायचुर	74.650	15.000	21.280	-	-	-	-	-	-	36.280	58.330
5.	होस्पेट	54.840	13.800	11.000	-	-	-	-	-	-	24.800	29.870
6.	चंन्नापटना	94.433	20.990	23.949	-	-	-	-	-	-	44.939	77.760
7.	कनकपुरा	94.233	14.060	21.920	-	-	-	-	-	-	35.980	55.320
8.	नागाडो	75.237	15.490	16.990	-	-	-	-	-	-	32.480	81.030
9.	हुन्नाबाद	94.903	26.590	11.700	-	-	-	-	-	-	38.290	57.460
10.	होलेनरसिपुर	78.210	23.500	13.000	-	-	-	-	-	-	36.500	66.480
11.	सागर	98.212	28.350	14.600	-	-	-	-	-	-	42.950	87.115
12.	साहापुर	117.012	22.680	30.870	-	-	-	-	-	-	53.550	148.826
13.	जनखंडी	79.960	4.780	31.630	-	-	-	-	-	-	36.410	58.680
14.	कौशल नगर	51.720	24.500	1.360	-	-	-	-	-	-	25.860	49.380
15.	रानीबेन्नूर	77.700	22.990	15.860	-	-	-	-	-	-	38.850	51.820
16.	कारकला	63.830	3.500	20.000	-	-	-	-	-	-	23.500	33.480
	योग	1364.969	325.250	291.111	-	-	-	-	-	-	6,16.361	1166.251
7वीं योजना												
17.	चिक्काबल्लापुर	75.240	-	23.000	-	10.000	-	-	-	-	33.000	55.220
18.	रामानगरम	145.240	-	26.000	-	-	-	-	-	20.00	46.000	51.110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	सिरसी	111.430	–	15.000	–	15.000	–	–	–	–	30.000	33.750
20.	हरीहर	89.950	–	36.000	–	–	–	–	–	–	36.000	21.180
21.	सिन्धानूर	78.780	–	37.000	–	–	–	–	–	–	37.000	49.950
22.	कोलेगल	78.830	–	34.000	–	–	–	–	–	–	34.000	39.540
23.	गोकाक	92.050	–	22.000	–	–	–	–	–	–	22.000	36.030
	योग	671.520	–	193.000	–	25.000	–	–	–	20.00	238.000	286.780
1990–91												
24.	बसयाकलयन	71.220	–	–	15.000	–	–	–	–	–	15.000	10.470
25.	कोलर	118.270	–	–	18.000	–	–	–	–	–	18.000	25.520
26.	उडापी	66.650	–	–	17.500	–	–	–	–	–	17.500	32.570
27.	शिकारीपुर	100.820	–	–	18.000	–	–	–	–	–	18.000	28.520
	योग	356.960	–	–	68.500	–	–	–	–	–	68.500	97.080
1991–92												
28.	मालायली	112.740	–	–	–	10.000	–	–	–	–	10.000	18.080
29.	रावाकवी-बाकाहटी	104.880	–	–	–	10.000	–	–	–	–	10.000	11.790
30.	डेउली	125.350	–	–	–	20.000	–	–	–	–	20.000	36.000
31.	चिटाकनी	177.565	–	–	–	20.000	20.000	–	–	6.00	46.000	82.640
32.	चिखागालुर	90.300	–	–	–	20.000	–	–	–	–	20.000	20.610
	योग	610.835	–	–	–	80.000	20.000	–	–	6.00	106.000	169.120
8वीं योजना												
33.	टिपटूर	149.123	–	–	–	–	20.000	–	–	–	20.000	4.980
34.	गौरीबियांडनूर	131.954	–	–	–	–	20.000	–	–	–	20.000	26.650
35.	बदामी	89.686	–	–	–	–	18.000	–	–	10.00	28.000	38.530
36.	गुरुमटकम	47.450	–	–	–	–	10.000	–	–	6.00	16.000	18.980
37.	साउन्हाटी	187.500	–	–	–	–	20.000	–	–	–	20.000	2.100
38.	वियादगी	79.550	–	–	–	–	12.000	–	–	–	12.000	15.450
39.	करवार	280.000	–	–	–	–	20.000	–	–	–	20.000	10.460
40.	बिदर	278.720	–	–	–	–	–	17.000	–	–	17.000	3.350

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41.	हमेरी	118.220	–	–	–	–	–	14.000	–	–	14.000	5.100
42.	बेल्लरी	578.000	–	–	–	–	–	35.000	–	50.00	85.000	57.140
43.	मार्डगिरी	95.940	–	–	–	–	–	12.000	–	–	12.000	–
44.	के.आर. नगर	90.860	–	–	–	–	–	11.000	–	–	11.000	–
45.	इलकन	184.580	–	–	–	–	–	22.000	–	–	22.000	–
46.	निप्पानी	262.120	–	–	–	–	–	30.000	–	–	30.000	12.42
47.	डोडाबालापुर	231.220	–	–	–	–	–	25.000	–	–	25.000	–
48.	बेलहोगल	299.950	–	–	–	–	–	25.000	–	–	25.000	–
49.	कुडालगी	200.000	–	–	–	–		25.000	–	–	22.000	–
50.	कुलबागल	186.300	–	–	–	–	–	22.000	–	–	22.000	–
51.	लिंगासुगुर	184.820	–	–	–	–	–	22.000	–	–	22.000	–
52.	मनोयया	957.660	–	–	–	–	–	–	57.00	–	57.000	–
53.	बीजापुर	687.670	–	–	–	–	–	–	41.00	–	41.00	–
54.	लदमेश्वर	163.650	–	–	–	–	–	–	20.00	–	20.00	–
55.	शिगाआंन	83.500	–	–	–	–	–	–	10.00	–	10.00	–
56.	सायानुर	154.600	–	–	–	–	–	–	19.00	–	19.00	–
57.	गडग-बेटटगिरी	945.300	–	–	–	–	–	–	55.00	–	55.00	–
58.	कांटटूर	100.000	–	–	–	–	–	–	12.00	–	12.00	9.00
59.	मालुर	199.500	–	–	–	–	–	–	24.00	–	24.00	–
60.	शोरापुर	155.000	–	–	–	–	–	–	19.00	–	19.00	–
61.	कुन्डापुर	194.290	–	–	–	–	–	–	23.00	–	23.00	–
62.	सिदलबिट्टा	133.900	–	–	–	–	–	–	10.00	–	10.00	–
63.	अरासिकेरे	181.290	–	–	–	–	–	–	–	27.00	27.00	–
64.	हन्सूर	187.630	–	–	–	–	–	–	–	28.00	28.00	–
65.	गजेन्द्र गढ़	201.910	–	–	–	–	–	–	–	30.00	30.00	–
66.	सीरा	200.000	–	–	–	–	–	–	–	30.00	30.00	–
67.	बगरपेट	150.000	–	–	–	–	–	–	–	22.00	22.00	–
68.	कोप्पल	214.910	–	–	–	–	–	–	–	13.00	13.00	–
	योग:	8586.783	–	–	–	–	120.000	260.000	290.00	216.00	886.000	214.160
	कुल योग:	11591.067	325.250	484.111	68.500	105.000	140.000	260.000	290.00	242.00	1914.861	1933.391

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में धन की कमी

5107. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग धन के अभाव का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे यह क्षेत्र कहां तक प्रभावित है; और

(ग) इस संबंध में उठाए गए/उठाये जाने वाले उपचारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (ग) भारतीय खाद्य उद्योग ने सूचित किया है कि ऋण की कमी तथा ब्याज की ऊँची दर की समस्या सभी खाद्य उद्योगों के लिए आम समस्या है। मौसमी उत्पादन तथा जोखिम कारकों के कारण खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के मामले में ये समस्याएं बढ़ जाती हैं।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का विकास विभिन्न कारकों जैसे कच्चे माल की उपलब्धता, सही प्रकार की प्रौद्योगिकी तथा धनराशि की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है। इसलिए, धनराशि की कमी के कारण उद्योग पर पड़ने वाले प्रभाव विशेष के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

इस समस्या से निपटने के लिए संभव उपचारात्मक उपायों में वित्तीय संस्थाओं में मूल्यांकन विभागों को मजबूत करना, देश के विभिन्न भागों में बैंकों की और अधिक शाखाएं खोलना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संबंध में पुनर्भुगतान कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मानकों का निर्धारण करना आदि शामिल हैं।

वकील की हत्या

5108. **श्रीमती कृष्णा बोस:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में मार्च, 1996 में एक वकील तथा मानवाधिकार कर्मी जलील अन्द्राबी को बंदी बनाने तथा उसकी हत्या करने के मामले की कोई जांच करायी गयी है:

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या अपराध करने वालों को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने विभिन्न मानवाधिकार संगठनों द्वारा उक्त घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ) श्री जलील अंदराबी, एडवोकेट को 8.3.1996 को पीर बाग (श्रीनगर) के पास रोक लिया गया था और अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा उनका उस समय अपहरण कर लिया गया था जब वे अपनी पत्नी एवं पुत्री के साथ अपनी कार में जा रहे थे। घटना के तुरंत पश्चात् श्री अंदराबी की पत्नी श्रीमती रिफत आरा अंदराबी ने श्रीनगर के सदर थाने में सूचना दी कि कुछ सैनिकों द्वारा पीर बाग के निकट उन्हें रोका गया और श्री अंदराबी को उनकी कार से निकालकर ले जाया गया। पुलिस कर्मियों द्वारा आगे पता करने पर श्रीमती अंदराबी ने कहा है कि उनके पति को जबरदस्ती ले जाने के लिए कुछ अज्ञात सशस्त्र अपहरणकर्ताओं ने एक प्राइवेट टैक्सी का इस्तेमाल किया था। 8.3.1996 को एक रिपोर्ट तुरंत ही पुलिस स्टेशन में दर्ज की गयी और श्री अंदराबी का पता लगाने के प्रयास किये गये। श्रीमती अंदराबी की रिपोर्ट में सेना का उल्लेख आने से, सेना से पूछा गया कि क्या श्री अंदराबी को उन्होंने उठाया है और क्या वे उनकी हिरासत में हैं। सेना के प्राधिकारियों ने इस बात से स्पष्ट इन्कार किया कि उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया है या वे उनकी हिरासत में हैं। इसे और श्रीमती अंदराबी के अन्य बयानों के मद्देनजर थाने में आर.पी.सी. की धारा 364/365 (अपहरण/व्यपहरण) के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और तलाश में और भी तेजी लाई गई।

इसी बीच उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा इस संबंध में 9.3.1996 को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दायर कर दी गई। सेनाध्यक्ष के मार्फत भारतीय संघ, अपर मुख्य सचिव (गृह) के मार्फत जम्मू एवं कश्मीर राज्य राष्ट्रीय राइफल्स तथा पुलिस महानिदेशक, जम्मू एवं कश्मीर को प्रतिवादी बनाया गया था। प्रतिवादियों ने इस बात से इन्कार करते हुए कि उनका इस अपहरण से कोई लेना-देना है, शपथ-पत्र दाखिल कर दिए। राष्ट्रीय राइफल्स ने इस आरोप का यह कहते हुए स्पष्ट खण्डन कर दिया कि वह क्षेत्र उनके प्रचालन क्षेत्र के बाहर है। न तो राष्ट्रीय राइफल्स का कोई सदस्य उस समय के आस-पास घटना स्थल पर मौजूद था और न ही उनके किसी सदस्य ने उसे पकड़ा या हिरासत में रखा।

उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के अधीन एक विशेष अन्वेषण दल बनाया गया और श्री अंदराबी की तलाश तेज कर दी गई। जब जांच चल रही थी तभी श्री अंदराबी की लाश स्थानीय निवासियों द्वारा झेलम नदी से बरामद कर ली गई। उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुरूप मेडिकल कालेज, श्रीनगर के प्राचार्य द्वारा गठित डाक्टरों के एक दल द्वारा

शवपरीक्षा की गई। जांच दल को शवपरीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। उच्च न्यायालय ने यह निदेश भी दिया है कि विशेष जांच दल, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी से निर्देश न ले और कि पहले न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल किये बिना उन्हें किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँचना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, शवपरीक्षा रिपोर्ट, टिप्पणी हेतु उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को सूचित किया गया है कि सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार मृतक के निकटतम संबंधी को राहत का भुगतान कर दिया जाएगा और कि सरकार का इरादा, मामले की जांच के लिए किसी अन्य न्यायिक आयोग के गठन का नहीं है क्योंकि जांच कार्य पहले ही उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ के प्रबोधन में किया जा रहा है। विशेष जांच दल द्वारा जांच कार्य जारी है और मामला, राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है।

मंगल ग्रह

5109. **श्री विजय गोयल:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका में नासा के वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या दृष्टिकोण है;

(ग) क्या भारत सरकार का विचार इस प्रकार के अनुसंधान को देश में प्रोत्साहित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) जबकि अमरीका में नासा के वैज्ञानिकों को अभी मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना की पुष्टि करनी है, एंटार्कटिका से प्राप्त उल्का पिण्डों के नमूनों के विश्लेषण के आधार पर उनके हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि ग्रह के विकास की प्रारंभिक कालावधि में मंगल ग्रह पर जीवन के विद्यमान होने की संभावना हो सकती है।

(ख) जीवन के उद्भव और विकास पर शोध में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिक इन नए विकासों का अनुसरण कर रहे हैं और ब्रह्माण्ड में जीवन के उद्भव की अनेक संभावनाओं के अध्ययन कार्य को जारी रखे हुए हैं।

(ग) और (घ) पृथ्वी और अन्य ग्रहों पर जीवन के उद्भव से संबंधित वैज्ञानिक विषयों पर देश में पहले ही अनेक शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अन्वेषण कार्य जारी है। अन्तरिक्ष विज्ञान के लिए सलाहकार समिति (एडकॉस) की सिफारिशों के आधार पर अन्तरिक्ष विभाग अनेक बौद्धिक सत्रों, कार्यशालाओं और बैठकों को प्रायोजित करता रहा है, जिनमें विविध विषयों से संबंधित वैज्ञानिक इस क्षेत्र में शोध कार्यों की विश्वव्यापी स्थिति पर विचार-विमर्श करते हैं तथा भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किए जाने वाले नए शोध क्रियाकलापों का सुझाव देते हैं।

पश्चिम बंगाल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

5110. **प्रो. जितेन्द्र नाथ दास:**
श्री हाराधन राय:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की संभावनाओं का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं के विकास के लिए संभाव्यता आकलन के लिए कई संसाधन मूल्यांकन तथा व्यवहार्यता अध्ययनों पर बल दिया है। राज्य में लघु पनबिजली उत्पादन के लिए लगभग 120 मेवा. की संभाव्यता पहले ही निर्धारित की जा चुकी है। राज्य में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उचित स्थल की पहचान के लिए दस पवन मानीटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तालुका-स्तर बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन के संभाव्यता के आकलन के लिए तीन बायोमास संसाधन मूल्यांकन अध्ययन भी प्रायोजित किये गये हैं। सौर ऊर्जा की संभाव्यता के बारे में, राज्य प्रतिवर्ष धुतिमान सूर्य प्रकाश का लगभग 2600-2800 घंटे और विश्व सौर विकिरण लगभग 1700 किवा घं./वर्गमीटर प्राप्त करता है।

वाणिज्यिक परिसर

5111. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहाँ कि इन वाणिज्यिक परिसरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ग) क्या वसंत कुंज में भी कुछ वाणिज्यिक परिसरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है जिनका स्थानीय निवासी विरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन वाणिज्यिक परिसरों के लिए वैकल्पिक स्थान चुनने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) डी डी ए ने बताया है कि दिल्ली की वृहद योजना में वाणिज्यिक परिसरों की पांच आयामों वाली प्रणाली हेतु व्यवस्था है, यथा:

(i) प्रमुख तथा उप-प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र;

(ii) जिला केन्द्र;

(iii) सामुदायिक केन्द्र;

(iv) स्थानीय विपणन केन्द्र; और

(v) सुविधा विपणन केन्द्र।

ये सभी विपणन केन्द्र विभिन्न अंचलों/क्षेत्रों में निर्धारित जनसंख्या के लिए विकसित किये जाते हैं। विकसित किये जा रहे वाणिज्यिक परिसरों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) वसन्त कुंज चरण II में कुल 315 हेक्टेयर क्षेत्र में से लगभग 65 हेक्टेयर क्षेत्र पर एक वाणिज्यिक परिसर बनाने का प्रस्ताव है। डी डी ए ने 9.5.96 की सार्वजनिक सूचना के माध्यम से योजना के समग्र भू-उपयोग प्लान से संबंधित आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित किये हैं। अब तक कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पूर्व सभी संबंधित तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

वाणिज्यिक परिसरों की 5 आयामों वाली योजना इस प्रकार है:-

1. प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र तथा उप-प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र: सी बी डी शाहदरा।

2. जिला केन्द्र-29:

वृहद योजना के अनुसार, 29 जिला केन्द्र हैं। 21 शहरी क्षेत्र में हैं तथा 8 शहरी विस्तार क्षेत्रों में बनाने का प्रस्ताव है।

- नेहरू प्लेस, राजेन्द्र प्लेस, भीकाजी कामा प्लेस, जनकपुरी प्लेस, लक्ष्मीनगर प्लेस, शिवाजी प्लेस, झण्डेवाला प्लेस, नेताजी सुभाष प्लेस (वजीरपुर जिला केन्द्र), साकेत प्लेस, शालीमार प्लेस, शास्त्री प्लेस, मयूर प्लेस, मंगलम प्लेस, रोहतक प्लेस, खेबर प्लेस, पश्चिमपुरी प्लेस, जहांगीरपुरी प्लेस, दिलशाद प्लेस, लोनी प्लेस, औचन्दी प्लेस।

जबकि, शहरी विस्तार क्षेत्र में 8 जिला केन्द्रों का स्थल-निर्धारित अभी किया जाना है।

3. सामुदायिक केन्द्र-122:

82 शहरी क्षेत्र में हैं तथा

40 शहरी विस्तार क्षेत्र में है।

29 सामुदायिक केन्द्र विकसित किये गये हैं।

33 सामुदायिक केन्द्रों की योजना बनाई जा रही है तथा शेष की योजना अभी बनाई जानी है।

4. स्थानीय विपणन केन्द्र-212:

149 स्थानीय विपणन केन्द्रों की योजना बना ली गई है अथवा उनका निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। 63 स्थानीय विपणन केन्द्रों की योजना अभी बनाई जानी है।

5. सुविधा विपणन केन्द्र-497:

442 सुविधा विपणन केन्द्रों का निर्माण पूरा हो गया है अथवा वे आयोजना और विकास के चरण में हैं।

55 सुविधा विपणन केन्द्रों का डिजाइन अभी बनाया जाना है।

अम्बेडकर आवास योजना

5112. **श्री सत्यजीत सिंह दलीप सिंह गायकवाड़:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि वर्ष 1989 में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डा. अम्बेकर आवास योजना प्रायोजित की गई थी जिसमें एम.आई.जी., एल.आई.जी. और जनता फ्लैटों के लिए पंजीकरण करके बुकिंग की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना के अंतर्गत श्रेणी-वार कितने फ्लैटों का आवंटन किया गया है और कितने फ्लैट आवंटन के लिए शेष हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एम.आई.जी. और एल.आई.जी. फ्लैटों के शीघ्र आवंटन पर विचार किया जा रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) डी.डी.ए. ने बताया है कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत किये गये आवंटनों की संख्या और 30.8.96 तक पंजीकृत व्यक्तियों का बकाया इस प्रकार है:-

वर्ग	किया गया आवंटन	बकाया
एम.आई.जी.	1302	4926
एल.आई.जी.	2655	6729
जनता	2988	सभी लाभान्वित

(ग) से (ङ) फ्लैटों का आबंटन एक सतत प्रक्रिया है। 1995-96 के दौरान डी.डी.ए. ने अम्बेडकर आवास योजना के पंजीकृत व्यक्तियों को 1117 एल.आई.जी./एम.आई.जी. फ्लैट आबंटित किये हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान, अब तक इस योजना के तहत 535 एम.आई.जी. फ्लैट आबंटित किये गये हैं।

समुद्री विकास की विशेषताएं

5113. **श्री आर. साम्बासिवा राव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) समुद्री विकास कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र क्या है और इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) समुद्री विकास के लिए सरकार की संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में समुद्री विकास के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1982 में, संसद में रखे गये महासागर नीति विवरण द्वारा महासागर विकास से संबंधित निम्नलिखित कार्य क्षेत्र प्रस्तुत किये गये हैं:-

(1) सागर में उपलब्ध विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के बारे में मौलिक ज्ञान और सूचना का सृजन।

(2) सजीव संसाधनों का मानचित्रण और गहरे सागर में खनिजों की उपलब्धता का मूल्यांकन।

(3) महासागर ऊर्जा सहित महासागरीय संसाधनों के उपयोग हेतु प्रौद्योगिकी का विकास।

(4) मौलिक विज्ञान में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना तथा महासागर क्षेत्र में विशिष्ट जनशक्ति विकास।

(5) समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा और परिरक्षा।

(6) महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आंकड़ा आधार का विकास।

महासागर नीति विवरण में दिए गए उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्तमान में आठ कार्यक्रम प्रचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के नाम और उनकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

1. **अंटार्कटिक अनुसंधान:**

देश की बहुत सी शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं की भागीदारी के साथ मौसम विज्ञान, वायुमंडलीय विज्ञान, जीवविज्ञान, भूविज्ञान, भूभौतिकी इत्यादि के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए अंटार्कटिक को वार्षिक वैज्ञानिक अभियान भेजे जा रहे हैं। अब तक दो विशेष अभियानों के अतिरिक्त 15 अभियान अंटार्कटिक भेजे जा चुके हैं।

2. **गहरा समुद्री संस्तर खनन:**

बहुधात्विक पिण्डिकाओं के अन्वेषण एवं विदोहन के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र संस्तर प्राधिकरण द्वारा मध्य हिन्द महासागर में 150000 वर्ग किलोमीटर का खनन स्थल आवंटित किया गया है। वर्तमान में 5000 मीटर एवं इससे भी अधिक गहराई में पाई जाने वाली इन पिण्डिकाओं में वाणिज्यिक रूप से मूल्यवान कॉपर, कोबाल्ट एवं निकेल धातुएं पाई जाती हैं। खान स्थल में बहुधात्विक पिण्डिका संसाधनों का मूल्यांकन, पिण्डिकाओं से धातुओं के खनन एवं निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास एवं खनन के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन प्रगति पर है।

3. **समुद्री सजीव एवं निर्जीव संसाधनों का अन्वेषण:**

मत्स्य समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान, सागर संपदा, समुद्री सजीव संसाधनों के मूल्यांकन पर अध्ययन करता है। समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान सागर कन्या बहुविधात्मक समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान एवं समुद्री निर्जीव संसाधनों के मूल्यांकन के लिए अध्ययन करता है।

4. **तटीय क्षेत्र एवं द्वीप कार्यक्रम:**

सुदूर संवेदन के माध्यम से समुद्रविज्ञान, सनुद्री प्रदूषण का प्रबोधन, समुद्र स्तर वृद्धि का प्रबोधन, तट से नान संचार प्रणाली का विकास, मत्स्य-खोजी युक्त जी. पी. एस. प्रणाली व द्वीपों में झींगा कृषि इसके अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम हैं। 1996-97 में यंत्रयुक्त प्लवों से समुद्रवैज्ञानिक आंकड़ा प्लव पर एक योजना प्रारम्भ

की जाएगी। तट पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके मुक्तासंवर्धन का प्रारम्भिक पैमाने पर प्रदर्शन करने के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान तटीय समुद्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है।

5. **राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान:**

समुद्र क्षेत्र के प्रमुख क्षेत्रों में समुद्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, की मद्रास में स्थापना की गई है। यह संस्थान तरंग ऊर्जा के उपयोग, समुद्र संस्तर खनन, समुद्री यंत्रीकरण तथा तटीय अध्ययन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बद्ध कार्यक्रमों को एक लक्ष्य के रूप में लेता है।

6. **आधारभूत अनुसंधान एवं जनशक्ति विकास:**

समुद्र विज्ञान में आधारभूत अनुसंधान करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान तथा विकास संस्थाओं को परियोजनाएं प्रायोजित की गई हैं। समुद्र से संबंधित कई कार्यक्रमों में जनशक्ति विकाम को सुविधाजनक बनाने के लिए, विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं को सहायता तथा अनुसंधान अध्येतावृत्ति दी जाती है। राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, चिकित्सा संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों की भागीदारी से समुद्र से औषधियों के विकास पर राष्ट्रीय परियोजना प्रगति पर है।

7. **सूचना एवं जागरूकता**

देश में समुद्र से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, भण्डारण एवं विकीर्णन के लिए राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा चलायी जा रही है। प्रदर्शनियों एवं मेलों का आयोजन, समुद्र एवं समुद्री जीवन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए समुद्री जलजीवशाला की स्थापना जैसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये जा रहे हैं।

8. **अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं कार्यक्रम**

विभाग, जून 1995 में भारत द्वारा अनुसमर्थित समुद्रविधि पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन एवं समुद्र तथा अंटार्कटिक संधि प्रणाली से संबंधित कई अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

(ख) महासागर विकास हेतु सरकार की संदर्शी योजना में शामिल हैं:-

(1) वायुमण्डलीय, भूमि, जैव और पर्यावरणीय विज्ञान तथा मानव शारीरिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए अंटार्कटिक को वार्षिक अभियान भेजे जाते हैं।

(2) मध्य हिन्द महासागर बेसिन में बहुधात्विक पिण्डिकाओं का निरन्तर सर्वेक्षण और पिण्डिकाओं के खनन तथा पिण्डिकाओं से धातु निष्कर्षण की प्रौद्योगिकी का चरणवार विकास।

(3) समुद्र एवं समुद्री विशेषताओं के अध्ययन के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग।

(4) समुद्री पर्यावरण का प्रबोधन, विशेषकर तटीय मल क्षेत्रों में प्रदूषकों की वृद्धि और कमी की प्रवृत्तियों को समझने के लिए एवं प्रदूषकों के प्रसारण और विकीर्णन को समझने के लिए गणितीय ज्ञान का विकास।

(5) समुद्री जीवों से औषधियों का विकास।

(6) उथला संस्तर खनन और तरंगों से ऊर्जा निष्कर्षण हेतु प्रौद्योगिकी का विकास तथा ज्वारप्रमापियों जी.पी.एस. एवं मत्स्य खोजी सुदूर संचालित वाहनों इत्यादि, जैसे समुद्री यंत्रों का विकास।

(7) मूर्ड एवं अपवाही आंकड़ा प्लवों जैसी समुद्र प्रेक्षण प्रणालियों का विकास और उन्हें लगाना।

(8) अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और विश्वविद्यालयों द्वारा उत्पन्न समुद्र से सम्बद्ध आंकड़ों के संग्रह, भण्डारण और प्रकीर्णन के लिए राष्ट्रीय समुद्री आंकड़ा केन्द्रों का परिचालन।

(9) अनन्य आर्थिक क्षेत्रों में समुद्री सजीव संसाधनों का मानचित्रण और समुद्रवैज्ञानिक प्राचलों एवं मत्स्यन संसाधनों की प्रचुरता के बीच संबंध का अध्ययन।

(10) देश के समुद्र विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान जलयानों की प्राप्ति।

(11) समुद्रविज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों को अवसंरचनात्मक सहायता को सुदृढ़ बनाना।

(12) समुद्र विधि कन्वेंशन के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने के लिए महाद्वीपीय शल्प का चित्रण।

(13) एकीकृत तटीय और समुद्री क्षेत्र प्रबन्धन हेतु प्रौद्योगिकी सहायता का विकास।

(14) समुद्री जेव विविधता का मूल्यांकन।

(15) समुद्री गतिकी, समुद्र स्तर चढ़ाव के प्रभाव, समुद्र से संबंधित जलवायु प्रतिरूपों इत्यादि को समझने के लिए गणितीय प्रतिरूपों का विकास।

(16) दक्षिणी महासागर में क्रिल सहित सजीव संसाधनों का अन्वेषण।

(17) अंटार्कटिका अनुसंधान, समुद्र प्रेक्षण प्रणालियों और समुद्र गतिकी, एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन हेतु अवसंरचना की स्थापना।

(ग) वर्ष 1996-97 के लिए, महासागर विकास विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

(1) अंटार्कटिक को 16वां वैज्ञानिक अभियान भेजना।

(2) मध्य हिन्द महासागर में बहुधात्विक पिण्डिकाओं के सर्वेक्षण, उथला संस्तर खनन प्रणाली का चरणवार विकास तथा पिण्डिकाओं से धातु निष्कर्षण के लिए प्रारम्भिक संयंत्र अभियान को जारी रखना।

(3) 174 मछुआरा समुदायों को संभावित मत्स्य क्षेत्र सूचना के प्रकीर्णन को जारी रखना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप के लिए तटीय आर्द्र भूमि मानचित्रों का विकास।

(4) देश की तट रेखा के साथ-साथ, 77 स्थलों पर प्रदूषण के स्तरों का प्रबोधन।

(5) प्रदूषण प्रबोधन अध्ययनों में प्रयोग के लिए प्रस्तावित दो तटीय अनुसंधान जलयानों का निर्माण पूरा करना।

(6) विझिंझम, केरल में तरंग ऊर्जा संयंत्र में नवअधिष्ठापित टरबाईन का परीक्षण और तरंगों से विद्युत निष्कर्षण के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का संशोधन।

(7) समुद्र स्तर से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने के लिए आधुनिक ज्वारप्रमापियों के अधिष्ठापन को जारी रखना।

(8) उत्तरी गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों और अण्डमान निकोबार और लक्षद्वीप केन्द्रशासित प्रदेशों में, तट से जलयान संचार प्रणाली के चरण-2 का कार्यान्वयन।

(9) जी.पी.एस. एवं मत्स्य खोजों का विकास और परीक्षण के लिए चुनिंदा मछुआरों को उसके आदिप्रारूप का वितरण।

(10) 14 राष्ट्रीय समुद्री आंकड़ा केन्द्रों का परिचालन।

(11) चुने हुए जीवों से निष्कर्षित जैव-सक्रिय तत्वों के मूल्यांकन हेतु 'समुद्र से औषधियां'' कार्यक्रम के चरण-3 का प्रारम्भ।

(12) अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालयों के निधिकरण और जनशक्ति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत फैलोशिप प्रदान करने के कार्य को जारी रखना।

(13) महाद्वीपीय शेल्फ के चित्रण पर कार्यक्रम का सूत्रपात।

(घ) महासागर विकास विभाग कोई आय अर्जित नहीं करता।

उपग्रहों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े

5114. **श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि के उपयोग, भूजल प्रबंधन, स्वास्थ्य रक्षा और परती भूमि के मानचित्रीकरण के साथ अन्य बातों के संबंध में उपग्रह द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर एक नई राष्ट्रीय संदर्भ सूचना प्रणाली विकसित की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किस तारीख तक विकसित कर ली जाएगी;

(ग) स्थायी विकास हेतु समेकित मिशन में ऐसी प्रणाली के प्रयोग हेतु तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में फील्ड कार्यकर्ताओं को सुदूर संवेदी आंकड़ों का ग्राम स्तर पर उपयोग करने में समर्थ बनाने के लिए कोई विशिष्ट प्रणाली स्थापित की गई है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) दीर्घकालीन विकास के लिए समेकित मिशन (आई.एम.एस.डी.) के अंतर्गत देश में 174 जिलों के लिए विभिन्न थिमेटिक मानचित्रों अर्थात् भूमि उपयोग, मृदा, भूमिजल की संभावना, ढलान, सतह जल निकायों, परती भूमि इत्यादि से संबंधित मानचित्रों को तैयार करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह-Iसी (आई.आर.एस. Iसी) से उच्च विभेदन वाले आंकड़ों का उपयोम किया जा रहा है। मानचित्र संबंधी सूचना को अन्य पारंपरिक और समाजार्थिक सूचना अर्थात् जनसांख्यिकी सुविधाएं, कार्यकारी बल इत्यादि, के साथ जोड़ा जाता है तथा इसे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी. आई. एस.) जैसे विशेष साफ्टवेयर साधनों का उपयोग करते हुए प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली (एन.आर.आई.एस.) के रूप में आयोजित किया जा रहा है।

प्राकृतिक संसाधन सूचना प्रणाली को इस समय 28 जिलों और 4 राज्यों के लिए बनाया जा रहा है और सभी जिलों और

राज्यों को आवृत करने के लिए 9वीं योजनावधि के दौरान क्रमिक रूप में इसका विस्तार करने की योजना है।

(ग) इस प्रकार आयोजित सूचना प्रणाली से राज्यों और स्थानीय स्तर के प्राधिकारियों द्वारा एक निर्णय सहायक साधन के रूप में कार्य करने की अपेक्षा की जाती है तथा यह आई.एम.एस.डी. की कार्य योजना तैयार करने के लिए तथा क्रियान्वयन के प्रभावों के मानीटरन के लिए भी उपयोगी होगी। इसके साथ ही, जिला/ताल्लुक/पंचायत स्तर पर विकासात्मक आयोजना के लिए आंकड़ा आधार का उपयोग किया जा सकता है।

(घ) और (ङ) पूछताछ करने तथा सूचना प्राप्त करने के लिए सरलता से उपयोग किये जाने वाले अंतरापृष्ठ रखने वाले प्रत्येक जिला/ताल्लुक/पंचायत में विविध कार्यकर्ताओं की सहायता के लिए सूचना प्रणाली के डिज़ाइन को सुसंगत बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं, जिन्हें प्रत्येक राज्य के सुदूर संवेदन केन्द्र द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, के लिए निम्नतम स्तर पर विकासात्मक आयोजना के लिए समाजार्थिक सूचना के साथ-साथ उपग्रह आंकड़ों और थिमेटिक मानचित्रों का उपयोग करना संभव होगा।

विद्युत खरीद समझौता

5115. **श्री पी. आर. दासमुंशी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में "एनरॉन" कर्नाटक में कोजेंट्रिक्स लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अनाडई के साथ विद्युत खरीद समझौते के अनुसार प्रति यूनिट खपत दर कितनी है; और

(ख) क्या सरकार का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित खपत दर स्लैब के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम तथा न्यूनतम खपत दर तय करने का विचार है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत क्रय करार (पीपीए), राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई.पी.पी.) के मध्य एक करार होता है तथा सामान्यत: इसमें दोनों पक्षों के मध्य तय विद्युत क्रय/विक्रय हेतु रूपात्मकताएं शामिल होती हैं। यह पी.पी.ए. विद्युत के उत्पादन के समय टैरिफ के निर्धारण के मानदण्ड तय करता है तथा उत्पादन की वास्तविक लागत को नहीं दर्शाता है। वास्तविक टैरिफ केवल परियोजना के पूरा होने के बाद ही संपूर्ण पूंजीगत लागत, अनुमोदित वित्तीय पैकेज तथा पीपीए की शर्तों एवं निबंधनों के आधार पर तैयार किया जा सकता है जो विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुरूप होना चाहिए।

(ख) जी, नहीं।

रसोई गैस एजेंसी

5116. **श्री बी. धर्मभिक्षम:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पेट्रोल/डीजल पंपों तथा रसोई गैस एजेंसियां खोले जाने के लिए कोई नई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना पर खर्च की गई धनराशि

5117. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995-96 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस हेतु कितनी राशि प्रदान की गई है;

(ग) भीड़-भाड़ कम करने, जनसंख्या, उद्योगों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को समीपवर्ती कस्बों में स्थानांतरित करने संबंधी इस योजना के लक्ष्यों को वास्तव में किस हद तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार का विचार काफी भीड़-भाड़ वाले शहर कलकत्ता के लिए भी ऐसी ही कोई योजना शुरू करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए 1995-96 तक 215 करोड़ रुपये की निधियाँ रिलीज की गई हैं।

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

बजट सहायता	40.00 करोड़ रु.
आन्तरिक स्रोतों को पुन: जुटाना	37.00 करोड़ रु.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा अंशदान	5.00 करोड़ रु.
योग:	82.00 करोड़ रु.

(ग) क्षेत्रीय योजना 2001 में वर्ष 2001 तक लगभग 20 लाख व्यक्तियों को दिल्ली से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बाहर भेजने पर विचार किया गया है। योजना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रोजगार अवसरों के सृजन पर कड़े नियंत्रण की नीति की सिफारिश की गई है। जनसंख्या के स्थानांतरण/भीड़-भाड़ कम करने, आर्थिक कार्यकलापों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति का अभी से अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(घ) जी, नहीं। इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विचार किया जाना है।

द्रवीकृत प्राकृतिक गैस

5118. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण (जी ए आई एल) पश्चिम एशिया से द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात करने के लिए 10 बिलियन डालर की एक परियोजना को अधिकतम प्राथमिकता दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस प्रस्ताव को किस ढंग से क्रियान्वित किये जाने की संभावना है और इस पर कितना पूंजीगत परिव्यय अंतर्निहित है;

(घ) इस संबंध में भारतीय गैस प्राधिकरण द्वारा पता लगाए गए समाविष्ट साझेदारों के नाम क्या हैं; और

(ङ) प्रापण केन्द्रों पर एल एन जी का परिवहन करने और "रिएस्सीफिकेशन" करने के लिए परिकल्पित आधारभूत सुविधा का स्वरूप क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ङ) गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड दक्षिणी राज्यों के लिए एल एन जी का आयात करने की व्यवहार्यता की जांच कर रही है। आयात टर्मिनलों के लिए संभव स्थलों के रूप में एन्नूर और मंगलौर की पहचान की गई है। इन दोनों स्थानों पर आरंभिक आयत प्रतिवर्ष 2.5 मिलियन टन हो सकता है। एल एन जी के स्रोतों के संबंध में अभी निश्चय किया जाना है। लगभग 3000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भण्डारण और रीगैसीफिकेशन सुविधाओं सहित प्राप्ति टर्मिनलों की स्थापना करने हेतु एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन का गेल का प्रस्ताव है जिसमें उसके साथ आई ओ सी और ओ एन जी सी प्रमुख भागीदार होंगे।

परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान

5119. **श्री मुरलीधर जेना:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में किये गये अनुसंधान को किन-किन क्षेत्रों, विशेषरूप से कृषि के किन-किन क्षेत्रों में व्यवहार में लाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में किसानों को उक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए कोई केन्द्र खोलने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) परमाणु ऊर्जा का उपयोग, विकिरण और रेडियोआइसोटोपों के रूप में, कृषि अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है। इसके मुख्य अनुप्रयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में हैं:

1. किरणन द्वारा बीजों में आनुवांशिक परिवर्तिता के प्रेरण द्वारा दालों, तिलहनों और अन्य नकदी फसलों जैसे फसली पौधों की बेहतर किस्मों का विकास।
2. विभिन्न प्रकार की मृदाओं में उर्वरक के इस्तेमाल की क्षमता को बढ़ाना।
3. फसलों, मृदा और पौधों के उत्पादन में कीटनाशियों और भारी धातु प्रदूषकों की विघातकता और दीर्घस्थायित्व पर निगाह रखना।
4. विकिरण तनुकृत टीकों के उपयोग द्वारा पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन में सुधार लाना।

(ख) और (ग) देश में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान के लाभों को राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्य संस्थानों जैसी मौजूदा संस्थाओं के जरिए सामान्यत: किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। उदाहरणार्थ, उत्परिवर्तन प्रजनन द्वारा विकसित किये गये विभिन्न प्रकार के बीजों और फसली कृषि जोप जातियों का वितरण राज्य और राष्ट्रीय बीज कारपोरेशनों के माध्यम से किया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने तिलहनों, दालों और विकिरण प्रेरित उत्परिवर्तियों द्वारा पैदा किये गये अनाजों की अधिक उपज देने वाली 21 फसली किस्में विकसित की हैं। इन्हें संपूर्ण देश में किसानों द्वारा वाणिज्यिक स्तर पर खेती करने के लिए दे दिया गया है।

सरकारी आवास

5120. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी आवास आवंटन के लिए नए मापदंड तैयार किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब से प्रभावी हो जाएगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) सामान्य पूल रिहायशी आवास का आबंटन सरकारी, रिहायशी (दिल्ली में सामान्य पूल) नियमावली, 1963 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। आबंटन नियमों के प्रावधानों को संशोधित करने हेतु कोई नए मानदण्ड नहीं बनाए गए हैं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

समाधि पर खर्च की गयी धनराशि

5121. प्रो. रीता वर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूतपूर्व प्रधान मंत्रियों और राष्ट्रपतियों सहित नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की समाधि, जिनका रख-रखाव केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, पर वार्षिक रूप से औसतन कितनी धनराशि खर्च की जाती है;

(ख) क्या "डा. राजेन्द्र प्रसाद की समाधि" पर अपेक्षाकृत कम धनराशि खर्च की गयी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) नई दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया सालाना औसतन खर्च 1,99,42,735.00 रुपये है।

(ख) और (ग) पटना स्थित डा. राजेन्द्र प्रसाद की समाधि बिहार सरकार के कार्य-प्रभाराधीन है। इस प्रकार दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों पर और डा. राजेन्द्र प्रसाद की समाधि पर किये गये खर्च के मध्य किसी प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान की शहरी परियोजनायें

5122. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति, कच्ची और गन्दी बस्तियों के विकास की कितनी परियोजनायें केन्द्रीय सरकार के समक्ष स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में ऐसी परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कितनी धनराशि प्रदान की गई है और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और किन नगरों के लिये यह धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान राजस्थान के लिए किसी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई है; और

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) राजस्थान में स्वच्छता, पेय जल आपूर्ति, कच्ची बस्तियों के विकास और शहरी क्षेत्रों में स्लम क्षेत्रों के लिए कोई भी परियोजना स्वीकृति हेतु सरकार के पास लम्बित नहीं है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्लु.एस.पी.) के तहत 1607.38 लाख रुपये की अनुमानित लागत से केन्द्रीय सहायता के लिए 18 कस्बों बावत जल आपूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं और गत तीन वर्षों के दौरान 496.94 लाख रुपये की धनराशि रिलीज की गयी है। ये 18 कस्बे हैं अन्ताह, सरवार, बासवा, देवगढ़, गलियाकोट, खेरली, महुवा, धारीवाड़, बाली, तख्तगढ़, कैथून, पोखरण, शाहपुरा, सुनेल, बिराटनगर, अमेट, छापर और नवासिटी।

(ग) और (घ) जी, हां। ए.यू.डब्लु.एस.पी. के तहत 1995-96 के दौरान आठ कस्बों के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था हेतु केन्द्रीय सहायता के लिए स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्लु.एस.पी.) के तहत राजस्थान में 1995-96 के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं

क्रम सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति तिथि	परियोजना लागत (लाख रुपये में)
1.	कैथून	दिसम्बर, 95	78.20
2.	पोखरण	दिसम्बर, 95	106.20
3.	शाहपुरा	दिसम्बर, 95	78.60
4.	सुनेल	दिसम्बर, 95	80.20
5.	विराटनगर	मार्च, 96	78.00
6.	अमेट	मार्च, 96	164.00
7.	छापर	मार्च, 96	195.00
8.	नवासिटी	मार्च, 96	114.60
	योग		895.50

[अनुवाद]

स्व-वित्त आवास योजनायें

5123. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आरम्भ से ही घोषित की गयी स्व-वित्त आवास योजनाओं का योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) योजना-वार, कितने आवेदन प्राप्त किये गये हैं;

(ग) योजना-वार, सफल आवेदक कितने हैं;

(घ) आगे की योजनाओं में स्थानान्तरित असफल आवेदक कितने हैं;

(ङ) योजना-वार असफल आवेदकों, जिन्होंने अपनी पंजीकरण धनराशि वापस ले ली है की संख्या कितनी है; और

(च) योजना-वार, क्रमानुसार पहली योजना से अब तक की योजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली में श्रेणी तीन के आवंटित फ्लैटों से वसूल किये गये मूल्य का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक घोषित स्व-वित्त स्कीम तथा प्रत्येक स्कीम के तहत पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या बाबत ब्यौरे इस प्रकार है:-

स्कीम	घोषित वर्ष	पंजीकृतों की संख्या
एस एफ एस-I	1977	2743
एस एफ एस-II	1978	4393
एस एफ एस-III	1979	3616
एस एफ एस-IV	1981	8615
आर पी एस	1981	3242
आर पी एस	1983	
एस एफ एस-V	1982	34631
एस एफ एस-VI	1985	17805
एस एफ एस-VII	1994	2783
एस एफ एस-VIII	1995	3436
एस एफ एस-IX	1996	(यह स्कीम अभी खुली है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.9.96 है)

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यक्तिगत स्कीमों के तहत आवंटनों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है। अभी तक सभी स्व वित्त पोषित स्कीमों के तहत कुल 41,085 फ्लैटों के आवंटन किये गये हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि असफल आवेदकों को परवर्ती स्कीमों में विचार हेतु शामिल करने की कोई पद्धति नहीं है। तथापि, एस एफ एस-VI तक, आवेदक के लिए एक विकल्प उपलब्ध था कि वह परवर्ती स्कीम के लिए आवेदन कर सकता है/सकती है यदि वह एक स्कीम विशेष में आवंटन हेतु सफल न हुआ/हुई हो। एस एफ एस-VII से आगे इस विकल्प को समाप्त कर दिया गया है और यदि आवेदक सफल न रहा/रही हो तो उनका पंजीकरण शुल्क वापस किया जाता है।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने असफल रहे आवेदकों, जिन्होंने पंजीकरण जमा राशि वापस ले ली है, बाबत अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा है। आठ एस. एफ. एस. स्कीमें पहले ही बन्द की जा चुकी हैं और उनमें शेष रह गये अधिकांश पंजीकृतों ने पंजीकरण राशि वापस ले ली है।

(च) दक्षिण दिल्ली में आवंटित श्रेणी-III के फ्लैटों के समुचित मूल्य प्रथम आवंटन समय से चालू वर्ष तक इस प्रकार हैं:-

वर्ष	बिक्री मूल्य		
1982	1,52,900/-	से	1,73,900/-
1983	1,75,600/-	से	1,82,500/-
1984	1,61,900/-	से	1,77,000/-
1985	2,10,100/-	से	2,39,400/-
1986	2,13,500/-	से	2,20,700/-
1987	2,83,800/-	से	3,09,200/-
1988	2,48,400/-	से	3,73,100/-
1989	2,96,900/-	से	3,58,500/-
1990	3,04,700/-	से	3,10,500/-
1991	3,35,300/-	से	4,07,200/-
1992	5,18,100/-	से	5,25,400/-
1993	5,81,700/-	से	6,35,800/-
1994	8,20,400/-	से	8,75,200/-
1995	8,57,200/-	से	8,65,200/-
1996	शून्य		शून्य

[हिन्दी]

मास्टर प्लान

5124. श्री बची सिंह रावत "बचदा": क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा दिल्ली में मास्टर प्लान को सख्ती से लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी डी ए ने दिल्ली में मास्टर प्लान के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित कदम उठाये हैं:-

(I) दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों के लिए विभिन्न विकास नीतियों, नियोजन मानक तथा भूमि उपयोग योजनाएं बनाना और लागू करना, जिनमें विभिन्न भू-उपयोग/परियोजनाओं विशेष क्षेत्र (पुरानी दिल्ली तथा करोल बाग), आंचलिक विकास योजनाओं, उप-नगरीय परियोजनाओं, चुनिंदा विशेष परियोजनाओं आदि के तहत भूमि का विकास शामिल है।

(II) दिल्ली मास्टर प्लान-2001 में डीडीए तथा साथ ही अन्य स्थानीय एजेंसियों द्वारा अनुपालन किये जा रहे परमिटों/स्वीकृतियों के लिए एक व्यापक विकास संहिता का प्रावधान है।

(III) डीडीए ने वर्ष 1994 में मास्टर प्लान की मध्यावधि समीक्षा प्रारम्भ की है। इस प्रयोजनार्थ दिल्ली की मास्टर प्लान की समीक्षा करने तथा उसकी कारगरता में वृद्धि करने के लिए दिल्ली नगर कला आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उल्लंघनों बाबत दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 14 और 29(2) के तहत मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में शुरू किये गये मुकदमों की संख्या इस प्रकार है:-

1993-94	481
1994-95	502
1995-96	9

डीडीए मास्टर प्लान/समरूप भवन निर्माण उप-नियमों के अनुसार मंजूर भवन परमिटों के उल्लंघन बाबत गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30, 31 तथा 31(क) के तहत अपने क्षेत्र में 385 मामले दर्ज किये हैं।

नेफ्था की आपूर्ति

5125. श्री छीतू भाई गामीत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल निगम (आई ओ सी) द्वारा "इस्सार" (गुजरात) को उनके विद्युत उत्पादन संयंत्र के लिए उधार पर नेफ्था की आपूर्ति की जा रही है;

(ख) क्या "इस्सार" उसके तथा आई ओ सी के बीच हुई सहमति के अनुसार निर्धारित समय पर भुगतान करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो आज तक बकाया भुगतान राशि कितनी है तथा आई ओ सी द्वारा इसकी वसूली की संभावना कितनी है; और

(घ) "इस्सार" से बकाया राशि की वसूली के लिए ओ सी द्वारा क्या कार्यवाही की गई तथा इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन तथा मैसर्स एस्सार पावर लि., हजीरा ने एन जी एल/नैफ्था की आपूर्ति के संबंध में एक करार किया है। गुजरात सरकार के अनुरोध तथा गुजरात राज्य बिजली बोर्ड से बैंक अप गारंटी दिये जाने पर इंडियन आयल कारपोरेशन जुलाई, 1996 के दौरान मैसर्स एस्सार पावर लि. के लिए 5 दिन उधार अवधि बढ़ाने के लिए सहमत हुआ है।

(ग) आज की तारीख तक मैसर्स एस्सार पावर लि. के पास 11.63 करोड़ रुपये की धनराशि बकाया है।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन ने आगामी आपूर्तियों के लिए मैसर्स एस्सार पावर लि. को भुगतान करो और ले जाओ आधार पर रखा है। उन्होंने 11.63 करोड़ रुपये की बकाया धनराशि का सितम्बर, 1996 तक भुगतान करने का आश्वासन दिया है।

[अनुवाद]

इ.एम.डी. की मांग

5126. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल रजिस्ट्रर ऑफ फारेन कोलाबोरेसन, विज्ञान तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार 1992 के दौरान इ.एम.डी. की मांग 9000 टी.पी.ए. के आसपास होने का अनुमान लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस विभाग के आकलन के अनुसार इसकी मांग में 1996 तक हर वर्ष वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी मांग को पूरा करने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं; और

(घ) देश में इस समय इसकी मांग तथा आपूर्ति में कितना अंतर है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इलेक्ट्रॉलाइटिक मैगनीज डाइआक्साइड एक ऐसा पदार्थ है जिसका उत्पादन करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है तथा जिसकी मांग-आपूर्ति की स्थिति और मांग आकलनों का अनुवीक्षण भी नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, जो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग का एक निजी क्षेत्र उपक्रम है, उद्योग के लिए इक्विटी भागीदारी, परामर्श इत्यादि के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाकर देश में विकसित ईएमडी प्रौद्योगिकी के वाणिज्यीकरण हेतु प्रयासरत है।

धुआं रहित चूल्हे

5127. **श्री ए. सम्पथ:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1996 तक राज्य-वार कुल कितने धुआंरहित चूल्हों के लिए राज सहायता प्रदान की गई है;

(ख) अब तक राजसहायता की कुल कितनी धनराशि वितरित की गई है;

(ग) ईंधन लकड़ी और रसोई गैस की कमी को देखते हुए प्रति चूल्हा राजसहायता की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र योजना "राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम" के अधीन वर्ष 1995-96 तक लगाए गए उन्नत चूल्हों की कुल संख्या की राज्यवार सूचना संलग्न ब्यौरे में दी जा रही है।

(ख) राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1983-84 से 1995-96 की अवधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता के रूप में लगभग 150 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्मुक्त की गई थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत 1983-84 से 1995-96 के दौरान लगाए गए उन्नत चूल्हों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्थापित किए गए उन्नत चूल्हों की सं. (लाख में)
1	2
आंध्र प्रदेश	20.70
अरुणाचल प्रदेश	0.30
असम	3.40
बिहार	9.20

1	2
गुजरात	9.30
गोवा	1.00
हरियाणा	8.10
हिमाचल प्रदेश	5.70
जम्मू एवं कश्मीर	3.00
कर्नाटक	11.40
केरल	5.50
मध्य प्रदेश	20.50
महाराष्ट्र	16.80
मणिपुर	0.50
मेघालय	0.10
मिजोरम	0.20
नागालैंड	0.10
उड़ीसा	11.20
पंजाब	8.50
राजस्थान	20.60
सिक्किम	0.40
तमिलनाडु	19.00
त्रिपुरा	0.20
उत्तर प्रदेश	28.20
पश्चिम बंगाल	12.10
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.30
चंडीगढ़	0.20
दादर एवं नागर हवेली	0.10
दमन एवं दीव	0.01
दिल्ली	2.40
लक्षद्वीप	0.10
पांडिचेरी	0.20
अन्य*	8.10
कुल	227.41

* राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द; अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, नई दिल्ली; खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई इत्यादि सहित।

असम में केन्द्रीय निवेश

5128. **श्री केशव महंत:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष-वार असम में कितना केन्द्रीय निवेश किया गया;

(ख) क्या राज्य में केन्द्रीय निवेश में कमी हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त निवेश में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) केन्द्रीय्र निवेश पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसकी न तो राज्य वार आयोजना की जाती है और न ही राज्यवार गणना की जाती है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में किसी भी प्रस्ताव के प्राप्त होने पर गणावगुण के आधार पर इन पर विचार किया जाएगा।

प्रश्नपत्रों का लीक होना

5129. **श्री ए. सी. जोस:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 1994, 1995 तथा 1996 के दौरान अब तक आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने के कितने मामले हुए;

(ख) इस आधार पर कितनी परीक्षाएं रद्द कर दी गईं; और

(ग) सरकार द्वारा प्रश्न पत्रों को लीक होने से रोकने तथा इस संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) चार।

(ख) तीन, जिनमें से एक केवल उन उम्मीदवारों के संबंध में रद्द की गई जो कुछ केन्द्रों पर परीक्षा में बैठे।

(ग) परीक्षाएं लेने की समूची प्रक्रिया की समीक्षा की गई है तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन

5130. श्री एन. डेनिस: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा द्वारका/पपनकला में छठी स्ववित्त पोषण योजना के अंतर्गत की श्रेणी-तीन के फ्लैट आवंटियों से फ्लैटों की 90 प्रतिशत लागत राशि वसूल कर ली गई है, यदि हाँ, तो उन्हें फ्लैट उपलब्ध कराने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इन्हें फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण आवंटियों को ये फ्लैट सातवीं स्ववित्त घोषित योजना के अंतर्गत व्यावसायिक दुकानों और फ्लैटों के लिए योजना निकालने से पहले सौंप दिए जाएंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डीडीए ने बताया है कि जिन व्यक्तियों ने अनुमानित विक्रय मूल्य के 90% का भुगतान कर दिया है, उन्हें फ्लैट आवंटित करने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ कर दी गई है। अब तक द्वारका के दो सेक्टरों, सेक्टर-3 तथा सेक्टर-19 में श्रेणी-III फ्लैटों का विशिष्ट आबंटन किया गया है। अन्य सेक्टरों/पॉकिटों में विशिष्ट आबंटन फ्लैटों का निर्माण पूरा होने और सेवाएं उपलब्ध कराने के बाद किया जायेगा।

(ख) जिन आवेदकों को पहले ही विशिष्ट आवंटन किये गये हैं, उनसे अंतिम मांग की जा रही है, उन मामलों में फ्लैटों का कब्जा भुगतान प्राप्त होने तथा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी होने पर दिया जाएगा। अन्य मामलों में, जिनमें अनुमानित मूल्य के 90% का भुगतान प्राप्त हो गया है, फ्लैटों का आवंटन सेवाओं की उपलब्धता के अध्यधीन एक वर्ष के अन्दर करने की आशा है।

(ग) छठी स्ववित्त योजना के सभी आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा फ्लैटों का निर्माण पूरा होने तथा साथ ही संबंधित आवंटियों द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने पर दिया जाएगा। अन्य योजनाओं के अंतर्गत किये गये आवंटनों का स्ववित्त योजना-VI के अंतर्गत किये जा रहे आवंटन की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

5131. श्री रामसागर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाधिकृत निर्माण, कब्जा और परिसर के दुरुपयोग को रोकने/नियंत्रण हेतु दिल्ली के संसद सदस्यों की ओर से दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो अनधिकृत निर्माण, रिहायशी स्थलों को व्यापारिक काम्पलेक्स में बदलने और कब्जे के मामले में तेजी से वृद्धि को देखते हुए सरकार द्वारा इस अधिनियम में संशोधन के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) दिल्ली के सांसदों से अब तक सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 29 में संशोधन करने के मामले में पहले ही जुटी हुई है।

परियोजना को स्वीकृति देना

5132. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने जल आपूर्ति के संसाधन बढ़ाने के लिए विश्व बैंक से ऋण/वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु मंत्रालय को मिदवैयतरना परियोजना के संबंध में कोई विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ख) क्या यह परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण लंबित है;

(ग) यदि हाँ, तो यह कब से लम्बित है; और परियोजना को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) ग्रेटर मुम्बई की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को देखते हुए इस परियोजना पर कब तक कार्य शुरू किया जायेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार और बृहत मुंबई नगर निगम को पर्यावरण एवं वन, जल संसाधन मंत्रालयों/केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन (सीपीएचईईओ) से स्वींकृति प्राप्त करने का अनुरोध किया है। इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ अगस्त, 1992 से पत्र व्यवहार चल रहा है। राज्य सरकार को अद्यतन

साध्यता रिपोर्ट और पर्यावरणीय योजनाओं के साथ-साथ अपेक्षित स्वीकृति भी शीघ्रता से प्राप्त करने का अनुरोध किया है।

(घ) राज्य सरकार और परियोजना प्राधिकारों द्वारा विभिन्न दस्तावेजों और स्वीकृति प्रस्तुत करने की अपेक्षा के आलोक में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बताई जा सकती।

आंध्र प्रदेश में विदेशी सहयोग से बिजली परियोजनाएं

5133. **श्री येल्लैया नंदी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में अब तक विदेशी सहयोग से कितनी बिजली परियोजनाएं स्थापित की गयी हैं तथा तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विदेशी सहयोग से आंध्र प्रदेश में जिलावार स्थापित की जाने वाली कितनी नयी परियोजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं तथा 1996-97 और 1997-98 के वर्षों का क्षमतावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थापित की जा रही निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं जिसमें विदेशी निवेश सम्मिलित है सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गयी हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	जिला	प्रवर्तक
1.	विशाखापट्टनम टीपीएस	1040 मे.वा.	विशाखापट्टनम	अशोक लोलैंड नेशनल पावर यू.के.
2.	जेगुरुपाडु जीवीपीपी	216 मे.वा.	पूर्वी गोदावरी	जीवीके, यूएसए
3.	गोदावरी जीवीपीपी	208 मे.वा.	पूर्वी गोदावरी	स्पैक्ट्रम, यूएसए

जेगुरुपाडु सीसीजीटी के प्रथम चरण को 4.7.1996 को पहले ही समकालिक किया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, विदेशी कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाएं स्थापित करने में रुचि दर्शायी गयी है:-

1.	जेगुरुपाडु-II सीसीपीपी	235 मेगावाट	पूर्वी गोदावरी	जी.वी. के इंडिया लि.
2.	कृष्णापत्तनम "क" टीपीएस	500 मेगावाट	नैल्लोर	जी.वी. के इंडस्ट्रियल लि.
3.	कृष्णापत्तनम "ख"	500 मे.वा.	नैल्लोर	सेसीकॉरप, इंड. पावर यूएसए
4.	रामागुंडम	500 मे.वा.	करीमनगर	बीपीएल ग्रुप

केले का प्रसंस्करण

5134. **श्री टी. गोविन्दन :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण भारत में उपलब्ध टैपियोका और पारम्परिक केले के प्रसंस्करण हेतु कोई उद्योग शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो इसे कहां स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में उक्त वस्तुओं के संरक्षण और विपणन हेतु अन्य कौन-कौन से उपाय किये गये हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार को इस संबंध में कितनी सहायता दी गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) और (ख) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कोई उद्योग स्थापित नहीं करता।

(ग) मंत्रालय कुछ योजना स्कीमें चला रहा है जिसके तहत खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, विपणन समर्थन, कोल्ड चेन की स्थापना इत्यादि के लिए राज्य सरकार के संगठनों/सहायता प्राप्त/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों/स्वयंसेवी संगठनों/सहकारी समितियों इत्यादि को वित्तीय सहायता दी जाती है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

असम में पेयजल

5135. **श्री उद्धव बर्मन:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम सरकार ने राज्य की शहरी आबादी के लिए पेयजल की आवश्यकता पूरी करने की कोई योजना केन्द्र सरकार को भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम, जिसमें 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले

कस्बों में जलापूर्ति योजनाओं के लिए 50% केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था है, के अंतर्गत असम शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड (ए.यू. डब्ल्यू. एस. पी. एण्ड एस. बी.) द्वारा 1994-95 के दौरान नामरूप कस्बे के लिए जलापूर्ति योजना भेजी गई। योजना 135.31 लाख रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित की गई तथा उक्त योजना के लिए 26.06 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई।

1995-96 के दौरान असम शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रस्तावित 11 कस्बों में से 7 कस्बों नामत: सोनारी, पलाशबाड़ी, बिलासीपाड़ा, सोवथेबाड़ी, नजीरा, गोसाईगांव तथा लखीपुर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जिनकी कुल परियोजना लागत 1813.91 लाख रुपये है। इन परियोजना रिपोर्टों की जांच की गई है तथा इनसे संबंधित तकनीकी टिप्पणियां ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. एण्ड एस.बी. को नवम्बर, 1995 में सूचित कर दी गई। तथापि, अब तक बोर्ड से इन टिप्पणियों का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वानिकी तथा बागवानी

5136. **श्री गंगा राम कोली:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1992 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बहराईच जिले (उत्तर प्रदेश) में अलक्षेद्र महाविद्यालय, भिंगा की किसी कृषि भूमि को वानिकी तथा बागवानी के विकास हेतु चुना गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1992-93 में 18.61 लाख रुपये की राशि से वानिकी और बागवनी के विकास हेतु एक परियोजना मंजूर की गई थी। इस परियोजना को परियोजना हेतु निर्धारित समय में पूरा किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

5137. **डा. लक्ष्मी नारायण पांडेय:**
श्री पी. सी. थामस:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत पेयजल की सुविधाओं के विस्तार के लिए कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है जिसमें (1) मिशन के अन्तर्गत कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(2) 30 जून, 1996 तक इस मिशन के अन्तर्गत कितने गांव सम्मिलित किए गए;

(3) कितने और गांवों को इसके अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना है;

(4) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार कितनी धनराशि का आबंटन/उपयोग किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं के विफल होने के संबंध में कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) 1.7.1996 की स्थिति के अनुसार देश में 71524 कवर न की गई बसावटें और 325797 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें हैं।

(1) 1996-97 के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 1100 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय रखा गया है।

(2) 30.6.96 की स्थिति के अनुसार 921378 गांवों/बसावटों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति द्वारा पूरी तरह कवर कर लिया गया है।

(3) 71524 कवर न की गई बसावटों को अभी स्वच्छ जल आपूर्ति द्वारा कवर किया जाना है।

(4) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति के अंतर्गत निधियों के आवंटन, रिलीज और उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) इस मिशन को ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(1993-94) आवंटन	रिलीज	खर्च	(1994-95) आवंटन	रिलीज	खर्च	(1995-96) आवंटन	रिलीज	खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	41.240	46.240	41.240	46.440	46.440	40.650	60.270	63.80	48.22
अरुणाचल प्रदेश	17.460	7.460	5.176	8.420	8.420	8.081	10.92	10.92	6.98
असम	13.700	13.700	18.120	14.220	19.492	20.000	18.45	22.45	18.45
बिहार	48.560	48.560	22.217	54.690	28.045	38.403	70.99	35.50	22.74
गोआ	0.840	1.340	0.837	1.290	1.290	2.061	1.70	2.55	0.85
गुजरात	26.560	29.560	18.584	30.390	30.390	41.048	35.35	37.35	29.76
हरियाणा	16.520	18.310	15.817	20.080	20.398	21.113	13.22	15.22	12.40
हिमाचल प्रदेश	8.330	10.330	8.041	9.420	9.585	11.262	11.87	16.33	16.94
जम्मू व कश्मीर	23.030	18.888	28.586	25.990	36.390	39.408	33.26	38.15	27.17
कर्नाटक	35.120	37.120	36.791	42.720	44.077	40.584	55.44	65.44	58.70
केरल	19.280	21.270	13.165	21.720	21.720	10.864	28.19	29.19	31.83
मध्य प्रदेश	45.640	48.000	49.730	51.420	50.335	49.460	66.73	66.73	40.86
महाराष्ट्र	54.880	54.880	43.741	61.820	61.820	59.434	80.23	74.75	588.81
मणिपुर	3.080	3.080	2.962	3.090	3.090	3.745	4.01	4.01	3.31
मेघालय	4.200	4.200	5.787	4.200	5.328	4.126	4.30	2.21	5.59
मिजोरम	2.100	2.100	2.100	2.360	2.464	2.361	3.07	3.40	3.09
नागालैंड	4.220	3.890	0.909	4.220	0.000	0.237	4.22	2.11	1.80
उड़ीसा	21.660	23.600	21.625	24.340	24.832	27.709	31.59	33.76	32.48
पंजाब	6.880	8.880	11.306	7.750	8.750	9.624	10.06	15.06	9.49
राजस्थान	68.860	71.290	84.738	82.220	82.310	83.753	66.08	69.08	73.12
सिक्किम	3.720	3.720	3.720	3.720	4.650	3.720	3.72	5.72	5.71
तमिलनाडु	32.680	34.700	30.906	36.820	42.356	37.191	47.79	52.62	33.74
त्रिपुरा	3.500	3.500	3.944	3.500	8.990	7.662	3.80	7.60	10.20
उत्तर प्रदेश	76.480	76.472	69.652	86.160	86.160	74.060	111.82	113.34	109.44
पश्चिम बंगाल	29.520	29.520	22.344	33.260	28.245	37.817	43.17	34.96	34.95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान नि. द्वीप	0.400	0.000	0.000	0.380	0.000	0.000	0.44		0.00
चंडीगढ़	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.25		
दादर व न. हवेली	0.200	0.300	0.000	0.220	0.250	0.000	0.15		
दिल्ली	0.220	0.197	0.177	0.250	0.000	0.000	0.29		
लक्षद्वीप	0.100	0.400	0.350	0.100	0.000	0.000	0.12		
पांडिचेरी	0.400	0.260	0.260	0.260	0.130	0.190	0.30		0.10
दमन व द्वीप	0.950	0.965	1.093	0.130	0.000	0.000		0.60	0.40
कुल	800.270	622.732	543.960	681.600	675.957	674.566	821.80	822.85	697.79

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास योजना

5138. श्री जय प्रकाश (हरदोई): क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा "एक्सपेंडेबल हाउसिस 1996" की एक अन्य आवास योजना निकाले जाने की ओर गया है;

(ख) क्या यह कुल मिलाकर एक नई योजना है अथवा यह योजना पहले से ही निर्मित विस्तार योग्य मकानों को निपटाने के लिए है, न्यूपैटर्न स्कीम, 1979 के पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन करने के संबंध में यह योजना है जिसे कोई लेना नहीं चाहता है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने न्यूपैटर्न स्कीम, 1979 के अंतर्गत मूल्यों को वसूल करने की एक और अच्छी योजना शुरू की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एन.पी.एस. 1979 के अंतर्गत पंजीकृत कितने आवेदक अभी भी फ्लैट के आवंटन हेतु श्रेणी वार प्रतिक्षारत हैं तथा इन्हें किस तिथि तक फ्लैटों का आवंटन कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्कीम खाली पड़े लगभग 3500 विस्तार योग्य मकानों के निपटान के लिए बनाई गई है। ये मकान आधे बने हुए हैं जिसमें आबंटियों द्वारा भविष्य में विस्तार की गुंजाइश है। इन मकानों की पेशकश न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम (एन पी आर एस) 1979, के पंजीकृत व्यक्तियों को की गई थी। परन्तु उन्होंने विस्तार योग्य मकानों के बदले नियमित एल आई जी/एम आई जी फ्लैट आबंटित करने का अनुरोध किया है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि विस्तार योग्य फ्लैट, द्वारका, नरेला, रोहिणी और कोंडली/घरोली में स्थित हैं जहां पर वर्ष 1979 की न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम के पंजीकृत व्यक्तियों के लिए एल आई जी/एम आई जी फ्लैट भी बनाये गये हैं। प्रत्येक श्रेणी के फ्लैटों का मूल्य अनुमोदित नीति के अनुसार आंका जाता है। फ्लैट की पूरी कीमत अदा करने वाले आवेदकों को विस्तार योग्य मकानों की योजना 1996 के तहत दी गई डिस्काउन्ट सुविधा, न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम, 1979 के तहत किये गये आवंटनों पर लागू नहीं है।

(ङ) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम 1979 के तहत पंजीकृत व्यक्तियों का बैक लोग 31,204 है। (एम आई जी श्रेणी के अंतर्गत 12919 और एल आई जी श्रेणी के अंतर्गत 18285) है, जिन्हें अभी फ्लैटों की पेशकश की जानी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण को उम्मीद है कि भूमि और अवस्थापन सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के सभी पंजीकृत व्यक्तियों को लगभग दो वर्षों में फ्लैट आवंटित कर दिये जायेंगे।

निर्धनों के लिए शहरी बुनियादी सेवायें

5139. प्रो. अजित कुमार मेहता: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निर्धन झुग्गी वासियों और अन्य गरीब व्यक्तियों के लिए शहरी बुनियादी सेवायें कब शुरू की गयी थीं और केन्द्र तथा दिल्ली सरकार द्वारा खर्च की गयी भागीदारी की प्रतिशतता क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के शुरू करने से (वर्ष-वार) दिल्ली में शहरी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या प्रावधान किया गया है;

(ग) केन्द्र तथा दिल्ली सरकार (वर्ष-वार) द्वारा किये गये योगदान में से वास्तव में कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(घ) इस कार्यक्रम के तहत किस-किस क्षेत्र को शामिल किया गया है और धन के प्रयोग में कमी, यदि कोई है, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी और समन्वय हेतु विद्यमान तन्त्र क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा योजना (यू.बी.एस.पी.) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 1990-91 में आरम्भ की गई। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में इस योजना का 100% वित्त केन्द्र सरकार ने दिया। 1992-93 से वित्त व्यवस्था केन्द्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के बीच 60 : 40 के अनुपात में है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-I में है।

(घ) 13 इलाके शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवा योजना के अंतर्गत शामिल झुग्गी झोपड़ी समूहों की सूची विवरण-II में है। 31 मार्च, 1996 को शेष अप्रयुक्त राशि 18.57 लाख रुपये थी। यह योजना आवश्यकता पर आधारित योजना है जिसका कार्यान्वयन अन्य सेक्टर गत कार्यक्रमों द्वारा मुहैया करायी जा रही बुनियादी सेवाओं के अंतर को पूरा करने के लिए सामुदायिक भागीदारी से किया जा रहा है। अत: योजना में व्यय समुदाय की आवश्यकताओं के लिए किया जाता है और गत वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि को अगले वर्ष में जोड़ लिया जाता है, इस प्रकार कोई कमी नहीं होती।

(ङ) दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, परियोजना निदेशक तथा, यू. बी. एस. पी. अध्यक्ष के स्तर पर कार्यक्रम की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण और समन्वय किया जाता है तथा इसमें परियोजना अधिकारियों व सहायक परियोजना अधिकारियों की मदद ली जाती है, जो फील्ड स्तर पर प्रगति का अनुश्रवण करती हैं।

विवरण-I

क्र.सं.	वर्ष	दी गयी केन्द्रीय सहायता	रा.रा.क्षे. दिल्ली की सूचना के अनुसार केन्द्रीय निधियों का उपयोग	दिल्ली सरकार से प्राप्त निधियों का उपयोग
		(रु. लाख में)		
1.	1990-91	46.20	6.38	लागू नहीं (100% केन्द्रीय अंश)
2.	1991-92	44.00	8.50	-वही-
3.	1992-93	30.65	20.00	राज्य अंश उपलब्ध नहीं कराया गया
4.	1993-94	-	24.60	-वही-
5.	1994-95	-	24.21	-वही-
6.	1995-96	11.00	29.59	-वही-

विवरण–II

क्र.सं.	अंचल	सहायक परियोजना अधिकारी का नाम श्री/सुश्री	संख्या	क्षेत्र	परिवार	परिवारों की प्रति सहा.परि.अधि.सं.
1.	दक्षिण	स्नेह दत्त	1	रेलवे कालोनी, तुगलकाबाद का उत्तरी क्षेत्र	2280	2280
2.	दक्षिण	गुरप्रीत कौर	2	अलकनंदा	2877	2877
3.	पश्चिम	आर.के. सिंह	3	चुनाभट्टी, कीर्तिनगर	1200	2300
			4	नेहरू कैम्प कीर्तिनगर	1100	
4.	पश्चिम	बिमला देवी	5	सी–28, जनकपुरी	3060	3060
5.	केन्द्रीय	कर्मवीर सिंह	6	राजीव गांधी कैम्प, नेहरू स्टेडियम	2300	2300
6.	केन्द्रीय	आई.ए. खान	7	अम्बेडकर बस्ती आर. के. पुरम्	998	2100
			8	शास्त्री मार्किट, मोती नगर	1102	
7.	उत्तरी	लक्ष्मन सिंह	9	अरुणा नगर, मजनूं का टीला	1487	2687
			10	ओल्ड चन्द्रावल, मजनूं का टीला	1200	
8.	उत्तरी	सरोज	11	के–ब्लाक, जहांगीरपुरी	2250	2250
9.	पूर्वी	अरुण टंडन	12	जवाहर और शास्त्री मोहल्ला, पटपड़ गंज	2275	2275
10.	पूर्वी	नरेन्द्र	13	ब्लाक 17 से 21 तक कल्याणपुरी	2120	2120

दिल्ली में फार्म हाउस

5140. **श्री आर. एल. पी. वर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में फार्म हाउस के निर्माण/विकास तथा इनकी चहारदीवारी की ऊंचाई हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मानदंडों के उल्लंघन किये जाने संबंधी कोई मामला प्रकाश में आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा किये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटेश्वरलू): (क) और

(ख) दिल्ली में फार्म हाउस निर्माण के मानक संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) मानकों के उल्लंघन के 185 मामले दिल्ली नगर निगम के ध्यान में आये हैं। मानकों के उल्लंघन के दोषी एक फार्म हाऊस, अर्थात् रेवला-खानपुर स्थित पवन शर्मा फार्म को ध्वस्त कर दिया गया है तथा बाकी सभी मामलों में दिल्ली नगर निगम द्वारा डी.एम.सी. एक्ट 1957 की धारा 343 और 344 के तहत कार्रवाई की जायेगी।

विवरण

दिल्ली में फार्म हाउस निर्माण हेतु नीति/मानक

दिल्ली मास्टर प्लान-2001 के अनुसार, फार्म हाउसों की ऐसे ग्रामीण इलाकों में अनुमति है, जहां भू-उपयोग हरित-कृषि पट्टी के रूप में है। फार्म हाऊसों में रिहायशों के निर्माण के लिए निम्नलिखित मानक तय हैं:-

1. फार्म बिल्डिंग का आकार, दायरा और ऊंचाई इस प्रकार होगी:

क्रमांक	फार्म आकार	रिहायशी मकानों का अधिकतम फर्शी क्षेत्र	रिहायशी मकानों की अधिकतम ऊंचाई
(क)	1.0 हैक्टर या अधिक किन्तु 2.00 हैक्टर से कम	100 वर्ग मीटर	अधिकतम 6 मीटर ऊंचे एक मंजिला
(ख)	2.0 हैक्टर व अधिक	150 वर्ग मीटर	अधिकतम 6 मीटर ऊंचे एक मंजिला।

2. रिहायशी मानकों की स्थिति (सैट-बैक) परिसंपत्ति की बाउंड्री लाइन से 15 मीटर अपेक्षित है।
3. जहां परिसम्पत्ति शहरी सड़क से संलग्न है, वहां रिहायशी मकान की इमारत उस सड़क के मध्य से 60 मीटर दूर स्थित होगी, जहां परिसंपत्ति ग्रामीण सड़क से संलग्न है, वहां इमारत की स्थिति उस सड़क की मध्य रेखा से 30 मीटर दूर होगी।
4. पहुंच मार्ग "सराय-आम" होना चाहिए, जिसकी कम से कम 12 फुट चौड़ाई में डामर बिछा होना चाहिए।
5. जहां पहुंच मार्ग एक से अधिक फार्म हाऊसों के लिए हो, वहां न्यूनतम मार्गाधिकार 18.2 मीटर (60 फुट-0 इंच) होगा।
6. विभाग की नीति के अनुसार, ग्रामीण सड़कों के अलावा, अन्य सड़कों का मार्गाधिकार 60 फुट-0 इंच तथा ग्रामीण सड़कों का मार्गाधिकार 100 फुट-0 इंच का, सड़क के दोनों और समान चौड़ाई का होगा। जहां सड़क का मार्गाधिकार चिन्हित है, वहां उसको सुनिश्चित किया जायेगा।

गरीबी रेखा के नीचे लोग

5141. **जस्टिस गुमान मल लोढ़ा:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1989 में सरकार द्वारा गठित लकड़ावाला समिति के सदस्य सचिव श्री एल. आर. कासिम ने सरकार के इस दावे को गलत साबित किया कि वर्ष 1993-94 के दौरान गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत केवल 19 प्रतिशत था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 37 प्रतिशत है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे उन कारणों का पता लगाया है कि श्री कासिम द्वारा लगाये गये अनुमान तथ्य पर आधारित नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से पूर्व गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुमानिक आधिकारिक आंकड़ा कितना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) प्रो. एस.आर. हाशिम ने नई दिल्ली में 23.5.96 को दिए गए अपने राधा कमल मुखर्जी स्मारक व्याख्यान में 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों का प्रतिशत 19 प्रतिशत की तुलना में 37 प्रतिशत होने का उल्लेख किया है जिसका योजना आयोग द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के 50वें दौर से प्राप्त अधूरे प्रतिदर्श आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया है।

(ख) गरीबों के अनुपात और संख्या संबंधी विशेषज्ञ दल (लकड़ावाला समिति) द्वारा सुझायी गयी विधि द्वारा 1993-94 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के प्रतिशत का अनुमान लगाने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) दोनों अनुमानों में अंतर आकलन की पद्धति में अंतर की वजह से हैं।

(ङ) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन एस एस ओ) द्वारा जारी किये गये घरेलू उपभोक्ता व्यय पर पंचवार्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों का उपयोग करते हुए गरीबी के विस्तार का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं जो एन एस एस ओ के 43वें दौर में एकत्रित घरेलू उपभोक्ता व्यय आंकड़ों पर आधारित हैं। 1993-94 के एन एस एस ओ उपभोक्ता व्यय के पूरे परिणाम प्रक्रिया में हैं।

कृषि भूमि पर भवन

5142. **श्री मंगल राम प्रेमी:** क्या **प्रधान मंत्री** कृषि भूमि पर आवासी भवन के बारे में 21 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के अंतर्गत 4335 मामलों में से कितने मामलों के संबंध में उपरोक्त भूमि को पुनः कृषि भूमि के तौर पर उपयोग करने के लिए अब तक अंतिम आदेश दिये गये हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) कितने मामलों में खाली पड़े भूमि का कब्जा संबंधित ग्राम सभा को सौंप दिया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की दिल्ली सरकार ने बताया है कि 4335 मामलों में से, उपर्युक्त भूमि को कृषि उपयोग में बदलने के लिए 2714 मामलों में दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा-81 के तहत अंतिम आदेश पास किये गये हैं।

(ख) 35 मामलों में या तो निर्मित परिसंपत्तियों को सील कर दिया गया है अथवा ग्राम सभा द्वारा अधिकार में ले लिया गया है। शेष मामले बकाया न्यायिक मामलों और अन्य कानूनी औपचारिकताओं के कारण रुके हुए हैं।

आतंकवादियों को विदेशी धनराशि

5143. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी एवं पृथकतावादी गतिविधियों को चलाने हेतु विदेशी धनराशि दिये जाने संबंधी कोई ठोस प्रमाण मिले हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कश्मीर के कुछ पृथकतावादी नेताओं को नोटिस दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पवित्र स्थल चरार शरीफ के पुनर्निर्माण हेतु विदेशी धनराशि लेकर कश्मीर आए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विघटनकारी गतिविधियों के लिए विदेशी धनराशि के आगमन पर रोक लगाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) से (ङ) जम्मू और कश्मीर में विभिन्न अलगाववादी नेताओं और संगठनों द्वारा कानून का उल्लंघन करते हुए चरार-ए-शरीफ दरगाह के लिए धन प्राप्ति की रिपोर्टों सहित अलग-अलग चैनलों और स्रोतों से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त करने की रिपोर्टें हैं। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम (एफ सी आर ए) के अन्तर्गत अभी तक 46 व्यक्तियों और 24 संगठनों को नोटिस जारी किये गये हैं। इन नोटिसों पर और विदेशी मुद्रा और विनियमन अधिनियम (फेरा) के उपबंधों और अन्य संगत कानूनों के उल्लंघन के लिए भी संबंधित एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इस अवस्था में अधिक ब्यौरे देना चल रही जांच पड़ताल के हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

परिवहन शुल्क

5144. **श्री ताराचन्द भगोरा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामगढ़ गैस-ताप विद्युत संयंत्र के लिए निष्क्रिय गैस के रूप में प्रयुक्त होने वाली नाईट्रोजन गैस को संयंत्र तक पहुंचाने के लिए राजस्थान राज्य सरकार से परिवहन शुल्क वसूल किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस क्षेत्र के लिए गैस की उचित दर निर्धारित करने हेतु अब तक कोई कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) रामगढ़ थर्मल पावर प्लांट, जिसकी एक घटक नाइट्रोजन गैस है, को दी जा रही प्राकृतिक गैस के लिए परिवहन प्रभारों का भुगतान किया जाना है।

(ग) रामगढ़ पावर प्लांट कम उष्मीय मूल्य के कारण गैस मूल्यों में कमी का हकदार है। उपर्युक्त कमी के अलावा 15 प्रतिशत की छूट दी गई है।

[अनुवाद]

भू-विस्थापित व्यक्ति

5145. श्री थ. चौबा सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.एच.पी.सी. ने लोकतक विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए कृषि भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे भू-विस्थापितों को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है और उनके पुनर्वास का कार्य पूरा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) लोकतक विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत मणिपुर सरकार के माध्यम से वर्ष 1971 से वर्ष 1979 के मध्य कुल 244.18 एकड़ की सीमा तक कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था।

(ग) और (घ) मणिपुर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन. एच. पी. सी.) द्वारा प्रभावित भू-स्वामियों को पूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है।

[हिन्दी]

मुसलमानों को प्रतिनिधित्व

5146. श्री इलियास आज़मी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु सरकार द्वारा उठाये जा रहे कदमों के संबंध में ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की व्यवस्था है। अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों की भर्ती में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों की परिकल्पना की गई है। इस संबंध में प्रारंभ किये गये कुछ प्रमुख अनुवर्ती उपाय ये हैं:-

(i) समूह "ग"/"घ" पदों पर भर्ती करने के लिए चयन समितियों/बोर्डों में अल्पसंख्यकों से संबंधित एक सदस्य का नामांकन;

(ii) अल्पसंख्यकों को भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था;

(iii) उर्दू के समाचार-पत्रों में सरकारी क्षेत्र का रिक्तियों का व्यापक प्रचार करना;

(iv) नौकरियों में अल्पसंख्यक समुदाय की भर्ती की मॉनीटरिंग;

(v) केन्द्रीय पुलिस बलों में भर्ती के लिए अल्पसंख्यकों के इलाकों में विशेष भर्ती अभियान चलाया जाना; तथा

(vi) कुछ मुस्लिम समुदायों को, अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करना जिनके लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

[अनुवाद]

संसद सदस्यों को धनराशि जारी करना

5147. श्री सनत मेहता: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा संसद सदस्यों को प्रति वर्ष कितनी अनुदान राशि जारी की जाती है;

(ख) संसद सदस्यों पर प्रति वर्ष वास्तव में कितनी राशि खर्च की जाती है; और

(ग) इस व्यय पर किस तरह से निगरानी रखी जाती है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जिला कलेक्टरों को वर्ष-वार निर्मुक्त की गई राशि का ब्यौरा निम्नलिखित है:

वर्ष	भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त राशि (करोड़ रुपये में)
1993-94	37.8
1994-95	771.0
1995-96	764.0

(ख) इस योजना के अंतर्गत निर्मोचित राशि व्यपगत होने वाली नहीं होती। कोई संसद सदस्य इस वर्ष के दौरान निर्मोचित राशि का बाद के वर्षों में उपयोग कर सकते हैं किन्तु लोक सभा या राज्य सभा की सदस्यता की अवधि के भीतर ही ऐसा उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक वर्ष निर्मोचित की गई राशि के खर्च का ब्यौरा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के पास उपलब्ध नहीं होता। तथापि, अधिकतर जिला कलेक्टरों से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस योजना के प्रारम्भ होने से लेकर अब तक 800.7 करोड़ रुपये (51%) का वास्तविक खर्च हुआ है।

(ग) निर्धारित प्रोफार्मा जिसमें संबंधित कलेक्टरों से प्राप्त सूचना मंगाई जाती है, के आधार पर खर्च की पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

पेयजल के लिए सहायता

5148. डा. एम. पी. जायसवाल:
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री कचरु भाऊ राऊत:
श्री कोडीकुनील सुरेश:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार को राज्य सरकारों से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और इस पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य को पेयजल योजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(घ) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को विश्व बैंक सहायता सहित विदेशी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को आवंटन निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए 1996-97 के दौरान प्रत्येक राज्य को आवंटित निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकारों ने अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध किया है। अतिरिक्त सहायता के अनुरोध पर वित्तीय वर्ष के अन्त में उपलब्ध बचतों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। ब्यौरे विवरण-II में संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1996-97 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के आवंटन की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6618
2.	अरुणाचल प्रदेश	1200
3.	असम	2026
4.	बिहार	7795
5.	गोआ	189
6.	गुजरात	3882
7.	हरियाणा	1451
8.	हिमाचल प्रदेश	1303
9.	जम्मू व कश्मीर	3652
10.	कर्नाटक	6087
11.	केरल	3095
12.	मध्य प्रदेश	7327
13.	महाराष्ट्र	8810
14.	मणिपुर	440
15.	मेघालय	472
16.	मिजोरम	337
17.	नागालैंड	422
18.	उड़ीसा	3468
19.	पंजाब	1105
20.	राजस्थान	7256
21.	सिक्किम	372
22.	तमिलनाडु	5247
23.	त्रिपुरा	418
24.	उत्तर प्रदेश	12278

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	4740
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	25
27.	चंडीगढ़	शून्य
28.	दादरा व नगर हवेली	15
29.	दमन व द्वीव	10
30.	दिल्ली	30
31.	लक्षद्वीप	शून्य
32.	पांडिचेरी	20
अखिल भारत		90090

मरुभूमि विकास कार्यक्रम

1.	गुजरात	315
2.	हरियाणा	990
3.	हिमाचल प्रदेश	28
4.	जम्मू व कश्मीर	36
5.	राजस्थान	3131
	कुल	4500

विवरण-II

बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहायता से ग्रामीण जल सप्लाई और स्वच्छता हेतु चालू परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रमांक	एजेंसी	चालू परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजना लागत (रुपए करोड़ में)	शामिल किए गए गांवों की संख्या
1.	नीदरलैण्ड	12	307.12	4,320
2.	विश्व बैंक	2	951.20	2,300
3.	डेनमार्क	4	61.19	1,017
4.	जर्मनी	2	729.94	1,439
5.	ब्रिटेन	1	54.29	210
	कुल	21	2,103.73	8,762

पिछड़े क्षेत्रों के लिए मानदंड

5149. **श्री एन. जे. राठवा:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान तथा आज तक गुजरात के किन-किन क्षेत्रों/जिलों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इनमें से कितने क्षेत्र/जिले जनजातीय बहुल हैं;

(ग) क्या छोटा उदयपुर भी पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी सभी शर्तें पूरी करता है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार छोटा उदयपुर को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने का है अथवा यह मामला इसके विचाराधीन है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) किसी क्षेत्र की आयोजना एवं विकास तथा इस प्रयोजनार्थ निधियों का आवंटन मुख्यत: संबंधित राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। योजना आयोग ने किसी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने की दृष्टि से कोई मानदण्ड तय नहीं किया है। तथापि, अधिसूचित पिछड़े जिलों में औद्योगिक उपक्रमों को कतिपय कर रियायतें देने के प्रयोजन से वित्त मंत्रालय के पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए एक दल का गठन किया है। दल की रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

टिहरी विद्युत परियोजना

5150. **श्री किशन लाल दिलेर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) योजना आयोग द्वारा 1972 में स्वीकृत टिहरी विद्युत परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ख) स्वीकृत धनराशि में से अब तक कितनी राशि खर्च हुई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) 600 मेगावाट अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की टिहरी बांध परियोजना को 197.92 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जाने के लिए योजना

आयोग द्वारा जून, 1972 में इसे मूलत: निवेश संबंधी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इस परियोजना पर निर्माण कार्य 1978 में आरंभ किये गये थे बाद में प्रणाली की आवश्यकताओं के अनुरूप इसका प्रचालन एक ईष्टतम विद्युत उत्पादन केन्द्र के रूप में किये जाने हेतु 1983 में टिहरी बांध परियोजना की अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 1065.80 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत (1983 मूल्य स्तर) पर बढ़ाकर 1000 मेगावाट कर दी गयी थी।

उत्तरी क्षेत्र के लिए विद्युत की आवश्यकताओं तथा राज्य सरकार के पास निधियों की अपर्याप्तता को ध्यान में रखते हुए 1986 में यह निर्णय लिया गया कि इस परियोजना को भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित किया जाए तथा इस प्रयोजन हेतु 1988 में टिहरी जल विद्युत निगम (टी.एच.डी.सी.) की स्थापना की गयी थी। कोटेश्वर बांध व बिजली घर (400 मेगावाट) तथा एक पंप स्टोरेज संयंत्र (1000 मेगावाट) को जोड़ते हुए परियोजना के कार्य क्षेत्र में भी विस्तार किया गया ताकि केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में एक जल विद्युत कांपलेक्स (2400 मेगावाट) को क्रियान्वित किया जा सके।

टिहरी जल विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मेगावाट) को टिहरी जल विद्युत निगम (टी.एच.डी.सी.) द्वारा 2963.66 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर क्रियान्वित किये जाने हेतु भारत सरकार ने मार्च, 1994 में इसे अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया था। 371 करोड़ रुपये की लागत की संबद्ध पारेषण प्रणाली का क्रियान्वयन पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा।

इस परियोजना पर टी.एच.डी.सी. द्वारा जुलाई, 1996 तक 1078.29 करोड़ रुपये (अनंतिम) की राशि खर्च की जा चुकी है।

प्रदूषित जल-आपूर्ति

5151. **श्री सोहन बीर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में विशेषकर गाजियाबाद जिले में बच्चों सहित अनेक व्यक्तियों द्वारा प्रदूषित जल का उपयोग करने के कारण मृत्यु हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु कोई ठोस कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) राज्य सरकार से ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) और (ग) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जल-जनित बीमारियों की रोक-थाम के लिए स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा सामान्यत: जो उपाय किये जाते हैं वो इस प्रकार हैं:

(1) शुद्ध पेय जल का प्रावधान।

(2) खाद्य तथा व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार।

(3) मानव-मल का सुरक्षित निपटान।

(4) उपयुक्त स्वास्थ्य शिक्षा।

(5) निरीक्षण तथा निगरानी।

(6) क्लोरिन तथा ओ.आर.एस. पैकेटों का वितरण।

[अनुवाद]

बंगलौर में रिंग रेलवे

5152. **श्री पी. कोदंड रमैया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर शहर में रिंग रेलवे के निर्माण के लिए कर्नाटक की जनता की ओर से भारी मांग है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सर्वेक्षण और बंदोबस्त संबंधी कार्य

5153. **डा. कृपासिन्धु भोई:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में सर्वेक्षण और बन्दोबस्त संबंधी कार्य शुरू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस संबंध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) आठवीं योजना के दौरान उड़ीसा में और अन्य राज्यों में इस कार्य के अंतर्गत कितने ग्रामों को शामिल किया गया है; और

(घ) भूमि संबंधी रिकार्डों को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (घ) जी, नहीं। भारत सरकार ने कभी भी किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश में सर्वेक्षण बन्दोबस्ती कार्य शुरू नहीं किया है क्योंकि यह पूर्ण रूपेण राज्य सरकारों के प्रशासनिक एवं कानूनी अधिकार क्षेत्र के अधीन है। कुछेक राज्यों में समय-समय पर संशोधनात्मक सर्वेक्षण बन्दोबस्त संबंधी कार्य करने का वैधानिक प्रावधान है, जबकि कुछ राज्यों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी, भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना केवल सर्वेक्षण वन्दोबस्ती कार्य पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और यह कार्य प्राधिकृत क्षेत्रस्तरीय राजस्व अधिकारियों द्वारा दाखिल खारीज, गांव के मानचित्रों में समय-समय पर सुधार, चकबन्दी द्वारा आर.एस. मानचित्र एवं बन्दोबस्ती दस्तावेजों में संशोधन इत्यादि के माध्यम से किया जाता है।

यह मंत्रालय केन्द्र द्वारा प्रायोजित दो योजनाओं के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके भू-अभिलेखों को अद्यतन बनाने तथा उसके कम्प्यूटीकरणं के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों द्वारा शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करता है। किन्तु यह मंत्रालय विभिन्न राज्यों के सर्वेक्षण एवं वन्दोबस्ती संबंधी कार्य के संबंध में विभिन्न राज्यों के कार्य के निष्पादन/कार्यक्रमों पर निगरानी नहीं रखता है। यह कुछ राज्यों के सामान्य राजस्व प्रशासन का निरन्तर नियमित कार्य है जो राज्य सरकार के संबंधित निदेशालयों/आयुक्त-कार्यालयों के माध्यम से किया जाता है।

राज्य विद्युत बोर्डों के लिए विशेष पैकेज

5154. **श्री संतोष मोहन देव**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग परिसंघ द्वारा प्रधान मंत्री से यह आग्रह किया गया है कि धनराशि के अभाव में राज्य विद्युत बोर्डों की रुकी हुई चालू परियोजनाओं के लिए विद्युत मंत्रालय से विशेप पैकेज तैयार करने को कहें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा भारी हानि उठाने और निजी क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र में भागीदारी न होने से देश के आर्थिक विकास को खतरा पहुंचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) (क) और (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोत परियोजनाएं

5155. **श्री सुख राम**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1991-92 में मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र के सदर ब्लाक और स्पीती ब्लाक के लिए गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक घर को शामिल किया जाना था; और

(ख) यदि हां, तो वर्षवार इन परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई थी, इसमें कितना व्यय किया गया और इन परियोजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी थी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सदर और स्पीती ब्लॉकों के लिए प्रत्येक परिवार को शामिल करने हेतु अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अंतर्गत कोई प्रायोगिक परियोजना मंजूर नहीं की गई। तथापि वर्ष 1994-95 के दौरान स्पीती ब्लाक के लिए एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी गई थी। भारत सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 10.0 लाख रुपये और वर्ष 1995-96 के दौरान 5.0 लाख रुपये की धनराशि मंजूर की थी। इसके अलावा राज्य सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 8.0 लाख रुपये की धनराशि और वर्ष 1995-96 के दौरान 5.0 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई। इन दो वर्षों के दौरान 16.05 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई। एकीकृत ग्राम ऊर्जा कार्यक्रम की राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत वर्ष 1994-95 के दौरान 651 लाभार्थियों और वर्ष 1995-96 के दौरान 958 लाभार्थी शामिल किए गए।

पेट्रोल पम्प

5156. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में सीधे तेल कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे पेट्रोल पम्पों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों द्वारा संचालित पेट्रोल पम्पों में प्रत्येक वर्ष लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए इन कंपनियों द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) तेल विपणन कंपनियों द्वारा बिहार में किसी भी खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप का प्रत्यक्ष रूप से प्रचालन नहीं किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तेल उद्योग खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उत्पादों की मात्रा/गुणवत्ता/आश्वासन, उपभोक्ता सेवा प्रकोष्ठ के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क, मुफ्त हवा, पानी आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं में सुधार और कंपनी के बिक्री केन्द्रों पर प्रत्यक्ष मूलभूत सुविधाओं एवं डीलर राजसहायता प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से उपभोक्ता सेवाओं का उन्नयन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, ताकि डीलरों को खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

मध्य प्रदेश को विश्व बैंक सहायता

5157. **श्री छतर सिंह दरबार**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन की कोई योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कितनी सहायता मांगी गई है तथा विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से गरीबी उन्मूलन की कोई स्कीम योजना आयोग को नहीं भेजी है। तथापि, भारत सरकार एवं विश्व बैंक, दूसरे तीन राज्यों के जिलों सहित मध्य प्रदेश के चुनिंदा जिलों में गरीबी उन्मूलन के लिए जिला स्तरीय पहल के सहायतार्थ जिला गरीबी पहल परियोजना (डी पी आई पी) आरंभ करने हेतु सहमत हो गए हैं।

(ख) डी पी आई पी एक ऐसी परियोजना है जिसका लक्ष्य, स्थानीय संस्थागत क्षमता संवर्धन तथा जिला स्तरीय आयोजना सुदृढ़ीकरण के माध्यम से सतत् विकास हेतु परिस्थितियां उत्पन्न करना है। विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन, सामुदायिक भागीदारी को सुदृढ़ बनाना तथा निरंतरता को सुनिश्चित करना आदि इस परियोजना के मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। परियोजना के तीन घटक हैं: प्रथम अर्थात क्षेत्रीय विकास घटक को भूमि उन्नयन तथा प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग से संबंधित सभी हस्तक्षेपों पर ध्यान दना होता है। दूसरा घटक सामाजिक कोष की स्थापना कर रहा है, जो ग्राम स्तर पर छोटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए मांगों की तात्कालिक तथा कार्यकुशल पूर्ति का ध्यान देगा। तीसरा अर्थात क्षमता निर्माणन घटक संबंधित कार्मिकों के कौशल उन्नयन तथा सरकार एवं नागरिक संस्था सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान देगा।

(ग) इस परियोजना में संभावित ऋण राशि लगभग 500 मिलियन अमरीकी डालर है।

[हिन्दी]

उपकेन्द्र की स्थापना

5158. **श्रीमती कमल रानी**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पुखरैया तहसील के सुजौर गांव में नौनापुर "ए फीडर" के अंतर्गत 33 किलोवाट क्षमता वाले उपकेन्द्र का निर्माण कार्य रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, तथा इस संबंध में अब तक क्या उपाय किये गये हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। नौनापुर स्थित कथित उपकेन्द्र के निर्माण कार्य आरंभ नहीं नहीं किए गए थे, अतः इसका निर्माण कार्य रोक दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

[अनुवाद]

हैदराबाद हाऊस का अधिग्रहण

5159. **श्री के. एस. रायुडू**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हैदराबाद हाऊस का अधिग्रहण करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को मुआवजे के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार को हैदराबाद हाऊस के बदले में कोई वैकल्पिक भू-खण्ड उपलब्ध कराया है;

(ग) यदि हां, तो वह भू-क्षेत्र कितना है; और

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार को उस भूमि का कब्जा दे दिया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू):

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा हैदराबाद हाऊस के बदले में आंध्र प्रदेश सरकार को कोई मुआवजा धनराशि नहीं दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। आंध्र प्रदेश सरकार को 7.56 एकड़ भूमि का एक प्लाट आवंटित किया गया है, जिसमें से 6.26 एकड़ भूमि आंध्र प्रदेश सरकार को सौंप दी गई है।

इन्दिरा आवास योजना

5160. **श्री पी. सी. थामस:**
श्रीमती एम. पार्वती:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास योजनाओं, विशेषकर इंदिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में संसद सदस्यों तथा अन्य जन प्रतिनिधियों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) सरकार अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से इन्दिरा आवास योजना, को जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों/जिला परिषदों की मार्फत कार्यान्वित कर रही है। मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जिले के सभी सांसद, विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के अधिशासी निकाय के सदस्य होते हैं। दो भूतपूर्व सांसद और दो भूतपूर्व विधान सभा सदस्य प्रत्येक वर्ष के लिए वर्णानुक्रम अनुसार बारी-बारी से जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के अधिशासी निकाय के सदस्य भी होते हैं।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग

5161. **श्री कचरु भाऊ राऊत:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं;

(ख) कितने परिवारों को सहायता प्रदान करके उन्हें गरीबी रेखा के ऊपर लाया गया;

(ग) क्या इसके लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान 1987-88 (एनएसएस 43वां दौर) में आयोजित पंचवार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं। इसके अनुसार महाराष्ट्र में 18.37 मिलियन व्यक्ति 1987-88 में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे।

(ख) गरीबी पर तिहरा आक्रमण किया गया है, अर्थात् (i) आर्थिक विकास का तीव्रीकरण, (ii) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर उन्नयन के माध्यम से मानव तथा सामाजिक विकास और (iii) रोजगार एवं आय सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्ति सृजन के माध्यम से गरीबी पर सीधा हमला। इन कार्यक्रमों में प्रमुख हैं: एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, नेहरू रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम तथा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्रधान मंत्री की रोजगार योजना। सभी प्रयास विकास पर हैं तथा सभी कार्यक्रमों का गरीबी उन्मूलन पर संयुक्त प्रभाव है। परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में गरीबी के प्रभाव में कमी आई है। यह 1983-84 में 27.58 प्रतिशत से 1987-88 में 25.05 प्रतिशत हो गई।

(ग) ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय को जवाहर रोजगार योजना के क्रियान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई।

(घ) शिकायतें तत्काल संबंधित राज्य सरकार को उपयुक्त उपचारी उपायों के लिए अग्रेषित कर दी जाती हैं।

पत्रकारों को आवास

5162. **श्री तारीक अनवर:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन संवाददाताओं के नाम तथा संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने गत पांच वर्षों के दौरान क्वार्टर आवंटित किये हैं;

(ख) संवाददाताओं के लिए प्रतीक्षा सूची की अवधि कितनी है; और

(ग) संवाददाताओं की आवास समस्या का समाधान करने के लिए क्या सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित 14 संवाददाताओं को

आवंटन किया गया है:-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री)	पता
1.	बी.पी. शुक्ला	बी-14, एंड्रयूज गंज एक्सटेंशन
2.	सी. मिश्रा	बी-11, -वही-
3.	डी. शुक्ला	ई-16, -वही-
4.	एन. चक्रवर्ती	एन-8, -वही-
5.	पी.के. पुष्करणा	एच-6, -वही-
6.	आर.आर. प्रभु	ए-11, -वही-
7.	एस.आर. कुमार	सी-11, -वही-
8.	वी. सांघी	सी-12, -वही-
9.	विजय शंकर	ए-12, -वही-
10.	वी. राजगोपाल	सी-14, एंड्रयूज गंज एक्सटेंशन
11.	वाई.बी. माथुर	बी-15, -वही-
12.	आर.सी. पंडित	डी-6, तिलक लेन
13.	विट्ठल भाई पटेल	ए-33, नानकपुरा
14.	एस. जगरान	जे-4, एंड्रयूजगंज एक्सटेंशन

(ख) संवाददाताओं को किये जाने वाले आवंटनों के संबंध में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में जांच समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवंटन किये जाते हैं।

(ग) प्रेस पूल में आवंटन के लिए कुल 120 एकक उपलब्ध हैं। सामान्य पूल में आवास की कमी को देखते हुए प्रेस पूल में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सेवानिवृत्त व्यक्तियों से प्राप्त अभ्यावेदन

5163. **श्री दिलीप संघानी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को 1 अप्रैल, 1995 से पहले, परन्तु जुलाई 1993 के बाद सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें 19 सितम्बर, 1993 के ओ.एम. सं. 7/2/93-पी एण्ड पी डब्ल्यू (एफ) में यथा निर्णित भूतलक्षी प्रभाव से यह लाभ दिया जाए कि उपदान का हिसाब लगाने के लिए मूल वेतन के 20% के बराबर महंगाई भत्ते की दर वेतन में जोड़ी जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) सरकार को, 1 अप्रैल, 1995 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों से, दिनांक 19 अक्तूबर, 1993 के कार्यालय ज्ञापन में दर्शाये गये लाभ भूतलक्षी प्रभाव से दिये जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(ख) सरकार ने, उस आदेश के द्वारा, यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के मामले में जो 16.09.1993 को या उसके बाद सेवा निवृत्त हुए हों या जिनकी मृत्यु हो गई हो, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के अंतर्गत केवल सेवा निवृत्ति-उपदान और मृत्यु उपदान की परिलब्धियों की गणना के लिए मूल वेतन का 20% प्रतिशत महंगाई वेतन के रूप में माना जाएगा।

पेय-जल

5164. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर पेय-जल उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सम्पूर्ण देश में पेय-जल उपलब्ध कराने संबंधी क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) जल आपूर्ति राज्य का विषय होने के नाते, जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाना, निष्पादित करना और उनका अनुरक्षण करना राज्य का दायित्व है।

तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों में **मदद** देने हेतु 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए मार्च, 1994 से एक केन्द्र प्रवर्तित शहरी त्वरित जल

आपूर्ति कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लागत की भागीदारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 1:1 के अनुपात में होती है।

1991 की जनगणना के अनुसार, कुल 23.4 मिलियन की आबादी वाले ऐसे 2151 कस्बे हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि इन सभी कस्बों को शामिल करने के लिए 2348 करोड़ रुपये की धन राशि की आवश्यकता होगी। उपर्युक्त की तुलना में, आठवीं योजना में केन्द्रीय क्षेत्र के लिए किया गया नियतन 50.00 करोड़ रुपये है। 31.3.96 तक, 161.63 करोड़ रुपये के लागत की 204 जल आपूर्ति स्कीमें स्वीकृत की गयी हैं। चूंकि स्कीमों की प्रगति राज्य सरकारों द्वारा बनायी जाने वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्टों, उनकी तकनीकी व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है इसलिए कार्यक्रम के निष्पादन की लक्षित तिथि का उल्लेख करना कठिन है।

[अनुवाद]

पुलों का निर्माण

5165. श्री सौम्य रंजन: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर उड़ीसा में नदियों पर पुलों के निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) देश में नदियों पर पुलों के निर्माण के संबंध में इस मंत्रालय में फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पुनर्वास

5166. श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चिखलिया: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1996 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "वी वूंट गो स्मन इफ देयर इज अ ब्लडशेड" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित पद

5167. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सचिवालय की तीन सेवाओं के लिए वर्ष 1993, 1994 और 1995 के लिए अधिसूचित पदों की कुल संख्या कितनी है तथा इनमें अन्य पिछड़ी जातियों के लिए अलग से आरक्षित पदों की संख्या क्या है;

(ख) उपरोक्त भरे गए पदों में से कितने पद अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों से योग्यता में रियायत के आधार पर भरे गए; और

(ग) क्या सरकार का विचार शेष आरक्षित पदों को किसी रियायत के आधार पर भरने का है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) इस संबंध में निर्धारित नीति तीनों सचिवालय सेवाओं के संबंध में भी अपनाई जाती है। जिसके अनुसार अन्य पिछड़ी जातियों की आरक्षित रिक्तियां, जो खाली रह जाती हैं, को भर्ती के तीन वर्षों के लिए अथवा जब तक रिक्तियों को अन्य पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों द्वारा भर नहीं लिया जाता, इनमें से जो भी पहले, और आगे बढ़ा दिया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	सेवा का नाम	ग्रेड	भर्ती वर्ष	संघ लोक सेवा आयोग/ कर्मचारी चयन आयोग को सूचित की गई रिक्तियों की कुल संख्या	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सिफारिश रिक्तियों की सं.	सिफारिश किये गये अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की सं.
1.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा	(i) अनुभाग अधिकारी ग्रेड	1993	66	**	
			1994	50	13	
			1995	81	16	नामाकन प्रतिक्षित है
		(ii) सहायक ग्रेड	1993	429@	92	92
			1994	242	62	39
			1995	रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैं	–	–
2.	केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा	(i) आशुलिपिक ग्रेड "घ"	1993	426@	**	–
			1994	519@	94	69
			1995	544@	118	118
		(ii) आशुलिपिक ग्रेड "ग"	1993	सीधी भर्ती नहीं की गई	–	–
			1994	–वही–	–	–
			1995	रिक्तियां अधिसूचित की जानी हैं।		
3.	केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा	अवर श्रेणी लिपिक	1993	1045	**	–
			1994	771@	138	139
			1995	रिक्तियां अभी अधिसूचित की जानी हैं।	–	–

**भर्ती प्रक्रिया अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण प्रभावी होने से पहले प्रारंभ की जा चुकी थी। अतः आरक्षण नहीं दिया जा सका।

@इसमें, सामान्य श्रेणी के पदों संबंधी संभावित रिक्तियों के फलस्वरूप होने वाली बढ़ोत्तरी भी शामिल है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पाद

5168. डा. ए. के. पटेल:
श्री पी.आर.एस. वेंकटेशन:
श्री भक्त चरण दास:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तेल, प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ और कितनी खपत हुई;

(ख) क्या विगत वर्षों में इन उत्पादों के उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन मदों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

सिंचित भूमि

5169. श्रीमती छबीला अरविन्द नेताम: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण कानून, 1980 के लागू होने के बाद जनजातीय उप-योजना में सिंचित भूमि का क्षेत्र पहले जितना ही है;

(ख) यदि हां, तो इसको बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इसके लिए केवल रोक बांध/लिफ्ट सिंचाई उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) और (ख) 1974 में आदिवासी उप-योजना (टीएसपी) के आरम्भ से आदिवासी क्षेत्रों में प्रमुख तथा मध्यम स्कीमों के माध्यम से सिंचाई के विकास हेतु पर्याप्त निवेश संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किये गये थे। छठी योजना (1980-85) के अंत तक 35 टीएसपी परियोजनायें पूरी कर ली गई थी। आदिवासी क्षेत्र को वास्तविक लाभ 94.51 हजार हैक्टेयर का था। अन्य 20 मध्यम टीएसपी परियोजनायें सातवीं योजना के अन्त तक पूरी कर ली गई थी, जिसमें 42.43 हजार हैक्टेयर आदिवासी क्षेत्र को लाभ मिला था। 1990-92 के दौरान 58.85 हजार हैक्टेयर आदिवासी क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 14 मध्यम टीएसपी परियोजनाएं पूरी कर ली गई थी। 141 चालू परियोजनाओं के पूरे हो जाने पर, जिसमें आठवीं योजना से बची हुई परियोजनायें तथा आठवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाएं भी शामिल हैं, से लगभग 1525.71 हजार हैक्टेयर का लाभ होगा। इस प्रकार वन संरक्षण कानून, 1980 के प्रभाव में आने के पश्चात् आदिवासी उप-योजना के तहत सिंचित एकड़ भूमि वैसी नहीं रही है।

(ग) और (घ) रोध बांध सामान्य रूप से आदिवासी जनसंख्या के प्राकृतिक निवास स्थल, अर्थात् वन तथा पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर कैचमेन्ट में अंगीकृत वर्षा-जल सिंचाई ढांचे हैं। लिफ्ट सिंचाई स्कीमें उपयुक्त क्षेत्रों में अपनी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर नियोजित तथा अनुमोदित की जाती है, संविधान के तहत सिंचाई राज्य का क्षेत्र है। सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों के वित्तपोषण सहित उनके अन्वेषण, आयोजना, निरूपण, निष्पादन तथा रखरखाव का उत्तरदायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों का है।

[अनुवाद]

परियोजनाओं को मंजूरी

5170. **श्री चर्चिल अलेमाओ: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक गोवा सरकार द्वारा अनुमोदन हेतु योजना आयोग को प्रस्तुत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन प्रस्तावों की मौजूदा स्थिति क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) योजना आयोग में गोवा सरकार से प्राप्त कोई भी परियोजना स्वीकृति हेतु लम्बित नहीं है।

कर्नाटक की शहरी विकास परियोजनाएं

5171. **श्री अनंत कुमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक की कुछ शहरी विकास परियोजनाएं केन्द्र के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उन्हें कब तक मंजूर कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) से (घ) जी, हां। कर्नाटक राज्य में शहरी विकास परियोजनाओं की सहायता, मेगा शहरों में अवस्थापना विकास तथा लघु और मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास की योजनाओं के तहत की जाती है। दोनों ही योजनाओं के तहत, परियोजनाओं के अनुमोदन का अधिकार राज्य स्तरीय स्वीकृति समितियों को प्रदत्त है। तदनुसार, भारत सरकार से परियोजना के लिए किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेयजल योजनायें

5172. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को भेजी गई पेयजल योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो इनके लिए कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) जो 20,000 से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों में लागू है, के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान 6082.32 लाख रु. की कुल परियोजना लागत पर 71 जलापूर्ति योजनायें भेजी हैं। अब तक कुल 5858.67 लाख रुपये की परियोजना लागत से 69 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा 2929.33 लाख रुपये का केन्द्रीय अंश रिलीज किया गया है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

कुल 223.65 लाख रुपये की परियोजना लागत से पुखरायां तथा पुरवा कस्बों की जलापूर्ति योजनाओं की तकनीकी जांच की जा रही है।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक तिरवागंज, तेलग्राम, हस्तिनापुर, ससनी तथा सिंचाई भरुआरा के लिए जलापूर्ति योजनाएं पूरी की गई हैं। अन्य योजनाओं के संबंध में कार्य प्रगति पर होने की सूचना मिली है।

विवरण

क्र.सं.	कस्बे का नाम	स्वीकृति की तारीख माह/वर्ष	परियोजना लागत (रुपये लाख में)
1	2	3	4
राज्य	**उत्तर प्रदेश**		
1.	करहाल	मार्च 1994	106.90
2.	हस्तिनापुर	–वही–	116.35
3.	जलाली	–वही–	77.25
4.	जत्तारी	–वही–	100.60
5.	हरदुआगंज	–वही–	57.30
6.	खेरागढ़	–वही–	75.20
7.	हलदौर	–वही–	91.00
8.	उमरीकलां	–वही–	66.70
9.	नधवलीकलां	–वही–	36.00
10.	राया	–वही–	78.00
11.	मारहरा	–वही–	34.90
12.	अचनेरा	–वही–	67.90
13.	ससनी	–वही–	75.55
14.	घिबोर	–वही–	57.65
15.	तुलसीपुर	–वही–	97.50
16.	गोलाबाजार	–वही–	54.40
17.	मेहनगर	–वही–	78.50
18.	जियानापुर	–वही–	56.10
19.	अजमतगढ़	–वही–	48.00
20.	घुघली	–वही–	79.20
21.	रेओती	–वही–	77.50
22.	सिकंदरपुर	–वही–	66.70
23.	कैरारी	–वही–	83.34
1.	बासदी	–वही–	83.00
25.	चन्दौली	–वही–	85.00
26.	बकवर	–वही–	63.60
27.	लखना	–वही–	43.80
28.	कलपाहर	–वही–	81.80
29.	झिंझक	–वही–	81.20
30.	बिथूर	–वही–	46.20
31.	नारीयनी	–वही–	54.50
32.	तिरवागंज	–वही–	71.20
33.	तेलग्राम	–वही–	53.30
34.	नवाबगंज	–वही–	48.50
35.	नेओअतनी	–वही–	15.70
36.	मोहन	–वही–	49.20
37.	सन्दी	–वही–	65.00
38.	पाली	–वही–	59.20
39.	इस्लामनगर	–वही–	68.40
40.	सिंघाई भरौरा	–वही–	[illegible].50

1	2	3	4
41.	कटरा	-वही-	103.00
42.	बाजपुर	-वही-	86.20
43.	बिलारियागंज	जनवरी 1996	64.70
44.	रामनगर	-वही-	75.70
45.	संकरगढ़	-वही-	157.80
46.	घोरावाल	-वही-	87.60
47.	सिघौर	-वही-	58.80
48.	छोपन	मार्च 1996	133.50
49.	बी.बी. नगर	-वही-	68.30
50.	दौराला	-वही-	74.60
51.	फरीदपुर	-वही-	59.50
52.	उसावन	-वही-	72.50
53.	सौरिक	-वही-	81.00
54.	हरिया	-वही-	62.40
55.	हरिहरपुर	-वही-	63.00
56.	बांसगांव	-वही-	81.20
57.	बीकापुर	-वही-	101.50
58.	सरायअकील	-वही-	98.98
59.	दूधी	-वही-	156.70
60.	पाली	-वही-	63.80
61.	ओरन	-वही-	59.00
62	रिमिया बाजार	-वही-	86.15
63.	नरेन्द्र नगर	-वही-	240.50
64.	चम्बा	-वही-	537.80
65.	झाल	-वही-	80.50
66.	अदरी	-वही-	60.30
67.	कलादुंगी	-वही-	121.90
68.	अत्सु	-वही-	79.80
69.	हरगांव	-वही-	83.30
	योग		5858.67

[अनुवाद]

इलाहाबाद में पेयजल

5173. डा. मुरली मनोहर जोशी: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** 31 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2331 का अवलोकन करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 में धनराशि के कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ख) क्या धनराशि को अन्य प्रयोजनों हेतु खर्च किये जाने के उदाहरण सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) राज्य में उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है। अपेक्षित सूचना को संगठन से प्राप्त किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दक्षिणी क्षेत्र में तेलशोधक कारखाने

5174. श्री पी. सी. चाक्को: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिणी क्षेत्र के तेलशोधक कारखानों को केरल से बाहर स्थापित किये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य में भविष्य में औद्योगिक विकास हेतु उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जाने के प्रस्ताव हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) मैसर्स सदर्न रिफाइनरीज लि., जो केरल राज्य में स्थित एक निजी क्षेत्र की स्नेहकों एवं खनिज तेलों का निर्माण कर रही कंपनी है, ने सूचित किया है कि कुछ स्थानीय लोग कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में हस्तक्षेप करना चाहते हैं तथा इस प्रयास में विफल होकर, वे (स्थानीय लोग) यह आरोपित करते हुए कि कारखाने से प्रदूषण हो रहा है, कारखाने के काम काज में बाधायें उत्पन्न कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो मैसर्स सदर्न रिफाइनरीज के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा कि वे इस इकाई को बनाए रखने के लिए इसे केरल राज्य के बाहर ले जाएं।

(ख) और (ग) इस मामले का संबंध केरल राज्य सरकार से है।

तेल/गैस की एजेंसियां

5175. श्री टी. गोपाल कृष्ण:
श्री एल. रमना:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए तेल/गैस वितरण एजेंसियों के आबंटन के बकाया स्थानों को भरने के लिए दिसम्बर, 1995 में विज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो एजेंसियों के स्थानों तथा प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक क्या कार्यवाही की गयी है; और

(घ) इसके लिए अंतिम चयन कब तक किये जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन लि. ने दिसम्बर, 1995 में आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत 11 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों के लिए विज्ञापन दिया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	स्थान	जिला	श्रेणी	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1.	रामकमपेट	मेडक	अनु. जा.	95
2.	बुवेनपल्ली और मियापुर के बीच (एन एच-9)	रंगारेड्डी	अनु. जा.	182
3.	बचानपेट	वारंगल	अनु. जा.	66
4.	रामपचोडवरम	पूर्वी गोदावरी	अनु. जन.	27
5.	पुत्तुर-मंगलापुरम मार्ग पर पोचातुर और कुप्पेदु गांव के बीच	चित्तूर	अन. जा.	27
6.	कुड्डप्पह कस्बा	कुड्डापह	अन. जा.	40
7.	कल्लूरु	खम्माम	अनु जा.	82
8.	काडकलूर	कृष्णा	अनु. जा.	73
9.	पटंरला	कृष्णा	अनु. जा.	54
10.	त्रिपुरम	नालगोंडा	अनु. जा.	59
11.	अंड्डंकी	प्रकासम	अनु. जा.	75

(ग) और (घ) डीलरों का चयन चयन-प्रणाली को पुनर्क्रियाशील करने के बाद किया जायेगा।

[हिन्दी]

विकास परियोजनायें

5176. श्री अशोक प्रधान: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक खुर्जा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न कस्बों/नगरों/उप-नगरों में चल रही विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन पर व्यय की गई धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक नोएडा, दादरी, खुर्जा, बुलंदशहर और गाजियाबाद में चल रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या इन परियोजनाओं को उनके निर्धारित समय में पूरा कर लिये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय प्रतिभाएं

5177. प्रो. ओम पाल सिंह "निडर": क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेश स्थित भारतीय प्रतिभाओं को आकृष्ट करने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य-मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की संभावना है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) सरकार न केवल बहिर्गमन को कम करने बल्कि विदेशों में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों की बौद्धिक प्रतिभा एवं सृजनात्मकता का उपयोग करने हेतु उन्हें भारत में वापस बुलाने के लिए भी समय-समय पर उपाय करती रही है। इनमें से कुछ उपाय निम्नवत हैं:-

1. देश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए अनिवासी भारतीयों को सहायता प्रदान करना।

2. अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों को अंतिम कार्य (स्थायी रोजगार) प्राप्त करने से पहले होने वाले विलम्बों को कम करने की दृष्टि से वैज्ञानिक पूल योजना के तहत वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों के अस्थायी रोजगार का प्रावधान करना।

3. वैज्ञानिकों की कार्य परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों को और अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां प्रदान करना।

4. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सीमान्त तथा उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने हेतु अल्पकालीन तकनीकी समानुदेशन के लिए विदेशों में बसे भारतीय मूल के ख्यातिलब्ध व्यावसायिक महिलाओं एवं पुरुषों को आमंत्रण देना।

5. सीएसआइआर प्रणाली में क्विक हायर साईटिस्ट फेलो स्कीम जैसी विशेष भर्ती प्रक्रियाएं।

6. भारत सरकार तथा यू. एन. डी. पी. के संयुक्त कार्यक्रम के अंतर्गत टॉकटेन (प्रवासी नागरिकों द्वारा ज्ञान का हस्तान्तरण) नामक एक योजना है जिसका उद्देश्य अनिवासी भारतीय वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता का सदुपयोग करना है। आज तक 575 अनिवासी भारतीयों के भ्रमण से देश को इस योजना से लाभ हुआ है। इस कदम को और अधिक बढ़ावा देने की दृष्टि से भारत सरकार तथा यूएनडीपी ने तीन वर्ष की अवधि के लिए लगभग 1 मिलियन अमरीकी डालर के परिव्यय के नए कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किये हैं।

7. सीएसआइआर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों को उनके विदेशी भ्रमणों के दौरान वहां के विश्वविद्यालयों/अनुसंधान स्थापनाओं में कार्यरत प्रतिभावान भारतीय वैज्ञानिकों को अल्प अथवा दीर्घावधि के लिए स्वदेश लाने हेतु उनसे भेंट करने की अतिरिक्त जिम्मेवारी सौंपी गई है।

ग्रामीण कारीगरों को औजार-बक्स दिया जाना

5178. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म के औजार बक्स प्रदान करने के संबंध में कोई कार्यक्रम लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार तथा राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा क्या उपलब्धि हासिल की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां। ग्रामीण कारीगरों को उन्नत किस्म की औजार किटें प्रदान करने के लिए जुलाई, 1992 से ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति नामक योजना चलाई जा रही है।

(ख) ग्रामीण कारीगरों को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की एक उप-योजना है। शुरू में इसे चुनिंदा जिलों में चलाया गया था। बाद में, 1995-96 से इसे दिल्ली एवं चंडीगढ़ संघशासित प्रदेशों को छोड़कर सम्पूर्ण देश में बढ़ा दिया गया।

इस योजना के अंतर्गत, बुनकरों, दर्जियों, सुई का काम करने वालों तथा बीड़ी बनाने वालों को छोड़कर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न दस्तकारी में लगे कारीगरों को उन्नत औजार दिये जाते हैं, जिससे वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता/मात्रा/बिक्री को बढ़ा सकें और अपनी नीरसता को कम कर सकें। औजार किट की औसत लागत 2000/- रुपये है और प्रत्येक इकाई की लागत को संबंधित डी.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित किया जाता है। कारीगरों को अपने अंशदान के रूप में औजार किटों की लागत का 10% देना होता है, जबकि शेष 90% राशि भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन की जाती है। 4500/- रुपये लागत तक की बिजली चालित औजार किटों के प्रयोग को भी इस योजना के अंतर्गत अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इसके बाद, इसे आई.आर.डी.पी. के अंतर्गत ऋण से जोड़ा जा रहा है। जिला स्तर पर डी.आर.डी.ए. कार्यान्वयन करने वाली मुख्य एजेन्सी है। कुम्हारी, बढ़ईगिरी, लोहारी, चर्मकारी, काष्ठ शिल्प, धातुशिल्प तथा रोगन कार्य में उन्नत किटों के प्रोटोटाईप को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम विकास आयुक्त के अधीन क्षेत्रीय डिजाईन एवं तकनीकी विकास केन्द्र, हस्तशिल्प और अन्य संगठनों द्वारा विकसित किया गया है। यदि राज्य सरकारें समझती हैं कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल उन्नत किटों से अच्छा विकल्प उनके राज्यों में ही उपलब्ध है, तो वे इस उद्देश्य के लिए गठित की गयी राज्य स्तर/जिला स्तर/कार्य दल/तकनीकी समिति की स्वीकृति से इन माडलों को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) विवरण I से III में दी गयी हैं।

विवरण-I

ग्रामीण कारीगर को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अंतर्गत राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (वर्ष 1993-94)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन/ रिलीज (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	लक्ष्य (संख्या)	कुल उपलब्धि (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	145.000	130.07	8100	8321
2.	अरुणाचल प्रदेश	23.400	5.98	1300	585
3.	असम	93.600	81.98	5200	5285
4.	बिहार	117.000	118.85	6500	6493
5.	गोवा	9.000	9.00	500	501
6.	गुजरात	93.600	95.73	5200	6370
7.	हरियाणा	93.600	64.24	5200	4535
8.	हिमाचल प्रदेश	44.622	26.34	2479	1496
9.	जम्मू व कश्मीर	70.200	20.89	3900	1161
10.	कर्नाटक	93.600	95.23	5200	5399
11.	केरल	187.200	110.43	10400	6658
12.	मध्य प्रदेश	232.200	91.86	12900	5105
13.	महाराष्ट्र	167.778	135.11	9321	7496
14.	मणिपुर	23.400	23.40	1300	1447
15.	मेघालय	9.000	4.59	500	324
16.	मिजोरम	27.000	एन.आर.	1500	3261
17.	नागालैंड	9.000	9.00	500	597
18.	उड़ीसा	46.800	27.37	2600	1381
19.	पंजाब	70.200	33.60	3900	2722
20.	राजस्थान	140.400	89.87	7800	5396
21.	सिक्किम	9.000	27.00	500	500
22.	तमिलनाडु	117.000	123.32	6500	8766
23.	त्रिपुरा	18.000	45.18	1000	974
24.	उत्तर प्रदेश	351.000	388.49	19500	19593
25.	पश्चिम बंगाल	93.600	68.86	5200	3651
26.	अण्ड. निको. द्वीप समूह	9.000	6.36	500	320
27.	दादर व नगर हवेली	0.000	1.00	–	57
28.	दमन व द्वीव	9.000	3.11	500	86
29.	लक्षद्वीप	9.000	1.36	500	77
30.	पांडिचेरी	9.000	12.22	500	590
	अखिल भारत	2322.000	1860.44	129000	109147

एन.आर.–राज्य सरकार द्वारा असूचित।

विवरण–II

ग्रामीण कारीगर को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अंतर्गत राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (वर्ष 1994-95)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन/ रिलीज (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)	लक्ष्य (संख्या)	कुल उपलब्धि (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	265.986	250.90	14777	13939
2.	अरुणाचल प्रदेश	9.000	18.63	500	1368
3	असम	36.000	19.32	2000	1118
4	बिहार	216.990	113.19	12055	5267
5.	गोवा	1.800	एन.आर.	100	एन.आर.
6.	गुजरात		179.48	10000	10788
7.	हरियाणा	[illegible]	[illegible]	1500	1350
8.	हिमाचल प्रदेश	18.860	9.71	1048	551
9.	जम्मू व कश्मीर	90.000	24.22	5000	1346
10.	कर्नाटक	144.000	78.486	8000	3627
11.	केरल	108.000	178.72	6000	8247
12.	मध्य प्रदेश	343.92	198.28	19105	14500
13.	महाराष्ट्र	180.000	149.65	10000	7767
14.	मणिपुर	4.500	4.50	250	250
15.	मेघालय	9.000	3.33	500	126
16.	मिजोरम	54.000	13.41	3000	1722
17.	नागालैंड	54.486	54.11	3027	3002
18.	उड़ीसा	108.000	57.25	6000	3443
19.	पंजाब	90.000	45.05	5000	1644
20.	राजस्थान	144.000	39.03	8000	2342
21.	सिक्किम	35.986	14.44	1999	802
22.	तमिलनाडु	126.000	109.00	7000	5169
23.	त्रिपुरा	18.000	33.70	1000	2021
24.	उत्तर प्रदेश		[illegible]	28000	27917
25.	पश्चिम बंगाल			7000	4705
26.	अण्ड. निको. द्वीप		एन.आर.	–	एन.आर.
27.	दादर व नगर हवेली	0.000	एन.आर.	–	एन.आर.
28.	दमन व द्वीव	0.000	0.85	–	71
29.	लक्षद्वीप	0.000	1.70	–	96
30.	पांडिचेरी	4.500	18.02	250	1341
	अखिल भारत	2900.000	2291.016	161111	124519

एन.आर.–राज्य सरकार द्वारा असूचित।

विवरण–III

ग्रामीण कारीगर को उन्नत औजार किटों की आपूर्ति की योजना के अंतर्गत राज्यवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति (वर्ष 1995-96)

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	आबंटन	रिलीज (लाख रुपये में)	खर्च	लक्ष्य	कुल उपलब्धि (संख्या)
1.	आंध्र प्रदेश	181.870	369.180	231.84	10104	11592
2	अरुणाचल प्रदेश	9.710	9.000	20.20	539	1024
3.	असम	138.030	171.000	78.11	7668	5373
4.	बिहार	565.130	565.000	192.479	31396	10195
5.	गोवा	0.770	3.600	एन.आर.	200	एन.आर.
6.	गुजरात	98.400	98.000	106.16	5467	5880
7.	हरियाणा	57.870	93.000	175.46	3215	8985
8.	हिमाचल प्रदेश	31.200	31.500	एन.आर.	1733	एन.आर.
9.	जम्मू व कश्मीर	8.010	0.000	30.60	445	1842
10.	कर्नाटक	151.940	151.000	78.43	8441	4132
11.	केरल	89.630	128.500	157.85	4979	6251
12.	मध्य प्रदेश	364.840	360.000	शून्य	20269	शून्य
13.	महाराष्ट्र	222.020	401.940	598.97	12334	29032
14.	मणिपुर	19.210	18.000	शून्य	1067	शून्य
15.	मेघालय	19.080	18.000	18.63	1060	1186
16.	मिजोरम	0.430	0.000	28.952	24	1872
17.	नागालैंड	18.780	40.500	24.44	1044	1186
18.	उड़ीसा	334.330	308.080	160.59	18574	8586
19.	पंजाब	63.150	63.000	164.69	3508	9135
20.	राजस्थान	202.800	201.600	145.00	11267	3814
21.	सिक्किम	0.320	15.300	7.10	18	395
22.	तमिलनाडु	212.870	81.000	32.92	11826	1870
23.	त्रिपुरा	6.680	6.680	21.561	371	2835
24.	उत्तर प्रदेश	490.500	653.400	566.40	27250	28638
25.	पश्चिम बंगाल	211.730	203.400	26.60	11763	9693
26.	अण्ड. निको. द्वीप समूह	0.190	4.820	1.41	10	229
27.	दादर व नगर हवेली	0.130	0.000		7	
28.	दमन व द्वीव	0.060	0.000	0.38	3	एन.आर.
29.	लक्षद्वीप	0.020	0.000		1	
30.	पांडिचेरी	0.300	4.500	0.83	250	एन.आर.
	अखिल भारत	3500.000	4000.000	2869.542	194833	153655

एन.आर.–राज्य सरकार द्वारा सूचना नहीं दी गयी।

[हिन्दी]

गरीबी की रेखा से नीचे के लोग

5179. श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों के उत्थान के लिए न तो कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है और न ही इस उद्देश्य के लिए कोई बजटीय प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में कोई कार्यक्रम कब तक बनाया जायेगा तथा इस संबंध में राज्यों को कब तक धन उपलब्ध करा दिया जायेगा?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) जी, नहीं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित किये जा रहे प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं: (1) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), (2) जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), (3) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), (4) मिलियन वैल्स स्कीम (एम डब्ल्यू एस), और (5) रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) प्रमुख शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हैं। (1) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), (2) गरीबों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं (यूबीएसपी) और (3) प्रधान मंत्री का शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (प्रधानमंत्री का आई यू पी ई पी) चालू वित्त वर्ष के दौरान इन कार्यक्रमों के लिए बजटीय प्रावधान किये गये हैं, जिसके आधार पर राज्यों को निधियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति

5180. श्री मधुकर सर्पोतदार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ग्रेटर मुंबई में रसोई गैस डीलरों को अपर्याप्त संख्या में गैस सिलेंडरों की पूर्ति की जा रही है जिससे उपभोक्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो जनवरी से जून, 1996 में ग्रेटर मुंबई में उपभोक्ताओं की रसोई गैस सिलेंडरों की प्रति माह आवश्यकता कितनी थी और वास्तव में कितने गैस सिलेंडरों की पूर्ति की गई; और

(ग) सरकार द्वारा रसोई गैस सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त संख्या में आपूर्ति करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) ग्रेटर मुंबई में एल पी जी के उन वर्तमान उपभोक्ताओं की मांग कमोबेश पूर्णतया पूरी की जा रही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के यहां सूचीबद्ध हैं। तथापि, कभी-कभार होने वाले अस्थायी बैकलाग समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थित भरण संयंत्रों तथा बढ़ाए गए घंटों और रविवार एवं अवकाश के दिनों के दौरान एलपीजी भरण संयंत्रों के प्रचालन से आपूर्तियों द्वारा निपटाए जाते हैं।

स्वरोजगार

5181. श्री जार्ज फर्नान्डीज: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करें कि:

(क) क्या सरकार का देश के सर्वाधिक वंचित परिवारों के दस लाख युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे के साथ-साथ इसे लागू करने की समय-सीमा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम पर कुल कितना परिव्यय होगा;

(घ) इस कार्यक्रम को धनराशि उपलब्ध करवाने के साधन क्या हैं; और

(ङ) इस कार्यक्रम को लागू करने वाली एजेन्सी का नाम क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) भूतपूर्व प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के तहत उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा सिफारिश के अनुसार उद्योग मंत्रालय दो मिलियन रोजगार के सृजन के उद्देश्य के साथ खादी और ग्राम उद्योग क्षेत्र में विशेष रोजगार योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार अवसरों की इस संख्या के सृजन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए, निम्नलिखित नयी योजनाओं को शुरू किया गया है:

(1) **125 वरीयता विकास खण्ड कार्यक्रम:**

राष्ट्रपिता की 125वीं वर्षगांठ के स्मरणोत्सव को मनाने हेतु, यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1994 को शुरू किया गया था। इस योजना को 55,000 लोगों के रोजगार अवसरों के सृजन के उद्देश्य के साथ पूर्ण उत्साह से शुरू किया गया।

(2) **जिला विशेष रोजगार कार्यक्रम:**

कार्यक्रम में प्रति जिला 10,000 लोगों के लिए अधिकतम रोजगार सृजन के साथ, 3 वर्षों में देश भर के 71 जिलों के 5 लाख लोगों को कवर करने के लिए रोजगार सृजन को परिकल्पित किया गया है।

(3) **चमड़े पर राष्ट्रीय कार्यक्रम:**

कार्यक्रम 2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन हेतु 1997-98 तक 200 परियोजनाओं को लगाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 1996-97 में 50,000 कारीगरों को स्थायी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 50 परियोजनाओं को शुरू किया जाएगा।

(4) **हस्त-निर्मित कागज पर राष्ट्रीय परियोजना:**

कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की है। इस कार्यक्रम में 26,000 ग्रामीण लोगों, जिसमें 10,000 से अधिक महिलाएं होंगी, को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 460 नयी इकाइयों को बनाने की कल्पना की गई है।

(5) **मधु-मक्खी पालन पर राष्ट्रीय परियोजना:**

कार्यक्रम की अवधि 3 वर्ष की है। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन करने हेतु 96 जिलों में 129 परियोजनाओं को बनाने की कल्पना की गई है।

(ग) और (घ) इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, 5600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से दो-तिहाई संस्थागत वित्त से और शेष एक तिहाई भारत सरकार की बजटीय सहायता से लिया जाएगा। भारत सरकार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बैंकों के संकाय से ऋण प्राप्त करने के लिए खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र को सक्षम बनाने हेतु 1000 करोड़ रुपये की गारंटी की भी व्यवस्था करती है।

(ङ) इन कार्यक्रमों के लिए नॉडल एजेंसी खादी एवं ग्राम उद्योग क्षेत्र हैं, जो योजनाओं को ग्रामीण विकास गतिविधियों में लगे खादी एवं ग्राम-उद्योग क्षेत्र तथा राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्डों के साथ गैर-सरकारी संगठनों/जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी/अच्छे रिकार्ड वाले पंजीकृत संस्थानों की मार्फत क्रियान्वित करवाती है।

तेल टर्मिनल

5182. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम का विचार विजयवाड़ा, राजामुन्द्री, विशाखापत्तनम, काकीनाडा में तेल टर्मिनल तथा पेड्डापल्ली, कुडडुप्पा, निजामाबाद क्षेत्र और ओंगोल में बल्क डिपो बनाने का है; और

(ख) इन परियोजनाओं को कब शुरू किया जायेगा तथा परियोजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं का ब्यौरा और उनकी स्थिति निम्नवत् है-

स्थान	भण्डारण क्षमता	स्थिति	संपूर्ण होने की निर्धारित तिथि
विजयवाड़ा	50,000 कि.ली.	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
राजामुन्द्री	29,000 कि.लि.	भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
विशाखापट्टनम	60,000 कि.ली.	भूमि का पता लगाया जा रहा है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
काकीनाडा	60,000 कि.ली.	भूमि पर कब्जा ले लिया गया है।	1999 की समाप्ति तक
पेड्डापल्ली	7,200 कि.ली.	भूमि का पता लगाया जा रहा है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
कुडुप्पा	9,200 कि.ली.	भूमि का पता लगाया जा रहा है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
निजामाबाद	10,000 कि.ली.	भूमि का पता लगाया जा रहा है।	भूमि पर कब्जे के बाद 36 माह
ओंगोल	12,500 कि.ली.	कार्य प्रगति पर है।	अक्तूबर, 1997

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

5183. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम किन-किन राज्यों में शुरू किया गया है;

(ख) 15 अगस्त, 1995 के बाद उत्तर प्रदेश के किन-किन जिलों को कितनी-कितनी धनराशि जारी की गई;

(ग) क्या फतेहपुर और बाँदा जिले के अधिकारियों ने धनराशि निकाली है;

(घ) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों को फर्जी नामों पर धनराशि निकाले जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई जाँच की गई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 15.8.1995 से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) उत्तर प्रदेश के जिन जिलों को 15 अगस्त 1995 के बाद से निधियां रिलीज की गई हैं उनके नामों का विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) फतेहपुर और बांदा जिलों को रिलीज की गई निधियों के प्राप्त न होने के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) अभी तक ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) से (ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

1996-97 के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए प्रथम किश्त का जिला-वार विवरण

राज्य : उत्तर प्रदेश

क्रमांक	जिला	1996-97	
		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
1	2	3	4
1.	आगरा	95.69	28.50
2.	अलीगढ़	114.45	34.15
3.	ऐटा	78.37	23.30
4.	मैनपुरी	46.17	13.60
5.	फिरोजाबाद	52.89	15.93
6.	मथुरा	67.32	19.97
7.	इलाहाबाद	170.71	50.94
8.	फतेहपुर	66.36	19.69
9.	प्रतापगढ़	76.94	22.87
10.	कानपुर नगर	84.16	25.00
11.	कानपुर देहात	74.54	22.11
12.	इटावा	74.06	22.00
13.	फरुखाबाद	84.64	25.32
14.	फैजाबाद	102.91	17.22
15.	बहराइच	96.18	28.65
16.	गोंडा	123.57	37.04
17.	सुलतानपुर	88.96	26.49
18.	बाराबंकी	84.16	26.19
19.	गोरखपुर	105.79	31.84
20.	बस्ती	95.21	28.36
21.	देवरिया	84.64	25.32
22.	महांराजगंज	58.66	17.37
23.	सिद्धार्थनगर	59.62	17.66
24.	पडरौना	69.72	20.70
25.	आजमगढ़	109.64	[illegible]
26.	मऊ	50.49	15.05
27.	बलिया	78.86	23.44
28.	जौनपुर	111.55	33.30
29.	वाराणसी	100.98	30.24
30.	मिर्जापुर	57.71	17.22
31.	गाजीपुर	84.16	25.03

1	2	3	4
32.	सोनभद्रा	37.51	11.15
33.	भदोई	67.32	20.11
34.	लखनऊ	96.18	28.05
35.	हरदोई	95.21	28.51
36.	सीतापुर	98.58	29.67
37.	रायबरेली	80.79	24.03
38.	उन्नाव़	76.46	22.87
39.	लखीमपुर खेरी	84.16	25.02
40.	झांसी	50.01	14.76
41.	बांदा	64.92	17.80
42.	हमीरपुर	35.10	12.01
43.	जालौन	42.80	12.59
44.	ललितपुर	26.93	7.81
45.	मेरठ	119.74	35.75
46.	मुज़फरनगर	98.58	29.53
47.	बुलंदशहर	99.06	29.53
48.	गाजियाबाद	93.77	28.08
49.	सहारनपुर	80.31	23.89
50.	हरिद्वार	39.43	11.72
51.	बरेली	98.58	29.38
52.	बदायूं	85.11	25.32
53.	शाहजहानपुर	69.24	20.71
54.	पीलीभीत	44.72	13.31
55.	मुरादाबाद	142.80	42.69
56.	रामपुर	52.42	15.64
57.	बिजनौर	85.11	25.47
58.	पौड़ी गढ़वाल	24.04	7.09
59.	देहरादून	36.07	10.72
60.	टिहरी गढ़वाल	20.68	6.07
61.	चमोली	16.35	4.77
62.	उत्तर काशी	8.65	2.46
63.	नैनीताल	22.60	9.70
64.	अलमोड़ा	29.33	8.68
65.	पिथौरागढ़	10.20	5.79
66.	महोबा	16.83	6.22
67.	अम्बेडकर नगर	–	13.75
68.	उदम सिंह नगर	–	9.27
	योग	4808.70	1447.21

विवरण-II

उत्तर प्रदेश के जिलों के नाम जिनमें 15 अगस्त, 95 के बाद से राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की निधियां रिलीज की गई, का विवरण

क्र.सं.	जिला	रिलीज		
		राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना
1	2	3	4	5
				(लाख रुपये में)
1.	आगरा	113.23	56.33	35.08
2.	अलीगढ़	135.71	56.33	42.03
3.	अहमदाबाद	202.64	56.33	62.80
4.	अल्मोड़ा	34.47	21.88	10.85
5.	अम्बेदकर नगर	129.86	56.88	16.87
6.	आजमगढ़	129.86	56.33	40.16
7.	बदायूं	100.83	56.33	31.38
8.	भड़ौच	119.07	56.33	35.29
9.	बलिया	31.20	56.33	28.80
10.	बांदा	76.67	43.33	21.85
11.	बाराबांकी	99.77	56.33	30.97

1	2	3	4	5
12.	बरेली	116.73	56.33	36.15
13.	बस्ती	112.80	56.33	34.87
14.	बदोही	80.06	43.33	24.79
15.	बिजनौर	101.12	56.33	31.38
16.	बुलंदशहर	117.36	56.33	36.36
17.	चमौली	23.99	21.88	5.87
18.	देहरादून	42.26	43.33	13.21
19.	देवरिया	100.54	56.33	31.09
20.	एटा	97.69	56.33	28.58
21.	इटावा	87.50	56.33	27.07
22.	फैजाबाद	122.63	56.33	21.22
23.	फरूखाबाद	100.46	56.33	31.09
24.	फतेहपुर	78.21	43.33	24.27
25.	फिरांजाबाद	68.38	43.33	19.70
26.	गाजीपुर	99.51	56.33	30.77
27.	गाजियाबाद	111.37	56.33	34.85
28.	गोंडा	152.38	56.33	45.50
29.	गोरखपुर	126.25	56.33	39.21
30.	हमीरपुर	600.38	43.33	14.94
31.	हरदोई	113.10	56.33	35.18
32.	हरिद्वार	51.55	43.33	14.52
33.	जालौन	50.20	43.33	15.57
34.	जौनपुर	132.38	56.33	40.94
35.	झांसी	58.88	43.33	18.39
36.	कानपुर देहात	88.04	56.33	27.30
37.	कानपुर नगर	99.56	56.33	30.87
38.	लखीमपुर खेरी	99.61	56.33	30.97
39.	ललित पुर	35.87	21.87	9.53
40.	लखनऊ	113.79	56.33	35.18
41.	महाराजगंज	69.01	43.33	21.32
42.	महूबा			11.48
43.	मेनपुरी	54.23	43.33	16.77
44.	मथुरा	79.51	43.32	24.67
45.	मऊ	59.55	43.33	18.40
46.	मेरठ	141.97	56.33	44.39
47.	मिर्जापुर	68.25	43.33	21.12
48.	मुरादाबाद	169.70	56.33	52.82
49.	मुजफ्फरनगर	117.07	56.33	36.36
50.	नैनीताल	62.41	43.33	12.11
51.	पदरौना	82.28	43.33	25.44
52.	पौड़ी गढ़वाल	33.40	21.88	08.91
53.	पीलीभीत	58.11	43.33	16.45
54.	पिथौरागढ़	23.33	21.88	7.39
55.	प्रतापगढ़	96.28	56.33	28.20
56.	रायबरेली	95.24	56.33	29.65
57.	रामपुर	61.85	43.33	19.28
58.	सहारनपुर	95.08	56.33	29.92
59.	शाहजहाँपुर	81.82	43.33	25.52
60.	सिद्धार्थनगर	70.34	43.33	21.85
61.	सीतापुर	117.67	56.33	30.03
62.	सोनभद्र	49.54	43.33	13.75
63.	सुलतानपुर	105.40	56.33	32.70
64.	टिहरी गढ़वाल	23.91	21.88	7.60
65.	उद्यमसिंह नगर			77.81
66.	उन्नाव	90.60	56.33	28.13
67.	उत्तर काशी	15.13	21.88	3.25
68.	वारानसी	120.10	56.33	37.15
	कुल	5727.83	3147.28	1777.92

[अनुवाद]

पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र

5184. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1995 के दौरान महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में चल रहे पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों का राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस की एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गये हैं और उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) वर्ष 1995 के दौरान देश में कदाचार में लिप्त पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान गुजरात में एक खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप तथा तीन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप (गुजरात, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश राज्य प्रत्येक में एक) समाप्त की गई थीं।

चूककर्ता अन्य डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध बिक्रियों के निलम्बन, चेतावनी पत्र जारी करने, जिला प्राधिकारियों द्वारा बिक्री लाइसेंसों के निलंबन, जुर्माना लगाने आदि जैसी कार्रवाइयां की गई थीं।

विवरण

देश में गलत ढंग से चल रहे पेट्रोल/डीजल के बिक्री केन्द्रों तथा एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गलत ढंग से चल रहे बिक्री केन्द्रों की संख्या	गलत ढंग से चल रही एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या
1	2	3
आंध्र प्रदेश	15	38
असम	1	3
बिहार	10	22
गोआ	1	1
गुजरात	71	33
हरियाणा	25	17
हिमाचल प्रदेश	1	1
जम्मू और कश्मीर	–	2
कर्नाटक	14	14
केरल	4	11
मध्य प्रदेश	19	30
महाराष्ट्र	35	41
उड़ीसा	9	5
पंजाब	48	19
राजस्थान	66	19
सिक्किम	–	1
तमिलनाडु	12	8
त्रिपुरा	–	1
उत्तर प्रदेश	80	105
पश्चिम बंगाल	14	15
चंडीगढ़	–	6
दिल्ली	31	31

सरकारी उपक्रमों के सतर्कता विभाग को स्वतंत्रता

5185. श्रीमती मीरा कुमार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्पनी, निगम तथा अन्य सरकारी उपक्रमों के सतर्कता विभाग उनके प्रबंध निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं; और

(ख) क्या उन्हें अपने वरिष्ठ अफसरों के भ्रष्टाचार के मामले की जांच करनी होती है तथा संबद्ध मंत्रालय तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को रिपोर्ट करनी होती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में मुख्य सतर्कता अधिकारी साधारणत: संगठन के अध्यक्ष को रिपोर्ट करते हैं।

(ख) उनके संगठन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा तथा दक्षता बनाए रखने की मुख्य जिम्मेदारी मंत्रालय के सचिव अथवा विभागाध्यक्ष/संगठन के अध्यक्ष की होती है। इन संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी सभी मामलों में संगठन के अध्यक्ष के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं और वे अपने मंत्रालयों/विभागों/संगठनों और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।

[हिन्दी]

पेयजल आपूर्ति

5186. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों में पेयजल आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए विश्व बैंक तथा अन्य विदेशी संस्थाओं/संगठनों से वित्तीय सहायता भी दिल्ली सरकार को दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) दिल्ली के निवासियों के लिए पेयजल आपूर्ति को सुधारने के लिए दिल्ली जल आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन संस्थान द्वारा निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

अल्पकालिक उपाय

(1) नांगलोई में एक 40 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र निर्माणाधीन है। शीघ्र ही निर्माण कार्य पूरे होने की आशा है।

(2) बवाना में 20 एम.जी.डी. जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए निविदाएं पुन: आमंत्रित की गई हैं।

(3) जल आपूर्ति में वृद्धि करने हेतु दो रैनी कुओं को चालू कर दिया है तथा तीसरे की सफाई तथा परीक्षण किया जा रहा है।

दीर्घकालिक उपाय

दिल्ली सहित पाँच तटवर्ती राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे के लिए 12.5.94 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस करार के अनुसार दिल्ली को यमुना नदी पर रेणुका, लखवार व्यासी तथा किशाऊ बांधों के पूरा हो जाने पर 0.724• बी.सी.एम. (उपभोग्य) अथवा 2000 क्यूजेक कच्चा पानी मिलेगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तालचेर ताप विद्युत परियोजना

5187. श्री देवी बक्स सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का तालचेर ताप विद्युत घर का अधिग्रहण करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जायेंगे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी) ने पहले ही उड़ीसा सरकार से 460 मेगावाट क्षमता वाले तालचेर ताप विद्युत केन्द्र का 3 जून, 1995 से अधिग्रहण कर लिया है।

असम में सड़कों को पक्का करना

5188. डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री इलियास आजमी:
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार तथा वर्ष-वार सड़कों के लिए कितना आवंटन किया गया;

(ख) उत्तर प्रदेश में कितने गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में कितने और गांवों को सड़कों से जोड़ा जाना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) सड़कों और पुलों (राज्य क्षेत्र) के संबंध में योजना परिव्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण–I

सड़कों और पुलों (राज्य क्षेत्र) के संबंध में परिव्यय

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	1993-94	1994-95	1995-96
		परिव्यय	परिव्यय	परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	10424	8546	9096
2.	अरुणाचल प्रदेश	7757	8254	9431
3.	असम	5200	6200	10102
4.	बिहार	24481	24481	17728
5.	गोवा	1460	1500	1750
6.	गुजरात	7000	8417	10117
7.	हरियाणा	2112	2258	2500
8.	हिमाचल प्रदेश	5400	6485	7068
9.	जम्मू और कश्मीर	5740	6518	6581
10.	कर्नाटक	9750	15050	12384
11.	केरल	5720	7000	9450
12.	मध्य प्रदेश	7300	7300	6276
13.	महाराष्ट्र	15292	22795	42655
14.	मणिपुर	2855	2712	4125
15.	मेघालय	5260	5300	6900
16.	मिजोरम	2175	2175	2200
17.	नागालैण्ड	2260	2410	2710
18.	उड़ीसा	14380	18945	15183
19.	पंजाब	2500	2683	4710
20.	राजस्थान	8100	13700	22000
21.	सिक्किम	1600	1440	1656
22.	तमिलनाडु	11000	12327	15620

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	1950	2034	2925
24.	उत्तर प्रदेश	37141	39900	43800
25.	पश्चिम बंगाल	3842	5928	11520
	कुल (राज्य)	200699	234358	278487
संघ शासित क्षेत्र				
26.	अंदमान व निकोबार द्वीप समूह	1440	1482	1883
27.	चण्डीगढ़	40	45	45
28.	दादरा व नगर हवेली	200	295	368
29.	दमन व दीव	189	213	254
30.	दिल्ली	12445	13950	16675
31.	लक्षद्वीप	70	75	82
32.	पाण्डिचेरी	506	650	950
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	14860	16710	28257
कुल (राज्य और संघ शासित क्षेत्र)		215559	251068	298744

विवरण-II

उत्तर प्रदेश राज्य में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सड़कों को गांवों से जोड़ना

(31.3.1995 तक की स्थिति)

(संख्या)

जनसंख्या सहित श्रेणी	गांवों की कुल संख्या (जनगणना 1981)	31.3.92 तक जोड़े गए गांव	1992-93 उपलब्धि	1993-94 उपलब्धि	1994-95 संभावित उपलब्धि	1995-96 लक्ष्य	1995-96 के अंत तक जोड़े जाने वाले अनुमानित गांवों की संख्या	जोड़े जाने वाले बकाया गांव
1500 और उससे ऊपर	15574	13450	79	81	50	93	13753	1821
1000-1500	13737	7513	109	87	175	200	8084	5653
1000 से नीचे	83255	31661	224	601	370	207	33063	50192
कुल	112566	52624	412	769	595	500	54900	57666

रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र

5189. श्री उत्तम सिंह पवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र के जालना जिले में रसोई गैस बाटलिंग संयंत्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) फिलहाल महाराष्ट्र के जालना जिले में एल पी जी भराई संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) निकटवर्ती खपत क्षेत्रों में पैक्ड एल पी जी की मांग संभाव्यता पर विचार करने के बाद तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर भराई संयंत्र लगाए जाते हैं। भरपाई संयंत्रों की योजना मांग केन्द्रों/राज्यों में अधिशेष/कम भराई क्षमताओं के आधार पर बनाई जाती है। भराई संयंत्रों को लगाने के लिए परिवहन लागत की मितव्ययिता पर भी विचार किया जाता है। उद्योग द्वारा योजनाबद्ध व वर्तमान संयंत्रों में जालना तथा महाराष्ट्र के अन्य मांग केन्द्रों की आवश्यकता को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता होगी।

[हिन्दी]

ओवरसीज डेवलपमेन्ट अथारिटी

5190. श्री नामदेव दिवाथे: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से ओवरसीज डेवलपमेंट अथारिटी द्वारा मलिन बस्तियों, सड़कों, गरीबों के लिए आवास और जल निकासी सुविधाओं में सुधार करने के लिए निधि मंजूर किये जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी हां। केन्द्र सरकार ने वर्ष 1991-92 में ओडीए (यू.के.) की सहायता प्राप्त करने के लिए नागपुर, पुणे तथा नान्देड़ के संबंध में तीन परियोजना प्रस्ताव प्राप्त किए। हालांकि उस समय कलकत्ता, हैदराबाद, इन्दौर, विजयवाड़ा तथा विशाखापत्तनम में चल रही परियोजनाओं के अलावा ओडीए (यू.के.) कोई अन्य परियोजना आरंभ करने का इच्छुक नहीं था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991-92 के मार्गनिर्देशों के अनुसार, सरकार बाह्य सहायता हेतु केवल एक परियोजना का समर्थन कर सकती थी; अतः महाराष्ट्र सरकार से नागपुर, पुणे और नान्देड़ कस्बों में से अपनी प्राथमिकता बताने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र में नागपुर कस्बे को चुना। इस परियोजना के लिए संघ सरकार तथा जर्मन गणराज्य के बीच समझौता प्रारूप विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है।

पेट्रोलियम उत्पाद

5191. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:
श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल:
श्री चर्चिल अलेमाओ:
श्री बनवारी लाल पुरोहित:
श्री भक्त चरण दास:
श्रीमती सुषमा स्वराज:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग और उत्पादन कितना था;

(ख) क्या इन उत्पादों की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2000 तक पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग कितनी होगी;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मांग को पूरा करने के लिए इसका काफी मात्रा में आयात करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर आगामी दो वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा के खर्च होने की संभावना है; और

(च) कच्चे तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों की कुल मांग व उत्पादन निम्नवत् है:

वर्ष	पेट्रोलियम उत्पाद		गत वर्ष की तुलना में मांग में वृद्धि प्रतिशत
	उत्पादन	खपत	
	(मि. मी. टन)		
1993-94	51.084	60.812	3.2
1994-95	52.927	65.487	7.7
1995-96*	55.067	72.358	10.5

*अनंतिम

(ग) वर्ष 2000-01 तक पेट्रोलियम उत्पादों की मांग तथा रिफाइनरी थुपुट के अनुसार क्रुड की अनुमानित मांग निम्न प्रकार से आंकलित की गई है:-

	(आंकड़े मि. मी. ट. में) (अनुमानित)
क्रुड थुपुट	93.67
पेट्रोलियम उत्पाद मांग	106.8

(घ) और (ङ) अगले दो वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा की मांग निम्नलिखित पर निर्भर होगी:

(1) कच्चे तेल व पेट्रोलियम उत्पादों का देशी उत्पादन।

(2) पेट्रोलियम उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य।

(3) अगले दो वर्षों के लिए पी ओ एल की मांग, वार्षिक तेल किफायती बजट के आधार पर निर्धारित की गई है।

(च) सरकार ने शोधन क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शोधन क्षेत्र में गैर-सरकारी निवेश की अनुमति दी है।

भारतीय और विदेशी कम्पनियों को इस बात की इजाजत दे दी गई है कि वे भारत में हाइड्रोकार्बनों की खोज करें और कुछ छोटे आकार के तथा कुछ मध्यम आकार के तेल क्षेत्रों का विकास करें। यह कार्य देश में अन्वेषण की गति को अधिक तेज करने तथा जहां कहीं लागू हो नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए तेल क्षेत्रों के तीव्र विकास के लिए आवश्यक था।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता

5192. श्री रमेश चेन्नितला:
श्री सत्यदेव सिंह:
श्री नन्द कुमार साय:
श्री मदन पाटिल:
श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जापान की सहायता से कुछ विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी तथा ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थापित की जाएंगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) ओवरसीज इकोनोमिक्स कोओरपरेशन फण्ड (ओईसीएफ) जापान ने वर्ष 1996-97 ऋण पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने हेतु विचार-विमर्श संबंधी कार्य वृत्तों का मूल्यांकन किया है तथा हाल ही में इन पर हस्ताक्षर किए हैं:-

(1) धौलीगंगा पारेषण प्रणाली (उत्तर प्रदेश) और पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जालंधर (पंजाब)-हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) पारेषण प्रणाली।

(2) पं. बंगाल की पारेषण प्रणाली को सशक्त बनाना।

(3) उमियम चरण-1 विद्युत स्टेशन (36 मे.वा.) मेघालय की नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजना।

(4) तुरियल जल-विद्युत परियोजना (60 मे.वा.) मिजोरम।

(5) सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (1000 मे.वा.) आंध्र प्रदेश।

वर्ष 1997-98 ऋण पाकेज के अंतर्गत निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं के लिए ओ.ई.सी.एफ., जापान की ऋण सहायता प्राप्त करने हेतु इन्हें प्रस्तुत करने के वास्ते विद्युत मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को सिफारिशें भेजी हैं:-

(1) विशाखापट्टनम टीपीएस (आंध्र प्रदेश) से विद्युत निकासी करने के लिए पारेषण स्कीम।

(2) सिम्हाद्री टीपीएस (आंध्र प्रदेश) से विद्युत निकासी करने के लिए पारेषण स्कीम।

(3) तुबई एचईपी (3×70 मे.वा.)-(मिजोरम)।

(4) बन्देल टीपीएस (4×80 मे.वा.) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण-(पश्चिम बंगाल)।

(5) तीन छोटी स्कीमें यथा-संथालदीह टीपीएस (4×120 मे.वा.) का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, जलढाका एचईपी चरण-1 (9 मे.वा.) और 2 (4 मे.वा.) प्रत्येक में यूनिट की अभिवृद्धि तथा रम्मम चरण-2 (4 × 12.5 मे.वा.) (पश्चिम बंगाल) में अंतर्ग्रहण एवं अवनालिका मार्ग का निर्माण।

उप सचिवों का पैनल

5193. श्री मोहन रावले: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रेणी-1 के केन्द्रीय सचिवालय सेवा अफसरों की उपसचिवों की श्रेणी का पैनल 1993 से अब तक तैयार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके बिना प्रोन्नति के योग्य अवर सचिवों को प्रोन्नति नहीं मिल पाई है;

(ग) क्या इन अफसरों को प्रोन्नति न मिल पाने के कारण उपसचिवों की चालू रिक्तियों को अखिल भारतीय सेवाओं के अफसरों द्वारा भरा गया है; और

(घ) इन रिक्तियों को अवर सचिवों की श्रेणी वाले अफसरों को प्रोन्नति करके भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) से (घ) अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वरिष्ठता सूची से संबंधित कानूनी विवाद के कारण तथा अवर सचिवों के ग्रेड में आरक्षण प्रावधान के कार्यान्वयन की विधियों के संबंध में कानूनी स्पष्टीकरण प्राप्त करने की आवश्यकता के कारण केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की प्रवर सूची 1993 के पश्चात् जारी नहीं की जा सकी। 1993 की चयन ग्रेड प्रवर सूची अक्टूबर 1995 में जारी सूची की आंशिक सूची थी जिसमें 24 अधिकारी थे। इनमें से, 21 अधिकारियों को पहले ही उप सचिव अथवा समकक्ष पदों पर नियुक्त कर दिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय में उप सचिव के पद, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस योजना के अंतर्गत, सभी सहभागी संवर्गों—अखिल भारतीय सेवाओं/केन्द्रीय सेवाएं समूह "क"/केन्द्रीय सचिवालय सेवा—से प्रतिनियुक्ति—प्रस्ताव पर रखे अधिकारियों पर, उपलब्ध रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु विचार किया जाता है।

अवर सचिव के ग्रेड की वरिष्ठता सूची बनाने के लिए आरक्षण सिद्धांतों को किस प्रकार लागू किया जाना है, इस संबंध में कानूनी स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तत्काल प्रयास किये गये हैं।

कर्मचारियों को पेंशन

5194. श्री प्रमथेस मुखर्जी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग अथवा उद्योग निदेशालय के कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अनेक मामलों को निपटाया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) भारतीय संविधान के उपबंधों के तहत राज्य पेंशन, संबंधित राज्य सरकारों का विषय है। अतः यथा अपेक्षित सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

रत्ना-आर तेल क्षेत्र

5195. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्ना-आर शृंखला के तेल क्षेत्रों को एस्सर-प्रीमियर आयल कम्बाइन को सौंपने का निर्णय तकनीकी मूल्यांकन समिति और शक्तिप्राप्त समिति द्वारा पूर्वनिर्धारित था;

(ख) क्या दो समितियों के उक्त पूर्व निर्धारित कार्य से सरकार को 500 मिलियन अमरीकी डालर से भी अधिक का खर्च उठाना पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसमें किसी प्रकार की अनियमितताएं शामिल थीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने का निदेश दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

विदेशी सहायता से आवास योजना

5196. श्री आनन्द रत्न मौर्य: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशी सहायता से आवास योजनाओं को चालू करने संबंधी प्रस्तावों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विदेशी सहायता को किस प्रकार उपयोग में लाने की संभावना है;

(ग) किन देशों ने भारत को ऐसी सहायता देने की पेशकश की है और उनके निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) क्या स्वदेशी फर्मों से इस प्रकार के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी शर्तें क्या हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) से (ङ) आवास निर्माण/उन्नयन क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव विभिन्न बाह्य सहायता वित्त पोषण करने वाली एजेंसियों जैसे के एफ डब्ल्यू (पुनर्निर्माण के लिए जर्मन बैंक) और एशियन विकास बैंक (ए. डी. बी.) मनीला को प्रस्तुत किये गये हैं:-

हुडको के. एफ. डब्ल्यू.-VI

अप्रैल 1995 में आयोजित इंडो-जर्मन एनुअल एंड निगोशिएशन के दौरान जर्मन सरकार ने हुडको की ई. डब्ल्यू. एस. आवास योजनाओं के लिए 50 मिलियन डी एम (38 मिलियन डी एम अनुदान सहित) की सहायता देने का आश्वासन दिया था। यह परियोजना औपचारिक रूप में दिसम्बर 1995 में जर्मन सरकार को प्रस्तुत की गई थी और इस पर उनका अनुमोदन अभी होना है।

हुडको के. एफ. डब्ल्यू.-VII

भारत जर्मन द्विपक्षीय सहायता के अंतर्गत भारत को वर्ष 1996-1997 के अंतर्गत सहायता आवंटन हेतु शामिल करने के लिए 150 बिल्डिंग सेंटरों और मोबाइल बिल्डिंग सेंटरों को वित्त पोषित किये जाने हेतु हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से 10 मिलियन डी.एम. की अनुदान सहायता की मांग का प्रस्ताव किया गया है। वित्त पोषण करने वाली एजेंसी की प्रतिक्रियाएं अभी आनी हैं।

हुडको के. एफ. डब्ल्यू.-VIII

भारत-जर्मन द्विपक्षीय सहायता के अंतर्गत भारत को वर्ष 1996/1997 के अंतर्गत सहायता आवंटन हेतु शामिल करने के लिए शहरी/ग्रामीण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय स्कीमों हेतु 44,000 आवासीय इकाइयों और 10,000 इकाइयों के उन्नयन/झोपड़पट्टियों के सुधार के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (हुडको) को अनुदान/आसान शर्तों पर 50 मिलियन डी.एम. के रूप में सहायता। वित्त पोषण करने वाली एजेंसी की प्रतिक्रियाएं अभी आनी हैं।

एच डी एफ सी-के. एफ. डब्ल्यू.-IX

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाईयों के निर्माण/उन्नयन/विस्तार तथा पूरक अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाएं शुरू करने, आय के साधनों का वित्त पोषण, झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों के लिए आवास निर्माण के उपायों का वित्त पोषण और बिल्डिंग सेंटरों का वित्त पोषण करने के लिए के.एफ.डब्ल्यू. से वित्तीय सहायता की मांग करने वाला एक अनंतिम प्रस्ताव हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी.) से प्राप्त हुआ है जो भारत जर्मन द्विपक्षीय सहायता के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। वित्त पोषण करने वाली एजेंसी की प्रतिक्रियाएं अभी आनी हैं।

तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड (टीएनएचबी) को ए.डी.बी. सहायता

36 परियोजना नगरों में घरों के निर्माण और अवसंरचना-विकास के लिए 381.11 करोड़ रुपये की ए.डी.बी. ऋण सहायता की मांग करने वाली परियोजना का खाका ए.डी.बी. के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वित्त पोषण करने वाली एजेंसी की प्रतिक्रियाएं अभी आनी हैं।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

5197. **कुमारी सुशीला तिरिया:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपये तक की लागत वाली विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की छंटनी में छूट देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति की अपेक्षाओं के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के आधार पर ठेके पर दी गयी विद्युत परियोजनाओं की परियोजना लागत सीमा को 400 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया है। आवश्यक अधिसूचना जारी किये जाने के प्रक्रियाधीन है।

तेल क्षेत्र

5198. **डा. अरविन्द शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्चा तेल निकालने हेतु छः कंपनियों को एक तेल क्षेत्र का आबंटन किया था जिसमें ओ एन जी सी द्वारा 1200 करोड़ रुपये व्यय करके कच्चे तेल की खोज की गई थी;

(ख) सरकार तथा ओ एन जी सी द्वारा इन छः कंपनियों से उन्हें उक्त तेल क्षेत्र आबंटित करने के लिए कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) यदि नहीं, तो 1200 करोड़ रुपये का घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस घाटे के कारणों का पता लगाने के लिए किसी उपयुक्त एजेंसी द्वारा कोई जांच कराने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) खोजा गया कोई भी तेल क्षेत्र छः कंपनियों के किसी परिसंघ को नहीं दिया गया है। तथापि, भारत सरकार ने 6 मध्यमाकारीय तथा 13 लघु आकारीय तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास से संबंधित संविदायें विभिन्न परिसंघों को एवार्ड की हैं। इन क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बोली के माध्यम से एवार्ड किया गया है। इन बोलियों में हस्ताक्षर एवं उत्पादन अधिलाभ वाली योग्य मदें हैं तथा तत्संबंधित आमदें आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन को जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जहां कहीं भी परियोजना की अर्थव्यवस्था ऐसी अनुमति देती है, आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा विगत में किये गये खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अलग से व्यवस्था की जाती रही है।

(घ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने खोजे गए मध्यमाकारीय पन्ना-मुक्त क्षेत्रों से संबंधित संविदा एवार्ड के मामले में प्राथमिक जांच आरम्भ कर दी है।

न्यूनतम साझा कार्यक्रम

5199. श्री काशीराम राणा: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सी.आई.टी. के बारे में कोई उल्लेख नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.आई.टी. का विगठन कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो 1996-97 के लिए बजट में इस कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि के आबंटन के लिए प्रावधान न किये जाने के क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) यह स्पष्ट नहीं है कि सी.आई.टी. से तात्पर्य क्या है। स्पष्टता के अभाव में योजना आयोग प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ है।

सियाचिन नदी बेसिन

5200. श्री पी. नामग्याल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श में नुब्रा (लद्दाख) में भूमि के कटाव को रोकने और उक्त नदी के दोनों ओर बसे अनेक गांवों और सियाचिन नदी बेसिन और उक्त घाटी में व्यापक जंगलों और चारागाह भूमि को बचाने के लिए सियाचिन नदी को ठीक करने के लिए एक व्यापक परियोजना तैयार की है;

(ख) क्या सियाचिन नदी के कटाव के रुझान का अध्ययन करने के लिए 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में पुणे में रेत के परिरूप का अध्ययन कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) सी.डब्ल्यू.पी.आर.एम., पुणे के साथ परामर्श करके मॉडल अध्ययन चल रहा है।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों के लिए मकान

5201. श्री महावीर लाल विश्वकर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए मकान बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान इस संबंध में "हुडको" द्वारा की जाने वाली प्रस्तावित वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) 1996-97 के दौरान बिहार राज्य में विभिन्न एजेंसियों द्वारा हडको ऋण हेतु की गई कुल मांग 39.46 करोड़ रुपये है जिसमें से 22.06 करोड़ रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और 2.47 करोड़ रुपये निम्न आय वर्ग आवास के लिए हैं।

राज्य में एजेंसियों की पिछली कार्य निष्पत्ति, लाभार्थियों से वसूली और अन्य संगत कारकों को देखते हुए चालू वित्त वर्ष के लिए हडको ने कुल 41.71 करोड़ रुपये के ऋण को आबंटित करने का प्रस्ताव किया है जिसमें से 25.09 करोड़ रुपये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग आवास के लिए हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियां

5202. श्री आर. देवदास: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आ जाने की वजह से सरकारी क्षेत्र की चार तेल कंपनियों अर्थात आई ओ सी, एच पी

सी एल, बी पी सी, और आई बी पी का बाजार शेयर 1990 में 90 प्रतिशत से घटकर 1995 में 59 प्रतिशत ही रह गया है;

(ख) यदि हां, तो इन चारों कंपनियों के बाजार शेयर में बढ़ोतरी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) बाजार शेयर में कमी आ जाने की वजह से लाभ पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस कमी की वजह से राजकोष में कितना नुकसान हुआ है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं। चार सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों नामतः आई ओ सी, एच.पी सी एल, बी पी सी एल और आई बी पी का बाजार हिस्सा स्नेहक क्षेत्र के उदारीकरण और उसके परिणामस्वरूप बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित निजी पक्षकारों के प्रवेश के कारण केवल स्नेहक बाजार में ही 1991-92 में 91 प्रतिशत से घटकर 1994-95 में 69 प्रतिशत रह गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के बाजार हिस्से में कमी का इन कंपनियों के कुल पेट्रोलियम उत्पादों के बाजार हिस्से पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने और स्नेहक बाजार के उनके खोए हिस्से को पुनः प्राप्त करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिए दिसम्बर, 1993 से स्वदेशी स्नेहक बेस तेल का मूल्य निर्धारण आयात समतुल्यता के आधार पर किया गया तथा अब उन्हें स्नेहक आधारित तेलों और स्नेहकों का विपणन, मुक्त व्यापार उत्पादों के रूप में बाजार आधारित मूल्यों पर करने की अनुमति है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां भी ग्राहकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हुए बाजार में प्रतिस्पर्धारित हैं।

(ग) प्रत्येक उत्पाद के लिए लाभ की गणना अलग अलग नहीं की जाती। परन्तु मूल्य निर्धारण, निर्माण लागत आदि के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करके सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने स्नेहकों पर लाभप्रदता में सुधार सुनिश्चित कर लिया है।

(घ) राजकोष में कोई घाटा प्रत्याशित नहीं है क्योंकि सरकारी राजस्वों के रूप में उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क जैसे सांविधिक उपग्रहण सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों और निजी क्षेत्र की कंपनियों पर समान रूप से लागू हैं।

किसानों को ऋण

5203. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सब्जियां निर्धन छोटे किसानों द्वारा उगाई जाती हैं;

(ख) क्या सरकार द्वारा उन्हें वरीयता के आधार पर और कम दर पर ऋण प्रदान करने के कोई प्रावधान नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उन्हें आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत छोटे तथा सीमान्त किसानों को सहायता दी जाती है जिसमें सब्सिडी तथा बैंक ऋण दोनों शामिल हैं ताकि वे आर्थिक गतिविधियां शुरू कर सकें जिसमें कृषि क्षेत्र की गतिविधियां भी शामिल हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सब्जियों को उगाना भी एक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा चलाये जा रहे विद्यालय

5204. **श्री रनजीब बिसवाल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठनों द्वारा चलाये जा रहे कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों को आरंभिक कक्षाओं से ही आतंकवाद फैलाने की शिक्षा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे हमारी आने वाली पीढ़ी के गुमहराह हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है;

(घ) क्या इससे हमारी शान्ति, कानून और व्यवस्था खतरे में पड़ गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उपरोक्त विद्यालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) से (ङ) सरकार को उन रिपोर्टों की जानकारी है जिनमें कुछ स्कूलों को जमात-ए-इस्लामी, जम्मू व कश्मीर, इत्यादि जैसे पृथकतावादी/उग्रवादी संगठनों के संरक्षण में चलाया जा रहा है जिनका लक्ष्य राज्य में युवकों को अपने सिद्धान्तों की शिक्षा देना है। राज्य सरकार को इस मामले के बारे में नियमित रूप से सुग्राही बनाया जाता है तथा ऐसे संगठनों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार दबाव बनाए रखा जाता है। नियमित शैक्षणिक संस्थानों को सक्रिय बनाने और उनके कार्यकरण में सुधार लाने के प्रयास भी किये गये हैं जोकि अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे स्कूलों से बच्चों को दूर रखेंगे।

सिलिंडर और भंडारण प्रभाग की बिक्री

5205. **स्वामी सच्चिदानन्द साक्षी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बोमर लॉरी सिलिंडर और भंडारण प्रभाग, मथुरा इकाई को निजी कंपनी को बेचे जाने की जानकारी है;

(ख) क्या बोमर लॉरी के मथुरा इकाई की चल/अचल संपत्ति का बिक्री से पूर्व मूल्यांकन किया गया था और यदि हां, तो इसकी राशि क्या थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन इकाईयों के मजदूरों के हितों की सुरक्षा और उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। 75 लाख रु.।

(ग) चार्टर्ड एकाउण्टेंटस की एक प्रतिष्ठित फर्म द्वारा मूल्यांकन किया गया था, जिन्हें इस इकाई का एक चलती हुई इकाई के रूप में मूल्यांकन करने के लिए कहा गया था।

(घ) चलती हुई इकाई के रूप में इसकी बिक्री की गई थी साथ ही इसमें यह शर्तें अनुबंधित थी कि उ.प्र. औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 6 (0) के उपबंधों के अनुसार कामगारों की सेवाओं में निरंतरता बनाए रखते हुए मौजूदा शर्तों पर इन सभी की सेवाएं स्थानांतरित की जाएंगी।

विद्युत शुल्क

5206. **श्री मृत्युंजय नायक**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में विद्युत शुल्क में वृद्धि करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में विद्युत की खपत में कमी करने के लिए एअर कंडीशनर और "निऑन लाइट होर्डिंग" के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सुकदेव मार्किट, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली जैसे स्थानों पर वेल्डिंग कम्प्रेशर (कारों और स्कूटरों पर पेंट करने के लिए) सर्विस स्टेशन एअर मशीन आदि जैसी भारी मशीनों का संचालन घरेलू बिजली में किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो बिजली की चोरी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और इन औद्योगिक एककों को बन्द कराने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में बिजली की चोरी पर पूर्णतः नियंत्रण कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं। दिल्ली में विद्युत टैरिफ में वृद्धि किये जाने से संबंधित कोई भी प्रस्ताव विद्युत मंत्रालय के पास नहीं है।

(ख) दिल्ली में विद्युत की कमी को देखते हुए डेसू ने सायंकालीन व्यस्ततम घंटों (5.30 अपराह्न-10.30 अपराह्न) के दौरान वातानुकूलन विद्युत भारों इत्यादि के प्रयोग किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) से (ङ) अगस्त, 1996 के दौरान मारे गये छापों में डेसू ने सुखदेव मार्किट, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली में बिजली की चोरी व बिजली का दुरुपयोग किये जाने के चंद मामले पकड़े हैं। विद्युत आपूर्ति का दुरुपयोग करने में लिप्त पाए गए उपभोक्ताओं पर 50% अधिभार लगाकर समुचित उच्च टैरिफ वसूल कर उन्हें दंडित किया जाता है। डेसू ने दिल्ली में अपने विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की चोरी तथा नियमों के उल्लंघन संबंधी अन्य मामलों के विरुद्ध अपना अभियान चला रखा है।

जवाहर रोजगार योजना

5207. **डा. बलिराम:**
श्री ललित उरांव:
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री बी. धर्म भिक्षम:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संबंधित राज्यों में जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के बारे में किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस संबंध में की गई कार्यवाही से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) से (घ) जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों की प्रकृति सामान्यतः निधियों के दुरुपयोग से संबंधित होती है। चूंकि कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/राज्य सरकारों की होती है अतः ऐसी शिकायतें आवश्यक जांच तथा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई के लिए उनके पास भेज दी गई हैं।

तेल भण्डारण की सुविधा

5208. **श्री प्रहलाद सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन स्थानों पर भारत पेट्रोलियम, इंडियन आयल कारपोरेशन और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के अथवा इन सभी कम्पनियों के तेल भण्डार हैं;

(ख) इसकी भंडारण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या शाहपुरा मिटौनी भी इनमें से एक है;

(घ) क्या उक्त उपक्रमों से स्थानीय जनता लाभान्वित हो रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड की कंपनी-वार तेल भंडारण क्षमता नीचे दी गई है:-

(आंकड़े किलो लीटर में)

स्थान	कंपनी		
	आई.ओ.सी.	एच.पी.सी.	बी.पी.सी.
सतना	8868	3617	-
सागर	10650	-	-
सिंगरौली	14286	-	-
मनगालिया (इंदौर)	17373	-	15755
रतलाम	7274	6518	-
निशातपुरा	21903	13517	7906
ग्वालियर	-	-	5330
रायरु (ग्वालियर)	14260	-	10929
इटारसी	10371	--	-
भिट्टोनी (जबलपुर)	23946	-	11884
खानडवा	6439	-	3600
भिलाई	7369		17116
बिलासपुर	5492	2223	-
बिश्रामपुर	3514	-	-
रायपुर	-	13868	2808
कुल	151745	75328	39743

(ग) जी, नहीं।

(घ) मध्य प्रदेश राज्य में उपर्युक्त स्थानों पर स्थित तेल भंडारण डिपो से खपत अंचलों के निकट के क्षेत्र के लोगों के आम उपभोग के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिटुमेन की आपूर्ति

5209. **श्री महेश कुमार एम. कनोडिया:**
श्री दिलीप संघानी:
श्री काशीराम राणा:
श्रीमती भावनाबेन देवराज भाई चिखलिया:
डा. ए. के. पटेल:
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा:
श्री दिनशा पटेल:
श्री गोरधन भाई जावीया:
डा. वल्लभ भाई कठीरिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से राज्य को बिटुमेन एसफाल्ट की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो बिटुमेन एसफाल्ट की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि कार्य के दिनों में कोयाली रिफाइनरी में एस्फाल्ट के लिए लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है जिससे टैंकरों को काफी इंतजार करना पड़ता है और इस प्रतीक्षा अवधि के कारण काफी हानि उठानी पड़ती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस लंबी प्रतीक्षावधि के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ङ) क्या बिटुमेन की लदान क्षमता मांग और प्रतीक्षा टैंकरों के अनुसार पर्याप्त है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा बिटुमेन की लगातार आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) (क) और (ख) जी, हां। तेल कंपनियों को राज्य की संपूर्ण मांग पूरी करने के निर्देश दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सर्वाधिक कार्य के समय के दौरान कभी-कभार लम्बी पंक्तियां देखने में आती हैं जबकि औसत प्रतीक्षा अवधि यदाकदा एक से दो दिन हो जाती है।

(ङ) और (च) कोयाली रिफाइनरी में बिटुमन की भरण क्षमता वास्तविक उत्पादन से अधिक है। कोयाली रिफाइनरी का विस्तार होने तक उक्त उत्पादन प्रतिमान के अनुसार बिटुमन का उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सकता।

ब्रह्मपुरम जल विद्युत परियोजना

5210. **श्री सुरेश कोडीकुनील:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केरल में ब्रह्मपुरम जल विद्युत परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने केरल राज्य विद्युत बोर्ड पर कोई शर्तें लगाई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उन शर्तों को केरल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा पूरा नहीं किया गया है;

(ङ) इस परियोजना द्वारा कुल कितनी मात्रा में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है; और

(च) इस परियोजना के लिए यदि कोई धनराशि उपलब्ध करायी गयी हो तो इसका ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (च) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने दिनांक 9.7.93 को 281.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर ब्रह्मपुरम डीजल विद्युत उत्पादन संयंत्र (5×20 मे.वा.) को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा 2.9.93 को स्वीकृति प्रदान की गई थी और इसे वर्ष 1996-97 में चालू किये जाने की प्रत्याशा है।

[हिन्दी]

राज्य विद्युत बोर्ड

5211. **डा. रमेश चन्द तोमर:**
श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री नीतीश कुमार:
श्री देवी बक्स सिंह:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राज्य बिजली बोर्डों को अधिक अर्थक्षम और कारगर बनाने के लिए उनका पुनर्गठन और नवीनीकरण करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन कब तक किये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) भारत सरकार, राज्य सरकारों को लिखे अपने विभिन्न पत्रों में राज्य विद्युत क्षेत्र का सुधार/पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता पर जोर देती रही है। राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य बिजली बोर्डों को और व्यवहार्य बनाए जाने हेतु कई कदम उठाए जा रहे हैं। जिनमें उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता में सुधार लाना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, स्थापनागत लागतों में कमी करना, बेहतर प्रबंधन प्रक्रियाओं तथा परियोजना क्रियान्वयन क्षमताओं को प्रोत्साहन देना शामिल है।

(ग) विभिन्न राज्यों, नामशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में वास्तविक तथा वित्तीय कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से उपचारात्मक अध्ययन कार्य आरंभ किये जा चुके हैं। एक नया सुधार कानून नामशः उड़ीसा सुधार अधिनियम, 1995 का अधिनियमन किया गया है तथा इसे उड़ीसा राज्य में 1.4.1996 से प्रभावी कर दिया गया है। कुछ अन्य राज्य, जिनके क्षेत्राधिकार में ये मुद्दे आते हैं, वे भी इसी प्रकार के कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं।

[अनुवाद]

समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लाभार्थी

5212. **श्री नन्द कुमार सिंह चौहान:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों में से समन्वित ग्रामीण विकास योजना के लाभार्थियों का चयन किन लोगों की सिफारिश पर किया जाता है;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रूप में लाभार्थियों के चयन में संसद सदस्यों की क्या भूमिका है;

(ग) क्या गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों की सर्वेक्षण सूची से संसद सदस्यों की सिफारिश पर लाभार्थियों के चयन के बारे में केन्द्रीय सरकार राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों को अनुदेश जारी करेगी;

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) के तहत प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के आरंभ में आयोजित घरेलू सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा (बीपीएल) से नीचे रह रहे लाभग्राही परिवारों की पहचान की जाती है। इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण में अभिनिर्धारित बी पी एल परिवारों में से, इस संबंध में जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार एक बैठक में लाभग्राहियों का चयन किया जाता है। इस बैठक में गांव के प्रौढ़ निवासी, गैर-सरकारी व्यक्ति, ब्लाक अधिकारी, बैंक अधिकारी एवं जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी आर डी ए) द्वारा नामित पर्यवेक्षण कार्मिक भाग लेते हैं। इस प्रकार चयन की यह प्रक्रिया जनता के बीच तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की जाती है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूरी तरह से ध्यान में रखा जा रहा है। लाभग्राहियों की सूची को अनुमोदन करने के पश्चात, ग्राम सभा इसे औपचारिक अनुमोदन हेतु पंचायत समिति/खण्ड विकास अधिकारी एवं डी आर डी ए को भेजती है, जिसके शासी निकाय में संसद सदस्य तथा विधान सभा के सदस्य होते हैं।

लाभग्राहियों के चयन में संसद सदस्य प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किये जाते हैं। संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर, गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सर्वेक्षण सूची से लाभग्राहियों के चयन के संबंध में राज्यों के जिलाधिकारियों को अनुदेश जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

असम में विद्युत आपूर्ति

5213. **डा. प्रवीण चन्द्र शर्मा:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में विद्युत उत्पादन करने वाली कुछ एककों के लंबे समय से खराब पड़े रहने के कारण राज्य में विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत उत्पादन एककों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) अप्रैल-जुलाई, 1996 के दौरान असम में ऊर्जा की आवश्यकता 981.7 मिलियन यूनिट थी। जबकि इसकी तुलना में उपलब्धता 864.0 मिलियन यूनिट थी जो कि 12% कमी का द्योतक है। सूचित किए अनुसार असम में निम्नलिखित यूनिटें काफी समय से बंदी की स्थिति में हैं:-

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मे.वा.)	बंदी की तिथि	बंदी के कारण
1.	चन्द्रपुर	I	30	14.1.96	अधिक मात्रा में अनुरक्षण कार्य होना
2.	बोंगईगांव	I	60	23.6.96	भट्टी का फूल जाना
3.	बोंगईगांव	II	60	26.7.96	कोयले की कमी होना

(ग) असम में विद्युत उत्पादन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम की वास्तविक प्रगति नीचे दी गयी है:-

क्र.सं.	असम राबिबो के विद्युत केन्द्र का नाम	पूरी की गई गतिविधियां	क्रियान्वयन के अधीन गति-विधियां	लंबित गतिवि-धियां	छोड़ी गई गतिवि-धियां	आर एंड एम के लिए अपेक्षित समग्र गतिविधियां
01.	बोंगईगांव	15	15	6	4	40
02.	चन्द्रपुर	3	11	3	0	17
03.	लकवा	3	3	5	0	11
04.	नामरूप	14	5	4	0	23
05.	कथालगुड़ी	19	0	0	0	19

[हिन्दी]

विद्युत का उत्पादन

5214. श्रीमती सुषमा स्वराज:
श्री नवल किशोर राय:
डा. महादीपक सिंह शाक्य:
जस्टिस गुमानमल लोढा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में विद्युत की अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(ख) क्रमशः केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं और राज्य सरकारों की विद्युत परियोजनाओं द्वारा कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाना है;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन लागत राज्य सरकारों की विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत से कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं/राज्य विद्युत परियोजनाओं की औसत विद्युत उत्पादन लागत कितनी-कितनी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश की उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम 2868.50 मेगावाट तथा 3204 मेगावाट (अनंतिम) है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं तथा राज्य सरकारों के अधीन परियोजनाओं के द्वारा अप्रैल 1996 से जुलाई, 1996 तक की अवधि में उत्पादित विद्युत की मात्रा क्रमशः 50313 मिलियन यूनिट तथा 70417 मिलियन यूनिट है।

(ग) और (घ) परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों की तुलना संभव नहीं है क्योंकि विद्युत परियोजनाओं की उत्पादन लागत केन्द्र के आकार, ईंधन के प्रकार, परियोजना के कार्य स्थल, ईंधन के स्रोत तथा परियोजनाएं पूरी होने की तारीख इत्यादि पर निर्भर करती है।

अन्य पिछड़े वर्गों के प्रार्थी

5215. श्री सुखलाल कुशवाहा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न वर्गों के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों की संख्या मण्डल आयोग की सिफारिशों के अनुरूप नहीं थी;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ विभागों द्वारा इस संबंध में केन्द्र सरकार के अनुदेशों की अवहेलना करके आश्रित पदों को रिक्त रखा गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में जारी अनुदेशों के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार के अधीन सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के 27 प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

(ख) इस संबंध में किसी भी विभाग द्वारा संघ सरकार के अनुदेशों के विशेष उल्लंघन का कोई भी मामला ध्यान में नहीं आया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वविवेकाधीन कोटा

5216. कुमारी उमा भारती: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अत्यधिक अनियमितताओं को देखते हुए मंत्री के स्वविवेकाधीन कोटे के अंतर्गत मकानों के आवंटन की प्रक्रिया को समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का स्वविवेकाधीन कोटे के अंतर्गत आवंटित मकानों के प्रत्येक मामले की जांच करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ) सरकार ने सरकारी वास के बिना-बारी आबंटन हेतु मंत्रियों को अब तक प्राप्त विवेकाधीन कोटे समाप्त करने का निर्णय लिया

है। जहां कुछ मामलों में, बिना-बारी वास आबंटन नितान्त आवश्यक होगा, वहां ऐसे आबंटनों पर लागू होने वाले दिशा-निर्देशों/नियमों तथा निबंधनों व शर्तों का निर्धारण मंत्रिमंडल आवास समिति द्वारा किया जायेगा। ऐसे आबंटनों पर विचार व सिफारिश की कार्रवाई इस हेतु गठित एक समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया के अनुपालन के बाद स्वीकृत बिना-बारी आबंटनों का हर तिमाही में प्रकाशन करने के लिए भी प्रबंध किये जायेंगे।

[अनुवाद]

पंजाब में विद्युत परियोजनाएं

5217. **श्री दरबारा सिंह: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षो में संघ सरकार को पंजाब सरकार से कितनी विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृत एवं वित्तीय सहायता हेतु प्राप्त हुए;

(ख) इस अवधि के दौरान कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई; और

(ग) सभी लंबित परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पंजाब सरकार से तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति हेतु गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तेल क्षेत्र

5218. **श्री सुरेश प्रभु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में तेल क्षेत्रों की संख्या क्या है;

(ख) अनुमानित तेल भंडार कितना है और इन तेल भंडारों के कब तक चलने की संभावना है; और

(ग) इन भंडारों से पूरी की जाने वाली घरेलू आवश्यकता की प्रतिशतता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) अपतटीय क्षेत्रों/संरचनाओं सहित देश में कुल 194 तेल क्षेत्रों/संरचनाओं की खोज हुई है।

(ख) 1.4.1996 की स्थिति के अनुसार देश में तेल के निकासी योग्य अनुमानित शेष भण्डार 738.92 मिलियन टन के लगभग हैं। 1995-96 के उत्पादन स्तर के आधार पर इन भण्डारों के लगभग 21 वर्ष तक चलने की आशा है।

(ग) ओ ई बी 1996-97 के अनुसार कच्चे तेल की लगभग 55.17% मांग घरेलू स्रोतों से पूरी किये जाने का अनुमान है।

[हिन्दी]

मिलियन वेल्स स्कीम

5219. **श्री डी. पी. यादव: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "मिलियन वेल्स स्कीम" के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान देश में राज्यवार कितने कुएं खोदे जाएंगे;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर उत्तर प्रदेश में कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को रोजगार मिलने की संभावना है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी राशि आबंटित की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत जहां भूभौतिकीय कारणों से कुएं खोदना संभव नहीं है, आबंटित राशि सिंचाई टैंकों, जल संग्रह ढांचों जैसी लघु सिंचाई की अन्य योजनाओं के लिए और छोटे और सीमान्त किसानों की भूमि के विकास के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है। इसलिए दस लाख कुओं की योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण के अनुसार है।

विवरण

1993-94 के दौरान दस लाख कुओं के अंतर्गत जारी संसाधन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल उपलब्धता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5,908.82	1,477.21	7,386.03
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.40	19.35	96.75
3.	असम	1,945.16	486.29	2,431.45
4.	बिहार	11,589.94	2,897.48	14,487.42
5.	गोवा	83.63	20.91	104.54
6.	गुजरात	2,169.01	542.25	2,711.26
7.	हरियाणा	521.02	130.26	651.28
8.	हिमाचल प्रदेश	265.74	66.44	332.18
9.	जम्मू व कश्मीर	377.22	94.30	471.52
10.	कर्नाटक	3,967.52	991.88	4,959.40
11.	केरल*	1,497.20	374.30	1,871.50
12.	मध्य प्रदेश	7,487.34	1,871.83	9,359.17
13.	महाराष्ट्र	6,441.42	1,610.36	8,051.78
14.	मणिपुर	99.21	24.80	124.01
15.	मेघालय	116.08	29.02	145.10
16.	मिजोरम	48.90	12.23	61.13
17.	नागालैंड	124.43	31.11	155.54
18.	उड़ीसा	4,793.44	1,198.36	5,991.80
19.	पंजाब**	392.23	98.06	490.29
20.	राजस्थान	3,110.72	777.68	3,888.40
21.	सिक्किम	45.30	11.33	56.63

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	5,341.48	1,335.37	6,676.85
23.	त्रिपुरा	128.86	32.21	161.07
24.	उत्तर प्रदेश	14,399.62	3,599.90	17,999.52
25.	पश्चिम बंगाल	5,295.17	1,323.79	6,618.96
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	45.81	–	45.81
27.	दा. व न. हवेली	24.87	–	24.87
28.	दमन व दीव	14.65	–	14.65
29.	लक्षद्वीप*	22.97	–	22.97
30.	पांडिचेरी	44.84	–	44.84
	कुल	76,349.38	19,087.34	95,436.72

टिप्पणी:

* दस लाख कुओं की योजना का 2/3 निधियों का अंश इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत उपयोग किये जाने की अनुमति है।

** इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति।

* सामान्य जवाहर रोजगार योजना हेतु निधियों के उपयोग की अनुमति।

1994-95 के दौरान दस लाख कुओं के अंतर्गत जारी संसाधन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल उपलब्धता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6,503.99	1,626.00	8,129.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	77.40	19.35	96.75
3.	असम	2,141.09	535.27	2,676.36
4.	बिहार*	12,757.34	3,189.33	15,946.67
5.	गोवा	83.63	20.91	104.54
6.	गुजरात	2,387.49	596.87	2,984.36
7.	हरियाणा	573.50	143.38	716.88

1	2	3	4	5
8.	हिमाचल प्रदेश	265.74	66.44	332.18
9.	जम्मू व कश्मीर	540.00	135.00	675.00
10.	कर्नाटक	4,367.14	1,091.79	5,458.93
11.	केरल**	1,588.82	397.21	1,986.03
12.	मध्य प्रदेश	8,241.50	2,060.38	10,301.88
13.	महाराष्ट्र	7,090.24	1,772.56	8,862.80
14.	मणिपुर	99.21	24.80	124.01
15.	मेघालय	116.08	29.02	145.10
16.	मिजोरम	48.90	12.23	61.13
17.	नागालैंड	124.43	31.11	155.54
18.	उड़ीसा	5,276.26	1,319.07	6,595.33
19.	पंजाब**	407.83	101.96	509.79
20.	राजस्थान	3,424.05	856.01	4,280.06
21.	सिक्किम	45.30	11.33	56.63
22.	तमिलनाडु	5,879.50	1,469.88	7,349.38
23.	त्रिपुरा	128.86	32.21	161.07
24.	उत्तर प्रदेश	15,850.02	3,962.51	19,812.53
25.	पश्चिम बंगाल	5,828.53	1,457.13	7,285.66
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	45.81	–	45.81
27.	दा. व न. हवेली	24.87	–	24.87
28.	दमन व दीव	14.65	–	14.65
29.	लक्षद्वीप*	22.97	–	22.97
30.	पांडिचेरी	44.84	–	44.84
	कुल	83,969.39	20,992.35	104,961.74

टिप्पणी:

* इंदिरा आवास योजना हेतु 6059.60 लाख रुपये के उपयोग की अनुमति शामिल है।

** इंदिरा आवास योजना के लिए उपयोग किये जाने वाले 1324.02 लाख रुपये शामिल है (दस लाख कुओं की योजना की निधियों का 2/3 भाग)।

** इंदिरा आवास योजना के लिए उपयोग किये जाने की अनुमति।

$ दस लाख कुओं की योजना का आबंटन निकोबार जिले के मामले में इंदिरा आवास योजना हेतु उपयोग किये जाने की अनुमति और अंडमान जिले के मामले में सामान्य जवाहर रोजगार योजना के लिए उपयोग की अनुमति।

* सामान्य जवाहर रोजगार योजना के लिए उपयोग की अनुमति।

1995-96 के दौरान दस लाख कुओं के अंतर्गत जारी संसाधन .

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल उपलब्धता
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3,473.70	868.43	4,342.13
2.	अरुणाचल प्रदेश	29.02	7.26	36.28
3.	असम	1,143.53	285.88	1,429.41
4.	बिहार	6,813.55	1,703.39	8,516.94
5.	गोवा	38.53	9.63	48.16
6.	गुजरात	1,275.13	318.78	1,593.91
7.	हरियाणा	306.30	76.58	382.88
8.	हिमाचल प्रदेश	122.43	30.61	153.04
9.	जम्मू व कश्मीर	189.02	47.26	236.28
10.	कर्नाटक	2,332.44	583.11	2,915.55
11.	केरल*	1,528.27	382.07	1,910.34
12.	मध्य प्रदेश	4,401.69	1,100.42	5,502.11
13.	महाराष्ट्र	3,786.82	946.71	4,733.53
14.	मणिपुर	37.65	9.41	47.06
15.	मेघालय	42.20	10.55	52.75
16.	मिजोरम	22.53	5.63	28.16
17.	नागालैंड	57.33	14.33	71.66
18.	उड़ीसा	2,817.99	704.50	3,522.49
19.	पंजाब**	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	1,828.74	457.19	2,285.93
21.	सिक्किम	41.73	10.43	52.16
22.	तमिलनाडु	3,140.16	785.04	3,925.20

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	89.06	22.27	111.33
24.	उत्तर प्रदेश	10,965.30	2,741.33	13,706.63
25.	पश्चिम बंगाल	3,232.94	808.24	4,041.18
26.	अं. व नि. द्वीप समूह	16.56	–	16.56
27.	दा. व न. हवेली	4.16	–	4.16
28.	दमन व दीव	6.76	–	6.76
29.	लक्षद्वीप#	10.60	–	10.60
30.	पांडिचेरी	10.32	–	10.32
	कुल	47,754.81	11,938.70	59,693.51

टिप्पणी:

* इंदिरा आवास योजना के लिए अनुमेय 707.14 लाख रुपये की राशि सम्मिलित है (दस लाख कुओं की योजना की निधियों का 2/3 भाग)।

** इंदिरा आवास योजना के लिए निधियों के उपयोग की अनुमति।

सामान्य जवाहर रोजगार योजना हेतु निधियों के उपयोग की अनुमति।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु आवासीय क्वार्टर/प्लाट

5220. **कुमारी फ्रिडा तोपनो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय क्वार्टरों/प्लाटों के संबंध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित करने हेतु क्या नीति है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार उन्हें कितने क्वार्टर/प्लाट आवंटित किये गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डी-डी ए द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैटों/प्लाटों के आबंटन में आरक्षण दिया गया है जो इस प्रकार है:

(1) **फ्लैटों के लिए**

$17\frac{1}{2}$% अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए।

$7\frac{1}{2}$% अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए।

(2) **प्लाटों के लिए**

25% अ.जा./अ.ज.जा. के लिए सम्मिलित आरक्षण।

(ख) और (ग) डी डी ए ने बताया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों को निम्नलिखित फ्लैट/प्लाट आबंटित किए गए हैं:

वर्ष	फ्लैट	प्लाट
1991-92	272	कोई ड्रा नहीं निकाला गया
1992-93	1063	-वही-
1993-94	2693	-वही-
1994-95	2231	8
1995-96	1299	12

कृषि क्षेत्र में रोजगार

5221. श्री नवल किशोर राय:
श्री नीतिश कुमार:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लोगों को रोजगार प्रदान किये जाने की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता के संबंध में सरकार द्वारा कोई और मूल्यांकन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितना पूंजी निवेश किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) ये संसाधन किस प्रकार से जुटाए जाएंगे?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) आठवीं योजना में रोजगार सृजन हेतु कृषि विकास की आवश्यकता को पहचानते हुए, कुल निवेश (1991-92 की कीमतों पर) का 18.65% कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रकों में आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में वास्तविक उपलब्धियां निम्नानुसार हैं। 1992-93 में 11.76%, 1993-94 में 12.35% तथा 1994-95 में 11.44% (चालू कीमतों पर)। संयुक्त मोर्चा सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम (कामन मिनिमम प्रोग्राम) में कृषि में निवेश की दर बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है। सही परिमाण नौंवी पंचवर्षीय योजना में परिलक्षित होगा।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा के नीचे के लोग

5222. श्री रमेन्द्र कुमार: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गरीबी की रेखा के नीचे कितने व्यक्ति रह रहे हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उन्हें गरीबी की रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में कितनी कमी आई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन (एनएसएसओ) द्वारा किए गए पंचवार्षिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1987-88 के लिए उपलब्ध हैं जो उपभोक्ता व्यय पर 43वें दौर के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है। 1987-88 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और राज्य-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) गरीबों की जीवन दशा और आय में सुधार के लिए कई कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं, इनमें आय बढ़ाने और रोजगार सृजन अवसरों के कार्यक्रम शामिल हैं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस), प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) और नेहरु रोजगार योजना (एन आर वाई) कार्यक्रम का लाभ प्राप्त कर्त्ताओं की आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। 1992-93 से 1995-96 तक की अवधि के दौरान प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता दिये गये परिवारों की संख्या विवरण-II में दी गई है।

(ग) 1993-94 के लिए गरीबी के अनुमान, एनएसएसओ 50वें दौर के आंकड़ों, पूर्ण दौर के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

विवरण-I

1987-88 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या (लाख)
1.	आंध्र प्रदेश	165.16
2.	असम	37.44
3.	बिहार	278.12
4.	गुजरात	56.12
5.	हरियाणा	14.24
6.	हिमाचल प्रदेश	3.49
7.	जम्मू व कश्मीर	7.81
8.	कर्नाटक	117.05
9.	केरल	38.63
10.	मध्य प्रदेश	195.71
11.	महाराष्ट्र	183.67
12.	उड़ीसा	119.61
13.	पंजाब	9.59
14.	राजस्थान	84.31
15.	तमिलनाडु	152.23
16.	उत्तर प्रदेश	389.35
17.	पश्चिम बंगाल	142.60
18.	अखिल भारत	2014.06

टिप्पणी: (1) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों की संख्या 1 अक्तूबर 1987 से संबंधित है।

(2) परिणाम उपभोक्ता व्यय पर 43वें दौर (जुलाई 1987-जून 1988) के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित हैं।

विवरण-II

प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता

राज्य/सं.रा.क्षे.	आईआरडीपी सहायता दिए गए परिवारों की संख्या 1992-93 से 1994-95	आईआरडीपी 1995-96	जेआरवाई उपलब्धि 1992-96	कुल ईएएस (लाख श्रम दिवस) 1992-96
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	598643	122863	3220.65	592.07
अरुणाचल प्रदेश	47613	14381	25.19	75.15
असम	166169	58547	830.33	309.10
बिहार	824896	265525	4694.32	479.60
गोवा	8100	2448	31.48	–
गुजरात	213985	55686	935.57	134.46
हरियाणा	85660	29771	133.38	101.95
हिमाचल प्रदेश	23439	6750	111.02	10.11
जम्मू व कश्मीर	28284	13176	211.44	193.27
कर्नाटक	362527	119685	2094.15	478.31
केरल	150509	43357	483.73	62.71
मध्य प्रदेश	637385	210692	3393.61	803.06
महाराष्ट्र	591999	181597	4127.23	558.65
मणिपुर	17149	2774	28.41	62.87
मेघालय	11666	4534	31.81	9.69
मिजोरम	11503	5085	22.02	91.14
नागालैंड	9584	211	45.72	97.19
उड़ीसा	393063	120669	2132.17	623.73

1	2	3	4	5
पंजाब	81685	11786	101.15	-
राजस्थान	325732	92818	1696.76	611.13
सिक्किम	3641	2843	39.86	25.33
तमिलनाडु	561096	150648	3746.37	363.60
त्रिपुरा	49529	14657	84.80	104.52
उत्तर प्रदेश	1203089	355916	6215.85	498.86
पश्चिम बंगाल	405235	161724	2075.15	380.40
अंडमान व निकोबार	3192	591	8.70	0.78
चंडीगढ़	0	0	-	-
दादर व नगर हवेली	974	274	7.75	0.37
दिल्ली	0	0	-	-
दमन व दीव	1128	89	2.37	0.48
लक्षद्वीप	337	18	7.85	1.36
पांडिचेरी	3671	1563	15.90	-
कुल	6821483	2050678	36554.74	6669.89

विवरण-III

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष-वार लक्ष्य और 1992-93 की उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ए.यू.एम.ई. सहायता दिए गए लाभ प्राप्तकर्ताओं की सं.		एस.यू.डब्ल्यू.ई. सृजित कार्य के श्रम दिवस (लाख में)		एस.एच.ए.एस.यू. आवास एकक उन्नत	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	8645	25523	3.93	5.07	15316	45719
2. बिहार	3358	3732	5.14	27.63	13584	11130
3. गुजरात	1853	4765	1.61	3.09	7500	180

1		2	3	4	5	6	7
4.	हरियाणा	1108	7435	0.98	0.96	2100	975
5.	कर्नाटक	6456	14089	5.14	13.70	13067	8277
6.	केरल	3306	4790	1.94	0.17	5866	18079
7.	मध्य प्रदेश	7828	43787	4.39	10.98	13884	–
8.	महाराष्ट्र	10589	18839	6.85	5.20	13800	–
9.	उड़ीसा	2216	4946	2.02	2.58	3817	4248
10.	पंजाब	2261	3985	2.05	0.93	4016	1513
11.	राजस्थान	1969	4594	3.61	3.43	7967	–
12.	तमिलनाडु	9512	19182	4.66	5.45	16000	30221
13.	उत्तर प्रदेश	19229	59101	14.21	28.09	34100	25973
14.	पश्चिम बंगाल	8483	15169	3.64	–39.28	12200	23570
15.	गोवा	–	–	0.18	–	333	–
16.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–	–	833	–
17.	असम	1589	1822	1.38	1.49	2667	6948
18.	हिमाचल प्रदेश	611	190	0.32	2.29	1666	–
19.	जम्मू और कश्मीर	779	1695	0.46	1.70	2333	700
20.	मणिपुर	333	395	0.20	–1.13	1000	231
21.	मेघालय	217	119	0.26	0.65	833	–
22.	मिजोरम	167	–	0.11	2.67	500	–
23.	नागालैण्ड	–	–	–	–	1000	–
24.	सिक्किम	344	182	0.15	0.70	666	–
25.	त्रिपुरा	288	330	0.11	0.44	500	–
26.	अ. और नि. द्वीप	–	–	0.05	–0.03	283	–
27.	चण्डीगढ़	–	178	0.06	0.16	500	–
28.	दा. और न. हवेली	–	43	0.04	0.08	283	–
29.	दमन और दीव	–	–	0.13	–0.30	283	–
30.	पांडिचेरी	111	226	0.09	0.05	333	–
31.	दिल्ली	800	1038	–	–	–	–
	जोड़	92062	236855	63.74	76.27	177330	227764

विवरण-IV

नेहरु रोजगार योजना

वर्ष-वार लक्ष्य और 1993-94 की उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ए.यू.एम.ई. सहायता दिए गए लाभ प्राप्तकर्ताओं की सं.		एस.यू.डब्ल्यू.ई. सृजित कार्य के श्रम दिवस (लाख में)		एस.एच.ए.एस.यू. आवास एकक उन्नत	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	14890	18175	3.70	2.38	15000	-6133
2. बिहार	-	1987	4.10	6.76	13300	1985
3. गुजरात	2550	2630	1.29	1.31	7300	271
4. हरियाणा	1975	800	0.79	0.66	200	1760
5. कर्नाटक	4500	3345	4.09	9.96	12800	-
6. केरल	4000	5202	1.57	1.32	10000	41475
7. मध्य प्रदेश	13500	32072	4.00	11.66	13600	-
8. महाराष्ट्र	11816	11917	5.44	-	13500	6200
9. उड़ीसा	3805	1214	1.75	0.59	3800	-68
10. पंजाब	3908	3931	1.64	0.88	3900	1939
11. राजस्थान	5500	11749	3.15	2.06	7300	-
12. तमिलनाडु	17165	24418	4.30	3.15	15700	9046
13. उत्तर प्रदेश	33140	24813	12.52	28.48	33300	3506
14. पश्चिम बंगाल	5000	4368	-	-	11900	2000
15. गोवा	150	440	1.34	-	300	-
16. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	800	-
17. असम	630	1299	0.50	-	2700	-
18. हिमाचल प्रदेश	275	-	0.33	0.16	1700	-
19. जम्मू और कश्मीर	800	91	0.44	0.06	2300	743
20. मणिपुर	380	2745	0.21	1.69	1000	154

1	2	3	4	5	6	7
21. मेघालय	–	274	0.09	–	800	–
22. मिजोरम	75	–	0.11	0.01	500	–
23. नागालैण्ड	–	–	–	–	1000	–
24. सिक्किम	230	16	0.11	0.03	700	–
25. त्रिपुरा	200	137	0.10	0.05	500	130
26. अ. और नि. द्वीप	100	177	0.01	0.11	200	–
27. चण्डीगढ़	–	–	0.10	0.04	300	–
28. दा. और न. हवेली	25	53	0.01	0.03	200	–
29. दमन और दीव	–	–	0.01	0.07	300	–
30. पांडिचेरी	–	160	0.06	0.71	300	–
31. दिल्ली	275	295	–	–	–	–
जोड़	125414	152308	50.84	72.17	177500	55996

विवरण–V

नेहरू रोजगार योजना

वर्ष-वार लक्ष्य और वर्ष 1994-95 की उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	ए.यू.एम.ई. सहायता दिए गए लाभ प्राप्तकर्ताओं की सं.		एस.यू.डब्ल्यू.ई. सृजित कार्य के श्रम दिवस (लाख में)		एस.एच.ए.एस.यू. आवास एकक उन्नत	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	10050	15510	2.11	1.61	13770	19976
2. बिहार	4450	–	2.74	–	12213	–
3. गुजरात	2450	1663	0.88	0.45	6738	57
4. हरियाणा	1610	2060	0.62	3.49	1967	–
5. कर्नाटक	4285	14048	2.70	–	11754	–
6. केरल	4120	3279	1.20	1.09	5279	20740

1	2	3	4	5	6	7
7. मध्य प्रदेश	10770	–	3.05	–	12492	–
8. महाराष्ट्र	5360	7435	3.55	1.07	12410	–
9. उड़ीसा	2570	–	1.05	–	3525	–
10. पंजाब	3120	2670	1.30	0.91	3623	2790
11. राजस्थान	5230	9621	2.48	3.04	7180	–
12. तमिलनाडु	22160	12665	3.30	4.93	14393	5875
13. उत्तर प्रदेश	26440	35852	9.73	9.71	30656.	–
14. पश्चिम बंगाल	4835	3042	2.55	12.41	10967	11611
15. गोवा	75	–	0.08	–	246	–
16. अरुणाचल प्रदेश	–	40	0.23	0.20	1375	–
17. असम	1320	13572	1.46	1.37	2828	–
18. हिमाचल प्रदेश	345	–	0.35	–	1475	–
19. जम्मू और कश्मीर	400	–	.0	–	1721	–
20. मणिपुर	545	1651	.42	0.41	984	–
21. मेघालय	–	–	0.08	–	615	–
22. मिजोरम	205	700	0.16	9.67	369	887
23. नागालैण्ड	–	–	–	–	861	–
24. सिक्किम	275	–	0.10	–	492	–
25. त्रिपुरा	205	–33	0.16	0.26	369	130
26. अ. और नि. द्वीप	230	1	0.05	–	410	–
27. चण्डीगढ़	145	21	0.09	0.16	205	–
28. दा. और न. हवेली	50	11	0.03	0.01	205	–
29. दमन और द्वीव	–	–	0.05	–	410	–
30. पांडिचेरी	115	705	0.20	0.06	492	–
31. दिल्ली	830	79	अनुपलब्ध	–	अनुपलब्ध	–
जोड़	102190	124595	41.12	50.85	160024	62066

विवरण–VI

एन आर वाई के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां

1995-96 (29-2-1996 तक)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एस.यु.एम.ई. लाभ प्राप्तकर्ता		एस.यू.डब्ल्यू.ई. श्रम दिवस		एस.एच.ए.एस.यू. आवास यूनिट		एस.एच.ए.एस.यू. श्रम दिवस	
	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. आंध्र प्रदेश	5701	10458	1.95	2.18	3199	1201	7.17	7.51
2. बिहार	14026	9283	–	2.80	9588	1017	3.10	6.37
3. गुजरात	1349	4397	0.63	1.22	–	483	–	3.02
4. हरियाणा	1725	1211	0.02	0.48	–	489	–	0.95
5. कर्नाटक	–	8664	–	2.75	–	947	–	5.94
6. केरल	1282	2981	0.49	0.94	–	327	1.01	2.04
7. मध्य प्रदेश	16019	7944	–	2.38	–	871	–	5.45
8. महाराष्ट्र	10641	13736	20.02	3.62	–	1329	–	8.33
9. उड़ीसा	6223	2800	3.91	1.08	3293	306	3.23	1.92
10. पंजाब	1764	1106	3.08	1.01	4133	122	0.93	0.76
11. राजस्थान	9415	4889	1.93	1.92	–	535	–	3.35
12. तमिलनाडु	9857	11497	2.19	2.59	–	1084	–	6.79
13. उत्तर प्रदेश	20481	19328	8.55	7.53	–	2118	–	13.26
14. पश्चिम बंगाल	17567	10939	5.95	2.00	–	1021	21.05	6.41
15. गोवा	10	111	0.73	0.09	–	61	–	0.12
16. अरुणाचल प्रदेश	–	611	0.53	0.18	–	336	–	0.65
17. असम	–	1278	1.36	1.13	–	703	–	1.37
18. हिमाचल प्रदेश	1334	667	0.53	0.36	–	367	–	0.71
19. जम्मू और कश्मीर	1489	778	1.01	0.31	–	428	(–)0.56	0.83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	मणिपुर	–	444	–	0.33	–	244		0.47
21.	मेघालय	146	278	–	0.16	–	153	–	0.30
22.	मिजोरम	40	167	–	0.12	888	92	0.58	0.18
23.	नागालैण्ड	–	389	–	0.28	–	214	–	0.42
24.	सिक्किम	310	222	–	0.09	–	122	–	0.24
25.	त्रिपुरा	22	167	0.12	0.12	431	92	1.80	0.17
26.	अ. और नि. द्वीप	102	112	–	0.03	–	62	–	0.12
27.	चण्डीगढ़	135	55	0.10	0.04	–	31	–	0.05
28.	दा. और न. हेवली	37	55	–	0.02	45	31	–	0.05
29.	दमन और दीव	213	112	0.25	0.06	–	62	–	0.12
30.	पांडिचेरी	211	222	–	0.19	–	122	–	0.24
31.	दिल्ली	–	1600	–	–	–	–	–	–
	जोड़	122099	117001	53.35	36.09	21577	14970	38.31	78.14

[अनुवाद]

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट

5223. श्री कृष्ण लाल शर्मा: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 1996 की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार देश की 61.5% जनसंख्या मूलभूत आवश्यकताओं की दृष्टि से गरीब है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में पारंपरिक रूप से आंकलित गरीबों का अनुपात 25 : 4 है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इन विपरीत आंकड़ों पर क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, 1996 में मानव वंचना का "सामर्थ्य गरीबी उपाय" (सी.पी.एम.) नामक एक बहुआयामी उपाय प्रारम्भ किया गया है। इस सूचकांक में तीन संकेतक सम्मिलित हैं, अर्थात (क) सु-पोषित और स्वस्थ होने का सामर्थ्य, (ख) स्वस्थ प्रजनन के लिए सामर्थ्य तथा (ग) शिक्षित और सुविज्ञ होने का सामर्थ्य। यू.एन.डी.पी. द्वारा वर्ष 1993 के लिए भारत में सीपीएम का अनुमान 61.5 प्रतिशत लगाया गया है। यूएनडीपी द्वारा सीपीएम का 61.5 प्रतिशत अनुमान लगाये जाने का अर्थ यह नहीं है कि 61.5 प्रतिशत आबादी गरीब है। सीपीएम प्रणाली द्वारा गरीबी में जीवन यापन करने वाले लोगों का प्रतिशत प्राप्त करने के लिए कोई तरीका तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) योजना आयोग द्वारा वर्ष 1987-88 में गरीबी का अनुपात 25.49 प्रतिशत लगाया गया है।

(ग) जनसंख्या के संदर्भ में वंचना की परिभाषा के अर्थों में योजना आयोग के गरीबी अनुमान तथा सी पी एम के बीच भिन्नता है। इन्हें एक दूसरे का स्थानापन्न नहीं समझा जा सकता।

बिना बारी का आवंटन

5224. **श्री मंगत राम शर्मा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जो स्थानान्तरण पर दिल्ली आए थे उन्हें अनुकंपा तथा मानवीय आधार पर सरकारी आवास आवंटित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों से सरकारी आवासों को खाली कराने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को स्थानांतरण सहित अनुकम्पा तथा मानवीय विभिन्न आधारों पर बिना बारी के आबंटन किये गये थे।

(ख) जिन आधारों पर बिना बारी आबंटनों की मांग की/आबंटन किए गए, उनके बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

(ग) और (घ) 1991-95 के दौरान किए गए बिना बारी आबंटन संबंधी पूरा मसला न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

कोयल-कारो परियोजना

5225. **श्री ललित उरांव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 710 मेगावाट वाली कोयल-कारो विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के निर्माण हेतु समूची धनराशि जारी करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (घ) बिहार में 710 मेगावाट क्षमता वाली कोयलकारो परियोजना को अगस्त, 1980 में क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) को सौंपा गया था। निरंतर होने वाले स्थानीय विरोध के कारण परियोजना को तुरंत आरंभ करना संभव नहीं था। एनएचपीसी परियोजना हेतु निधियों को जुटाने में भी सफल नहीं हो पाई है। एनएचपीसी को परियोजना लागत, जो इस समय लगभग 2,400 करोड़ रुपये आकलित की गई है, के एक बड़े हिस्से की पूर्ति करने के लिए बाजार उधार तथा/अथवा विदेशी सहायता पर निर्भर होना पड़ेगा। परियोजना को सहायता हेतु ओईसीएफ, जापान के समक्ष प्रस्तुत किया गया था परंतु ओईसीएफ की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है।

[अनुवाद]

आवासीय परियोजना

5226. **श्री के.सी. कोंडय्या: क्या प्रधान मंत्री यह बताने** की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय खेलकूद आवास परियोजना के अंतर्गत बंगलौर में बनाए जाने वाले फ्लैटों की प्रस्तावित संख्या क्या है;

(ख) इस उद्देश्य हेतु हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) ब्याज दर तथा भुगतान अवधि क्या है;

(घ) क्या फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(च) क्या सभी फ्लैटों का आवंटन कर दिया गया है;

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या फ्लैटों के आवंटन हेतु बनाई गई समिति में हुडको के प्रतिनिधि हैं; और

(झ) यदि हाँ, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) राष्ट्रीय खेल आवास परियोजना के तहत, कर्नाटक आवास बोर्ड द्वारा 2534 फ्लैटों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए हडको ने 270.00 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया है।

(ग) ऋण 16% (सकल) ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया है जिसे परियोजना अवधि सहित 10 वर्ष की अवधि में चुकता करना है।

(घ) फ्लैटों का निर्माण दो चरणों में किया जा रहा है। चरण-1 में बनाये जाने वाले 1406 फ्लैटों में से 1356 फ्लैट पूरे हो चुके हैं तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। दूसरे चरण में 1128 फ्लैटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(ङ) से (छ) संशोधित समय सारणी के अनुसार उधार लेने वाली एजेन्सी, कर्नाटक आवास बोर्ड से प्राप्त संकेतों के हिसाब से शेष फ्लैट फरवरी 1997 तक पूरे होने की उम्मीद है।

(ज) और (झ) जी, नहीं।

गुजरात को विश्व बैंक सहायता

5227. **श्री गोरधन भाई जावीया: क्या प्रधान मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने गुजरात को जल आपूर्ति और सफाई परियोजनाओं के लिए कोई सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर ऐसी परियोजनाएं आरंभ की गई हैं उन स्थानों के नाम तथा ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व बैंक ने नवम्बर, 1982 से दिसम्बर, 1991 के दौरान गुजरात जल आपूर्ति तथा मल जल व्ययन परियोजना के लिए 72 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता मुहैया करायी थी। विश्व बैंक ने नवम्बर, 1986 से मार्च, 1995 के दौरान गुजरात शहरी विकास परियोजना, जिसमे जल आपूर्ति तथा सफाई शामिल थी, के लिए 64.67 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता भी मुहैया करायी थी। अलग-अलग परियोजनाओं के तहत शामिल स्थानों के नाम संलग्न विवरण में दिये हैं।

विवरण

गुजरात के उन स्थानों के नाम, जिन्हें विश्व बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत जल आपूर्ति तथा सफाई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं:

गुजरात जल आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन परियोजना

1. शहरी जल आपूर्ति योजना
   आनन्द, गोधारा, नाडियाड, भावनगर तथा ज़ाम नगर
2. शहरी मल-जल व्ययन परियोजना
   आनन्द, नाडियाड, सावरकुण्डला, रोजकोट तथा अहमदाबाद
3. क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
   पनसिना, जम्प, लाखपेट, बन्नी, थारड, देवघर तथा साबरमती
4. विभिन्न जिलों की व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
   महसाना, बन्सकांठा, जूनागढ़, असेला, सुरेन्द्र नगर
5. नई क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
   साबरमती जीर्णोद्धारा जल आपूर्ति योजना तथा नर्मदा बाढ़ विभाग, जल आपूर्ति तथा सफाई।

गुजरात शहरी विकास परियोजना

1. शहरी जल आपूर्ति तथा मल जल व्ययन परियोजना
   पूर्वी अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदरा तथा आनन्द।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
   ऊना मण्डल, काम्डला गांधीधाम, खादिर, भादर तथा ओखला मण्डल।
3. व्यक्तिगत ग्रामीण जल आपूर्ति योजना
   850 गांव।

धनराशि के आबंटन के लिए मानदण्ड

5228. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों को धनराशि स्वीकृत करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियों की मंजूरी के मानदंड स्कीम के लिए भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसे मानदंड एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन (आर ओ एन डी डब्ल्यू एम) के लिए उदाहरण स्वरूप नीचे दिये गये हैं:

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)

आई आर डी पी एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो 50 : 50 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह देश के सभी ब्लाकों में प्रचालित है। इसके अंतर्गत देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर राज्यों को केन्द्रीय निधियां आबंटित की जाती हैं।

जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई)

जे आर वाई एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है जो 80 : 20 के आधार पर केन्द्र और राज्यों द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच केन्द्रीय निधियों का आबंटन ग्रामीण गरीबों के उनके अंश के अनुसार किया जाता है। और यह प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जिलों को आबंटन पिछड़ेपन के सूचकांक के आधार पर किये जाते हैं जिसमें जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या और समान महत्व सहित प्रत्येक कृषक के कृषि उत्पादन की विपरीत स्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक जिले को आबंटित निधियों का 80

प्रतिशत ग्राम पंचायतों में वितरित किया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या को 60 प्रतिशत और कुल जनसंख्या को 40 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। शेष 20 प्रतिशत निधियां अन्त ब्लॉक/ग्राम कार्यकर्ताओं के लिए जिला स्तर पर रखी जाती हैं।

जे आर वाई के अन्तर्गत निधियों का एक लघु भाग विशेष और नवीन परियोजनाएं शुरू करने के लिए आबंटित किया जाता है जैसे कि वे जिनका लक्ष्य श्रम प्रवास पर रोक लगाना, महिला रोजगार में वृद्धि करना और सूखा प्रूफिंग और जल संभर विकास आदि के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से विशेष कार्यक्रम हैं।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस)

ई ए एस सूखा प्रवण, मरूस्थल, जनजाति और पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित 1775 पहचान किये गये पिछड़े ब्लॉकों में 2.10.1993 से शुरू की गई थी। जहां सुधरी हुई लोक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) प्रचालित थी। ई ए एस को अब गोवा, पंजाब, चण्डीगढ़, पांडिचेरी और दिल्ली को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में देश के 3206 ब्लॉकों को कवर करने के लिए विस्तारित किया गया है। अतिरिक्त ब्लॉकों में शामिल हैं। नये डी पी ए पी और डी डी पी ब्लॉक, संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच (एम ए डी ए) ब्लॉक जहां जनजातियों का बहुत जमाव है, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और जम्मू व कश्मीर में बाढ़ प्रवण ब्लॉक और वे ब्लॉक जिन्हें पहले तीव्रीकृत जवाहर रोजगार योजना (आई जी आर वाई) के अंतर्गत कवर किया गया था। ई ए एस जो मांग आधारित स्कीम है, के अंतर्गत राज्यवार आबंटन नहीं किये जाते। राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में क्षीण कृषि मौसम के दौरान शारीरिक कार्य की मांग के अनुरूप निधियों की मांग कर सकते हैं।

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय धनराशि का आबंटन निम्नलिखित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है:

(1) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण जनसंख्या को 35 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(2) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(3) गरीबी के विस्तार को 20 प्रतिशत महत्व दिया जाता है।

(4) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच ए डी पी) और विशेष श्रेणी पहाड़ी राज्यों की विशेष श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 12.5 प्रतिशत महत्व क्षेत्रों को तथा 12.5 प्रतिशत जनसंख्या को दिया जाता है।

उपर्युक्त (1) से (4) के आधार पर राज्य के लिए आकलित कुल राशि राज्य सरकार द्वारा राज्य क्षेत्रक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (एम एन पी) के अंतर्गत किए गए समनुरुप प्रावधान के शर्ताधीन होगी।

पर्सनल कम्प्यूटर

5229. श्री अनादि चरण दास पटरुधु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पर्सनल कम्प्यूटर का वर्तमान स्तर क्या है तथा इस स्तर को प्रति 1000 व्यक्ति पर कम से कम 10 पर्सनल कम्प्यूटर तक बढ़ाने व इस प्रकार इसे प्रोत्साहन देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) इस स्तर को प्राप्त करने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं; और

(ग) भारतीय भाषाओं विशेषत: तेलुगू में साफ्टवेयर विकसित करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) देश में वैयक्तिक कम्प्यूटरों की वर्तमान स्थिति प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 से भी कम है।

देश में व्यक्तिक कम्प्यूटर (पी सी) के प्रवेश के स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपाय उठाए हैं:-

(1) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग सरकार में कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा दे रहा है। इस वर्ग के अंतर्गत परियोजनाओं में आय कर विभाग, सीमा शुल्क, बिक्री कर, पुलिस विभाग, भारतीय मानक ब्यूरो, बंदरगाह/हवाई अड्डे, रेलवे, बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं शामिल हैं।

(2) राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन आई सी) ने समूचे देश में कम्प्यूटरीकरण तथा नेटवर्किंग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी अभिकरणों द्वारा प्रयोग के लिये "निकनेट" के माध्यम से एक सुविधा स्थापित की है।

(3) इलेक्ट्रानिक मेल, बुलेटिन बोर्ड जैसे व्यापक रूप से प्रयोग में लाए जा रहे अनुप्रयोगों तथा वर्ल्ड वाइड वेब

(डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू) जैसे इन्टरनेट अनुप्रयोगों को शिक्षण एवं अनुसंधान नेटवर्क (अर्नेट) नामक इलेक्ट्रानिकी विभाग द्वारा स्थापित एक नेटवर्क के माध्यम से सहायता प्रदान की जा रही है।

(4) आई-नेट, रैक्मन जैसे सार्वजनिक विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (वैन) दूर-संचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किये गये हैं। देश में वैन पर आधारित घरेलू अनुप्रयोगों के लिए वीसैट पर आधारित नेटवर्क की भी स्थापना की गई है तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क सम्पर्क और व्यावसायिक इन्टरनेट सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।

(5) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास के कार्य करने, कम्प्यूटर के क्षेत्र में अनुप्रयोग करने और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संस्थानों की स्थापना की है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी-डैक), इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसी), इलेक्ट्रॉनिकी डिजाइन तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीईडीटी) तथा राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनसीएसटी)।

(6) भारतीय भाषाओं में सूचना संसाधन साधनों का विकास करने के उद्देश्य से सरकार ने भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) नामक कार्यक्रम शुरू किया है ताकि इन भाषाओं में कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा सके।

(7) देश में कम्प्यूटर का प्रसार वर्ष 2000/2001 तक प्रति 1000 व्यक्ति पर 10 कम्प्यूटरों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। इस संबंध में समुचित कदम उठाए गए हैं।

(ग) सरकार ने सूचना संसाधन साधनों के विकास तथा भारतीय भाषाओं में उनके अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कई परियोजनाएं शुरू की हैं। प्रमुख क्षेत्रों में शब्द-संग्रहों, मशीन साधित अनुवाद प्रणालियों, मानव-मशीन इन्टरफेस प्रणालियों, कम्प्यूटर साधित ज्ञानार्जन एवं अध्यापन पैकेजों का विकास तथा प्राकृतिक भाषा संसाधन के मूल तत्व शामिल हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तेलुगू भाषा में मूलपाठ के शब्द संग्रह का विकास कर लिया गया है। तेलुगू से हिन्दी में मशीन साधित अनुवाद प्रणाली के विकास का कार्य हैदराबाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।

केरल की परियोजनाओं को मंजूरी देना

5230. श्री ई. अहमद: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने उनके मंत्रालय से विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) योजना आयोग में केरल सरकार से प्राप्त कोई भी परियोजना स्वीकृत हेतु लम्बित नहीं है।

समुद्रतटीय क्षेत्रों के लोगों की समस्याएं

5231. श्रीमती लक्ष्मी पनबाका: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के समुद्रतटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की दयनीय अवस्था, विशेषकर प्रत्येक वर्ष अक्तूबर और नवम्बर, में आने वाले तूफानों के दौरान की उनकी स्थिति के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या सरकार को इस विषय में यह भी जानकारी है कि प्रत्येक वर्ष नवम्बर माह में निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बचाने के लिए उन्हें मुख्य कस्बे में स्थानांतरित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो क्या प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह राशि प्रदान करने की बजाय उन्हें स्थायी तौर पर बेहतर सुविधाएं दिये जाने के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया है कि उन्हें नेल्लौर जिले के समुद्रतटीय क्षेत्रों तथा निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की रहन-सहन की स्थितियों की पूरी जानकारी है।

इन लोगों की रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से, आंध्र प्रदेश राज्य आवास निगम, नेल्लौर ने मछुवारा आवास कार्यक्रम के तहत 728 पक्के मकान बनाये थे।

(ग) और (घ) जिला प्रशासन ने समुद्र तट के समीप रहने वाले प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के

लिए एक अध्ययन किया और एक खास किस्म के मकान का डिजायन तैयार किया गया है। तूफानों के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए तटीय क्षेत्रों के समीप तूफान बसेरे बनाये गये हैं। अभी तक, नेल्लौर जिले के तटीय गांवों में 119 तूफान-बसेरे बनाये हैं तथा इन क्षेत्रों में 17 तूफान-बसेरे और बनाने का प्रस्ताव है। आपदा चेतावनियों के आधार पर, तूफान-आपदा से उत्पन्न परेशानियों को कम करने के लिए सभी सुरक्षात्मक उपाय किये जाते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए भूमि अधिग्रहीत करके ऊँचे स्थानों में आवास स्थल प्रदान करने के प्रयास किये हैं। गैर-सरकारी संगठन भी मछुवारा आवास कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्यों के प्रति राज्य सरकार के साथ 50% व्यय जुटा रहे हैं।

[हिन्दी]

विद्युत क्षेत्र के लिए विश्व बैंक सहायता

5232. **श्री चित्रसेन सिंकु:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक बिहार में विद्युत उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार को पंद्रह लाख अमरीकी डालर का ऋण देने के लिए सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक के ऋण से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू किया जायेगा;

(घ) क्या सरकार का विचार विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण का कार्य विभिन्न कंपनियों को सौंपने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का विचार उपरोक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् बिहार बिजली बोर्ड भंग करने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) राज्य विद्युत क्षेत्र का सुधार/पुनर्गठन किये जाने हेतु नैदानिक अध्ययन कार्य आरम्भ करने के लिए विश्व बैंक ने बिहार के लिए परियोजना उपक्रमात्मक सुविधा (पीपीएफ) के रूप में 1.5 मिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराए हैं।

(ग) और (घ) बिहार सरकार ने राज्य में विद्युत क्षेत्र का पुनर्गठन किये जाने हेतु दो चरणों में अध्ययन कार्य करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किये हैं।

(ङ) और (च) बिहार सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक संचालन समिति गठित की है जोकि प्रथम चरण के पूरे हो चुके कार्यों से संबंधित सिफारिशों पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

5233. **श्री अमरपाल सिंह:**
श्री बनवारी लाल पुरोहित:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या टैरिफ विनियम संबंधी समिति भी अपनी सिफारिशें देना चाहती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को किस हद तक क्रियाशील बनाया जाएगा?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की कार्यप्रणाली को सरल एवं कारगर बनाने के लिए उपाय प्रारंभ किये गये हैं।

(ख) सरकार ने राज्य बिजली बोर्डों को न्यूनतम लागत पर विद्युत उपलब्ध कराने के अंतिम उद्देश्य से वैकल्पिक टैरिफ ढांचों का अध्ययन करने तथा इस संबंध में परिवर्तन सुझाने के लिए जो भी आवश्यक हो, एक अंतः-मंत्रालय समिति का गठन किया है। समिति विचार-विमर्श करने की अंतिम अवस्था में है।

(ग) इस संबंध में परामर्शदाता की सिफारिशें प्रतीक्षित हैं जिसके बाद अपेक्षित परिवर्तन किये जाने हेतु विशेष कदम उठाए जायेंगे।

[हिन्दी]

इंडिया हैबीटेट सेंटर

5234. **श्री शिवराज सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडिया हैबीटेट सेंटर द्वारा अगस्त, 1996 तक कुल कितनी सदस्यता प्रदान की गयी है;

(ख) सदस्यता देने हेतु निर्धारित मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सदस्यता हेतु आवेदन देने वाले व्यक्तियों के आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं और किस आधार पर

उनके आवेदन पत्र स्वीकार किये गये थे तथा इस संबंध में संस्थान के उद्देश्य क्या हैं;

(घ) कब तक सदस्यों के उपयोग हेतु उक्त सेंटर का निर्माण कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या भविष्य में सदस्यता में वृद्धि करने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) (1) 6144 व्यक्तिगत सदस्यता (2) 163 निगमित सदस्यता।

(ख) और (ग) जनसाधारण से प्राप्त आवेदनों की भारत पर्यावास केन्द्र के शासी निकाय की उप-समिति द्वारा जांच की जाती है तथा उन आवेदकों को सदस्यता की पेशकश की जाती है, जिनसे पर्यावास के उन लक्ष्यों में सहयोग की उम्मीद हो जिनके लिए इस केन्द्र की स्थापना की गई है।

(घ) बताया गया है कि हालांकि सुविधा केन्द्र चालू होने के लिए तैयार है, लेकिन इसका उपयोग लम्बित मुकदमों के नतीजे पर निर्भर करेगा।

(ङ) और (च) चूंकि केन्द्र अभी चालू होना है, इसलिए इस स्तर पर भावी सदस्यता का निर्णय नहीं लिया जा सकता।

बिहार में परती भूमि विकास

5235. श्री बृज मोहन राय: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के लिए परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत हेतु लम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है;

(घ) पठारी/परती भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा कितनी परियोजनाओं का वित्त पोषण किया गया है;

(ङ) इस समय कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को बिहार में कब तक कार्यान्वित किया जाएगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जुलाई, 1992 में बंजरभूमि विकास विभाग के सृजन से लेकर 31.3.1996 तक बिहार के लिए बंजर-भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) अनुमोदन हेतु लम्बित पड़ी परियोजनाओं का कारण सहित ब्यौरा विवरण-II पर है। परियोजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन संबंधित योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं के साथ उनकी व्यवहार्यता, अनुरूपता तथा बजट की उपलब्धता पर निर्भर करती है। किसी भी परियोजना के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

(घ) से (च) इस समय, बिहार राज्य में बंजरभूमि विकास विभाग की मार्फत विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित विशेषरूप से बंजरभूमि विकास के लिए कोई भी परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

विवरण–I

राज्य–बिहार

क्रमांक	जिला	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत (रुपये लाख में)	कुल भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)	स्वीकृत परियोजना	उद्देश्य
1	2	3	4	5	6	7
समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम						
1.	चतरा	1993–94 से 1996–97	138.45	1445	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	बंजरभूमि विकास और जागरूकता पैदा करना

1	2	3	4	5	6	7
2.	लोहारडग्गा	1993-94 से 1996-97	248.66	2670	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	बंजरभूमि विकास और जागरूकता पैदा करना
3.	गढ़वा	-वही-	114.21	1295	-वही-	-वही-
4.	गया	-वही-	433.37	5470	-वही-	-वही-
5.	नवादा	-वही-	288.37	3620	-वही-	-वही-
6.	देवघर	1994-95 से 1997-98	331.60	4400	-वही-	-वही-
7.	पलामू	1993-94 से 1996-97	233.97	2705	-वही-	-वही-
8.	वैशाली	1995-96 से 1998-99	40.00	1000	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर, बिहार	-वही-
	उप-योग		1828.63	22605		

प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना

1.	रांची	1989-90 से 1992-93	12.62	135	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके, रांची	बंजरभूमि के विकास के लिए कृषिवानिकी माडलों का प्रदर्शन
2.	रांची	1995-96 से 1999-2000	20.725	110	ग्रामीण औद्योगिक सोसाइटी, रांची	वर्मीकल्चर प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन एवं विकास
3.	धनबाद	1994-95 से 1996-97	55.04	400	भारत कुकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद	खनन मिट्टी का सुधार
4.	समस्तीपुर	1994-95 से 1995-96	6.06	50	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	कृषिवानिकी माडलों के माध्यम से बंजरभूमि का विकास
5.	-वही-	1994-95 से 1998-99	32.45	405	-वही-	दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर
	उप-योग		126.895	1100		

1	2	3	4	5	6	7
अनुदान सहायता योजना						
1.	चम्पारन	1992-93 से 1994-95	7.95	120	शिवानी वृक्षारोपण वन विकास ग्राम समिति	बंजरभूमि विकास और जागरूकता पैदा करना
2.	देवघर	1992-93 से 1993-94	1.51	42	कोनसोरटम ऑफ ह्यूमन टेकनिकल नेच्वर एसोसिऐशन, चेतना	-वही-
3.	पटना	1993-94 से 1994-95	3.53	91	अदिथि	-वही-
4.	देवघर	1995-96 से 1999-2000	27.52	600	ग्रामीण विकास परिषद	-वही-
5.	पटना	1993-94	0.40	6	बी.एन.कालेज, जीव विज्ञान विभाग	-वही-
6.	देवघर	1994-95 से 1998-99	16.18	491	संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति	-वही-
7.	पुरनिया	1992-93 से 1993-94	6.79	100	पुरनिया जिला समग्र विकास परिषद	-वही-
8.	पारडी	1992-93 से 1993-94	5.38	120	सर्वोदय सेवा संघ	-वही-
9.	डालटनगंज	1994-95 से 1998-99	59.28	1140	सोसाइटी फार हिल रिसोरसीज मेनेजमेंट स्कूल	-वही-
10.	लोहारडग्गा	1994-95 से 1997-98	180	2550	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, लोहारडग्गा	-वही-
11.	पटना	1995-96 से 1997-98	6.92	77	बिहार राहत समिति	-वही-
12.	डी. देवघर	1995-96 से 1996-97	1.46	122	संथालपरगना विकास एवं सेवा संस्थान	-वही-
13.	पटना	1995-96 से 1997-98	6.92	77	बिहार ग्रामीण अंतोदय विकास परिषद	-वही-
14.	कंगारिया	1995-96 से 1999-2000	12.40	150	अखिल भारतीय कांवरिया सेवा संघ	-वही-
15.	पश्चिम चम्पारन	1995-96 से 1997-98	1.76	38	ज्ञान सागर	-वही-
16.	देवघर	1995-96 से 1999-2000	27.52	600	ग्रामीण विकास परिषद	-वही-
17.	पटना	1992-93 से 1993-94	4.57	60	डेवलपमेंट रिसर्च कंसलटेंट	-वही-
18.	मधुबनी	1995-96 से 1999-2000	14.34	150	मिथला उदयमिता विकास समिति	-वही-
	उप योग		384.43	6534		

विवरण-II

क्रमांक	परियोजना/एजेंसी/जिले का नाम	कारण
1	2	3
समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम		
1.	गिरडीह जिले में स.ब.भू.वि.परि.	कमियां राज्य सरकार को सूचित कर . प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	रोहतास (ससाराम) जिले में स.ब.भ.वि.परि.	-वही-
3.	पुर्निया जिले में मत्स्य पालन के लिए परियोजना	परियोजना मार्गदर्शिकाओं के अनुरूप नहीं है।
4.	पलामू जिले में स.ब.भू.वि.परि.	-वही-
सहायता अनुदान योजना		
1.	ग्रामीण नारी प्रेरणा, घुमका	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी से पूर्व मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतीक्षित है और स्वैच्छिक एजेंसी को कमियाँ दूर करनी होती हैं।
2.	बिहार सेवा मंडल, लेखीसराय	-वही-
3.	संथाल परगना अंतोदय आश्रम, घुमका	-वही-
4.	लोक चेतना अभिकरण केन्द्र, सारन	-वही-
5.	सिंहभूम ग्रामीण उन्नयन केन्द्र, पश्चिमी सिंहभूम	-वही-
6.	लोक शिक्षा संस्थान, मुजफ्फरपुर	-वही-
7.	बंजरभूमि विकास संघ, कोडरमा	-वही-
8.	भारत नवनिर्माण चेतना विकास संस्था, नालंदा	-वही-
9.	बिहार प्रदेश युवा परिषद, पलामु	-वही-
10.	ग्राम सभा सेवा संस्थान, घुमका	-वही-
11.	पर्यावरण जागृति केन्द्र, बेगुसराय	-वही-
12.	प्रमिला कल्याण समिति, भागलपुर	ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसी से मूल्यांकन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।
13.	बिहार राज्य वन विकास निगम, पश्चिम चम्पारन	परियोजना में संशोधन के लिए स्वैच्छिक एजेंसी के साथ विचार-विमर्श होना है।
14.	उत्तर बिहार समाज कल्याण संस्थान, मुजफ्फरपुर	प्रक्रिया चल रही है।
15.	समता ग्राम सेवा संस्थान (जिला नहीं बताया गया है)	-वही-

1	2	3
16.	पर्यावरण एवं सामाजिक जागरूकता सोसाइटी (जिले का उल्लेख नहीं किया गया है)	प्रक्रिया चल रही है।
17.	उरसूलाइन परोविनसिलेटी (जिला बताया नहीं गया है)	-वही-
18.	पुरनिया जिला समग्र विकास परिषद, पुर्निया	-वही-
19.	विकल्प, जामुई	-वही-
20.	लोक कल्याण परिषद, सिंहभूम	-वही-
21.	प्रवाह, देवघर	-वही-
22.	श्री दुर्गे समाज कल्याण संस्थान, नवादा	-वही-
23.	राष्ट्रीय चक्रीया विकास विद्यालय, रांची	-वही-
24.	जन सेवा भारती, मधुबनी	-वही-
25.	राष्ट्रीय ग्रामीण कृषि विद्यापीठ, सारण	-वही-
26.	वृक्ष विकास, पलामू	-वही-
27.	संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति, देवघर	-वही-
28.	महिला सेवा भारती, जामुई	-वही-
29.	लोक सेवा भारती, मधुबनी	-वही-

[अनुवाद]

किराए की बकाया राशि

5236. श्री प्रमोद महाजन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पूर्वमंत्रियों, पूर्व सांसदों और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो सरकारी बंगलों/फ्लैटों आदि पर अनधिकृत रूप से अभी तक कब्जा किए हुए हैं, और 31 अगस्त, 1996 की स्थिति के अनुसार ऐसे बंगलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर आज की तारीख के अनुसार बकाया राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन संसद सदस्यों के नाम क्या हैं जो अपनी पात्रता से अधिक उच्च टाइप के बंगलों में रह रहे हैं और उन्हें उनकी पात्रता के अनुसार बंगले आबंटित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) उपर्युक्त भाग (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के बंगले खाली कराने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं और प्रत्येक से कितनी बकाया राशि वसूल की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) संलग्न विवरण-I के अनुसार।

(ग) संलग्न विवरण II के अनुसार लोक/राज्य सभा आवास समितियों/साधारण पूल की समुचित टाइप की उपलब्धता की शर्त पर पात्रता वास का प्रस्ताव किया जा रहा है।

(घ) बंगलों को खाली करवाने के लिए और प्रत्येक से बकाया देय की वसूली के लिए नियमानुसार कदम उठाये गए हैं।

विवरण–I

31-8-96 को सरकारी बंगलों/फ्लैटों को अभी तक कब्जा किये हुए पूर्व मंत्री/पूर्व सांसद और अन्य विशिष्ट व्यक्ति

क्र. सं.	नाम (सर्व/श्री)	बंगला/फ्लैट संख्या	देय राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	पी.वी. रंगैयानायडू	24, विलिंग्डन क्रीसेंट	21,619/-
2.	जगदीश टाईटलर	2, अकबर रोड	1,29,985/-
3.	एडुआर्डो फ्लैरियो	6, जनपथ	1,67,721/-
4.	स्व. श्री एम. सुब्बाराम रेड्डी का परिवार	ए बी-18, मथुरा रोड	1,03,298/-
5.	स्व. श्री दिनेश सिंह का परिवार	1, त्यागराज मार्ग	5,14,243/-
6.	रामधन	12, डा. आर. पी. रोड	4,53,341/-
7.	एम.सी. गुप्ता	ए बी-17 पण्डारा रोड	1,20,774/-
8.	बांदी ओरगंऊ	4-1 (एम.एस.) शाहजहां रोड	1,12,951/-
9.	के.के. तिवारी	सी-1/24, पण्डारा पार्क	44,443/-
10.	भीष्म नारायण सिंह	सी-1/1, पण्डारा पार्क	28,226/-
11.	श्रीमती गुरवचन कौर	16, विण्डसर प्लेस	34,244/-
12.	आर.के. टक्कर	सी-1/5, हुमायूं रोड	27,371/-
13.	सुबोध कान्त सहाय	सी-1/2, लोदी गार्डन	2,34,558/-
14.	ए.एन. जयराम	ए बी-83 शाहजहां रोड	43,632/-
15.	डी.एन. द्विवेदी	1-बी, मौलाना आबाद रोड	96,360/-
16.	श्रीमती अमरजीत कौर	बी-2, बी.के.एस. मार्ग	3,23,946/-
17.	श्रीमती कमला कुमारी	बी-6, बी.के.एस. मार्ग	44,371/-
18.	वी.सी. शुक्ला	9, जनपथ	1,59,412/-
19.	बी. शंकरानन्द	8, तीस जनवरी मार्ग	1,35,715/-
20.	के.पी. उन्नीकृष्णन	9, सफदरजंग रोड	2,60,450/-
21.	पी.के. थुंगन	ए बी-3, पण्डारा रोड	88,306/-
22.	बूटा सिंह	16, अशोका रोड	3,35,357/-

1	2	3	4
23.	सैफुद्दीन चौधरी	14, अशोका रोड	1,39,931/-
24.	सज्जन कुमार	7, अकबर रोड	1,10,426/-
25.	कमलनाथ	7, तुगलक रोड	1,15,781/-
26.	आर. प्रभु	सी-1/8, पण्डारा पार्क	4,086/-
27.	जगमीत सिंह बरार	35, लोधी एस्टेट	65,081/-
28.	एस. जयपाल रेड्डी	14, अकबर रोड	1,56,751/-
29.	दिग्विजय सिंह	5-7, महादेव रोड	99,588/-
30.	एम.एस. भट	1, तालकटोरा रोड	65,878/-

विवरण-II

उन पूर्व मंत्रियों और सांसदों के नाम, जो पात्रता मानदण्डों को पूरा किये बिना सामान्य पूल के बड़े बंगलों में रह रहे हैं

क्र. सं.	नाम (सर्व/श्री)	मकान नं.	टाईप
1	2	3	4
1.	ए.बी.ए. गनी ख़ान चौधरी	12, अकबर रोड	VIII
2.	जार्ज फर्नांडिज	3, के.एम. मार्ग	-वही-
3.	स्व. श्री एन. आर. मिर्धा	3, सफदरजंग रोड	-वही-
4.	शरद यादव	9, अकबर रोड	-वही-
5.	अशोक गहलोत	3, त्यागराज मार्ग	-वही-
6.	तस्लीमुद्दीन	2, एम.एल.एन. प्लेस	-वही-
7.	शिवराज पाटिल	20, अकबर रोड	-वही-
8.	कल्प नाथ राय	36, औरंगजेब रोड	-वही-
9.	कमालुद्दीन अहमद्र	9, अशोका रोड	-वही-
10.	माधव राव सिंधिया	27, सफदरजंग रोड	-वही-
11.	कर्नल राम सिंह	6, अशोका रोड	-वही-
12.	अजीत सिंह	18, अकबर रोड	-वही-
13.	जी. वेंकट स्वामी	2, जन्तर मन्तर	-वही-
14.	राजेश पायलट	10, अकबर रोड	-वही-
15.	एस.एम. देव	15, अशोका रोड	-वही-

1	2	3	4
16.	कु. शैलजा	3, सुनहरी बाग रोड	VIII
17.	श्रीमती सुखबंस कौर	19, सफदरजंग रोड	-वही-
18.	पी. उपेन्द्रा	11, अकबर रोड	-वही-
19.	प्रणव मुखर्जी	5, अशोका रोड	-वही-
20.	सोमनाथ चटर्जी	21, अशोका रोड	-वही-
21.	बासुदेव आचार्या	4, अशोका रोड	-वही-
22.	एन. के. पी. साल्वे	32, औरंगजेब रोड	-वही-
23.	मतांग सिंह	4, कुशक रोड	-वही-
24.	एस. के. शिन्दे	23, सफदरजंग रोड	-वही-
25.	एच. आर. भारद्वाज	14, तुगलक रोड	-वही-
26.	एम. राजशेखर मूर्ती	7, त्यागराज मार्ग	-वही-
27.	एस.वी. चव्हान	4, के.एम. मार्ग	-वही-
28.	के. करुणाकरण	9, के.एम. मार्ग	-वही-
29.	एम. रामचन्द्रन	4, साउथ एवेन्यू लेन	VII
30.	श्रीमती गिरजा व्यास	ए बी-96, शाहजहां रोड	-वही-
31.	के.पी. सिंह देव	4, लोधी स्टेट	-वही-
32.	मल्लिकार्जुन	60, लोधी स्टेट	-वही-
33.	पी.जे. कुरियन	ए.बी.-77, शाहजहां रोड	-वही-
34.	कैप्टन सतीश शर्मा	8, सफदरजंग लेन	-वही-
35.	गुरुदास दासगुप्ता	24, केनिंग लेन	-वही-
36.	ई. बालानंदन	8, टी. एम. लेन	-वही-
37.	जितेन्द्र प्रसाद	11-ए, टी. एम. मार्ग	-वही-
38.	विनोद शर्मा	12, तुगलक लेन	-वही-
39.	एस.सी. अग्रवाल	ए.बी-10, डा. जेड. एच. मार्ग	-वही-
40.	वी. हनुमांथा राव	21, विलिंगडन क्रिसेंट	-वही-
41.	श्रीमती विजय राजे सिंधिया	16, टी. एम. लेन	-वही-
42.	इकबाल सिंह	34, लोधी एस्टैट	VI
43.	जयंत मल्होत्रा	3, एम.एल.एन. मार्ग	-वही-
44.	श्रीमती वैजयन्ती माला बाली	सी 1/10, लोधी गार्डन	-वही-
45.	कांशी राम	सी 1/11, हुमायूं रोड	-वही-

कोलार में विद्युत संयंत्र

5237. श्री के. एच. मुनियप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोलार जिले में, जो कि एक अत्यंत पिछड़ा हुआ जिला है, एक तापीय विद्युत संयंत्र लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) से (ग) **कर्नाटक सरकार ने मैसर्स एचएमजी पावर (कोलार) लिमिटेड, बंगलौर को निजी क्षेत्र में कोलार में 100 मे.वा. डीजी विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर दी है।** केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस स्कीम को कुछ शर्तो के तहत "सिद्धांत रूप में" स्वीकृति प्रदान कर दी है ताकि कंपनी इस स्कीम हेतु विभिन्न वाणिज्यिक एवं वित्तीय व्यवस्थाओं पर सुविधाजन्क रूप से कार्यवाही कर सके।

दिल्ली में मैट्रो रेलवे

5238. श्री विजय गोयल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मेट्रो रेलवे (भूमिगत) व्यवस्था संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय से कनाट प्लेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, अंतर-राज्यीय बस अड्डा और पुराना सचिवालय से होते हुए विश्व विद्यालय तक लगभग 11 कि.मी. की दूरी पर भूमिगत मेट्रो रेल शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।

(ख) परियोजना के लिए सभी आपेक्षित अध्ययन पूरे कर लिये गये हैं और इस प्रस्ताव पर भारत सरकार की अंतिम निवेश संबंधी स्वीकृति की प्रतीक्षा है।

जलापूर्ति और मल-जल व्ययन

5239. श्री राम नाईक: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र जलापूर्ति और मल-जल व्ययन परियोजना चरण दो की एक परियोजना केन्द्रीय सरकार के समक्ष अंतिम स्वीकृति हेतु लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कब से;

(ग) इस समय यह किस स्तर पर लंबित है; और

(घ) इसे कब तक स्वीकृति प्रदान करने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन परियोजना (चरण-II), केन्द्र सरकार और भेजी गई टिप्पणियां आगे अनुपालन हेतु महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र जल आपूर्ति तथा मल-जल व्ययन बोर्ड के पास लंबित हैं। इस मामले पर जून, 1995 से राज्य सरकार के साथ पत्राचार हो रहा है। राज्य सरकार से केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय अभियांत्रिकी संगठन (सीपीएचईईओ), केन्द्रीय जल आयोग, योजना आयोग, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय और राज्य सरकार के वन विभाग की मंजूरी शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली अपेक्षित विभिन्न मंजूरियों को देखते हुए फिलहाल कोई निश्चित समय सीमा नहीं बतायी जा सकती।

सर्कुलर रेलवे

5240. प्रो. जितेन्द्र नाथ दास:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग को दूसरे मार्ग के निर्माण तथा कलकत्ता के पूरे मार्ग विस्तार के विद्युतीकरण सहित सर्कुलर रेलवे के कार्य को पूरा करने हेतु रेल मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा योजना को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में मैट्रो रेलवे का विस्तार करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) योजना आयोग में 1984 में प्रिंसपघाट के मार्ग से दम दम से माजेरहट तक विद्युतीकृत दोहरे ट्रैक सहित कलकत्ता सर्कुलर रेलवे के लिए रेल मंत्रालय से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। 35 करोड़ रु. की लागत के प्रस्ताव का भाग, जो दम दम से प्रिंसपघाट तक गैर विद्युतीकृत एकल लाईन से संबंधित है, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दिया गया था।

गैर विद्युतीकृत, 5.5 किलोमीटर की दूरी के लिए प्रिंसपघाट से माजेरहट तक सिंगल लाईन जिसकी लागत 49.54 करोड़ रुपये है, सहित कलकत्ता सर्कुलर रेलवे का प्रस्ताव योजना आयोग में सितम्बर, 1994 में प्राप्त हुआ था।

चूंकि दोहरे ट्रैक तथा विद्युतीकरण का मूल प्रस्ताव रेलवे द्वारा आरम्भ नहीं किया गया था, जो मूल प्रस्ताव में काफी संशोधन से संबंधित था, के लिए योजना आयोग ने अक्तूबर, 1994 में संशोधित तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण तथा लागत लाभ सर्वेक्षण का सुझाव दिया था। रेल मंत्रालय से फरवरी, 1995 में सूचित किया है कि लागत लाभ विश्लेषण सहित तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ कर दिया गया है।

(ङ) से (च) कलकत्ता में टालीगंज से गड़िया तक मैट्रो रेलवे के विस्तार हेतु शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय को पश्चिम बंगाल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। परियोजना के प्रबंधकीय तथा वित्तीय पहलुओं से संबंधित विभिन्न मुद्दे मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के साथ उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

करनाल तेल शोधक कारखाना

5241. श्री ओ. पी. जिन्दल: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने करनाल तेल शोधक कारखाने की क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) करनाल तेल शोधक कारखाने में कार्यरत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(घ) करनाल तेल शोधक कारखाने में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कितने कर्मचारियों को भर्ती किया गया है; और

(ङ) विभिन्न तेल शोधक कारखानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को भर्ती करने के लिए सरकार की आरक्षण नीति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) पानीपत रिफाइनरी (पहले का नाम करनाल रिफाइनरी) के विस्तार के लिए आई ओ सी के प्रस्ताव पर प्रथम चरण की स्वीकृति के लिए कार्रवाई जारी है।

(ग) पानीपत रिफाइनरी में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अधिकारी	24	13
गैर अधिकारी	7	–

(घ) एक उम्मीदवार अन्य पिछड़े वर्गों से भर्ती किया गया है।

(ङ) इंडियन आयल कार्पोरेशन में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण की नीति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाएं स्थापित करना

5242. श्री पी. आर. एस. वेंकटेशन: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में विद्युत संयंत्र स्थापित कराने हेतु विदेशी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकार करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या मानदण्ड अपनाये जा रहे हैं;

(ख) इस हेतु विदेशी कंपनियों द्वारा वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी राशि के निवेश की पेशकश की गयी है तथा इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा कितनी राशि की पेशकश स्वीकार की गयी है;

(ग) यह विद्युत संयंत्र कहां स्थापित होगा और कितनी अवधियों के भीतर होगा; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु 1991 में बनाई गई नीति भारतीय व विदेशी निवेशकों दोनों ही के लिए खुली है तथा भारत में कहीं भी, तमिलनाडु सहित, विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए भी लागू है।

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा तमिलनाडु में विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए विदेशी निवेश के लिए किसी भी स्कीम को स्वीकृति नहीं दी गयी है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

गरीब वर्गों के लिए घर

5243. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान आवास और शहरी विकास निगम द्वारा महाराष्ट्र के लिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लोगों के लिए घरों के निर्माण के लिए कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई; और

(ख) क्या महाराष्ट्र राज्य की कोई अन्य योजना आवास और शहरी विकास निगम के पास लम्बित पड़ी है, यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब तक हो जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको) द्वारा वर्ष 1994-95, 1995-96 तथा चालू वर्ष अर्थात 1996-97 के दौरान आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों (ई. डब्ल्यू. एस.) के लिए मकानों के निर्माण/उन्नयन हेतु महाराष्ट्र राज्य में उधार लेने वाले अभिकरणों को स्वीकृत की गई ऋण राशि इस प्रकार है:-

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1994-95	18.57
1995-96	2.33
1996-97 (31.7.96 तक)	4.99

(ख) ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत कोई योजना हडको में लम्बित नहीं है। महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त अन्य योजनाओं, जिन पर हडको द्वारा कार्रवाई की जा रही है, के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं। हडको द्वारा योजनाओं की स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है तथा यह उधार लेने वाले अभिकरणों द्वारा विभिन्न मूल्यांकन व औपचारिकताएं पूरी करने पर निर्भर है।

विवरण

	योजना का नाम	ऋण राशि (रु. लाख में)
1.	जलगांव जिले में निम्न आय वर्ग मकानों की मरम्मत और नवीकरण की योजना	198.00
2.	-वही-	198.00
3.	-वही-	198.00
4.	-वही-	198.00
5.	-वही-	198.00
6.	अमरावती में के.रि.पु. बल ग्रुप IX के लिए 650 क्वार्टरों का निर्माण	1343.55

* क्रम संख्या 1 से 5 तक की योजनाएं जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल कोओपरेटिव बैंक लि. द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

** क्रम सं. 6 की योजना महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रस्तुत की गई है।

बंजर भूमि विकास

5244. **श्री बी. धर्म भिक्षम:**
श्री भक्त चरण दास:
श्री गिरधारी यादव:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्यवार बंजरभूमि क्षेत्र कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने क्षेत्र को कृषि के अंतर्गत लाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार निगमित क्षेत्र को बंजरभूमि विकास हेतु प्रोत्साहन देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) 1995-96 के दौरान राज्यवार बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(छ) अभी तक स्वीकृत/अनुमोदित न की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ज) इसके क्या कारण हैं; और

(झ) इन लम्बित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत/अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) देश में बंजरभूमि की सीमा के संबंध में सही-सही सूचना उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी ने 241 जिलों के नक्शे बनाए हैं। मानचित्रित जिलों में उपलब्ध कुल अनुमानित बंजरभूमि 35.65 हैक्टेयर है। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) कृषि के अंतर्गत लाई गई भूमि की अधिकतम सीमा के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) जी हां, 1994-95 से बंजरभूमि के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना, "निवेश संवर्धन योजना" कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना, केन्द्र और राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों, निजी किसानों आदि से संबंधित वनेतर क्षेत्रों में बंजरभूमि के विकास के लिए प्रयोक्ता उद्योगों और अन्य अध उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधनों को सुलभ बनाने/आकृष्ट करने/प्रोत्साहित करने/संसाधन जुटाने हेतु बनाई गई हैं।

योजना के अंतर्गत संवर्धनात्मक सब्सिडी/अनुदान मुहैया कराया जाता है बशर्ते कि यह 25.00 लाख रुपये अथवा कुल परियोजना लागत का 25% हो, जो भी कम हो, जैसा कि वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा अनुमोदित तथा निर्धारित किया गया हो। इसके अलावा परियोजनाओं का सृजन करने के लिए परियोजना लागत के 1% की दर से परियोजना निर्माण, बैंक आधारित व्यवहार्य परियोजना तैयार करने के लिए सहायता देने की अनुमति है।

(च) बंजरभूमि विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:-(1) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना; (2) प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण; (3) निवेश संवर्धन योजना और (4) स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु सहायता अनुदान 1995-96 के दौरान विभाग की इन योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) से (झ) विभाग की योजना के अंतर्गत लम्बित परियोजनाएं नीचे दी जाती हैं:-

योजना	लम्बित पड़ी परियोजनाओं की संख्या
1. समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना	73
2. स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु सहायता अनुदान	285
	358

परियोजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन संबंधित योजनाओं की मार्गदर्शिकाओं के साथ उनकी व्यवहार्यता, अनुरूपता तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इस प्रकार प्राप्त परियोजनाओं की स्वीकृति/अनुमोदन के लिए कोई समयावधि/सीमा नहीं दर्शाई जा सकती।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारत में 241 जिलों का बंजरभूमि क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1.	आंध्र प्रदेश	48.813
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.620
3.	असम	8.680
4.	बिहार	16.203
5.	गुजरात	20.989
6.	गोवा	0.16
7.	हरियाणा	2.544
8.	हिमाचल प्रदेश	5.051
9.	जम्मू और कश्मीर	9.832
10.	कर्नाटक	17.118
11.	केरल	0.975
12.	मध्य प्रदेश	69.714
13.	महाराष्ट्र	38.323
14.	मणिपुर	5.351
15.	नागालैण्ड	4.617
16.	उड़ीसा	21.342
17.	पंजाब	1.029
18.	राजस्थान	51.835
19.	तमिलनाडु	14.806
20.	उत्तर प्रदेश	14.904
21.	पश्चिम बंगाल	2.112
	कुल राज्य	356.471

स्रोत: राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी-1986-93 लेंडसेट थेमेटिक मैपर/आई.आर.एस.एल.एल.आई.एस.एस.-II डेडा से तैयार किया गया 1:50, 000 माप पर बंजर भूमि मानचित्र।

विवरण–II

क्रमांक	नाम	अवधि	परियोजना लक्ष्य	
			भौतिक (हैक्टेयर में)	वित्तीय (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5
1. समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम				
1.	समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना, अजमेर (राजस्थान)	95–96 से 98–99	650	26.00
2.	–वही– चित्तूर (आ. प्र.)	–वही–	500	20.00
3.	–वही– वैशाली (बिहार)	–वही–	1000	40.00
4.	–वही– गुड़गाँव (हरियाणा)	–वही–	5473	218.92
5.	–वही– कुरनूल (आ.प्र.)	–वही–	8300	332.00
6.	–वही– इदुकी (केरल)	–वही–	10,080	403.20
7.	–वही– जुनोबुटा (नागालैंड)	–वही–	2,500	100.00
8.	–वही– राजनंद गाँव (म.प्र.)	–वही–	11,100	444.00
2. प्रौद्योगिकी विकास विस्तार एवं प्रशिक्षण योजना				
1.	बाँस वृक्षारोपण परियोजना (असम)	(4 वर्ष) 95–96 से 98–99	200	14.08
2.	कृमिपाल के प्रयोग द्वारा बंजरभूमि के विकास के लिए चालू अनुसंधान परियोजना (बिहार)	(5 वर्ष) 95–96 से 99–2000	आर. और. डी. 110	20.725
3.	वायोमास उत्पादन में माइकोरिजा की भूमिका (दिल्ली)	(तीन वर्ष) 94–95 से 97–98	50	6.70
4.	बंजर भूमि पर डाटाबेस, दिल्ली	(1 वर्ष) 95–96	डाटाबेस स्टडी	3.00
5.	कृषि वानिकी, चालू अनुसंधान परियोजना एवं प्रशिक्षण (गुजरात)	(4 वर्ष) 94–95 से 97–98	300	35.805

1	2	3	4	5
6.	कृषिवानिकी-चालू अनुसंधान परियोजना (हि. प्र.)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	188	20.96
7.	कृषिवानिकी परियोजना (हि. प्र.)	(4 वर्ष) 94-95 से 97-98	150	10.47
8.	चयनित वृक्ष प्रजातियों तथा जैविक जल-निकासी की वाष्पीकरण क्षमता-सिंचाई अनुसूची तैयार करना-विस्तार (हरियाणा)	(3 वर्ष) 95-96 से 97-98	अनुसंधान परियोजना	4.518
9.	क्षारीय एवं जल तालिका के नियंत्रण हेतु वृक्षारोपण का मूल्यांकन करना (हरियाणा)	(5+2=7 वर्ष) 90-91 से 96-97	अनुसंधान	27.25
10.	बांस पर आधारित कृषिवानिकी परियोजना (कर्नाटक)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	200	14.08
11.	बंजरभूमि और वनरोपण परियोजना का सुधार (कर्नाटक)	(2 वर्ष) 94-95 से 95-96	20	3.72
12.	विस्तार एवं प्रशिक्षण के लिए कृषिवानिकी 7 मॉडल (केरल)	(3 वर्ष) 95-96 से 97-98	200	18.075
13.	वर्मीकल्चर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बंजरभूमि विकास के लिए चालू अनुसंधान परियोजना (महाराष्ट्र)	(5 वर्ष) 95-96 से 99-2000	स्टडी 10	9.29
14.	बाँस पर आधारित कृषि वानिकी परियोजना (महाराष्ट्र)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	200	14.88

1	2	3	4	5
15.	कृषिवानिकी परियोजना (म.प्र.)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	120	15.615
16.	बाँस पर आधारित परियोजना (म.प्र.)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	200	14.08
17.	वनेत्तर बंजर भूमि के विकास के लिए झूम कृषि हेतु वैकल्पिक आधार पर प्रायोगिक परियोजना (मेघालय)	(3 वर्ष) 95-96 से 97-98	42	5.30
18.	कोहिमा (नागालैण्ड) में बंजर भूमि क्षेत्रों में कृषि-वानिकी	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	55	6.975
19.	टिशु कल्चर उपायों के माध्यम से अरावली चयनित औषधीय पौधों को बढ़ावा देना (राजस्थान)	(3 वर्ष) 93-94 से 95-96	अनुसंधान परियोजना	5.398
20.	जोजोबा पोधरोण ढांड एवं फतेहपुर (राजस्थान)	(5 वर्ष) 94-95 से 98-99	120	197.17
21.	चालू अनुसंधान परियोजना द्वारा कृषिवानिकी (सिक्किम)	(3 वर्ष) 92-93 से 94-95	187	12.513
22.	कृषिवानिकी एवं पशुधन उत्पादन के माध्यम से बंजरभूमि विकास के लिए चालू अनुसंधान परियोजना समेकित भूमि प्रबंध (तमिलनाडु)	(3 वर्ष) 94-95 से 96-97	600	58.077
23.	जैव कीटाणुनाशक तथा चारा पशुधन मॉडल (तमिलनाडु)	(3 वर्ष) 94-95 से 96-97	100	10.195
24.	बंजरभूमि का सुधार (तमिलनाडु)	(4 वर्ष) 95-96 से 98-99	200	14.32

1	2	3	4	5
25.	फैजाबाद में बंजरभूमि का समेकित विकास (उ.प्र.)	(5 वर्ष) 93-94 से 97-98	210	25.12
26.	कृषिवानिकी चालू अनुसंधान परियोजना, फेज-3 (पश्चिम बंगाल)	(3 वर्ष) 93-94 से 95-96	100	4.60
3. निवेश संवर्धन योजना				
1.	मदुरै जिले में बागवानी फलोधान का विकास (तमिलनाडु)	(5 वर्ष) 95-96 से 99-2000	14.3	20.73
2.	बागवानी वृक्षारोपण (तमिलनाडु)	(5 वर्ष) 95-96 से 99-2000	26.0	24.20
3.	बागवानी फसलों सहित बंजरभूमि का विकास (तमिलनाडु)	(5 वर्ष) 95-96 से 99-2000	24.7	29.19

4. स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु सहायता अनुदान

क्रमांक	स्वैच्छिक एजेंसियों का नाम	जिला	परियोजना अवधि	कवर किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयर)	परियोजना लागत (रुपए लाख में)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश					
1.	समेकित विकास के लिए सामाजिक कार्य	चित्तूर	1995-96 से 99-2000	150	11,43,600
2.	उदय भास्कर प्रज्ञा सेवा समिति	कुड्डप्पा	-वही-	70	2,70,480
3.	ग्रामीण समेकित और सामाजिक शैक्षिक सोसाइटी	अनन्तपुर	95-96 से 98-99	90	7,04,160
4.	विकास आर्थिक पर्यावरण अभिप्रेरण के लिए ग्रामीण शिक्षा	रंगारेड्डी	-वही-	80	2,87,040
5.	शांति ग्रामोद्योग	संगम	95-96 से 99-2000	138	10,15,680

1	2	3	4	5	6
बिहार					
6.	अखिल भारतीय कंवारिया सेवा संघ	खगारिया	94-95 से 98-99	150	12,40,000
7.	ज्ञान सागर	पश्चिम चंपारण	95-96 से 97-98	38	1,75,712
8.	ग्रामीण विकास परिषद	देवघर	95-96 से 99-2000	600	27,52,000
9.	मिथिला उदयमिता विकास समिति	मधुबनी	-वही-	150	14,34,000
दिल्ली					
10.	रुथ कोवैल फाउंडेशन	दिल्ली	95-96 से 96-97	24.5	2,16,188
गुजरात					
11.	इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेडिज़ एंड ट्रांसफारमेशन	अहमदाबाद	95-96 से 97-98	75	4,43,800
हरियाणा					
12.	हिन्दुस्तान ग्रीनिंग एंड वेलफेयर सोसाइटी	सोनीपत	95-96 से 98-99	100	8,52,400
13.	पी.एच.डी. रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन	रोहतक	95-96 से 97-98	40	3,81,600
जम्मू व कश्मीर					
14.	पर्यावरण एवं बंजरभूमि विकास सहकारी सोसाइटी	जम्मू	94-95 से 98-99	80	7,11,805
कर्नाटक					
15.	एम.वाय.आर.ए.डी. ए. चिंचोली परियोजना	गुलबंगा	95-96 से 99-2000	60	18,22,560
16.	ग्रामीण विकास के लिए विकासना संस्थान	मांड्या	95-96 से 99-2000	75	10,84,920
17.	श्री डी. देवराज उर्स ग्रामाभीवरूदी	मैसूर	-वही-	75	10,20,600

1	2	3	4	5	6
महाराष्ट्र					
18.	जीवन ज्योति चेरीटेबल ट्रस्ट	परभनी	95-96 से 99-2000	150	6,93,600
19.	फाउंडेशन फार एग्रो इकोलोजिकल साइंस	पुणे	-वही-	150	13,23,600
उड़ीसा					
20.	ऊँ श्री श्री सिधन्या पतारणी युवक संघ	देनकोनाल	95-96 से 97-98	33	2,18,592
21.	यूथ सर्विस सेंटर	अंगुल	95-96 से 99-2000	100	7,13,920
22.	पल्ली विकास केन्द्र	धनकावल	95-96 से 96-97	18	1,19,232
23.	अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद	बोलंगीर	95-96 से 99-2000	150	9,93,600
राजस्थान					
24.	ग्राम विकास नवयुवक मंडल	सवाई माधोपुर	-वही-	135	11,68,320
25.	सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र	अजमेर	-वही-	206	18,17,744
उत्तर प्रदेश					
26.	सेन्ट्रल हिमालयन रुरल एक्शन ग्रुप	नैनीताल	95-96 से 99-2000	750	69,45,200
27.	स्वामी विवेकानंद प्राकृतिक कल्याण संस्थान	जालौन	-वही-	150	13,47,600

एन.आई.ओ. के अंतर्गत परियोजनाएं

5245. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 तथा 1996 के दौरान एन.आई.ओ. (गोवा) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एन.आई.ओ. के पास अंटार्टिका को शामिल करने के लिए कोई परियोजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके उद्देश्य क्या हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री :

(श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) एनआंइओ गोवा ने वर्ष 1995-96 में 92 परियोजनाएं पूरी की तथा वर्ष 1996-97 में 99 परियोजनाएं शुरू की हैं इन परियोजनाओं को मुख्यत: समुद्री संसाधनों को उपयोग में लाने के राष्ट्रीय प्रयास में सहायता करने के लिए भारत के चारों ओर फैले समुद्र के भौतिकीय, रासायनिक, जैविक, भू-वैज्ञानिक, भू-भौतिकीय, इंजीनियरिंग तथा प्रदूषण पहलूओं से संबंधित ज्ञानाधार को विकसित करने की ओर अग्रसर किया गया है। वर्ष 1995-96 में 92 परियोजनाओं में से 28 घरेलू परियोजनाओं के अलावा प्रायोजित तथा परामर्शी परियोजनाएं 49 थीं, अनुदान सहायता प्राप्त परियोजनाएं 8 थीं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाली 7 परियोजनाएं थीं। वर्ष 1996-97 की 99 परियोजनाओं में से 28 घरेलू परियोजनाओं के अलावा प्रायोजित तथा परामर्शी परियोजनाएं 28 थीं, अनुदान सहायता प्राप्त 33 परियोजनाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग वाली 10 परियोजनाएं हैं।

(ख) और (ग) एनआइओ की मुख्य परियोजना अंटार्कटिक अनुसंधान से संबंधित है जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय परिवर्तनशीलता तथा शारीरिक एवं जैव-चिकित्सा संभाव्यता से संबंधित ध्रुवीय जीवन के मूल पहलूओं को खोजना है।

"मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम"

5246. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम" को रेल मंत्रालय को सौंपा जाना है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी नहीं।

(ख) शहरी परिवहन संबंधी परियोजनाओं का नियोजन तथा समन्वय कार्य शहरी विकास मंत्रालय (अब शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) को 1986 में सौंपा गया था। रेल मंत्रालय ने इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने को नहीं कहा है।

तेल और गैस के भण्डार

5247. **श्री भक्त चरण दास:**
श्रीमती वसुन्धरा राजे:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल और गैस के भण्डारों का पता लगाने का त्वरित खोज कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन स्थानों पर तेल और गैस के भण्डारों का पता लगाया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने और हाइड्रोकार्बन भण्डारों को बढ़ाने के लिए सरकार ने लगभग 6500 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय से 1994 में एक वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम (ए पी ई एक्स) आरंभ किया है। वर्धित अन्वेषण कार्यक्रम के निम्नलिखित घटक हैं:

(क) संवर्धित अन्वेषक निवेश

(ख) राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम

(ग) गहरे समुद्र में अन्वेषण

(घ) सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्वेषण

(ङ) विदेशी रकबों/फार्म-इन का अर्जन

(ग) 1994-96 की अवधि के दौरान तेल और गैस असम, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात राज्यों और पूर्वी तथा पश्चिमी अपतटों में फैले लगभग 29 स्थानों में पाए गए हैं।

(घ) अन्वेषण प्रयास राष्ट्रीय तेल कंपनियों के माध्यम से और अन्वेशण और विकास कार्यक्रमों में निजी परिसंघों/संयुक्त उद्यम कंपनियों की भागीदारी से गहन और त्वरित बनाए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सीमांकन

5248. **श्री बची सिंह रावत "बचदा":** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का सीमांकन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसी योजनाओं का पता लगाया गया है जिनमें निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता का अनुभव किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

5249. श्री ए. सम्पथ: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उक्त केन्द्र की कहां-कहां स्थापना की जाएगी?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, प्रशिक्षण और सूचना के प्रसार के लिए ग्वालपहाड़ी, जिला गुड़गांव (हरियाणा) में सौर ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की गई है। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा छः क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्रों, मदुराई (तमिलनाडु), वल्लभ विद्यानगर (गुजरात), इंदौर (मध्य प्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), चंडीगढ़ (चंडीगढ़) और कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), को सौर तापीय उत्पादों के परीक्षण और उद्योगों को तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सहायता दी जा रही है। कलकत्ता, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में प्रकाशवोल्टीय उत्पादों के लिए भी परीक्षण केन्द्रों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में कोई अन्य सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फ्लैट के दर में वृद्धि

5250. श्री रामचन्द्र वीरप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अगस्त, 1996 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "शटर्ड ड्रीम हाउसेज जीडीए स्टाइल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाने का विचार है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने कहा है कि संदर्भगत स्कीम 1988 में घोषित हुई थी, उस समय प्रति फ्लैट दर 75,000/- रुपये आंकी गई थी। अब बिजली-पानी और दो लिफ्ट (प्रति टावर) सुलभ हैं। प्राधिकरण ने आम मार्गों को साफ-सुथरा और प्रकाश युक्त रखने का उचित प्रबंध किया है। प्राधिकरण की तरफ से सामुदायिक केन्द्र भी है, जिसमें क्लब कलापों के लिए अलग हॉल है। इनडोर खेलों, यथा ब्रिज, बिलियार्ड, टेबल टेनिस आदि की सुविधाएं भी हैं। स्वास्थ्य देखभाल योजना के अंतर्गत नर्सिंग होम व अस्पताल के लिए भूमि दे दी गयी है। स्कूलों का प्रावधान भी है। आवास परिसर के पास राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधाएं सुलभ हैं। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के सूचना के अनुसार, दूरदर्शन के मल्टी चैनल सुविधा उपलब्ध केबल आपरेटर्स के लिए समुचित सुविधायें सुलभ हैं। वर्ष 1988 के मकान नक्शों में 240 वर्गफीट का क्षेत्र था, जबकि अब मकान निर्माण 270 वर्गफीट क्षेत्र पर है।

प्राधिकरण ने कहा है कि अपार्टमेन्ट्स का काफी विकास कार्य पूरी हो चुका है। पार्किंग, प्रकाश और जल निकासी का कार्य चल रहा है। वर्ष 1988 में स्कीम की घोषणा के समय प्रति फ्लैट लागत 75,000/- रुपये आंकी गई थी। लेकिन वर्ष-दर वर्ष मूल्यों में वृद्धि होने से लागत बढ़ना स्वाभाविक है।

डीजल आयात

5251. श्री ए. सी. जोस: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम को पत्तनों विशेष रूप से मद्रास तथा हल्दिया पत्तनों पर भीड़भाड़ के कारण डीजल के आयात में कमी करनी पड़ी है तथा विलंब शुल्क के रूप में बड़ी धनराशि का भुगतान करना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान भारतीय तेल निगम द्वारा अब तक लगाए तथा भुगतान किये गये विलंब शुल्क के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना

5252. श्रीमती जयवंती नवीनचन्द्र मेहता: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1,000 मेगावाट क्षमता वाले कोजेन्ट्रिक्स विद्युत संयंत्र को स्वीकृति दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस परियोजना को वैज्ञानिकों द्वारा पूर्व में ठुकरा दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या आधार हैं;

(ङ) क्या इस परियोजना से मंगलौर के आसपास वन काटे जायेंगे, नदियों में प्रदूषण होगा तथा ग्रामीण समुदाय के लोगों को हटाया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना से उभरे विवाद के परिप्रेक्ष्य में इसकी पुनः समीक्षा करने का है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसका क्या औचित्य है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) मैसर्स मंगलौर विद्युत कंपनी द्वारा प्रवर्तित किये जा रहे मंगलौर ताप-विद्युत परियोजना (1000 मेगावाट) को कुछ शर्तों के तहत 1580.89 करोड़ रुपये + 751.571 मिलियन अमरीकी डालर की समपूरक लागत पर दिनांक 10.7.96 को के.वि.प्रा. की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) से (ज) परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दिये जाने से पहले पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा गठित ताप-विद्युत परियोजनाओं हेतु विशेषज्ञ समिति द्वारा सभी संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों पर यथा-विधि विचार किया गया है, तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय निर्धारित कर दिए गए हैं।

विद्युत उत्पादन

5253. **श्री एन.एस.वी. चित्थन:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष कुल विद्युत उत्पादन, जल-विद्युत, ताप विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी कितनी परियोजनाएं स्वीकृति हेतु लंबित हैं;

(ग) देश में विद्युत की कुल कितनी मांग है; और

(घ) देश में विद्युत संबंधी स्थिति में सुधार हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) 1995-96 के दौरान देश में राज्य-वार/प्रणालीवार/श्रेणी-वार ऊर्जा उत्पादन संलग्न विवरण I में दिया गया है।

(ख) 31.7.96 की स्थिति के अनुसार के.वि.प्रा. में जांचाधीन परियोजना प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) के.वि.प्रा. के अनुसार 1995-96 के दौरान देश में ऊर्जा की आवश्यकता 389721 मिलियन यूनिट थी।

(घ) देश में विद्युत आपूर्ति में सुधार लाने के लिए किये गये विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं—नयी विद्युत उत्पादन क्षमता का शीघ्र चालू करना, अल्पावधि परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, पारेषण व वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग पक्ष प्रबंधन का कार्यान्वयन और ऊर्जा संवर्द्धन करना। इसके अलावा अधिशेष क्षेत्र से कमी वाले क्षेत्र में ऊर्जा का अंतरण।

विवरण-I

राज्य का नाम/प्रणाली	श्रेणी	ऊर्जा उत्पादन (मि. यू.)
1	2	3
बी.बी.एम.बी.	जल विद्युत	12004
दिल्ली	ताप विद्युत	6524
जम्मू और कश्मीर	ताप विद्युत	63
	जल विद्युत	2887
	जोड़	2950
हिमाचल प्रदेश	जल विद्युत	4341
हरियाणा	ताप विद्युत	3067
	जल विद्युत	233
	जोड़	3300
राजस्थान	ताप विद्युत	7839
	न्यूक्लीय	0
	जल विद्युत	1405
	जोड़	9244

1	2	3
पंजाब	ताप विद्युत	8228
	जल विद्युत	3153
	जोड़	11381
उत्तर प्रदेश	ताप विद्युत	55262
	न्यूक्लीय	2751
	जल विद्युत	5444
	जोड़	63457
गुजरात	ताप विद्युत	30717
	न्यूक्लीय	2251
	जल विद्युत	738
	जोड़	33706
महाराष्ट्र	ताप विद्युत	46142
	न्यूक्लीय	1552
	जल विद्युत	4427
	जोड़	52121
मध्य प्रदेश	ताप विद्युत	40723
	जल विद्युत	2146
	जोड़	42869
आंध्र प्रदेश	ताप विद्युत	30398
	जल विद्युत	7135
	जोड़	37533
कर्नाटक	ताप विद्युत	4718
	जल विद्युत	10197
	जोड़	14915
केरल	जल विद्युत	6701
तमिलनाडु	ताप विद्युत	29489
	न्यूक्लीय	1411
	जल विद्युत	4726
	जोड़	35626

1	2	3
बिहार	ताप विद्युत	4404
	जल विद्युत	294
	जोड़	4698
उड़ीसा	ताप विद्युत	3055
	जल विद्युत	4382
	जोड़	7437
पश्चिम बंगाल	ताप विद्युत	20594
	जल विद्युत	84
	जोड़	20678
डी.वी.सी.	ताप विद्युत	6450
	जल विद्युत	387
	जोड़	6837
सिक्किम	जल विद्युत	49
असम	ताप विद्युत	1434
नीपको	ताप विद्युत	346
	जल विद्युत	706
	जोड़	1052
मेघालय	जल विद्युत	539
त्रिपुरा	ताप विद्युत	153
	जल विद्युत	40
	जोड़	193
मणिपुर	जल विद्युत	480
अरुणाचल प्रदेश	जल विद्युत	15
अखिल भारत	ताप विद्युत	299606
	न्यूक्लीय	7963
	जल विद्युत	72513
	जोड़	380084

विवरण-II

31.7.1996 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांचाधीन परियोजना प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन अभिकरण	क्षमता (मे.वा.)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
क. राज्य/केन्द्रीय क्षेत्र:					
क.1 जल विद्युत योजनाएं:					
01.	जम्मू और कश्मीर	पारखाचिक पानी-खार चरण-1 और चरण-2 एचईपी	जे. एण्ड के सरकार	5×12 = 60	के.वि.प्रा./के.ज.आ. की टिप्पणियों पर उत्तर प्रतीक्षित।
02.	जम्मू और कश्मीर	उरी एचईपी चरण-2 (फेस-1) (पी.डी.सी., जे. एण्ड के. सरकार)	जे. एण्ड के. सरकार	4×70 = 280	विधि क्रियान्वयन अभि-करण एफ एण्ड सी, सी एण्ड पी, विद्युत निष्कासन तथा सिविल कार्य संबंधी पहलुओं पर टिप्पणी स्पष्टीकरण के लिए परियोजना प्राधिकरण को भेज दी गयी है। आईडब्ल्यूटी से स्वीकृत।
03.	महाराष्ट्र	चिकलदारा एचईपी (पंप्ड स्टोरेज (स्कीम)	एमएसईबी	2×200 = 400	सिंचाई योजना, लागत इंजीनियरिंग पर के.वि.प्रा./के.ज.आ. की टिप्पणी का उत्तर अभी प्राप्त हुआ है।
04.	आंध्र प्रदेश	पुलीचिन्ताला एचईपी	एएफएसईबी	2×30 = 60	-
क.2 ताप विद्युत योजनाएं:					
01.	उत्तर प्रदेश	अनपारा "सी" टीपीएस	यूपीएसईबी	2×500 =1000	10.7.96 को के.वि.प्रा. की आईपीसी संसूचित।
02.	गुजरात	घोघा लिग्नाइट टीपीएस	जीपीसीएल	2×120 =240	22.7.94 को जीपीसीएल को सिद्धांत रूप से स्वी-कृति जारी की गई।
03.	गुजरात	पिपावाव जीटी-पीपी	जीपीसीएल	615	वैकल्पिक ईंधन पर आधा-रित संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त।

1	2	3	4	5	6
04.	गुजरात	तटीय टीपीएस	जीपीसीएल	1000	–
05.	महाराष्ट्र	उरान जीटीपीपी विस्तार	एमएसईबी	400	एमएसईबी द्वारा जुलाई, 96 में के.वि.प्रा. में डिरेटिंग समिति के विचार करने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
06.	आंध्र प्रदेश	सिम्हाद्री टीपीएस	एनटीपीसी	2×500 =1000	13.3.96 को आईपीसी जारी की गई।
07.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद मैट्रो कॉस्ट चरण-1	एनटीपीसी	650	31.3.96 को आईपीसी जारी की गई।
08.	कर्नाटक	येलहंका डीजीपीपी विस्तार	केईबी	2×23.4 =46.8	लंबित निवेश:– 1. ईंधन लिंकेज। 2. पर्यावरण (केन्द्र व राज्य) 3. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29
09.	दामोदर घाटी निगम	मैथौन आर/बी टीपीएस	डीवीसी	4×250 =1000	लंबित स्वीकृतियां:– 1. विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम की धारा 29 2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय – अन्य निवेशों को पुनः विधिमान्य किया जाना है।
10.	दामोदर घाटी निगम	मेजिया टीपीएस-2	डीवीएस	2×210 =420	–
11.	केन्द्रीय क्षेत्र (ईआर)	तल्चेर एसटीपीएस-2	एनटीपीसी	4×500 =2000	31.3.96 को के.वि.प्रा. की आईपीसी प्रदान कर दी गयी।

1	2	3	4	5	6
ख. निजी क्षेत्र:					
ख.1 जल विद्युत योजनाएं:					
01.	हिमाचल प्रदेश	मालाना एचईपी	मै. राजस्थान स्पीनिंग और वीविंग मिल	2×43 =86	26.10.94 को के.वि.प्रा. की आईपीसी जारी की गयी।
02.	उत्तर प्रदेश	विष्णुप्रयाग एचईपी	मै. जेआईएल	4×100 =400	9.9.94 को के.वि.प्रा. की आईपीसी प्रदान कर दी गई।
03.	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर एचईपी	मै. डंकन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	5×66 =330	30.3.96 को के.वि.प्रा. की आईपीसी जारी की गयी।
ख.2 ताप विद्युत परियोजनाएं:					
01.	उत्तर प्रदेश	रोज़ा टीपीपी (फेस-1)	मै. इंडो-गल्फ फर्टि-लाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2×250 =500	7.11.94 को के.वि.प्रा. की आईपीसी प्रदान कर दी गयी।
02.	गुजरात	जामनगर (नजदीक सिक्का) टीपीपी फेस-1	मै. रिलायंश पावर लि.	2×250 =500	1.3.95 को के.वि.प्रा. की आईपीसी प्रदान कर दी गयी।
03.	गुजरात	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	मै. जीआई पीसीएल	2×125 =250	31.3.96 को आईपीसी जारी की गयी।
04.	महाराष्ट्र	पातालगंगा सीसी-पीपी	मै. रिलायंश पातालगंगा पावर प्राई-वेट लि.	410	30.3.96 को के.वि.प्रा. की आईपीसी जारी की गयी।
05.	आंध्र प्रदेश	रामागुंडम विस्तार	मै. बीपीएल पावर प्रोजेक्ट्स (एपी) लि.	2×260 =520	6.2.96 को के.वि.प्रा. की आईपीसी प्रदान कर दी गयी।

कच्चा तेल

5254. श्री केशव महंत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चा तेल निकालते समय काफी ज्यादा मात्रा में अप्रयोज्य स्रोत (गैस) की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कच्चे तेल उत्पादकों को गैस का उपयोग करने के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो कार्ययोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार गैस का उपयोग किए बिना कच्चे तेल का उत्पादन करने पर दंड का प्रावधान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी, नहीं। संबद्ध गैस, जिसका उत्पादन कच्चे तेल के साथ किया जाता है, का उपयोग घरेलू विद्युत उत्पादन, कृत्रिम लिफ्ट प्रचालनों, ऐसे मूल्य बर्द्धित उत्पादों के निष्कर्षण जिनको विविध उपभोक्ताओं तक पहुंचाने, वितरित तथा विपणन करने के लिए गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड को दिया जाता है, जैसे अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं। तथापि, तकनीकी कारणों, ग्राहकों की मांग में उतार-चढ़ाव, कम दबाव इत्यादि के कारण वाणिज्यिक रूप से उपभोग्य न होने की वजह से गैस की कुछ मात्रा दहन करनी पड़ती है।

(ग) से (च) चूंकि संबद्ध गैस का उपयोग इसकी अपनी आर्थिक व्यवहार्यता, उपभोक्ताओं से गैस की मांग, आधारभूत सुविधाओं की विद्यमानता इत्यादि जैसे अनेक पहलुओं पर निर्भर करता है, इसलिए इसे अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। तथापि इस गैस के उपयोग को इष्टतम करने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। ये निम्न प्रकार हैं:-

(1) गैस को एकत्र करने, इसका संपीड़न, परिवहन तथा विपणन करने के लिए आधारभूत सुविधाओं का सृजन।

(2) गैस के संरक्षण के लिए भूमिगत भंडार प्रणाली की स्थापना।

(3) गैस दहन न्यूनीकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन।

(4) ग्राहकों की पहचान के माध्यम से गैस विक्रियों/गैस उपयोग में सुधार लाना।

फ्लैटों का आवंटन

5255. प्रो. रासा सिंह रावत: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्व-वित्त पोषण योजना पांच के अंतर्गत मुखर्जी नगर में श्रेणी-II के फ्लैटों, जिनका कि चार किश्तों में भुगतान किया जाना था, के आवंटन हेतु पात्र घोषित आवेदकों की संख्या क्या है;

(ख) इन फ्लैटों के विशिष्ट ड्रा किस तारीख को निकाले गए थे;

(ग) इस ड्रा की तिथि के पूर्व फ्लैटों के विशिष्ट ड्रा हेतु पात्र बनने के लिए सभी चार किश्त जमा कराने वाले आवेदकों की संख्या क्या है;

(घ) क्या कुछ आवेदकों, जिन्होंने सभी चार किश्तें जमा करा दी थीं, को फ्लैटों के इस विशिष्ट ड्रा में शामिल नहीं किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उन आवेदकों का ब्यौरा क्या है और ड्रा में उनका नाम शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन सभी आवेदकों, जो कि इन फ्लैटों के पात्र हैं, को फ्लैट दिलाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जायेंगे?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) डीडीए ने बताया है कि श्रेणी-II के 180 फ्लैटों (निर्मित कुल 188 फ्लैटों में से) का आबंटन स्ववित्त पोषित योजना V तथा अन्य स्कीमों के उन आवेदकों को किया गया है जो फ्लैटों के विशेष आबंटनों के पात्र थे। अन्य आवेदकों के मामलों पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

(ख) अधिकांश फ्लैट 31.3.94 तथा 16.2.95 को निकाले दो ड्रा में आबंटित किये गये।

(ग) से (च) फ्लैटों के आबंटन केवल उन आवेदकों को किए गए हैं जिन्होंने अनुदेय अवधि के दौरान चार किश्तें अदा कर दी थी। श्री गिरधारी लाल अग्रवाल के एक मामले में सभी चार किश्तें अदा करने के बाद भी आबंटन नहीं किया जा सका क्योंकि आवेदक ने आबंटन शर्तों के तहत अपेक्षित चालान की तीसरी प्रति प्रस्तुत नहीं की थी। किसी खास फ्लैट के आबंटन बाबत इस मामले पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

कैडर नीति दिशानिर्देश

5256. श्री राजीव प्रताप रुडी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1991 से कैडर नीति दिशानिर्देश में छूट के परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के कैडर में परिवर्तन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कितने कैडर परिवर्तन किए गए तथा इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5(2) के तहत अंतर-संवर्गीय स्थानांतरण की अनुमति है। इस नीति के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य का अखिल भारतीय सेवा के ही किसी दूसरे सदस्य से विवाह होने पर; सदस्यों को अंतर-संवर्गीय स्थानांतरण की अनुमति दी जाती है। तथापि, किन्हीं आपवादिक मामलों में चिकित्सा/व्यक्तिगत आधार पर अंतर-संवर्गीय स्थानांतरण पर विचार किया गया है। वर्ष 1991 से नीति में ढील देते हुए जिन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अन्य संवर्गों में स्थानांतरण किया गया है उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	मूल संवर्ग	को स्थानांतरित	वर्ष	आधार
मैत्रेयी दास	1986	सिक्किम	महाराष्ट्र	1991	व्यक्तिगत
आई. रानी कुमुदनी	1988	जम्मू और कश्मीर	आंध्र प्रदेश	1991	चिकित्सीय
एस.ए. तागड़े	1991	केरल	महाराष्ट्र	1992	व्यक्तिगत
आर.एन. गुप्ता	1979	पश्चिम बंगाल	पंजाब	1992	व्यक्तिगत
अनीता भटनागर	1985	गुजरात	उत्तर प्रदेश	1993	व्यक्तिगत
एस.के. श्रीवास्तव	1980	मणिपुर-त्रिपुरा	ए.जी.एम. यू.टी.	1994	चिकित्सीय
ए.एच. सामून	1993	आंध्र प्रदेश	जम्मू और कश्मीर	1994	व्यक्तिगत

एन.ई.सी.

5257. श्री उधव बर्मन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान, दिल्ली द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के राज्यों के लिए जनशक्ति आवश्यकताओं (1985-2000 ई.) के मूल्यांकन हेतु एन.ई.सी. द्वारा प्रायोजित कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आरक्षण नीति/रोस्टर लागू करना

5258. श्री सनत कुमार मंडल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 3 अगस्त, 1995 को सिविल अपील संख्या 7608 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का रोस्टर में स्थान और वरिष्ठता का संबंध है सरकार द्वारा आरक्षण नीति लागू करने के बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) 1995 की सिविल अपील संख्या 7608 में दिया गया उच्चतम न्यायालय का निर्णय, हरियाणा सरकार के नियमों के सन्दर्भ में, आरक्षण के रोस्टर और योग्यता के क्रम में नामों की सूची के अनुसार, वरिष्ठता के निर्धारण से संबंधित है।

(ख) इस मामले में भारतीय संघ न तो पक्षकार था और न ही केन्द्र सरकार के संगत आदेशों को चुनौती दी गई थी। अत: इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, केन्द्र सरकार की आरक्षण नीति संशोधित करने का प्रश्न नहीं उठता।

टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना की लेखा-परीक्षा

5259. **श्री जग मोहन**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1988 से भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा टिहरी बहुउद्देशीय परियोजना की लेखा परीक्षा नहीं की गयी है जबकि 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक इस परियोजना पर खर्च किये जा चुके हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वर्ष 1988 के प्रतिवेदन में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने उक्त परियोजना की आर्थिक व्यवहार्यता के बारे में गंभीर संदेह व्यक्त किए थे?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टिहरी जल-विद्युत परियोजना को मूलत: क्रियान्वित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था, तदन्तर इस परियोजना को संयुक्त उद्यम के रूप में क्रियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया था तथा इस प्रयोजनार्थ जुलाई, 1988 में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त उद्यम कंपनी नामश: टिहरी जल विद्युत विकास निगम (टी.एच.डी.सी.) की स्थापना की गयी थी। टिहरी परियोजना को 1989 में टी.एच.डी.सी. द्वारा अपने हाथ में लिया गया था तब से टिहरी जल विद्युत परियोजना की लेखा परीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ई.ए.) द्वारा की जाती रही है तथा टी.एच.डी.सी. की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित लेखे संसद के समक्ष प्रस्तुत किये जाते रहे हैं।

(ग) सी.ए.जी. की वर्ष 1988 की रिपोर्ट उस अवधि से संबंधित है जब यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक राज्य क्षेत्र की स्कीम के रूप में क्रियान्वित की जा रही थी। अत: सूचना एकत्र की जा रही है और इसे लोकसभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

विश्व बैंक की परियोजना में अनियमितताएं

5260. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में विश्व बैंक की परियोजनाओं के अंतर्गत किये जा रहे विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि लोक आयुक्त केन्द्रीय जांच विभाग (सी.आई.डी.) और कानपुर विकास प्राधिकरण कानपुर में कतिपय विश्व बैंक परियोजना कार्यों बाबत जांच पड़ताल कर रहे हैं। इन विकास कार्यों में, अनियमितताएं हैं अथवा नहीं, की जानकारी का पता जांच पड़ताल की कार्यवाही पूरी होने के बाद लगेगा।

नई समन्वित रोजगार नीति

5261. **डॉ. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई नई समन्वित रोजगार नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संदर्भ में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावना का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) सरकार ने देश में वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को पूरा करने के लिए कोई नई एकीकृत रोजगार नीति तैयार नहीं की है, यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने बेरोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों के लिए लाभकारी स्व-रोजगार अवसरों के सृजन हेतु विभिन्न मैकेनिज्म और स्कीमें शुरू करने के लिए 1982 में एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता विकास बोर्ड स्थापित किया था। इस बोर्ड द्वारा शुरू की गई विभिन्न स्कीमें/कार्यक्रम हैं: उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम का संगठन, उद्यमशीलता जागरूकता कैम्प, उद्यमशीलता विकास कक्षों की स्थापना और शैक्षणिक संस्थानों में और उनके आस-पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमी पार्कों की स्थापना। बोर्ड ने प्रयोग में नहीं लाए जा रहे संसाधनों, मांग, आवश्यकता और स्थानीय लोगों के कौशल्ल पर आधारित दिहाड़ी/स्व: रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए देश के 13 पिछड़े जिलों का भी चयन किया है।

योजना आयोग में सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में श्रम की भर्ती सम्भावनाओं का निर्धारण नहीं किया गया है। यद्यपि, वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति को शक्तियों को शामिल करते हुए श्रम की मांग और आपूर्ति की बेमेलता के समाधान के लिए आठवीं योजना की महत्वपूर्ण कार्यनीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ कौशल विकास, उद्यमशीलता सृजन, प्रशिक्षण और शैक्षणिक पद्धति का सुधार शामिल है।

वज़ीर आयोग

5262. **श्री चमन लाल गुप्त: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वज़ीर आयोग ने किश्तवार, रेसाई, समाबा और सोफियान जिलों सहित नए प्रशासकीय एककों के मुक्तिकरण संबंधी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं जबकि सरकार ने इस रिपोर्ट को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या उक्त आयोग की सिफारिशों को निकट भविष्य में लागू करने की कोई योजना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रशासनिक एककों के युक्तिकरण (वज़ीर आयोग) आयोग ने अपनी रिपोर्ट 3 जनवरी, 1984 को राज्य सरकार को पेश कर दी। यह रिपोर्ट विभिन्न समितियों के पास भेजी गई थी तथा राज्य सरकार के विचाराधीन रही परन्तु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था।

अन्तर्ग्रस्त मुद्दों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह उचित समझा गया कि रिपोर्ट पर कोई निर्णय और कार्रवाई, राज्य में चुनी हुई सरकार द्वारा ही की जाए।

[हिन्दी]

पलायन

5263. **श्री नीतीश कुमार: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 जुलाई 1996 के "जनसत्ता" में "गांवों में नहीं अब शहरों में होगा गरीबों का जमावड़ा" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि गांवों से काफी संख्या में युवा रोजगार की खोज में शहरों की ओर जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार का क्या मूल्यांकन है;

(घ) क्या यह भी सच है कि शहरों में मकानों की कमी के अतिरिक्त बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव भी है;

(ङ) यदि हां, तो देश में शहरी क्षेत्रों में मकानों की कमी के बारे में सरकार का क्या अनुमान है; और

(च) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार की भावी योजना क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) 1981-91 के लिए आबादी वृद्धि की ग्रामीण-शहरी प्रवसन की कुल मात्रा 23.70 प्रतिशत है जो कि इसी अवधि के

लिए 1971-81 के दौरान 36.06 प्रतिशत से कम है। विवरण-I संलग्न है।

(ग) 1981 जनगणना आंकड़ों से पता चलता है कि मुख्यतः 15-40 वर्ष आयु वर्ग के युवा रोजगार के लिए शहरों में प्रवसन कर रहे हैं। जनगणना आंकड़ों के सबसेट से यह पता चला है कि रोजगार के कारण ग्रामीण क्षेत्र से शहरों को प्रवसन करने वालों में से 75% 15 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। विवरण-II संलग्न है।

(घ) एवं (ङ) शहरी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण भीड़ में लगातार वृद्धि स्लमों और अस्थाई बसाव में वृद्धि और नागरिक सुविधाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ा है। 7वीं योजना अवधि के प्रारम्भ में शहरी क्षेत्रों में आवास की अनुमानित कमी 7.57 मिलियन रिहायशी यूनिट है।

(च) आवास की कमी को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित हैं:-

(1) औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र दोनों में आवास के लिए संस्थागत वित्तपोषण को तेज करना।

(2) हडको से रियायती क्रेडिट द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शहरी आवास योजनाएं।

(3) निर्माण लागत कम करना, आर्थिक रियायत देकर लागत प्रभावी भवन सामग्रियों और प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

(4) सेवा सुविधा वाली भूमि की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी।

(5) आवास क्षेत्र में विभिन्न कानूनी अड़चनों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे।

विवरण-I

सारणी 4. शहरी वृद्धि के अखिल भारतीय घटक 1971-1981 और 1981-91

घटक	आबादी (मिलियन)		प्रतिशत अंश	
	1971-81	1981-91	1971-81	1981-91
सम्पूर्ण वृद्धि	49.86	56.45	100.00	100.00
जनसंख्या वृद्धि	22.52	33.17	45.17	58.76
नये शहरों का विशुद्ध पुनर्वर्गीकरण	9.36	9.90	18.77	17.54
विशुद्ध ग्रामीण-शहरी प्रवसन इन्टर सेंसल प्रवसनों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन की वजह से वास्तविक वृद्धि	17.98	13.38	36.06	23.70

नोटः 1. असम के अलावा 1971-1981 के आकलन बनाये जाते हैं। तथा 1981-91 के आकलनों में असम तथा जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है। जम्मू तथा कश्मीर एक विवादाग्रस्त क्षेत्र है जिसकी अंतिम स्थिति का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

2. 1971 और 1981 जनगणनाओं के अंतिम जनसंख्या परिणामों और 1991 की जनगणना के अनंतिम परिणामों के आधार पर।

विवरण-II

सारणी 19. प्रवसन की वजह से आयु और लिंग के आधार पर रोजगार हेतु रिपोर्ट करने वाले प्रवासी, 1981

(5 वर्ष से कम निवास अवधि)

आयु समूह (वर्ष)	ग्रामीण-शहरी		शहरी-शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
0-14	105045	59836	60364	45300
	(4.69)	(20.47)	(3.88)	(18.83)
15-19	253913	44001	89405	22621
	(11.32)	(15.05)	(5.75)	(9.40)
20-24	524346	57583	239754	45862
	(23.41)	(19.70)	(15.43)	(19.07)
25-29	480837	38820	330147	45305
	(21.45)	(13.28)	(21.24)	(18.83)
30-34	309111	27951	771393	27261
	(13.79)	(9.56)	(17.46)	(11.33)
35-39	215349	20407	198872	18262
	(9.60)	(6.98)	(12.80)	(7.59)
40+	347635	42479	362921	35688
	(15.50)	(14.53)	(23.35)	(14.84)
आयु नहीं बताई गई	5351	1229	1307	231
	(0.24)	(0.42)	(0.08)	(0.10)
हर उम्र के	2242087	292306	1554163	240530
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

स्रोत: भारत की जनगणना 1981 शृंखला-1, प्रवासी तालिका

नोट: प्रतिशत नीचे कोष्ठकों में दिये गये हैं।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारी संघ

5264. श्री संतोष कुमार गंगवार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारी संघ को मान्यता प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष में सदस्यता संख्या आदि की जांच सहित कुछ शर्तों को पूरा करना होता है;

(ख) यदि हां, तो शर्तों को पूरा करने में विफल कर्मचारी संघों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किस प्रावधान के अंतर्गत उन्हें किसी भी प्रकार की छूट दी गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (सेवा संघों को मान्यता) नियमावली, 1993 के अंतर्गत सभी शर्तें जिसमें निर्धारित सदस्य संख्या भी शामिल है, मान्यता प्राप्त होने से पहले पूरी होनी चाहिए, न कि मान्यता प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष में।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

पिछड़े क्षेत्र

5265. श्री मुरलीधर जेना: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों की आर्थिक और औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य के रूप में पहचान की गई है;

(ख) देश में विकसित और कम विकसित राज्यों को योजना और गैर-योजनागत शीर्षों के अन्तर्गत धनराशि आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाए जाने हैं; और

(ग) अर्द्ध विकसित राज्यों के संतुलित आर्थिक विकास हेतु गैर-सरकारी निवेश आकृष्ट करने के लिए क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) योजना आयोग ने किसी राज्य को आर्थिक अथवा औद्योगिक रूप से कम विकसित निर्धारित नहीं किया है तथापि केन्द्रीय सहायता के आवंटन में कतिपय विशेष श्रेणी राज्यों के लिए विशेष वितरण की व्यवस्था है जिनका कमजोर स्रोत आधार हो नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए संशोधित फार्मूला, जिसे 1991 में एन डी सी ने अनुमोदित किया था अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से कम विकसित राज्यों के पक्ष में है। भारत सरकार द्वारा राज्यों को विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत भी निधियां जारी की जाती हैं ताकि वे विशिष्ट क्षेत्रों के विकास के

अपने प्रयासों में मदद पा सकें। राज्यों को योजना भिन्न निधियां वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर जारी की जाती हैं जो अपनी सिफारिशें करते समय किसी राज्य के सापेक्ष विकास को भी अन्य बातों के साथ-साथ ध्यान में रखते हैं।

इसके साथ ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के वास्ते वृद्धि केन्द्र स्कीम शुरू की गई है जिसका उद्देश्य उद्योग आकर्षित करने के लिए प्रेरणाएं प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त सरकार ने उद्योगों की स्थापना के लिए प्रक्रिया संबंधी बाधाओं को दूर करने व उदारता लाने के लिए नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। चुने हुए राज्यों में नये औद्योगिक यूनिटों के लिए कर में छूट/कर रियायतें भी प्रदान की जाती हैं। सरकार ने कुछ नये क्षेत्र भी खोले हैं जो पहले सरकारी क्षेत्र द्वारा निवेश के लिए आरक्षित थे ताकि निजी सहभागिता विशेष रूप से आधारभूत विकास में सुकर हो सके। अंततः तीव्र विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के वास्ते राज्यों की अपनी औद्योगिक नीतियां हैं।

अवसंरचनात्मक विकास

5266. श्री थ. चौबा सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास कम होने के कारण इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए निजी क्षेत्र के द्वारा निवेश नहीं किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में निजी निवेशों का प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं तथा इस संबंध में 1996-97 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) और (ख) किसी राज्य के औद्योगिक विकास की प्रमुख जिम्मेदारी, जिसमें औद्योगिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए तथा निजी निवेश आकर्षित करने के वास्ते उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना शामिल है, संबंधित राज्य सरकार की है। केन्द्रीय सरकार इस संबंध में उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों की, उन राज्यों के औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप से आधारभूत ढांचे के विकास के लिए योजनाएं और कार्यक्रम प्रायोजित करके तथा आधारभूत ढांचे से सम्बद्ध परियोजनाओं सहित केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं में निवेश करके संशोधित गाडगिल मुखर्जी फार्मूले के अंतर्गत संसाधनों के अंतरण द्वारा मदद करती है।

1992-96 अवधि के दौरान उत्तर पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय सहायता (निवल) का कुल आवंटन नीचे दर्शाया गया है।

(करोड़ रु.)

	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
असम	754.73	846.36	863.89	949.61
अरुणाचल प्रदेश	247.60	277.49	306.87	413.80
मणिपुर	193.54	207.70	227.44	272.40
मेघालय	172.82	183.50	236.85	227.91
मिजोरम	161.49	177.48	206.57	248.37
नागालैंड	163.88	186.45	217.44	250.44
त्रिपुरा	211.01	224.58	251.10	295.22

वृद्धि केन्द्र स्कीम

देश में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार ने जून, 1988 में वृद्धि केन्द्र स्कीम की घोषणा की थी। इन केन्द्रों में, जो प्रत्येक 400-800 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जायेगा, उद्योगों को आकर्षित करने के वास्ते विद्युत, दूर संचार, जल और बैंकिंग जैसी बुनियादी आधारभूत सुविधायें प्रदान की जायेंगी। प्रत्येक केन्द्र 25-30 करोड़ की लागत से विकसित किया जायेगा और इनका वित्त पोषण केन्द्रीय/राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से और बाजार उधारों से किया जायेगा। राज्यों में वृद्धि केन्द्र के स्थान का निर्धारण वहां की आबादी, क्षेत्र और औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के मिले जुले मापदण्ड के आधार पर किया गया है।

औद्योगिक नीति और प्रोन्नयन विभाग वृद्धि केन्द्र स्कीम के लिए संशोधित वित्त पोषण पद्धति तैयार कर रहा है जिसमें प्रति केन्द्र 38 करोड़ रु. की पूरी राशि केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वित्त पोषित किये जाने का प्रस्ताव है, यदि वित्तीय संस्थाओं और बाजार उधारों द्वारा वित्त पोषण उपलब्ध न हो।

विशेष श्रेणी राज्यों (उत्तर पूर्वी राज्यों सहित) को छोटे वृद्धि केन्द्र स्थापित करने अथवा आवंटित वृद्धि केन्द्रों को दो अथवा अधिक उपयुक्त स्थानों पर अलग अलग स्थापित करने और 30 करोड़ रु. की समग्र लागत सीमा के अन्दर ही संयुक्त केन्द्रों को एक वृद्धि केन्द्र मानने की छूट होगी।

नागालैण्ड और त्रिपुरा में वृद्धि केन्द्र स्थापित करने के लिए दिसम्बर 1995 तक केन्द्रीय सरकार द्वारा 0.50 करोड़ रु. और 13.50 करोड़ रु. जारी किये गये हैं।

एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास स्कीम

राज्यों में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास स्कीम मार्च, 1994 में अनुमोदित की गई थी। स्कीम के अंतर्गत उन पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में, जो वृद्धि केन्द्र स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 50 आई.आई.डी. केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत पांच करोड़ रु. है। जिसे भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा 2 : 3 के अनुपात में वहन किया जायेगा, केन्द्रीय सरकार का हिस्सा अनुदान के रूप में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का हिस्सा ऋण के रूप में होगा।

एकीकृत आधारभूत ढांचा विकास परियोजना स्थापित करने के लिए किसी भी उत्तर पूर्वी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क स्कीम

देश के विभिन्न भागों से निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 25 राज्यों में एक-एक निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ई.पी.आई.पी.) स्थापित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम प्रारंभ की है। इन पार्कों पर जो वहां स्थापित उच्च स्तरों की आधारभूत सुविधाओं और यूनिटों से सज्जित होंगे, उत्पादन का न्यूनतम 33% मूल्य का भाग निर्यात करने का दायित्व होगा। केन्द्रीय सरकार प्रति पार्क 10 करोड़ रु. की अधिकतम सीमा तक पूंजी लागत का 75% भाग वहन करेगी।

वर्ष 1995-96 के दौरान ई पी आई पी स्थापित करने के लिए मेघालय और असम की राज्य सरकारों को क्रमशः 2.34 करोड़ रु. और 5 करोड़ रु. जारी किये गये।

परिवहन सब्सिडी स्कीम

पर्वतीय दूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जुलाई 1971 में यह स्कीम शुरू की गयी थी। यह स्कीम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में तथा अन्य औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में स्थित औद्योगिक यूनिटों (बागान, तेलशोधक और विद्युत उत्पादन यूनिटों को छोड़कर) पर लागू है।

इस स्कीम के अंतर्गत नामित रेल केन्द्रों/बन्दरगाहों से औद्योगिक यूनिटों के स्थान तक और वहां से वापसी के लिए कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की ढुलाई के लिए होने वाली परिवहन लागतों पर 50 से 90 प्रतिशत तक के बीच सब्सिडी की अनुमति है। यह स्कीम समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है और पिछली बार इसे दिनांक 29.9.95 की एक अधिसूचना द्वारा 1.4.1995 से 31.3.2000 तक बढ़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा असाधारण मामलों में यूनिटों को सीधे ही अदायगी करने के लिए भी एक प्रावधान लागू किया गया है।

इस स्कीम के अंतर्गत मार्च 1996 तक उत्तर पूर्वी राज्यों को 146.27 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की गयी है (असम 113.09. करोड़ रु., त्रिपुरा 3.22 करोड़ रु., मेघालय 7.24 करोड़ रु., मिजोरम 6.44 करोड़ रु., मणिपुर 2.76 करोड़ रु., अरुणाचल प्रदेश 4.92 करोड़ रु. तथा नागालैण्ड 8.60 करोड़ रु.)।

पिछड़े जिलों के लिए नए मानदंड तैयार किया जाना

5267. **श्री एन. डेनिसः** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़े जिलों की पहचान हेतु कोई नए मानदंड तैयार किये हैं;

(ख) क्या इस संबंध में किसी समिति का गठन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है।

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ङ) किसी क्षेत्र की आयोजना और विकास तथा इस प्रयोजन हेतु निधियों का आवंटन प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है। योजना आयोग ने पिछड़े जिलों की पहचान के लिए कोई मानक तैयार नहीं किए हैं। यद्यपि, सरकार ने आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 801 ए के अंतर्गत 1.10.94 से 31.3.98 तक के दौरान ऐसे जिलों में कार्य संचालन शुरू करने वाले नये औद्योगिक उपक्रमों के संबंध में पांच वर्ष के अवकाश और इसके बाद अगले पांच वर्ष के लिए कर रियायत के प्रयोजन से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। अध्ययन दल ने अक्तूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी जिसकी बाद में वित्त मंत्रालय में दूसरे अध्ययन दल द्वारा पुनरीक्षा की गई थी। मुनरीक्षा दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो सरकार के विचाराधीन है।

हल्दिया तथा बरौनी के बीच पाइपलाइन

5268. **श्री आर. एल. पी. वर्माः** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्चे तेल की ढुलाई के लिए हल्दिया तथा बरौनी के बीच एक पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारणों/उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल की ढुलाई का उपरोक्त तरीका कच्चे तेल की अंतर्देशीय जलमार्गों से ढुलाई के मुकाबले सस्ता होगा; और

(घ) यदि हां, तो हल्दिया तथा बरौनी के बीच पाइपलाइन बिछाने से होने वाले वित्तीय तथा अन्य लाभ क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (घ) सरकार ने बरौनी रिफाइनरी के लिए क्रूड उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु 952.95 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर हल्दिया से बरौनी तक कच्चा तेल पाइप लाइन बिछाने से संबंधित इंडियन आयल कारपोरेशन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अंतर्देशीय जलमार्गों की तुलना में पाइपलाइन द्वारा क्रूड के परिवहन एवं अन्य संबद्ध मदों का विश्लेषण पहले ही कर लिया गया था तथा परियोजना को तकनीकी-आर्थिक विचार-विमर्श के पश्चात् ही मंजूरी दी गई थी।

[हिन्दी]

पन विद्युत परियोजनाओं हेतु मशीनों का आयात

5269. **श्री एन.जे. राठवा: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान आज तक गुजरात सरकार द्वारा पन विद्युत परियोजनाओं के लिए मशीनों के आयात के संबंध में केन्द्र सरकार को अनेक प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुए हैं;

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) इसमें विलंब के क्या कारण है; और

(घ) कब तक इन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी

5270. **श्री माधवराव सिंधिया: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की स्वतंत्रता की अर्धशती के बावजूद अभी भी आदिवासी और अन्य पिछड़े लोगों में जैसे उड़ीसा में गरीबी और भुखमरी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रकार के विशेष लोगों और स्थानों तथा गरीबी व भुखमरी से पीड़ित लोगों की पहचान कर ली है, यदि हां, तो उड़ीसा तथा अन्य राज्यों के इस प्रकार के क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) से (ग) किसी राज्य के अन्दर किसी क्षेत्र की योजना और विकास का काम तथा इसके विकास के लिए संसाधनों का आबंटन करना संबंधित राज्य की मुख्य जिम्मेवारी है। भारत सरकार, विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों जैसे आई आर डी पी, जे आर वाई, ई ए एस, एन आर वाई और साथ ही विकास कार्यक्रमों जैसे डीपीएपी, डीडीपी, एचएडीपी, आईटीडीपी इत्यादि के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के कार्यों में राज्यों को सहायता करती रही है। सरकार का लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्यों को विशेष आबंटन करके न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को मजबूत करने का भी प्रस्ताव है। जहां तक उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्रों का संबंध है, इसके 8 जिलों, नामतः कोरापुट, रायगडा, नौरंगपुर, मल्कानगिरी, कालाहांडी, नौपाड़ा, बोलानगिरी और सोनपुर के लिए अत्यन्त गरीबी को दूर करने के उद्देश्य से एक दीर्घावधिक कार्रवाई योजना का अनुमोदन किया गया है।

अपतटीय परियोजना

5271. **श्री जयन्त भट्टाचार्य: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में जेल्लींघम में अपतटीय परियोजना की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से इस इकाई को क्रयादेश देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/प्रस्तावित हैं; और

(ग) इस परियोजना को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कश्मीर के युवाओं को रोजगार

5272. डा. एम. पी. जायसवाल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कश्मीर के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य के प्रवासी युवाओं को भी प्रस्ताव के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ङ) राज्य के शिक्षित/अशिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

राज्य सरकार, योजना तंत्र के जरिये सरकारी क्षेत्र में लगभग 5000 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। अशिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाएं इस प्रकार हैं:- एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, जवाहर रोजगार योजना/रोजगार आश्वासन योजना जैसे अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रम। चालू वर्ष के दौरान, जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अन्तर्गत 192 लाख श्रम दिवस सृजित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार, पी.एम.आर.वाई योजना कार्यान्वित कर रही है जिसके अंतर्गत 3100 यूनिटों को चालू वर्ष के दौरान कवर किया जाना है।

2. राज्य सरकार द्वारा शिक्षित युवकों को रोजगार देने के लिए 66 करोड़ रु. की कुल लागत से एक वृहत्त कार्यक्रम भी तैयार किया गया है जिसके तहत लगभग 52000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार देने का विचार है। इस योजना के अंतर्गत चालू वर्ष के लिए 16 लाख रु. का परिव्यय है और 6200 यूनिटें स्थापित करने का प्रस्ताव है जो 12,000 युवकों को रोजगार देंगी।

3. राज्य के प्रवासी युवक भी इन योजनाओं के लिए पात्र हैं।

पन-विद्युत परियोजनाएं

5273. प्रो. पी. जे. कुरियन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में लघु पन-विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान परियोजनावार कुल कितनी ऊर्जा का सृजन किया गया?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) अब तक 23 राज्यों में 3 मेवा. स्टेशन क्षमता वाली लगभग 129 मेवा. समग्र क्षमता सहित 183 लघु जल विद्युत परियोजनाएं, लगाई जा चुकी हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं से उत्पादित कुल ऊर्जा लगभग एक बिलियन यूनिट होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि ये परियोजनाएं छोटी, विकेन्द्रित और दूर-दराज क्षेत्रों में स्थित हैं, अत: परियोजनावार ऊर्जा उत्पादन विवरण संबंधित राज्यों द्वारा नियमित रूप से उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं।

विवरण

अब तक लगाए गए 3 मेवा. क्षमता तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	परियोजनाएं**	
		सं.	क्षमता (मेवा.)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7	7.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	29	19.15
3.	असम	2	2.20
4.	गुजरात	1	2.00
5.	हरियाणा	1	0.20
6.	हिमाचल प्रदेश	14	9.47
7.	जम्मू एवं कश्मीर	11	4.35
8.	कर्नाटक	5	4.70
9.	केरल	3	0.52
10.	मध्य प्रदेश	4	2.25

1	2	3	4
11.	महाराष्ट्र	3	3.58
12.	मणिपुर	6	4.10
13.	मेघालय	1	1.51
14.	मिजोरम	9	5.36
15.	नागालैंड	5	3.17
16.	उड़ीसा	3	1.26
17.	पंजाब	4	3.90
18.	राजस्थान	5	4.30
19.	सिक्किम	14	9.66
20.	तमिलनाडु	3	4.75
21.	त्रिपुरा	2	1.01
22.	उत्तर प्रदेश	46	26.78
23.	पश्चिम बंगाल	5	7.46
	कुल	183	128.69

** विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों/एजेंसियों द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर।

चमेरा विद्युत परियोजना

5274. श्री सुख राम: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चमेरा स्टेज-1 तथा ब्रसूल विद्युत परियोजना से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड को 12 प्रतिशत बिजली मुफ्त देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) चमेरा चरण-1 परियोजना के मामले में हिमाचल प्रदेश को 1.5.1994 से 12% निशुल्क विद्युत प्रदान की जा रही है। हिमाचल प्रदेश को 5.9.1994 वैरास्यूल परियोजना से भी 12% निशुल्क विद्युत प्रदान की गयी है।

डी.डब्ल्यू.सी.आर.ए.

5275. श्री पी. एस. गढ़वी:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास के अंतर्गत राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया गया है;

(ख) इस योजना में 1996-97 के दौरान राज्य-वार कितने जिलों को शामिल किया जाएगा;

(ग) उक्त योजना को लागू करने के लिए राज्यों को वर्ष-वार अब तक कितनी सहायता दी गयी है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में योजना की राज्य-वार उपलब्धियां क्या रहीं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 504 जिलों को लिया गया है। राज्यवार विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इस कार्यक्रम में नये जिलों को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों से जब भी और जिस रूप में प्रस्ताव प्राप्त हुए उनको इस कार्यक्रम में शामिल करने की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 1996-97 के दौरान उत्तर प्रदेश व पंजाब की राज्य सरकारों ने प्रत्येक के 3 नये जिलों को शामिल करने का प्रतिवेदन दिया है। इन जिलों को उसी समय से डवाकरा के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है और ये कार्यक्रम द्वारा कवर किये जाने वाले 504 जिलों में आते हैं।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और 9.9.96 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र को 13920.29 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। वर्षवार ब्यौरे भी संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(घ) 8वीं योजना की बाकी अवधि के लिए इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 41.78 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

(ङ) विगत 3 वर्षों के दौरान डवाकरा कार्यक्रम की उपलब्धियों के राज्यवार और वर्ष-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण–I

8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ क्षेत्रों को उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता व कवरेज

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कवर किए गए जिलों की संख्या	केन्द्रीय सहायता 1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आंध्र प्रदेश	22	85.84	271.18	1038.52	2024.23	1260.00	4679.77
2. अरुणाचल प्रदेश	12	67.83	72.45	14.44	50.04	2.02	206.78
3. असम	23	30.25	11.45	102.06	195.74	37.80	377.30
4. बिहार	50	75.70	108.43	224.14	303.41	7.56	719.24
5. गोआ	2	3.34	5.68	1.31	4.70	—	15.03
6. गुजरात	19	53.43	78.55	15.60	173.83	30.62	352.83
7. हरियाणा	16	54.84	68.06	64.61	111.57	17.64	316.72
8. हिमाचल प्रदेश	12	36.40	57.27	36.50	67.31	10.58	208.06
9. जम्मू व कश्मीर	14	23.23	26.29	98.39	91.50	11.34	250.75
10. कर्नाटक	20	56.78	87.17	92.83	161.64	40.32	438.74
11. केरल	14	44.29	113.92	53.64	192.28	37.80	441.93
12. मध्य प्रदेश	46	94.89	147.85	151.40	337.50	15.12	746.76
13. महाराष्ट्र	29	70.65	65.45	89.25	314.50	115.92	655.57
14. मणिपुर	8	23.23	32.22	10.50	54.75	5.67	126.37
15. मेघालय	7	11.44	23.13	30.30	53.63	7.56	126.06

1	2	3	4	5	6	7	8
16. मिजोरम	3	11.11	34.39	13.67	18.20	3.78	81.15
17. नागालैंड	7	36.99	40.40	16.73	36.42	8.82	139.36
18. उड़ीसा	30	53.96	58.83	131.11	308.06	45.36	597.32
19. पंजाब	17	55.57	30.30	83.00	126.64	28.35	323.86
20. राजस्थान	31	39.07	67.36	153.49	197.80	–	457.72
21. सिक्किम	4	7.89	26.83	7.58	36.32	–	78.62
22. तमिलनाडु	22	72.43	48.83	77.50	342.45	96.39	637.20
23. त्रिपुरा	4	12.54	16.36	9.09	31.51	5.67	75.17
24. उत्तर प्रदेश	68	173.79	199.74	199.54	760.34	173.88	1491.29
25. पश्चिम बंगाल	18	39.34	65.35	82.97	149.38	–	327.04
संघ शासित क्षेत्र							
1. अंड. व निको. द्वीप समूह	2	5.32	–	–	9.39	–	14.71
2. दादर व नगर हवेली	1	–	–	–	3.33	–	3.33
3. दमन व दीव	2	2.02	–	–	4.00	–	6.02
4. लक्षद्वीप	1	3.03	3.94	–	3.00	–	9.97
5. पांडिचेरी	1	3.03	–	0.39	3.00	–	6.42
कुल	504	1248.23	1753.03	2794.00	6166.47	1962.20	13920.29

विवरण—II

वर्ष 1993-94 के दौरान डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	माह	जिलों की संख्या 1982-92	जिलों की संख्या 93-94	कुल जिलों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	बनाए गए समूह	बनाए गए समूहों का %	अनु. जन-जाति	% अनु. जन-जाति	सदस्यता अनु. जाति	% अनु. जाति	अन्य	कुल	शुरू किए गए समूह आई.जी.ए.	आई.जी.ए. का प्रतिशत	लाभान्वित-सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	03/94	12	3	15	540	4016	594.96	11038	17.94	21893	35.60	28581	61517	3933	97.93	60368
2.	असम	03/94	9	3	12	508	518	101.97	2275	27.30	1662	19.94	4397	8334	103	19.88	1150
3.	अरुणाचल प्रदेश	03/94	7	2	9	344	280	81.40	2849	100.00	0	0.00	0	2849	134	47.86	1639
4.	बिहार	03/94	21	4	25	768	839	109.24	1146	10.51	5580	51.16	4180	10906	365	43.50	5330
5.	गोआ	03/94	1	-	1	16	40	250.00	600	100.00	-	0.00	-	600	40	100.00	520
6.	गुजरात	03/94	11	6	17	808	768	95.05	3610	31.65	2376	20.83	5419	11405	809	105.34	12135
7.	हरियाणा	03/94	9	2	11	376	534	142.02	0	0.00	2408	37.37	4036	6444	446	83.52	3013
8.	हिमाचल प्रदेश	03/94	7	2	9	344	270	78.49	514	16.84	1428	46.79	1110	3052	218	80.74	-
9.	जम्मू व कश्मीर	03/94	6	1	7	212	246	116.04	581	18.41	291	9.22	2284	3156	171	69.51	20
10.	कर्नाटक	03/94	11	3	14	524	590	112.60	621	8.32	1951	26.14	4893	7465	607	102.88	6286
11.	केरल	03/94	7	6	13	728	551	75.69	299	4.96	1152	19.09	4583	6034	297	53.90	3571
12.	मध्य प्रदेश	03/94	23	4	27	832	901	108.29	3499	28.07	3814	30.60	5151	12464	529	58.71	4972
13.	महाराष्ट्र	03/94	15	4	19	704	674	95.74	1896	23.77	2143	26.86	3938	7977	373	55.34	3317
14.	मणिपुर	03/94	6	1	7	212	451	212.74	3666	56.57	83	1.28	2731	6480	426	94.46	6611
15.	मेघालय	03/94	2	1	3	148	84	56.76	1152	100.00	0	0.00	0	1152	55	65.48	917
16.	मिजोरम	02/94	2	-	2	48	120	250.00	1532	100.00	0	0.00	0	1532	0	0.00	-
17.	नागालैंड	03/94	4	2	6	280	200	71.43	3000	100.00	0	0.00	0	3000	200	100.00	3000
18.	उड़ीसा	03/94	7	2	9	328	330	100.61	1906	41.40	1174	25.50	1524	4604	182	55.15	2319
19.	राजस्थान	03/94	14	2	16	472	625	132.42	987	12.76	3089	39.93	3660	7736	1653	264.48	18197
20.	पंजाब	03/94	6	3	9	412	545	132.28	0	0.00	3261	47.61	3589	6850	338	62.02	3780
21.	सिक्किम	03/94	2	1	3	132.57	29	21.97	403	40.87	120	12.17	463	986	59	203.45	751
22.	तमिलनाडु	03/94	11	4	15	608	806	132.57	1019	9.23	4162	37.69	5862	11043	318	39.45	4408
23.	त्रिपुरा	03/94	2	-	2	48	199	414.58	683	41.34	265	16.04	704	1652	31	15.58	227
24.	उत्तर प्रदेश	03/94	32	6	38	1184	1441	121.71	12742	16.71	63490	83.29	0	76232	1018	70.65	50073
25	पश्चिम बंगाल	03/94	8	2	10	360	290	80.56	229	5.16	1144	33.56	2036	3409	268	92.41	2982

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
संघशासित क्षेत्र																	
1.	अंड. निको. द्वीप समूह	03/94	1		1	16	24	150.00	100	25.71	0	0.00	289	389	5	20.83	74
2.	दमन व द्वीव		1		1	0	0	ईआरआर		ईआरआर	0	ईआरआर	0	0		ईआरआर	
3.	लक्षद्वीप	03/94	1		1	16	2	12.50	1		0	0.00	0	1	2	100.00	25
4.	पांडिचेरी	03/94	1		1	16	30	187.50		0.00	6	20.00	4	30	10	33.33	449
5.	दादर व नगर हवेली	03/94	1		1	16	80	500.00	1199	97.80	27	12.20	0	1226	30	37.50	
			240	64	304	11000	15483	140.75	57547	41.71	121524	45.26	89454	268525	12620	81.51	196134

वर्ष 1994-95 के दौरान डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्रमांक	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	माह	कुल जिलों की संख्या	कवर किए गए जिलों की सं. 94-95 (डवाकरा)	कुल कवर किए गए जिलों की संख्या (डवाकरा)	भौतिक लक्ष्य	बनाए गए समूह	बनाए गए समूहों का %	सदस्यता						शुरू किए गए समूह आई.जी.ए.	आई.जी.ए. का %	लाभान्वित सदस्य
									अनु. जन-जाति	% अनु. जनजाति	अनु. जाति	% अनु. जाति	अन्य	कुल			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	03/95	23	4	22	734	25071	3415.67	58539	15.47	113735	31.[illegible]	201185	378460	15791	62.99	250900
2.	अरुणाचल प्रदेश	03/95	11		11	143	100	69.93	1171	100.00	0	0.00	0	1171	85	85.00	1057
3.	असम	03/95	23	7	23	908	934	102.86	2052	16.01	3592	28.03	7171	12815	214	75.76	2960
4.	बिहार	03/95	50	7	50	1051	900	85.63	2455	18.34	5367	40.09	5564	13386	255	28.33	3790
5.	गोआ	03/95	2	-	1	20	26	100.00	0	0.00	76	19.49	314	390	26	100.00	390
6.	गुजरात	03/95	19	-	19	247	315	127.53	748	17.36	820	19.03	2741	4309	2434	772.70	0
7.	हरियाणा	03/95	16	3	16	469	412	87.85	0	0.00	1878	37.58	3120	4998	332	80.58	2770
8.	हिमाचल प्रदेश	03/95	12	1	12	243	362	148.97	1286	25.51	2114	41.94	1641	5041	349	96.41	0
9.	जम्मू व कश्मीर	03/95	14	6	14	704	1036	147.16	711	8.20	599	6.91	7361	8671	133	12.84	1457
10.	कर्नाटक	03/95	20	3	20	521	696	133.59	794	10.51	1909	25.27	4852	7555	633	90.95	6761
11.	केरल	03/95	14	-	14	182	753	413.74	191	2.27	1891	22.48	6329	8411	629	83.53	7462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12.	मध्य प्रदेश	03/95	45	14	45	1303	1442	110.67	3997	26.73	4824	32.25	6135	14956	503	41.82	6568
13.	महाराष्ट्र	03/95	29	6	29	899	1254	139.49	1535	14.82	5638	54.42	3187	10360	770	61.40	9198
14.	मणिपुर	03/95	8	–	8	104	104	100.00	961	63.60	10	0.66	540	1511	185	177.88	2643
15.	मेघालय	03/95	7	3	7	952	206	98.52	2527	100.00	0	0.00	0	2527	107	53.94	1222
16.	मिजोरम	03/95	3	–	3	39	110	282.05	1350	100.00	0	0.00	0	1350	70	53.64	910
17.	नागालैंड	03/95	7	–	7	91	300	329.67	4350	100.00	0	0.00	0	4350	80	26.67	5600
18.	उड़ीसा	03/95	30	3	30	430	736	171.16	3722	35.55	2629	25.11	4120	10471	414	56.25	5123
19.	पंजाब	03/95	14	4	14	530	502	94.72	0	0.00	3092	45.76	3655	6757	334	66.53	4397
20.	राजस्थान	03/95	30	6	30	847	175	20.66	62	3.03	965	0.00	1022	2049	96	54.86	0
21.	सिक्किम	03/95	4	1	5	139	65	46.76	191	21.20	51	5.66	659	901	75	115.38	801
22.	तमिलनाडु	03/96	22		22	721	144	19.97	164	3.59	1420	31.06	2988	4572	0	0.00	0
23.	त्रिपुरा	03/95	3		3	39	145	371.79	872	50.40	356	20.58	502	1730	34	23.45	422
24.	उत्तर प्रदेश	03/95	63	20	63	1509	1709	113.25	3454	4.34	76400	95.66	0	79864	1204	70.45	62835
25.	पश्चिम बंगाल	03/95	18	6	18	756	371	49.07	437	8.63	2070	40.90	2554	5051	330	88.95	4516
	संघ शासित क्षेत्र																
1.	अंड. व निको.	03/95	2		2	13	15	115.38	44	26.04	0	0.00	125	169	6	40.00	0
2.	दमन व दीव	03/95	2		1	11	3	27.27	0	0.00	1	12.50	7	8	8	0.00	127
3.	लक्षद्वीप	03/95	1		1	13	10	76.92	0	0.00	0	0.00	0	0	10	100.00	0
4.	पांडिचेरी	03/95	4		1	13	13	100.00	0	0.00	120	65.57	-63	183	13	100.00	103
5.	दादर व नगर हवेली	03/95	1		1	13	55	423.02	0	0.00	0	0.00	0	0	55	0.00	300
			497	94	492	13400	37964	283.31	91623	15.48	234557	39.62	265846	592026	22485	59.23	326988

टिप्पणी: उन समूहों जिन्होंने आई.जी.ई. शुरू किया है के आंकड़ों में गलतियां प्रतीत होती है चूंकि गुजरात, मणिपुर, राजस्थान तथा सिक्किम की राज्य सरकारों ने सूचना दी है। अत: समस्त भारत के योग की गणना करते समय कालम 16, 17 व 18 के अंतर्गत उल्लिखित इन तीन राज्यों से संबंधित आंकड़ों को गणना में नहीं लिया गया है।

वर्ष 1995-96 के दौरान डवाकरा कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियां

क्रमांक	राज्य/संघशासित क्षेत्र	माह	भौतिक लक्ष्य	बनाए गए समूह	बनाए गए समूहों का %	सदस्यता अनु. जाति	% अनु. जाति	अनु. जनजाति	% अनु. जनजाति	अन्य	कुल	शुरू किए गए समूह आई.जी.ए.	शुरू किए गए समूह आई.जी.ए. का प्रतिशत	लाभान्वित सदस्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	आंध्र प्रदेश	03/96	2875	17164	597.01	107867	43.68	22791	9.23	116265	246923	17164	100.00	24623
2.	अरुणाचल प्रदेश	03/96	179	174	97.21	0	0.00	1760	100.00	0	1760	107	61.49	1329
3.	असम	03/96	1135	774	68.19	1732	17.37	3046	30.55	5192	9970	647	83.59	9131
4.	बिहार	03/96	3042	2308	75.87	12052	37.78	5172	16.21	14673	31897	862	37.35	11452
5.	गोआ	03/96	36	36	100.00	75	13.89	-	0.00	465	540	36	100.00	540
6.	गुजरात	03/96	1033	1092	105.71	2743	19.38	3410	24.10	7999	14152	3216	294.51	41226
7.	हरियाणा	03/96	586	571	97.44	3188	37.23	-	0.00	5374	8562	625	109.46	7664
8.	हिमाचल प्रदेश	03/96	304	265	87.17	279	8.68	1458	45.36	1477	3214	158	59.62	-
9.	जम्मू व कश्मीर	03/96	880	642	72.95	888	11.08	493	6.15	6630	8011	801	124.77	-
10.	कर्नाटक	03/96	1548	755	48.77	1918	22.99	876	10.50	5548	8342	1023	135.50	8191
11.	केरल	03/96	720	797	110.69	2037	24.31	216	2.58	6125	8378	649	81.43	6421
12.	मध्य प्रदेश	12/95	2795	612	21.90	1630	32.67	1410	28.26	1949	4989	653	106.70	6394
13.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27.03	3859	14.12	16085	27333	1628	74.85	[illegible]
14.	मणिपुर		245	-	0.00	-	-	-	-			-	-	-
15.	मेघालय	02/96	440	182	41.36	-	0.00	2027	100.00	0	2027	130	71.43	1605
16.	मिजोरम	02/96	68	34	50.00		0.00	249	100.00	0	249	16	47.06	181
17.	नागालैंड	04/95	122	300	[illegible]		0.00	4350	100.00	0	4350	80	26.67	5600
18.	उड़ीसा	03/96	1623	1730	106.59	7222	30.11	6813	28.40	9954	23989	1345	77.75	16033
19.	पंजाब	03/96	663	625	94.27	4189	54.16	0	0.00	3545	7734	526	84.16	6675
20.	राजस्थान	02/96	1238	562	45.40	3042	39.51	914	11.87	3743	7699	-	0.00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21.	सिक्किम	03/96	174	135	77.59	191	11.62	496	30.17	957	1644	135	100.00	1644
22.	तमिलनाडु	03/96	1951	1352	69.30	6952	36.21	974	5.07	11273	19199	1352	100.00	19199
23.	त्रिपुरा	03/96	90	143	158.89	301	18.23	647	39.19	703	1651	104	72.73	1240
24.	उत्तर प्रदेश	02/96	4068	1987	48.84	99818	48.27	0	0.00	106978	206796	3890	195.77	22929
25.	पश्चिम बंगाल	03/96	1806	888	49.17	3479	31.36	818	7.37	6795	11092	105	11.82	6953
संघ शासित क्षेत्र														
1.	अंड. व निको.	03/96	29	26	89.66	0	0.00	74	24.34	230	304	14	53.85	10
2.	दमन व दीव	03/96	16	20	125.00	60	54.55	50	45.45	0	110	20	100.00	475
3.	लक्षद्वीप	03/96	14	7	50.00	1	14.29	–	–	6	7	7	100.00	70
4.	पांडिचेरी	03/96	16	–	–	0	0.00	9	100.00	0	9	1		0
5.	दादर व नगर हवेली	03/96	16	16	100.00	54	24.00	0	0.00	171	225	16	100.00	225
	योग		300000	35372	117.91	267107	40.40	61912	9.36	332137	661156	35310	99.82	436841

[हिन्दी]

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

5276. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत निर्माण लागत की सीमा क्या है तथा उसमें आवश्यक संशोधन के लिए किन उपायों का प्रावधान है; और

(ख) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सचिवालयीन सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं तथा निर्माण कार्य की पुनरीक्षा के संबंध में क्या निर्देश हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) सांसद स्थानीय क्षत्र विकास योजना से संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 2.4 के अनुसार, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये से ज्यादा की लागत वाला कोई भी काम नहीं करवाया जा सकता है। फिलहाल लागत सीमा को संशोधित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) वर्तमान में, जिलाधिकारियों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस योजना के कार्यान्वयन के वास्ते कोई सचिवालयीन सहायता नहीं दी जाती है।

समाहर्तालयों द्वारा इस कार्य के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों अथवा जिला योजना कार्यालयों के मौजूदा तंत्र का

उपयोग किया जा रहा है। जहां तक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत किये जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा का संबंध है, योजना से संबंधित दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में यह प्रावधान है कि जिलाधिकारियों द्वारा दौरे किये जाएं तथा निर्माण कार्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रतिवर्ष कम से कम 10 प्रतिशत निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाए। इसी तरह, इन निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करवाने वाले अभिकरणों के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही है कि वे इन निर्माण कार्यों के लिए नियमित रूप से दौरे करें और यह सुनिश्चित करें कि निर्माण कार्य निर्धारित प्रक्रियाओं एवं विशिष्टियों के अनुसर संतोषजनक रूप से चल रहे हैं। इसी प्रकार, अनुमंडल और ब्लाक स्तर पर कार्यरत जिला के अधिकारियों को भी कार्य-स्थलों के दौरे करके इन निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन का गहन प्रबोधन करना चाहिए। कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के अधिकारी भी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए जिलों का यथासंभव दौरा करते हैं।

बिहार में नविनगर ताप विद्युत परियोजना

5277. **श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार राज्य की नविनगर (वरुण) ताप विद्युत परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नविनगर ताप विद्युत परियोजना के अध्ययन के लिए दक्षिण कोरिया कंपनी के एक समूह ने भारत का दौरा किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी, हां। बिहार में नबीनगर में 2000 मेगावाट (3000 मेगावाट तक विस्तारित) कोयला आधारित परियोजना स्थापित करने के लिए भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की ओर से भारतीय पावरग्रिड निगम लि. द्वारा 30.8.1996 को समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित की गयी हैं।

(ग) और (घ) बड़ी परियोजनाओं सहित निजी विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में भाग लेने/स्थापित करने तथा इनमें भागीदारी का पता लगाने हेतु दक्षिण कोरिया के एक दल ने भारत का दौरा किया था। निजी क्षेत्र में बड़ी विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु भारत सरकार की नीति के अनुरूप परियोजना प्रवर्तक का चुनाव प्रतिस्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना होता है। तदनुसार, दक्षिणी कोरिया दल को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

अनधिकृत कालोनी

5278. **श्री बी. एल. शर्मा ''प्रेम''** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिल्ली में कुल कितनी अनधिकृत कालोनियां हैं और उनकी कुल जनसंख्या कितनी है;

(ख) उपर्युक्त में से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा कितनी कालोनियों की मंजूरी की सिफारिश की गई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त कालोनियों को मंजूरी देने के संबंध में नवीतम स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने बताया है कि दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों की कुल संख्या और उनमें रह रही आबादी का मूल्यांकन करने के लिए हाल ही में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र की सरकार ने 31.3.1993 तक विद्यमान 1071 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने की सिफारिश की है।

(ग) कॉमन कॉज सोसाइटी की सिविल याचिका सं. 4771/93 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत संघ सरकार सहित प्रतिवादियों पर, आगामी आदेशों तक दिल्ली में किसी भी अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने के लिए कोई निर्णय अथवा कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। यह मामला अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. कनेक्शन

5279. **डा. महादीपक सिंह शाक्य:**
श्री नंद कुमार साय:
श्री गिरधारी यादव:
श्री नवल किशोर राय:
श्री नीतीश कुमार:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
कुमारी सुशीला तिरिया:
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
श्री मोहन रावले:
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री परसराम भारद्वाज:
श्री आनंद रत्न मौर्य:
श्री बसुदेव आचार्य:
श्री बची सिंह रावत "बचदा":

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 मार्च, 1996 तक देश में एल.पी.जी. कनेक्शन के वाणिज्यिक तथा घरेलू आवेदनों की प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक हैं तथा इनका राज्यवार ब्यौरा क्या हैं;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार द्वारा देश भर में एल.पी.जी. के कितने कनेक्शन जारी किये जाने की योजना है;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान वास्तव में जारी किये गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या कितनी है;

(घ) कमी, यदि कोई हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान देश भर में एल.पी.जी. के कितने नए कनेक्शन जारी किये जाने का विचार हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) देश के अंतर्गत 31 मार्च, 1996 को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध प्रतीक्षा सूचियों पर पंजीकृत आवेदकों की संख्या 132.82 लाख के लगभग थी। राज्यवार प्रतीक्षा सूची का विवरण संलग्न है।

तेल कंपनियां नए एल पी जी कनेक्शनों के संबंध में वाणिज्यिक ग्राहकों से प्राप्त आवेदनों पत्रों को प्रतीक्षा सूची पर नहीं रखती है। उन्हें एल पी जी कनेक्शन जरूरत विशेष के संबंध में अनुमान करने तथा सुरक्षा विनियमनों के अनुपालन के पश्चात, संपर्क किये जाने पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

(ख) से (घ) वर्ष 1995-96 के दौरान देश के लिए नए एल पी जी ग्राहकों का नामांकन लक्ष्य 15 लाख पर नियत था। 15 लाख एल पी जी कनेक्शनों के लक्ष्य के प्रति वर्ष 1995-96 के दौरान जारी किये गये वास्तविक कनेक्शन लगभग 20.5 लाख थे।

(ङ) नए गैस कनेक्शनों का आवंटन राज्यवार आधार पर नहीं किया जाता है। नए एलपीजी कनेक्शन उत्पाद उपलब्धता, देश स्तर पर कुल नए ग्राहक नामांकन, राज्य में डिस्ट्रीब्यूटरों के पास उपलब्ध बकाया और प्रतीक्षा सूचियों पर निर्भर करते हुए जारी किये जाते हैं। वर्ष 1996-97 के दौरान देश में नए एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए लक्ष्य 20 लाख पर नियत किया गया है। वर्ष 1997-98 के लिए लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

दिनांक 31 मार्च, 96 को राज्यवार प्रतीक्षा सूची

राज्य	आंकड़े लाख में
1	2
आंध्र प्रदेश	10.14
अरुणाचल प्रदेश	0.16
असम	1.51
बिहार	3.72
गोवा	0.61
गुजरात	7.95
हरियाणा	4.68
हिमाचल प्रदेश	1.03
जम्मू और कश्मीर	1.36
कर्नाटक	6.55
केरल	5.86
मध्य प्रदेश	6.60
महाराष्ट्र	17.81
मणिपुर	0.05
मेघालय	0.07

1	2
मिजोरम	0.05
नागालैंड	0.04
उड़ीसा	1.26
पंजाब	7.02
राजस्थान	8.50
सिक्किम	0.02
तमिलनाडु	13.91
त्रिपुरा	0.32
उत्तर प्रदेश	14.87
पश्चिम बंगाल	9.35
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	0.12
चंडीगढ़	0.81
दादरा और नगर हवेली	0.01
दिल्ली	7.95
दमन और दीव	0.02
लक्षद्वीप	–
पांडिचेरी	0.46

गैस की आपूर्ति

5280. **श्री छीतूभाई गामीत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा गुजरात के उद्योगों के लिए प्रत्येक वर्ष गैस की आपूर्ति करने के लिए कितनी मात्रा स्वीकृत की गई है;

(ख) वर्ष 1992-93 से 1995-96 तक प्रत्येक वर्ष के दौरान गुजरात में आपूर्ति की जाने वाली स्वीकृत गैस का ब्यौरा क्या है और उसमें से वास्तव में गैस की कितनी मात्रा की आपूर्ति की गई; और

(ग) गुजरात के उद्योगों द्वारा अपेक्षित गैस की पूरी मात्रा की आपूर्ति न करने के क्या कारण हैं और गैस की पूरी मात्रा की आपूर्ति करने के लिए सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार रखती है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) आठवीं योजनावधि के दौरान गैस के आबंटन और 1995-96 तक आपूर्तियां नीचे दर्शाई गई हैं:–

(एम एम एस सी एम डी)

वर्ष	आबंटन	आपूर्ति
1992-93	12.78	12.43
1993-94	12.78	12.61
1994-95	13.99	11.99
1995-96	15.26	14.22
1996-97	15.68	–

(ग) आपूर्ति में कमी मुख्य रूप से पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों में गैस के कम उत्पादन के कारण हुई। वांछित संपीड़न और प्रेषण सुविधाओं की स्थापना के साथ-साथ गैस क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास करके गैस की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है।

[अनुवाद]

मैगासिटी परियोजनाएं

5281. **श्री चित्त बसु:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता की मैगासिटी परियोजनायें संतोषजनक ढंग से चल रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इनको लागू करने के बारे में कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो कमी को दूर करने के लिए क्या उपाय किये गये है; और

(ङ) क्या सरकार का और अधिक वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मेगा सिटी स्कीम के कार्यान्वयन में मुख्य कमी अवस्थापना विकास हेतु परिक्रामी कोष के गठन के उद्देश्य से संस्थागत वित्त व्यवस्था तथा लागत वसूली उपायों को लेकर है।

(घ) कलकत्ता मेगा सिटी के लिए नोडल एजेंसी अर्थात कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण (सी एम डी ए), 1995-96 के दौरान बाजार से 49.50 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाने के लिए नॉन-एस एल आर बॉड जारी करने में सफल रहा है। वे परिक्रामी कोष में पर्याप्त अंशदान हेतु धन जुटाने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्षा लागत वसूली उपाय भी अपना रहे हैं।

(ङ) 1995-96 के दौरान कलकत्ता मेगा सिटी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 18.08 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी थी। 1996-97 के दौरान समतुल्य प्रावधान उपलब्ध कराये जाने की आशा है।

टाटा अनुसंधान संस्थान

5282. **डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा क्षमता और मांग प्रबंधन के संबंध में टाटा अनुसंधान संस्थान और कनाडा के अनुसंधान संस्थान द्वारा की गयी अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) टाटा अनुसंधान संस्थान व कनाडा के ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा किये गये अध्ययन संबंधी रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारत में विद्युत क्षेत्र 1996-97 और 2011-12 में ऊर्जा दक्षता तथा मांग प्रबंधन संबंधी उपायों को अपनाकर विद्युत संबंधी मांग में क्रमशः 6.29% व 8.24% तक की बचत कर सकते हैं। रिपोर्ट में इस उद्देश्य के लिए अनुशंसित कार्य प्रणाली में प्रशासकीय, प्रबंधकीय, सांविधिक, राजकोषीय, वित्तीय व नीति उपाय शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता व मांग प्रबंधन के संवर्धन हेतु अपनाई गयी नीति में रिपोर्ट में दिये गये अनेक सुझाव पहले से ही शामिल हैं और किये गये उपायों में जागरूकता कार्यक्रम, परियोजना निदर्शन प्रशिक्षण, ऊर्जा संबंधी लेखा परीक्षा, राजकोषीय प्रोत्साहन, अमोरफास कोर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मरों की अधिष्ठापना, एलटी स्वीच कैपेसिटरस, ऊर्जा दक्ष मीटर, भार प्रबंधन, कृषि पंपसेटों में सुधार, ताप विद्युत केन्द्रों में गौण ईंधन तेल के उपभोग में कमी, तथा पारेषण व वितरण हानियों में कमी करना शामिल है।

पश्चिमी तट तेलशोधन परियोजना

5283. **श्री तारीक अनवर: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओमान हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन निगम के साथ छः मिलियन टन की पश्चिमी तट तेलशोधन परियोजना में भागीदारी पर पुनर्विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) और (ख) आंतरिक मूल्यांकन के बाद ओमान ऑयल कम्पनी (ओ ओ सी) ने विभिन्न वचनबद्धताओं की दृष्टि से हिन्दुस्तान ओमान रिफाइनरी परियोजना में अपने हित की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना

5284. **श्री सौम्य रंजन: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के लघु तथा मध्यम शहरों के विकास हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गयी है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लघु तथा मध्यम कस्बों के लिए उड़ीसा के लिए आबंटित की गई निधियां नीचे दी हैं।

कस्बे का नाम	अनुमोदित परियोजना लागत	जारी- केन्द्रीय सहायता				(रुपये लाखों में)
		92-93	93-94	94-95	95-96	योग
जाजपुर	167.00	20.00	-	-	-	20.00
बासुदेवपुर	200.00	25.00	-	-	-	25.00
अथागढ़	100.00	10.00	-	-	-	10.00
जरसुगुड़ा	500.00	35.00	-	-	-	35.00
दिगपहान्डी	97.390	-	12.000	-	-	12.00
भंजानगर	60.00	-	-	7.00	-	7.00
तितिलागढ़	200.00	-	-	24.00	-	24.00
यूनेर कोट	105.530	-	-	12.00	-	12.00
गोंडवर	134.72	-	-	16.00	-	16.00
तर्भा	134.72	-	-	12.00	-	12.00
छतरपुर	83.89	-	-	15.00	-	15.00
परलाखमुण्डी	200.00	-	-	36.00	-	36.00
कामाक्ष्यनगर	100.00	-	-	9.00	-	9.00
नौरंगपुर	200.01	-	-	15.00	-	15.00
बरहानपुर	501.95	-	-	-	52.00	52.00
कोनार्क	111.01	-	-	-	16.00	16.00
पुरी	438.00	-	-	-	16.00	16.00
कुल	3314.62	90.00	12.000	146.00	84.00	332.00

महंगाई भत्ता

5285. **श्री प्रभु दयाल कठेरिया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, परिवार पेंशन पाने वालों के लिए मूल वेतन/मूल पेंशन के 97 प्रतिशत की दर से 1 जुलाई, 1993 से महंगाई भत्ता मंजूर किया गया था;

(ख) क्या सरकार ने इस 97 प्रतिशत महंगाई भत्ते को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उपदान के आकलन हेतु इसे वेतन के रूप में मानने तथा पेंशन आकलन हेतु इसे वेतन के रूप में न मानने और इसे पेंशन का आकलन करने में अगली तारीख अर्थात् 1 अप्रैल, 1995 से करने के आदेश जारी किये हैं;

(ग) क्या सरकार को 97 प्रतिशत महंगाई भत्ते को 1 जुलाई, 1993 से सेवानिवृत्ति संबंधी सभी लाभों अर्थात् उपदान, पेंशन, पेंशन और परिवार पेंशन के रुपान्तरण के लिए वेतन के रूप में मानने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और उसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.9.1993 के अपने आदेश से सेवारत कर्मचारियों को 1 जुलाई, 1993 से नीचे दी गई दरों के अनुसार महंगाई भत्ता मंजूर किया गया है:

3500/- रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 97%
3500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/- रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 73% किन्तु न्यूनतम 3395/- रुपये प्रतिमाह
6000/- रुपये से अधिक मूल वेतन	वेतन का 63% किन्तु न्यूनतम 4380/- रुपये प्रतिमाह

इसी प्रकार से, केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों को नीचे उल्लिखित दरों के अनुसार महंगाई राहत मंजूर की गई-

1750/- रुपये प्रतिमाह तक	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 97%
1750/- रुपये प्रतिमाह से अधिक किन्तु 3000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 73% किन्तु न्यूनतम 1698/- रुपये
3000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक	पेंशन/कुटुम्ब पेंशन का 63% किन्तु न्यूनतम 2190/- रुपये

(ख) 5वें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपनी अंतरिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर यह आदेश जारी किये गये कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-1201.66 से जुड़े महंगाई भत्ते को केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के तहत 1.4.1995 को या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृत्ति उपदान/मृत्यु उपदान के लिए परिलब्धियों की गणना हेतु नीचे दिये अनुसार महंगाई-वेतन माना जाए:-

3500/- रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 97%
3500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 6000/- रुपये प्रतिमाह तक मूल वेतन	वेतन का 73% किन्तु न्यूनतम 3395/- रुपये
6000/- रुपये प्रतिमाह से अधिक मूल वेतन	वेतन का 63% किन्तु न्यूनतम 4380/- रुपये प्रतिमाह

(ग) तथा (घ) सरकार को दिनांक 1.4.1995 के आदेशों को लागू करने की तारीख में संशोधन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन आदेशों को लागू करने की तारीख के संबंध में निर्णय पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। सरकार का इन आदेशों की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवास एवं विकास निगम की परियोजनाएं

5286. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास एवं विकास निगम ने अब तक 11,500 करोड़ रुपये की 11,800 परियोजनाएं मंजूर की हैं;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक इन परियोजनाओं से लोगों को लाभ मिला है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान आवास एवं विकास निगम के वित्तीय परिणाम प्रभावकारी रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) 1996-97 के लिए आवास एवं विकास निगम क्या योजनाएं तैयार कर रहा है; और

(च) इन योजनाओं के अंतर्गत कितने राज्यों को लाभ मिलेगा?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) हडको ने आरंभ से 31.7.96 तक 12036 करोड़ रुपये की ऋण वचन बद्धता के साथ आवास तथा शहरी बुनियादी सेवाओं से संबंधित कुल 11870 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। पूरा होने पर ये परियोजनाएं विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 51.34 लाख नये रिहायशी एकक, शहरी निर्धनों के लिए 8.92 लाख उन्नत एकक, 4.14 लाख विकसित प्लाट, 37 लाख स्वच्छता इकाइयां तथा 407 जलापूर्ति, सीवरेज, जल-निकासी, सड़कें, पुल तथा अन्य सामाजिक और वाणिज्यिक सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।

(ग) और (घ) 1995-96 के दौरान हडको के अनन्तिम वित्तीय ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु. में)

1.	कुल राजस्व	808.14
2.	कर-पूर्व लाभ (पिछली अवधि के समंजन सहित)	100.17
3.	कर के बाद लाभ	76.23
4.	रिलीज की गई राशि	1216.40
5.	शुद्ध लागत	762.00

(ङ) और (च) 1996-97 के दौरान, हडको का आवास तथा शहरी बुनियादी सेवा परियोजनाओं के लिए 2047 करोड़ रुपये की ऋण सहायता स्वीकृत करने का प्रस्ताव है जिसमें से रिलीज

का लक्ष्य 1477 करोड़ रुपये रखा गया है। यह सहायता सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न अभिकरणों को आवास/शहरी बुनियादी सेवा परियोजनाओं के लिए उनकी मांग के अनुसार की जाएगी।

यूरेनियम और थोरियम का आयात

5287. **श्री टी. गोपाल कृष्ण: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने अपने परिष्कृत परमाणु रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग करने हेतु यूरेनियम और थोरियम के यौगिक पदार्थों का आयात करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे अभी तक सम्पर्क किया है, तथा इन अनुरोधों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त पदार्थों का हाल ही में कोई निर्यात किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) थोरियम के उपयोग में रुचि रखने वाले विदेशी वैज्ञानिक ग्रुपों के बीच वैज्ञानिक चर्चाएं हुई हैं। हमारे देश में वाणिज्यिक स्तर पर काम में लाए जा सकने वाले यूरेनियम के मामूली भंडारों की आवश्यकता हमारे अपने परमाणु विद्युत कार्यक्रम के लिए पड़ेगी और इसलिए सरकार यूरेनियम का निर्यात करने की स्थिति में नहीं है।

(ख) हाल ही में जापान, ब्राजील और यूरोपीय आयोग के वैज्ञानिक ग्रुपों के साथ चर्चाएं हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ने भी ऐसी चर्चाओं को बढ़ावा दिया है। तथापि, कोई निश्चित सहकार अभी तक स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) भारत ने 1984 में इकोले पॉलिटेक्नीक फैडेराले डी लॉसाने (ईपीएफएल), स्विटजरलैंड को एक न्यूट्रॉन जनित्र स्रोत सहित 1700 थोरिया राडों की आपूर्ति भौतिकी अध्ययन के लिए की थी। परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उपक्रम इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड ने 1985 और 1991 के बीच चीन (500 टन), अमरीका (300 टन), फ्रांस (1600 टन) तथा मलेशिया (1200 टन) को मोनाजाइट निर्यात किया था। 1985-96 के बीच इसने पश्चिम जर्मनी (1000 टन), आस्ट्रीया (100 टन), पूर्वी जर्मनी (1876 टन), जापान (4000 टन) और बंगलादेश (3000 टन) को थोरियम नाइट्रेट का निर्यात किया था। 1985-92 की अवधि के दौरान इंडियन रेअर अर्थ्स ने पूर्वी जर्मनी (750 टन), आस्ट्रीया (125 टन) और इंग्लैंड (10 टन) को थोरियम आक्साइड निर्यात किया था। इंडियन रेअर अर्थ्स ने 1985-1990 के दौरान आस्ट्रीया (120 टन) और पूर्वी जर्मनी (1910 टन) को थोरियम ऑक्जालेट का भी निर्यात किया था।

[हिन्दी]

भूमि विस्थापितों के लिए पैकेज

5288. **श्री अशोक प्रधान : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार नोएडा/ग्रेटर नोएडा के उन किसान परिवारों के सदस्यों को, जिनकी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है, प्राथमिकता के आधार पर रोजगार तथा उद्योग लगाने हेतु भूखण्ड उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार/केन्द्र सरकार को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन/ज्ञापन/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आवास

5289. **प्रो. अजित कुमार मेहता: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को दिल्ली में मकान आवंटित किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इसका मानदंड क्या था;

(ग) क्या यह सच है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को इन आवंटनों को रद्द करने तथा उनको खाली कराने के लिए कार्यवाही करने का निर्देश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) स्वतंत्रता सेनानियों को किये गये आवंटनों को दर्शाने वाला विवरण I और II और मंत्रिमण्डलीय आवास समिति द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों की एक प्रति क्रमशः संलग्न है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे कोई निर्देश नहीं दिये गये हैं। तथापि, श्री सैयद मीर कासिम, जिन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 6, लोधी स्टेट का मकान आवंटित किया गया था के व्यक्तिगत मामले में उच्चतम न्यायालय ने (दिशा निर्देशों के तहत पात्रतानुसार) टाईप "डी" आबंटन के आदेश दिये थे। तदनुसार उन्हें टाईप "डी" वास का प्रस्ताव किया गया था जिसे उन्होंने अब तक स्वीकार नहीं किया है।

विवरण-I

क्र.सं.	स्वतंत्रता सेनानी का नाम	क्वार्टर नम्बर	अभ्युक्ति
1	2	3	4
1.	स्व: श्रीमती अरुणा आसफ अली	सूट नं. 507 और 411, विट्ठल भाई पटेल हाऊस और सर्वेन्ट क्वार्टर सं. 28, न्यू ब्लाक वैस्टर्न कोर्ट हॉस्टल	श्रीमती अरुणा आसफ अली के देहान्त के कारण 29-8-96 से आवंटन रद्द कर दिया गया है।
2.	श्री लाल दीन	सूट सं. 503, वी.पी. हाऊस	
3.	श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	सूट नं. 424, वी.पी. हाऊस	
4.	श्री लाड़ली मोहन निगम	सूट नं. 7, वैस्टर्न कोर्ट हॉस्टल	
5.	श्री बी.डी. जत्ती	ए बी-2, डा. जाकिर हुसैन मार्ग	सामान्य लाइसेंस शुल्क की अदायगी पर उनकी पूर्व उपराष्ट्रपति भारत की हैसियत से जीवन काल तक के लिए नियमित कर दिया गया है।
6.	श्री सैयद मीर कासिम	6, लोदी इस्टेट	
7.	श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी	डी-1/17, भारती नगर	
8.	श्रीमती कमला बहुगुणा	ए-21/93, लोदी कालोनी	
9.	श्री डी.के. बरुआ	ए-21/95, लोदी कालोनी	
10.	श्रीमती शकुन्तला डोगरा	ए-21/121, लोदी कालोनी	
11.	श्री पुरुषोत्तम काकोदकर	ए-23/133, लोदी कालोनी	
12.	श्री सादिक अली	ए-23/139, लोदी कालोनी	
13.	श्री जा.आर. कार	ए-23/145, लोदी कालोनी	

1	2	3	4
14.	श्री गोविन्द नारायण	ए-23/159, लोदी कालोनी	
15.	श्री वी.एस. दरवार	ए-23/211, लोदी कालोनी	
16.	श्रीमती कौशल्या देवी	222, लक्ष्मी बाई नगर	
17.	श्री एल. एन. शुक्ला	337, लक्ष्मी बाई नगर	
18.	श्रीमती एम.बी. मेहतो	351, -वही-	
19.	श्री दिग्विजय नारायण सिंह	जी-187, नानकपुरा	
20.	श्री उर्मिलेश झा	508-ए/सैक्टर 3, आर.के. पुरम	
21.	श्री बाबू आनन्द	एन-518, सेक्टर IX. आर.के.पुरम	
22.	श्री नागेश्वर द्विवेदी	397/से. IV -वही-	
23.	श्री बी.बी. सेन	249/से. IV -वही-	
24.	श्री रमेश सिन्हा	1081/से. IV -वही-	
25.	श्री फतेह बहादुर	1093/से. IV -वही-	
26.	श्री रामायवी राय	40, कालीबाड़ी एपार्टमेंट	
27.	श्री कैलाशपति राय	8-डी, रंजीत प्लेस	
28.	श्री रमाकान्त शास्त्री	18-डी, विल्सन स्क्वेयर	
29.	श्री एम.एल. द्विवेदी	13 (एल एफ) कॉलेज रोड	
30.	मौलवी मेंहदी हसन	1 (एच) एम एस मिन्टो रोड	
31.	श्री विजय कुमार	137-डी, थॉमसन रोड	
32.	श्रीमती शकुन्तला देवी	756, लक्ष्मी बाई नगर	
33.	श्री कासिम अली आविद	93/से. XII, आर.के. पुरम	
34.	श्री जगदीश चन्द्र	190/से. XII -वही-	
35.	श्री अम्बीका प्रसाद सिंह	ए-99, पण्डारा रोड	
36.	श्री बाल्मिकि चौधरी	ए-119, -वही-	
37.	श्री एम.एस. प्रसाद सिन्हा	ए-127 -वही-	
38.	श्रीमती सुभद्रा जोशी	ए-199 -वही-	

1	2	3	4
39	श्रीमती आर.डी. सिन्हा	ए-205, पण्डारा रोड	
40.	श्री इन्द्र दीप सिन्हा	ए-265 -वही-	
41.	श्रीमती चम्पालिमय पत्नी श्री मधु लिमय (स्व.)	बी-11 -वही-	
42.	श्री अंसार हरवानी	बी-14 -वही-	
43.	श्री हरी किशोर ठाकुर	बी-59 -वही-	
44.	श्री जेड ए अहमद	बी-107 -वही-	
45.	श्री तुल मोहन राम	ई-139, नानकपुरा	
46.	श्री रामरतन राम	1103/से. VIII, आर.के. पुरम	
[illegible]	श्री तलत किचालरु	698/से. VIII -वही-	
	डा. (सुश्री) फूल रेणु गुहा	ए-73 पण्डारा रोड	
49	श्री एस.एल. सिंह	बी-211, नानकपुरा	
50.	श्री अर्जुन सिंह बदोरिया	सी-221, -वही-	
51.	श्री बी.एस. मारवर	ए-23/211, लोदी कालोनी	
52.	श्री जगन्नाथ मिश्र	बी-50, नानक पुरा	
53.	श्री जय दत्त वालिया	53/से. 8, आर.के. पुरम	
54.	श्री एल.पी. सिंह	763/से. 8, -वही-	
55.	श्री सीताराम सिंह	4 (यू.एफ.) बाबर प्लेस	
56.	श्री आर. पी. गुप्ता	1043/से. 8, आर. के. पुरम	
57.	सुश्री सत्यवती	2, टेलीग्राफ लेन	
58.	श्री वीरेन्द्र वर्मा	डी-II/155, काका नगर	
59.	श्री राज कुमार पूर्वे	8/1-सी/से. 2, डी आई जैड ऐरिया	

विवरण-II

सं. 12016(2)/83-नीति-II (खण्ड V)

भारत सरकार

सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19.4.94

कार्यालय ज्ञापन

स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी वास के आवंटन हेतु दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा।

स्वतंत्रता सेनानियों को साधारण पूल रिहायशी वास के आवंटन के लिए दिशानिर्देशों की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की गयी और निम्न प्रकार से दिशानिर्देशों की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया गया:-

2. अखिल भारतीय स्तर के स्वतंत्रता सेनानियों को निम्नलिखित शर्त पर साधारण पूल रिहायशी वास की अनुमति दी जाय:

(क) उनका दिल्ली में अपने नाम से या उनके परिवार के सदस्यों के नाम से अथवा आश्रितों के नाम से मकान या फ्लैट न हो।

(ख) वास, स्वतंत्रता सेनानी के अथवा उनके पति/पत्नी के वास्तविक स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार के लिए अपेक्षित हो।

(ग) मामला गृह मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से सिफारिश करके भेजा गया हो, जिन्हें वास आवंटन हेतु अनिवार्यता का विस्तृत औचित्य देना चाहिए और उन स्वतंत्रता सेनानियों जिनकी आयु 70 वर्ष से कम है उन स्वतंत्रता सेनानियों के मामले में आवंटन की अवधि बाबत भी सिफारिश करनी चाहिए। 70 वर्ष से अधिक की आयु के मामले में यह जीवन काल तक होना चाहिए और चिकित्सा आधार आवश्यक नहीं है।

(घ) वास का टाईप, टाईप "डी" और उससे छोटे तक सीमित होगा।

(ङ) सामान्य लाइसेंस शुल्क प्रभारित किया जायेगा।'

(च) स्वतंत्रता सेनानी को आवंटित सरकारी वास में रह रहे स्वतंत्रता सेनानी के पति/पत्नी स्वतंत्रता सेनानी के देहान्त के पश्चात भी आवंटन की निर्धारित अवधि तक वास रखने के पात्र होंगे।

(छ) संशोधित दिशा-निर्देश 10.2.94 जिस तिथि को सी.सी.ए. द्वारा निर्णय लिया गया था, से प्रभावी होंगे।

ह.

(ओ.पी. भाटिया)

उप-निदेशक (सम्पदा)

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के जांचाधीन अधिकारी

5290. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी:**
श्री एन.एस.वी. चित्थन:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय भारत में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकार विभिन्न आरोपों के कारण केन्द्रीय जांच ब्यूरो के जांचाधीन हैं; और

(ख) इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) 31.7.1996 की स्थिति के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के 42 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों से संबंधित 46 मामले (नियमित मामले/ प्रारम्भिक जांच) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पास जांचाधीन हैं।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा/भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की राज्य संवर्ग-वार सूची इस प्रकार है:-

भारतीय पुलिस सेवा के के अधिकारियों की सं.	संवर्ग	भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सं.	संवर्ग
1	गुजरात	2	पश्चिम बंगाल
4	हरियाणा	8	ए.जी.एम.यू.
1	मध्य प्रदेश	1	हिमाचल प्रदेश
1	बिहार	4	तमिलनाडु
1	ए.जी.एम.यू.	1	बिहार
1	हिमाचल प्रदेश	3	मध्य प्रदेश
1	पश्चिम बंगाल	1	राजस्थान
2	पंजाब	2	गुजरात
1	उत्तर प्रदेश	4	मणिपुर
2	तमिलनाडु		(नामांकित)
1	असम		
कुल 16		कुल 26	

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का नवीकरण

5291. श्री संदीपान थोरात: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकतर योजनाओं को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें पुनर्गठन हेतु चुना गया है तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के परिवर्तन लाए जाने का विचार है;

(ग) क्या गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत योजनाओं के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेष रूप से महाराष्ट्र राज्य में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) योजनाओं की उपलब्धियों के मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए उठाये जा रहे कदमों/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के संदर्भ में ग्रामीण गरीबी रोधी कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। इस उद्देश्य से योजना आयोग द्वारा "ग्रामीण भारत में गरीबी उन्मूलन और क्षेत्र विकास कार्यक्रम" के संबंध में एक संचालन दल तथा छह कार्यदल का गठन किया गया है। ये इस प्रकार हैं:

(1) स्व-रोजगार कार्यक्रम (आईआरडीपी और ग्रामीण ऋण) से संबंधित कार्यदल।

(2) मजदूरी-रोजगार कार्यक्रम से संबंधित कार्यदल।

(3) विकेन्द्रीकृत योजना और पंचायती राज से संबंधित कार्य-दल।

(4) क्षेत्र विकास कार्यक्रम और एकीकृत जलसंभर योजना (डीपीएपी/डीडीपी) से संबंधित कार्यदल।

(5) "ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी हस्तान्तरण में और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता के संबंध में कार्यदल।

(6) ग्रामीण आधारभूत ढांचे और ग्राम सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में कार्यदल।

संचालन समूह इन कार्यदलों की रिपोर्टों और 4-5 जुलाई, 1996 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में ग्रामीण गरीबी उन्मूलन और रोजगार के संबंध में की गई सिफारिशों की विस्तार से जांच करेंगे। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के पुनर्निर्धारण/पुनर्गठन में संबंधित सम्पूर्ण विषयों पर नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी उन्मूलन की नीति तैयार करते समय ध्यान में रखा जायेगा।

(ग) और (घ) जी हां। ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन नियमित रूप से किया जाता है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (सितम्बर, 1992-फरवरी, 1993) के समवर्ती मूल्यांकन के कार्य सारांश और जवाहर रोजगार योजना (जनवरी-दिसम्बर, 1992) के समवर्ती मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष संलग्न विवरण-I और II में दिये गये हैं।

ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों, नामतः एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) की मानीटरिंग व मूल्यांकन इन कार्यक्रमों के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। सरकार केन्द्रीय स्तर समन्वय समिति (सीएलसीसी), राज्य-स्तर समन्वय समिति (एसएलसीसी) के माध्यम से और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों (डीआरडीए) की शासी निकाय द्वारा विभिन्न राज्यों में ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की नियमित रूप से समीक्षा करती है। इन कार्यक्रमों का प्रमुख संकेतकों के संबंध में राज्यों से व्यापक प्रगति रिपोर्टों के नियमित प्रस्तुतीकरण के माध्यम से तथा जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसियों और केन्द्र तथा राज्य के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षणों की एक व्यापक शृंखला के माध्यम से भी मॉनीटरिंग किया जाता है। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा वास्तविक प्रगति की भी मानीटरिंग की जाती है।

विवरण-I

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) का समवर्ती मूल्यांकन (सितम्बर, 1992-फरवरी, 1993)

कार्य सारांश

(क) सकारात्मक बिन्दु

1. लाभभोगी परिवारों के चयन में विश्लेषण से पता चलता है कि 51.5% परिवारों का चयन ग्राम सभा द्वारा, 43% का चयन स्थानीय अधिकारियों द्वारा और शेष लगभग 5% का चयन सार्वजनिक प्रतिनधियों व अन्य एजेंन्सियों द्वारा किया गया था। इस प्रकार लाभभोगी परिवारों की संख्या का एक बड़ा प्रतिशत ग्राम सभाओं द्वारा किया गया था।

2. कमजोर वर्गों के बीच शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों और अधिशेष भूमि के समनुदेशितों को प्राप्त होने वाले लाभ काफी उत्साहवर्धक थे। मोटे तौर पर 34.1% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों और अधिशेष भूमि के 43.2% समानुदेशितों को आईआरडीपी कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हुआ।

3. लाभभोगियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों के विश्लेषण से पता चला कि बड़ी प्रतिशतता में परिवारों (63%) को प्राथमिक क्षेत्रक के अन्तर्गत और प्राथमिक क्षेत्रक के उपक्षेत्रकों के अंतर्गत परिसम्पत्तियां दान की गई थी और लगभग 50% सहायता दुधारू पशुओं के लिए दी गयी थी।

4. लाभभोगियों को दी गई परिसम्पत्तियों की लागत के बारे में जानकारी के संबंध में विश्लेषण से पता चला कि 85% मामलों में लाभभोगियों ने यह महसूस किया कि उन्हें प्रदान की गई परिसम्पत्तियां कम लागत की नहीं थी।

5. बड़ी संख्या (96%) में लाभभोगियों ने महसूस किया कि उन्हें प्रदान की गई परिसम्पत्तियों की किस्म उनकी इच्छा के अनुसार थी।

6. जहां तक लाभभोगियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों की कोटि का संबंध है, सामान्यत: 69.42% अच्छी कोटि की पायी गयी।

7. लाभभोगियों की पारिवारिक आय के विश्लेषण से पता चला कि बड़ी प्रतिशतता में (56.59%) परिवारों को परिसम्पत्तियों से 2000 रुपये से अधिक की वार्षिक पारिवारिक आय थी।

8. लाभभोगियों से बकाया/वसूलियों के संबंध में सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि अधिकांश मामलों (59%) में किसी बकाया की रिपोर्ट नहीं की गयी और केवल 41% मामलों में कुछ बकाया रहते थे। इस प्रकार लाभभोगियों से वसूली की दर सामान्यत: सन्तोषजनक थी।

9. जहां तक परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के बाद निजी स्रोतों से लाभभोगियों द्वारा उधार लेने का संबंध है, सर्वेक्षण से पता चला कि काफी बड़ी प्रतिशतता (95%) में लाभभोगियों ने निजी स्रोतों से कोई धन उधार नहीं लिया।

10. जहां तक लाभभोगियों को प्रदत्त परिसम्पत्तियों के लिए निविष्टी और विपणन सुविधाओं का संबंध है, विश्लेषण से पता चला कि ऐसी सुविधायें प्राथमिक क्षेत्रक में काफी सीमा तक उपलब्ध थीं।

11. समग्र प्रति परिवार निवेश (सब्सिडी और ऋण दोनों को मिलाकर) की दृष्टि से विश्लेषण से पता चला कि तृतीयक क्षेत्रक के मामलों में यह सब से अधिक अर्थात् 7613 रुपये और प्राथमिक क्षेत्रक में 7628 रुपये तथा गौड़ क्षेत्रक में 6307 रुपये था।

12. सभी तीन प्रमुख क्षेत्रकों के संबंध में कुल मिलाकर अध्ययन से पता चला कि पुराने लाभभोगी परिवारों में से 14.81% परिवार 11000 रुपये की संशोधित गरीबी रेखा को पार कर सकते हैं और 50.4% परिवार 6400 रुपये की पुरानी गरीबी रेखा को पार कर सकेंगे।

13. ट्राइजेम को आईआरडीपी के साथ जोड़ने का भी विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि 56.23% मामलों में लाभभोगियों को उसी व्यवसाय/कार्यकलाप के लिए सहायता प्राप्त हुई जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था।

ख. चिन्ता के विषय

1. यह देखा गया है कि "पुराने" लाभभोगियों को दी गई सहायता की दूसरी क़िस्मत की सीमा बहुत कम थी। कुल "पुराने" लाभभोगियों में से केवल 3.28% परिवारों को दूसरी किस्त प्रदान की गयी। इसी प्रकार नये लाभभोगियों के मामले में सहायता की दूसरी किस्त की सीमा 2.61% से भी कम थी। इस प्रकार पात्र परिवारों को सहायता की अगली किस्त प्रदान करने के लिए अधिक ध्यान नहीं दिया गया।

2. यह देखा गया कि बी.पी.एल. सर्वेक्षण के दौरान जिन परिवारों को सहायता दी गई, उनकी वार्षिक पारिवारिक आय के बारे में बी.पी.एल. सर्वेक्षण के दौरान कम अनुमान लगाया गया, क्योंकि जांचकर्ता द्वारा किये गये मूल्यांकन के अनुसार लगभग 4% लाभभोगी परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय 11000 रुपये से अधिक थी, किन्तु जैसा कि रिकार्डों से देखा गया, ऐसा कोई परिवार नहीं था, जिसकी वार्षिक आय 11000 रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो।

3. जहां तक लाभभोगियों के बीच समूह जीवन बीमा की जानकारी का संबंध है, अध्ययन से पता चला कि

बड़ी संख्या (58%) में लाभभोगियों को समूह जीवन बीमा स्कीम की जानकारी नहीं थी। इससे पता चलता है कि समूह जीवन बीमा स्कीम का यथोचित प्रचार नहीं किया गया।

4. लाभभोगियों द्वारा नष्ट हुई परिसम्पत्तियों के संबंध में प्रस्तुत दावों के निपटान का भी विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि 56% मामलों में दावे अनिर्णयित पड़े थे।

5. जहां तक लाभभोगियों को विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति का संबंध है, अध्ययन से पता चला कि केवल कुछ प्रतिशतता (32%) में ही लाभभोगियों को विकास पत्रिकाओं की आपूर्ति की गयी, जो एक बहुत गम्भीर मामला है।

6. आईआरडीपी का ट्राइजैम और डीडब्ल्यूसीआरए के साथ संयोजन असन्तोषजनक पाया गया। केवल 2.13% परिवारों ने बताया कि उनके किसी सदस्य को डीडब्ल्यूसीआरए के तहत सहायता प्रदान की गई, जबकि 3.88% लाभभोगियों ने बताया कि उन्हें ट्राइजेम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हुआ।

विवरण–II

जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) का समवर्ती मूल्यांकन (जनवरी-दिसम्बर, 1992)

मुख्य निष्कर्ष

(क) सकारात्मक बिन्दु

(1) यह देखा गया है कि उपलब्ध निधियों का एक प्रमुख भाग अर्थात लगभग 73% ग्राम पंचायतों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जेआरवाई के अंतर्गत सामुदायिक विकास परियोजनायें शुरू करने के लिए खर्च किया गया। कुछेक राज्यों, जैसे जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, त्रिपुरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी ने उन्हें उपलब्ध निधियों के 100% से अधिक का उपयोग किया।

(2) परिसम्पत्तियों के सृजन की दृष्टि से यह देखा गया है कि ग्रामीण संयोजन, सड़कों, पंचायत गृहों, स्कूल भवनों, सामुदायिक केन्द्रों आदि के निर्माण पर अखिल भारतीय स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा सर्वाधिक प्राथमिकता प्रदान की गई, क्योंकि सामान्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा पूरी की गई 57% परिसम्पत्तियां इन्हीं प्रकार के कार्यकलापों से सम्बद्ध थीं, इसके अलावा इस प्रकार की परिसम्पत्तियों के माध्यम से आधारभूत सुविधायें प्रदान करके ग्राम पंचायत ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार के अधिक अवसर पैदा कर सकती है।

(3) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अकुशल श्रमिकों को जेआरवाई कार्यों के अंतर्गत प्रति मानव दिवस प्रदान की गई औसत मजदूरी राज्य न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के अनुसार होनी चाहिए। सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, पंजाब को छोड़कर, अकुशल श्रमिकों को प्रति मानव दिवस प्रदान की गयी औसत मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी के लगभग बराबर ही थी। इसके अतिरिक्त कम आय वाली/बिना काम वाली अवधि के दौरान अकुशल श्रमिकों को प्रदान की गयी मजदूरी की दरें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के बराबर ही थी। तथापि कुछेक राज्यों में जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में कम आय वाली/बिना काम वाली अवधि के दौरान स्थानीय मजदूरी की दरें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों की अपेक्षा कुछ कम थी। अन्य सभी राज्यों में ये निर्धारित मजदूरी दरों से कुछ अधिक अथवा लगभग समान थी।

(4) सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि ग्राम पंचायतों द्वारा शुरू किये गये जेआरवाई कार्यों के खर्च का मजदूरी और मजदूरी भिन्न घटक अखिल भारतीय स्तर पर 53:47 या अर्थात् 60:40 के बीच ही था और अनेक राज्य इस मापदण्ड को पूरा करते हैं।

(5) जहां तक मजदूरी की अदायगी की अवधि का संबंध है, सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि अधिकांश मामलों में (60%) जेआरवाई श्रमिकों को अदायगी या तो दैनिक अथवा साप्ताहिक आधार पर की जाती थी। केवल कुछेक मामलों में यह अदायगी पाक्षिक अथवा मासिक आधार पर की जाती थी। किन्तु कुछ राज्यों में मजदूरी की अदायगी की अवधि अनियमित थी।

(6) सर्वेक्षण से पता चला कि 84% मामलों में मस्टर रौल रखे जाते थे और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराये जाते थे। यह अत्यन्त उत्साहवर्द्धक है, क्योंकि रोजगार सृजन का जायजा लेने के लिए यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

(7) सर्वेक्षण से पता चला कि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित कुल परिसम्पत्तियां, मोटे तौर पर 74%, अच्छी/

सन्तोषजनक पायी गई, 8% असन्तोषजनक थी और शेष 18% या तो अधूरी थी अथवा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार नहीं थी।

(8) सृजित रोजगार में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और भूमिहीन श्रमिकों का हिस्सा क्रमश: 54% व 38% था, जो इस संबंध में सामान्य मार्गनिर्देशों की संतुष्टि करता है।

(9) यह देखने में आया कि एक जेआरवाई श्रमिक को सामान्यत: सन्दर्भ अवधि के दौरान चार मानव दिवसों का रोजगार प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त आम तौर पर एक मानव दिवस का रोजगार उसके परिवार के अन्य सदस्यों को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पूरे परिवार को मिलाकर अखिल भारतीय स्तर पर सृजित रोजगार के मानव दिवसों की औसत संख्या सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 30 दिनों की अवधि के दौरान 5 मानव दिवसों तक थी, जो उनकी आवश्यकता की दृष्टि से काफी कम है, तथापि यह नोट करना सन्तोषजनक है कि असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप जैसे कुछ राज्यों में सृजित रोजगार के औसत मानव दिवसों की संख्या अखिल भारतीय स्तर की तुलना में कहीं अधिक थी (दस से अधिक)। उदाहरण के लिए उड़ीसा राज्य में जहां गरीबी की मात्रा अधिक है, जेआरवाई कामगार को सन्दर्भ अवधि के दौरान औसतन 12.32 मानव दिवसों तक का रोजगार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार असम, गोवा, उड़ीसा और लक्षद्वीप में रोजगार सृजन की तदनुरूपी संख्या सर्वेक्षण की तारीख से पिछले 30 दिन की अवधि के दौरान 10.72, 22.06 और 22.10 मानव दिवस थी।

(10) सृजित हुई परिसम्पत्तियों का अनुरक्षण अधिकतर मामलों में (58%) ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था तथा लगभग 17.5% मामलों में उनका अनुरक्षण किसी एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया था।

(11) लगभग सभी जेआरवाई कामगारों ने समान रूप से यह बताया कि सृजित परिसम्पत्तियां गरीब लोगों के लिए उपयोगी हैं, लगभग 74% कामगार जेआरवाई के अन्तर्गत प्राप्त लाभों से भी सन्तुष्ट थे, किन्तु एक तिहाई से अधिक का यह मत था कि मजदूरी दर बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि यह काफी कम है।

ख. चिन्ता के विषय

(1) सर्वेक्षण से पता चला कि निर्वाचित पंचायतों के 3081 अध्यक्षों में से अखिल भारतीय स्तर पर केवल 39% को जेआरवाई कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त था, यह जेआरवाई कार्यों को करने के लिए ग्राम पंचायतों के लिए निर्धारित मार्गनिर्देशों के अनुरूप नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को अधिक प्रशिक्षण दिये जाने की जरूरत है।

(2) कुल सृजित रोजगार में स्त्रियों का हिस्सा केवल 20% था। मार्गनिर्देशों के अनुसार रोजगार अवसरों का 30% भाग स्त्रियों के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

(3) असम, जम्मू व कश्मीर, त्रिपुरा, दादरा व नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप और पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों में वार्षिक कार्यवाही योजनाओं पर ग्राम सभा की बैठकों में बिल्कुल चर्चा नहीं की गई, जैसा कि मार्गदर्शी में निर्धारित है। यह ग्राम-पंचायतों के कामकाज के संबंध में एक गम्भीर अवहेलना है।

(4) सर्वेक्षण से ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों के पूरा करने में देरी के विभिन्न कारणों का पता चला। कार्यों के पूरा न होने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा बताया गया एक प्रमुख कारण "निधियों की कमी" था। सामान्यत: 43% कार्यों में अखिल भारतीय स्तर पर निधियों की कमी के कारण देरी हुई। गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर आदि जैसे कुछ राज्यों में सामान्यत: 80 से 100 प्रतिशत तक कार्य निधियों की कमी के कारण पूरे नहीं हो सके।

(5) सामान्यत: ग्राम पंचायतों से आशा की जाती है कि वे उनके द्वारा शुरू किये गये विभिन्न कार्यों के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करें, किन्तु सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग पर्याप्त निधियों के अनुसार नहीं किया गया।

(6) सर्वेक्षण परिणामों से पता चला कि स्त्री और पुरुष, अकुशल कामगारों को प्रति मानव दिवस प्रदत्त औसत मजदूरी में कुछ विषमता थी। मार्गनिर्देशों के अनुसार किसी पुरुष अथवा स्त्री, अकुशल कामगार को अदा की जाने वाली प्रति मानव दिवस औसत मजदूरी में कोई विषमता नहीं होनी चाहिए। सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु

और पांडिचेरी जैसे कुछ राज्यों में पुरुष और स्त्री अकुशल कामगार को प्रति मानव दिवस प्रदान की जाने वाली औसत मजदूरी में विषमता थी।

(7) मार्गनिर्देशों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे ग्रामीण निर्धन लक्ष्य समूह के अंतर्गत आते हैं तथापि सर्वेक्षण परिणामों से पता चला है कि जिन कुल कामगारों ने जेआरवाई कार्यों में भाग लिया, उनमें से सामान्यत: 57% की वार्षिक आय 6,401 रुपये और इससे अधिक थी और केवल 43% की वार्षिक आय 6,400 रुपये से कम थी। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि जिन जेआरवाई कामगारों ने जेआरवाई कार्यक्रम का लाभ उठाया, उनमें से अधिकांश लोग अपात्र श्रेणी के थे।

नये डिपो

5292. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत पेट्रोलियम का विचार आंध्र प्रदेश में चेरलापल्ली और ओंगोल में नये डिपो बनाने और काकीनाडा के तटीय प्रतिष्ठान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ग) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का चेरलापल्ली में एक डिपो है। ओंगोले में एक नये डिपो तथा काकीनाडा में एक तटवर्ती टर्मिनल की प्रगति तथा इनके पूरे होने की संभावित तारीखें नीचे दी गई हैं:-

डिपो	प्रगति	पूरे होने की संभावित तारीख
ओंगोले	निर्माण क्रियाकलाप अन्तिम चरण में है।	दिसम्बर, 1996
काकीनाडा तटवर्ती टर्मिनल	मिट्टी जांच, भूमि विकास तथा चाहरदीवारी के निर्माण से संबंधित प्रारंभिक कार्य को पूरा कर लिया गया है।	मार्च, 1998

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन

5293. श्री सत्यजीत सिंह दलीपसिंह गायकवाड़: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका, पप्पनकला में किन सहकारी समूह आवास समितियों को भूमि आवंटित की है;

(ख) कुल कितनी फर्जी सहकारी समूह आवास समितियां हैं और उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी सहकारी समूह आवास समितियां अभी भी भूमि के आवंटन के लिए प्रतीक्षा कर रही हैं; और

(घ) इन समितियों को कब तक भूमि आवंटित कर दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) द्वारका चरण-1 में सहकारी आवास समितियों को, जिन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि आवंटित की है, के विवरण संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) पंजीयक, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि किसी जाली समूह आवास समिति का पंजीकरण नहीं किया गया है।

(ग) 31.3.96 की स्थिति के अनुसार पंजीयक, सहकारी समितियों, दिल्ली के पास 1943 सहकारी समूह आवास समितियां पंजीकृत की गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, पंजीकरण संख्या 1400 तक की समितियां पात्र पाई गई जिनको भूमि की पेशकश की गई है। शेष समितियों को अभी भूमि आवंटित की जानी है।

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण का लगभग 50 समितियों को भूमि प्रदान करने का विचार है। शेष समितियों को भूमि का आवंटन भूमि की उपलब्धता के आधार पर यथा समय किया जायेगा।

विवरण

उन सहकारी समूह आवास समितियों के नाम जिन्हें डीडीए ने द्वारका और पप्पनकला में भूमि आवंटित की

क्र.सं.	समिति का नाम	सेक्टर/प्लाट नं.
1	2	3
1.	स्वरूप सदन	13/4
2.	यंग अहोरिया	7/2
3.	इन्स्यूरेंस एम्प्लोईज	7/14
4.	सेंट कोलंबस	7/15

1	2	3
5.	नेहरू	7/16
6.	मेघदूत	7/19
7.	शिव भोले	7/20
8.	शर्मा फ्रेंड	7/21
9.	श्रुति	7/22
10.	यंग प्रोफेशनल	11/10
11.	रजनीगंधा	10/4
12.	अंबा	10/5
13.	एचएमएम एम्प्लोइज	10/6
14.	शिव शक्ति	10/10
15.	सरल	10/15
16.	शकुन्तलम	10/16
17.	इंडियन एयर लाईन आफिसर	10/17
18.	सुप्रिया	10/20
19.	दिव्या	10/21
20.	न्यू आदर्श	10/22
21.	अपना बिल्ला	10/23
22.	कोसमोस	10/28
23.	शम्या	10/32
24.	मदर डेयरी	10/34
25.	तिरुविया	10/37
26.	पैसिफिक	10/39
27.	विद्युत	12/2
28.	नीलांचल	4/3
29.	सिबिल सप्लाई	4/6
30.	आई ई एस आफिसर	4/9
31.	न्यू स्वीट होम	4/10

1	2	3
32.	संघमित्रा	4/20
33.	रत्नाकर	4/21
34.	बैंक निवास	4/22
35.	चाणक्य	4/23
36.	न्यू ज्योति	4/27
37.	नव पुनींत	4/28
38.	जय माता कल्याणी	4/31
39.	यूनाइटेड	4/34
40.	साहीयाद्री	12/5
41.	साउदर्न	12/6
42.	अभियान	12/15
43.	अग्रवाल	12/16
44.	आई एफ सी आई एम्प्लाईज	23/4
45.	विवेकानंद	5/2
46.	एस एस सी एम्प्लाईज	5/3
47.	केसरवानी	5/4
48.	मदर डेयरी एम्प्लाईज	5/6
49.	पालम	5/7
50.	मीराबाई	5/10
51.	जय दिबा मा	5/11
52.	हिन्द	5/12
53.	नवीन	5/13
54.	न्यू प्रियादर्शिनी	5/19
55.	शाहदरा	5/20
56.	दिल्ली स्टेट इंडियन बैंक	9/1
57.	होलटेक	9/2
58.	के.के.	9/4

1	2	3
59.	मंजिल	9/7
60.	सुरक्षा सदन	9/13
61.	बैंक विहार	22/16
62.	यूनिवर्सल ब्रदर हुड	12/11
63.	ब्रिंदावन	6/1
64.	शिव लोक	6/6
65.	ज्ञान शक्ति	6/7
66.	यूनाइटेड फ्रेन्डस	6/9
67.	न्यू आशियाना	6/10
68.	महिला प्रतिरक्षा मंडल	6/11
69.	रुद्रा	6/12
70.	शहीद उश्फाक उल्लाही	6/14
71.	वासुंधरा अपार्टमेन्टस	6/16
72.	आकाशगंगा	6/17
73.	आई.आई.पी.ए.	6/26
74.	मिन. आफ रुरल डेवलपमेंट	6/20
75.	गृह मंत्रालय इम्प्लाईज	6/28
76.	इंडियन बैंक स्टाफ	6/32
77.	आदर्श पुरेवाल बैस	6/33
78.	रजत जैन	6/34
79.	डेफोडिल्स	6/36
80.	श्री बालाजी	6/37
81.	हन्नेमान	6/40
82.	मयंक	6/21
83.	अनुसंधान	6/22
84.	न्यू कंचन चंगा	23/1
85.	इंडियन एयर लाईंस वर्कर	23/5

1	2	3
86.	चोपड़ा	23/8
87.	संसद विहार	3/2
88.	प्रोग्रेसिव इन्क्लेव	3/3
89.	नेशनल	3/4
90.	वेलकम ग्रुप	3/6
91.	दी बालाजी	3/7
92.	नोव-कराली	3/10
93.	दिल्ली हिन्दुस्तान	4/2
94.	हम-सब	4/14
95.	श्री बदरी नाथ	4/18
96.	राष्ट्रपति भवन	10/3
97.	एयर लाईन्स	10/27
98.	रोहित	10/30
99.	विनायक	10/36
100.	रवि शंकर	13/2
101.	महा भद्रकली	13/6
102.	एयर ग्रीन	7/9
103.	श्री अग्रसेन	7/10
104.	राही	7/3
105.	एनपीसीसी	22/13
106.	डीन	4/7
107.	साउथ दिल्ली रेसिडेंट	4/8
108.	डीडीए इंजीनियरस	4/26
109.	श्री निकेताह	7/1
110.	हर सुख	7/4
111.	कमल विहार	7/5
112.	सिद्धार्थ कुंज	7/17

1	2	3
113.	एक्सटरनल अफेयर्स	4/24
114.	राजस्थान	4/36
115.	कवेरी	6/4
116.	महा लक्ष्मी	2/4
117.	एन पी एस सी	2/5
118.	स्काई लार्क	6/35
119.	शाहजहाँनाबाद	11/1
120.	चंदनवारी	18/8
121.	फकरुद्दीन मेमोरियल	10/18
122.	आरएमएल होस्पीटल	11/2
123.	सारगोधा विहार	7/13
124.	गोल्ड क्राफ्ट	11/4
125.	हेय पी	22/2
126.	नव संसद विहार	22/4
127.	डायरेक्टर जनरल आफ सेकेट्रीज	22/6
128.	ग्रीन बैली	22/18
129.	दिल्ली ईपीडीपी	4/19
130.	एयर फोर्स नावल	7/11
131.	प्रेरणा	10/13
132.	गोड्रेज	10/14
133.	आई.आई.टी. इंजीनियर्स	10/12
134.	श्री राम	4/32
135.	फ्रैन्डस कल्ब	12/07
136.	डिफेन्स लैण्ड कोलोनेन्ट	12/8
137.	श्री गंज नाथ जी	5/1
138.	यूनिक इन्सोरेन्स	6/38
139.	गाहवलपुर	6/30

1	2	3
140.	ग्रेट कैपिटल	6/15
141.	फिलिप्स	23/3
142.	सुरूची	10/31
143.	इलिजिबल	10/38
144.	हिलंश	10/1
145.	गायत्री	9/9
146.	खोसला कम्प्रैसर	5/16
147.	जानकी	22/7
148.	सी.बी.आई.पी.	7/8–बी
149.	सेन्ट एमस	7/8–ए
150.	इस्पात	4/29
151.	नन्दा देवी	10/19
152.	प्रयाग दिसपुर	10/7
153.	चिन्हाल	11/9
154.	सुमित विहार	9/6
155.	वृन्दावन	12/10
156.	न्यू जय भारत	4/5
157.	न्यू आरोही	12/13
158.	पटेल	4/4
159.	सदथावन	11/11
160.	शिवाबला	9/16
161.	आजाद हिन्द	9/15
162.	सभा घर	6/23
163.	बदवास	6/3
164.	प्रादागिक	3/11
165.	राजस्वा	4/33
166.	भावलपुर	4/1

1	2	3
167.	शीतल विहार	23/10
168.	सुमन विहार	23/9
169.	कालका	6/31
170.	प्रभा	23/11
171.	परम पुनीत	6/27
172.	न्यू कोसमोपोलिसन	10/33
173.	होम लिविंग	9/14
174.	श्री राधा	9/3
175.	मंगलिक	6/25
176.	सेल	4/35
177.	आदर्श आर्य	6/39-ए
178.	संतोष	6/39-बी
179.	सुखी परिवार सीजीएचएस	9/12
180.	जवाहर लाल	5/9
181.	ग्रेट लैलावर	10/35
182.	स्वामी दयानंद	6/5
183.	ओरडिनेंस फ्रेन्डस	13/3
184.	नोवो इंजीनियर्स	10/25
185.	सोम	6/24
186.	माउंट एवेरेस्ट	9/17
187.	इंटरप्रोरिवर्स	22/9
188.	सतिसार	7/6
189.	अपूर्वा	5/14
190.	रामाकृष्ण	23/12
191.	एलेफन्ट हैड	10/41
192.	मुनीरका	9/11
193.	ईसीआईएल	4/17
194.	रफीक हर रहमान	9/8
195.	राव	23/02
196.	मास	10/24

1	2	3
197.	ईश्वर	12/04
198.	एआईएमओ	22/11
199.	धर्म विहार	10/2
200.	डब्ल्यू टी पी बदर पुर इम्पलाईज	9/5
201.	बंधु विहार	10/11
202.	उद्योग बिहार	22/12
203.	जाग्रण	22/17
204.	उपकारी	12/9
205.	मनचाहत	10/42
206.	विक्रम नगर	12/14
207.	गुरू	6/2
208.	दिल्ली पब्लिक स्कूल	4/16
209.	के एम	12/12
210.	हिम हिट	22/8
211.	नव संजीवन	12/1
212.	जकारिया अधिहि नगर	22/14
213.	गांधी आश्रम	10/9
214.	कत्यायनी	6/8
215.	सहेता	4/30
216.	मैनेजमेंट अलुमनाई	5/17

आवास साकार योजना के अंतर्गत

क्र.सं.	समिति का नाम	पार्कट/प्लाट नं.
1.	कुमुदी	6/11
2.	नवीन कुंज	6/22
3.	कृष्णन	6/19
4.	आइडियल	6/14
5.	निस्काम	6/23
6.	ई आई एल फ्रेन्डस	6/13

[हिन्दी]

दिल्ली में विद्युत परियोजनाएं

5294. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली के लिए कुछ विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए दिल्ली सरकार द्वारा किसी वित्तीय सहायता की मांग की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) ने 300 मेगावाट क्षमता के नई दिल्ली ताप विद्युत केन्द्र को निजी क्षेत्र में स्थापित किये जाने संबंधी दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। दिल्ली सरकार का कोई भी प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु आज की तिथि तक केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (के.वि.प्रा.) के पास लंबित नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

एल.पी.जी. का उत्पादन

5295. **जस्टिस गुमान मल लोढा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.पी.जी. के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक योजना की अनुमानित वार्षिक क्षमता सहित तत्संबंधी नामवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को तैयार करने में निर्धारित समय सीमा से अधिक समय लग रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजनाएं निर्धारित समय सीमा से कितनी पीछे चल रही हैं तथा तत्संबंधी लागत वृद्धि कितनी है; और

(ङ) उक्त योजनाओं को पूरा करने हेतु क्या संशोधित समय सीमा निर्धारित की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

असम में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

5296. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा-स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए असम को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ख) इस अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धि क्या रही; और

(ग) राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत के उत्पादन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान अभी तक असम से अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से ग्रिड क्वालिटी विद्युत उत्पादन का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। राज्यवार एवं वर्षवार विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ग) पवन, लघुपन बिजली तथा बायोमास आधारित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए परियोजनाओं के विकास को ध्यान में रखकर संसाधन आकलनों तथा संभाव्यता अध्ययनों पर बल दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा विश्व पर्यावरणीय सुविधा (जी ई एफ) द्वारा सहायता प्राप्त पहाड़ी लघुपन बिजली परियोजनाओं में भागीदार राज्यों में असम भी शामिल है। राज्य सरकार को मार्ग निर्देश अग्रेषित किए गए हैं कि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से निजी क्षेत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की नीति की घोषणा की जाए। राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई है कि वे राज्य में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए एक अलग एजेंसी की स्थापना करें।

अनुभाग अधिकारियों का पदोन्नति अवरोध

5297. **श्री मोहन रावले:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव अपने-अपने पदों पर गत 10-15 वर्षों से पदोन्नति अवरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन अफसरों को पदोन्नत किये जाने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या इन अफसरों की चयनित सूची गत दस वर्षों से नहीं निकाली गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस चयनित सूची के कब तक निकाले जाने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ङ) 1986 की प्रवर सूची के पश्चात् सीधी भर्ती तथा पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों के परस्पर वरिष्ठता संबंधी मुकदमे के लम्बा खिंचने के कारण अवर सचिव के रूप में ग्रेड I में नियमित पदोन्नति के लिए कोई प्रवर सूची तैयार नहीं की जा सकी। परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सचिवालय सेवा (के.स.से.) के अवर सचिव से उप सचिव ग्रेड में नियमित पदोन्नति पर भी इसका असर पड़ा है। अनुभाग अधिकारियों की सामान्य वरिष्ठता सूची, अब केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 22-3-1995 के आदेश के अनुसरण में 15-5-1996 को जारी कर दी गई है। अवर सचिव के लिए नियमित पैनल तैयार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके कार्रवाई की जायेगी। ऐसे पैनलों की तैयारी करने के कार्य में पात्र अनुभाग अधिकारियों/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिवों की सूची तैयार करना, विचारण क्षेत्र में आने वाले संबंधित अधिकारियों की अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें एकत्र करना और विभागीय पदोन्नति समिति का गठन आदि शामिल हैं। इस कार्य में समय लग जाता है और इसको पूरा करने के लिए निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट करना व्यवहार्य नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार को वित्तीय सहायता

5298. **श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना से बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में कम वित्तीय सहायता आवंटित की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार जैसे पिछड़े राज्य को विकसित करने के लिए केन्द्रीय सहायता में बढ़ोतरी करने का है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना और उसके बाद से राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटन, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा समय-समय पर अनुमोदित फार्मूलों के तहत निर्धारित विभिन्न मादण्डों के अनुसार किये गये हैं। पिछड़े राज्यों (बिहार सहित) के हित में जनसंख्या (60%) तथा प्रति व्यक्ति आय (25%) के मानदण्ड को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार को केन्द्रीय सहायता की सर्वाधिक राशि आवंटित की गई है। चौथी योजना से पहले केन्द्रीय सहायता के आवंटन, विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के तहत राज्यों द्वारा उपयोग की गई वास्तविक राशि पर आधारित थे।

[अनुवाद]

ग्रामीण आवास

5299. **डा. कृपासिन्धु भोई: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ग्रामीण आवास का विकास करने हेतु कार्यबल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) वर्ष 1995 में सम्पूर्ण ग्रामीण आवास कार्यक्रम के कार्य क्षेत्र और इसके दृष्टिकोण का विस्तार करने के लिए ग्रामीण आवास पर एक कार्य-दल का गठन किया गया था। कार्य-दल के विचारार्थ विषयों में नीति के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाना, इंदिरा आवास योजना का विस्तार करने के लिए मार्गदर्शिकाओं में आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव देना तथा लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद की मार्फत स्वयंसेवी संगठनों को शामिल करने आवास कार्यक्रम को कार्यान्वित करना भी था। वर्ष 1995-96 के दौरान कापार्ट ने कार्य-दल की मदद से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 30,000 मकानों से अधिक के निर्माण की संस्वीकृति दी थी। सरकार ने अध्यक्ष और कार्य दल के अन्य सदस्यों की सहायता और सहयोग से अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रौद्योगिकी/सामग्री विकल्पों का पता लगाने की दृष्टि से ग्रामीण आवास पर चार राष्ट्रीय संगोष्ठियां भी आयोजित की।

तेल क्षेत्र की पुनः संरचना

5300. श्री नामदेव दिवाथे:
कुमारी सुशीला तिरिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यहं बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम क्षेत्र संबंधी उच्च स्तरीय पुनः संरचना समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संघ लोक सेवा आयोग

5301. डा. अरविन्द शर्मा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कर्मी शामिल हैं;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप 85% भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अपने बच्चों का इसमें चयन करवा लेते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में वास्तविकता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण करवाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस भ्रान्ति को दूर करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग में विख्यात एवं सत्यनिष्ठा वाले न्यायाधीशों और पूर्व न्यायाधीशों को नियुक्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, नहीं। इस समय संघ लोक सेवा आयोग का केवल एक सदस्य भारतीय प्रशासनिक सेवा का है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर की जाने वाली सभी नियुक्तियां, संविधान के अनुच्छेद 316 के उपबंधों के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं और इसमें संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

चीनी-मिट्टी उद्योग

5302. श्री ताराचन्द भगोरा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में चीनी-मिट्टी उद्योग के विकास की काफी संभावना विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो चीनी-मिट्टी परिसर के विकास हेतु राजस्थान को प्राकृतिक गैस आवंटित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार से राज्य में चीनी-मिट्टी इकाइयों सहित उद्योगों को गैस के आबंटन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्ध होने वाली अनुमानित गैस पूर्णतः आवंटित है, अतः वर्तमान समय में अतिरिक्त आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

एल.पी.जी. डीलरशिप

5303. श्री पी. नामग्याल:
श्री विशम्भर प्रसाद निषाद:
श्री सन्तोष मोहन देव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष रूप से दिल्ली में और सामान्य रूप से शेष देश में, एल.पी.जी. डीलरशिप, पेट्रोल पम्पों के लिए उन आशय पत्र धारकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें शोरुम, गोदामों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए 1993, 1994, 1995 के दौरान और 1996 में जून तक भूमि उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) 1993 के दौरान आज तक जिन्हें आशय पत्र जारी किये गये हैं, उनकी परस्पर वरिष्ठता क्या है;

(ग) क्या कुल पारस्परिक वरिष्ठता की अपेक्षा विभिन्न चयनित क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता खुदरा बिक्री केन्द्रों, शोरुमों और गोदामों के लिए भूमि का आवंटन मूल मानदंड है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) चयनित क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध होने के बावजूद इसके आवंटन में अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि भूमि के आवंटन में तेल चयन बोर्डों के नामित व्यक्तियों की अपेक्षा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नामित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाती है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) दिल्ली में यमुनापार के क्षेत्रों में एल.पी.जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के ऐसे आशय पत्र धारकों की संख्या कितनी है, जिन्हें गोदामों और शोरुमों के लिए भूमि का आवंटन नहीं किया गया है और इन श्रेणियों के आशय पत्र धारकों की पूर्ण स्थिति क्या है; और

(छ) दिल्ली और देश के अन्य भागों में भूमि का आवंटन शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (च) राज्यों में एल.पी.जी. डीलरशिप और पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि का आवंटन करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा भूमि विकास कार्यालय द्वारा दिल्ली में जिन आशय पत्र धारकों का गैस गोदामों और पेट्रोल पम्पों के लिए 1993, 1994, 1995 और 1996 के दौरान भूमि आवंटित की गई है उनके ब्यौरे, 1993 से आज तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा रखी गई आशय पत्र धारकों की परस्पर वरीयता, और यमुना-पार क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आशय पत्र धारकों के बारे में ब्यौरे संकलित किये जा रहे हैं तथा उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) से (ङ) दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी खास स्थल के आवंटन बावत तेल चयन बोर्ड के नामित व्यक्तियों पर पहले विचार किया जाता है बशर्ते कि मंत्रालय के नामित व्यक्तियों को पूर्व वर्ष में भूमि का आवंटन पहले ही कर दिया गया है। अत्यंत अनुकम्पा आधार के मामलों पर, दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुमोदन मिलने पर अलग से विचार किया जाता है। स्थलों के निर्धारण और अनुमोदन के बाद भूमि के आवंटन में कोई असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है।

(छ) मास्टर प्लान के अनुसार, सेवा केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, बिक्री केन्द्रों और मुख्य सड़क आदि पर भूमि मुहैया करायी जाती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से भूमि की उपलब्धता के आधार पर दिल्ली में भूमि के आवंटन में मुस्तैदी लाने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय योजना सहायता

5304. श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 में वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों हेतु केन्द्रीय योजना सहायता की कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ख) राज्यों की बकाया देय धनराशि के कारण इनकी मूल राशि में से कितनी धनराशि कम की गई है;

(ग) क्या कतिपय राज्यों से ऐसी कटौतियों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का चालू तथा आगामी वर्षों के दौरान कटौती करने की नीति को जारी रखने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों हेतु आवंटित केन्द्रीय योजना सहायता की धनराशि संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान राज्यों को देय केन्द्रीय योज़ना सहायता में से बकाया देय के रूप में काटी गई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) कुछ राज्य सरकारों ने इन कटौतियों के खिलाफ अभ्यावेदन किया है फिर भी राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबीस) की सतत त्रुटियों तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रमों (सीपीएसयूस) की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों के मद्देनजर 31.3.94 तक के राज्य विद्युत बोर्डों (एसईबीस) की ओर देय-बकायों की वसूली 1990-91 से राज्य सरकारों को देय केन्द्रीय योजना सहायता के पुर्नविनियोजन द्वारा की जा रही है। उपर्युक्त बकाया राशि की वसूली 1997-98 तक पूरी कर ली जाएगी।

विवरण–I

राज्य योजनाओं-वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 हेतु केन्द्रीय सहायता का सकल आवंटन

(करोड़ रुपये)

राज्य		1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1		2	3	4	5
क. विशेष श्रेणी					
1.	अरुणाचल प्रदेश	247.60	277.49	306.87	413.80
2.	असम	756.41	846.99	898.67	984.24
3.	हिमाचल प्रदेश	277.99	333.07	386.37	501.50
4.	जम्मू व कश्मीर	730.64	790.44	839.83	1042.25
5.	मणिपुर	193.70	207.70	248.37	293.33
6.	मेघालय	172.86	183.50	236.85	244.20
7.	मिजोरम	161.49	177.48	216.68	258.48
8.	नागालैंड	164.48	187.05	252.90	285.90
9.	सिक्किम	98.41	107.96	134.96	173.51
10.	त्रिपुरा	211.01	224.58	251.10	295.22
	कुल क	3014.59	3336.26	3772.60	4492.43
ख. गैर विशेष श्रेणी					
1.	आंध्र प्रदेश	552.50†	607.50	747.50	777.50
2.	बिहार	776.31	870.31	957.31	1055.11
3.	गोवा	42.00*	43.00	50.34	58.34
4.	गुजरात	245.72	255.22	281.55	331.08
5.	हरियाणा	121.37	158.37	198.71	215.37
6.	कर्नाटक	265.34	280.34	308.15	379.15
7.	केरल	324.33	369.28	384.88	428.08
8.	मध्य प्रदेश	493.30	536.03	567.03	670.03
9.	महाराष्ट्र	434.24	438.24	460.24	570.24
10.	उड़ीसा	339.90	339.90	379.90	438.34

1	2	3	4	5
11. पंजाब	162.92	162.92	169.26	217.92
12. राजस्थान	385.76	396.51	438.51	484.56
13. तमिलनाडु	515.92	550.92	654.14	670.14
14. उत्तर प्रदेश	1142.71	1192.80	1293.80	1511.93
15. पश्चिम बंगाल	425.72	463.54	524.64	618.78
कुल ख	6228.04	6664.88	7415.96	8426.57
कुल (क+ख)	9242.63	10001.14	11188.56	12919.00

'वर्ष 1991-92 के लिए बकाए के 23 करोड़ रुपये छोड़कर।

*सभा भवन हेतु एक बार की सहायता के रूप में 10 करोड़ रुपये छोड़कर।

विवरण-II

वर्ष 1992-93 से 1995-96 के दौरान केन्द्रीय सहायता में से समायोजित राज्य विद्युत समितियों के अतिदेय

(करोड़ रुपये)

राज्य	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1	2	3	4	5
क. विशेष श्रेणी				
1. अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.11	0.70	0.43
2. असम	35.15	35.15	53.51	53.52
3. हिमाचल प्रदेश	1.78	1.59	5.01	5.01
4. जम्मू व कश्मीर	11.62	0.00	66.94	66.94
5. मणिपुर	5.07	5.07	10.01	10.03
6. मेघालय	0.17	0.17	0.27	0.28
7. मिजोरम	0.00	0.00	0.79	0.79
8. नागालैंड	0.28	0.28	2.01	2.01
9. सिक्किम	0.27	0.27	0.04	0.04
10. त्रिपुरा	0.16	0.16	2.33	2.32
कुल क	54.61	42.80	141.61	141.37

1		2	3	4	5
ख. गैर विशेष श्रेणी					
1.	आंध्र प्रदेश	19.16	19.15	7.26	7.20
2.	बिहार	255.51	255.51	238.15	238.22
3.	गोवा	0.10	0.10	0.00	0.00
4.	गुजरात	71.44	71.40	30.33	30.32
5.	हरियाणा	89.72	89.71	120.46	120.57
6.	कर्नाटक	9.81	9.80	4.71	4.70
7.	केरल	15.50	15.49	14.33	14.35
8.	मध्य प्रदेश	95.78	95.78	30.84	30.83
9.	महाराष्ट्र	58.65	50.03	3.02	3.01
10.	उड़ीसा	16.00	15.98	10.68	10.68
11.	पंजाब	43.41	39.93	11.53	8.19
12.	राजस्थान	82.54	82.55	50.78	50.77
13.	तमिलनाडु	49.20	49.20	16.33	16.32
14.	उत्तर प्रदेश	336.94	326.63	160.00	160.00
15.	पश्चिम बंगाल	82.33	82.34	63.24	63.32
	कुल ख	1226.09	1203.60	761.66	758.48
	कुल (क+ख)	1280.70	1246.40	903.27	899.85

केन्द्रीय भण्डार

5305. श्री मृत्युन्जय नायक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय दिल्ली में केन्द्रीय भंडार की कितनी शाखाएं उचित दर की दुकानें चला रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय भंडार की कुछ शाखाओं, विशेषकर सेक्टर-चार, आर.के. पुरम, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारी उचित दर की दुकानों का राशन देते समय राशन कार्ड धारकों (जो वहां नामांकित हैं) के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उचित दर के राशन की काला बाजारी करते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस शाखा के किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत देखी गयी है; और

(घ) तत्संबंधी विवरण क्या है और ऐसे दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) इस समय संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली में केन्द्रीय भण्डार की 38 शाखाएं उचित दर की दुकानें चला रही हैं।

(ख) से (घ) सैक्टर चार, आर.के. पुरम के केन्द्रीय भण्डार स्टोर के कर्मचारियों के संबंध में इस प्रकार की कोई भी शिकायत

प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, हाल ही में कर्मचारियों के राशन कार्ड धारकों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी 2 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	शिकायत की तारीख	शिकायतकर्त्ता	उचित दर दुकान का नाम	शिकायत की प्रकृति
1.	17.6.96	श्री एस.एस. शर्मा डी आई जेड एरिया नई दिल्ली।	6364 डी आई जेड	कर्मचारियों का उपभोक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार।
2.	02.7.96	श्री ए.के. सिन्हा डी आई जेड एरिया नई दिल्ली।	6364 डी आई जेड	–वही–

राशनकार्ड धारकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डी आई ज़ेड शाखा स्टोर के एक कर्मचारी को बदल दिया गया है तथा इस स्टोर के प्रबंधक को भविष्य में और अधिक सावधान रहने के लिए कहा गया है।

इंडियन रेयर अर्थ्स

5306. श्री सुरेश कोडीकुनील:
श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में शावेरा में इंडियन रेयर अर्थ के विस्तार का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन रेयर अर्थ की नई परियोजनाओं के विरुद्ध स्थानीय नागरिकों द्वारा की गई आपत्तियों, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन रेयर अर्थ के कार्य निष्पादन और अर्जित लाभ का वार्षिक ब्यौरा क्या है;

(च) शावेरा संयंत्र पर किये गये निवेश का ब्यौरा क्या है और कम निवेश के क्या कारण हैं;

(छ) केरल में शावेरा स्थित इंडियन रेअर अर्थ में अनियमितताओं के संबंध में सरकार को प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ज) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(झ) शावेरा स्थित इंडियन रेयर अर्थ संयंत्र द्वारा संयंत्र के खनन क्षेत्र के निवासियों के कल्याण उपायों हेतु प्रति वर्ष कितनी राशि व्यय की जाती है;

(ञ) खनन कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले ऐसे व्यय हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं;

(ट) क्या क्षेत्र के कल्याण हेतु शावेरा में माइनिंग वेल्फेयर बोर्ड कार्यरत है और इसको आवंटित धनराशि अपर्याप्त है; और

(ठ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इन लोगों के बेहतर कल्याण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) और (ख) इंडियन रेअर अर्थ्स के चवारा स्थित संयंत्र की मौजूदा उत्पादन क्षमता का विस्तार एक नया खनिज पुनर्प्रापण संयंत्र स्थापित करके 70,000 मीटरी टन प्रति वर्ष करने का कार्य प्रगति पर है और इसे मार्च, 1997 तक चालू कर दिये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड द्वारा अपने आप से चवारा क्षेत्र में कोई नई परियोजना शुरू नहीं की जा रही है और इसलिए ऐसे किसी प्रस्ताव पर वहाँ के निवासियों द्वारा आपत्तियाँ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पिछले 3 वर्षों के दौरान इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड का कार्य-निष्पादन और प्रत्येक वर्ष में अर्जित लाभ नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये)

	1993-94	1994-95	1995-96
1. उत्पादन-मूल्य	101.94	131.25	153.99
2. बिक्री	104.29	130.17	145.26
3. कर के बाद लाभ/(हानि)	(1.31)	2.32	1.08

(च) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के चवारा संयंत्र का समग्र ब्लाक जिसे लगभग 30 वर्ष पहले स्थापित किया गया था, 31.24 करोड़ रुपये का है। लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत पर इस संयंत्र का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का कार्य प्रगति पर है। इसे एक अल्प निवेश नहीं माना जा सकता।

(छ) और (ज) बालू के परिवाहन हेतु ठेके देने, क्षमता का कम उपयोग किये जाने, नियत-अवधि नियुक्तियां करने, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने में अनियमितताएं बरतने और यूनियन को मान्यता न देने आदि के बारे में विभिन्न जगहों से कई शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की परमाणु ऊर्जा विभाग में जाँच की गई और कई शिकायतों को गलत पाया गया है। इंडियन रेअर अर्थ्स को एक मामले में कार्रवाई करने के निदेश दिये गये हैं।

(झ) इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड के चवारा संयंत्र द्वारा खनन क्षेत्र के निवासियों के लिए कल्याणकारी उपायों पर पिछले पांच वर्षों में खर्च की गई धनराशि निम्नानुसार है:

(लाख रुपये)

		1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96
1.	कल्याणकारी उपायों हेतु सीधे ही दिया गया अंशदान	5.50	0.19	3.36	7.03	18.11
2.	खनन क्षेत्र कल्याण बोर्ड को दिया गया अंशदान	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	कुल	10.50	5.19	8.36	12.03	23.11

(ञ) इस प्रकार के व्यय हेतु कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं।

(ट) और (ठ) अध्यक्ष के रूप में कोलाम के जिला कलक्टर सहित खनन क्षेत्र कल्याण बोर्ड की स्थापना केरल सरकार द्वारा की गई थी। इंडियन रेअर अर्थ्स ऊपर (झ) में बताए गए सीधे अंशदानों के अतिरिक्त इस कल्याण बोर्ड को अपने हिस्से का अंशदान देता है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल का आवंटन

5307. **श्री दत्ता मेघे:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र को प्रति माह कितना लिटर मिट्टी का तेल आवंटित किया जाता है;

(ख) उसमें से अलग-अलग कितना मिट्टी का तेल उचित दर की दुकानों और खुले बाजार में बेचा जाता है; और

(ग) सरकार द्वारा उचित दर की दुकानों और खुले बाजार में बेचने के लिए मिट्टी के तेल की अलग-अलग निर्धारित कीमत कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : (क) वर्ष 1996-97 के लिए महाराष्ट्र राज्य हेतु मिट्टी के तेल का मासिक कोटा 16,52,24,000 लीटर है।

(ख) केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का थोक आबंटन करती है। राज्य में इसका खुदरा वितरण राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित मिट्टी का तेल खुले बाजार में नहीं बेचा जा सकता।

(ग) राज्य सरकार उचित दर की दुकानों के माध्यम से बेचे जाने वाले और उद्योगों को बेचे जाने वाले मिट्टी के तेल के मूल्यों को निर्धारित करती है। आज की स्थिति के अनुसार उत्पाद शुल्क के बिना तेल कंपनियों द्वारा लिये जाने वाले घरेलू और औद्योगिक मिट्टी के तेल के भंडारण स्थल पर मूल्य नीचे दिये गये हैं:-

घरेलू मिट्टी का तेल	2001.40 रुपये प्रति किलो लीटर
औद्योगिक मिट्टी का तेल	6518.63 रुपये प्रति किलो लीटर

समानांतर विपणन योजना के अंतर्गत निजी कंपनियों को बाजार-निर्धारित मूल्यों पर मिट्टी के तेल का आयात और विपणन करने की अनुमति दी गई है।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित उन्निकृष्ण समिति

5308. **श्री अनंत कुमार:**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:
श्री एन. जे. राठवा:
प्रो. ओम पाल सिंह "निडर":
डा. कृपासिंधु भोई:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से संबंधित उन्निकृष्ण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इसके कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मछली पकड़ने वालों के ग्रुप एवं तटीय राज्य सरकारें विदेशी मछली पकड़ने वाली कंपनियों के चार्टर परमिट, संयुक्त उद्यम और पट्टे की अनुमति को निरस्त करने की मांग कर रही हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या इस संबंध में कोई कानून बनाये जाने का विचार है; और

(छ) यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

तेल कम्पनियों द्वारा भूमि का अधिग्रहण

5309. **डा. ए. के. पटेल:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल कम्पनियों द्वारा देश में विभिन्न राज्यों में अधिग्रहीत की गई भूमि के लिये मूल्य वर्तमान बाजार-मूल्य की दर पर अदा किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप इन कम्पनियों द्वारा खुदाई एवं अन्य गतिविधियों के लिए अधिग्रहीत भूमि के मालिक किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है;

(ख) क्या देश के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित कम्पनियों द्वारा उन व्यक्तियों के आश्रितों को कोई रोजगार प्रदान नहीं किया गया अथवा नहीं किया जा रहा है जिनकी भूमि अर्जित की गई थी और जो उनकी आजीविका का एकमात्र साधन थी; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) तेल कंपनियां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 तथा अन्य लागू अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सरकारों के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित भूमि कीमतें अदा कर रही हैं।

(ख) तेल कंपनियों की विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास का कार्य, आर्थिक मुआवजा देकर तथा पात्रता मानदण्ड को पूरा करने वाले व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा कर किया जाता है बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

भूमि का अधिग्रहण

5310. **श्रीमती सुषमा स्वराज:**
प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली राज्य में काफी भूमि का अधिग्रहण किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1996 तक सरकार ने कितनी भूमि अधिग्रहीत की है;

(ग) उक्त भूमि में से कितनी भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण के कब्जे में है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त अधिग्रहीत भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा है;

(ङ) यदि हां, तो कितनी भूमि पर उक्त अवैध कब्जा किया गया है; और

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के कब्जे में होने के बावजूद अब तक दिल्ली राज्य की कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की भूमि सीमाओं के अन्दर विभिन्न लोक उद्देश्यों के लिए 88,100.42 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की है।

(ग) से (च) लगभग 59542.78 एकड़ भूमि डी डी ए के कब्जे में है जिसमें से 31.12.95 तक 1400.39 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण है और 11,872 एकड़ भूमि विकास की प्रक्रिया में है।

लोकापयोगी सेवाओं का निजीकरण

5311. कुमारी उमा भारती: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सफाई कार्य, जल शोधन और परिवहन प्रणाली के निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (ग) भूतल-परिवहन मंत्रालय ने बताया है कि सड़कों पर से भीड़-भाड़ को हटाने और दिल्ली-वासियों को परिवहन सुविधायें मुहैया करवाने के लिए निर्माण प्रचालन अन्तरण (बी ओ टी) आधार पर हाईस्पीड ट्राम सिस्टम (एच एस टी एस) आरम्भ करने के संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक चरण में है और विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल आपूर्ति और मल जल व्ययन संस्थान ने बताया है कि दिल्ली में सफाई कार्यों अथवा जल शोधन कार्यों के निजीकरण के लिए कोई प्रस्ताव उनके विचाराधीन नहीं है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार के पास भी ऐसा प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

[अनुवाद]

आवास

5312. श्री दरबारा सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पंजाब में विशेषकर जालंधर तथा कपूरथला में तैनात केन्द्रीय कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय निकाय गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पंजाब में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को सरकारी आवास देने हेतु कौन-सी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, नहीं। सामान्य पूल के आवास के आबंटन हेतु पात्र केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का निर्माण सामान्य पूल रिहायशी आवास की केन्द्रीय योजनागत स्कीम के तहत के.लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है।

(ग) चूंकि जालन्धर और कपूरथला में कोई सामान्य पूल रिहायशी आवास नहीं है, केन्द्रीय कर्मचारियों को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार मकान किराया भत्ता दिया जा रहा है।

बेरोजगारी

5313. श्री रामसागर: क्या **प्रधान मंत्री** बेरोजगारी के बारे में 6 मार्च, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 727 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि के आकलन विभिन्न सेक्टरों से रोजगार सापेक्ष्यों पर आधारित मूल्यांकन से संकेत मिलता है कि 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान रोजगार में औसतन 7.06 मिलियन सालाना की दर से करीब 21.18 मिलियन की वृद्धि हुई होगी। 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में रोजगार वृद्धि दर और सृजित रोजगार अवसरों का आकलन इस प्रकार है:-

	वृद्धि दर (प्रतिशत)	सृजित रोजगार (मिलियन)
1992-93	2.45%	7.40
1993-94	1.91%	5.90
1994-95	2.50%	7.88
1992-95	2.29% (वार्षिक)	21.18

अत: 8वीं योजना के प्रथम तीन वर्षों में अनुमानित रोजगार वृद्धि दर औसतन 2.29% बैठती है। यह 7वीं योजना की 1.89% सालाना की वृद्धि दर से काफी अधिक है लेकिन 8वीं योजना हेतु प्रकल्पिक 2.6% से 2.8% की दर से कम है। अर्थ-व्यवस्था उच्च विकास की ओर अग्रसर है और योजना में रोजगार प्रचण्ड

गतिविधियों यथा कृषि के भौगोलिक और फसलवार विविधिकरण, पिछड़े इलाकों में सिंचाई सुविधाओं व अन्य ग्रामीण अवस्थापनाओं के विस्तार-विकास तथा ग्राम्य ऊपजों व कृषि भिन्न कार्यकलापों, लघु उद्योग सेक्टर, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, निर्माण, व्यापार और परिवहन, आर्थिक और भौतिक अवस्थापनात्मक सहायता को सुनिश्चित करते हुए और ऋण कौशल और बाजार सहायता तथा वित्तीय प्रोत्साहनों जैसे निवेशों की उपलब्धता वाले रोजगार परक कार्यकलापों पर बल देकर रोजगार में तेजी से वृद्धि की ओर उन्मुख विकासशील ढांचे पर बिचार किया गया है।

विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

लघु उद्योग सेक्टर में रोजगार के बारे में लक्ष्य और उपलब्धियाँ

वर्ष	लक्ष्य (लाख सं.)	वृद्धि दर	उपलब्धियाँ (लाख सं.)	वृद्धि दर
1992-93	128.0	2.3	134.06	3.28
1993-94	133.0	3.2	139.38	3.97
1994-95 (अस्थायी)	138.6	4.2	146.56	5.15

प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (प्र.मं.रो.यो.)

वर्ष	आठवीं योजना लक्ष्य (संख्या)	ऋण स्वीकृत व्यक्तियों की संख्या	8.7.96 तक ऋण वितरित व्यक्तियों की संख्या	अनुमानित सृजित रोजगार (सं.)
1993-94	40,000	32,068	23,050	46,100
1994-95	2,20,000	1,98,238	1,44,845	2,89,690
1995-96	2,20,000*	2,94,148	1,49,305	2,98,618

* मूल योजना लक्ष्य 2,20,000 था। तथापि लघु उद्योग विभाग ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2,60,000 का लक्ष्य रखा है। सम्भावना है कि चालू होने पर प्रत्येक लघु उद्योग में दो व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा।

राशि के संवितरण में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

नेहरू रोजगार योजना (ने.रो.यो.)	उपलब्धियां (31.7.1996 तक)	
	उपलब्धि-आंकड़े लाखों में	लक्ष्य
शहरी लघु उद्यम स्कीम (सूमे) के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	8.00	7.23
शहरी मजदूरी रोजगार स्कीम (सूबे) और आवास तथा आश्रय सुधार उन्नयन (शासू) स्कीम के तहत सृजित श्रम दिवस	642.36	947.98
सूमे और शासू के तहत प्रशिक्षण पा रहे/प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या	2.79	3.40

गत चार वर्षों के दौरान पर्वतीय और भौतिकी कार्य निष्पादन इस प्रकार है:-

जवाहर रोजगार योजना (प्रथम किश्त) (रु. लाखों में)

वर्ष	उपलब्ध संसाधन	उपयोग किये गये संसाधन	सृजित श्रम दिवस
1993-94	406265.84	359020.56	9523.45
1994-95	408033.25	335987.91	7453.59
1995-96	517377.90	396608.39	7955.89
1996-97	225362.20 (जारी)	15528.28	92.23
सघन जवाहर रोजगार योजना (द्वितीय किश्त)			
1993-94	86037.20	28850.26	734.95
1994-95	133788.64	90845.23	2063.48
1995-96	61811.96	50082.23	1002.36

(1996-97) मई 1996 तक

स्कीम	रिलीज़्ड संसाधन	प्रयुक्त संसाधन	निर्मित मकान
इंदिरा आवास योजना	70963.68	5445.77	45522
मिलियन वेल्स स्कीम	22437.32	2148.24	4306

टिप्पणी: इंदिरा आवास योजना (इं.आ.यो.) और मिलियन वेल्स स्कीम (एम.डब्ल्यू.एस.) 1.1.96 के पहले जवाहर रोजगार योजना (जे.आर.वाई.) की दो उप-स्कीमें थी। दिनांक 1.1.96 से इंदिरा आवास योजना और एम डब्ल्यू एस अलग-अलग स्कीमें बन गयी। उसी प्रकार विस्तारित सघन जवाहर रोजगार योजना (दूसरी किश्त) को रोजगार आश्वासन स्कीम में सम्मिलित कर लिया गया है।

रोजगार आश्वासन स्कीम (इ.ए.एस.)

वर्ष	उपलब्ध संसाधन (रु. करोड़ों में)	प्रयुक्त संसाधन (रु. करोड़ों में)	सृजित श्रम दिवस (लाखों में)
1993-94	54876.56	18375.03	494.74
1994-95	177526.53	123545.28	2739.56
1995-96	267145.00	171730.90	3450.73
1996-97 (मार्च, 1996 तक)	101258.92	9797.07	214.67

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नगर

5314. श्री ःोहन बीर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुछ नगरों को राष्ट्रीय नगर घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजना आयोग का विचार इन नगरों में जीवन स्तर के उन्नयन के लिए विशेष धनराशि आबंटित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंधपाली में ताप विद्युत परियोजना

5315. कुमारी फ्रिडा तोपनो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सुन्दरगढ़ के निकट बंधपाली में एक ताप विद्युत स्टेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का परियोजना को आरंभ करने के लिए विदेशी निवेशकों को आमंत्रित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

ग्रामीण विकास परियोजना

5316. श्री चर्चिल अलेमाओ: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ की उन ग्रामीण विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार द्वारा स्वीकृति दी जानी है; और

(ख) सरकार द्वारा गोआ की सभी परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा): (क) गोवा के संबंध में कोई ग्रामीण विकास परियोजना सरकार के पास अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में पानी की कमी

5317. श्री मंगत राम शर्मा: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू शहर और इसके गांवों में पानी की कमी पूरी करने के लिए कितनी राशि जारी की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पानी की समस्या हल करने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) व (ख) 20,000 से कम की जनसंख्या वाले छोटे शहरों (1991 की जनगणना के अनुसार) के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित शहरी जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर के क्वाजिगुंड और बिल्लावर नगरों के लिए अभी तक 155.10 लाख रुपये की कुल परियोजना लागत से जल सप्लाई की दो योजनाओं को मंजूरी दी गई है और अब तक निम्नलिखित राशि जारी की गई है:

1993-94	25.32 लाख रुपये
1994-95	-
1995-96	48.45 लाख रुपये

गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित राशियां जारी की गई हैं:-

1993-94	18.888 करोड़ रुपये
1994-95	36.390 करोड़ रुपये
1995-96	38.939 करोड़ रुपये

(ग) व (घ) जिन ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेय जल सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन सबको वर्ष 1997-98 में स्वच्छ पेय जल मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है।

अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण

5318. **श्री कचरु भाऊ राउत:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्द्ध सरकारी संस्थाओं, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं, सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कारखानों अथवा सरकारी सहायता प्राप्त निकायों, बड़ी-बड़ी निजी कंपनियों जिन पर सरकार का कुछ नियंत्रण होता है में अनुसूचित जातियों हेतु पदों में आरक्षण के लिए कोई उपबंध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें किये गये आरक्षण का अनुपात क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इसमें आरक्षण के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों तथा सरकार से सहायता-अनुदान प्राप्त करने वाली सभी संस्थाओं पर भी लागू है।

(ख) अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 7.5% है। स्थानीय आधार पर भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों तथा विभिन्न संघ शासित क्षेत्रों में अलग-अलग है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

ताप्ती तेल क्षेत्र

5319. **श्री सनत मेहता:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकरण नीति के अंतर्गत विकास हेतु ताप्ती तेल क्षेत्र को एनरॉन-रिलायंस समूह को सौंप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनरॉन-रिलायंस ने इस क्षेत्र से तेल तथा गैस की प्राप्ति का संशोधित प्राक्कलन तैयार किया है; और

(घ) तेल तथा गैस के इन संशोधित प्राप्ति प्राक्कलनों का ब्यौरा क्या है तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा पूर्व में क्या प्राक्कलन किये गये थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) पश्चिमी अपतट में मध्य और दक्षिण ताप्ती गैस क्षेत्र मैसर्स एनरान आयल एण्ड गैस इंडिया लि. (ई ओ जी आई एल) और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. के परिसंघ को दिया गया है जिसमें ओ एन जी सी संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में है तथा इस संबंध में उत्पादन हिस्सेदारी ठेके पर भारत सरकार और ठेका कर्ता पक्षकारों के बीच 22.12.1994 को हस्ताक्षर किए गए हैं। उत्पादन हिस्सेदारी ठेके के अनुसार प्रत्येक कंपनी का हिस्सेदारी हित निम्नानुसार है:-

ओ एन जी सी	40%
ई ओ जी आई एल	30%
आर आई एल	30%

(ग) और (घ) ई ओ जी आई एल द्वारा तेल और गैस के कोई अंतिम संशोधित प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं। ओ एन जी सी द्वारा ताप्ती गैस क्षेत्र के लिए गैस निकासी योग्य भंडारों हेतु किया गया पूर्वानुमान 31.162 बिलियन घन मीटर है।

[हिन्दी]

गैस एजेन्सियां

5320. **श्री गोरधन भाई जावीया:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में गैस एजेन्सियों के आबंटन की सरकार की योजना उपभोक्ता सहकारी सोसायटियों के अलावा बेरोजगार स्नातकों के लिए भी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी उपभोक्ता सहकारी समितियों को गैस एजेन्सियां आबंटित की गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसी प्रक्रिया को जारी रखने का है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू): (क) से (ग) तेल चयन बोर्डों के माध्यम से डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन से संबंधित वर्तमान नीति में ''सहकारी समितियों'' के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। फिर भी, ''सामान्य'' श्रेणी के अंतर्गत उपभोक्ता सहकारी समितियों को बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों की तुलना में

वरीयता दी जाती है। तथापि बेरोजगार स्नातकों/बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों को अन्य आवेदकों की तुलना में वरीयता दी जाती है। तदनुसार तेल विपणन कंपनियों ने गुजरात में सहकारी समितियों को 18 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें प्रदान की हैं।

राधेपुर विद्युत परियोजना

5321. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:**
श्री चित्रसेन सिंकु:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राधेपुर विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूर दे दी है; और

(घ) कब तक इसकी स्थापना कर दिये जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आठवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

5322. **श्री ललित उरांव:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा की है तथा यह पाया गया है कि सामाजिक विकास संतोषजनक नहीं है;

(ख) क्या सरकार प्राथमिक शिक्षा, महिला शिक्षा, जन स्वास्थ्य सेवाओं, कमजोर वर्गों को प्रशिक्षण तथा कम आय वर्ग के लोगों को आवासीय सुविधाएं प्रदान किये जाने के संबंध में किये जा रहे प्रयासों से संतुष्ट है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न प्रयासों के बावजूद मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान यथापूर्व बने रहने के क्या कारण हैं?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री, तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (ग) योजना आयोग ने आठवीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन हेतु कार्य आरम्भ कर दिया है। मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज प्रारूप में पिछले वर्षों की अपेक्षा सामाजिक विकास के संकेतकों में सुधार परिलक्षित हुआ है। सामाजिक विकास के संकेतकों में सुधार के बावजूद भारत, राज्यों के बीच संकेतकों में प्रचुर विभेदकों, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच बृहद भिन्नताओं, लिंग असमानताओं एवं देश में जरूरत तथा उपलब्धता के बीच व्यापक अंतराल आदि जैसे प्रमुख कारणों से मानव विकास तालिका में कई विकासशील देशों की तुलना में पीछे है।

[अनुवाद]

नई रोजगार योजनायें

5323. **श्री ई. अहमद:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल के शहरी क्षेत्रों के लिए हाल ही में कोई रोजगार योजनायें क्रियान्वित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग केन्द्रीय सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में युवाओं के लिए चलाई जा रही रोजगार योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(घ) इनसे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। अभी कुछ समय पूर्व एक नई स्कीम नामतः प्रधान मंत्री के समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी.) नवम्बर, 1995 में आरम्भ की गयी है। पी.एम.आई.यू.पी.ई.पी. में लघु उद्यमों को स्थापित करने के माध्यम से स्व-रोजगार का एक घटक है। इस घटक के तहत अधिकतम यूनिट लागत एक लाख रुपये और अधिकतम अनुमेय सब्सिडी 7500/- रुपये की सीमा की शर्त पर परियोजना लागत का 15% है। लाभार्थी को सीमान्त धन के रूप में परियोजना लागत का 5% अंशदान करना अपेक्षित है। राज्य को इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय शेयर के रूप में 263.20 लाख रुपये की राशि रिलीज की गयी है।

(ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय केरल राज्य सहित देश में अक्टूबर, 1989 से स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से नेहरू रोजगार योजना (एन.आर.वाई.) का कार्यान्वयन कर रहा है।

(घ) शहरी लघु उद्यमों की स्कीम (सूमे) जो एन आर वाई का एक घटक है, के तहत केरल में इस स्कीम के प्रारम्भ होने से लाभार्थियों की संख्या 22727 है। एन आर वाई के घटकों-शहरी मजदूरी रोजगार की योजना (सूवे) और आवास एवं आश्रय उन्नयन की योजना (शासु) के तहत 56.22 लाख श्रम दिवस सृजित किये गये हैं।

[हिन्दी]

सौर ऊर्जा

5324. श्री अमर पाल सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारत में पेट्रोल की बढ़ती हुई खपत को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा और विद्युत अल्कोहल बैटरी चालित वाहन-इंजनों के संबंध में अनुसंधान कार्य शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एस. वेणुगोपालाचारी) : (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा भूतल परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधनों/ईंधन प्रणालियों हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया गया है। इनमें एक प्रदर्शन परियोजना शामिल है जिसे दिल्ली में आरंभ किया गया है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 93 पेट्रोल वाहनों को 90% पेट्रोल और 10% निर्जलीय इथानोल के मिश्रित ईंधन से चलाया गया। इस परियोजना में पेट्रोल की खपत में कमी होने के अलावा उत्सर्जित होने वाली गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन में 30% से 50% की कमी प्रदर्शित हुई। डीजल की खपत को कम करने और धुएं के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए राज्य परिवहन उपक्रमों की डीजल बसों में ईथानोल और मैथानोल के उपयोग के लिए चुनिंदा राज्यों में अन्य परियोजना चल रही है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यात्रियों के लिए और सी.जी.ओ. से नॉर्थ ब्लॉक मार्ग पर सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में बैटरी चालित वाहनों को चलाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य नोडल एजेंसियों, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों आदि सहित विभिन्न लाभग्राही संगठनों के लिए औद्योगिक और पैसेंजर बैटरी चालित वाहनों के लिए भी एक प्रोत्साहन योजना आरंभ की जा रही है।

स्वैच्छिक संगठनों के लिए आवास

5325. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए सामान्य पूल से आवासों के आवंटन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं अन्य व्यक्तियों को आवास आवंटित किये गये हैं तथा उक्त आवंटन किस तिथि को किया गया एवं आवंटन हेतु अपनाए गए मानदंड क्या हैं; और

(घ) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान किन-किन व्यक्तियों/संगठनों को ऐसे आवासों का आवंटन किया गया और क्या इन आवंटनों को करने हेतु सभी पहलुओं पर विचार किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) सामाजिक स्वैच्छिक संगठनों को आबंटन बाबत कोई दिशा-निर्देश नहीं है। ऐसे आबंटन, प्रत्येक मामले के गुणों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन पर किये जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं को सामान्य पुल के आवास के आबंटन संबंधी दिशा-निर्देश संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

विविध श्रेणियों (राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कार्यों में लगे व्यक्तियों) को सामान्य पूल आवास के आबंटन बाबत दिशा-निर्देश

(क) मौजूदा निर्णय के अनुसार, कुल 15 मकान इन श्रेणियों के उन व्यक्तियों को आबंटित किये जा सकते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के उपयोगी कार्य में लगे हैं, बशर्ते कि:

(1) उसके या उसके परिवार के किसी सदस्य या आश्रित के नाम दिल्ली में अपना मकान या भूखंड न हो;

(2) संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रभारी क्षेत्रों के अनुमोदन से विशेष रूप से यथाअनुशंसित मामले;

(3) व्यक्ति की सभी स्रोतों से कुल आय 3,000/- रुपये प्रति माह से अधिक न हो;

(4) आवास श्रेणी टाईप "डी" तक सीमित होगी;

(5) लाइसेंस फीस मूल नियम-45 ख के तहत विभागीय प्रभारों के साथ वसूल की जायेगी;

(6) संबंधित व्यक्ति सरकारी या किसी अन्य अर्द्ध सरकारी/प्राइवेट संगठन के अधीन नियमित नौकरी में न हो;

(7) आबंटन अवधि तीन वर्ष होगी तथा इस अवधि से आगे कोई समय वृद्धि की अनुमति नहीं दी जायेगी।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5326. **श्री ब्रजमोहन राम:** क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** 31 जुलाई, 1996 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2365 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं लोकसभा में बिहार के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के माननीय संसद सदस्य द्वारा पलामू और गढ़वा जिला प्रशासन को संस्तुत योजनाओं के नाम और उनके लिए संस्तुत राशि और योजनाओं को प्रस्तुत किये जाने की तारीखों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पलामू प्रशासन को प्रस्तुत की गई 139 योजनाओं में से केवल 76 योजनाओं को ही स्वीकृति दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) आदर्श चुनाव संहिता किस तारीख से लागू की गई;

(घ) उक्त प्रशासन द्वारा संस्तुत की गई 76 योजनाओं को किस तारीख को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई;

(ङ) किसी योजना के जिला प्रशासन को प्राप्त होने के बाद उसे तकनीकी और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लगता है;

(च) पलामू जिला प्रशासन द्वारा समय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान न करने के फलस्वरूप परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के लिए दोषी व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(छ) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ): (क) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता 19.3.1996 से लागू हुई थी।

(ङ) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से संबंधित दिशा निर्देशों में जिला प्रशासन द्वारा तकनीकी और प्रशासनिक बेबाकी जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। तथापि, प्रत्येक जिला कलेक्टर की तरफ से कोशिश की जानी चाहिए कि इस तरह की बेबाकी यथाशीघ्र जारी कर दी जाए।

(ख) से (छ) जैसा कि अतारांकित प्रश्न सं. 2365 जिसका उत्तर 31.8.96 को दिया जाना था, के उत्तर में पहले ही सूचना दी गई थी, पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं लोक सभा के संसद सदस्य श्री रामदेव राम द्वारा अनुशंसित निर्माण कार्यों में से 77 निर्माण कार्यों के बारे में अनुशंसा 28.1.96 से पहले भेजी गई थी। शेष निर्माण कार्यों की अनुशंसा 23.1.96 को अथवा उसके बाद भेजी गई थी। 28.1.96 से पहले अनुशंसित 77 योजनाओं में से 76 को मंजूरी दी गई और उसे पलामू के जिला कलेक्टर द्वारा कार्यान्वित किया गया। एक योजना को स्वीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वह दिशानिर्देशों के तहत अनुमत नहीं पाया गया। 28.1.96 को अनुशंसित योजनाओं पर भी शुरू में कार्यवाही की गयी थी, लेकिन आदर्श आचार संहिता के लागू होने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की जा सकी। इन परिस्थितियों के मद्देनजर कार्रवाई किये जाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण प्रतीत नहीं होता।

[अनुवाद]

किराया

5327. **श्री जार्ज फर्नान्डीज:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों और शहरों में रिहायशी मकानों के किराए संबंधी आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि इन किरायों को उन स्तरों तक लाया जाए कि किराये का आसानी से भुगतान किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) किराये में बेतहाशा वृद्धि का मुख्य कारण मकानों की मांग और आपूर्ति में व्याप्त अन्तर है। आवास राज्य का विषय होने के नाते, अपनी योजनागत प्राथमिकताओं और संसाधनों

के अनुसार विभिन्न आवास योजना चलाकर आवास स्टाक में वृद्धि करने का दायितव राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार ने भूमि तथा किराया आवास में वृद्धि करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने हेतु, जिसकी वजह से रिहायशी आवास के किराये में कमी लाने में मदद मिलने की संभावना है, कई उपाय शुरू किये हैं, यथा:

- मॉडल किराया नियंत्रण कानून बनाकर राज्यों को परिचालित किया गया।
- मॉडल अपार्टमेण्ट स्वामित्व विधेयक बनाकर राज्यों को परिचालित किया गया।
- नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है।
- आवास सुपुर्दगी में वृद्धि करने के लिए हडको, राष्ट्रीय आवास बैंक, वाणिज्यिक बैंकों आदि के जरिये आवास बिल में बढ़ोतरी की गई है।

अनुभाग अधिकारी की अवर सचिव पद पर पदोन्नति

5328. **श्री ब्रज भूषण तिवारी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी अनुभाग अधिकारी को अवर सचिव पद पर पदोन्नत किये जाने हेतु अनुभाग अधिकारी के पद पर आठ वर्ष की सेवावधि होना सांविधिक अनिवार्यता है;

(ख) यदि हां, तो कितने अनुभाग अधिकारी अवर सचिव पद पर पदोन्नत होने के पात्र हैं;

(ग) इस हेतु कितने पद रिक्त हैं; और

(घ) इन पदों को किस तारीख तक भर लिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सचिवालय सेवाएं, नियमावली, 1962 के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी की अवर सचिव ग्रेड के पद पर पदोन्नति हेतु विचार किए जाने के लिए 8 वर्ष की न्यूनतम पात्रता सेवा आवश्यक है।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड 33 संवर्गों में विकेन्द्रीकृत है तथा प्रत्येक संवर्ग में एक या एक से अधिक मंत्रालय/विभाग सम्मिलित हैं। पात्रता की शर्तों के आधार पर पदोन्नति के लिए पात्र अनुभाग अधिकारियों की संख्या संबंधी अपेक्षित सूचना केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार अवर सचिव ग्रेड में रिक्तियों की संख्या 53 है।

(घ) 1986 की प्रवर सूची के बाद सीधे भर्ती तथा पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता विषयक मुकद्दमे के लम्बा खिंचने के कारण अवर सचिव ग्रेड पर नियमित पदोन्नति के लिए कोई प्रवर सूची तैयार नहीं की जा सकी। परिणामस्वरूप, केवल तदर्थ पदोन्नतियां की जा रही थीं, जो कि अस्थाई तौर पर रोक दी गई हैं क्योंकि उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के कतिपय दावों संबंधी कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है तथा उस आवेदन के निपटान की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कूपन

5329. **श्री सुशील चन्द्र:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय से संबद्ध परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को अन्य संसद सदस्यों की तुलना में रसोई गैस के अधिक कूपन दिए गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो संसद-सदस्यों के बीच इस प्रकार भेदभाव करने का क्या औचित्य है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : (क) और (ख) जी हां। ऐसे संसद सदस्य जो पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय से जुड़ी परामर्शदात्री समिति के सदस्य हैं, उन्होंने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध किया कि चूंकि वे इस समिति के सदस्य हैं, इसलिए बड़ी संख्या में लोग सदस्य प्राथमिकता आधार पर एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए उनके पास आते हैं। चूंकि ऐसे सदस्य पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय के कार्यों से जुड़े हैं और अधिक लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। अत: यह उचित समझा गया था कि अन्य संसद सदस्यों को 25 प्राथमिकता वाउचरों की हकदारी की तुलना में इन संसद सदस्यों को प्रत्येक तिमाही में 30 एल पी जी प्राथमिकता वाउचरों का कोटा दिया जाए।

[अनुवाद]

पट्टे को रद्द करना

5330. **श्री गिरधारी लाल भार्गव:** क्या **प्रधान मंत्री** 12 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8324 के उत्तर तथा तदुपरान्त सभा के पटल पर रखे गये वक्तव्य के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डी डी ए द्वारा उन 42 आवंटितियों के पट्टे को रद्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं जिन्होंने फेस-एक, अशोक विहार, दिल्ली में 188 एल.आई.जी. डबल स्टोरी फ्लैटों में अनाधिकृत रूप से तीसरी मंजिल का निर्माण कर लिया है;

(ख) ऐसे अनाधिकृत निर्माण की संख्या में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो अनाधिकृत निर्माण को गिराने हेतु एम.सी.डी. के परामर्श से डी डी ए ने उक्त क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है; और

(ग) अनाधिकृत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं।

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू): (क) डी डी ए ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण के मामलों में आबंटियों के पट्टे रद्द करने की कार्यवाही मात्र अतिरिक्त उपाय के रूप में तभी की जाती है जब ऐसे अनधिकृत निर्माण को हटाना अन्यथा संभव न हो। चूंकि प्रश्नगत क्षेत्र डिनोटीफाइड है तथा अनधिकृत निर्माण को हटाने की कार्रवाई दिल्ली नगर निगम द्वारा की जानी है, इसलिए संबंधित फ्लैटों के पट्टा विलेख रद्द नहीं किये गये हैं।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 188, एलआईजी डबल स्टोरी फ्लैट, अशोक विहार, चरण-1 में अनधिकृत निर्माणों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

5331. श्रीमती सुभावती देवी: क्या प्रधान मंत्री "नेताजी नगर में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण" के बारे में दिनांक 5 मई, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को कहा है कि वे बाउंड्री वाल आदि को हटाये जाने की प्रतीक्षा किये बिना भूमि अधिग्रहण कलेक्टर से संबंधित स्थानों पर कब्जा कर लें;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु भूमि पर कब्जा करने के लिए क्या कार्रवाई की है;

(ग) उक्त सरकारी भूमि पर कितने भवन बने हुए हैं और क्या दिल्ली सरकार ने सरकारी भूमि पर बने इन अवैध भवनों को बिजली और पानी मुहैया कराया है; और

(घ) क्या इन अतिक्रमणकारियों से अनंत राय डेयरी में स्थित इस सरकारी भूमि को खाली कराने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) स्थल को नियंत्रण में लेने से पहले यह पाया गया कि अधिकांशत: पूरे क्षेत्र पर घुसपैठियों का अनधिकृत रूप से अतिक्रमण है। चूंकि केन्द्र सरकार के क्वार्टरों का निर्माण करना, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के लिए व्यवहार्य नहीं था, इसलिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा सका।

(ग) उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार इस भूमि पर करीब 143 भवन खड़े हो गए हैं और लगभग 200 प्लाट हैं। जहाँ तक नई दिल्ली नगर परिषद द्वारा दिये जाने वाले बिजली/पानी के कनेक्शनों के प्रावधान का सवाल है, इस बारे में सही-सही स्थिति का पता लगाया जा रहा है।

(घ) विचाराधीन प्रस्ताव "यथावत" आधार पर समूची भूमि को अधिग्रहित करने और फिर अवैध रूप से निर्मित प्लाटों को और जुर्माने सहित बाजार दर पर संबंधित व्यक्तियों को बेचने के बारे में है। अनिर्मित प्लाटों की केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा सुरक्षा की जायेगी और यदि ये प्लाट सरकारी आवास के लिए उपयोगी नहीं पाये गये तो इनकी सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए उनकी बिक्री कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास

5332. श्री राधा मोहन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए नये आवासों का निर्माण करने हेतु कोई योजना बनाई है/बनाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) जी, हां।

(ख) निर्माण के लिए प्रारम्भ किये जाने वाले मकानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

भुवनेश्वर	133
नई दिल्ली	4973
कलकत्ता	84
मुम्बई	1096
मद्रास	56
श्रीनगर	216
देहरादून	44
गुवाहाटी	80
शिमला	60
गंगटोक	18
योग:	6760

[अनुवाद]

दाल मिलें

5333. श्री विश्वेश्वर भगत: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1996 तक दालों के प्रसंस्करण के लिए मध्य प्रदेश में स्थापित की गई दाल मिलों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या दालों का निर्यात करने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास योजना के अंतर्गत पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप कुमार राय) : (क) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) दालों के उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय रूप से प्रायोजित राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना के तहत वर्ष 96-97 के लिए 34.38 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्कीम के तहत निर्यात के लिए कोई विशिष्ट संघटक नहीं है।

सांस्कृतिक संस्थाएं

5334. श्री सोमजी भाई डामोर: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 2.3.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के भाग (क) में उल्लिखित विभिन्न सांस्कृतिक संस्थाओं और अन्य सांस्कृतिक संगठनों का निरीक्षण किया था;

(ख) क्या उन रिपोर्टों का विश्लेषण कर लिया गया और उन पर कार्यवाही कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) मुआयना रिपोर्टों के अनुसार, 2.3.1994 के अतारांकित प्रश्न सं. 1173 में उल्लिखित विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों के परिसरों का दुरुपयोग होता रहा है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारतीय कला केन्द्र और गंधर्व महाविद्यालय ने दुरुपयोग प्रभारों का भुगतान कर दिया है। भारतीय विश्व कार्य परिषद के परिसर को पुनः दर्ज किया गया है और श्री राम केन्द्र के मामले में संस्थान को दुरुपयोग प्रभारों का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में खुदाई

5335. श्री चमन लाल गुप्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर के झुनसार क्षेत्र के किन-किन स्थानों में खुदाई कार्य शुरू किया गया था, इन परियोजनाओं को शुरू किये जाने तथा उन्हें बीच में रोक दिये जाने की तारीख क्या है तथा इस पर कितना काम किया गया तथा इसके छोड़ देने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या जम्मू क्षेत्र में पुराने स्थानों अथवा नये स्थानों पर खुदाई कार्य को पुनः शुरू किए जाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किया जायेगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जम्मू में सूरीनसार में ड्रिलींग शुरू में 14.3.70 को शुरू की गई थी जब प्रथम कूप सूरीनसार-I 6000 मी. तक ड्रिलींग करने की परियोजना बनी थी। लेकिन, गहराई में

गम्भीर समस्याओं के कारण 21.3.73 को इसे 3665 मी. की गहराई पर ही छोड़ना पड़ा था। सूरीनसार-II में ड्रिलींग हेतु दूसरे कूप की 7000 मी. तक ड्रिलींग करने की परियोजना 18.5.87 को शुरू हुई थी। इस अधिक गहराई वाले कूप की ड्रिलींग 29.8.89 को 5448 मी. की गहराई तक पहुंच कर नीचे कुछ समस्याएं आने पर समय से पूर्व ही छोड़नी पड़ी।

इन दोनों कूपों में हाइड्रोकार्बन होने के कोई संकेत नहीं थे।

परिणामस्वरूप इन दोनों ड्रिल किये गये कूपों के आंकड़ें सहित सभी भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन के आधार पर इस क्षेत्र की संभावनाएं कम आंकी गयी थी। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि जम्मू क्षेत्र में आगे ड्रिलींग को अस्थगित कर दिया जाय।

लेखा बहियों के अनुसार सूरीनसार क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) की अन्वेषणात्मक ड्रिलींग लागत निम्न प्रकार है।

(रुपये करोड़ों में)

	खर्च	मूल्यह्रास	कुल
सूरीनसार-I	3.74	1.17	4.91
सूरीनसार-II	27.43	18.59	46.02
कुल	31.17	19.76	50.93

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू क्षेत्र में किसी कूप की ड्रिलींग का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

जम्मू और कश्मीर में सड़कें

5336. **श्री मंगत राम शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तानी सीमा के चार जिलों, जम्मू, राजौरी, पुंछ और कठवा को जोड़ने वाली सड़क यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकार इस सड़क का ठीक रख-रखाव नहीं कर पायी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस सड़क के रख-रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) से (च) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य में किसी भी सड़क का रखरखाव नहीं किया जाता। सीमा सड़क संगठन द्वारा निम्नलिखित सड़कों का रखरखाव किया जाता है और ये यातायात के योग्य हैं:-

(1) जम्मू-अखनूत-सुन्दरबनी-नौशेरा-राजौरी,

(2) जम्मू-डोमेल-कटरा-रियासी-पौनी-सिआर-कलाकोट-राजौरी,

(3) राजौरी-भिम्बरगली-सूरनकोट-पुंछ,

(4) राजौरी-थानामंडी-डेरा की गली-सूरनकोट-पुंछ।

जहां तक जम्मू-कठवा सड़क का संबंध है, इसका रखरखाव जम्मू और कश्मीर सरकार के राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस सड़क की हालत के संबंध में राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है जो अभी प्राप्त नहीं हुई है।

राजौरी और पुंछ क्षेत्र को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करना

5337. **श्री मंगत राम शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सरकार ने भारत सरकार से राजौरी और पुंछ जिलों को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की इस उचित मांग को कब तक स्वीकार करने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रह्मण्यन) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

मुगल मार्ग

5338. **श्री मंगत राम शर्मा**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू से श्रीनगर के लिए वैकल्पिक मार्ग मुंगल रोड पूरे वर्ष खुला रहेगा जिसके लिए पुनरुद्धार परियोजना पर कार्य हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस सड़क का निर्माण कब तक पूरा होने की संभावना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (घ) जम्मू से श्रीनगर तक लगभग 77.17 करोड़ रुपये की लागत से मुगल रोड को व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग के रूप में निर्मित करने का प्रस्ताव है। यह परियोजना शुरू होने की तारीख से छह वर्ष के अन्दर पूरी हो जाने की आशा है। इस सड़क के कुछ हिस्से अच्छा मौसम विशिष्टियों वाले हैं तथा बारिश के कारण होने वाली क्षति के कारण यातायात योग्य नहीं है। राज्य में सुरक्षा स्थिति के कारण यह निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

खुर्जा में ग्रामीण विकास

5339. **श्री अशोक प्रधान**: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खुर्जा संसदीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया गया;

(ख) खुर्जा संसदीय क्षेत्र में ग्रामीण विकास के लिए शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजनाएं पूरी हो गई हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) खुर्जा संसदीय क्षेत्र में अगले वित्त वर्ष के दौरान कौन सी ग्रामीण विकास योजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(च) इसकी अनुमानित लागत क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (च) जवाहर रोजगार योजना, तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रमुख गरीबी उपशमन कार्यक्रम हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में खुर्जा संसदीय क्षेत्र सहित देश के विभिन्न जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जिलावार/जिला ग्रामीण विकास एजेंसी-वार कार्यान्वित किये जाते रहे हैं। न कि संसदीय क्षेत्र-वार। अतः केन्द्र द्वारा सूचना को संसदीय क्षेत्र-वार नहीं रखा जाता है। जवाहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार वाले लोगों के लिए मजदूरी रोजगार का सृजन करना है, जबकि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उद्देश्य चयनित ग्रामीण गरीब परिवारों को ऋण पर आधारित उत्पादक स्वरूप की परिसम्पत्तियों की प्राप्ति के द्वारा उन्हें अपनी आय को बढ़ाने और गरीबी की रेखा को पार करने के योग्य बनाना है ताकि उन्हें सतत् आधार पर स्व-रोजगार मिलता रहे।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के लिए आर्थिक पैकेज

5340. **श्री बची सिंह रावत "बचदा"**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के नौ पर्वतीय जिलों के लिए कोई आर्थिक पैकेज तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह पैकेज कब तक चालू हो जाएगा; और

(घ) इन पैकेजों से क्या लाभ मिलने की संभावना है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के. अलघ) : (क) से (घ) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों का शीघ्रता से विकास करने हेतु एक पहाड़ी क्षेत्र उप-योजना 1974-75 से कार्यान्वित की जा रही है। इस उपयोजना को अंततः विशेष केन्द्रीय सहायता (जो राज्यों को उनकी राज्य योजनाओं के अंतर्गत मुहैया कराई जा रही विशेष केन्द्रीय सहायता से अधिक है) और अंशतः राज्य योजना प्रवाह में से निधियां दी जा रही हैं।

उत्तराखण्ड उपयोजना 1995-96 में उत्तर प्रदेश के उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास कार्यकलापों हेतु राज्य योजना के 322.00 करोड़ रुपये और विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 225.00 करोड़ रुपये को शामिल करते हुए 547.00 करोड़ रुपये का परिव्यय मंजूर किया गया है।

[अनुवाद]

मसूरी में पेयजल योजना

5341. **श्री मानवेन्द्र शाह**: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के मसूरी हिल स्टेशन की पेयजल विकास योजना के लिए 3 करोड़ रुपये और विश्व बैंक ने 4 करोड़ रुपये दिये हैं;

(ख) क्या विश्व बैंक निधि उपयोग संबंधी रिपोर्ट की मांग कर रहा है; और

(ग) उपयोग संबंधी रिपोर्ट को प्रस्तुत करने संबंधी आदेशों का अनुपालन न करने के क्या कारण हैं; और इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में आवास

5342. **श्री राम सागर:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में आवास की कमी के बारे में कोई जिलावार सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है; और

(ख) बाराबांकी में कितने मकानों की आवश्यकता है तथा इन मकानों का कब तक निर्माण कर दिया जायेगा और वे लोगों को कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) और (ख) भारत की 1991 की जनगणना के अनुसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में 1251095 आवासों की समग्र कमी का अनुमान लगाया है। सरकार का 2000 ईसवी तक सभी ग्रामीण आवास-हीनों को आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

निधि का दुरुपयोग

5343. **श्री राम सागर:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विकास कार्यकलापों के लिए संस्वीकृत की गई निधि के संबंध में अनियमितताओं, धन के गबन और दुरुपयोग के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार का निगरानी तंत्र को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि निधियों का उपयोग अभीष्ठ योजनाओं के लिए ही किया जायेगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ग) जवाहर रोजगार योजनाओं की अनियमितताओं के संबंध में केन्द्र को, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। किसी भी कार्यक्रम से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति होते ही, उन्हें समुचित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। सरकार ने, राज्यों से आवधिक प्रगति रिपोर्टों, राज्य, जिला तथा खण्डों के कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण अधिनियम द्वारा क्षेत्र निरीक्षण, क्षेत्र अधिकारी योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र निरीक्षण परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण और ग्रामीण विकास के राज्य प्रभारी सचिव की बैठकों तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के समवर्ती मूल्यांकन जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को मॉनीटर करने की मजबूत प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा, राज्यों को राज्य, जिला व खण्ड स्तर पर नियंत्रण व सतर्कता समितियाँ स्थापित करने के भी निर्देश जारी किये गये हैं। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किये गये हैं कि निधियों का समुचित उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मंडी सोसायटियों का चुनाव

5344. **श्री सोहन बीर:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में मंडी सोसायटियों के चुनाव गत छब्बीस वर्षों से नहीं कराए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ये चुनाव कब तक कराए जाने की संभावना है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में इस समय जिलावार कितनी मंडी सोसायटियां हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक उत्तर प्रदेश में मंडी सोसायटियों का चुनाव नहीं कराया जा सका क्योंकि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 के अनुच्छेद 13 के तहत इस उद्देश्य हेतु अपेक्षित पूर्ण निर्वाचक मंडल समय पर उपलब्ध नहीं था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन है तथा जल्दी ही राज्य विधान सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मंडी सोसायटियों के चुनाव के संबंध में निर्णय विधानसभा चुनावों के पश्चात् गठित राज्य सरकार द्वारा लिया जायेगा।

(ग) उत्तर प्रदेश में मंडी सोसायटियों की जिलेवार संख्या को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में जिलेवार विपणन समितियों का नाम

मंडल	जिला	मंडी
1	2	3
1. मेरठ	1. मुजफ्फर नगर,	1. मुजफ्फर नगर
		2. कैराना
		3. सामली
		4. कांधला
		5. खतौली
		6. थाना भवन
		7. शाहपुर
	2. मेरठ	8. मेरठ
		9. मवाना
		10. सरधाना
		11. बड़ौत
		12. खेरा
	3. गाजियाबाद	13. गाजियाबादा
		14. हापुड़
		15. मुरादनगर
		16. दादरी
	4. बुलंदशहर	17. बुलंदशहर
		18. जहांगीराबाद
		19. गुलौथी
		20. सायना
		21. खुर्जा
		22. सिकंदराबाद
		23. डिबाई
		24. अनुपशहर
		25. शिकारपुर
		26. दनकौर
		27. जेवर
2. आगरा	5. अलीगढ़	28. अलीगढ़
		29. हाथरस
		30. खैर
		31. छारा
		32. अतरौली
		33. सिकन्दरा राव
	6. मथुरा	34. मथुरा
		35. कोसी कलान
		36. सादाबाद
	7. आगरा	37. आगरा
		38. फतेहाबाद
		39. अच्छनेरा
		40. खैरागढ़
		41. जागनेर
		42. जारर
		43. फतेहपुर सीकरी
		44. समसाबाद
	8. मैनपुरी	45. मैनपुरी
		46. बेवार
		47. घिरौर
	9. एटा	48. एटा
		49. कासगंज
		50. गंज दुंदवारा
		51. आवागढ़
		52. अलीगंज
	10. फिरोजाबाद	53. फिरोजाबाद
		54. टुंडला
		55. सिरसागंज
		56. शिकोहाबाद

1	2	3
3. बरेली	11. बरेली	57. बरेली
		58. आंवला
		59. बहेरी
	12. बदायूं	60. बदायूं
		61. अज्ञानी
		62. बीसौली
		63. वजीरगंज
		64. बाबराला
		65. बिल्सी
		66. साहसवान
		67. दातागंज
	13. शाहजहांपुर	68. शाहजहांपुर
		69. तिलहर
		70. जलालाबाद
		71. पौवयान
	14. पीलीभीत	72. पीलीभीत
		73. बिलासपुर
		74. पुरनपुर
4. मुरादाबाद	15. मुरादाबाद	75. मुरादाबाद
		76. चंदौसी
		77. संभल
		78. बहजोई
		79. अमरोहा
		80. हसनपुर
		81. धनौरा
	16. बिजनौर	82. बिजनौर
		83. चांदपुर
		84. धामपुर
		85. किरतपुर
		86. नगीना
		87. हलदौर
		88. नजीबाबाद
	17. रामपुर	89. रामपुर
		90. शाहबाद
		91. बिलासपुर
5. कानपुर	18. कानपुर नगर	92. कानपुर
	19. कानपुर देहात	93. रूरा
		94. चौबेपुर
		95. झींझक
		96. पुखरयान
		97. बारीपाल
		98. उत्तरीपुरा
	20. फरुखाबाद	99. फरुखाबाद
		100. छिबरामू
		101. कमलगंज
		102. कयामगंज
		103. कन्नौज
		104. मोंहम्मदाबाद
	21. इटावा	105. इटावा
		106. जसवंतनगर
		107. भारथाना
		108. औरया
		109. अच्छाल्दा
		110. दिब्यापुर
6. इलाहाबाद	22. इलाहाबाद	111. इलाहाबाद
		112. भारवाडी
		113. सिरसा
		114. अजूहा
		115. जसरा

1	2	3
	23. फतेहपुर	116. फतेहपुर
		117. बिन्दकी
		118. खागा
		119. किशनपुर
		120. जहानाबाद
	24. प्रतापगढ़	121. प्रतापगढ़
7. झांसी	25. झांसी	122. झांसी
		123. मौरानीपुर
		124. चिरगांव
		125. मोथ
		126. गुडसराय
		127. बरुवा सागर
	26. ललितपुर	128. ललितपुर
		129. महरौनी
	27. जालौन	130. जालौन
		131. ओरई
		132. काल्पी
		133. कोंच
		134. माधोगढ़
		135. ऐंत
		136. कदौरा
	28. हमीरपुर	137. भरुवा सुमेरपुर
		138. महोबा
		139. माधोहा
		140. रथ
		141. चारखारी
		142. कुरारा
		143. पनवारी

1	2	3
	29. बांदा	144. बांदा
		145. कारवी
		146. अतारा
		147. बबेरु
		148. मऊ
8. वाराणसी	30. वाराणसी	149. वाराणसी
		150. चंदौली
	31. मिर्जापुर	151. मिर्जापुर
		152. अहीरौरा
	32. सोनभद्र	153. रौबर्टसगंज
		154. दूधी
	33. गाजीपुर	155. युसूफपुर
		156. जांगीरपुर
		157. जामनिया
		158. सैदपुर
	34. भदोही	159. गोपीगंज
9. गोरखपुर	35. गोरखपुर	160. गोरखपुर
		161. चौरी-चौरा
		162. शाहजानवा
	36. बस्ती	163. बस्ती
	37. सिद्धार्थ नगर	164. सोहरात गढ़
		165. बंसी
		166. साहियापुर
		167. नौगढ़
	38. देवरिया	168. बरहाज बाजार
	39. महाराज गंज	169. नौतानवा
		170. गरौरा
		171. पारतावाल
		172. आनंदनगर

1	2	3
	40. पदरौना	173. तमकुही रोड
10. कुमाऊं	41. नैनीताल	174. हलद्वानी
		175. रामनगर
	42. अल्मोड़ा	176. अल्मोड़ा
	43. पिथौरागढ़	177. पिथौरागढ़
	44. उधम सिंह नगर	178. रुद्रपुर
		179. काशीपुर
		180. किच्चा
		181. बाजपुर
		182. सितारगंज
		183. गदरपुर
		184 खटीमा
11. गढ़वाल	45. पौडी गढ़वाल	185. कोटद्वार
	46. टिहरी गढ़वाल	186. टिहरी गढ़वाल
	47. चमौली	187. चमौली
	48. उत्तरकाशी	188. उत्तर काशी
	49. देहरादून	189. देहरादून
		190. विकासनगर
		191. चकरौता
		192. ऋषिकेश
	50. सहारनपुर	193. सहारनपुर
		194. गंगौह
		195. नाकुर
		196. ननौटा
		197. रामपुर मनीहरन
		198. सुल्तानपुर चिलकाना
		199. देवबंद
		200. छुटमालपुर

1	2	3
	51. हरिद्वार	201. हरिद्वार यूनियन (इकाई)
		202. मंगलौर
		203. रुड़की
12. लखनऊ	52. लखनऊ	204. लखनऊ
		205. बंथरा
	53. उन्नाव	206. उन्नाव
		207. बंगरभाऊ
		208. पुरुवा
	54. रायबरेली	209. रायबरेली
		210. लालगंज
		211. बच्चरावान
		212. जयास
		213. सालौन
	55. सीतापुर	214. सीतापुर
		215. सिधौली
		216. बिसवान
		217. हरगांव
		218. महमूदाबाद
		219. मिश्रित
		220. माहौली
	56. हरदोई	221. हरदोई
		222. संदीला
		223. माधोगंज
		224. शाहबाद
		225. सांदी
	57. खेरी	226. लखीमपुर
		227. टिकोनिया
		228. गोला गौकरन नाटी
		229. मैगल गंज
		230. पालिया कलान
		231. मोहमदी

1	2	3
13. फैजाबाद	58. फैजाबाद	232. फैजाबाद
	59. गोंडा	233. गौंडा
		234. कर्नेल गंज
		235. बलरामपुर
		236. तुल्सीपुर
		237. पचपेरवा
		238. नवाबगंज
		239. उत्तरौला
	60. बहराइच	240. बहराइच
		241. नानपारा
		242. पयागपुर
		243. मिहोपुरवा
		244. रिसीमा
		245. रुपाईदिहा
	61. सुल्तानपुर	246. सुल्तानपुर
		247. गफरगंज
	62. बाराबंकी	248. बाराबंकी
		249. सफदरगंज
		250. रुदौली
	63. अम्बेडकर नगर	251. अकबरपुर
		252. टांडा
14. आजमगढ़	64. आजमगढ़	253. आजमगढ़
	65. मऊ	254. कोपागंज
		255. दौहरीघाट
	66. जौनपुर	256. जौनपुर
		257. शाहगंज
		258. मुंगरा बादशाहपुर
	67. बलिया	259. बलिया
		260. बिलथारा रोड
		261. चित्तबारा गांव
		262. रासरा

डोडा से पलायन करने वाले परिवार

5345. श्री ओ. पी. जिन्दल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से सैंकड़ों परिवार पलायन कर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने और इन्हें अपने मूल निवास लौट जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार निकट अतीत में सिविलियनों की हत्या की कुछ घटनाओं जैसे कि डोडा जिले के कलमाड़ी और सर्वाधार क्षेत्रों की घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 100 परिवार अन्य क्षेत्रों में चले गये थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा दिये गये आश्वासनों और विश्वास पैदा करने के विभिन्न उपाय किये जाने के बाद अधिकांश परिवारों के अपने मूल स्थानों पर लौट आने की रिपोर्टें मिली हैं।

इस संबंध में किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ साथ शामिल है: सुरक्षा बलों की तैनाती में वृद्धि, सुभेदय क्षेत्रों में पिकेट स्थापित करना, सघन गश्त लगाना, ग्राम सुरक्षा समितियों के नेटवर्क का प्रसार, और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाना। राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रवास कर गए परिवारों को समस्त जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है जिससे कि वे अपने मूल निवास स्थानों पर सुरक्षित वापस लौट आएं।

आतंकवादियों के लिए चलाए जा रहे कैम्प

5346. श्री पंकज चौधरी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के कैम्प स्थापित किये हैं जिससे इस वर्ष सितम्बर में होने वाले जम्मू और कश्मीर के विधान सभा चुनावों में गड़बड़ी की जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या इन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोई निवारात्मक उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) पाकिस्तान, जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी हिंसा को प्रायोजित करने, सहायता देने और भड़काने के कार्य में सक्रिय रूप से लगा हुआ है और उसके द्वारा राज्य में चुनावी प्रक्रिया को विफल करने और इसमें बाधा डालने के उद्देश्य से हिंसा को तेज करने के लिए सशस्त्र आतंकवादियों की घुसपैठ कराये जाने की कोशिशें करने के बारे में रिपोर्टें हैं।

सरकार इस प्रकार के इरादों और प्रयासों के प्रति पूरी तरह सचेत है और घुसपैठ को रोकने और गहन सतर्कता, गश्त और सुरक्षा बलों की तैनाती को बढ़ाकर चुनावों में बाधा डालने के उद्देश्य से की जाने वाली संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए प्रबंधों को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की गई है।

[अनुवाद]

बाराबंकी में ग्रामीण विकास योजनाएं

5347. श्री राम सागर: क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत कितने ग्रामीण लोग लाभांवित हुए हैं और उनमें से पिछड़े तथा दलित लोगों का कितना प्रतिशत है;

(ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत कितनी महिलाओं को लाभ मिला है और इनमें से कितने प्रतिशत दलित महिलाएं हैं; और

(ग) बाराबंकी जिले में विकास की धीमी गति के कारण क्या हैं और विकास की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा) : (क) से (ख) उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 1995-96 के दौरान प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण गरीबों के लिए सृजित लाभों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

1. कुल भौतिक लक्ष्य	6706 परिवार	फरवरी 96 तक
2. कुल लाभान्वित परिवार	8518 परिवार	
3. अनु. जाति/अनु. जनजाति परिवारों का लक्ष्य	3487	फरवरी 96 तक
4. सहायता प्राप्त अनु. जाति/अनु. जनजाति परिवारों की संख्या	4456	
5. महिला लाभार्थियों के लिए लक्ष्य	2682	
6. सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों की संख्या	2722	

2. ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)

1. बनाये गये समूहों की संख्या	30	फरवरी 96 तक
2. महिला लाभार्थियों की संख्या	300	
3. अनु. जाति/अनु. जनजाति महिला लाभार्थी	180	

3. जवाहर रोजगार योजना

1. कुल भौतिक लक्ष्य	28.57	फरवरी 96 तक लाख श्रम दिन
2. कुल उपलब्धि	13.10	
3. महिलाओं के लिए लक्ष्य	8.57	
4. उपलब्धि—महिला	2.17	
5. अनु. जाति/अनु. जन जाति महिलाओं के लिए लक्ष्य	6.43	
6. अनु. जाति/अनु. जन जाति महिलाओं हेतु उपलब्धि	1.83	

4. सुनिश्चित रोजगार योजना

1. कुल सृजित रोजगार	8.27 लाख श्रम दिन
2. अनु. जाति/अनु. जन जाति	5.40 लाख श्रम दिन
3. महिलाएं	0.68 लाख श्रम दिन

(ग) बाराबंकी जिले में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रगति सामान्यतया सन्तोषजनक रही है।

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक इकाइयां

5348. श्री चमन लाल गुप्त: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1995-96 के अन्त तक जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी विभिन्न प्रकार की पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां गैर-सरकारी, अर्ध गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्र की थी और चालू वर्ष 1996 में जुलाई के अंत तक कितनी थी;

(ख) रुग्ण और अर्ध रुग्ण इकाइयों की संख्या कितनी थी और कितनी इकाइयां बन्द कर दी गई हैं;

(ग) प्रत्येक योजनावधि में जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास के लिए सरकार ने कितनी धनराशि व्यय की है;

(घ) गैर-सरकारी, अर्ध गैर-सरकारी और सरकारी क्षेत्रों में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ङ) इतनी अधिक संख्या में इकाइयों के रुग्ण होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

जम्मू और कश्मीर में आई.एस.आई.

5349. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "द अब्जरवर आफ बिजिनेस एंड पालिटिक्स" नई दिल्ली के दिनांक 14 अगस्त, 1996 में "आई एस आई सेंडिंग डेथ स्कवेड टु काश्मीर टु डिसरप्ट पोल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेन्स के खतरे से निपटने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) : (क) से (ग) सरकार ने प्रश्न में उल्लिखित समाचार को देखा है। पाकिस्तानी आई.एस.आई., जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी एवं अलगाववादी हिंसा को प्रायोजित करने, उसे सहायता देने एवं उकसाने के काम में सक्रियतापूर्वक लगी हुई है और ऐसी रिपोर्टें हैं कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक नेताओं तथा कर्मचारियों, आदि को धमकाने सहित राज्य में चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने और इसे असफल बनाने के उद्देश्य से हिंसा में वृद्धि के प्रयास किये जा रहे हैं।

सरकार इन मंसूबों एवं प्रयासों के प्रति पूर्णतः सचेत है और चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों, राजनीतिक नेताओं, चुनावी स्टाफ, मतदान केन्द्रों आदि की सुरक्षा के लिए तथा चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के उद्देश्य से की जाने वाली संभावित गतिविधियों को रोकने के लिए चौकसी बढ़ाकर, गश्त बढ़ाकर और सुरक्षा बलों की तैनाती के द्वारा व्यापक व्यवस्था करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस संबंध में स्थिति का लगातार और सूक्ष्मतापूर्वक प्रबोधन किया जा रहा है।

कालकोट में ताप विद्युत परियोजना

5350. **श्री चमन लाल गुप्त:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू कश्मीर, कालकोट में ताप विद्युत संयंत्र कब स्थापित किया गया था, इस पर कितनी लागत आई और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) इसकी पुनर्संरचना पर कितनी धनराशि खर्च की गई और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या यह संयंत्र पिछले दस वर्षों से वास्तव में बन्द पड़ा हुआ है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इसे उचित ढंग से चालू करने के लिए कोई योजना बनाई गई थी;

(घ) जबसे इसे बंद करा गया था तब से इसके रखरखाव और कर्मचारियों के वेतन आदि पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) कालकोट से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी बिजली यदि कोई उत्पादन किया है तो वह कितना है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालासुब्रहमण्यन) :

(क) **पावर प्लांट का स्थापित किया जाना:-**

(1)	प्रथम यूनिट	7.50 मे.वा.	1969
	दूसरी यूनिट	7.50 मे.वा.	1971
	तीसरी यूनिट	7.50 मे.वा.	1972
	जोड़	22.50 मे.वा.	
(2)	लागत	1973 के मूल्य स्तर पर 402.00 लाख रु.	
(3)	क्षमता	22.50 मे.वा.	

(ख) इसकी पुनर्संरचना नहीं की गई।

(ग) (1) 1986-87 से बंद है।

(2) कारण—कालाकोट खानों से उपलब्ध कोयले में राख की मात्रा, पहले लिये गये नमूनों जिसके आधार पर थरमल प्लांट के लिए बायलरों को डिजाइन और निर्मित किया गया था, की तुलना में बहुत अधिक थी। कोयले में राख की अधिक मात्रा बायलरों की निष्पादकता के लिए उपयुक्त नहीं है।

(3) योजना–को फ्लूडाईज्ड कम्बूशन टैकनोलाजी के अंतर्गत आपरेशनल किया जा सकता है।

(घ) (1) कोई रख-रखाव नहीं।

(2) स्टाफ के वेतन पर खर्चा—77 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से।

(ङ) विद्युत उत्पादन जो हुआ:

वर्ष	लाख यूनिटों में उत्पादित विद्युत
1980-81	42.80
1981-82	180.00
1982-83	46.70
1983-84	30.46
1984-85	बंद हो गया
1985-86	00.62
1986-87	बंद हो गया

[हिन्दी]

भू-विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

5351. **श्री अशोक प्रधान** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नोयडा/ग्रेटर नोयडा में भूमि-अधिग्रहण करते समय किसानों को यह आश्वासन दिया गया था कि विस्थापित व्यक्तियों के परिवारजनों को अधिगृहीत भूमि पर स्थापित उद्योगों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि उपर्युक्त व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा रहा जबकि अन्य व्यक्तियों को वहां रोजगार मिल रहा है;

(ग) जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई, उन्हें दिये गये आश्वासन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. यू. वेंकटस्वरलू) : (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि औद्योगिक प्रयोजनों के लिए जब भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और अधिग्रहीत भूमि पर स्थापित उद्योग में प्रत्येक ऐसे परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराने के लिए उन्होंने समय-समय पर निर्देश जारी किया है। तथापि, हमेशा यह संभव नहीं होता कि जिसकी भूमि पर उद्योग विशेष, स्थापित किया जा रहा है उस परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जा सके, चूंकि उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमी साधारणतया उद्योग की विशेष अपेक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार रोजगार मुहैया कराते हैं।

(ग) नोएडा में स्थापित उद्योगों में उन ग्रामीणों (जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है) के परिवारों के सदस्यों को, कुशल तथा अकुशल श्रमिकों की कुल संख्या का 5% तक रोजगार मुहैया कराना अपेक्षित है। नोएडा एवं औद्योगिक यूनिटों के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख में इस आशय का एक प्रावधान मौजूद है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सूरजपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना, जिन ग्रामीण परिवारों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उनके युवकों को प्रशिक्षण देने और उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप सुविधाएं जुटाने हेतु निजी तकनीकी/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की अनुमति देना, इस बारे में राज्य सरकार द्वारा किये गये अन्य उपाय हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नौवीं और दसवीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और किये गये वायदों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.आर. बालासुब्रह्मण्यन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और परिवचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

नौवीं लोक सभा

(एक) विवरण संख्या 29 – छठा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 488/96]

(दो) विवरण संख्या 28 – सातवां सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 489/96]

दसवीं लोक सभा

(तीन) विवरण संख्या 34 – पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 490/96]

(चार) विवरण संख्या 28 – दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 491/96]

(पांच) विवरण संख्या 30 – तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 492/96]

(छह) विवरण संख्या 27 – चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 493/96]

(सात) विवरण संख्या 25 – पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 494/96]

(आठ) विवरण संख्या 24 – छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 495/96]

(नौ) विवरण संख्या 20 – सातवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 496/96]

(दस) विवरण संख्या 19 – आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 497/96]

(ग्यारह) विवरण संख्या 17 – नौवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 498/96]

(बारह) विवरण संख्या 12 – ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 499/96]

(तेरह) विवरण संख्या 10 – बारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 500/96]

(चौदह) विवरण संख्या 8 – तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 501/96]

(पन्द्रह) विवरण संख्या 5 – चौदहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 502/96]

(सोलह) विवरण संख्या 3 – पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 503/96]

(सत्रह) विवरण संख्या 2 – सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 504/96]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। 1990 में दिए गए आश्वासन पर वक्तव्य अब 6 वर्ष पश्चात सभा पटल पर रखा जा रहा है। अध्यक्ष का विनिर्देश— और यह एक नियम भी—यह है कि जब कभी भी कोई आश्वासन दिया जाता है तो उसे तीन माह के अन्दर कार्यान्वित करना होता है। लेकिन 1990 में दिए गए आश्वासन को पूरा करने में छः वर्ष का समय लिया गया है। अब छः वर्ष पश्चात विवरण सभा पटल पर रखा जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: साधारणतया इस तरह का विलम्ब नहीं होता है।

श्री बसुदेव आचार्य: इतना अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जी हां।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी. आर. बालू) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) लाइट डीजल तेल (अधिकतम कीमत का नियतन और वितरण) (संशोधन) आदेश, 1996, जो 2 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 471(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भट्टी तेल (अधिकतम कीमत का नियतन और विवरण) (संशोधन) आदेश, 1996, जो 2 जुलाई, 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 472 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) पैराफिन वैक्स (आपूर्ति, वितरण और कीमत नियतन) (संशोधन) आदेश 1996, जो 2 जुलाई 1996 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 473(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 505/96]

[अनुवाद]

विशेष प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय: श्री द्वारका नाथ दासजी....

... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही उनका नाम पुकारा है।

... **(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल (भंडारा) : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री सभा में मौजूद हैं। इसलिए हम एक अलग विदर्भ राज्य का निर्माण करने के महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहेंगे। महोदय, हम इसके लिए निरन्तर सूचना देते रहे हैं। हमने इस संबंध में कल भी सूचना दी है और विगत सप्ताह भी दिया था। आज भी हमने नोटिस दिया है। महोदय, हम दोनों यह मुद्दा उठाना चाहते हैं। प्रधान मंत्री सभा में मौजूद हैं इसलिए इसका अवसर दिया जाना चाहिए। महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है.... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: बैठ जाइए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे कहने दीजिए।

... **(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय प्रधान मंत्री जी, एक अलग विदर्भ राज्य के निर्माण का यह एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ... **(व्यवधान)** हमें यह जानकर अत्यधिक खुशी हुई है कि कई वर्षों के उपरान्त पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी ने छोटे राज्यों के निर्माण की आवश्यकता को स्वीकार किया है तथा उत्तराखंड राज्य को भी मान्यता प्रदान की है... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बातों को कोई सुन नहीं पा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: माननीय प्रधान मंत्री जी को स्थिति की गंभीरता को समझना चाहिए ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त* में शामिल नहीं किया जायेगा।

... ***(व्यवधान)**

अपराह्न 12.04 बजे

इस समय श्री प्रफुल्ल पटेल और श्री दत्ता मेघे आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपने स्थान पर जायें।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त* में शामिल नहीं किया जायेगा।

... ***(व्यवधान)**

अपराह्न 12.05 बजे

इस समय श्री प्रफुल्ल पटेल और श्री दत्ता मेघे अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास 34 माननीय सदस्यों की लिस्ट है और मैं हर सदस्य को बोलने का चांस दूंगा।

[अनुवाद]

यदि आप एक-एक करके बोलें तो मैं सबको अवसर दूँगा।

...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रफुल्ल पटेल: हम रोज नोटिस दे रहे हैं... **(व्यवधान)** आप इस इश्यू को टेक-अप करिये। हम वन बॉय वन बोलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: यह डिसाइड हो गया था। मैं सबको बोलने का चांस दूंगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : हमारे विदर्भ के इश्यू को लीजिए और विदर्भ पर जो भी बोलना चाहे, आप उन सबको चांस दीजिए।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जो कल नहीं बोले थे।

...(व्यवधान)

श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, धागे की अनुपलब्धता के फलस्वरूप असम में मेरे निर्वाचन-क्षेत्र करीमगंज के बुनकरों की स्थिति दयनीय है। निसंदेह वहाँ अनेक बुनकर सहकारी समितियां हैं। सम्बद्ध सरकारी विभाग उन्हें धागे की आपूर्ति करते हैं और बदले में उन्हें पूर्ण रूप से निर्मित कपड़े मिलते हैं लेकिन धागे की आपूर्ति पूरी तरह से अनियमित है।

महोदय, सहकारी समिति के प्रबंधकों और सरकारी अधिकारियों के बीच संबंध बिगड़े हुये हैं और इसके परिणामस्वरूप आम बुनकरों को अपने देय अंश से वंचित रहना पड़ता है। मैंने कुछ बुनकरों की बस्तियों का व्यक्तिगत तौर पर दौरा किया और उनके खस्ता-हाल आवासों को देखा था।

अत: मेरा सुझाव है कि सभी बुनकरों को ''बुनकर कार्ड'' उपलब्ध कराया जाये जिसके माध्यम से उन्हें नजदीक के ब्लाक मुख्यालय से नियमित तौर पर धागा मिल जाये। उन्हें पूरी तरह से निर्मित अपने उत्पादों को स्वत: सहकारी विपणन समितियों को बेचे जाने की अनुमति मिलनी चाहिए जिससे कि वे उचित रूप से अपना जीवन-यापन कर सकें।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई राजनीतिक या विवादास्पद मुद्दा नहीं उठा रही हूँ अपितु मैं एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा रही हूँ जिसे सभा द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं थेलसिमिया के रोगियों से संबंधित मुद्दा उठा रही हूँ। अधूरे उपचार के कारण हजारों बच्चों की मृत्यु थेलसिमिया से हो जाती है ... **(व्यवधान)**

मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रही हूँ। अधूरे उपचार की वजह से थेलसिमिया से पीड़ित हजारों बच्चों की मृत्यु हो गई। आप इस बात को मानेंगे कि यद्यपि इस सत्र में मैंने इससे संबंधित पाँच या छह प्रश्न पूछे हैं परन्तु मंत्री जी का उत्तर अत्यधिक कटु था। इसके रोगी को एक महीना में बीस सुई की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत लगभग 2,000 रुपये है। इस तरह की दवा खरीदना आम आदमी के बस की बात नहीं है और इस दवा और रक्त के अभाव में जीवन दुर्लभ है। यही कारण है कि इस अधूरे उपचार के फलस्वरूप पांच से दस वर्ष की आयु वर्ग के अधिकतर बच्चे मौत के शिकार हो जाते हैं।

कृपया मुझे बोलने दीजिए क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा—जो चकित करने वाला है, यद्यपि उनका मैं काफी आदर करती हूँ—कि जहाँ तक भारत के बच्चों का संबंध है तो थेलसिमिया सबसे अधिक जान-लेवा बीमारी नहीं है। लेकिन अधूरे उपचार के फलस्वरूप अनेक बच्चों की मृत्यु हुई है। अब भारत में विशेषकर मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़ और दिल्ली में 'केलफर' के नाम से मुंह से ली जाने वाली एक दवाई सफलतापूर्वक प्रयोग में लायी गई है किंतु इस पर केन्द्रीय बिक्री-कर, उत्पाद-कर और सीमा-शुल्क कर लगने के कारण इसकी कीमत अत्यधिक है। अत: आप राज्य सरकारों से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करके इसकी सुई विशेषकर इसकी दवा 'केलफर' पर लगने वाला बिक्री कर समाप्त करें। केन्द्रीय सरकार इसे सीमा शुल्क से छूट देने पर पहले ही विचार कर चुकी है लेकिन उत्पाद-शुल्क और केन्द्रीय बिक्री कर के मामले में ऐसा नहीं किया। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मुझे बात तो करने दीजिए।

[अनुवाद]

यही कारण है कि मैं सरकार से इन दवाईयों पर लगने वाले करों से इसे मुक्त करने का अनुरोध किया है जिससे कि रोगियों को यह दवा 2000 रुपये के स्थान पर 1,300 रुपये में उपलब्ध हो सके। दूसरी बात यह है कि मलेरिया और 'एड्स' जैसे रोगों की तरह थेलसिमिया को नियंत्रित करने हेतु सरकार के पास कोई राष्ट्रीय नियंत्रण बोर्ड नहीं है और तीसरी बात यह है कि मानवीय आधार पर थेलसिमिया के रोगियों को कुछ नि:शुल्क सुई और कुछ नि:शुल्क दवाईयां भी उपलब्ध करायी जाएं। यह मेरा विनम्र निवेदन तथा मैं समझती हूँ कि सभा इसकी सराहना करेगी। बाहर लोग इससे परेशान हैं। मैं आपसे न्याय चाहती हूँ। मेरे विचार से संसदीय कार्य मंत्री को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

आप तो बोलते ही हैं। यह कोई पोलिटिकल बात नहीं है।

[अनुवाद]

यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करती हूँ कि वे इस मुद्दे को स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकारों से उठायें?

संसदीय कार्य मंत्री और पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): मैं संबद्ध मंत्री को माननीय सदस्य की भावना से निश्चय ही अवगत कराऊंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष जी, अमरनाथ यात्रा की दुर्घटना की कालिमा अभी भी देशभर में छाई हुई है। सैकड़ों यात्री अभी लापता हैं। उनके रिश्तेदार मारे-मारे अपने राज्य में, यहां तक कि दिल्ली आकर घूमते रहते हैं कि उनको कोई सूचना मिले। जो यात्री गए हैं, उनकी क्या स्थिति है, वे जीवित हैं या नहीं, सारे देश में एक स्थिति यह बनी हुई है। जो यात्रा के दौरान दिवंगत हुए हैं, उनके बारे में भी अभी अनिश्चितता चल रही है। जब मैं श्रीनगर और पहलगाम गया था, उस वक्त मैंने सदन में बताया था कि वहां की सरकार ने, अथॉरिटी ने कुछ यात्रियों के शवों को अग्निदाह दे दिया है। आईडैनटीफिकेशन करके दिया है, फोटोग्राफ्स लेकर दिया है, ये सारी बातें वहां पड़ी हुई हैं। केन्द्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने मृतक के परिवारों को दो लाख रुपये एक्स ग्रेशिया देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने पचास हजार रुपये एक्स ग्रेशिया देने की घोषणा की है। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि अभी भी सब लोगों की डैथ की आईडैनटीफिकेशन नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि देशभर के लोग, जिनके परिवार के स्वजन उस यात्रा के दौरान मरे हैं, वे किस माध्यम से पैसा ले। अभी तक उनको डैथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है। यह घटना पहलगाम या श्रीनगर के आसपास घटी है। देशभर के कोने-कोने के लोग वहां नहीं जा सकते।

जब तक उनको डैथ सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब तक उनको यह पता नहीं चलता कि उनके स्वजन मारे गये हैं, तब तक सरकार की मदद उनको नहीं मिल पाएगी। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अगर सरकार इसके बारे में सचमुच सिंसियर है और जो लोग अपने खोये हुए स्वजन को दोबारा वापस लाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए केन्द्र सरकार की ओर से एक आई.ए.एस. आफिसर की निगरानी में एक सैल खोला जाये, जो देश भर से आई हुई अर्जियों पर विचार करे, जिन मृतकों के सर्टिफिकेट देने हैं, वह दे और उसके बाद जो भी सारी राशि देनी है, वह दे। इस सारी व्यवस्था के लिए केन्द्र सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

कल मैं इस बारे में गृह मंत्री जी से मिला था। वे कहते हैं कि मुझे पता नहीं है, यह घोषणा प्रधान मंत्री ने की है। घोषणाएं हो जाती हैं, मगर इसको कार्यान्वित कैसे किया जायेगा? गृह मंत्री कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है, लेकिन घोषणा हुई है। ये सारी बातें, डैथ सर्टिफिकेट लेना, आइडेंटीफिकेशन करना, जैसे गुजरात में 25 मृतकों की पहचान सिर्फ फोटोग्राफ से हुई है, उनको जला दिया गया है तो उनका सर्टिफिकेट कौन देगा? ये सारी गम्भीर समस्याएं हैं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, श्रीकांत जेना जी से, रामविलास पासवान जी से मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करूँगा कि इसके बारे में दिल्ली स्थित कोई पद्धति बना दीजिए, कोई सैल बना दीजिए, जिसमें सारे लोगों की समस्याएं हल हो जाएं और उन गरीब यात्रियों के रिश्तेदारों को उनका पैसा वगैरह मिल जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बारे में कोई कोआर्डीनेशन हो जाये।

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली): जो अनुदान वगैरह देना है, उसके बारे में क्या व्यवस्था है?

श्री हरिन पाठक : वे लोग कैसे लेंगे, उसके लिए कोई तंत्र नहीं है। होम मिनिस्टर कहते हैं, मुझे मालूम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: कौन डैथ सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, इसके बारे में कोआर्डीनेशन क्या है, कैसे होगा?

[अनुवाद]

उन्हें किससे और कहां सम्पर्क करना चाहिए?

श्री श्रीकान्त जेना: महोदय, तथ्यों को सुनिश्चित करने के पश्चात मैं माननीय सदस्य को इस बात से अवगत कराऊंगा कि इसका निपटान कैसे किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना: अभी मेरे पास कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं सूचना एकत्रित करुंगा।

श्री हरिन पाठक: आप कल वक्तव्य दे सकते हैं क्योंकि माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले ही मृतकों के प्रत्येक संबंधी को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्हें सरकार से अनुग्रह राशि कैसे मिलेगी? इसके लिए कोई ऐसा तंत्र होना चाहिए जिसके माध्यम से लोग जान सकें।

श्री वीरभद्रम थाम्मीनेनी (खम्माम) : महोदय, मैं अपनी मातृभाषा तेलगु में बोलना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए पहले ही सूचना दे दी है।

*उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी मातृभाषा, तेलुगु में बोलना चाहता हूं। मैंने इस बारे में सूचना पहले ही दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपके और आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

आंध्र प्रदेश में अतिवादी गुट अब कई बर्बर हत्याएं कर रहा है। अतिवादी गुट विगत कई वर्षों से आंध्र प्रदेश में कार्यरत एक आतंकवादी संगठन है और इस संगठन द्वारा की गई नृशंस हत्याओं में, विशेषकर हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है, अभी 6 सितम्बर को सायं 5.30 बजे एक प्रसिद्ध कृषक नेता और जिले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जाने माने नेता, श्री श्यामल वेंकट रेड्डी की नृशंस हत्या की गई, यह हत्या दिन दहाड़े तब की गई जब वह अपने फार्म पर काम कर रहे थे। कानून और व्यवस्था, निस्सन्देह, राज्य का विषय है। परन्तु केन्द्र की भी अपनी जिम्मेदारी है। आतंकवादी गतिविधियां केवल आंध्र प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं। हम सब भली भांति जानते हैं कि ऐसी गतिविधियां पूर्वोत्तर राज्यों, पंजाब तथा जम्मू-कश्मीर में भी चल रही हैं। यद्यपि ऐसी गतिविधियों की प्रकृति भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न प्रकार की है, इनका उद्देश्य एक ही है। अतः भारत सरकार को देश में आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में पहले ही कई कदम उठाए हैं। राज्य सरकार आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबन्ध लगा रही है। किसी किसी समय यह प्रतिबंध परखने हेतु समाप्त किया जाता है। किन्तु राज्य सरकार आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने में सफल नहीं रही है।

महोदय, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे आतंकवाद को जीवित रखने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, लोगों की कुछ मूलभूत समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाना आवश्यक है।

महोदय, केन्द्रीय सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से आवश्यक सूचना मांग लेनी चाहिए और राज्य सरकार को आतंकवाद समाप्त करने हेतु आवश्यक सहायता देनी चाहिए। विभिन्न राज्यों में आतंकवाद का सफाया करने हेतु केन्द्रीय सरकार के स्तर पर पूर्ण समन्वय होना भी आवश्यक है। यह आतंकवादी संगठन सभी दलों के राजनैतिक नेताओं की नृशंस हत्याएं करते हैं। वे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नाश करते हैं। वे चुनाव का बहिष्कार करते हैं। वे लोगों को चुनाव में भाग न लेने, जो प्रजातंत्र की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, के लिए डराते धमकाते हैं, यदि लोग चुनाव में भाग लेते हैं, तो वे देसी बम फेंकने और लोगों की हत्याएं करने से भी नहीं कतराते हैं।

*तेलुगु में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपान्तर।

अतः स्थिति का जायजा लेने के पश्चात केन्द्रीय सरकार को इस समस्या का समाधान करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने चाहिएं। राज्य सरकारों के आग्रह पर केन्द्रीय सरकार को आवश्यक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। इसे आतंकवाद पर काबू पाने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों को समन्वित भी करना चाहिए। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने केन्द्र से सहायता माँगी है। केन्द्रीय सरकार को उन्हें अपने-अपने राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए उनकी सहायता करनी चाहिए।

देश को आतंकवादी गतिविधियों से मुक्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार से समय पर कार्रवाई करने की दुबारा अपील करते हुए और इस सम्मान्य सदन में यह मुद्दा उठाने का अवसर मुझे प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (बाहरी दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय सदन में उठाना चाहता हूं। सरकार की तरफ से सारे देश में, देहात में और गांवों में कई तरह की योजनाओं की घोषणा की जा रही है। दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अन्दर, राजधानी में, सरकार की नाक के नीचे पिछले कई दिनों से वर्षा से जो भयंकर स्थिति बनी है उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वर्षा के कारण यहां इतना पानी भरा है और हालत इतनी खराब हो गई है कि 1071 कालोनीज में पानी भरा हुआ है। कारण यह है कि सरकार की सूची में इन कालोनीज को अनधिकृत कालोनीज कहा जाता है। इस वजह से दिल्ली की सरकार वहां न कोई विकास के काम कर सकती है और न कुछ और निर्माण के काम कर सकती है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन कालोनीज को अधिकृत घोषित करे, ताकि वहां पर विकास एवं निर्माण के काम हो सकें। इस काम को करने में अगर कोई कानूनी अड़चन है, तो उसको हल किया जाए। इन कालोनीज के लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहां घुटनों तक पानी चढ़ा हुआ है और सीवर का गन्दा पानी उनके घरों में जा रहा है। यह स्थिति अगर राजधानी में है तो हमारे लिए यह लज्जा की बात है। मैं चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार शीघ्रातिशीघ्र 1071 कालोनीज को अधिकृत सूची में लाए, ताकि दिल्ली की सरकार उन कालोनीज के विकास के लिए काम कर सके। अभी अभी हाई कोर्ट ने डी.डी.ए., डेसू और एम.सी.डी. को आदेश दिया है कि

[अनुवाद]

वे दिल्ली में विकास कार्य करने हेतु बेहतर तालमेल के साथ कार्य करें।

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के जिम्मे जो काम है, उसको वह करती नहीं और न ही वह दिल्ली की सरकार को काम करने देती है। इससे दिल्ली की सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। इन कालोनीज में 48 लाख से अधिक लोग रहते हैं और वे बहुत ही नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पहले चरण में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली की सरकार मिलकर अस्थायी व्यवस्था करे, ताकि इस दिशा में कदम उठाए जा सकें और साथ ही केन्द्र सरकार 1071 कालोनीज़ को अधिकृत स्वीकृति दे, जिससे दिल्ली की सरकार पूरा काम कर सके।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर) : बैंक कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना पर 1993 में सहमति हुई। करारनामें के बाध्यकारी उपबंधों के बावजूद, निजी क्षेत्र के अधिकतर बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वे कर्मचारियों को पेंशन का वितरण नहीं कर रहे हैं। करारनामे में, सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र, दोनों ने योजना को कार्यान्वित करने पर सहमति जताई है। 4 जनवरी, 1996 को वित्त मंत्रालय ने पत्र संख्या एफ 4/8/2/96-ए के माध्यम से एक निदेश जारी किया और बैंकों से कहा कि यदि इस पर अंतिम रूप से सहमति नहीं हुई है तो भी वे सेवानिवृत्त कर्मियों को **तदर्थ** भुगतान करें। वित्त मंत्रालय से निदेश मिल जाने के बावजूद अधिकांश निजी बैंक योजना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। वे सेवानिवृत्त लोगों को देय पेंशन का भुगतान नहीं कर रहे हैं।

अतः, मैं वित्त मंत्री जी और वित्त मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे निजी क्षेत्र के बैंकों को भी यह योजना कार्यान्वित करने के लिए कहें। मैं मंत्री जी से **तदर्थ** आधार पर ही सही भुगतान करने की व्यवस्था करने का भी आग्रह करुंगा। निदेश मात्र देकर चुप रहने से काम नहीं चलेगा। इसलिए, मंत्री महोदय हस्तक्षेप करें और बैंकों को सेवानिवृत्त लोगों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बाध्य करें।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शून्य काल के दौरान किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैंने सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नाम है।

श्री पी. आर. दासमुंशी : मैं शून्य काल के दौरान किसी बात का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मेरी बात का संबंध शून्य-काल से नहीं अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 और 75 (3) से है जो सदस्यों और मंत्रियों के अधिकारों के विषय में है। मैं इस मामले में आपसे तत्काल व्यवस्था देने की मांग करता हूं क्योंकि सदन 13 तारीख को स्थगित हो जाएगा। यदि यह व्यवस्था नहीं दी जाती है तो मैं समझता हूं कि निर्दोष सदस्यों को लगातार परेशान किया जाता रहेगा। हमें सदन के बाहर चल रहे घटनाक्रम पर ध्यान देना होगा। इसलिए, मैंने इस संबंध में सूचना दी थी। मैं आशा करता हूं कि माननीय अध्यक्ष इस मामले को आज ही निपटाएंगे। मैं अब शून्य काल की कार्यवाही में विघ्न नहीं डालूंगा क्योंकि आपने सदस्यों को बोलने के लिए कहा है। परन्तु यह मामला, जिसकी सूचना मैंने आज सुबह दी, बहुत ही आवश्यक है। मुझे आशंका है कि मंत्रियों और सरकार, सरकार के एक दल के रूप में नहीं अपितु संस्था के रूप में, के अधिकारों को कम करने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। चूंकि मंत्रिगण सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जवाबदेह हैं, उन्हें केवल लोक सभा में ही उनकी त्रुटियों और चूकों के लिए जवाब मांगा जा सकता है... **(व्यवधान)** यदि लोक सभा का यह अधिकार संसद से बाहर किसी अन्य अथारिटी द्वारा छीना जाता है, तो यह एक खतरनाक बात है। यदि मैं संसद सदस्य के नाते सदन में या सदन से बाहर कोई गलत कार्य करता हूं तो मुझसे केवल सदन में जवाब मांगा जा सकता है न कि बाहर के किसी पुलिस अधिकारी से। यदि इस प्रकार अधिकार का हनन किया जाता है तो इसका क्या परिणाम होगा? मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं। मूलतः इस बात पर चर्चा सदन में की जानी चाहिए। इसलिए मैंने आज सुबह अध्यक्ष महोदय को सूचना दी। 13 तारीख को सदन स्थगित हो जाने से पूर्व यह मामला निपटाया जाना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं... **(व्यवधान)** जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसी दृष्टि से देखा जाता है जैसे हम कोई चोर या डाकू हों। हमें ऐसी दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। संसद को अपने अधिकार और शक्ति पर कायम रहना चाहिए, मैं इस सत्र के पहले दिन से ही यह बात उठाता रहा हूँ। इस पर चर्चा क्यों न हो? यदि आपके पास शक्ति है तो आप उसका उपयोग क्यों नहीं करेंगे? यदि कोई मंत्री अपने कामकाज में कोई गलत बात करता है, तो पहले आप उसे डांटिये। वह लोक सभा के प्रति जवाबदेह है। परन्तु लोक सभा द्वारा नहीं झिड़का जा रहा है। अब तो यह हो रहा है कि उसे कोई बाहर का व्यक्ति डांट रहा है। ऐसा नहीं चलने दिया जायेगा। मैं इस मामले में व्यवस्था चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे भी कहने दीजिए। मैंने पत्र नहीं देखे हैं। संभवतः पत्र अध्यक्ष महोदय के पास लम्बित हैं। उन्हें इस पर निर्णय करने दें। मैं आपकी भावना उन तक पहुंचाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मध्य प्रदेश में जो भारी वर्षा हुई है उसके कारण आगरा-इंदौर-मुंबई रोड, जो मध्य प्रदेश में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सारंगपुर, शाजापुर, मक्सी और देवास के मध्य से होकर गुजरती है उसमें भारी गड्ढे पड़ गये हैं। पुलिया टूट गई है। इस कारण से वहां अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। महोदय, संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और मंत्रालय से सम्पर्क करने पर यह जानकारी मिली है कि उसके लिए कोई फंड नहीं है। वहां निरंतर दुर्घटनाएं हो रही हैं। देवास और शाजापुर के लिए बाई-पास रोड बना कर इसी मार्ग को बाहर से निकलने के प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए लम्बे समय से पेंडिंग है, किन्तु यह सरकार उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो देवास और शाजापुर के लिए बाई-पास रोड के प्रस्ताव हैं उनको तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। तिलावत के पास जो बड़ा पुल है वह क्षतिग्रस्त हो गया है उसके कारण आवागमन अवरुद्ध हो गया है, उसको तथा मक्सी, देवास और शाजापुर में सड़क पर जो बड़े-बड़े गड्ढे पड़ गये हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक करा दिया जाये और आवागमन को सुचारू रूप से चलाने की कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कोडीकुनील (अडूर) : उपाध्यक्ष, महोदय, पुनालूर पेपर मिल केरल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एकमात्र उद्योग है। यह देश का एक बहुत पुराना कागज उद्योग है। इस मिल में 600 से अधिक कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप में और 1000 से अधिक कर्मचारी अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। यह मिल लाभ अर्जित कर रही थी, परन्तु नौ वर्ष पूर्व मिल बंद कर दी गई। इसको बंद करने का कारण यह था कि प्रबंधन ने कागज की इस मिल का विस्तार व आधुनिकीकरण करने के उद्देश्य से (आईसीआईसीआई) भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम, (आईडीबीआई) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, (आईएफसीआई) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और केनारा बैंक से ऋण लिया था और प्रबन्धन समय पर ऋण का भुगतान करने में असफल रहा। वित्तीय संस्थानों ने मुम्बई उच्च न्यायालय में प्रबंधन के विरुद्ध मुकदमा चलाया।

मुम्बई उच्च न्यायालय ने मिल बन्द करने के आदेश दिये और साथ ही साथ एक आदाता (रिसीवर) नियुक्त किया।

जब से मिल बन्द हुई है, कर्मचारी घोर दरिद्रता और बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, अब तक दस कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली है। गत आठ वर्षों से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिला है और किसी ने उनका कोई कल्याण कार्य नहीं किया।

अब वित्तीय संस्थानों ने मामले के निपटारे हेतु प्रबंधन के साथ बातचीत करने की पेशकश की है। 'आईसीआईसीआई' और 'आईडीबीआई' प्रबंधन के प्रस्ताव से सहमत हुए हैं परन्तु केनारा बैंक, कागज मिल का वित्त पोषक मामला निपटाने के लिए तैयार नहीं है। केनारा बैंक की कुल देयता 36 करोड़ रुपये से अधिक है। लगभग 30 करोड़ रुपये ब्याज है और 3 करोड़ रु. के आसपास का मूलधन है।

अतः, मैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वह केनारा बैंक को कागज मिल के प्रबंधन के साथ मामला सुलझाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे ताकि पुनालूर कागज मिल को दुबारा चालू किया जा सके और साथ ही साथ कर्मचारियों और उनके परिवारों को बर्बाद होने से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान एक स्वस्थ राजनैतिक परम्परा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन (क्विलोन): महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सभी को मौका दिया जायेगा। समय मिला तो सभी को मौका दिया जायेगा।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन: वित्त मंत्री यहां मौजूद हैं। उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक: कई साल से यह परम्परा चली आ रही है कि जब भी किसी प्रदेश में प्रधान मंत्री या कोई मंत्री दौरे पर जाते हैं तो स्थानीय सांसदों को सूचना दी जाती है ताकि स्थानीय सांसद वहां के कामों के लिए उनसे मिल सकें। अभी तक यह परम्परा चली आ रही थी। लेकिन नयी सरकार के मंत्री या प्रधान मंत्री अपने दौरे की कोई सूचना नहीं दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रपति जी और उप-राष्ट्रपति जी भी अगर दौरे पर जाते हैं तो उसकी सूचना देते हैं। अभी राष्ट्रपति जी महाराष्ट्र गये तो उन्होंने महाराष्ट्र के सारे सांसदों को पत्र द्वारा

सूचित किया था। मैं समझता हूं कि बाकी लोग भी इस परम्परा का पालन करते होंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप प्रधान मंत्री और मंत्रियों को इस प्रकार की सलाह दें कि जब कभी वे टूर पर जाएं तो उन्हें स्थानीय सांसदों को इस प्रकार की सूचना देनी चाहिए। बार-बार दिल्ली आना-जाना बड़ा मुश्किल होता है। जो स्वस्थ राजनैतिक परम्परा चल रही थी, नयी सरकार को भी उसका अवलम्बन करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। मुझे लगता है कि इस विषय में आप निर्देश दें तो ज्यादा अच्छा होगा। उपाध्यक्ष जी, इसमें एक अपवाद रहा है कि चतुरानन मिश्र जी मुम्बई आए थे उन्होंने हमें पत्र द्वारा सूचित किया था। लेकिन उनका पत्र भी दौरा पूरा होने के बाद आया। ... **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : आपने भी तो हम लोगों को सूचना नहीं दी। ... **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी: हमारे वैस्ट बंगाल में भी जब कोई आता है तो सूचना नहीं दी जाती है।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : हमारे अजमेर में चार-चार दफे मंत्री और प्रधान मंत्री आ चुके हैं लेकिन हमें कोई सूचना नहीं दी।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): क्या हम लोगों का नाम नहीं बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: अभी आपको बुलवा रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : माननीय सदस्य राम नाईक ने जो कुछ कहा मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। जब कभी भी हम मंत्रियों को पत्र लिखते हैं तो यह आवश्यक है कि पहले इसकी पावती मिले और उसके बाद हमें उसका उत्तर मिलना चाहिए। सब जगह यही परम्परा कायम है। किन्तु कुछ मंत्री इस परम्परा का पालन नहीं करते।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि मंत्रियों और प्रधान मंत्री के भ्रमण कार्यक्रम संसद सदस्यों को भेजे जायें।

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): हम विश्वास दिलाते हैं कि आगे से हम टूर प्रोग्रामों की सूचना देंगे।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक बहुत भयंकर घटना घटी है। 26 तारीख को अर्बन प्रखंड में मसदपुर गांव में 30 नौजवान लड़के-लड़कियां चारा काटने के लिए नाव पर सोना नदी में जा रहे थे। तो वहां नाव डूब जाने से 30 के 30 लोगों की मृत्यु हो गयी। ये सारे के सारे मजदूर घराने के थे और राष्ट्र के निर्माण कार्य में लगे हुये थे। यह एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। इनके परिवार के सारे लोग दुखी हैं। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि मृतक के परिवारों को मुआवजा दिया जाये ताकि इस घड़ी में राहत मिल सके।

श्री संतोष कुमार गंगवार (बरेली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की बहुत महत्वपूर्ण समस्या को आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर कई बार गये। उन्होंने दो बार उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य का बकाया 500 करोड़ रुपये देना स्वीकारा। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि ये घोषणायें केवल चुनावी घोषणायें ही बन कर रह गयी। मेरी जानकारी के अनुसार अब तक 429 करोड़ रुपया दिया गया है और वह भी इंदिरा विकास पत्र के रूप में। इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। अभी 500 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य का बकाया देना है। गन्ना किसान परेशान हैं। अधिक बरसात के कारण किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है और इधर गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सारी चीनी मिलें घाटे में चल रही हैं और आने वाले समय में चीनी मिलें सुचारू रूप से चलेंगी, मुझे बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। मैं चाहूंगा कि सरकार चिन्ता व्यक्त करे और चीनी मिलें समय पर चलें, जितना किसानों का बकाया है, उसका नकद भुगतान हो, इसको तत्काल सुनिश्चित किया जाये। किसानों को इंदिरा विकास पत्र देने से उनकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है बल्कि इससे तो समस्या बढ़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बार वर्षा अधिक होने के कारण गांवों में बाढ़ आयी हुई है। इससे किसानों के सामने कई समस्यायें पैदा हो रही हैं। मकान कट रहे हैं, रहने की समस्या हो रही है। कल ही मेरे शहर में करीब 500 लोग एकत्रित हुये। उनके पास कोई पैसा नहीं है, शासन कोई सहायता नहीं कर रहा है। सत्तापक्ष के लोग सिर्फ चुनाव के हिसाब से चुनावी घोषणाओं के आधार पर सब कर रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को कोई लाभ या सहायता नहीं मिल पा रही है। इसलिए मेरा आग्रह है कि गन्ना किसानों के बकाया पैसे का भुगतान नकद रूप में किया जाये और इसको सुनिश्चित किया जाये।

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, मैं एक मामले को सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ जिसकी खबर प्रेस में उछली है तथा यह मामला सभी भारतीयों विशेष रूप से भारतीय महिलाओं के लिए बड़े शर्म की बात है।

ऐसी खबरें मिली हैं कि एक नर्सिंग कालेज में वहां प्रवेश लेने वाली छात्राओं को कौमार्य परीक्षण करने के लिए जोर दिया जा रहा है तथा ऐसी भी खबरें हैं कि कुछ छात्राओं पर कौमार्य परीक्षण किया गया है। मैं नहीं जानता हूँ कि यह बात सत्य है या नहीं। यह घटना आंध्र प्रदेश में हुई है। मैंने कुछ ऐसी रिपोर्टें भी पढ़ी हैं कि इस बारे में आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ कार्यवाही की है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह एक सत्य तथ्य है। दो अध्यापिकाओं को निलंबित किया गया है।

हमें इस बात की जानकारी अब मिली है कि कोई दो या तीन साल पहले जो भारतीय महिलायें लंदन जाती थी उन्हें इस प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता था जो बहुत ही शर्मनाक है। जहां तक भारतीय संस्कृति का संबंध है मेरे विचार से इस बात का प्रत्युत्तर दिया जाना चाहिए और इस दिशा में कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए। मेरे विचार से इस प्रकार भारतीय संस्कृति पर हमला किया जा रहा है।

इसलिए भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और महिलाओं पर हो रहे इस तरह के गंभीर अत्याचारों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए ... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : वह रोज बोल रहे हैं, हमने आठ दिन से नोटिस दिया है। हमें नहीं बुला रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कहा कि सबको बुलाऊंगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: आपको भी चांस देंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात न कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रुडी (छपरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार में बाढ़ की स्थिति की तरफ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। यह सवाल मैं इसलिए बार-बार उठा रहा हूं क्योंकि प्रधान मंत्री जी पिछले रविवार को हाजीपुर में रेलवे के जोनल मुख्यालय का उद्घाटन करने गये थे और उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर जो सोनपुर का दियारा क्षित्र है वहां सारण जिला व्यापक रूप से बाढ़ पीड़ित है। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने 20 करोड़ रुपये भेजे हैं पर पता नहीं चलता है कि केन्द्र सरकार की राहत साग्री तथा जो रिलीफ का पैसा है, उसका कहां और किस तरीके से राज्य सरकार बंटवारा कर रही है। मैंने खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उस दौरान मैंने पाया कि जिला प्रशासन ने राज्य प्रशासन से 950 क्विंटल गेहूं का आग्रह किया था और मात्र 50 क्विंटल गेहूं उस समय तक भेजा जा चुका था। दस हजार मवेशियों के लिए बाढ़ पीड़ित इलाकों में चारे की व्यवस्था नहीं की गई। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में जल स्तर गिर रहा है, वहां बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही डायरिया से प्रभावित क्षेत्र का मैंने खुद निरीक्षण किया। एक प्राइवेट अस्पताल में डायरिया से प्रभावित 22 बच्चे भर्ती थे। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में बाढ़ राहत की योजनाओं पर और विशेषकर केन्द्रीय सरकार से आने वाले अनुदान के खर्च पर कड़ी निगरानी रखते हुए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कदम उठाएं।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शिदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक सूचना देना चाहता हूं कि किस तरह से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को खत्म करने की साजिश हो रही है। माननीय वित्त मंत्री भी यहां बैठे हैं, वह भी इस पर थोड़ा ध्यान दें।

हिन्दुस्तान वेजिटेबल ऑयल कारपोरेशन जो 1991-92 तक भारी घाटे में चलता था, आज उसकी हालत में थोड़ी तब्दीली आई है। इसके पहले गोस्वामी कमेटी बैठाई गई थी। गोस्वामी कमेटी ने कलकत्ता और बंबई की यूनिट्स को बेचने के लिए रैकमंड किया था और खास बात यह है कि बंबई यूनिट प्रोफिट में चल रही है तथा कलकत्ता यूनिट भी प्राफिट में चल रही है। आठ यूनिट्स में से पांच प्रोफिट में है और तीन घाटे में हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि वहां के चीफ जनरल मैनेजर के डे टुडे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग में जिस तरह टांग अड़ाई जा रही है, खास तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री और सिविल सप्लाईज के जो इकोनोमिक ऐडवाइजर हैं, वे डे टुडे फंक्शनिंग में टांग अड़ा रहे

हैं। दिल्ली का जो वनस्पति यूनिट है जहां एक टन भी प्रोडक्शन नहीं है, जहां दस साल से एक अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको भी कहीं ट्रांसफर करने की इजाजत नहीं है। फाइनेंस से कुछ पैसा भी नहीं मिल रहा है और इस हालत में कोशिश चल रही है कि इनके पास जो जमीन है, इस जमीन को बेच दो या यूनिट को प्राइवेटाइज कर दो। मैं कहना चाहता हूं कि इस साजिश में एस.टी.सी. और एम.एम.टी.सी. और जो ओयल बैरन हैं तथा इकोनोमिक ऐडवाइजर सब मिले हुए हैं। इनका इरादा है कि किसी तरह से इसको प्रोफिट में न आने दें और घाटा दिखाकर इसको खत्म कर दें।

और इसकी यहां दिल्ली के कीर्ति नगर में जो जमीन है, उस जमीन को बेचकर अपने पर्सनल गेन के लिए यह साजिश हो रही है। मैं एडवांस में आपको सूचना देना चाहता हूं। मेरा यह दावा है कि जिस तरह से अभी मैनेजमेंट चल रहा है, अगर काम करने के लिए इसको फ्री हैंड दिया जाए और दिन-प्रतिदिन एडमिनिस्ट्रेशन में टांग न अड़ाई जाए तो दो-तीन साल के अंदर यह इंडस्ट्री रिवाइव कर सकती है। देश के इतिहास में सिक इंडस्ट्री के इस तरह से रिवाइव करने का एक नया इतिहास हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर किसी और से बात कर रहे हैं और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान दें या न दें, इसके बाद यही होगा कि पहले कई स्कैम हुए हैं और एक नया स्कैम होगा, उसके बाद हाउस कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी बैठायेंगे।... **(व्यवधान)** इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना दे रहा हूं। ... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: सबके नाम लिस्ट में हैं। मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा, एक बजे के बाद भी बैठने के लिए तैयार हूं और सबको बोलने का मौका दूंगा।

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : मान्यवर, अभी मेरे पूर्व मित्र ने गन्ने के पेमेंट के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं उसके आगे की बात कर रहा हूं। महोदय, तकलीफ इस बात की है कि भारत के प्रधान मंत्री जो आज गरीबों के शुभचिंतक हैं, मौजूदा सरकार जो गरीबों की रहनुमा कहला रही है, उस रहनुमाई का हाल क्या है कि प्रधान मंत्री ने सारी जगह जहां-जहां भाषण दिया, यह कहा कि गन्ने के दाम का पेमेंट हम करेंगे और गन्ना किसानों को हम राहत देंगे। राहत क्या मिली, अभी अरबों रुपया बकाया है। मान्यवर, इंदिरा जी के समय में गन्ने का दाम एक अरब रुपये बाकी था, जिसमें 60 करोड़ रुपया सैंटर ने दिया और 29 करोड़ रुपया केन सैस से मिला और सारा पेमेंट हो गया। मैंने पहले सुझाव दिया था कि बिना केन्द्र सरकार के रुपया दिये हुये गन्ने का पेमेंट नहीं हो सकता है। आज 5 सौ करोड़ रुपये से भी अधिक बकाया है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो आपके जिम्मे शूगर फैक्टरियां हैं जैसे कानपुर शूगर वर्क्स, जिसमें चार मिले हैं-पडरौना, कनकुइयां, गौरी और मदोहरा। इनमें गौरी बंद है, मदोहरा भी शायद बंद है और केवल पडरौना और कनकुइयां में 20 करोड़ रुपये से अधिक बकाया है। बाढ़ का समय है, किसानों में हाहाकर मचा हुआ है। सारी वसूली हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां मजदूरों का पेमेंट होना मुश्किल हो गया है। आइंदा मिल चलेगी या नहीं चलेगी, सरकार इस ओर ध्यान दे। यह आपकी जिम्मेदारी है। आज किसान बेहाल हैं। मैं आपके माध्यम से मांग कर रहा हूं कि आप इस पर बयान दिलवाइये। ... **(व्यवधान)** भारत सरकार के जिम्मे जो शूगर मिलें हैं अगर उसका पेमेंट नहीं कर सकते तो अन्य मिलों का क्या होगा, इसलिए आप मंत्री जी से जवाब दिलवाइये। मेरा यही निवेदन है।

[अनुवाद]

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पूर्वोत्तर भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं जहां पर विगत बारह दिनों से अरुणाचल प्रदेश के पांच जिले और असम का जोनाई संभाग शेष देश से कटा हुआ है। उस क्षेत्र में गत जून के महीने में आई बाढ़ के कारण सड़क संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। 29 अगस्त को धेमजी जिले से सात कि.मी. की दूरी पर स्थित गई नदी में अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में जमा पानी को छोड़े जाने के कारण आयी अचानक बाढ़ से एक रेलवे पुल सहित 1.5 कि.मी. रेल पटरी बह गई है। इस बाढ़ में राष्ट्रीय राज़मार्ग पर निर्माणाधीन पुल भी बह गया। इन पुलों को पहले आई बाढ़ से भी क्षति हुई थी। अब यह क्षेत्र देश के अन्य भागों से कट गया है। 40 हजार लोग बेघर हो गए हैं वे अब राहत शिविरों में रह रहे हैं। पीछे आयी बाढ़ में 12 लोगों की जानें गई और अब दो व्यक्तियों की जानें गई हैं। मैंने धेमजी जिले के उपायुक्त से पुल के पुनर्निर्माण के बावत बात की थी।

उपायुक्त ने बताया कि बरसात का मौसम और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण में दो माह से अधिक का समय लगेगा। इसलिए वहां पर तुरंत सेना की टीम भेजने की आवश्यकता है जो वहां पर पैन्टून पुल बनाये ताकि संचार व्यवस्था को तत्काल बहाल किया जा सके।

अत:, मैं जल भूतल परिवहन मंत्री और रेल मंत्री से निवेदन करता हूं कि वहां पर सड़क और रेल संपर्क बहाल करने के लिए

सैन्य टीम भेजी जाये ताकि लोगों को इस त्रासदी से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र की वर्तमान संयुक्त मोर्चा सरकार और इससे पहले कांग्रेस सरकार भी हमेशा ऐसी बातें करती रही कि हम गरीबों के लिए और खासकर ओ.बी.सी. के अपलिफ्टमेंट के लिए घोषणाएं करेंगे। गुजरात सरकार ने 1994 में ओ.बी.सी. लिस्ट में जो पहले 80 कम्युनिटीज, कास्ट्स एंड सब-कास्ट्स थीं, उन्हें बढ़ाकर 105 कम्युनिटीज, कास्ट्स एंड सब-कास्ट्स कर दिया, यानी 30 नई कास्ट्स और सब-कास्ट्स का उसमें एडीशन कर दिया लेकिन उन कास्ट्स को भारत सरकार ने और खासकर सोशल वैल्फेयर विभाग ने अभी तक कौमन लिस्ट में शामिल नहीं किया है। जब तक भारत सरकार की कौमन लिस्ट में इन कास्ट्स और सब-कास्ट्स को शामिल नहीं किया जायेगा, तब तक इन लोगों को ओ.बी.सी. को मिलने वाला कोई लाभ नहीं मिल सकता।

नवम्बर, 1994 में कौमन लिस्ट में इन कास्ट्स और सब-कास्ट्स को शामिल करने के लिए गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के सामने आवेदन पेश किया था लेकिन केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार ने अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया है। इस संबंध में हमारे प्रदेश के मिनिस्टर और स्वयं मैं कई बार मिनिस्ट्री से बात कर चुका हूं और हर बार यही कहा जाता है कि बहुत जल्दी इन 30 कास्ट्स, सब-कास्ट्स एवं कम्युनिटीज को कौमन लिस्ट में शामिल कर लेंगे।

मुझे बहुत खेद है कि संयुक्त मोर्चा सरकार बातें तो बहुत करती है लेकिन उसका हर डिसीजन ओ.बी.सी. के खिलाफ होता है। मैं चाहता हूं और केन्द्र की संयुक्त मोर्चा सरकार, खासकर सोशल वैल्फेयर विभाग से मांग करता हूं कि गुजरात की जो अति-पिछड़ी 30 कास्ट्स, सब-कास्ट्स एंड कम्युनिटीज हैं, उन्हें अविलम्ब कौमन लिस्ट में शामिल किया जाए ताकि उन कास्ट्स के लोगों को सर्विस में और मैडिकल, इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश हेतु, उनके लिए निर्धारित 27 परसेंट हिस्सा मिल सके। उनके नाम मंडल कमीशन में हैं लेकिन कौमन लिस्ट में नहीं हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती लक्ष्मी पनबाका जी कृपया शांत रहिए।

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला (तिरुपति) : उपाध्यक्ष महोदय....

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप श्रीमती लक्ष्मी पनबाका की ओर से निवेदन कर रहे हैं?

श्रीमती लक्ष्मी पनबाका (नेल्लौर): नहीं महोदय, वे इसलिए निवेदन कर रहे है चूंकि यह समस्या उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है।

श्री सुब्रह्मण्यम नेलावाला: महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस बात को मेरे ध्यान में लाये कि नेल्लौर जिले में नायुदुपेट मंडल के चिलामाथुर गांव के अनुसूचित जाति के गरीब लोगों पर तेलगु देशम पार्टी के जमींदारों द्वारा हमला किया गया और उनकी पिटाई की गई। अनुसूचित जाति के लोगों पर हमला किया गया उन्हें अपने घरों में न रहने दिया गया और उन्हें घर छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। उनके खेतों और संपत्ति को तेलुगू देशम पार्टी के तथाकथित जमींदारों तथा उनके समर्थकों द्वारा क्षति पहुंचाई गई और लूटा गया।**

इस संबंध में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वे अनुसूचित जाति के लोगों पर किये जा रहे अत्याचारों को रोकने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में सभा में वक्तव्य दें।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, 4 अगस्त को कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाए थे कि उनके टेलीफोन टेप किये जा रहे हैं। 5 अगस्त को श्री एस.बी. चव्हाण, श्री मतंग सिंह, श्री प्रणव मुखर्जी, श्री सुरेश कलमाड़ी और श्री आहलुवालिया आदि नेता प्रधान मंत्री से जाकर मिले थे, जिनकी सरकार को ये लोग समर्थन दे रहे हैं और कहा था कि उनके और पूर्व प्रधान मंत्री श्री पी.वी. नरसिंह राव के टेलीफोन टेप किये जा रहे हैं।

6 अगस्त को प्रधान मंत्री सी.बी.आई. की जांच का आदेश देते हैं।

उपाध्यक्ष जी, यह टेलीफोन टैपिंग का मामला कोई आज का नया मामला नहीं है। इससे पूर्व 1983 के अंदर जिस समय श्री हेगड़े जी की सरकार थी, वह सरकार भी इसी इश्यू के ऊपर गई थी। उसके बाद 1990 में श्री चन्द्र शेखर जी ने वी.पी. सिंह सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि टेलीफोन टैप हो रहे हैं और उसके बाद सी.बी.आई. की इन्क्वायरी भी की गई थी। सी.बी.आई. की जांच के बाद यह पाया गया था कि आरिफ मोहम्मद खां और अन्य नेताओं के टेलीफोन टैप किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, केवल यही नहीं, 1993 में श्री अर्जुन सिंह जी ने भी इस बात का आरोप लगाया था जब वे एच.आर.डी.

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मिनिस्टर थे कि उनके टेलीफोन नरसिंहराव टैप करवा रहे हैं। .. 1975 में, इमरजेंसी के समय के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि कितने नेताओं के टेलीफोन टैप हुए थे और उस समय श्री जगजीवन राम जी ने शाह कमीशन के सामने गवाही भी दी थी कि उनके टेलीफोन टैप किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह टेलीफोन टैपिंग का मामला इतने वर्षों से चला आ रहा है, और अब जब यह मामला उठाया गया था तो किसी आम आदमी के द्वारा नहीं उठाया गया था और न किसी आम सांसद द्वारा यह आरोप लगाया गया था, बल्कि यह मामला कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिंह राव द्वारा उठाया गया था, जिनकी सरकार पूरे पांच साल तक चली थी और जिनको पता है कि सरकारी महकमे किस प्रकार से काम करते रहे हैं। इस आरोप के बाद सी.बी.आई. की जांच हुई, लेकिन वह जांच रिपोर्ट आज तक सदन के पटल पर नहीं रखी गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से इस सदन के अंदर मांग करना चाहता हूं कि टेलीफोन टैपिंग के मामले की जो सी.बी.आई. ने जांच की है वह जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह मांग भी करना चाहता हूं कि सांसदों को इतने तो विशेषाधिकार देने ही चाहिए कि उनके टेलीफोन टैप न किये जाएं। न केवल सांसदों, बल्कि अन्य राजनीतिक नेताओं, ब्यूरोक्रेट्स और जर्नलिस्ट्स के भी टेलीफोन टैप किये जाते रहे हैं। मेरी मांग है कि इंडियन टेलीफोन एक्ट जो 1885 का है, वह आज के संदर्भ में बहुत पुराना और कूड़े के समान हो गया है, इसलिए उसे दुबारा रिवाइज किया जाए और चेंज किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आज इस सदन में सरकार से इस बात का आश्वासन भी चाहता हूं कि वह यह आश्वासन दे कि भविष्य में किसी सांसद का टेलीफोन टैप नहीं किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से सी.बी.आई. की जांच आराम से करवा दी गई, क्योंकि सबको मालूम है कि सी.बी.आई. की जांच इतने आराम से नहीं होती है। जब तक कोई प्राइमा फेसी केस न हो तब तक यह जांच नहीं होती है। इसलिए मेरा यह आरोप है कि कोई न कोई सांठगांठ या कोई न कोई समझौता कांग्रेस पार्टी और इस सरकार के बीच में हुआ है जिसके तहत उन्हें अभयदान दिया गया है और यही कारण है कि सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से अन्त में यह मांग करता हूं कि टेलीफ़ोन टैपिंग की सी.बी.आई. की जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए।

श्री प्रफुल्ल पटेल: उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। बड़ी इंतजार के बाद बारी आई है।

मैं एक बहुत ज्वलंत विषय, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की जनता की समस्याओं की ओर आपके माध्यम से सरकार और देश का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1960 में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई और हमारे विदर्भ क्षेत्र को, जो पूर्व में सेन्ट्रल प्राविंस राज्य था उससे एक हिस्सा अलग कर के महाराष्ट्र राज्य में शामिल किया गया। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि नागपुर एकमात्र ऐसा शहर था जो राजधानी होने के बावजूद, जब प्रान्त की पुनर्रचना हुई, तो राजधानी का अपना दर्जा खोकर, अपनी संयुक्त महाराष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए, उस वक्त के, तत्कालीन जो नेता थे, उन सबकी भावनाओं का आदर करते हुए महाराष्ट्र राज्य में शामिल हुआ।

महोदय, एक नागपुर करार बना। वह इसलिए बनाया गया कि उसके माध्यम से विदर्भ की जनता की जो भावना है उसका आदर किया जाए, सम्मान किया जाए। नागपुर का जो राजधानी का दर्जा था उसको खोने के बाद, उस नागपुर शहर की, उस प्रान्त की जनता का सम्मान किया जाए और उनकी भावनाओं का आदर किया जाए। यह सब होने के बाद और महाराष्ट्र बनने के 35-36 वर्ष बाद आज भी हमारे यहां विदर्भ की जनता को कितनी कठिनाइयां आ रही हैं और विकास के मामले में हमारे सामने जो प्रश्न हैं, वे आज भी वैसे के वैसे खड़े है। ... **(व्यवधान)**

लेकिन हम अपनी बात को सही प्रकार से लोगों के सामने नहीं रख पाये हैं। ...**(व्यवधान)** आप अपनी बात रखिये। ... **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे (रामटेक) : हमारी बात तो सुनिये। ... **(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल : संयुक्त महाराष्ट्र की जो कल्पना थी।... **(व्यवधान)**

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : कई मुख्यमंत्री विदर्भ के हुए हैं। ... **(व्यवधान)**

श्री प्रफुल्ल पटेल : संयुक्त महाराष्ट्र की जो कल्पना थी। ... **(व्यवधान)** आपके चिल्लाने से हम शांत नहीं होने वाले हैं ... **(व्यवधान)** संयुक्त महाराष्ट्र की जो कल्पना थी। ... **(व्यवधान)**

श्री दत्ता मेघे : हम जो बोल रहे हैं, वह तो आप सुन लीजिए। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.10 बजे

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समेवत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) देश में छोटे बीड़ी उत्पादकों के हितों की रक्षा किये जाने की आवश्यकता

श्री दादा बाबूराव परांजपे (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, नई आर्थिक नीति के नाम पर विदेशी कंपनियों के लिए असंगठित क्षेत्र के लिए अब तक सुरक्षित उद्योगों के दरवाजे खोले जाने की मुहिम में छोटी सिगरेट बनाने व बेचने की छूट दे दी गई है। टैक्स एवं अन्य छूटों से मिली राहत के कारण छोटी-छोटी सिगरेट सस्ती है और इसका असर बीड़ी की बिक्री पर पड़ा है। 1994 में देश में 7 करोड़ छोटी सिगरेट बनाई जो 1995 में 70 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। बड़ी कंपनियों द्वारा आधुनिक स्वचालित मशीनों से बनाई जाने वाली इन सिगरेटों से बीड़ी उद्योग और उसके श्रमिकों के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है।

खुदरा बीड़ी के नाम पर 20 लाख तक बीड़ी बनाने वाले उत्पादकों को टैक्स एवं अन्य वसूलियों से मुक्त कर दिया गया था। धारणा छोटे उत्पादकों को राहत पहुंचाने की रही होगी, मगर इसका फायदा बड़े मालिकों ने ही लिया। वे फर्जी छोटे उत्पादकों के उत्पादन के नाम पर वसूलियों से बचने लगे नतीजतन जहां एक ओर सरकार के राजस्व में कमी आई, वहीं दूसरी ओर इन क्षेत्रों के मजदूरों का शोषण और सघन हो गया। नई आर्थिक नीतियों के इन प्रत्यक्ष परिणामों के अलावा महंगाई, जीवन स्तर में गिरावट व बेरोजगारी, सामाजिक सुरक्षा में कमी जैसे और भी सीधे नतीजे बीड़ी मजदूरों को भुगतने पड़े हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि बीड़ी मजदूरों के संकट निवारण हेतु उचित कदम उठायें एवं बीड़ी उद्योग को सक्षम बनाने का प्रयास करें।

[अनुवाद]

(दो) महाराष्ट्र सरकार को हल्बा जनजाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुदेश दिये जाने की आवश्यकता

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर): मैं सभा का ध्यान महाराष्ट्र में विशेष रूप से विदर्भ क्षेत्र में हल्बा जनजाति के निर्धन लोगों के साथ हो रहे घोर अन्याय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उच्च न्यायालय द्वारा उनके पक्ष में कई निर्णय दिये जाने के बावजूद भी उन्हें जाति प्रमाण पत्र नहीं दिये जा रहे हैं ताकि वे शिक्षा और नौंकरियों में आरक्षण सुविधा का लाभ उठा सकें।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि उच्च न्यायालय की नागपुर खंड पीठ में रिट याचिका संख्या 2984/1984 में हल्बा जनजाति के पक्ष में स्पष्ट निर्णय दिया था। किंतु महाराष्ट्र सरकार ने इस याचिका पर उच्चतम न्यायालय में सिविल अपील संख्या 2294/1986 दाखिल की। यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने यह मामला स्वीकार कर लिया है किंतु किसी तरह का स्थगनादेश देने से इंकार कर दिया है।

मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि चूंकि उच्चतम न्यायालय ने किसी तरह का स्थगनादेश नहीं दिया है अतः उच्च न्यायालय का निर्णय मानने के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों सहित सभी लोग बाध्य हैं। मैं सभा का ध्यान उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति मदन मोहन पांची और के. वेंकटस्वामी की खंडपीठ द्वारा 15.3.96 को गायत्री लक्ष्मी बाजूराव नागपुरे के मामले में दिये गये निर्णय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। निर्णय स्पष्ट है। निर्णय के अनुसार फर्स्ट कजिन के प्रमाण पत्र की शक्ति के आधार पर भी हल्बा याचिकाकर्ता को जाति प्रमाणपत्र दिया गया था।

मैं केन्द्र सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का और इस संबंध में राज्य सरकार को समुचित अनुदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ।

(तीन) केरल के कोल्लम जिले में रोजैमाला को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किये जाने की आवश्यकता

श्री कोडीकुनील सुरेश (अडूर) : केरल के कोल्लम जिले में रोजेमाला घने जंगलों से घिरा क्षेत्र है। रोजेमाला में 300 परिवार रहते हैं जो सबसे निकट के शहर आर्थकिवु से 25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यहां पर अधिकतर परिवार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हैं।

इन परिवारों ने अपने घरों के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। किंतु केरल राज्य विद्युत परिषद बिजली देने के

लिए भारी राशि की मांग कर रहा है। ये निर्धन लोग इस राशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं।

केरल राज्य विद्युत परिषद ने इस क्षेत्र को नि:शुल्क बिजली देने में असमर्थता व्यक्त की है। वन-विभाग ने वन कानून के तहत जंगल से होकर बिजली की लाइन बिछाने में आपत्ति व्यक्त की है।

मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि रोजेमाला को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में शामिल किया जाये और केरल के कोल्लम जिले में कुलाथुपुझा पंचायत को रोजेमाला के पहाड़ी, दूरस्थ और पिछड़े इलाके के विद्युतीकरण के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करें। यह क्षेत्र अडूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र (आरक्षित) के अंतर्गत आता है। मुझे आशा है कि विद्युत मंत्रालय इस संबंध में तत्काल कदम उठायेगा।

(चार) देश में रेशम के आयात पर रोक लगाने की आवश्यकता

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार) : भारत संसार के प्रमुख रेशम उत्पादक राष्ट्रों में से एक है। देश में उत्पादित होने वाले रेशम के कुल उत्पादन का लगभग अस्सी प्रतिशत उत्पादन कर्नाटक में होता है।

आश्चर्य की बात यह है कि रेशम उत्पादकों पर केन्द्र सरकार या राज्यों द्वारा पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। कोकून रेशम के धागों के दामों में उतार-चढ़ाव होता रहता है तथा इसका सामना उत्पादकों को करना पड़ता है। वस्तुत: कोकून और रेशम के धागे की कीमत काफी कम है। यह अपने बाजारों में चीनी रेशम के डम्पिंग के कारण है। रेशम का आयात विशेषकर चीन से करने से अपने रेशम उत्पादकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। आयातित विदेशी रेशम की गुणवत्ता काफी कम है। इसी कारण वह इसे यहाँ काफी कम दाम पर बेच रहे हैं। देशी रेशम की कोई मांग अपने देश में नहीं है। कुछ देशों की इस प्रकार की मूल्य युक्तियों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारतीय रेशम उत्पादकों पर प्रभाव पड़ा है।

केन्द्र और राज्य दोनों का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने किसानों के हितों की रक्षा करें। इस दिशा में प्रथम और सर्वोपरि कदम यह होगा कि देश में विदेशी रेशम की डम्पिंग को रोका जाये।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह बिना किसी विलम्ब के रेशम के आयात पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाए।

[हिन्दी]

(पांच) औरंगाबाद जिले के औद्योगिक विकास के लिए बिहार राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह (औरंगाबाद) : औरंगाबाद जिला मध्य बिहार का अत्यंत पिछड़ा जिला है। जिले में 95 प्रतिशत लोग खेती एवं मजदूरी पर आश्रित हैं। जिले में कोई उद्योग नहीं है। जिले में औद्योगिक विकास केन्द्र में एक भी उद्योग नहीं लगाया जा रहा है। जिससे जिले में भयंकर भुखमरी एवं बेकारी है। जिले के अधिकांश मजदूरों को दिल्ली एवं अन्य राज्यों के उद्योगों में काम करना पड़ता है।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि औरंगाबाद औद्योगिक विकास केन्द्र में उद्योग लगाकर उसे विकसित्त करने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त धन दिया जाए।

[अनुवाद]

(छह) केरल के लोगों को अनिवासी भारतीयों की जमाराशि से ऋण दिये जाने की मांग को पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. सम्पथ (चिरायिंकिल) : केरल के लगभग दस लाख लोग विदेशों में काम कर रहे हैं और इस महान देश के लिए विदेशी मुद्रा का अर्जन कर रहे हैं। राज्य में कार्य कर रहे राष्ट्रीयकृत बैंक अप्रवासी भारतीयों के खातों के माध्यम से तथा उनके संबंधियों के खातों के माध्यम से जमा राशियों का संग्रहण करते हैं। परन्तु राज्य में उपयोग किये जाने के लिए संग्रहित धनराशि उचित रूप से नहीं दी जा रही है। राज्य के उद्यमियों को पर्याप्त ऋणों की व्यवस्था नहीं की जाती है तथा इस कारण पूँजी कम और ऊँची कीमत पर मिलने लगती है। जमाराशि का अनुपात अलग-अलग रूप से कम है। जमा राशि के रूप में एकत्रित धन राज्य से बाहर चला जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से ऋणों के लिए केरल की मांग को पूरा करने के लिए बैंक प्राधिकारियों को समुचित निर्देश देने का अनुरोध करता हूँ।

(सात) असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक रेल तथा सड़क पुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखिमपुर): असम तथा अरुणाचल प्रदेश के लोगों की असम के डिब्रूगढ़ जिले में ब्रह्मपुत्र तथा बोगीबिल क्षेत्र पर एक रेल व सड़क पुल के निर्माण की काफी लम्बे समय से मांग रही है। इस पुल से नदी के उत्तरी तथा दक्षिणी किनारों के मध्य आसानी से भूतल संचार ही नहीं होगा अपितु इससे अरुणाचल प्रदेश के लोगों को ऊपरी असम के

माध्यम से यातायात में आने वाली बाधाओं को दूर करने में भी काफी सहायता मिलेगी। इस पुल के रक्षा की दृष्टि से रणनीतिक महत्व के साथ ही प्रस्तावित राजमार्ग को बर्मा से जोड़कर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ वाणिज्य तथा व्यापार के खुलने की बात को विभिन्न स्तरों पर उठाया गया। अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों तथा असम के लखिमपुर तथा धेमात्री जिलों विशेष रूप से उत्तरी किनारे पर तेल क्षेत्रों की नवीनतम खोज पुनः ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी किनारे के वर्तमान तेल संयंत्रों को जोड़ने के लिए भी पुल के शीघ्र निर्माण के औचित्य को बल प्रदान करती है।

असम समझौते के खण्ड 7 के अंतर्गत योजनाओं को निश्चित करने के लिए गठित एल.सी. जैन समिति की सिफारिशों के अनुसार आठवीं योजनावधि के दौरान इस परियोजना को योजना आयोग ने अनुमोदित कर दिया था।

रेल मंत्रालय तथा भूतल परिवहन मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इस परियोजना को हाथ में लिया तथा यह निर्णय लिया कि जोगीघोपा पुल जिसके सितम्बर, 1996 तक पूरा होने की सम्भावना है, के पूरा होने के तुरन्त बाद निर्माण शुरू करेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद् ने भी इस परियोजना का आंशिक रूप से वित्त पोषण करने की सहमति दी है।

रेल मंत्रालय ने सर्वेक्षण, तकनीकी-सम्भाव्यता प्रतिवेदन तथा प्राक्कलनों को तैयार करने हेतु उदारतापूर्वक दो करोड़ रुपयों का आबंटन किया है। परन्तु सभी अपेक्षित औपचारिकताओं को सितम्बर, 1996 तक पूरा किये बगैर वास्तविक कार्य को शुरू नहीं किया जा सकता है। इसलिए, मैं केन्द्र सरकार के सम्बद्ध अभिकरणों से आग्रह करता हूँ कि इस मामले का निपटान शीघ्रता से करें जिससे कि 1996 के अन्त तक वास्तविक निर्माण कार्य शुरू किया जा सके।

[हिन्दी]

(आठ) बिहार में गंडक सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता

श्री रामबहादुर सिंह (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार में सिंचाई की समस्या के समाधान हेतु गंडक परियोजना आज से करीब 25 साल पहले शुरू हुई, लेकिन आज तक वह पूरी नहीं हो सकी है, जिसके नहीं बनाये जाने के कारण बजाय लाभ के नुकसान हो रहा है। जिन खेतों में पैदावार हो रही थी। वे खेत किसानों से ले लिये गये या उन खेतों में पैदावार कम हो गयी।

इसलिए केन्द्र सरकार से मेरा निवेदन है कि गंडक परियोजना को अविलम्ब पूरा किया जाये।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, इसके पहले अगला आईटम लें, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। जब से इस लोकसभा का सत्र चला है, शून्यकाल में मुझे आज तक मौका नहीं मिला है। मैंने आपके चैम्बर में मिलकर बात भी की है। मैं देख रहा हूं कि टी.वी. पर नियमित रूप से अनेक लोगों के नाम आ रहे हैं लेकिन मेरी व्यथा यह है कि हमें टाईम ही नहीं दिया जा रहा है। आपको मालूम है कि विदर्भ का मामला उठा और हमने भी अपनी बात रखने की चेष्टा की लेकिन चांस ही नहीं मिलता है। हम सुबह साढ़े नौ बजे हाउस में आकर बैठते हैं और शून्यकाल में मामला उठाने के लिए नोटिस देते हैं।

उसके बाद भी हमें समय नहीं मिलता है। आखिरकार सत्र समाप्त होने के बाद जब हम वापस जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठिए। मैंने सुबह कहा था कि मैं सबको चान्स दूंगा। लेकिन जब इतना झगड़ा हुआ तो मुझे मजबूरन हाउस ऐडजर्न करना पड़ा। मैं कल आपको मौका दूंगा।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: अगर राष्ट्रीय विषय को आप शून्यकाल में लेंगे तो ऐसा ही होगा। ...(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे।

वैद्य दाऊ दयाल जोशी: अगर किसी राष्ट्रीय महत्व के विषय पर शून्यकाल में चर्चा होती है, तो झगड़ा होगा। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, लेकिन आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे विषय पर हल्ला मचेगा इसलिए ऐसे विषय को नहीं लिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

अपराह्न 2.25 1/2 बजे

जम्मू और कश्मीर बजट, 1996-97 और अनुदानों की मांगें—जम्मू और कश्मीर

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम जम्मू-कश्मीर बजट पर आगे चर्चा करेंगे। कोई नाम लेने से पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस पर काफी समय हो गया है और हम इसको जल्दी पूरा करना चाहते हैं। मेरी दो रैक्वेस्ट हैं। एक तो यह कि सिर्फ बजट पर बोलिए और दूसरी यह कि पांच मिनट से ज्यादा न बोलें। मेरे पास अभी चार-पांच नाम हैं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभु (राजापुर) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, जैसाकि मैंने कल कहा था, मैं आशा करता हूं कि यह अंतिम अवसर हो जब मैं जम्मू और कश्मीर के बजट पर बोलने का अवसर प्राप्त कर रहा हूँ क्योंकि आशा है अगली बार जम्मू और कश्मीर के लोग बजट पर वाद-विवाद अपनी विधानसभा में करेंगे।

महोदय, जम्मू और कश्मीर में खर्च की गई धनराशि के बारे में जब कोई एक प्रश्न उठाता है तो उसका हमेशा यह गलत अर्थ लगाया जाता है जैसे कि इस प्रकार के मुद्दे को उठाना एक राष्ट्र विरोधी कार्य है। कोई प्रश्न कर रहा था कि जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों—जो भारत का ही अंग है—को भारत के नागरिक तथा अपने भाइयों के समान माना जाय। हम यह अनुभव करते हैं कि वह अभी ऐसा क्यों सोचते हैं कि उन पर पर्याप्त धनराशि खर्च नहीं की जा रही है, इस तथ्य के बावजूद कि वह भारत का हिस्सा है और उन पर काफी मात्रा में धनराशि खर्च की जाती है। इसके क्या कारण हैं? इस बजट के पेश किये जाने तथा सभा द्वारा इस पर विचार किये जाने के समय लोग यह जानना चाहते हैं।

महोदय, यह स्पष्ट है कि इस वर्ष भी हम जम्मू और कश्मीर में विभिन्न पहलूओं पर एक बड़ी धनराशि खर्च कर चुके हैं।

हमने शिक्षा पर लगभग 366 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस अवधि के दौरान कितनी संस्थाएं खोली गई।

जहां तक बिजली उत्पादन का संबंध है हम इस वर्ष के दौरान 871 करोड़ रुपये खर्च करने वाले हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस अवधि के दौरान क्या कोई बिजली पैदा करने की नई क्षमता को पैदा किया गया।

जहाँ तक बेरोजगारी का संबंध है, हम लगभग 265.92 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा।

अगले वर्ष के दौरान उद्योग, कृषि तथा पशुपालन पर होने वाला खर्च लगभग 266 करोड़ रुपये है, जिसे खर्च किया जायेगा। मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी तथा कितने नए क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाया जायेगा। यह इस आशंका के कारण कि जम्मू और कश्मीर के लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल रहा है तथा हम बिना किसी ठोस परिणाम को प्राप्त किये इतना अधिक धन खर्च करने जा रहे हैं। क्या पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है?

जम्मू और कश्मीर के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक द्वारा पिछली बार की गई थीं। क्या इस निधि की उपयोगिता के बारे में कोई गम्भीर शंकाएं व्यक्त की गई हैं? इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से, जब वह बजट पेश करें तब इन सब बातों के बारे में जानना चाहेंगे।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री से यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वह संसद में एक श्वेतपत्र प्रस्तुत करें तथा इस मामले के बारे में देश को अवगत कराएं कि पिछले 50 वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर पर कितना धन ख़र्च किया जा चुका है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों पर इन निधियों की प्रति व्यक्ति उपयोगिता तथा इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर के लोग इससे कितना लाभ प्राप्त कर सके, भारत के अन्य भागों पर प्रति व्यक्ति पर कितनी धनराशि खर्च की गई, जिससे हम विधिसम्मत रूप से यह जान सकें कि धन को किस प्रकार खर्च किया गया क्योंकि हम वहाँ पर रहने वाले भाई-बहनों के प्रति सद्भावना रखते हैं। हमें वास्तव में आश्चर्य है कि वह क्यों हथियार उठा रहे हैं जबकि उन पर इतना अधिक धन खर्च किया जा रहा है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वह इस संबंध में एक श्वेत-पत्र प्रस्तुत करें क्योंकि जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं कि यह यहां इस संबंध में की जाने वाली अंतिम परिचर्चा हो सकती है।

महोदय, मैं जानता हूं कि मुझे संक्षेप में बोलना है। अतः मैं केवल कुछ ही मुद्दों को उठाऊंगा।

मैं केवल एक आंकड़े पर बोलूंगा। इस अवधि के दौरान एकत्रित किया गया भू-राजस्व 113 लाख रुपये दर्शाया गया है, जो बहुत कम है। लेकिन संशोधित अनुमान में इसे केवल 4.64 लाख दर्शाया गया है। क्या वहां पर सरकारी तंत्र कार्य कर रहा है जोकि इतनी कम राशि ही एकत्र कर सका हालांकि मूल अनुमानित राशि भी बहुत कम थी? लेकिन इसके बावजूद जो एकत्र किया गया वह बहुत कम है।

इस वर्ष फिर 1996-97 के लिए बजट-अनुमान हम 134 लाख रुपये कर रहे हैं। मेरे विचार से हमें वास्तव में यह जानना होगा कि हम वास्तव में जो बजट तैयार कर रहे हैं वह वहां पर व्याप्त यथा स्थिति से मेल खाता है कि नहीं। इसी अवधि के दौरान लघु बचतों के नाम पर कितनी राशि एकत्र की गई? क्या सरकार गृह और सरकारी तंत्र पर इतना अधिक खर्च कर रही है? लघु बचतों के नाम पर सरकार एक रुपया भी नहीं जुटा पाई। क्या जम्मू और कश्मीर के लोगों का सरकारी तंत्र में वास्तव में विश्वास समाप्त हो गया है? यह कागजों पर इतना अधिक खर्च दिखा रही है लेकिन बदले में उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। हम वास्तव में माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहेंगे।

महोदय, यदि जम्मू और कश्मीर के तीन क्षेत्रों अर्थात कश्मीर घाटी, जम्मू और लद्दाख को यदि आप लें तो कश्मीर घाटी 16,000 वर्ग कि.मी. है, जम्मू 26,500 वर्ग कि.मी. तथा लद्दाख 96,70 वर्ग कि.मी. है। लेकिन विधान मंडल में इन लोगों की सीटों की संख्या, कश्मीर की 31.34 लाख, जम्मू 27.20 लाख जनसंख्या—जोकि कुल जनसंख्या का लगभग 45 प्रतिशत है—तथा लद्दाख 14 लाख की तुलना में बिलकुल गैर-आनुपातिक है।

पिछली बार भी परिसीमन आयोग ने सीटों के संशोधन की सिफारिश की थी लेकिन अब जम्मू और लद्दाख के लोग महसूस करते हैं कि यह विधानमंडल वास्तव में उनकी आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। अत: मैं महसूस करता हूं कि शायद हमारे लिए यह जानना जरूरी है, जब वे राज्य को धन देने के बारे में बात कर रहे हैं, उस राज्य के भीतर विद्यमान इन तीन क्षेत्रों पर इसमें से कितना खर्च किया गया है।

महोदय, योजना आयोग ने भी राष्ट्रीय विकास परिषद में सिफारिश की थी। यह राष्ट्रीय विकास परिषद के विचार-विमर्श का हिस्सा था तथा जिसे अंतत: सिफारिश के रूप में स्वीकार कर लिया गया तथा यह योजना आयोग के लिए दिशा-निर्देश है कि धनराशि का अधिकांश भाग इनमें से अति पिछड़े क्षेत्रों पर खर्च किया जाना चाहिए। यदि आप पिछड़ेपन को आधार मानते हैं तो क्षेत्र के अति पिछड़े क्षेत्र को अधिक धन मिलना चाहिए। लेकिन क्या हम उन मानदंडों का पालन कर रहे हैं या नहीं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा?

मुझे विश्वास है कि इन मामलों को पहले से तैयार बजट दस्तावेज में सम्मिलित कर लिया जाएगा। मुझे यह भी विश्वास है कि इस बजट को तैयार करते समय क्षेत्रीय असंतुलन को दूर कर लिया जायेगा और सरकार निश्चित तौर पर ऐसा करेगी।

जब हम श्वेत पत्र तैयार करें, तो मैं जानना चाहता हूं कि जम्मू और कश्मीर राज्य को प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता पर पिछले चालीस वर्षों के दौरान कुल कितनी राशि को हमने खर्च कर लिया है, जम्मू और कश्मीर राज्य में सुरक्षा के नाम पर हमने कुल कितना खर्च कर दिया है, यह सब जानने का राष्ट्र को अधिकार है। मुझे आशा है कि अगले कुछ महीनों में माननीय वित्त मंत्री या माननीय गृह मंत्री स्थिति-पत्र प्रस्तुत करेंगे तथा हमें इस पर आई कुल लागत के बारे में बताया जाना चाहिये।

1995-96 की इसी अवधि के दौरान भू-राजस्व से एक करोड़ रुपये भी एकत्र न होने के विपरीत राज्यों को एक वर्ष में केन्द्रीय ऋण में 278 करोड़ रुपये अधिक हैं। हम जानना चाहते हैं कि सुरक्षा, केन्द्रीय सहायता, ऋणों तथा अग्रिमों पर केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा पिछले चार वर्षों के लिए कुल कितने ऋण और अग्रिमों को माफ किया गया है।

महोदय, मुझे इस बात का ध्यान है कि कई सदस्यों को बोलना है तथा जम्मू और कश्मीर के लोगों को यह धन भी मिलना है जोकि माननीय वित्त मंत्री खुले दिल से उन्हें प्रदान कर रहे हैं, अत: मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता और वापस अपने स्थान पर बैठता हूं।

श्री प्रमथेस मुखर्जी (बरहामपुर) (पं. बं.) : महोदय, जम्मू और कश्मीर के लिए इस बजट पर मुझे अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मेरी पार्टी, आर एस पी, की ओर से मैं कुछ टिप्पणियों के साथ आमतौर पर इस बजट का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं राज्य में विधान सभा चुनाव करवाने के लिए केन्द्र सरकार के निर्णय का स्वागत करता हूं तथा कश्मीर घाटी में लोगों का भी स्वागत करता हूं जो कि बड़ी संख्या में अपना वोट डालने आगे आए। वास्तव में यह उस राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की शुरूआत है तथा यह वास्तव में राज्य में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करने की शुरूआत है।

महोदय, आर्थिक क्रियाकलापों को पुन: बहाल करने के बिना राजनीतिक प्रक्रिया की बहाली असंभव है।

अत: मेरे विचार से इस बजट का प्रथम उद्देश्य उस राज्य में शांति और सामान्य स्थिति करने की दृष्टि से आर्थिक क्रियाकलाप का समर्थन करना होना चाहिये। मुझे माननीय प्रधान मंत्री द्वारा उठाये गये कदम की सराहना करते हुए भी खुशी है जिसके अंतर्गत उन्होंने इस सभा में उस राज्य में विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी धनराशि देने की घोषणा की है। राज्य के लिए माननीय प्रधान मंत्री की भावनाओं के अनुरूप अथवा राज्य में आर्थिक क्रियाकलाप की बहाली के लिए बजट ऐसा होना चाहिए कि राजनीतिक प्रक्रिया कायम रखने की दृष्टि से हम आर्थिक क्रियाकलाप शुरू करें। मेरे विचार से बजट का पहला उद्देश्य बहकावे में आए घाटी के युवकों को भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति और भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में वापस लाया जाए। वे अपनी मर्जी से नहीं बहके बल्कि उस समय स्थिति से निपटने में केन्द्र सरकार की असफलता के कारण वे बहकावे में आ गए। मूलत: गरीबी और बेरोजगारी ने उन्हें रुढ़िवादियों की ओर, जमाए-ते-इस्लाम के चंगुल में, उग्रवाद के चंगुल में, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की ओर आने के लिए प्रेरित किया।

अत: उन्हें भारतीय समाज की मुख्यधारा में वापस लाने के लिए, हमें इस बजट में आर्थिक क्रियाकलाप को बहाल करने के

लिए आर्थिक पैकेज का प्रावधान करना चाहिए। लेकिन यह मेरा आकलन है—मैं गलत भी हो सकता हूं—कि बजट में जोर आर्थिक क्रियाकलाप को बहाल करने पर नहीं दिया गया है।

आपकी अनुमति से, मैं हमारे माननीय वित्त मंत्री से एक बिल्कुल साधारण-सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह सरकार यह आश्वस्त कर सकती है कि पिछले वर्षों के दौरान योजना-निधि का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है? हमारे पास तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति द्वारा दिया गया बजट-वक्तव्य है और उन्होंने इस सभा में आश्वासन दिया था कि जिला-स्तर पर कार्य-दल द्वारा देख-रेख की जानी चाहिए ताकि उस राज्य में कार्य की प्रगति के लेखा-जोखा का और विकास परियोजनाओं का निरीक्षण हो सके। क्या यह सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि यह देखरेख की गई है? मेरे विचार से, यह मेरी सूचना है कि यह देखरेख उस राज्य में सम्भव नहीं हो सकी है। मेरे पास अवांछित सूचना है, जो कि अफवाह का भाग है और जो सम्पूर्ण घाटी में चल रही है, वह यह है कि कश्मीर के लोगों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि वास्तव में जम्मू व कश्मीर के जरूरतमंद और गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती है।

महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें, यदि मैंने किसी असंसदीय शब्द का प्रयोग किया है। शासन-तंत्र के अंदर और शासन-तंत्र के बाहर भ्रष्ट लोगों के बीच घोर अनैतिक गठजोड़ है और भारत सरकार द्वारा बजट में स्वीकृत की गई पूरी की पूरी धनराशि इस घोर अनैतिक गठजोड़ के शिकंजे में चली जाती है। राज्य में सभी आर्थिक विफलताओं का यह मूल कारण है। मेरा माननीय वित्त मंत्री और सरकार से अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच के लिए समुचित कार्यवाही करें और इस समस्या के समाधान के लिए पर्याप्त उपाय करें।

मैं इस ओर आपका ध्यान दिलाने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं कि विकास परियोजनाओं पर अभी उचित जोर नहीं दिया गया है। हमने माननीय प्रधान मंत्री और पूर्व रेल मंत्री से सुना था कि श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से उधमपुर रेल लाइन का निर्माण आर्थिक बहाली की शुरूआत होगी। वर्तमान स्थिति क्या है? रेल लाइन के निर्माण के संबंध में आर्थिक क्रियाकलाप को नई शक्ति देने के लिए इस बजट के जरिए क्या प्रोत्साहन दिया गया है? बेरोजगार युवक आते और इस सुविधा का लाभ उठाते। लेकिन इसमें उस तरह की कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है।

महोदय, हम इस बजट और बजट भाषण से यह अच्छी तरह जानते हैं कि रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कश्मीर राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए सरकार ने कई उल्लेखनीय योजनाएं अपनायी हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में मूल्यांकन करे कि अब तक बेरोजगारी की समस्या का कितना समाधान हुआ है? रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यक्रम, योजनाएं अपनायी गयीं, लेकिन ये योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उस राज्य में बिजली के संकट और पर्यटन की समस्याओं का समाधान करने के लिए और अधिक धनराशि का प्रावधान करे।

पर्यटन कश्मीर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार के विकास के लिए हम क्या कर रहे हैं? राज्य में पर्यटन के विकास के लिए बजट में क्या प्रावधान किया जा रहा है? इस मामले में हम ईमानदार नहीं हैं। हम देखते हैं कि शाल-बुनकर बहुत ही दयनीय स्थिति में हैं। हथकरघा और घरेलू उद्योगों की क्या स्थिति है? खेतों में काम कर रहे गरीब किसानों या जो वानिकी में काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कठोर स्थिति है? मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह शाल-बुनकरों, शाल के व्यापारियों, सामाजिक वानिकी और कृषि-क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान करें। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि वह पर्यटन के विकास की समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान दे। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं पुनः बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कई अवसरों पर जब इस सभा के समक्ष कश्मीर का बजट प्रस्तुत किया गया था, मुझे कश्मीर के लगभग सभी बजटों की चर्चा में भाग लेने का अवसर मिला। यह अंतिम अवसर है, जब हम जम्मू व कश्मीर के बजट की चर्चा में भाग ले रहे हैं। इसके बाद, जैसा मेरे मित्र श्री सुरेश प्रभु ने कहा है, कश्मीर के लोग और उनके प्रतिनिधि अपने बजट प्रस्तावों के बारे में अपनी विधान सभा में चर्चा करेंगे जो वहां हो रहे चुनावों के बाद गठित की जायेगी।

महोदय, पिछले सप्ताह मुझे घाटी का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने स्वयं घाटी में बदले हुए माहौल को देखा। ऐसा केन्द्र सरकार की हाल ही में कश्मीर के लोगों के प्रति दिखाई गई निष्कपटता के कारण सम्भव हुआ है। इस संदर्भ में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री को उनके कश्मीर दौरे के लिए बधाई देता हूं और उन्होंने इस लोकतांत्रिक भारत में सात वर्षों के बाद कश्मीर घाटी के दौरे के लिए ख्याति प्राप्त की है। उनका दौरा और सरकार की निष्कपटता भी उन लोगों के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव में सहायक हुई है और कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो अब शुरू हो गई है, कश्मीर के लोगों के लिए सबसे अच्छा अवसर है। स्थिति को सामान्य बनाना और कश्मीर की प्रगति वहां की लोकतांत्रिक सरकार पर निर्भर है। लेकिन मुझे यह

कहते हुए खेद है कि अभी भी लोगों का बहुत बड़ा वर्ग राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। मुझे ऑल पार्टी हुर्रियत काउंसिल के चेयरमैन मौलवी उमर फारुक और कुछ अन्य लोगों से भी मिलने का अवसर मिला था जो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं।

मुझे इस महान सभा के समक्ष यह बात लाने की अनुमति दी जाए कि कुछ बुद्धिजीवियों के साथ मेरी चर्चा के दौरान उन्होंने मुझे बताया—वस्तुतः वे पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, वे पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे भारत से भी अलग-थलग पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये वे लोग नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया था। वे पाकिस्तान और इसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना के विरुद्ध थे। उन्होंने पाकिस्तान के साथ युद्ध किया, वे भारत की सहायता में खड़े हुए, उन्होंने भारत का समर्थन किया और यही नहीं, उन्हें पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के हाथों और पाकिस्तानी आक्रमणकारियों द्वारा उन पर किए गए अत्याचारों के कारण नुकसान भी उठाना पड़ा। ब्रिगेडियर उस्मान जैसे व्यक्ति ने भी कश्मीर को भारत के साथ रखने के लिए अपने बहुमूल्य जीवन का बलिदान किया है।

महोदय, उनके अनुसार, इन वर्षों के दौरान भारत सरकार कश्मीर के लोगों को अलग करने की कोशिश करती रही है जिसके बारे में भी उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। लेकिन जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें यह देखना है कि कश्मीर के वे नेता जो राजनीति की मुख्यधारा में शामिल नहीं हुए हैं, उन्हें भी राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इस संदर्भ में, मैं कहूंगा कि वहां चुनाव निश्चित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराये जाएं। इस महीने की 7 तारीख को जब वहां विधान सभा का पहले चरण का चुनाव सम्पन्न हुआ, मैं श्रीनगर में था और मुझे बताया गया था कि चुनाव कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। निःसन्देह, इस बारे में कुछ आरोप और शिकायतें मिली कि कुछ लोगों ने मतदान-केन्द्रों पर कब्जा किया। मुझे आशा है कि भारत सरकार और चुनाव आयोग इस मामले की जांच करेगी। लेकिन उग्रवाद तो उग्रवाद है, उससे तो सख्ती से ही निपटना होगा। लोगों का अब उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है। घाटी के लोगों का उग्रवादियों से मोह भंग हो गया है और अब पाकिस्तानी षडयंत्रों के बारे में उनकी अपनी राय है। लेकिन हमें कश्मीर के लोगों के प्रति न केवल निष्कपटता दिखानी होगी अपितु हमारी सहानुभूति, दया, सद्भावना और मित्रता भी दिखानी होगी। हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे हम कश्मीर को भारत के एक भाग के रूप में रखने में समर्थ होंगे, मुझे विश्वास है जिसके लिए जम्मू और कश्मीर के अधिकांश लोग तैयार हैं उनके पास अपना नागरिक प्रशासन, अपनी प्रजातांत्रिक संस्था और राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी अपनी भागीदारी होनी आवश्यक है जिसके लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

महोदय, वास्तव में, कश्मीर बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहां क्या स्थिति है? हर कोई इसके बारे में जानता है। लेकिन इस स्तर पर मैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में उल्लेख करना चाहूंगा जिसका आर.एस.पी. के मेरे मित्र ने अभी उल्लेख किया है। उन्होंने शिक्षा और बिजली के क्षेत्रों में अपर्याप्त विकास के बारे में भी उल्लेख किया। बिजली उत्पादन और वितरण हेतु अलग से रखा गया धन कश्मीर की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे बहुत से शिक्षा संस्थानों, को भी क्षति पहुंची हैं और सड़कें भी अच्छी नहीं हैं। सभा के कई माननीय सदस्यों ने विगत वर्ष हमारे चरार-ए-शरीफ़ जाने के पश्चात् इस मामले की ओर सभा का ध्यान दिलाया है।

जैसाकि मेरे मित्र ने भी इस तथ्य का उल्लेख किया है कि कश्मीर में अफसरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अब भी कुछ लोग हैं जो निहित स्वार्थों और धन की जमाखोरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इनके साथ सख्ती से निबटा जाए। जब तक हम यह नहीं करते, हम भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर सकते।

महोदय, अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं सरकार विशेष तौर पर वित्त मंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि वे प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर के लोगों को पेश किये गये आर्थिक पैकेज के कार्यान्वयन को जारी रखें और कुछ ऐसे उपाय भी करें जिससे कश्मीर के लोगों में आत्म विश्वास उपजे। यदि हम घाटी के सम्पूर्ण लोगों को भारतोन्मुख करने हेतु कुछ आत्म-विश्वास-उत्पादक कदम नहीं उठाते तो जैसा कि श्री इन्द्रजीत गुप्त वे कुछ समय पहले कहा है, कश्मीर की धरती हमारे पास होगी आत्मा नहीं। परन्तु अब स्थिति बदल गई है। अब वहाँ की आत्मा भी भारत की ओर बंट रही है और किसी भी स्थिति में हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को कश्मीर की स्थिति से लाभ नहीं उठाने देना चाहिए। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इससे लाभ उठाते रहे हैं। वे इसे हिन्दु-मुस्लिम समस्या का रंग देते हैं। मुझे आशा है कि सभा के सभी सदस्यों तथा सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल इस एक कार्य में एकजुट रहेंगे कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे कश्मीर मामले को हिन्दू-मुस्लिम समस्या का रूप देकर पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने मुहिम को तेज कर सके।

यह हिन्दु-मुस्लिम समस्या तो किसी भी तरह से नहीं है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसे भारत का अभिन्न अंग ही बनाए रखना है जिसके लिए हमें कश्मीर के लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, सद्भावना और सहायक दृष्टिकोण और मैत्री भावना प्रदर्शित करनी है।

इन शब्दों के साथ, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूँ।

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रस्तावों का समर्थन करते हुए, मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा। दलगत राजनीति में पड़े बिना कई दशकों से यह सदन भारतीय संघ में जम्मू और कश्मीर राज्य की एकता और विकासात्मक गतिविधियों के प्रति अपना सम्पूर्ण समर्थन देता रहा है।

वास्तव में, बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते समय दो बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। एक राजस्व का और दूसरे खर्चे का। एक ही पक्ष की ओर अधिक झुकाव का मुझे कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। घाटी तथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में समग्रत: हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखना होगा। मुझे तो यह बताया गया है कि लद्दाख जम्मू कश्मीर का सर्वाधिक उपेक्षित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने और उसे गति प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

जहां तक जम्मू कश्मीर के राजस्व पक्ष का प्रश्न है तो वहाँ पर विद्यमान राजनीतिक अनिश्चितता के कारण यह दशकों से अवरुद्ध हो रहा है। जब हम यह कहते हैं कि सम्पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है तो इसमें कोई दसरा पक्ष नहीं रहता। जैसा कि पूर्व गृह मंत्री ने कहा चाहे कश्मीर भौतिक रूप से भारत का अंग रहा है परन्तु उसकी आत्मा अभी भारत में नहीं है। वह है अवश्य, मैं यह नहीं कहता कि वह नहीं है। कुछ हद तक वह वहाँ है। वास्तव में आत्मा के एक अंश का नहीं अपितु सम्पूर्ण आत्मा का भारत की आत्मा के साथ एकीकरण आवश्यक है। इसके लिए हमें राज्य को बजटीय सहायता बढ़ानी चाहिए जैसा कि पहले किया जाता रहा है और वहाँ की आर्थिक गतिविधियों को भविष्य में भी प्रोत्साहित करना चाहिए, चाहे वहाँ पर राजनीतिक अनिश्चितता कितनी भी रहे।

अब तक मैं चर्चा कर रहा था कि जब अमरनाथ यात्रा में बहुत से लोग मरे जो इस देश के प्रत्येक कोने से भगवान के दर्शकों के लिए वहां गए और बहुत से लोग मरे परन्तु जब हमारे लोग बहुत संकट में थे तो उनकी सहायता किसने की? केवल मुसलमान समुदाय ने। अत: हम उस समुदाय की इस भातृभाव की प्रशंसा करते हैं जिसके द्वारा उन्होंने न केवल यात्रा के सारे मार्ग के दौरान अपितु अन्य स्थानों पर भी लोगों की सहायता की। घाटी के सब लोगों को आप आतंकवादी नहीं कह सकते। यह बहुत बुरा है। किसी ने भी अब तक यह बात नहीं कही।

परन्तु कुछ लोग हर समय कुछ न कुछ हंगामा करते ही रहते हैं। केवल यही नहीं देश के कुछ अन्य भागों में भी वह कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। उनकी भर्त्सना करने की बजाय हमें उन्हें यह अहसास कराना होगा कि वे हमारे देश के अभिन्न अंग हैं और विकास की गतिविधियों में उन्हें और तब हमें हमारे देश के विकास के लिए अग्रसर होना होगा। अत: उन लोगों को छोड़कर जो घाटी की शान्ति को भंग करने में संलिप्त रहे हैं, मुझे लगता है बाकी सब हमारे साथ हैं। जो लोग शान्ति और व्यवस्था को भंग कर रहे हैं। हमें उनको इसका कड़ा उत्तर देना होगा। इन सबके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ा वर्ग भी है जो समस्त धर्मों जातियों, समुदायों में परस्पर एकता, भातृभाव और प्रेम तथा स्नेह की हमारी भावना का समर्थक है हमें केवल इसी विचार से आगे बढ़ना है। अत: राज्य को जो भी आर्थिक सहायता हम देंगे उससे अन्तत: हमारा उद्देश्य प्राप्त हो जायेगा।

यह दूसरा पहलू है। योजना संबंधी निधियाँ या तो राज्य विधान सभा द्वारा अथवा बाद में राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन आने पर संसद द्वारा अनुमोदित की जाती रही हैं। मैं पूरे देश को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि हम यह देखते हुए कि यह हमारे देश का एक अभिन्न अंग हैं उन्हें निधियाँ प्रदान करते रहे हैं। वे हमारे देश के लोग हैं। वे हमारे ही भाई बहन हैं। अत: मैं महसूस करता हूँ कि घाटी में होने वाले चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए हमें इन्हें पारित कर देना चाहिए। वास्तव में कुछ राजनीतिक दल लोगों के पास जाने से बहुत कतराते हैं। फिर हमें गाड़ी तो चलानी ही है। वास्तव में यह चल रही है और स्वागतयोग्य है। इसमें अपनी कमियाँ और खामियां तो रहेंगी परन्तु हमें उन्हें एक तरफ रखना होगा और आगे बढ़ना अत: उन्हें दृष्टिगत रखते हुए यह बजट सहायता बड़े पैमाने ही जानी चाहिए। परन्तु साथ ही पूरे राज्य के लोगों में यह भी पहुंचनी चाहिए कि राज्य के लोगों के कन्धे पर राजस्व की एक भारी जिम्मेदारी है और वह जिम्मेदारी है राज्य के को चलाने की। यह सब कुछ कैसे किया जाना चाहिए यह में काफी समय लगेगा। इस दिशा में एक गहरा अध्ययन होगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तावों को पारित करने हेतु स्वागत करता हूँ। मुझे लगता कि इन सब कार्यों में बाधा डालने के लिए हम क्योंकि जम्मू और कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना हमें अभी पर्याप्त प्रयास करने होंगे।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जम्मू-कश्मीर राज्य के बजट पर चर्चा कर रहे हैं जहाँ के लोग नई विधान सभा चुनने के लिये मतदान कर रहे हैं। मेरे विचार में यह एक महत्वपूर्ण घटना है और जम्मू-कश्मीर राज्य के लोगों के लिए तथा देश के लिए शुभ संकेत है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। अब से कुछ सप्ताह पश्चात् वहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार और प्रतिनिधि आ जायेंगे और सरकार विधान सभा में जनप्रतिनिधियों के प्रश्नों का सटीक और उपयुक्त उत्तर देगी।

संक्षेप में, मैं बताना चाहता हूँ कि जम्मू-कश्मीर की वित्तीय व्यवस्था अत्यंत खराब हो चुकी है। मैं आपको पिछले तीन वर्षों के आंकड़ें बताना चाहता हूँ। वर्ष 1994-95 में कुल केन्द्रीय सहायता 1,849 करोड़ रुपये राज्य को दी जा रही थी। परन्तु, योजनागत व्यय सिर्फ 867.34 करोड़ रुपये था।

अपराह्न 3.00 बजे

शेष राशि का उपयोग गैर-योजनागत व्यय के लिए किया गया था। वर्ष 1995-96 में कुल केन्द्रीय सहायता 1547 करोड़ रुपये थी जिसमें से योजनागत व्यय 1052 करोड़ रुपये था और शेष का उपयोग गैर-योजनागत व्यय के लिए किया गया था।

श्री एस. बंगरप्पा: यह तो वास्तव में कम हो गया है।

श्री पी. चिदम्बरम: योजनागत व्यय बढ़ गया है। हमने वर्ष 1996-97 की योजना पिछले वर्ष के बराबर ही फिलहाल रखी है जब तक कि चुनी हुई सरकार आने के पश्चात योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता है हम 1507 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दे रहे हैं। इसलिए 1050 करोड़ रुपये के योजनागत व्यय की पूर्ति के पश्चात शेष राशि वास्तव में गैर-योजनागत व्यय को पूरा करने के लिए खर्च की जायेगी।

वास्तव में 352 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा है और 549 करोड़ रुपये के ओवरड्राफ्ट के बैलेंस को जोड़कर कुल घाटा 900 करोड़ रुपये आता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 352 करोड़ रुपये का उल्लेख करते हुए सभा में वक्तव्य दिया था कि सरकार इसकी पूर्ति के लिए संसाधनों का पता लगाएगी। उस राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए और जनता की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये सरकार इस वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। परन्तु, जैसा प्रतीत होता है, स्थिति इतनी खराब नहीं है। पिछले छः वर्षों के दौरान सिर्फ वर्ष 1995-96 में योजनागत राशि का सम्पूर्ण उपयोग विकास कार्यों के लिए किया गया है। जिला विकास बोर्ड की बैठकों में सभी राजनीतिक दलों से संबंधित गैर-सरकारी जन-प्रतिनिधि भाग लेते रहे हैं। पिछले वर्ष राज्य में ब्लॉक स्तर पर योजना प्रक्रिया आरम्भ की गई थी। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के संबंध में पिछले वर्ष एक महत्वपूर्ण कदम लेह में लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय परिषद, जिसमें सीधा जनप्रतिनिधित्व है, का गठन करके लिया गया था। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी संबंधित जिला विकास आयुक्तों के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कार्य दलों ने चल रहे मुख्य कार्यों का मौके पर निरीक्षण किया है। कुल मिलाकर चल रहे 1500 कार्यों का मौके पर निरीक्षण, फोटोग्राफ, रिकार्ड तैयार किये गये हैं ताकि चुनी हुई सरकार/राज्य विधान सभा के गठित होने के पश्चात उनके समक्ष विशेषतः पिछले वर्ष और चालू वर्ष के प्रथम छः माह के रिकार्ड उपलब्ध रहें। सभी 57 ब्लाकों में नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ की गई है, राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों के लिए 11 चलती-फिरती दुकानें आरम्भ की गई हैं; अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां दुगुनी कर दी गई हैं तथा प्रत्येक छात्र को 100 रुपये के स्थान पर 200 और प्रत्येक छात्रा को 125 रुपये के स्थान पर 250 रुपये प्रति माह दिये जायेंगे।

श्री सुरेश प्रभु: यह प्रति माह अथवा प्रति वर्ष के हिसाब से है।

श्री पी. चिदम्बरम: बालिकाओं को थोड़ा अधिक दिया जाता है।

पिछले वर्ष राज्य में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय पारिवारिक पेंशन कार्यक्रम, और राष्ट्रीय प्रसूति कार्यक्रम आरम्भ किये गये थे। दोपहर भोजन की राष्ट्रीय योजना सभी ब्लाकों में आरम्भ कर दी गई है। इससे 2.5 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच 220 के.वी.ए. ट्रांसमीशन लाइनें जल्दी ही चालू हो जायेंगी। पिछले वर्ष कुछ विकास कार्य वास्तव में चालू किये गये थे। हो सकता है ये संतोषजनक न हों। परन्तु कुछ विकास कार्य अवश्य हुये है। मुझे विश्वास है कि जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार आने के पश्चात् वहाँ पर विकास कार्यों की तरफ विशेष ध्यान दिया जा सकेगा।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में अधिक प्रति व्यक्ति परिव्यय के बारे में प्रश्न पूछा गया था। मेरे विचार में इसके कारण सर्वविदित हैं। देश के अन्य भागों की तुलना में जम्मू-कश्मीर में आधारभूत ढांचे

के विकास की लागत अधिक है। उदाहरण के लिए सड़कों को ही लीजिए। वहाँ पर सड़क निर्माण का खर्च मैदानी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी यही स्थिति है।

श्री पी. चिदम्बरम: हाँ, पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही है।

महोदय, राज्य का क्षेत्रफल अधिक है। इसलिए, लागत ज्यादा आती है। मुझे सूचित किया गया है, हालांकि मेरे पास आँकड़े नहीं हैं, कि जम्मू-कश्मीर में प्रति वर्ग क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग मील के आधार पर आबंटन देखा जाए तो देश के अन्य भागों की तुलना में आबंटन अधिक नहीं है। उदाहरण के लिए लद्दाख में प्रति व्यक्ति आंबंटन और भी अधिक है क्योंकि यह क्षेत्र अत्यधिक दुर्गम है। इसलिए मेरे विचार से हमें प्रति व्यक्ति अधिक आबंटन के बारे में चिन्तित नहीं होना चाहियें क्योंकि उस राज्य की ऐसी ही आवश्यकता है।

महोदय, बेरोजगारी के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था। जम्मू-कश्मीर में रोजगार कार्यालयों में, लगभग 1 लाख नाम पंजीकृत हैं। शीघ्रातिशीघ्र जम्मू-कश्मीर में विभिन्न विभागों में रिक्त स्थानों को भरा जा रहा है। राज्य में शिक्षित बेरोजगार युवकों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए केन्द्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रम विशेष नियुक्ति अभियान चला रहे हैं। उदाहरण के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण और रेलवे ने भी विशेष नियुक्ति अभियान चलाये हैं।

स्व-रोजगार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री रोजगार योजना और राज्य की स्व-रोजगार योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में लगभग 8,000 इकाइयों की स्थापना की गई है।

अपराह्न 3.08 बजे

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

विद्युत के आखिरी सवाल पर मेरा कहना है कि आंतरिक पन-विद्युत उत्पादन 833 मिलियन यूनिट है। गत वर्ष उत्तरी ग्रिड से 2473 मिलियन यूनिट विद्युत मंगाई गई थी। इस वर्ष, उन्होंने 2,620 मिलियन यूनिट विद्युत मंगाने का प्रस्ताव किया है। अतिरिक्त विद्युत की प्राप्ति चालू की जा रही 220 के.वी.ए. लाइन पर संभव हो सकेगी। इससे हम जम्मू और कश्मीर के लिए 600 मिलियन यूनिट विद्युत और प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। अत: गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष विद्युत की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

श्री एस. बंगरप्पा: महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है कि पन-विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने की जम्मू और कश्मीर में क्या कोई संभावना है। यदि हां तो इस बारे में क्या वास्तविक प्रगति हुई है? उन परियोजनाओं के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है जिनकी रूप रेखा तैयार कर ली गई है और जिन्हें अभी भी क्रियान्वित किया जाना है। यदि आपको वे सभी विवरण उपलब्ध हों तो आप दे सकते हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: हम विवरण दे देंगे परन्तु उससे पहले मुझे यह बात पूरी कर लेने दीजिए। उसके बाद मैं उस विषय को लूंगा।

महोदय, श्री रावत ने डोडा जिले में भूतपूर्व सैनिकों को हथियार दिये जाने का उल्लेख किया है। मैं बताना चाहूंगा कि डोडा में पहले ही 200 से भी अधिक रक्षा समितियां गठित की जा चुकी हैं और वे जितने भूतपूर्व सैनिक इस समिति के सदस्य हैं, उन सबको हथियार दिए जा चुके हैं।

प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने का जिक्र एक माननीय सदस्य द्वारा किया गया है। आतंकवाद के शिकार हुए अर्ध-सैनिक बल अथवा पुलिस सेवा के सैनिकों के निकट संबंधियों को दी जाने वाली मौजूदा राहत की राशि दो लाख रु. तथा सिविलियन के निकट संबंधियों को दी जाने वाली राशि एक लाख रु. है। आतंकवादी हिंसा से प्रभावित सुविधाओं विशेषरूप से विधवाओं और अनाथ बच्चों के पुनर्वास संबंधी उपायों को शुरु करने के लिए पुनर्वास परिषद का गठन हाल में किया गया है। उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए खर्चे की राशि दी जाती है।

महोदय, पर्यटन के बारे में कुछ प्रश्न किये गये थे। आठवीं योजना में किये गये 70.30 करोड़ रुपये के आवंटन में से पहले तीन वर्षों में 42.82 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

1995-96 की योजना के लिए 21.05 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है और इतनी ही धनराशि इस वर्ष भी खर्च किए जाने की संभावना है।

पर्यटन के लिए अनेक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अशांत परिस्थितियों में

पर्यटन प्रभावित होगा लेकिन चुनाव होने के बाद और चुनी हुई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद, मुझे पक्का यकीन है, लोगों में ज्यादा विश्वास का वातावरण बनेगा तथा राज्य में पर्यटन और अधिक बढ़ेगा।

मैं माननीय सदस्यों द्वारा सरकार द्वारा किये गये उपायों विशेषरूप से चुनाव कराने के निर्णय का समर्थन करने के लिए उनके प्रति कृतज्ञ हूं। मैं समझता हूं कि यह एक साहसिक निर्णय है। यह निर्णय कोई पार्टी द्वारा और सरकार में शामिल पार्टियों द्वारा ही नहीं लिया गया है। यह निर्णय सभी पार्टियों द्वारा तथा समूचे सदन द्वारा समर्थन किये जाने पर ही लिया जा सकता था। चुनाव कराने का यह साहसिक निर्णय सरकार द्वारा सदन के सभी वर्गों से प्राप्त समर्थन के कारण ही लिया जा सका है।

श्री बंगरप्पा ने विद्युत क्षमता के बारे में जानकारी चाही है। विद्युत क्षमता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है। जम्मू क्षेत्र में चिनाब नदी के थाले (बेसिन) के एक हजार मेगावाट की क्षमता है। दुलहस्ती परियोजना इसी का एक हिस्सा है। अन्य परियोजनाओं की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है और परामर्शदाताओं को तकनीकी-आर्थिक संभाव्यताओं का पता लगाने के कार्य में संलग्न किया गया है।

मैं माननीय सदस्यों का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने ... **(व्यवधान)**

श्री पी. नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, जैसा कि मैंने कल कहा था, इस सरकार द्वारा लद्दाख को स्वायत्तशासी पर्वतीय परिषद का दर्जा दिये जाने के लिए उसके प्रति कृतज्ञ हैं लेकिन कल मैंने यह भी कहा था कि लद्दाख के मामले में मुख्य कार्यकारी पार्षद का दर्जा उस स्तर का नहीं है जितना कि उसे होना चाहिए। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गोरखा पर्वतीय परिषद के अध्यक्ष को वरिष्ठ केबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। लद्दाख परिषद भी इसी स्तर का दर्जा लद्दाख के मुख्य कार्यकारी पार्षद के लिए मांग रही है। मुझे बताया गया कि मामला भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के पास लम्बित पड़ा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया है। यह दर्जा न दिये जाने के परिणास्वरूप लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में सभी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। मैं उस बारे में माननीय मंत्री जी से स्थिति जानना चाहूंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कही गई बात उचित है लेकिन निकाला गया निष्कर्ष ठीक नहीं है। चूंकि सिर्फ दर्जा नहीं दिया गया है, इसी वजह से विकासात्मक कार्य रोक देना आवश्यक नहीं है। मुझे बताया जा रहा है कि मुख्य कार्यकारी पार्षद का दर्जा सरकार के विचाराधीन है और ऐसा प्रस्ताव है कि मामले में अंतिम निर्णय निर्वाचित सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद लिया जा सकता है लेकिन मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वह लद्दाख स्वायत्तशासी परिषद को बताएं कि सिर्फ दर्जे के मसले की वजह से विकासात्मक कार्यों को कतई नहीं रोका जाना चाहिए।

श्री पी. नामग्याल: महोदय, उन्हें वित्तीय शक्तियां नहीं प्राप्त हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं सुनिश्चित करुंगा कि मुख्य कार्यकारी पार्षद को पर्याप्त वित्तीय शक्तियां उपलब्ध कराई जाएं। दर्जे का मसला बाद में निपटाया जायेगा तथा चुनी गई सरकार द्वारा सत्ता संभालने के बाद मामले पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा।

अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वे वर्ष 1996-97 के बजट (जम्मू और कश्मीर) के संबंध में अनुदान की मांगों को पारित करें।

श्री पी. नामग्याल: निर्णय अभी लिया जाना चाहिए था क्योंकि अधिनियम उस समय पारित किया गया था जब राज्य में राष्ट्रपति शासन था। पार्षद को समुचित दर्जा प्रदान करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।

सभापति महोदय: अब मैं 1996-97 के बजट (जम्मू और कश्मीर) के संबंध में अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं:

प्रश्न है:

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग सं. 1 से 27 के सामने दिखाये गये मांग शीर्षों के संबंध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा

1996-97 के संबंध में सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की सूची—बजट (जम्मू और कश्मीर)

मांग सं.	मांग का नाम	12.3.96 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए पेश की जाने वाली लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये	राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	14,13,17,000	1,35,30,000	14,13,18,000	1,35,30,000
2.	गृह विभाग	149,76,47,000	3,59,45,000	209,76,46,000	3,59,45,000
3.	योजना और विकास विभाग	2,80,66,000	2,95,85,000	2,80,66,000	2,95,86,000
4.	सूचना विभाग	2,68,27,000	32,18,000	2,68,27,000	32,17,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	63,09,62,000	32,89,12,000	...	...
6.	ऊर्जा विकास विभाग	294,52,73,000	141,19,29,000	294,52,74,000	141,19,29,000
7.	शिक्षा विभाग	195,04,64,000	8,04,38,000	195,04,63,000	8,04,38,000
8.	वित्त विभाग	88,19,89,000	2,20,00,000	88,19,89,000	2,20,00,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	95,31,000	...	95,32,000	...
10.	विधि विभाग	7,82,17,000	...	7,82,17,000	...
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	22,67,73,000	22,15,87,000	22,67,73,000	22,15,88,000
12.	कृषि, ग्रामीण विकास और सहकारिता विभाग	46,86,46,000	30,73,98,000	46,86,46,000	30,73,98,000
13.	पशु पालन विभाग	25,93,34,000	4,59,86,000	25,93,34,000	4,59,86,000
14.	राजस्व विभाग	42,82,15,000	1,23,40,000	42,82,14,000	1,23,39,000
15.	खाद्य, आपूर्ति और परिवहन विभाग	31,71,00,000	279,01,02,000	31,71,01,000	279,01,02,000
16.	लोक निर्माण विभाग	72,53,16,000	38,29,44,000	72,53,16,000	38,29,44,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	86,63,97,000	9,25,85,000	86,63,97,000	9,25,85,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	12,91,10,000	4,73,77,000	12,91,09,000	4,73,78,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	15,96,39,000	25,75,09,000	15,96,39,000	25,75,08,000
20.	पर्यटन विभाग	6,63,18,000	5,78,33,000	6,63,17,000	5,78,33,000
21.	वन विभाग	27,38,73,000	12,01,61,000	27,38,72,000	12,01,62,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	35,61,50,000	19,72,83,000	35,61,51,000	19,72,82,000
23.	लोक स्वास्थ्य, आभियांत्रिकी विभाग	50,11,53,000	20,69,72,000	50,11,53,000	20,69,72,000
24.	सम्पदा, आतिथ्य और नयाचार तथा उद्यान और बाग विभाग	9,55,27,000	1,07,78,000	9,55,28,000	1,07,78,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	6,04,10,000	8,91,23,000	6,04,10,000	8,91,24,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,56,86,000	1,15,05,000	2,56,86,000	1,15,05,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	27,84,74,000	4,87,28,000	27,84,73,000	4,87,27,000

अपराह्न 3.15 बजे

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 1996*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: सभा अब विधेयक पर खण्ड-वार विचार प्रारम्भ करेगी।

खण्ड 2 और 3

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र और पूरा नाम विधेयक का भाग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड एक, अधिनियमन सूत्र और पूरे नाम को विधेयक में जोड़ा गया।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.19 बजे

वित्त (सं. 2) विधेयक, 1996

[अनुवाद]

सभापति महोदय: वित्त (सं. 2) विधेयक, 1996 पर चर्चा के लिए दस घंटे का समय नियत किया गया है। यदि सभा सहमत हो, तो हम सात घंटे का समय सामान्य चर्चा के लिए, दो घंटे का समय खण्डवार विचार करने के लिए और एक घंटे का समय तृतीय वाचन के लिए रख सकते हैं।

अब मंत्री विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्ताव करें।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करने संबंधी विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, वित्त विधेयक के संबंध में माननीय सदस्यों द्वारा कई सुझाव दिये गये थे। बजट पर चर्चा के दौरान कई सुझाव आये थे और मुझे विश्वास है कि वित्त विधेयक पर चर्चा से कई और सुझाव आयेंगे। यह भी सही है कि यह कहा जा रहा है कि "हरेक पर कर लग भी गया और सबको खुश भी कर दिया गया।" कराधान का हमारा दर्शन विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त किये गये इस अनुभव से पुष्ट हुआ है कि कराधान दर कम होनी चाहिए। प्रक्रियाएं सरल होनी चाहिए। लेकिन इनके क्रियान्वयन के संबंध में कठोरता बरती जानी चाहिए। हमारा दर्शन यह भी रहा है कि कर आधार यथा संभव विस्तृत होना चाहिए।

हमारे राजस्व के तीन प्रमुख स्रोत है-निगम कर सहित आयकर, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क। हमारा आयकर का आधार बहुत संकीर्ण है। लगभग 10 मिलियन लोग, लगभग एक करोड़ लोग आयकर प्रदान करते हैं। यह बहुत संकीर्ण आधार है।

---

*भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग दो, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

निगम कर में, हमारा अनुभव यह रहा है कि यद्यपि निगम कर 40 प्रतिशत है, विभिन्न नमूना अध्ययनों के अनुसार लाभ पर प्रभावी कर दर से पता लगाता है कि यह 19 प्रतिशत अथवा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

सीमा शुल्क के संबंध में, न्यूनतम साझा कार्यक्रम की यह मान्यता है कि एक समय अवधि में हमें अपने शुल्कों को विश्व स्तर पर लाना चाहिए। मेरे विचार से यह सही दृष्टिकोण है। हम अब एशियान प्रणाली का भाग हैं अथवा उसका भाग बनने का प्रयास कर रहे हैं। हम एशियान के पूरा वार्ता भागीदार हैं। हमने एपेक को सदस्यता के लिए आवेदन किया है। साफ्टा के हम मुख्य प्रस्तावक हैं, जो साफ्टा बन गया। हम इंडियन ओशन रिम इनिसियेटिव के भी प्रारम्भिक सदस्य हैं। इन सभी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं का अर्थ है कि प्रशुल्कों को कम करना पड़ेगा। विश्व व्यापार कम प्रशुल्क पर चलता है। हम रातों रात प्रशुल्कों को बहुत कम स्तर पर नहीं ला सकेंगे।

इसलिए, हमारे पास राजा चैलैया समिति द्वारा तैयार की गयी अपनी स्वयं की समय सारणी है और हमें विश्व व्यापार, मांग और आपूर्ति की आकस्मिकताओं को ध्यान में रखते हुए उस समय सारणी का यथासंभव पालन करना चाहिए।

उत्पाद शुल्क एक महत्वपूर्ण कर है। काश कि हमारे पास मूल्य वर्द्धित कर होता लेकिन स्पष्ट कारणों से, इस देश में हमारे यहां शुद्ध मूल्य वर्द्धित कर नहीं हो सकता। कर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार दोनों द्वारा लगाये जाते हैं। राज्यों में कुछ बहुत पुराने और आयुक्तिसंगत कर हैं। मुझे उनके नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। एक किस्म का मूल्यवर्द्धित कर विकसित करने के लिए राज्यों और केन्द्र को एक साथ लाने के प्रयास किये गये थे। क्योंकि हम उस संबंध में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए हमने मॉडवेट प्रणाली को जारी रखा। उत्पाद शुल्क मूल्य वृद्धित कर के स्वरूप का है, लेकिन मूल्य वृद्धित कर नहीं। लेकिन यह मूल्य वृद्धि पर कर है। हर अवस्था में एक उत्पाद शुल्क होना चाहिए। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें वृद्धि न हो, हमें किसी पूर्व चरण में दिये गये उत्पाद शुल्क के समायोजन की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। हमने मॉडवेट प्रणाली को इस तरह प्रारम्भ किया है। मेरे विचार से, मॉडवेट को ध्यान में रखते हुए एकल उत्पाद शुल्क दर के बारे में विचार करना चाहिए। दक्षता और अदक्षता के बीच अन्तर करने और दक्षता को पुरस्कृत करने के लिए यही एक मात्र रास्ता है।

इसे बहुत साधारण तरीके से यहां प्रमाणित किया जा सकता है लेकिन मैं इन संगणनाओं को प्रमाणित करने में सदन का समय नहीं लूंगा। वैसे इन संगणनाओं से यह पता चल जायेगा कि एकल एक समान दर से दक्षता में सुधार होगा। उत्पाद-शुल्क इस देश में पैदा की जाने वाली वस्तुत: सभी वस्तुओं और सेवाओं पर लागू किया जाना चाहिए। पहले हमारे पास 11 दरें थी अब हमने उन्हें कम करके सात किया है। हमारा उद्देश्य यह है कि अगले दो वर्षों अर्थात् अगले दो बजटों में हम चार दरों का प्रयोग करेंगे। लेकिन मूल्य वृद्धि को रोकने और घरेलू अर्थव्यवस्था में और अधिक प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि हम उत्पाद-शुल्क की निम्न दरों को लागू करें और इसीलिए, इस बजट में कई तथ्यों को ध्यान में रखते हुए-जिनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि घरेलू उद्योग को स्वयं को स्थापित करने में समय लगता है-मैंने समूचे बोर्ड में सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कटौती की है।

मेरे ध्यान में यह बात भी है कि मौजूदा ढांचे में अनेक विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों को एक बार में ठीक नहीं किया जा सकता।

माननीय सदस्यों ने अनेक सुझाव दिये हैं। जैसाकि आप इस समय देख सकते हैं मैंने इनमें से अधिकांश सुझावों के उत्तर देने के प्रयास किये हैं। मैं इसे न केवल कथनी से बल्कि करनी से स्पष्ट करना चाहता हूं-जैसाकि मैं आपको दिखाऊंगा-कि मैंने अधिकांश सुझावों के उत्तर दिये हैं। मैंने माननीय सदस्यों द्वारा सीधे दिये गये तर्कों अथवा माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये उन लोगों के तर्कों को स्वीकार कर लिया जो इस अथवा उस प्रकार की दर से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही मैंने कुछ कारणों से कुछेक सुझावों को स्वीकार नहीं भी किया है। ये कारण मैंने माननीय सदस्यों तथा औद्योगिक समूहों को उस समय बता दिये थे जब वे मुझसे मिले थे।

करों का प्रयोग अकुशलता को छिपाने के लिए किसी युक्ति के रूप में नहीं करना चाहिए। कुछेक करों का प्रयोग अकुशलता पर पर्दा डालने के लिए पोर्टमेन्टू (सूटकेश) के रूप में होता है। हमें उसके जरिए यह देखना और कहना चाहिये कि यह कर आपकी अकुशलता पर पर्दा डालता है और, इसलिए, इस कर को घटाने से आप अधिक कुशल बनने के लिए बाध्य होंगे। जब तक हम प्रतियोगी और कार्यकुशल नहीं हो जाते तब तक हम किसी भी तरह से एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं कर सकते हैं। असल में, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री के साथ वहां के वित्त मंत्री मुझसे मिले थे और उन्हें यह कहते सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि चाहे यह सरकारी क्षेत्र हो अथवा निजी क्षेत्र, उनका और उनकी सरकार का उस क्षेत्र और उस क्षेत्र की इकाइयों को प्रतियोगी बनाने में पूरा सहयोग होगा।

यह एक प्रतियोगी विश्व है और अधिकांश कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रूप से निर्धारित की जाएंगी। हम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के प्रभाव से बच नहीं सकते। अत: हमारे उत्पादन एककों को मूल्यों की अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति के हिसाब से सुधार करना चाहिए। कीमतें कार्यकुशलता को बाध्यकारी बनाने का कोई अनन्य माध्यम नहीं हैं अपितु यह कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बाध्य करने का एक लाभदायक माध्यम हैं। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें उन क्षेत्रों को अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए बाध्य करने का एक जरिया है जिन्हें कभी कभार हम समझ नहीं पाते हैं लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कीमतें एककों को और अधिक कार्यकुशल बनने, क्षेत्रों को और अधिक

कार्यकुशल बनने तथा उद्योगों में और अधिक कार्यकुशलता लाने को बाध्य करती हैं।

मेरे प्रिय मित्र श्री बी.के. गढ़वी ने रुग्णता का जिक्र किया। रुग्णता उद्योग संबंधी स्थिति की अपेक्षा एक मानसिक स्थिति है। यदि आप बेवजह किसी उद्योग का गुणगान करते हैं तो वह रुग्ण हो जाता है। उनमें जितनी ज्यादा प्रतियोगिता होगी वे उतने ही कार्यकुशल होंगे और यदि अत्यधिक कार्यकुशलता होने के बावजूद उनमें से कुछ उद्योग रुग्ण हो जाते हैं तो, अवश्य ही, हमें रुग्णता के कारणों की जांच करनी होगी। इसलिए मैंने कराधान प्रस्तावों में इस विचार को अपनाने का प्रयास किया है तथा वित्त विधेयक में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। हो सकता है कुछ वर्गों को मैंने निराश किया हो। और मैं जानता हूं कि वाद-विवाद के अन्त में मैं कुछ वर्गों को पुनः निराश करूंगा। लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने सभी सुझावों को इस कसौटी पर परखा है कि क्या इससे कार्यकुशलता में सुधार होगा अथवा कार्यकुशलता घटेगी, क्या इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी अथवा घटेगी और क्या इससे उत्पादन बढ़ेगा अथवा क्या इससे उद्योगों की थोड़ी-बहुत सुरक्षा हो पायेगी।

महोदय, अनेक सुझाव बजट से परे हैं और मैं माननीय सदस्यों से चाहता हूं कि वे मेरे साथ उन्हें स्वीकार करें तथा मेरे वक्तव्य के इस भाग को समझने का प्रयास करें। ऐसे अनेक सुझाव हैं जिनका बजट तथा वित्त विधेयक से कोई सरोकार नहीं है। वे ऐसे सुझाव हैं जिन पर अमल वर्ष के दौरान किया जा सकता है। मैं उन पर इस अवस्था में कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा और न ही मेरे लिए यह संभव है कि मैं उन सभी अभ्यावेदनों पर इस अवस्था में विचार करूं।

उदाहरणार्थ एक सुझाव संगमरमर उद्योग के बारे में है। संगमरमर उद्योग को एस एस आई छूट से बाहर रखा गया है। मैंने अपने अधिकारियों से उन कारणों के बारे में पूछा कि यदि यह एक लघु इकाई है तो इसे भी एस एस आई की छूट प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन इसे यह छूट प्राप्त नहीं है। ऐसा क्यों है? कारण यह है कि यह उद्योग आज कुछ इस तरह से सुसंगठित है—और हो सकता है यह ऐतिहासिक हो—जहां इस क्षेत्र के सभी उद्योग एक-दूसरे से जुड़े हैं, जिसे हम परस्पर सहबद्ध होना कहते हैं, और कोई नहीं जानता कि कोई एकक कहां शुरू होता है और कहां समाप्त होता है। स्वयं खान के शीर्ष पर अथवा खुदाई किये गये हिस्से (पिट) के शीर्ष पर पालिस (रोगन) का काम करने वाले उद्योग हैं। अतः जब तक हम यह नहीं परिभाषित कर पाते कि कौन सी इकाई क्या है तब तक संगमरमर उद्योग में किसी लघु इकाई को छूट प्रदान करना कठिन है। लेकिन मैंने श्री जसवंत सिंह सहित माननीय सदस्यों से वायदा किया है कि मैं लोगों का एक दल उस क्षेत्र में यह पता लगाने के लिए भेजूंगा कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सकता है जिसके अंतर्गत लघु-इकाइयों का पता लगाया जा सके, उन्हें निर्धारित किया जा सके और उनकी सीमाओं को परिभाषित किया जा सके ताकि उन्हें लाभ दिया जा सके। गैर-बजटीय मांग का यह केवल एक उदाहरण है जिसे आगामी वर्ष के दौरान पूरा किया जा सकता है, न कि वित्त विधेयक पर होने वाली चर्चा के समय। इसलिए यदि मैंने कई सुझावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की है तो संभवतः इसीलिए कि उनमें से कुछेक सुझाव गैर-बजटीय अथवा वित्त विधेयक के मदों से बाहर हैं और अतएव उन पर मैं ध्यान आगामी वर्ष के दौरान दूंगा।

दूसरी बात संसाधनों को जुटाने की है। मेरी तो यही कामना है कि यह सरकार और यह देश संसाधनों से भरापुरा होता लेकिन ऐसा नहीं है। जैसाकि मैंने कहा है, मुझे कर उस तरह से वसूलना है जैसे कोई मधुमक्खी किसी फूल से शहद को चूसती है। मुझे पैसा वसूलना है लेकिन मैं किसी को डंक नहीं मार सकता और किसी को आहत नहीं कर सकता। हमारा विचार इस बजट में 2692 करोड़ रु. वसूलने का है। इससे कम में मेरा काम नहीं चलेगा बल्कि मुझे इससे ज्यादा पैसा चाहिये। जब ऐसे सुझाव दिये गये जिस पर 50 करोड़ रु. अथवा 100 करोड़ रु. की लागत आएगी तो फौरन ही मुझे झटका लगा और मैंने सोचा कि मैं इस तरह के सुझाव कैसे मान सकता हूं जिससे 100 करोड़ रु. खर्च होंगे। मैं 100 करोड़ रु. अथवा 200 करोड़ रु. का खर्च वहन नहीं कर सकता। यदि किसी सुझाव को मानने पर मुझे एक करोड़ खर्च करने पड़ें तो हो सकता है कि मैं उस सुझाव को इस आशा के साथ अधिक सहजता से मान लूं कि स्थिति के अनुसार उस एक करोड़ रु. का ध्यान रखा जायेगा। अतः यदि मेरे समक्ष बड़ी मदों का प्रस्ताव रखा जाता है तो मुझे दुख है कि उस सुझाव को मुझे खेदजनक ढंग से अस्वीकार करना होगा।

हमें धन की आवश्यकता है। हमारा वित्तीय घाटा 62266 करोड़ रु. का है। इस समय और भी अन्य मांगें की जा रही हैं। वेतन आयोग की रिपोर्ट किसी भी समय आ सकती है। मुझे नहीं मालूम उसका बिल कितने का होगा। हो सकता है कि हमें रक्षा के लिए और खर्च करना पड़े। मैं पहले ही वायदा कर चुका हूं कि हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अधिक खर्च करेंगे। जम्मू और कश्मीर के लिए हमें अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। इसलिए मैं भारी भरकम वित्तीय त्याग के लिए अनिच्छुक हूं। अतः यदि मैं माननीय सदस्यों की उन मांगों को पूरा नहीं कर सका जिनके लिए भारी वित्तीय त्याग की आवश्यकता होगी तो वे मेरे साथ सहयोग करेंगे।

कर के आधार का विस्तार करना होगा और मैं उसे कर रहा हूं और अगले कुछ महीनों में भी करने का मेरा इरादा है। इसमें कोई उपलब्धि नहीं दिखाई देती है कि हमारे यहां केवल एक करोड़ लोग ही आयकर दाता हैं। मैं समझता हूं कि शायद इतनी ही संख्या उन लोगों की है जो कर नहीं देते हैं। हमें उन लोगों से ये कर वसूलने हैं जिनकी आय कर योग्य है। यह तभी किया जा सकता है जब प्रत्यक्ष कर के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो और तभी हम अप्रत्यक्ष कर भी बढ़ा सकते है तथा निम्न आय वर्ग के लोगों को छूट दे सकते हैं। आयकर के पहले स्लैब में छूट की सीमा 40,000 रु. से बढ़ाकर 60,000 रु. न कर पाने का एक कारण यह है कि इससे फौरन ही 20 से 30 लाख लोग, वेतनभोगी और अन्य, कर की सीमा से बाहर आ जायेंगे। यह मांग वेतनभोगी लोगों की ओर से आ रही है। लेकिन यदि घेरा बढ़ा दिया जाता है, स्लैब बड़ा दिया जाता है तो वेतन भोगी और गैर-वेतनभोगी दोनों वर्ग के काफी लोग कर की सीमा से बाहर आ जायेंगे। अत: मुझे वेतनभोगी लोगों को लाभ देने के इस बोझिल तरीके को अपनाना पड़ा और मैंने 'स्टैण्डर्ड डिडक्शन'' बढ़ाकर 15,000 से 18,000 रु. कर दिया और साधारण सी संगणना से बताया कि यदि वह भविष्य निधि में न्यूनतम अंशदान करता है/ करती है तो उस वेतनभोगी व्यक्ति को 60,000 रु. तक कोई कर नहीं देना होगा। मैं आशा करता हूं कि मेरे अंकगणित को माननीय सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन इनके अतिरिक्त गैर-वेतनभोगी लोग भी हैं जिनकी विभिन्न किस्म की तथा अनेक प्रकार की आय है। मेरे विचार से उन्हें कर सीमा से बाहर नहीं जाने दिया जाना चाहिए। क्योंकि एक बार उनके कर सीमा से बाहर चले जाने पर, एक बार आयकर विभाग के रिकार्ड से बाहर जाने पर उनकी स्थायी लेखा संख्या नहीं रहेगी, और फिर बाद में उनकी आय में वृद्धि होने पर भी उन्हें कर सीमा में लाना कठिन है। यही वजह है कि मुझे इन लोगों को, 20 अथवा 30 लाख लोगों को कर सीमा से बाहर जाने की अनुमति दिये बिना उनको कर सीमा में रखना है हालांकि मैं इस तर्क को स्वीकार करता हूं कि वेतन भोगी लोगों को 60,000 रुपये तक की कर राहत प्रदान की जानी चाहिए। यह प्रारम्भिक वक्तव्य है जो मैं देना चाहता हूं।

महोदय, अब मैं प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष करों से संबंधित खण्डों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर आता हूं। पहले प्रत्यक्ष कर।

विधेयक के खण्ड 11 में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जो मूल्य ह्रास से संबंधित है। सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान, कई माननीय सदस्यों ने अपनी यह आशंका व्यक्त की है कि अनावशोषित मूल्य ह्रास को विस्तारित करने की अवधि को 8 वर्षों तक सीमित रखने के प्रस्तावित संशोधन से उद्योग के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी तरह की आशंकाएं कई बजट पश्चात के ज्ञापनों में उठायी गई हैं। मैं इन डरों को दूर करना चाहता हूँ। प्रस्तावित संशोधन भविष्य प्रभावी है, क्योंकि इसमें 1 अप्रैल, 1997 को आगे लाया गया अनावशोषित संचित मूल्य ह्रास उस पर निर्धारण वर्ष 1997-98 के लिए और आगे के 7 कर निर्धारण वर्षों के लिए किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत कर योग्य कारोबार लाभ अथवा हानि से समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, प्रस्तावित परिवर्तन का केवल 8 वर्षों के पश्चात प्रभाव होगा और उद्योग पर इसके संभावित तुरन्त प्रभाव से चिन्तित होने का कोई कारण नहीं है। मेरे विचार से 8 वर्ष का समय नये विधान के साथ समायोजित होने और तदनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान करने के लिए पर्याप्त लम्बा समय है। कई माननीय सदस्यों ने मुझे बताया है कि प्रस्तावित संशोधन का रुग्ण कम्पनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह संभव है कि किसी कम्पनी को रुग्ण घोषित किया जाये लेकिन दिये गये समय में, जबकि यह पुनर्वास योजना के अंतर्गत है, इसका खाता लाभ हो सकता है। मैं उनके सुझावों को स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं, यह प्रावधान करने का प्रस्ताव करता हूं कि अनावशोषित मूल्य ह्रास के मामले में 8 वर्षों की समय सीमा उस समय के दौरान रुग्ण कम्पनियों पर लागू नहीं होगी जिसके दौरान उक्त कम्पनी को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत रुग्ण कम्पनी घोषित किया गया है।

मैं आगे यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह स्पष्ट करने के लिए कि उस वर्ष के लिए मूल्य ह्रास को कर निर्धारिति द्वारा किये गये किसी कारोबार के लाभ से ही नहीं बल्कि किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय से भी समायोजित किया जा सकता है जैसा कि समायोजना अथवा कारोबार हानि के मामले में किया जाता है। खण्ड 11 में प्रारूप संशोधन किया जाए। श्री सुरेश प्रभु को प्रसन्न होना चाहिए।

विधेयक के खण्ड 14 में अन्य बातों के साथ-साथ आयकर अधिनियम की धारा 36 में 'लम्बी अवधि के वित्त' का अभिप्राय किसी भी ऋण अथवा अग्रिम राशि लगाने के लिए जहां धन का ऋण अथवा अग्रिम जिन शर्तों के अंतर्गत दिया गया है उनके 7 वर्षों से अनधिक अवधि के दौरान ब्याज सहित भुगतान करने का प्रावधान किया जाये, करने के लिए पुन: परिभाषित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव हैं। वित्तीय संस्थाओं से इस संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है कि रुग्ण वर्ष का समय अपेक्षाकृत लम्बा है और इसे कम किया जाना चाहिए। इस मामले पर विचार करने के पश्चात, मैं उक्त अवधि को कम करके पांच वर्ष करने का प्रस्ताव करता हूं।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने विधेयक के खण्ड 16 के माध्यम से बिक्री और पट्टा लेन देन के संबंध में आयकर अधिनियम की धारा 43 में एक नई व्याख्या का समावेश किया था जिसका पट्टा देने वाली कम्पनियों द्वारा व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया गया था और जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की काफी हानि हुई।

तथापि मुझे यह बताया गया है कि यहां तक कि प्रस्तावित संशोधन को भी उसी परिसम्पत्ति की उत्तरोत्तर बिक्रियों के द्वारा मात दी जा सकती है और इस तरह संशोधन का उद्देश्य ही समाप्त किया जा सकता है। अतः ऐसा करने के किसी प्रयास को रोकने के उद्देश्य से उपरोक्त स्पष्टीकरण में एक परिवर्तन इस आशय से प्रस्तावित किया जा रहा है कि परिसम्पत्ति की उत्तरोत्तर बिक्री के मामले में भी मूल बिक्री करने वाले की पुस्तकों में लिखित मूल्य को पट्टे पर देने वाले की लागत के रूप में किया जायेगा।

मैं विधेयक के खण्ड 17 में भी संशोधन का प्रस्ताव करता हूं जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 43ख के उपबंधों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। यह इस शक को दूर करने के लिए आवश्यक है कि उन मामलों में जहां बैंक ब्याज का पहले दावा किया गया है और बकाया आधार पर उसकी अनुमति दी गई है, ऐसे ब्याज की नकद आधार पर दूसरी बार अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। मैं यह भी प्रस्ताव कर रहा हूँ कि धारा 43ख के उपबन्धों में प्रस्तावित संशोधनों द्वारा बैंकों के आवधिक ऋणों पर ही ब्याज को शामिल किया जायेगा।

अपराह्न 3.41 बजे

(श्री पी.एम. सईद पीठासीन हुए)

विधेयक के खंड 19 में आयकर अधिनियम में एक नई धारा 54(ङ) के जोड़ने का प्रस्ताव है जिसमें दीर्घावधि पूंजी आस्तियों के अन्तरण से प्राप्त पूंजीगत लाभ में छूट देने का प्रावधान है बशर्ते कि शुद्ध राशि को किसी बांड अथवा ऋण पत्र में निवेश किया गया हो और इसके लिए सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी की गई हो। बजट पर वाद-विवाद का उत्तर देते हुए, मैने यह घोषणा की थी कि म्युचवल फण्डस की यूनिटों को भी परिसम्पत्तियों में सम्मिलित किया जायेगा जिसमें पूंजी लाभ कर से छूट प्राप्त करने के लिए एक करदाता निवेश कर सके।

इस निर्णय को लागू करने के लिए, मैं विधेयक के खण्ड 19 में संशोधन का प्रस्ताव करता हूँ।

विधेयक के खण्ड 32 के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 88 में संशोधन करने का प्रस्ताव था और उन मामलों के लिए जहां निवेश किसी सरकारी कम्पनी के किसी पात्र पूंजी निर्गम में जारी किये गये इक्विटी शेयर अथवा डिबेंचरस में किया गया है। 60000 रुपये की सीमा को बढ़ाकर 70,000 रुपये कर दिया गया था। पूंजी के पात्र निर्गम का अर्थ एक सरकारी कम्पनी के निर्गम से है जहां निर्गम पूर्णतया अवसंरचना सुविधाओं के विकास, रख रखाव और कार्य-संचालन के लिए अथवा विद्युत सृजन और वितरण के लिए था। मुझे यह भी सुझाव दिया गया है कि अवसंरचना अथवा विद्युत क्षेत्र के लिए किसी भी म्युचवल फंड की यूनिट धारा 88 के प्रयोजनों हेतु भुगतान के लिए अर्हर होनी चाहिए। मैंने इस सुझाव को स्वीकार किया है और इसलिए मैं एक उपयुक्त सुझाव करने का प्रस्ताव करता हूं।

'मेट' के संबंध में प्रस्ताव पर श्रमिक संगठनों, कम्पनियों और उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह मामला कई माननीय सदस्यों द्वारा भी उठाया गया है।

वर्षों के दौरान आयकर अधिनियम में कई उपबन्ध जोड़े गये हैं जो रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। इन रियायतों और कटौतियों को कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संविधि में शामिल किया गया है जिनको वांछनीय सामाजिक और आर्थिक उद्देश्य समझा गया था। कानून को लागू करने में जटिलताओं को बढ़ाने के अतिरिक्त, इन रियायतों ने राजस्व जुटाने की सरकार की क्षमता में भी कमी की है।

इसमें संदेह नहीं कि कम्पनियां अपने मामले इस ढंग से नियोजित करती हैं ताकि न्यूनतम कर राशि प्रदान की जाये। जबकि हम इसकी निन्दा न भी करें, लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां, जो कोई कर नहीं देती, अपने शेयरधारकों को अच्छे लाभांश दे रही हैं। हाल ही में, शून्य-कर कम्पनियों और बहुत कम कर देने वाली कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हुई है। कई अध्ययन किये गये हैं। आयकर विशेष अन्वेषण निदेशालय नई दिल्ली द्वारा 1995 में किये गये एक अध्ययन से पता लगा हैं कि 217 कम्पनियों में से, जिन्होंने कर निर्धारण वर्ष 1991-92 से 1993-94 अर्थात तीन वर्षों के लिए 5813 करोड़ रुपये के अच्छे लाभ दर्शाये, लाभ के रूप में कोई निगम कर नहीं दिया गया अथवा कर-निर्धारित कर योग्य आय की गणना शून्य की गई। तथापि, 5813 करोड़ रुपये के बड़े लाभ में से इनमें से कई कम्पनियों ने विभिन्न दरों पर लाभांश की घोषणा की थी।

द सैन्टर फार मानीटरिंग द इंडियन इकानोमी जिसके पास लगभग 4000 कम्पनियों का निगमित आंकड़ा आधार है, ने नवम्बर, 1995 के अपने पत्र में निम्नलिखित आंकड़े प्रकाशित किये।

इससे पता लगता है कि वर्ष 1991-92 से 1994-95 में अर्थात चार वर्षों में 1937 से 3458 कम्पनियों के नमूने आकारों

में से, लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियां 1711 से 2763 थी। कर पूर्व लाभ 1991-92 में 18537 करोड़ रुपये थे, 1992-93 में 23846 करोड़ रुपये, वर्ष 1993-94 में 33464 करोड़ रुपये और 1994-95 में 30664 करोड़ रुपये थे। इनमें से प्रत्येक वर्ष में किया गया कर प्रावधान के परिणामस्वरूप वर्ष 1991-92 में प्रभावी कर 24 प्रतिशत, वर्ष 1992-93 में केवल 19.2 प्रतिशत, वर्ष 1993-94 में 15.9 प्रतिशत और वर्ष 1994-95 में 14.9 प्रतिशत था। आंकड़ों से प्रथम दृष्टया यह पता लगता है कि जबकि निगमित क्षेत्र में लाभ में काफी वृद्धि हुई है, नमूना कम्पनियों के लिए कर की प्रभावी दरों में कमी आयी है। सी एम आई ई रिपोर्ट में यह भी टिप्पणी की गई है कि निगमित क्षेत्र में कर प्रभाव क्षेत्र में निरन्तर कमी आयी है। रिपोर्ट के अनुसार 10 प्रतिशत कम्पनियां कर पूर्व लाभ का 5 प्रतिशत से कम कर देती थी।

1994-95 में सर्वेक्षण की गई 1730 कंपनियों में से 790 कंपनियों ने कोई भी कर नहीं अदा किया था। ये सभी लाभ देने वाली कंपनियां थी। आयकर उपायुक्त मुम्बई द्वारा किये गये अध्ययन में सर्वेक्षण की गई 3934 कंपनियों से उन्होंने पाया कि 2865 कंपनियां लाभ कमा रही थी लेकिन 2865 कंपनियों में से 1709 कंपनियों ने कोई कर नहीं दिया या केवल आंशिक कर दिया।

इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि 'मेट' न्यायोचित कर की मात्रा है। इससे कुछ कर अदा करने की आवश्यकता होगी लेकिन वह कर किताबी लाभ है। एक कंपनी कैसे अपना खाता लाभ निकालती है वह पूर्ण तौर पर कंपनी पर छोड़ा गया है। यदि इसकी किताबों में अधिक मूल्यह्रास दर्शाया गया है, तो यह कम खाता लाभ दर्शायेगी तथा आयकर अधिनियम में दर्शाए गए लाभ के अनुसरण में न्यूनाधिक लाभ दिखाएगी। लेकिन यदि कोई कंपनी और इसके शेयरधारी और आम सभा कम से कम मूल्यह्रास दिखाती है तथा लाभांश देने के उद्देश्य से अधिक खाता लाभ की घोषणा करती है, मेरे विचार से केवल राज्य को कर का उचित हिस्सा मिलेगा तथा कर का वह हिस्सा 12.9 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा जोकि उस प्रभावी कर दर से कम है, जो मैंने पिछले चार वर्षों में अध्ययन किये गये सर्वेक्षण में पाया। मैं केवल आशा करता हूं कि इससे मेरे कुछ मित्रों को 'मेट' की दर में बढ़ोतरी की मांग को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं किसी भी कीमत पर 'मेट' दर बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं करता हूं। **(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : 12.9 ...**(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: यह 12 जमा अतिरिक्त कर। यह वास्तव में 12 है। **(व्यवधान)**

डा. देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): कंपनी अधिनियम में कम मूल्यह्रास का प्रावधान है तथा इसलिए नई कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अवमूल्यन का अनुसरण करती हैं, उनको अधिक खाता लाभ दिखाना होगा जिस पर 30 प्रतिशत कर दिये गये हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं आपका तर्क जानता हूं। मैंने आपका तर्क मान लिया है।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

श्री पी. चिदम्बरम: हम बाद में इस पर चर्चा करेंगे।

महोदय इसके बावजूद यह तर्क दिया गया है कि यदि राज्य द्वारा ये राजस्व एकत्रित नहीं किये जाते, इससे अधिक विकास, अधिक नौकरियां, अधिक उत्पाद शुल्क, अधिक सीमा शुल्क आएगा। लेकिन मैं इस तर्क को मानता हूं। लेकिन यदि यह तर्क ठीक है, कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि एकत्रित न किये गए करों को कहीं और लगाया जायेगा तथा उससे विकास, नौकरियां, उत्पाद शुल्क और बिक्री कर में बढ़ोत्तर होगी। तब सिद्धांत रूप से राज्य को कोई कर नहीं लेना चाहिए। लेकिन जैसे यह निवेश किया गया पैसा विकास और अन्य करों को बढ़ावा देगा, कृपया यह याद रखिये कि राज्य भी कई सेवाएं प्रदान करने को बाध्य हैं जिनके लिए कोई कर नहीं है।

राज्य न्यायपालिका की स्थापना करता है और न्याय देता है। राज्य का नीति तंत्र है और वह कानून और व्यवस्था लागू करता है। राज्य की स्थाई सेना है तथा वह देश को सुरक्षा प्रदान करता है। राज्य को बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करनी होती है। अत: कर एकत्र किये जाने होंगे। अत: तर्क यह नहीं है कि कर के इस्तेमाल का कौन सा अधिक प्रभावी तरीका है। यदि मैं यह भी मान लूं कि नागरिकों के हाथ में पैसा अधिक प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा बजाए कि वित्त मंत्री के तो इस तर्क का अभिप्राय है कि किसी भी कीमत पर कोई कर नहीं लिया जाना चाहिए। मैं नहीं मानता कि यह तर्क ठीक है। मैं केवल यह कह रहा हूं कि जब तक हम आयकर अधिनियम को न देखें—जो कि इस समय हम देख रहे हैं—और जब तक हमारे पास नया आयकर कानून न हो, जिसमें इन 158 या अधिक को छूट को समाप्त किया गया है तथा हमारे आय कर कानून में समझदारी और स्पष्टता लाएं, जो कंपनियां लाभ कमाती हैं और लाभांश की घोषणा करती हैं जैसे कि उनसे आशा की जाती है, उनको राज्य को कुछ कर देना चाहिए तथा इसलिए मैं बहुत विनम्र निवेदन करता हूं कि 'मेट' न्यायोचित कर है और मैं इस सभा से सरकार और अपने को 'मेट' के अतिरिक्त कर का समर्थन देने का अनुरोध करता हूं।

हालांकि मुझे यह बताया गया कि दो मामलों में 'मेट' के विपरीत परिणाम हो सकते हैं। उन दो मामलों को मैं 'मेट' से छूट का प्रस्ताव करता हूं। प्रथमतया मैं आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची में वर्णित औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थित औद्योगिक उपक्रमों के लाभों को 'मेट' के क्षेत्राधिकार से निकालने का ऐसी अवधि के लिए प्रस्ताव करता हूं जिसमें ये एकक आयकर अधिनियम की आठवीं अनुसूची के साथ पठित खंड 80 1ए के अंतर्गत 100 प्रतिशत छूट का दावा करने के हकदार हैं। इसमें वे सभी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा कुछ अन्य राज्य और संघ शासित क्षेत्र आएंगे जोकि आयकर अधिनियम की आठवीं सूची में वर्णित किये गये हैं। जब औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को अधिसूचित किया जाएगा, तो उन्हें भी 'मेट' के क्षेत्राधिकार से निकाल दिया जायेगा।

मैं रुग्ण उद्योग (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनी मानी गई कंपनी को उस अवधि के दौरान 'मेट' के क्षेत्राधिकार से रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के लाभ को अलग रखने का भी प्रस्ताव करता हूं। यह तर्क कि मैंने इन्हें आठ वर्ष तक असम्मिलित मूल्यह्रास नियम से छूट देने के लिए आवेदन किया है, वह इस मामले पर भी लागू होगा तथा इसलिए 'मेट' रुग्ण कंपनियों पर लागू नहीं होगा।

विधेयक के खंड 35 में घरेलू कंपनियों के लिए पूंजी लाभ कर की दर को 38 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने की बात कही गई है। इस परिवर्तन के बाद सभी कंपनियों, व्यक्तियों और एच यू एफ पर उनके दीर्घावधि पूंजी लाभ पर 20 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। तथापि, भागीदारी वाली फर्में और व्यक्तियों की एसोसिएशनों पर अभी भी 30 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। इस दिशा में एकरुपता लाने की दृष्टि से तथा भागीदारी फर्मों के विरुद्ध भेदभाव दूर करने के लिए मैं उनके मामले में भी कर की दर को 20 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं।

मैं विधेयक द्वारा शामिल न किये गये उपबंधों में भी कुछ परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूं। सबसे पहला आयकर अधिनियम के खंड 40 के उपखंड (3) से संबंधित है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकनकर्ता द्वारा व्यय किये गये धन को अलग करने की बात है, जिसके संबंध में 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान नकद के रूप में किया जाता है। कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि 10,000 रुपये की वर्तमान सीमा बहुत कम है तथा इसमें संशोधन की आवश्यकता है। यह उल्लेख किया गया है कि यह सीमा 1987 में निर्धारित की गई थी तथा इससे बहुत सी परेशानियां होती हैं। विशेषकर ट्रांसपोर्टर ठेकेदारों को, सिविल ठेकेदारों को और ऐसे व्यापार में मूल्यांकनकर्त्ताओं को काम की आवश्यकता को देखते हुए अदायगी नकदी में की जानी होती है। उदाहरण के लिए डिलीवरी लॉरी के मामले में एक बात मेरे ध्यान में लाई गई है, मान लो 8 बजे माल की डिलीवरी होती है, रात में या आधी रात में छोटे शहर में अथवा शुक्रवार शाम को उनको उस माल के लिए लारी किराया नहीं दिया जा सकता है, जोकि मान लो फिरोज़ाबाद अथवा पानीपत अथवा इच्छल करांची से आ रहा है, क्योंकि यदि आप नकद भुगतान करते हैं तो इसे छूट नहीं दी जाएगी। मामले पर विचार करने के बाद तथा उनके अभ्यावेदनों में कुछ योग्यता पाने के बाद मैं इस सीमा को उचित तौर पर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने का प्रस्ताव करता हूं।

दूसरा परिवर्तन मेरी पिछले सप्ताह की गई घोषणा के अनुकरण में है। आयकर अधिनियम की धारा 80 एल में सरकारी प्रतिभूतियों, राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट, बैंकिंग कंपनियों के पास जमा, भारतीय कंपनियों से लाभांश, म्यूच्युल फंड के यूनिटों से आय आदि पर ब्याज से हुई आय के संबंध में एक व्यक्ति या एल यू एफ की कुल आय में कमी का प्रावधान है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि धारा 80एल के अंतर्गत सीमा को 15,000 तक बढ़ाया जाए और इसमें से 3,000 रुपये भारतीय कंपनी से प्राप्त लाभांश से होने वाली आय या यू टी आई समेत म्यूच्यूल फंड के यूनिट प्राप्त होने वाली आय को आय के रूप में स्वीकृति दी जाए।

वित्त विधेयक के खंड 54 में उन वाणिज्यिक भवनों पर सम्पत्ति कर के अंतर्गत कर लगाना है, जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं है। मेरे ध्यान में यह बात लाई गई है कि व्यवसाय की आवश्यक सामग्री रूपी वाणिज्यिक भवन भी इस संशोधन से प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि मेरी मंशा व्यवसाय की आवश्यक सामग्री को प्रभावित करने की नहीं थी, मैं इस मांग को उचित समझता हूं और इसलिए व्यवसाय की आवश्यक सामग्री रूपी भवनों को कर लगाने से अलग करने का प्रस्ताव करता हूं।

महोदय, अब मैं उन परिवर्तनों की बात करुंगा जो मैं अप्रत्यक्ष करों के बारे में चाहता हूँ।

अप्रत्यक्ष करों संबंधी मेरे बजट प्रस्तावों में मैंने कई परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा था। ये प्रस्ताव पर ढांचे के सरलीकरण तथा प्रक्रिया को मजबूत बनाने से संबंधित है ताकि ईमानदार करदाता की मदद हो सके और अनुपालन लागत कम हो तथा करों की चोरी रोकी जा सके।

बजट प्रस्तावों का व्यापार और उद्योग के सभी वर्ग के लोगों द्वारा व्यापक स्तर पर स्वागत किया गया है। कई माननीय सदस्यों ने भी उत्साहवर्धक समर्थन दिया है। तथापि मुझे कई माननीय

सदस्यों से बड़ी संख्या में अनुमोदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने उद्योग के समग्र हित में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है। मैं उनके बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका आभारी हूं।

महोदय, अब देश में एक आम सहमति है कि हमारा उत्पाद और सीमा-शुल्क ढांचा इस प्रकार का होना चाहिये कि उसमें व्यापक आधार पर संयत दर पर कर लगाये जायें तथा हमारी उत्पाद और सीमा-शुल्क प्रक्रिया पारदर्शी और आसान होनी चाहिए। इसके साथ-साथ हमें अपने कर तंत्र को लागत कम करने वाला और अपने उद्योग को और स्पर्धी बनाने वाला बनाना चाहिए। तदनुसार, मैंने अपने बजट भाषण में इस बात का उल्लेख किया था कि एक या दो वर्ष में हमें कई उत्पाद शुल्क दरों को और कम करना है। इसके साथ-साथ, हमारा कर ढांचा इस प्रकार का होना चाहिये कि उसमें जरूरत वाले क्षेत्रों को करों में आवश्यक राहत प्रदान की जाये।

मैंने कई माननीय सदस्यों द्वारा तथा व्यापार और उद्योग द्वारा भी दिये गये सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है। मैं यह मानता हूं कि कुछ मामलों में कर दरों में समायोजन करने की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि बजट प्रस्तावों में ऐसे कागज और गत्ते पर, जो ऐसी लुगदी से बने हो जिसमें कम से कम पचास प्रतिशत गैर परम्परागत सामग्री हो, एक समान दर से 10 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाने की व्यवस्था से कई लघु कागज मिलों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। यह कहा गया है कि ऐसी लघु कागज मिलें हैं जिनको अभी भी कुछ और समय के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, अन्यथा वे बन्द किये जाने की स्थिति में आ जायेंगे। इसलिए मैं कागज और गत्ते के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले गैर-परम्परागत कच्चे माल पर उत्पादन शुल्क में रियायत की योजना में संशोधन करने तथा शुल्क ढांचे को पहले जैसा अत्यन्त जटिल बनाये रखने की बजाय इसे आसान बनाने का प्रस्ताव करता हूं। **(व्यवधान)**

मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अपनी चर्चा में अब इसका जिक्र कर सकते हैं। मैं केवल तथ्य बता रहा हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे कागज और गत्ते पर, जो ऐसी लुगदी से तैयार किये जाते हैं जिसमें 75 प्रतिशत गैर-परम्परागत कच्चे माल कम से कम होता है, पर 10 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगेगा। मुझे बताया गया है कि 300 से अधिक कागज मिलें, अर्थात् अधिकांश मिलें इस श्रेणी में आएंगी। तथापि छोटी कागज मिलों को अधिक स्पर्धी बनाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष में 10,000 टन तक की पहली क्लीयरेंस पर पांच प्रतिशत रियायती दर लागू होंगी। छोटी कागज मिलें अब लगभग अपना सम्पूर्ण उत्पादन पांच प्रतिशत की कम दर पर क्लीयर कर सकती हैं। मुझे विश्वास है कि इस समय प्रस्तावित कर ढांचा छोटी पेपर मिलों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा तथा अधिक मात्रा में गैर-परंपरागत कच्चे माल के इस्तेमाल को प्रोत्साहन देगा।

मैं कुछ वाजिब मामलों में उत्पाद शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूं जिन्हें कई माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लाये हैं। इसके बाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के शीर्ष 82.15 के अंतर्गत आने वाले चम्मच, कांटे, करछी आदि वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से छूट दी जाएगी। **(व्यवधान)** इसी प्रकार सिवैयों पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जायेगा।

अपराह्न 4.00 बजे

अवशोषक काटन वूल, गैर-अवशोषक काटन वूल, गेज, पट्टियों तथा चिकित्सा उपयोग की इसी प्रकार की वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जायेगा यदि उन्हें बिना किसी ब्राण्ड नाम के बाजार में बेचा जाता है। मैं बिना बिजली की सहायता से बनने वाले बरोजे को भी उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। इन्हें उत्पाद शुल्क से पूर्ण तौर पर छूट होगी।

महोदय, नारियल जटा उद्योग उत्पाद उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं। हमें इसके उत्पादन को रोजगार के अवसरों वाले घरेलू उद्योग में भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। मैं केरल गया हूं तथा मैंने देखा है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं तथा केरल में इसकी कुछ विनिर्माण प्रक्रियाओं में मशीनों का उपयोग करने के जो प्रयास किये जा रहे हैं, उससे उनको आगे चलकर कम मेहनत करनी पड़ेगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने नारियल जटा प्रसंस्करण मशीन को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का निर्णय लिया है।

अब से प्लास्टिक की विद्युत-रोधी तार पर मेरे बजट में प्रस्तावित 20 प्रतिशत की दर की बजाय 15 प्रतिशत की कम दर पर उत्पाद शुल्क लगेगा।

पुरानी ऊन से बने तागे पर पांच प्रतिशत की कम दर पर उत्पाद शुल्क है। मैं पुराने सिंथेटिक से बने तागे पर भी 10 गांठों तक इसी प्रकार की छूट का प्रस्ताव करता हूं। इससे शुल्क निर्धारण में भी सुविधा होगी। चूंकि अब अधिकारी को पुरानी ऊन से बने तागे तथा पुराने सिंथेटिक के तागों को अलग से पहचानने की आवश्यकता नहीं होगी, मुझे बताया गया है कि यह कार्य बहुत कठिन है तथा इससे मुकद्दमेबाजी बढ़ती है। मैं 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक की कीमत के सिंथेटिक कम्बलों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं। वे अब पूर्णत: उत्पाद शुल्क मुक्त होंगे। मुझे यह कहा गया है कि तैयार न हुए बुनाई और कढ़ाई चले वस्त्र आमतौर पर विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में बनाए जाते हैं।

जब इनको तैयार किया जाता है तो इन पर उत्पाद शुल्क जरूरी होता है। इसलिए मैं मानव निर्मित तागे से निर्मित, बुनाई और कढ़ाई वाले वस्त्रों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं सूत और मानव निर्मित तागे से तैयार किये कुछ विनिर्दिष्ट वस्त्रों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं।

मैं कैंसर निरोधी औषध 'इस्काडोर' को सीमा शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव करता हूं। मैं एड्स आदि को पहचानने वाली "चेमिलूमिनेसिन आईडन्टीटि एसिड डायग्नोस्टिक किट्स" को सीमा शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव करता हूं।

अपने बजट प्रस्तावों में मैंने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर पुर्जों पर आयात कर 20 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव किया था। मुझे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि कम्प्यूटरों पर आयात शुल्क कम करना सही दिशा में उठाया गया कदम है, कम्प्यूटर पुर्जों पर इसी दर से शुल्क लगाने से कम्प्यूटर उत्पादन में लगे विनिर्माताओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। मैंने इलेक्ट्रानिक विभाग तथा विभिन्न उद्योग के लोगों से विचार विमर्श किया है। मैं इस तर्क का औचित्य स्वीकारता हूं तथा कुछ कम्प्यूटर पुर्जों, जैसे हार्ड डिस्क ड्राईव, फ्लॉपी डिस्क ड्राईव तथा सी डी-आर ओ एम पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। मुझे इस बारे में कोई आशंका नहीं है कि कम्प्यूटर पूर्जे उद्योग तथा कम्प्यूटर उद्योग दोनों का पिछले पांच वर्षों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से विकास होगा।

अपने बजट प्रस्तावों में रेऑन ग्रेड ऊनी लुगदी पर सीमा शुल्क 25 प्रतिशत से घटा कर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था।

मुझसे यह अभ्यावेदित किया गया है कि इस तरह की तीव्र कमी से नि:सन्देह 'विसकांस' रेशे और धागे की उत्पादन लागत में कमी आएगी और यह अच्छी बात है क्योंकि हम अन्य देशों के 'वूल पल्प' प्रयोग करेंगे लेकिन इससे 'रेयन ग्रेड वूल पल्प' विनिर्माता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे जो अपने समूचे उत्पादन को निजी उपयोग हेतु आरक्षित रखने की बजाय बाजार में ले जाते हैं। अत: मैं 'रेयन ग्रेड वूल पल्प' सीमा शुल्क में इस कमी को 25 प्रतिशत से केवल 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूं।

इस्पात उद्योग क्षेत्र का एक क्रोड क्षेत्र है। माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हमारे इस्पात उद्योग ने सीमा शुल्क में धीरे-धीरे की गई कमी के साथ प्रशंसनीय रूप से सामंजस्य स्थापित कर लिया है।

मैं इस्पात पर सीमा शुल्क आमतौर पर बढ़ाना नहीं चाहता। तथापि, इस्पात विभाग तथा विशिष्ट इस्पात मिलों से परामर्श करने के बाद मैं 'स्टेनलैस स्टील स्लैब्स' को छोड़कर प्राथमिक किस्म के इस्पात पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत करना चाहता हूं। इन दो कदमों से इन एककों को ब्लूम, बिलेट्स इत्यादि के उत्पादन के लिए उचित दरों पर स्टेनलैस स्टील स्क्रैप का आयात करने में मदद मिलेगी तथा उनके ऐसी अर्धनिर्मित वस्तुओं के आयात में काफी कमी हो जायेगी।

मैंने कुछ और क्षेत्रों में सीमा शुल्क में समायोजन किया है। मैंने मेथनोल पर शुल्क 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करने, एपिक्लोरोहाइड्रिन पर 40 प्रतिशत से 30 प्रतिशत करने और डी.बी.एम. पर 50 प्रतिशत से कम करके 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। ये उपभोक्ता उद्योग की मांगों के अनुकूल हैं।

मैंने अपने बजट प्रस्तावों में बाल अथवा रोलर बीयरिंग के संबंध में सीमा शुल्क ढांचे को संशोधित किया था। तथापि, मुझे विनिर्माताओं तथा व्यापारियों से भी अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं। मैंने उनके दृष्टिकोणों पर सम्पूर्णता से विचार किया हैं। अब से 60 एम.एम. बोर डायामीटर तक की बाल अथवा रोलर बीयरिंग पर प्रति किग्रा 10 प्रतिशत सीमा शुल्क के साथ 150 रु. प्रभार देने होंगे। 60 एम एम से अधिक की बोर डायामीटर वाली बाल अथवा रोलर बीयरिंग पर प्रति किग्रा. 10 प्रतिशत सीमा शुल्क के साथ 80 रु. प्रभार देने होंगे। मैंने यह भी फैसला किया है कि बाल अथवा रोलर बीयरिंग के पुर्जों पर भी शुल्क उसी दर से प्रभारित होगा जोकि उसके बीयरिंग पर लागू होगा।

मैंने इलेक्ट्रानिक उद्योग के लिए कच्ची सामग्रियों और संघटकों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव किया है। मुझे जानकारी दी गई है कि देश में रंगीन पिक्चर ट्यूबों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बाहर से पर्याप्त मात्रा में पूंजी निवेश किया जा रहा है। मैं इस तथ्य को मानता हूं कि यह एक पूंजी प्रधान उद्योग है और इसके लिये अल्प काल के लिए वित्तीय सुरक्षा आवश्यक है। अत:, वर्तमान में, मैंने रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर सीमा शुल्क 30% से बढ़ाकर 35 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

'रेयन ग्रेड वूल पल्प' और रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर बढ़ाए गए सीमा शुल्क को छोड़कर अन्य सभी परिवर्तन आज से लागू हो जाएंगे। इस संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं की प्रतियां बाद में सभा पटल पर रख दी जायेंगी। 'रेयन ग्रेड वूल पल्प' और रंगीन पिक्चर ट्यूबों पर सीमा-शुल्क की वृद्धि इस वित्त विधेयक को अधिनियमित किये जाने की तारीख से प्रभावी होंगी।

सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क के संबंध में उपरोक्त प्रस्तावित परिवर्तनों से राजस्व को एक साल में सीमा शुल्क में 31 करोड़ रु. की तथा उत्पादन शुल्क की मद में 63 करोड़ रु. की निवल

हानि होगी। लेकिन मझे विश्वास है कि कुल राजस्व में जो वृद्धि होगी उससे इस मामूली हानि की भरपाई कर ली जायेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त (सं. 2) विधेयक, 1996 को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इसे अपना पूरा समर्थन दें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि वित्तीय वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्रीय सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी रूप देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।''

श्री एस. बंगरप्पा (शिमोगा): महोदय, मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: श्री बंगरप्पा, यह वाद-विवाद की शुरूआत है। आप वाद-विवाद में बोल सकते हैं।

सभापति महोदय: सामान्य चर्चा के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया जाता है। आप उस समय बोल सकते हैं।

श्री एस. बंगरप्पा: मैं चाहता हूं कि आप एक मुद्दे पर टिप्पणी करें।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं कैसे टिप्पणी कर सकता हूं। अंत में, उत्तर दिया जायेगा।

सभापति महोदय: मंत्री जी वाद-विवाद के बाद उत्तर देंगे।

श्री जी.एम. बनातवाला (पून्नानी) : महोदय, क्या सामान्य वाद-विवाद के लिए आवंटित किया गया समय सात घंटे है?

सभापति महोदय: कुल समय 10 घंटे का है और सामान्य चर्चा के लिए सात घंटे का समय आवंटित किया गया है।

श्री जी.एम. बनातवाला: महोदय, मेरा कहना यह है कि ये सात घंटे माननीय मंत्री जी द्वारा लिये गये समय को निकालकर होने चाहिए... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आइए वाद-विवाद शुरू करें। श्री जसवंत सिंह अब आप बोलिए।

श्री जसवन्त सिंह : मैं भली भांति जानता हूं कि वित्त विधेयक उस वित्तीय कार्य के सबसे अंत में आता है जो कि सरकार बजट प्रस्तुत करने और इसे संसद में पारित करने में करती है। अत: मुझे उस थकान का पूरा पूरा अहसास है जोकि वित्त विधेयक को सभा में विचार-विमर्श के चरण तक लाने तक हो जाती है।

महोदय, मुझे इस बात का भी अहसास है कि माननीय वित्त मंत्री को किस प्रकार संसद के दोनों सदनों में बजट को पारित करवाने के दौरान किस प्रकार विस्तृत वाद-विवाद का सामना करना पड़ा है। अतः मुझे जो कुछ कहना है, मैं इन बातों को ध्यान में रखकर कहूंगा।

मुझे प्रारंभ में ही माननीय वित्त मंत्री का इस बात के लिए धन्यवाद करना है कि बजट प्रस्तुत करते हुए उन्होंने उदारतापूर्वक मार्बल उद्योग की समस्याओं को माना है तथा यह सुझाव दिया है कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष दल गठित किया जाए कि क्या वे लघु उद्योग को मिलने वाले लाभों के पात्र हैं या नहीं और उनके रास्ते में क्या बाधाएं हैं। घरेलू मामले के निपटान हेतु क्या मैं उनसे अफीम की खेती करने वालों के मामले पर भी इसी प्रकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं? यह पूर्णतः घरेलू मामला है।

महोदय, मैं मानता हूं कि वित्त विधेयक एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से सरकार के बजट प्रस्तावों की सम्पूर्ण पद्धति अस्तित्व में आती है। इसलिए मैं कराधान की दरों या कितनी दर होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए, के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी विभिन्न मंचों और विभिन्न स्तरों पर चर्चा की जा सकती है।

लेकिन मैं माननीय वित्त मंत्री की कराधान विचारधारा के बारे में कहना चाहूंगा। उन्होंने सुझाव दिया है कि—यदि मुझे ठीक से याद हो—यह कम हो, सरल होना चाहिए और इसका कड़ाई से अनुपालन हो। चौथी बात यह की उन्होंने करदाताओं के बारे में सुझाव दिया है, मैं इसे ठीक प्रकार से अथवा पूर्णतः नहीं समझ पाया हूं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से केवल दो या तीन प्रश्न करता हूं। इस्तेमाल की गई शब्दावली में अन्तविरोध है। यह केवल एक अकादमिक मामला नहीं है क्योंकि शब्दों का अकेले कोई अर्थ नहीं होता है बल्कि उनका अपना भी कोई अस्तित्व होता है। हम 'टैक्स नेट' शब्द का इस्तेमाल करने के आदी हैं क्योंकि शब्दों का अपना जीवन है। एक तरफ वे सुझाव देते हैं कि वे 'टैक्स नेट' रखना चाहते हैं—'नेट' शब्द का अर्थ पकड़ने से है—दूसरी ओर वे कहते हैं कि उनका कराधान का अभिप्राय उस तरीके से कर लेना है जैसे कि एक मक्खी फूल से शहद इकट्ठा करती है। इन दो उक्तियों में पर्याप्त प्रतिकूलता है। महोदय, मुझे आशा है, केन्द्रीय वित्त मंत्री जैसी सूझबूझ और दक्षता वाला व्यक्ति यह देखेगा कि मैं क्या समझ रहा हूं।

मुझे यह आशा है कि किसी देश और विशेषकर हमारे देश की कर प्रणाली शिष्ट होनी चाहिए। जब यह शिष्ट प्रणाली होगी तो यह इस आशंका से प्रारम्भ नहीं हो सकती कि प्रणाली एक

जाल है जिसमें हम असावधान या उदण्ड व्यक्तियों को पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं।

कराधान प्रणाली सरल होनी चाहिए लेकिन इसे न्यायपूर्ण भी होना चाहिए। महोदय, मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जो विद्यमान प्रणाली हम पर लागू है वह ठीक है। यह वास्तव में एक साम्राज्यवादी विरासत है। हमने इसके मूल अभिप्राय को नहीं बदला है। यह अच्छी प्रणाली नहीं है। महोदय, मुझे विश्वास है कि इसे समझना और लागू करना आसान होगा। सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री प्रभु से वित्त विधेयक की एक प्रति देने का आग्रह करता हूं क्योंकि मेरे पास इसकी प्रति नहीं है, मैं इसे केवल सरसरी तौर पर पढूंगा। प्रश्न है कि क्या इसे समझना आसान है? यदि इसे समझना ही आसान नहीं है, तो क्या इसे लागू करना आसान होगा?

मैं वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1996 के पृष्ठ 8 पर पंक्ति 16 से पढ़ रहा हूं। इसका पाठ इस प्रकार है:

''जहां विनिर्दिष्ट बंधपत्र या डिबेंचर, उनके अर्जन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय अंतरित किये जाते हैं, या धन में (अंतरण में अन्यथा) संपरिवर्तित किये जाते हैं वहां मूल आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाली पूंजी अभिलाभ की रकम को, जो उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित ऐसे विनिर्दिष्ट बंधपत्रों या डिबेंचरों की लागत के आधार पर धारा 45 के अधीन प्रभारित नहीं की गई है, उस पूर्ववर्ष के लिए जिसमें विनिर्दिष्ट बंधपत्र या डिबेंचर अंतरित किये जाते हैं, या धन में (अंतरण से अन्यथा) संपरिवर्तित किये जाते हैं, दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के संबंध में ''पूंजी अभिलाभ'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा।''

मुझे आशंका है कि यह यहीं पर समाप्त नहीं होता क्योंकि अर्थ की दृष्टि से यह इतना आसान और पारदर्शी है, इसीलिए हमें अन्त में 4-5 व्याख्यात्मक लाइनें देनी पड़ी हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: अगर मेरी बात पर विश्वास करें कि यदि आप इसे तमिल में अनुवाद करके पढ़ें तो समझने में आसानी होगी।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, यह बात स्पष्ट नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इस बात को समझता हूं और स्वीकार करता हूं। प्रारूपण के हमारे समक्ष सैकड़ों उदाहरण हैं जो कि प्रत्येक को आश्चर्यचकित कर देंगे। हमको वर्तमान प्रारूपण की प्रणाली से बाहर निकलना होगा। यह साम्राज्यवादी परंपरा चली आ रही है। हमको वर्तमान व्यवस्था से बाहर निकलना होगा और मुझे मालूम नहीं है कि गठित की गई प्रारूपण समिति क्या सुझाव देने वाली है। परन्तु, मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह सरल अंग्रेजी में लिखें न कि इस प्रकार की अंग्रेजी लिखे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): इससे डा. पाल जैसे लोगों की आय प्रभावित होगी।

डा. देवी प्रसाद पाल : प्रारूपण समिति के लेखाओं में व्यक्तियों का जिक्र नहीं है। सिर्फ विभागीय अधिकारियों का वर्णन है।

श्री पी. चिदम्बरम: यह गलत है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरी तर्क की मान्यता को समझा है।

महोदय, मैं एक अन्य बात कहना चाहता हूं। मेरा अपना यह विश्वास है कि कर प्रणाली को स्थिर होना चाहिये। हमारी कर प्रणाली अस्थिर है इसका प्रमाण स्वयं यह वित्त विधेयक है। वर्तमान विधेयक में पूर्व जितने पृष्ठ नहीं हैं। परन्तु, इसमें भी करीब 64 पृष्ठ हैं। प्रत्येक वर्ष 60 से 100 पृष्ठों का वित्त विधेयक लाया जाता है और प्रत्येक वर्ष करीब-करीब 60 से 100 पृष्ठों वाले जटिल कानून कर प्रणाली में जोड़ दिये जाते हैं। इसलिए, प्रत्येक वर्ष सनदी लेखाकारों की संख्या में प्रगति होती रहती है और कर देने वालों की संख्या में कमी आती जाती है और उनकी परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं।

अब तक असंख्य समितियाँ नियुक्त की जा चुकी हैं। अंतिम समिति 'चैलिया समिति' थी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में अब और नई समितियाँ गठित न की जायें। उनके समक्ष सुधारों को आगे बढ़ाने के संबंध में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध हैं और मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के सभापति से अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी कर सुधार संबंधी समितियों के प्रतिवेदनों पर विचार करके एक समीक्षात्मक विवरण तैयार करें ताकि वित्त मंत्रालय को सहूलियत मिल सके। कृपया कुछ करिये। यह इतना ही आवश्यक है जितना कल था।

वर्तमान में कर संबंधी क्या-क्या मुद्दे हैं? आखरी जनगणना के अनुसार हमारे राष्ट्र की जनसंख्या 90-95 करोड़ है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने स्वयं बताया है और मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष कर के दायरे को फैलाना चाहिये। मैंने जानबूझकर ''जाल'' शब्द का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि यह कोई जाल में फंसाने का कार्य नहीं है। मैं ''फैलाना'' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मेरे विचार से 90-95 करोड़ जनसंख्या वाले राष्ट्र में 1.1 करोड़ व्यक्तियों को ही घेरे में लाना स्वीकारात्मक नहीं है।

मेरे विचार से इसका उत्तर पुराने वाद विवाद में नहीं है कि क्या कृषि पर कर लगाया जाना चाहिये अथवा नहीं लगाया जाना चाहिये। यह इसका कतई उत्तर नहीं है। दो मुद्दे हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि विश्व में शायद भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष कर का प्रसार काफी कम है। सिर्फ 9 प्रतिशत नागरिक ही प्रत्यक्ष कर देते हैं। भारत की नियति के लिये यह बिल्कुल अस्वीकारात्मक है। भारत का क्या भविष्य है? मेरे विचार से भारत की नियति विश्व के महानतम देशों में से एक बनने की है। अगर हम चाहते हैं कि भारत विश्व के महानतम देशों की श्रेणी में आ जाये तो वर्तमान प्रत्यक्ष कर प्रणाली, जिसके दायरे में सिर्फ 9% लोग ही आते हैं, को जारी नहीं रखा जा सकता। मैंने अपने एक अच्छे दोस्त, जोकि एक विख्यात बैंकर हैं, से जब इस संबंध में पूछा—क्योंकि मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ—तो उसने मुझे बताया कि वर्तमान में एक करोड़ व्यक्ति ही कर अदा करते हैं जबकि दस करोड़ लोगों को कर देना चाहिये और वे सिर्फ 6,000 रुपये ही देते हैं। अगर सभी कर देने लगे तो हमको 60,000 करोड़ रुपये राजस्व की प्राप्ति हो सकती है जो कि हमारे ऋणों पर देय वार्षिक ब्याज या हमारे वर्तमान वार्षिक ऋण जो कि करीब 58,000 करोड़ रुपये है, की सम्पूर्ण राशि के समतुल्य होगा। हमको नई सोच पैदा करनी होगी और सिर्फ इस विसंगति के बारे में नहीं सोचना चाहिये कि देश की कुल 90-95 करोड़ जनसंख्या का सिर्फ 9% हिस्सा ही प्रत्यक्ष कर देता है। इसलिये, मैं इस आसान सवाल से दूर रह रहा हूँ कि कर की दरें क्या होनी चाहिये? मैं कराधान के विस्तार के प्रश्न पर आ रहा हूँ। मेरा विश्वास है कि कर की दरें कम करने से करदाताओं की श्रेणी में विस्तार लाया जा सकता है। मेरे विचार से हमको इस संबंध में जरूर कुछ सोच-विचार करना चाहिये अगर हम वह हासिल करना चाहते हैं, जो कि मेरी समझ में हमारे देश की नियति है।

दूसरा मुद्दा दर का है। मैं निजी स्तर पर मानता हूँ कि ये विचार पुराने दकियानूसी हैं कि दरें ऊँची रखने से अधिक राजस्व प्राप्तियाँ होगीं जोकि तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे दरों के संबंध पर विचार करें—जब तक कि ये बदली नहीं जाती हैं—कि हमारे देश में 11 करोड़ करदाता हैं। ... **(व्यवधान)**

दर के प्रश्न को इस संबंध में देखना चाहिये कि करदाता घर क्या ले जाते हैं। सिर्फ शैक्षिक दृष्टि से विचार करना उचित नहीं है कि 40 अच्छा है अथवा 60 बुरा है अथवा 20 होना चाहिये। अंततः सिर्फ सीमित संख्या में ही करदाता है। ये करदाता कितनी शि घर ले जाते हैं राज्य को कर अदा करने के पश्चात, जो कि राज्य अपना हिस्सा मानता है? इसके पीछे सिद्धांत अनुकम्पा का होना चाहिये न कि अनुभाजन का क्योंकि यह देखना चाहिये कि वे घर क्या ले जा रहे हैं इसलिए कि यह ही अंततः उनकी क्रय क्षमता निर्धारित करता है।

अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी के विचारार्थ एक अन्य विचार छोड़ रहा हूँ कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के बीच क्या अनुपात हो। क्योंकि यह ही देश की प्रगति का सूचकांक है। मेरे विचार से वर्तमान अनुपात उचित नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव निःसंदेह गरीबों पर ही पड़ता है। अंततः अप्रत्यक्ष करों का प्रभाव गरीबों पर ही किसी न किसी रूप में पड़ता है। अप्रत्यक्ष कर प्रणाली गरीबों पर कर डालना ही है। इसलिए, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के बीच का अनुपात देश में इस समय विद्यमान अनुपात का ठीक उलट होना चाहिए। हमारे यहां अप्रत्यक्ष करों का अनुपात अधिक है और प्रत्यक्ष करों का बहुत कम/बड़ी संख्या में नागरिकों को प्रत्यक्ष करों का भुगतान करना चाहिये। प्रत्यक्ष करों का कुल परिमाण अप्रत्यक्ष करों, जिसका लाभ अन्ततः गरीब लोगों को मिलता है, के कुल परिमाण से बहुत अधिक होना चाहिए—यह अनुपात प्रतिवर्तित किया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि यह काम एकाएक हो सकता है। परन्तु एक बेहतर वित्तीय व्यवस्था और संतुलन के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। हम बाजार की शक्तियों की बात करते हैं परन्तु देश का कम से कम एक तिहाई भाग बाजार का एक भाग भी नहीं है। इसलिए, जब हम एक सभ्य कर प्रणाली की बात करते हैं, तो हमारी अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के माध्यम से ऐसे लोगों पर कोई कर नहीं लगना चाहिए जो इस बाजार का भाग नहीं है, जो हमारे कथनानुसार, गरीबी की रेखा से नीचे हैं और यही वे लोग हैं जो एक अनुचित अप्रत्यक्ष कर ढांचे से प्रभावित होंगे।

वर्तमान वित्त विधेयक के संबंध में मेरा मतभेद है। हम मान सकते हैं कि देश में बचत दर 24 प्रतिशत अथवा 22 प्रतिशत अथवा, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा है, कि सार्वजनिक बचत दर कम है किन्तु निजी बचत दर अधिक है। मेरा मत है कि विश्व के किसी अन्य देश से भिन्न, बचत भारत की सभ्यता और संस्कृति का एक गुण है। सभी परिवार बचत करते हैं। प्रत्येक फसल की कटाई के पश्चात कृषक समुदाय के लोग बेटी के लिए छोटी चांदी की अंगूठी अथवा पत्नी के लिए कोई छोटा मोटा जेवर बनाकर, चाहे कितना ही कम हो, बचत कर ही लेते हैं। बचत करना हमारी प्रकृति में है। कर व्यवस्था से देश की बचत करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। वित्त विधेयक और बजट प्रस्तावों के संबंध में मेरा वास्तविक मतभेद यह है कि इनमें बचत को बहुत कम प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें मेरा कोई वाक्छल नहीं है। यदि हम देश में बचत को प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हमारी कठिनाइयां और बढ़ेंगी।

मैं नहीं समझता कि वित्त विधेयक का संबंध केवल राजस्व से होना चाहिए। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री जी के पास इन बातों के लिए समय नहीं है। मैं मानता हूं कि वित्त विधेयक में व्यय पर ध्यान दिया जाना चाहिये। जब तक आपको व्यय का संतुलित अनुमान नहीं है, आप राजस्व के बारे में कोई विचार नहीं बना सकते हैं। अनुदानों की मांगों अथवा समितियों द्वारा जांच की गई मदों के अलावा संसद पर होने वाले व्यय का कोई लेखा जोखा नहीं है। परन्तु इसे किसी प्रकार समाकलित करके वित्त विधेयक में अधिक स्पष्ट रूप में दर्शाया जाना है।

अब मैं मूलभूत ढांचे और कराधान के मुद्दे पर आता हूं। मैं केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा रेखांकित विभिन्न उपायों के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु मैं दो तीन पहलुओं को उजागर करुंगा। एक तो सीमा शुल्क पर दो प्रतिशत का सामान्य अधिभार है। मैं नहीं जानता कि यह अधिभार कैसे लिया जायेगा, इसे मूलभूत ढांचा प्रणाली में कैसे अंतरित किया जायेगा और यह सामान्यतः सीमा शुल्क कम करने के प्रयासों से भिन्न प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। मुझे संदेह है कि सीमा शुल्क पर दो प्रतिशत के इस अधिभार से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिन्हें वित्त मंत्री जी लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यदि वित्त मंत्री जी इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट करें तो मुझे प्रसन्नता होगी।

वित्त विधेयक, विशेषकर वित्त विधेयक पर वित्त मंत्री जी के भाषण में कर लाभों की बात कही गई है। मेरे विचार में हम यहा पर अत्यधिक मुकदमेबाजी की समस्या से ग्रस्त है। मैं नहीं समझता कि मूलभूत ढांचे की कोई मान्य परिभाषा है। मूलभूत ढांचे के अंतर्गत क्या क्या आता है? आप मूलभूत ढांचे संबंधी गतिविधियों/कम्पनियों को कर लाभ दे रहे हैं। मूलभूत ढांचा क्या है। क्या आप भौतिक मूलभूत ढांचे की बात कर रहे हैं? यदि भौतिक मूलभूत ढांचे को कर लाभ दिये जाने हैं तो सामाजिक मूलभूत ढांचे को क्यों नहीं? भाषण के दौरान मैंने पेयजल और मल-जल निकास पर कर की बात सुनी। यह भी तो मूलभूत ढांचा है। मूलभूत ढांचे की कर योग्य परिभाषा ढूंढना आसान नहीं है। ऐसा करना और उसके पश्चात मूलभूत ढांचा वास्तव में क्या है अथवा क्या नहीं है, इसके बारे में संबंधित बोर्डों से 150 स्पष्टीकरण अथवा अधिसूचनाएं आना और इस सारे मामले में अंतहीन वाद में लिप्त होना ठीक नहीं है। मैं यह मुद्दा नहीं उठाना चाहता। मैं वास्तव में इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जी की उपस्थिति में उठाना चाहता था। सम्भवतः मैं कल शून्यकाल के दौरान इसे उठाऊंगा। यह हर्बल पेट्रोल से संबंधित प्रश्न है। मैं इसे कोई और नाम नहीं दे सकता। मैं इस समय यह वित्त विधेयक पर छोड़ता हूं। मैं इसे कल के लिए रखूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुकदेव पासवान (अररिया) : कल सदन में इसी किस्म की चर्चा हुई थी।

श्री जसवन्त सिंह: यहां सदन में हुई है... **(व्यवधान)** मैं कल इसका उल्लेख करुंगा।

[अनुवाद]

मैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाऊंगा। वैसे तो यह वित्त विधेयक की परिधि में नहीं आते। मैं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, उनकी भूमिका, उनके व्यवहार, ऐसे संगठनों के प्रशासन, प्रबन्ध निदेशक तथा चेयरमैन की अनुपस्थित पर अपनी चिन्ता व्यक्त करना चाहूंगा। हम इन मुद्दों पर लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। एक के बाद एक समिति में इस मामले को उठाया गया है। आप सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं, जिनमें बैंक, बीमा कम्पनियां, यूनिट ट्रस्ट आते हैं और जिनकी गतिविधियां वास्तव में वित्त विधेयक की परिधि में नहीं आती हैं, के कार्यकरण को अलग कैसे कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि यह राज्य के करणत्व हैं। राज्य का वस्तुतः सम्पूर्ण बैंक उद्योग, समस्त बीमा उद्योग पर नियंत्रण है। 'यूनिट ट्रस्टस' इत्यादि के माध्यम से तो राज्य का वास्तव में एकाधिकार है। यदि ऐसा कदाचार चलता रहा तो राज्य के राजस्व के रूप में हमें इसका परिमाण भुगतान होगा। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से ऐसे संगठनों के प्रशासन, दुष्कार्यकरण, निजी प्रयोजनों के लिए उनका विनियोजन और इन संगठनों के कुप्रबन्धन पर अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह करूंगा। यह लोक महत्व का अत्यन्त आवश्यक विषय है और हम इस पर, चाहे वित्त विधेयक पर वाद-विवाद ही हो, जानकारी चाहते हैं।

वित्त मंत्री जी ने निगमित कर के कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये जो वास्तव में 19 प्रतिशत है। हो सकता है कि मेरा आंकड़ा गलत हो। परन्तु, वस्तुतः, निगमित कर 19 प्रतिशत पर ही ठहरता है। इस 19 प्रतिशत कर के साथ सभी प्रकार की अद्भुत छूटों का प्रावधान भी है। मुझे लगता है कि अब न केवल कम्पनी कानून में सुधार करने अपितु इस समय दी गई सभी छूटों की पुनः जांच करने का भी समय आ गया है। मैं वित्त मंत्री जी से उत्तर देते समय इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का आग्रह करूंगा क्योंकि मेरे विचार में न्यूनतम अतिरिक्त कर की अवधारणा से इसका सीधा संबंध है। मैं अभी उस बात पर आता हूं। पर मैं वित्त मंत्री जी छूटों के समूचे मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करूंगा। यदि आप समझते हैं कि निगमित कर बहुत अधिक है तो इसे कम कीजिए किन्तु सभी प्रकार की छूट देना बन्द कीजिए क्योंकि छूट देने से धन की प्राप्ति नहीं हो पाती। मैं इसको ब्रिटेन में 'केडबरी

कमेटी' की रिपोर्ट जो अब एक सामान्य उक्ति बन गयी है, से संबंधित निगमित प्रशासन के प्रश्न से जोड़ूंगा। मैं भारत के उद्यमी उत्साह को कम नहीं करना चाहता हूं। मैं भारतीय उद्यमियों जिन्होंने शून्य से आरंभ करके औद्योगिक संपदाएं स्थापित की हैं, की महान योग्यता को भी झुठलाना नहीं चाहता। परन्तु ऐसे औद्योगिक साम्राज्यों की स्थापना होने पर हम यह मानकर नहीं चल सकते कि उनमें इतना कुप्रशासन है जिससे कि शेयरधारकों अथवा राज्य अथवा देश के कानून पर प्रभाव पड़ सकता है। अत: इस समूचे मुद्दे पर विचार किया जाना चाहिए। ब्रिटेन में ऐसे ही एक अनुभव के चलते, एक 'केडबरी कनेटी' का गठन किया गया था। भारतीय उद्योग ने इस विचार को देर से ग्रहण किया और डगमगाता भारतीय उद्योग और अधिक देर से इस पुराने चैनल की ओर अग्रसर हो रहां है, मैं समझता हूं कि सरकार को इस संबंध में कदम उठाना चाहिए।

निगमित प्रशासन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से विशेषकर यह बात ध्यान में रखते हुए कि ऐसी अधिकांश सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के मनोनीत निदेशक हैं, निगमित प्रशासन के मुद्दे पर विचार करने का आग्रह करुंगा। मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति, उनका पद पर बने रहने की प्रक्रिया अर्द्ध सरकारी निकायों की तरह ही है और फिर तत्कालीन राजनीतिक प्राधिकारी द्वारा उन्हें संरक्षण भी प्राप्त होता है। देश के तथाकथित निजी क्षेत्र में सरकारी वित्तीय संस्थानों के मनोनीत निदेशकों का प्रयोजन यह नहीं है। उदाहरणार्थ, मैं किसी कंपनी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि यह उचित नहीं होगा। किंतु मेरे विचार में ऐसा कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना नहीं है जो सरकारी वित्तीय संस्थानों का प्रमुख कर्जदार न हो।

इसलिए, ये मनोनीत निदेशक सरकार, ऋणदाता संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। क्या ये सभी मनोनीत निदेशक वह कार्य करते हैं जो उन्हें करना चाहिए? इस मामले में मुझे दोबारा कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं इस बारे में कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। किंतु यदि अब आपको व्यावसायिक रूप से प्रबंधन वाली कंपनियों को चलाने में कठिनाइयां हो रही हैं तो तब आप किस बात के लिए प्रसिद्ध थे, और यदि आज इन व्यावसायिक रूप से प्रबंधन वाली कंपनियों पर भी सभी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, तो जब यह सब कुछ हो रहा था उस समय ये मनोनीत निदेशक क्या कर रहे हैं। मेरा माननीय वित्त मंत्री से निवेदन है कि वे इस विषय पर अपने विचारों से हमें अवगत करायें।

वित्त विधेयक की असंगतताओं और विसंगतियों पर बोलने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री से एक बात कहना चाहता हूँ। अर्थव्यवस्था को आप जितना अधिक विनियंत्रित करना चाहते हैं, जितना अधिक उदारीकरण करना चाहते हैं विनियामक तंत्र भी उतना ही अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ होना चाहिए, यह कोई विरोधाभास नहीं है। आप ''मुक्त बाजार'' आदि जैसे शब्दों को जबरदस्ती नहीं थोप सकते हैं। मैं विनम्रतापूर्वक सभा से कहना चाहता हूँ कि ''मुक्त बाजार'' कोई ऐसी उक्ति नहीं है जिसका तात्पर्य ''सबके लिये खुला'' है। आप राज्य की भूमिका को नहीं नकार सकते। तब आपको पारदर्शिता और सुदृढ़ विनियामक तंत्र के साथ खुलापन और विनियंत्रीकरण का संयोजन करना होगा ताकि भारत की सृजन प्रतिभा फल-फूल सके। मैं चाहता हूँ कि ये बातें वित्त विधेयक में भी परिलक्षित होती।

मैं माननीय वित्त मंत्री से एक और निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे खेद है कि मुझे इस वित्त विधेयक की ठीक-ठीक धारा का ध्यान नहीं है, किंतु मैं माननीय वित्त मंत्री के भाषण के पृष्ठ 29 पर पैरा 114 का उल्लेख करुंगा। इसमें खेल सामग्री के बारे में प्रावधान किया गया है। मुझे ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता कि आपने खेल सामग्री पर कोई शुल्क क्यों लगाया है या आप खेल सामग्री पर शुल्क को 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत क्यों किया है। मैं इसे भी अच्छा संकेत नहीं मानता। खेल सामग्री पर शुल्क समाप्त किया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि यह राजस्व प्राप्ति की कोई प्रमुख मद नहीं है।

श्री पी. चिदम्बरम: जालन्धर के बारे में आपका क्या विचार है?

श्री जसवंत सिंह: जालन्धर में हाकी स्टिक और क्रिकेट की गेदें बनाई जाती हैं। मेरे विचार से पाकिस्तान के सिवाय कहीं भी जालन्धर की श्रम लागत की तुलना नहीं की जा सकती और पाकिस्तान हमारे साथ व्यापार नहीं करना चाहता। आखिर, खेल उद्योग का केन्द्र कहां था। सियालकोट खेल उद्योग का केन्द्र था। यह केन्द्र सियालकोट से जालन्धर आ गया और अब हम वहां के खेल उद्योग को समाप्त कर रहे हैं। यह केवल शुल्क का ही प्रश्न नहीं है। यह खेल उद्योग को बढ़ावा देने का प्रश्न है। उदाहरणार्थ, यदि कोई विद्यालय युवा छात्रों के शारीरिक विकास के लिए रोइंग मशीन खरीदना चाहता है तो आपको अनावश्यक फार्म भरना पड़ेगा।

[हिन्दी]

अंग्रेजों ने मिलकर हमको अर्जीनवीसों का मुल्क बना दिया है।

[अनुवाद]

प्रत्येक बात के लिए एक आवेदन पत्र देना होगा और पांच प्रपत्रों में आवेदन को दस अलग-अलग लोगों को देना होता है।

हमें अर्जी-नवीस की इस मानसिकता से उबरना होगा कि प्रत्येक चीज के लिए आवेदन करना पड़े।

जब तक आप युवा वर्ग में संघर्ष की भावना पैदा नहीं करते तब तक उनमें खेल भावना नहीं पैदा कर सकते। यदि किसी व्यक्ति को एक धनुष-बाण का आयात करने के लिए 10,000 प्रपत्र भरने पड़ते हैं तो आप उनमें संघर्ष की भावना कैसे पैदा कर सकते हैं। भारत जैसे विशाल देश में खेल सामग्री पर शुल्क दर 50 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत करके आप क्या कर लेंगे? मैं इस बात की पुरजोर सिफारिश करता हूं कि खेल सामग्री पर सभी प्रकार का सीमा शुल्क समाप्त किया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: ऐसा लगता है कि आपके मित्र श्री निर्मल कान्ति चटर्जी आपकी बात से सहमत नहीं हैं।

श्री जसवंत सिंह: किंतु आपको सहमत होना पड़ेगा। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यही पूरी सभा की प्रतिक्रिया लगती है।

श्री जसवंत सिंह: महोदय, मैं एक और सिफारिश करूंगा। यह पृष्ठ 29 पर पैरा 1.1.8 पर है। यह खाद्य तेलों के बारे में है। आपने खाद्य तेलों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कठिनाई कहां पैदा होती है। उदाहरणार्थ, आप राजस्थान को लीजिए। पहले राजस्थान में सोयाबीन का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं होता था। राज्य में "सोयाबीन का उत्पादन करो, यह एक अच्छी फसल है" का नारा लगा और इस प्रकार मेरे मित्र, श्री दाऊ दयाल जोशी के निर्वाचन क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की खेती की जाने लगी। जब बड़े पैमाने पर इसकी खेती की जाने लगी तो इन क्षेत्रों में सोयाबीन से संबंधित उद्योग भी लगे।

महोदय, विश्व में केवल भारत में ही, यहां तक कि नेपाल में भी नहीं, खाद्य तेलों में पशुओं की चर्बी का प्रयोग नहीं होता है। यह हमारी शक्ति है। यह हमारी कमजोरी भी है। ये कमजोरी कहां पर है? यह कमजोरी हमारे तिलहनों के मामले में है। जब आप कहते हैं कि तिलहनों पर शुल्क 30 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत किया जा रहा है तो मुझे गुजरात में मूंगफली की फसल के बारे में आशंका होती है। उदाहरणार्थ, गुजरात में केवल एक बार मूंगफली की फसल न होने पर ही सब कुछ गड़बड़ा जाएगा और विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने के बाद खाद्यान्नों के आयात की बाध्यता भी है। यदि हमसे कहा गया है कि हमें अमरीका एवं पूर्व जार्जिया से सस्ती मूंगफली और सोयाबीन मंगानी पड़ती है, जहां पर बहुत बड़े क्षेत्र में मूंगफली और सोयाबीन की खेती की जाती है, तो इनकी लागत में कमी करने के लिए विस्तृत भूभाग नहीं है जबकि अन्य देश ऐसा करने में सक्षम हैं।

मेरे विचार से इस पर सावधानीपूर्वक विचार किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यदि आप खाद्य तेलों पर शुल्क में कमी करते हैं तो फलत: सोयाबीन या मूंगफली या किसी अन्य तिलहन पर भी शुल्क में कमी होती है और इससे भारत के कृषक समुदाय, विशेषरूप से तिलहन उत्पादक क्षेत्रों के किसानों, को अनजाने ही अपूरणीय क्षति होगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: आपने एक ठोस बात कही है।

श्री जसवंत सिंह: किंतु आप खेल सामग्री से संबंधित मेरी बात से सहमत नहीं हैं... **(व्यवधान)**

महोदय, मेरी तीसरी सिफारिश पृष्ठ 32 पर पैरा 1.2.9 के बारे में है जो कारों पर उत्पादन शुल्क से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि आप इसे कैसे कर सकते हैं, परन्तु मेरा आपसे निवेदन है कि, तत्काल न सही, इसकी जांच की जाए। कृपया उत्पादन शुल्क को कार इंजनों की प्रदूषण धारिता से जोड़िए। जिस ट्रक, बस, कार इंजन में अधिक प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था हो उन पर उत्पादन शुल्क उतना ही कम होना चाहिए। मेरे विचार से जब तक हम प्रदूषण के बारे में सचेत नहीं होते, तो हम इस राजधानी दिल्ली में भी नहीं रह पाएंगे।

इसलिए, कृपया मोटर-गाड़ियों पर उत्पादन शुल्क के सारणीकरण के बारे में मेरी सिफारिश पर विचार कीजिए, चाहे वे लारियां हों या मोटर-साइकिलें हों या मोटर-कारें हों, इसे उनमें अपनाये गये प्रदूषण नियंत्रण उपायों से जोड़िये।

अब मैं एक स्थानीय मुद्दे पर आता हूं। जिस पर न जाने उन्होंने विचार क्यों नहीं किया। जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तो उन्होंने असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र को सभी प्रकार के औद्योगिक और कर लाभ दिये क्योंकि वे संसद में असम का प्रतिनिधित्व करते थे, वे अब भी असम का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैंने उनसे कहा था कि वे संकीर्णतावादी हैं, हमने देखा है कि सभी रेल मंत्री सारी रेल पटरियों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाते हैं। अब भारत में यह परम्परा बन चुकी है ... **(व्यवधान)** हमारे पास रेल पटरियों को ले जाने का समय नहीं था। आप सदैव हमें पटरी से उतारते रहे हैं। ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर देना है। आपकी पार्टी से भी कई सदस्यों को बोलना है।

श्री जसवंत सिंह: मैं संक्षेप में अपनी बात कहूंगा।

यदि आप भारत के पहाड़ी क्षेत्रों को इस प्रकार का लाभ प्रदान कर सकते हैं तो आप ऐसे लाभों को जो न ज्यादा हो न

कम हो—भारत के रेगिस्तानी इलाकों को प्रदान कर सकते हैं, जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं हूँ। रेगिस्तानी इलाकों में भी इसी प्रकार की समस्या है।

[हिन्दी]

गढ़वी साहब, आप कच्छ के लिए बोल सकते हैं।

श्री बी.के. गढ़वी (बनसकांठा): हम राजस्थान के लिए बोलेंगे।

श्री जसवन्त सिंह: हां जरूर बोलियेगा।

[अनुवाद]

रेगिस्तानी इलाकों ने क्या बुरा किया है? आप राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तानी जिलों को इसी प्रकार के कर लाभों को क्यों नहीं प्रदान करते हैं जैसे लाभ आप पहाड़ी इलाकों को प्रदान कर रहे हैं?

अब मैं अखबारी कागज संबंधी मुद्दे पर आता हूँ। यह एक जटिल विषय है। यह एक त्रिकोणीय व्यवस्था है। हमें अखबारी कागज़ के ढांचे संबंधी समूचे प्रश्न से निपटना है। हमें घरेलू अखबारी कागज उत्पादन की आवश्यकताओं को भी पूरा करना है। उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। हमें समाचार पत्र उद्योग की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। समाचार पत्र उद्योग को सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता वाला अखबारी कागज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। हमें उपभोक्ताओं की अपेक्षाओं को भी पूरा करना है। उपभोक्ता अखबारों व पत्र-पत्रिकाओं का पाठक है। उपभोक्ता को ऐसा अच्छी क्वालिटी का समाचार पत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिसे वह खोले और पढ़े।

आखिरकार, शासन वास्तव में परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने की कला है यदि आप परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो शासन चलाना छोड़ दीजिए। इसे दूसरों द्वारा चलाने के लिए छोड़ दीजिए। हम अखबारी कागज उद्योग के शुल्क संरचना के बारे में उड़ने वाली सभी प्रकार की अफवाहों को सुन रहे हैं। मैं अफवाहों पर विश्वास नहीं करता तथा इस प्रकार की अफवाहों पर कुछ कहना भी नहीं चाहिए। परन्तु मेरे विचार से माननीय वित्त मंत्री इन तीनों हितों के मध्य किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करेंगे इस पर प्रकाश डाले; समाचार पत्रों को अखबारी कागज यथासम्भव किफायती दाम पर मिलना चाहिए; इस प्रक्रिया में घरेलू अखबारी कागज उद्योग का अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए; तथा उपभोक्ता को पढ़ने योग्य अर्थात् अच्छी किस्म का अखबारी कागज उपलब्ध कराया जाना चाहिए जिस पर समाचार पत्र या पत्रिका छपती है। मैंने अपनी बात कह दी है तथा मैं माननीय वित्त मंत्री से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं। ... **(व्यवधान)**

श्री पी. चिदम्बरम: मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि यह नियम प्रत्येक उत्पाद पर लागू होता है। उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का नियम प्रत्येक उत्पाद पर लागू होगा न कि केवल अखबारी कागज पर। इसलिए सीमा शुल्क पर विचार करते समय मैं इस पर विचार करूँगा। मैं श्री जसवंत सिंह तथा श्री चटर्जी दोनों से अपील करता हूं कि वह इस मापदण्ड को अन्य उत्पादों पर भी लागू करें जिसकी वह जोरों से हिमायत कर रहे थे।

श्री जसवंत सिंह: मैंने इस सावधानी का पूरा ध्यान रखा है।

मेरा आखिरी मुद्दा न्यूनतम वैकल्पिक टैक्स (एम.ए.टी.) के बारे में है। सिद्धान्त यह है कि हम बहीखातों के दो सेट नहीं रख सकते। आय बही खातों का एक सेट आयकर विभाग के लिए तथा शेयरधारकों के लिए नहीं रख सकते हैं। वह आयकर विभाग से कहते हैं कि हमारी कम्पनी बहुत गरीब है इसलिए, हम कर का भुगतान नहीं कर सकते। परन्तु वह शेयरधारकों से कहते हैं कि हमें पैसा दीजिए तथा हम आपको लाभांश तथा बोनस देंगे। यह एक हास्यास्पद स्थिति है।

आप बही खातों के दो सेट नहीं रख सकते। आप सामंजस्य स्थापित कैसे करते हैं? मैं इस बात को मानता हूं, सामंजस्य स्थापित करने का एक सिद्धान्त है। हमने अपने लिये इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। परन्तु जो कार्यविधि माननीय वित्त मंत्री ने अपनायी है वह गलत हो सकती है इसे सुधारा जा सकता था। आप एक और अधिक आसान रास्ता अपना सकते थे। आप निवेश भत्ते को पुनः लागू करके अवमूल्यन को मिला सकते थे। आपने कहा था कि मैं कम्पनी पर एक बिन्दु पर कर लगाऊंगा तथा इसके पश्चात् लाभांश कर योग्य नहीं होगा। यह अधिक आसान है। आप कह सकते थे, मैं लाभ तथा हानि खाते पर कर लगाऊँगा। आप कह सकते थे, मैं आप शेयरधारकों को जो दिखाएँगे उस पर कर लगाऊंगा।

श्री पी. चिदम्बरम: यही है जिस पर मैं कर लगा रहा हूँ।

श्री जसवंत सिंह: मैं जानता हूँ, आपने यह कहते हुए आरम्भ किया था कि यह सरल होगा। कर संबंधी कानून सरल होने चाहिए। इस प्रकार से एम.ए.टी. को लाया जा रहा है, मैं आशा करता हूं......

श्री पी. चिदम्बरम: यही हम कर रहे हैं। हम लाभ तथा हानि खाते में दर्शाए खाता लाभों पर कर लगा रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह: मुझे माफ कीजिए। अब देखते हैं कि एम.ए.टी. का अंतिम रूप से क्या परिणाम निकलता है।

महोदय, मैं विचार प्रस्तुत किये जाने के लिए आपका आभारी हूं। वित्त विधेयक पर चर्चा के समय शायद ही ऐसा अवसर आया हो जहाँ पर वाक्‌पटुता दिखाई गई हो। यह कार्य एक टेढ़ी खीर है। मैं न तो एक शासपत्रित लेखाकार हूं और न ही इस विषय का ज्ञाता हूँ। परन्तु मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूँगा कि वह मेरे द्वारा की गई सिफारिशों तथा मुद्दों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

श्री बी.के. गढ़वी (बनसकांठा) : अध्यक्ष महोदय, वित्त विधेयक पर, अलग से विचार नहीं किया जा सकता है सम्पूर्ण बजट प्रस्ताव की समग्रता तथा देश के लिए बजट प्रस्ताव के दिशा-निर्देशों को दृष्टि में रखकर इस पर विचार किया जाना चाहिए। यह खेद की बात है कि सभा में कुछ अप्रासंगिक मुद्दों को उठाए जाने के कारण कतिपय महत्वपूर्ण मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी तथा लगभग सभी मंत्रालयों की अनुदानों की माँगों पर बहस को रोक देना पड़ा। इसलिए, कई महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण पक्षों पर चर्चा नहीं की जा सकी। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार से, वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरन इन मुद्दों को उठाया जा सकता था क्योंकि वित्त विधेयक के अनुसार यह वित्त वर्ष 1996-97 के लिए केन्द्र सरकार का प्रस्ताव है। इसका विस्तार कुछ बढ़ गया है। वर्तमान विधेयक को दिशानिर्देश राजकोष के लिए संसाधनों को प्रत्यक्ष करों जैसे आय कर, निगमित कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि द्वारा बढ़ाना हैं। मेरा मुद्दा यह है कि जब आप प्रत्यक्ष करों के साथ ही साथ अप्रत्यक्ष करों तथा सीमा शुल्क से राजस्व को बढ़ाने हेतु प्रस्ताव पर विचार करते हैं, हमारे सामने विचारार्थ आए इन प्रस्तावों की संवीक्षा की जानी चाहिए कि जिन दिशानिर्देशों से वे राष्ट्र को आगे ले जा रहे हैं। हमें इन प्रस्तावों के उद्देश्य को देखना है। माननीय वित्त मंत्री तथा श्री जसवंत सिंह ने अभी कहा कि कुल जनसंख्या का मात्र नौ प्रतिशत आयकर के करजाल के अंतर्गत आता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि जनसंख्या का इतना ही प्रतिशत कर जाल के बाहर है जबकि वह आयकर देने के लिए जवाबदेह है।

अपराह्न 5.00 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इसका अर्थ है, कि जनसंख्या का 18 प्रतिशत आयकर का भुगतान करने योग्य है। तब, बाकी की जनता का क्या हुआ। बाकी की जनसंख्या जोकि, इस देश की जनसंख्या का 82 प्रतिशत है, की कर योग्य आमदनी नहीं है तथा वह आयकर भुगतान के लिए जवाबदेह नहीं है। इससे इस देश की गरीबी का पता चलता है। यह हमारे विकास—लोगों की प्रति व्यक्ति आय को दर्शाने वाला सूचकांक है तथा अन्य सभी पहलू जिनमें लोगों की वित्तीय क्षमता शामिल है—अत्यधिक कमजोर है।

तर्क के लिए मान लीजिए कि 91 प्रतिशत लोग कर के दायरे से बाहर है और मात्र 9 प्रतिशत लोग कर अदा करते रहे हैं—यदि इस देश की जनसंख्या की वित्तीय स्थिति ऐसी है तो वित्त मंत्री का क्या निर्देश होना चाहिए? वित्तीय नीतियों अथवा कर ढांचे के संबंध में क्या निर्देश हो?

आज हम लोग दो चीजों की स्पष्ट बात करते हैं। एक तो पारदर्शिता से संबंधित है तथा दूसरी प्रतियोगिता के बारे में है। दोनों बातें संगत हैं। लेकिन यह प्रतियोगिता किसके साथ है? विश्व के सभी राष्ट्रों का स्तर एक जैसा नहीं है। कुछ तो विकसित राष्ट्र हैं कुछ अविकसित और कुछ भारत जैसे विकासशील राष्ट्र हैं जो कि अन्य बड़े विकसित राष्ट्रों के समतुल्य पहुंचने वाले हैं। लेकिन उन सभी का स्तर एक जैसा नहीं है। अतः किसी अकुशल खिलाड़ी को एक कुशल खिलाड़ी के साथ खेलने को कहना उचित नहीं होगा। इसी दृष्टिकोण से हमें कर ढांचे और सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क पर विचार करना होगा।

माननीय वित्त मंत्री, जो कि मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे यह पूछने पर की इससे उद्योग भी रुग्ण होंगे, ने मुझ कहा है कि यह आपकी अपनी समझ है। ठीक है लेकिन क्या होगा? आपको अपने घरेलू उद्योगों की जांच करनी होगी और उन उद्योगों को जो सक्षम हैं तथा जो देश में तथा निर्यात बाजार में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं, उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि अन्य देश भी ऐसा ही करते हैं। किसी न किसी रूप में वे संरक्षणात्मक नीति अपनाते हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में भी कुछ कदाचार जारी हैं।

अतः हमें इसका ध्यान रखना होगा। उदारीकरण के अंतर्गत यह अच्छा है। मैं समझता हूं कि यह हमारी अवधारणा नहीं है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे कुछ अन्य एजेंसियों द्वारा हम पर थोपा गया है। कुछ विवशताओं के कारण हमें उन मजबूरियों को स्वीकार करना पड़ा और उनकी इच्छानुसार अपनी नीतियों को बदलना पड़ा। लेकिन साथ ही, हम अपने देश के हितों की अनदेखी नहीं कर सकते। यदि हमें आत्म-निर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस देश में भी उदारीकरण नीतियों के रूप में अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

एक धोबी और उसके गधे की बात है।

[अनुवाद]

एक धोबी का गधा अस्वस्थ था। उसे एक पशु चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसे दो गोलियां और एक लम्बी ट्यूब दी और धोबी से कहा कि वह उस ट्यूब को गधे के मुंह में रखे और फिर दोनों गोलियों को उसमें रखकर फूंक मारे जिससे गधा गोलियां निगल जाये।

अगले दिन उस धोबी की स्थिति ठीक नहीं थी और उसकी सांस फूल रही थी। पशु चिकित्सक ने उससे पूछा कि "क्या हुआ"? धोबी ने जबाव दिया कि "महोदय, मेरे फूंक मारने से पहले ही गधे ने फूंक मार दी और वे दोनों गोलियां मेरे पेट में चली गयीं। इसलिए मैं अस्वस्थ हूं। कृपया मेरा इलाज कीजिए।" उदारीकरण नीति के अंतर्गत हमारे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए।

इस संदर्भ में, हमें इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या हमारी नीतियां ऐसी स्थिति में टिक पाएंगी और हमारी घरेलू तरक्की और विकास में सहायक होंगी। साथ ही, ये नीतियां हमारे उद्योगों को और अधिक प्रतिस्पर्धा करने के लायक बनाएंगी, ताकि वे प्रतिस्पर्धा कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हमें ध्यान में रखना होगा।

वित्त मंत्री यहाँ मौजूद हैं। मैं उनकी कठिनाईयों से अवगत हूं। उनके पास धन का अभाव है और संसाधनों में वृद्धि करना कठिन है। उनसे लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। मैं सभी प्रस्तावों का विरोध नहीं करता। इससे हमारे राजकोष में योगदान बढ़ेगा। इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी। लेकिन यदि हम अपने उद्योगों की तरक्की पर ध्यान नहीं देंगे तो मुझे भय है कि उदारतापूर्वक इस देश में आने वाली अन्य एजेंसियां 98 करोड़ लोगों के बाजार पर कब्जा कर लेंगी। यह कोई छोटा-मोटा बाजार नहीं है। अतः इस दिशा में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

जहाँ तक प्रोत्साहन का सवाल है, माननीय वित्त मंत्री ने अभी-अभी घोषणा की है कि न्यूनतम वैकल्पिक कर—यदि उद्योग औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य में हैं तो उन्हें कुछ रियायत दी जाएगी। रुग्ण उद्योगों को भी कुछ रियायतें दी जाएंगी। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इसमें आपको सौ विकास केन्द्र भी शामिल करने होंगे जो कि देश में प्रारम्भ किये गये हैं क्योंकि संतुलित विकास ही देश को एकजुट रख सकता है।

यह विचार करने का वक्त है। हमने एक नीतिगत फैसला किया था जिसके अंतर्गत एक विशेष किस्म के उद्योगों को पिछड़े क्षेत्र में लगाने पर बल दिया जाना था। आज वह फैसला हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और अन्य विदेशी कम्पनियों पर लागू नहीं कर पा रहे। उनके पास अपार धन है। वे अपनी अवसरंचना तैयार कर सकते हैं। वे अपनी उत्पादन क्षमता का सृजन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में, जब हम उन्हें भारत के विशाल बाजार, सस्ते श्रम, सस्ते कच्चे माल उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें हम पिछड़े क्षेत्र में जाने के लिए राज क्यों नहीं कर सकते? यदि हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? देश में असंतुलन जारी रहेगा और असंतोष बढ़ेगा। लोग खुश नहीं रहेंगे।

अन्ततः हमारा लक्ष्य क्या है? हमारी यही मंशा है कि इस देश के प्रत्येक क्षेत्र को इस विकास का लाभ पहुंचे। यह विकास एक-तरफा नहीं हो सकता। आज, भारत औद्योगिक रूप से विकसित देश नहीं है। यह एक विकासशील देश है। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर टिकी हुई है। कृषक गेहूँ, बाजरा और मक्का जैसे अनाज का उत्पादन करके अपना जीवन-यापन नहीं कर सकते। उन्हें कपास और तिलहन जैसी नगदी फसल भी चाहिए। हमारे देश में तेल और दालों की कमी है। इन क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या आपने बजट में कोई प्रावधान किया है?। श्री जसवंत सिंह जी ने भी तिलहन आयात पर लगने वाले शुल्क में कटौती पर टिप्पणी की है।

वित्त मंत्री जी यह सब आपको कटाक्ष करने की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ अपितु यह एक निष्पक्ष भाव से की गई आलोचना है। मेरा यही कहना है कि आपने पूरे राष्ट्र को व्यापक दृष्टि से न देखकर एक संकुचित दृष्टि से देखा है। अतः मेरा कहना है कि स्थिति को व्यापक रूप से देखा जाना चाहिए। आज भी, लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती। 22 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। ऐसे में मात्र संभ्रांत लोगों को ही बढ़ावा देना हमारे लिये क्या शर्म की बात नहीं है? मैं कहूंगा कि यह बजट एक विशिष्ट वर्ग के लोगों का बजट है और आप ऐसे लोगों को रियायतें दे रहे हैं जो इन रियायतों के योग्य नहीं हैं... **(व्यवधान)** हमारे देश में कितने रुग्ण एकक हैं? आज करीब 2,50,000 रुग्ण उद्योग हैं। बेरोजगारी का तो कहना ही क्या? आप अहमदाबाद जाकर देखें कि कितनी कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं और कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें उनका भविष्य निधि का पैसा भी वापस नहीं मिल रहा है। आप अन्य उद्योगों में जाएं। आप हमें आश्वासन दीजिए कि आप बी.आई.एफ.आर. को पुनर्गठित करेंगे। लेकिन एक भूखा आदमी ज्यादा दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकता। उसे दो वक्त की रोटी चाहिए। मैं जानता हूँ कि हमारी विवशताएं हैं। अब चूंकि आपने अपने दल के साथ कांग्रेस का नाम जोड़ा है, यद्यपि यह मनिला कांग्रेस है, मुझे विश्वास है कि आप हमारे सुझाव को मानेंगे। अन्यथा हमने देखा है कि

मोरारजी देसाई जैसे एक कुशल वित्त मंत्री, एक नया नाम लेकर कांग्रेस से अलग होते ही सारी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा एक और सक्षम आदमी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गये और सारी अर्थव्यवस्था बिखर गई। लेकिन आपने कांग्रेस का नाम अपने साथ जोड़ रखा है इसलिए मुझे यह विश्वास हो रहा है कि आप अर्थव्यवस्था को सही रास्ता दिखा पायेंगे।

मैं यह कह रहा था कि अभी-अभी वित्त मंत्री जी ने कहा है कि यदि एक करोड़ रुपये की कोई मांग है तो वह उसे मानने को तैयार हैं। परन्तु यदि एक सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग होती है तो उन्हें परेशानी होती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनके यही शब्द थे। यह ठीक है और मैं वित्त मंत्री की कठिनाईयों को समझता हूँ। लेकिन हम इसको कैसे संभालेंगे? यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक सौ करोड़ रुपये की माँग करने पर आपको परेशानी होती है तो 133 करोड़ रुपये के बारे में सुनकर कैसे लगा जबकि उस पैसे से एक दाना भी देश में नहीं आ रहा है?

कल, वाणिज्य मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा था कि खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा व्यापारियों को 364 किलोग्राम मूल्य का सोना दिया गया। वह धन वापस नहीं आया और कुछ सोना तो बांधित भंडारागार से भी निकाला गया। इसकी क्या कीमत होगी? मेरे विचार से यह 100 करोड़ से कम नहीं होगी। यह साढ़े तीन क्विंटल से ज्यादा था। सरकार ने यह कह कर कि यह केवल एक प्रतिशत था, इसे कम से कम करना चाहा। कृपया इस सभा में इस तरह का मजाक करना बन्द करें।

आपने अपने प्रारंभिक भाषण में ठीक ही कहा है कि वित्तीय घाटा और राजस्व घाटा बहुत अधिक है और नियंत्रित करने योग्य नहीं है। इस पर काबू करना और भी मुश्किल हो जायेगा जब वेतन आयोग की रिपोर्ट आयेगी। रक्षा बजट आयेगा, विदेशों में पेट्रोल की कीमत में वृद्धि होगी और अन्य इस तरह की बातें होंगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वित्त मंत्रालय को लगभग सभी मंत्रालयों से फाइलें मंगाने और उनकी जांच करने और उनकी खिंचाई करने की कई शक्तियां प्राप्त हैं। क्या आपने कभी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को देखा? एक आयोग बनाने के अलावा, यह पता लगायें कि अपव्यय कहां हो रहा है, धनराशि कहां रुकी पड़ी है, स्टाक माल पर नियंत्रण कहाँ नहीं है, सरकारी सम्पत्ति का उपयोग कहां नहीं हो रहा है, निम्नस्तर का काम कहाँ स्वीकार किया जा रहा है। ऐसे खर्चे जिनसे बचा जा सकता है कहां हो रहे हैं, अविवेकपूर्ण निर्णय कौन से हैं, अतिरिक्त भुगतान पर कहाँ खर्च हो रहा है और ठीक ढंग से कौन सी परियोजनाएं तैयार नहीं की गई हैं। इस तरह के कई और क्षेत्र न केवल महानियंत्रक एवं महा-लेखापरीक्षक अपितु संसदीय समितियों द्वारा प्रतिदिन बताए जाते हैं लेकिन फिर भी हम एक आयोग के बाद दूसरे आयोग का गठन करते रहे हैं। किसलिए?

यह तो केले के पेड़ का छिलका निकालने की तरह है, यदि आप एक छिलका हटाते हैं तो दूसरा निकल आता है, यदि दूसरे को हटाते हैं तो तीसरा निकल आता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है।

महोदय, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत कठिन परिस्थिति में है और हमारा निर्यात भी इतना अच्छा नहीं है। वित्त मंत्री महोदय, आप वाणिज्य मंत्री रह चुके हैं और आप निर्यातों की कार्य-प्रणाली से परिचित हैं। निर्यात आयात से कम है। आयात और निर्यात के बीच बिल्कुल संतुलन नहीं है। ये कौन से क्षेत्र हैं? जिनके विदेशों में कार्यालय हैं वे अन्डर-इनवायसिंग का सहारा ले रहे हैं और वे अपने लाभ और कमाई का भाग विदेशों में ही रखते हैं और जिनके न्दिशों में कार्यालय नहीं हैं वे ओवर-इनवायसिंग का सहारा लेते हैं और अपने काले धन को बिना कोई कर दिये सफेद धन में बदल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने निर्यातकों को कर से छूट दे दी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में इस बात के मामले हैं कि खाली मालडिब्बे विदेशों में भेजे गए हैं। हवाला कांड के माध्यम से काफी मांमलों में काले धन को सफेद धन में बदला गया है। ये कर-योग्य स्रोत थे। इन स्रोतों से आपको आयकर और निगमित कर की वसूली हुई होती, लेकिन ये चीजें पहले की तरह बदस्तूर जारी हैं। यदि आप विचार और हिसाब लगा सकते हैं तो कृपया इस बात का हिसाब लगायें कि विभिन्न मंत्रालयों, निर्यात-घरानों और अन्य संस्थानों के इस तरह के स्विच-प्रबन्धन के कारण राजकोष को कितना नुकसान हुआ है। यदि आप इसका पता लगा सकते हैं और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसे बन्द करा सकते हैं तो मुझे विश्वास है कि आपको संसद-सदस्यों को उनके अधिक धनराशि मांगने पर, देने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

महोदय, न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के प्रश्न पर, मुझे आश्चर्य होता है और सच पूछ तो मैं वित्त मंत्री के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि यदि कम्पनियां अपनी लेखा-बहियों में अधिक मूल्य-ह्रास राशि का प्रावधान करती हैं तो उन्हें कम भुगतान करना होगा। क्या हम यह चाहते हैं कि और अधिक मूल्यह्रास होना चाहिए? मैं वित्त मंत्री महोदय के तर्क को समझता हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इस देश में बचत और निवेश की भावना जागृत करनी होगी। हमारे स्टाक बाजार में मन्दी क्यों है? एक कम आय वाला आदमी कुछ शेयरों और डिबेंचरों में इस आशा से निवेश करता है कि उनसे उसे नियमित आय प्राप्त होगी। यदि आप घरेलू बचत की भावना नहीं डालते हैं तो कदाचित

उद्योगों का विकास बाधित और असफल भी हो सकता है। मैं वित्त मंत्री के तर्क को स्वीकार करता हूं कि अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और अधिक उद्योगों की स्थापना होगी। लेकिन लोग विदेश से इस देश में निवेश करने के लिए क्यों आ रहे हैं? यदि विदेश से लोग इस देश में आकर निवेश करने के इच्छुक हैं तो क्या हमारे पास इस तरह का वातावरण नहीं है कि जहां हमारे लोगों को इस देश में निवेश करने की प्रेरणा मिल सके? यदि ऐसा है तो और यदि वे कुछ कम्पनियों में निवेश करते हैं तो उन्हें इससे कुछ लाभ भी होना चाहिए। इस हालत में, यदि उन्हें लाभांश या बोनस के लिए आयकर देना है, तो वे कर का भुगतान करेंगे।

महोदय, इसलिए मेरी राय में निवेश के लिए स्वदेशीय प्रेरणा कम हो रही है। यही कारण है कि घरेलू कम्पनियां नुकसान उठा रही हैं और उन्हें नुकसान होता ही रहेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, कृषि को हानि उठानी पड़ रही है, आर्थिक सर्वेक्षण में यह उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में कृषि के विकास और कृषि-उत्पादन में कमी आई है। कतिपय राज्यों जैसे पंजाब और अन्य जगहों जहां से हमें केन्द्रीय पूल के लिए खाद्यान्न प्राप्त होता है, पहले ही परिपूर्णता की स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं। एक तरफ, कृषि खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आ रही है और दूसरी तरफ जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, यदि हम अर्द्ध-विकसित क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं तो भविष्य में क्या होगा? हमें केवल वर्तमान के बारे में ही नहीं सोचना है अपितु हमें भावी पीढ़ी के लिए भी सोचना है।

वित्त मंत्रालय का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। मैं आपकी नीतिगत समझ को समझता हूं। मैं यह भी समझता हूं कि बजट को प्रस्तुत करने से पहले इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं पर विचार करने के लिए आपके पास समय नहीं था। आपने कतिपय नीतियों को जारी रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि उदारीकृत नीति की कुछ सीमाएं हैं। इसे सभी घरेलू क्षेत्रों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे सभी स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं, और लघु उद्योगों में शुरू नहीं किया जा सकता है। इसे आधारभूत ढांचे में शुरू किया जा सकता है।

आय-कर के बारे में, आपने अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में कहा था कि यदि आप आय-कर की 60,000 रुपये की सीमा में वृद्धि करते हैं तो बहुत अधिक संख्या में लोग आय-कर के दायरे से बाहर हो जायेंगे। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वेतनभोगी वर्ग जो राज्य या केन्द्र सरकार से जुड़ा है, या वह वर्ग जो सरकारी उपक्रमों और अन्य उपक्रमों से जुड़ा हुआ है कितनी परिलब्धियां दी जा रही हैं तथा अन्य लोगों को कितनी परिलब्धियां मिल रही हैं? बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अपने योग्य युवा अधिकारियों को कितनी परिलब्धियां दे रही हैं? इसीलिए, मैं कहता हूं कि एक दिन ऐसा आयेगा—यदि हमारे पास लोक सेवाओं में नौकरी करने वालों के लिए अधिक प्रोत्साहन देने को नहीं हैं, तो सरकारी सेवाओं के कर्मचारी की कमी हो जायेगी। अन्यथा काम करने वालों को परिलब्धियों, बंगला, कार, और हर चीज के अलावा प्रति माह लगभग एक लाख रुपये वेतन मिलता है और उनकी परिलब्धियों पर कर नहीं लगाया जाता है। सांसद के रूप में हमें केवल 1500 रुपये मिल रहे हैं, हालांकि हमें बहुत अधिक मिलता है। हमारा प्रतिमाह का कुल बिल 5,500 रुपये होता है, लेकिन हमारा वेतन कितना है? यह केवल 1500 रुपये है। हम राष्ट्र के प्रति पारदर्शी नहीं है, जिस तरह बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हैं। इसलिए, माननीय वित्त मंत्री को इस बारे में सोचना चाहिए।

आजकल क्या हो रहा है? रक्षा में, सेना में अधिकारी के रैंक में अधिकारियों की कमी है। मेरे विचार से यह कमी दस हजार से अधिक है। लोग सरकारी सेवाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। वे अन्य अच्छे और आकर्षक विकल्पों की तरफ आकृष्ट होते हैं। इसलिए, यदि आप कर का दायरा बढ़ाना चाहते हैं तो अधिक परिलब्धियां देनी होंगी और काफी प्रोत्साहन देने होंगे जिन पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। आप संसाधनों का लाभ उठा सकते हैं और ऐसा करने के लिए धन की जरूरत है।

मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि यदि कोई प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान करता है तो शत-प्रतिशत कर की छूट मिलती है, लेकिन मुख्यमंत्री राहत कोष में अंशदान करने के लिए कोई छूट नहीं है, जिसका उपयोग लोगों के दुख में, जैसे भूकम्प, बाढ़, अकाल इत्यादि में किया जाता है, उसमें कर की कोई छूट नहीं होती है। यह इस तरह क्यों है? जब हमारे पास कुल मिलाकर 125 से 130 छूट दी जाती हैं तो इस क्षेत्र के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं।

श्री जसवंत सिंह ने कागज के बारे में उल्लेख किया। आयातित कागज पर हमारे यहां कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है, लेकिन हमारे खुद के कागज पर उत्पाद-शुल्क लगाया जाता है। मेरा अनुरोध यह है कि हमें हमारे औद्योगिक विकास की समीक्षात्मक जांच करनी चाहिए। आपने कहा कि संसाधनों को बढ़ाना है। क्या किया गया है? पेट्रोरसायन के क्षेत्र में आपने शुल्क को कम कर दिया है और वह भी किन परिस्थितियों में? मैं राजकोष को हुए नुकसान के बारे में कुछ आंकड़े देता हूं। मेरा विश्वास है, 1995-96 में शुल्क 50 प्रतिशत या लगभग इतना था। अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट आई है। 1995-96 में पोलीमर्स के लिए यह 890 रुपये थी और 1996-97 में घटकर 720 रुपये हो गई है, इसमें 19 प्रतिशत की गिरावट हुई है। 1995-96 में पी एस वाई के लिए यह 1737 करोड़ रुपये था।

आज, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पी एस एफ के लिए यह 950 रुपये है। पी एफ वाई 1861 रुपये था और आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह 1200 रुपये है। यही हाल डीएमटी, पीटीए के साथ है। मैं समस्त आंकड़े पढ़ सकता हूं। शुल्क को कम करने का क्या कारण था? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माल की भरमार के कारण था? क्या हम उन्हें अपना माल भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति देना चाहते हैं जबकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतें चरमरा गई हैं?

पेट्रो-रसायन उद्योग में, सरकार और निजी क्षेत्र इस देश में बहुत बढ़िया निष्पादन दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, आप गुजरात में आई.पी.सी.एल. और अन्य सभी कंपनियों को ले लीजिए। जब बाजार में माल की भरमार हो, कीमतें अधिक तथा शुल्क की मात्रा अधिक हो, तो आपको शुल्कों में कमी करके उन उद्योगों की प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त कर देना चाहिए। अब कीमतें घट गई हैं। और हम पुनः उन्हें इसके आयात में असमर्थ बना रहे हैं। इस शुल्क में कमी करने से कितनी हानि होगी? राजकोष को 2367 करोड़ रु. की हानि होगी और आप कहते हैं कि आपके पास उद्योग संवर्धन हेतु पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। आप शुल्क क्यों कम करते हैं? संकट का सामना कर रहे क्षेत्रों में यह बात समझ में आती है। मैं उसे समझता हूं और इसीलिए मेरा कहना है कि जहां हमारे उद्योग मजबूत स्थिति में हैं वहां उन्हें कमजोर करने के लिए कोई भी प्रयास, कोई कार्यवाही और कोई पहल नहीं की जानी चाहिए। यह प्रतिस्पर्द्धा नहीं है।

क्या आपने कभी सोचा है कि कृषि का पतन क्यों हो रहा है? आपने सिंचाई के लिए थोड़ा बहुत किया है। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि हमारे बांधों की स्थिति क्या है? उस समय यह सोचा गया था कि गाद जमा होने का अनुपात केवल डेढ़ प्रतिशत हैं। अब इस देश के लगभग हर बांध में यह अनुपात तीन प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। इससे लागत-लाभ अनुपात 50 प्रतिशत तक घट रहा है। यह कितना बड़ा नुकसान है इस देश को। इन सभी क्षेत्रों पर हमें विचार करना होगा क्योंकि अंततः हमारा उद्देश्य केवल एक ही नजरिये से देखना नहीं है। मैंने शुरू-शुरू में ही कहा था कि इसे हमें पृथक रूप में नहीं देखना होगा बल्कि इसे हमें औद्योगिक विकास, कृषि, रोजगार-सृजन और देश के संतुलित विकास के सभी क्षेत्रों से संबंधित हमारी वित्तीय नीतियों के समूचे परिदृश्य में देखना होगा।

अतः, हो सकता है कि मेरे मित्रों को यह बात पसन्द न आए परन्तु मैं यही कहूंगा कि यह विशिष्ट वर्ग के लोगों का बजट है। इसमें देश के समक्ष इस समय मौजूद सच्चाइयों पर गौर नहीं किया गया है। अतः मैं चाहता हूं कि उन पर विचार हो। अपनी पार्टी के एक आज्ञाकारी सिपाही के रूप में मैं आपके विधेयक का समर्थन करूंगा तथा इसके पक्ष में मतदान करूंगा। लेकिन यदि मैं उन बातों का जिक्र नहीं करता हूं जो मुझे अखरती हैं तथा जो उचित नहीं हैं, तो मैं आपके सहकर्मी तथा साथी के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रहूंगा। अतः मैं चाहता हूं कि कृपया मामले में, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक ऐसा माहौल पैदा करें जिससे देश के भीतर निवेश करने की मनोवृत्ति बने। आप छूट में विकास केन्द्रों को भी शामिल करें।

अंत में मैं कहूंगा कि मैं यह सब क्रोध में अथवा आलोचनावश नहीं कर रहा हूं। मैं माननीय वित्त मंत्री द्वारा मौजूदा दबावों, हालातों, विवश कर देने वाली परिस्थितियों के अंतर्गत किये गये प्रयासों की सराहना करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस सरकार को अब समस्त क्षेत्रों—मैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों और अन्य चीजों के बारे में पहले बता चुका हूं—की जांच करनी चाहिए और सुधारात्मक उपाय करने चाहिए। इस विषय को केवल छूकर मत टालिए। मैं कहूंगा कि अर्थव्यवस्था में जो संकट पैदा हो गया है उसे सिर्फ छूकर दूर नहीं किया जा सकता।

अपराह्न 5.30 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी.टी.बी.टी.)

विदेश मंत्री (श्री आई.के. गुजराल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन को स्मरण होगा कि मैंने 26 अगस्त, 1996 को व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबन्ध सन्धि (सी.टी.बी.टी.) के बारे में स्वतः एक वक्तव्य दिया था जिसमें मैंने जेनेवा में हुए घटनाक्रमों के बारे में अपने मूल्यांकन और न्यूयार्क में महासभा में हुई चर्चाओं के दौरान अपनाए गए अपने रवैये की रूपरेखा बताई थी। जो चर्चा हुई वह इस मायने में काफी उत्साहवर्धक थी कि इसमें एक ऐसे मुद्दे पर राष्ट्रीय आम सहमति बनी जिसे सरकार बहुत ही राष्ट्रीय महत्व का समझती है। राष्ट्रीय सहमति की शक्ति इस सरकार की नीति में तथा उस कार्यवाही में परिलक्षित होती है जो न्यूयार्क में हुई चर्चा के दौरान बनी। आज, मैं आपकी अनुमति से न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में जो घटनाएं हुई उनके बारे में इस माननीय सभा को संक्षेप में बताना चाहता हूं।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है हमने जेनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन में सी.टी.बी.टी. के प्रारूप पाठ पर आम सहमति पर रोक लगा रखी थी, क्योंकि इसके सभी पहलुओं पर समस्त देशों का अधिदेश प्राप्त नहीं था। यह एक "व्यापक सन्धि" नहीं है क्योंकि यह परमाणु अस्त्र संपन्न राष्ट्रों को गैर-

विस्फ़ोटक प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए अपने परमाणु हथियार संबंधी अनुसंधान और विकास कार्य जारी रखने की अनुमति देती है। इसमें परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति किसी अर्थपूर्ण प्रतिबद्धता का अभाव है और परमाणु निरस्त्रीकरण प्रक्रिया की ओर एक निश्चित कदम होने की बजाय इससे केवल भेदभावपूर्ण मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का प्रयोजन ही सिद्ध होता है। परिणामस्वरूप इसका मौजूदा स्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा में कोई योगदान नहीं कर सकता है।

भारत के दृष्टिकोण से, सन्धि में 'इन्ट्री इन्टू फोर्स' से संबंधित अनुच्छेद XIV में भी एक अस्वीकार्य उपबन्ध था जिसमें भारत पर बाध्यताओं को थोपने का प्रावधान है जबकि हमने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत मौजूदा स्वरूप (पाठ) को अपनी स्वीकृति नहीं देगा। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने द्विपक्षीय चर्चाओं में और बहुपक्षीय मंचों पर भी इस स्वरूप के प्रति अपनी कड़ी आपत्तियों को व्यक्त कर दिया था। चूंकि इस उपबन्ध में संशोधन नहीं किया गया, अतः भारत ने बाध्य होकर जेनेवा और न्यूयार्क दोनों जगहों पर इस स्वरूप के प्रति अपना विरोध जाहिर किया।

प्रक्रियात्मक युक्ति से प्रारूप पाठ को न्युयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के पुनः शुरू हुए 50वें सत्र में पेश किया गया। हमने यह बात संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तथा अन्य शिष्टमंडलों को स्पष्ट कर दी कि इस तरह का रवैया इस तथ्य की अनदेखी करता है कि मौजूदा पाठ पर सहमति नहीं है जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन को दिये गये शासनादेश की पूर्ति नहीं करता है। बाद में हमने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और सभी शिष्टमंडलों को भी इन संशोधनों के बारे में सूचित कर दिया था जो निरस्त्रीकरण सम्मेलन के शासनादेश को पूरा करने के लिए प्रारूप संधि के लिए अपेक्षित होंगे। ऐसा करते वक्त, हमने सन्धि के मौजूदा प्रारूप पाठ में निहित प्रक्रियाओं और खामियों संबंधित अपनी चिन्ताओं को व्यक्त कर दिया है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमने अपने संशोधनों में इस प्रतिबद्धता की मांग की है कि परमाणु निरस्त्रीकरण एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर किया जाय तथा वास्तव में यह एक ऐसी व्यापक सन्धि हो जिससे सभी राष्ट्र प्रतिबद्ध हों कि वे परमाणु हथियारों के विकास, परिशोधन और गुणात्मक सुधार करने से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधियों से बाज आएंगे। इस दस्तावेज में हमने 'इन्ट्री इन्टू फोर्स' से संबंधित अनुच्छेद XIV के बारे में अपने संशोधन को अग्रेषित कर दिया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में विचार-विमर्श कल रात्रि समाप्त हुआ जिसमें एक संकल्प, सी.टी.बी.टी. के त्रुटिपूर्ण मौजूदा स्वरूप (पाठ) को स्वीकार किया गया तथा उस पर हस्ताक्षर करने के लिए शीघ्र ही किसी तिथि को एक सम्मेलन बुलाने की मांग की गई है। 158 राष्ट्रों ने आस्ट्रेलियाई प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसे 126 राष्ट्रों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। भारत के साथ लीबिया और भूटान ने संकल्प के विरुद्ध मतदान किया। विशेषरूप से हम इस तथ्य को समझते हैं कि पड़ोसी भूटान, जिसके साथ हमारे मित्रता और सहयोग के साथ करीबी तथा पारम्परिक संबंध हैं, ने हमारी अवधारणाओं का साथ दिया है। इसी प्रकार, यह संतोष की बात है कि मारीशस, जिसके साथ हमारे निकटवर्ती संबंध हैं, ने हमारी स्थिति को समझते हुए संकल्प पर हुए मतदान में हिस्सा नहीं लिया। कुल मिलाकर पांच देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। यह गौर करने लायक बात है कि यद्यपि संकल्प के 120 सह-प्रायोजक हैं फिर भी इस मुद्दे पर सक्रिय दिलचस्पी दिखाने वाले अनेक निर्गुट देशों ने संकल्प को सह-प्रायोजित करने से परहेज किया। इनमें अन्य देशों के साथ-साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट, नाईजिरीया, जिम्बाब्वे, मैक्सिको शामिल हैं।

सक्रिय चर्चा के बाद मतदान हुआ। चर्चा निरस्त्रीकरण पहलू पर थी जिसमें व्यापक परमाणु निरीक्षण निषेध संधि की बात कही जानी थी। चर्चा में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अनेक देशों ने भाग लिया था। अपनाई गई प्रक्रिया पर व्यापक चिन्ता व्यक्त की गई थी तथा यह आशंका व्यक्त की गई कि इससे निरस्त्रीकरण संबंधी सम्मेलन की विश्वसनियता में कमी आएगी। अनेक देशों ने 'इन्टरी इन टू फोर्स' उपबंधों को अभूतपूर्व और परम्परागत अंतर्राष्ट्रीय कानून से हट कर बताया। चर्चा में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों के प्रतिनिधियों ने संधि-पाठ में अन्तर्निहित कमियों को उजागर किया। जो इस बात को दर्शाता है कि वे भारत के दृष्टिकोण से सहमत हैं। हमारी चर्चा के दौरान कई देशों ने हमें आश्वासन दिया है कि वे हमारी चिन्ता के औचित्य को समझते हैं। हमारा यह स्पष्ट मत था कि इस मूल पाठ को स्वीकार करने के बाद भी अनेक शिष्टमंडलों की ओर से, जो वास्तव में प्राप्त हुआ है और जिस तरीके से प्राप्त हुआ है उसके प्रति चिन्ता व्यक्त की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की स्थिति को समझा है। अपने प्रस्ताव के तर्क की व्याख्या की दृष्टि से सरकार ने सभी मित्र देशों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। हमें विश्वास है कि इस मामले पर हमारे मतभेदों से दूसरे देशों के साथ आपसी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वास्तव में सोच में भिन्नता के बावजूद हमारी स्पष्ट और पारदर्शी प्रवृत्ति तथा निरन्तर बातचीत से यह सुनिश्चित हुआ है कि हमारी बात आदर से सुनी गई है। मुझे माननीय सदस्यों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिये क्योंकि यह इस सभा तथा सम्पूर्ण राष्ट्र की सहमति

है जिसने सरकार के कदम को मजबूती और विश्वसनीयता प्रदान की है।

इस बारे में, कि भविष्य में क्या होगा, मैं इस सभा को आश्वासन देता हूं कि हम अपनी स्थिति बनाए रखेंगे तथा व्यापक परीक्षण निषेध संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। 'इन्टरी इन टू फोर्स' उपबंध यह सुनिश्चित करेगी कि यह संधि कभी लागू नहीं होगी जब तक कि इसके प्रस्तावक भारत पर किसी प्रकार की बाध्यता थोपने की संभावना को दूर करने की दृष्टि से इस उपबंध को संशोधित करने को तैयार नहीं होते हैं। भारत पर कोई दबाव नहीं है तथा यदि भविष्य में कोई दबाव होता है, मुझे विश्वास है कि इस देश के पास ऐसे दबाव से जूझने की राष्ट्रीय भावना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई चर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए व्यापक, चरणबद्ध और समयबद्ध कार्यक्रम अपनाए जाने हेतु समर्थन बढ़ रहा है। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के हमारे समान लक्ष्य, जिससे भारत की और विश्व की सुरक्षा भी बढ़ेगी, को हासिल करने हेतु हमारी ठोस और सैद्धान्तिक नीति को ध्यान में रखते हुए हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पहल करना जारी रखेंगे।

अपराह्न 5.38 बजे

वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1996—जारी

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे ही मैं वित्त विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मेरे अन्दर एक अजीब सी भावना जागृत हुई है जैसाकि संयुक्त राष्ट्र में हमारी स्थिति थी। वहां पर अनेक वक्ताओं ने बहुत सी अच्छी बातें कही और तब इसे भारी बहुमत से पारित कर दिया।

वास्तव में मैं प्रतिस्पर्द्धा के बारे में कहे गये कथन से हैरान हूं—मैं जो श्री गढ़वी ने कहा है उसे कहूंगा—क्योंकि यह सम्पूर्ण विश्व में सर्वविदित है कि यह प्रतिस्पर्द्धा का जमाना नहीं है। विश्व के केवल 200 से 300 बहुराष्ट्रीय निगम विश्व के औद्योगिक उत्पादन का 60 से 70 प्रतिशत उत्पादन करते हैं तथा आप यहां बैठे प्रतिस्पर्धा की बात कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में भी ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां सम्पूर्ण विश्व में लोगों को भ्रष्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है हम अपने देश के अन्दर भी इस 'प्रतिस्पर्धा' शब्द पर अटके हुए हैं।

क्या हमारी कोई आपत्तियाँ नहीं हैं? हम लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों के हस्तक्षेप से बचाने की कोशिश करते हैं। अत: जब हम प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि विश्व के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत यह काफी हद तक स्वाभाविक है, कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से कोई इतनी प्रगति कर लेता है कि वह एकाधिकारी बन जाता है। यह प्रतिस्पर्धा का नियम है, जो एकाधिकार को जन्म देता है तथा हमें याद रखना चाहिए कि कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं।

महोदय, हम वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। इस वित्त विधेयक के माध्यम से 2,84,000 करोड़ रुपये के व्यय को वित्त पोषित करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार को 97,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। हमारे व्यय से 50 प्रतिशत से कम इस वित्त विधेयक में अपनाए गए उपायों से वित्तपोषित होगा। यह हमारा कर विधेयक है। क्या यह जरूरी है कि यह ऐसा हो।

अपराह्न 5.41 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुई)

मैं नियम के बारे में अपना मत व्यक्त करुंगा। आज जब वित्त मंत्री वित्त विधेयक को पुर:स्थापित कर रहे थे, मुझे नहीं याद कि उन्होंने 'इक्विटी' शब्द बोला हो। यह सब विकास है। सब प्रतिस्पर्धात्मकता है। वास्तव में यहां पर शायद समाज में भी विकास और इक्विटी के बीच संबंधों के बारे में यह महत्वपूर्ण अन्तर है। इस संबंध से निपटने के तीन तरीके हैं। एक तरीके के अनुसार—हालांकि इसे सम्पूर्ण विश्व में नकार दिया गया है—विकास से और दूसरे निचले स्तर तक पहुंचने से इक्विटी आएगी, देश के अन्दर ब्याज होगा। शायद इस स्थिति को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक की नीतियों के कड़े प्रतिद्वंदियों द्वारा भी अब सराहना नहीं की जाती है। इसके अन्य तरीके हैं। दूसरे संबंध में विकास के साथ न्याय की बात की गई है। मैं उस स्थिति को भी स्वीकार नहीं करता हूं।

मैं तीसरे तरीके में विश्वास रखता हूं जो न्याय के माध्यम से विकास बताता है। मुझे विकासशील देशों के हाल के अनुभव का आभास है। हाल ही में मुझे हैरानी हुई थी। चीन के समाचार पत्र में भी इसे इस ढंग से व्यक्त किया गया कि 1980 के दशक में एशिया में छोटा 'टाईगर' पनपा; 1990 के दशक में यह बड़े 'टाईगर' से मिल गया जोकि स्वयं चीन है; तथा उसके बाद पनपता हुआ टाईगर, भारत शायद अब इस शताब्दी के अन्त की ओर अग्रसर है। यह चीन का पाक्षिक है जो इसे नोट कर रहा है। अब उन्होंने भारत के अलावा वियतनाम का भी उल्लेख किया है।

जो बात हम हमेशा छोड़ देते हैं। वह यह है कि विकास के इन सभी मुद्दों में न्याय और इक्विटी ऐसे मार्ग हैं जिनके माध्यम

से यह विकास हो सका है। इसे दूसरे तरीके से भी व्यक्त किया गया है। इसे मानव विकास दृष्टि से भी व्यक्त किया गया है। मानव विकास वाले ये सभी देश, पूर्ण विकसित जापान समेत, हमसे ऊपर हैं तथा ये सभी समाज के भीतर 'इक्विटी' के उत्पाद है।

शासन पद्धति भिन्न थी। कभी-कभी यह तानाशाही वाली थी। शायद किसी भी देश की प्रणाली हमारी तरह संसदीय प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं है। लेकिन फिर भी हमने लोगों को लाने का प्रयास किया था। पहले की योजनाओं को तैयार करते समय भी हमने यह कल्पना की थी कि हम अपनी पूरी क्षमता से अपनी अर्थव्यवस्था को समुन्नत करने का प्रयास करेंगे।

इसी दृष्टिकोण के आधार पर मैं इस वित्त विधेयक का भी मूल्यांकन करना चाहता हूँ। प्रस्तावना के रूप में दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा जिसका मैंने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया है, वह इक्विटी के अतिरिक्त बचत दर जो हमारे विकास के अंग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है में सुधार है। वास्तव में मैंने उसका बजट भाषण में उल्लेख किया था। जबकि निवेश पर बल दिया गया है बचत पर बल नहीं दिया गया है! मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने इसका उत्तर कैसे दिया। जब वे वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे, तो मैं उपस्थित नहीं था।

एक बार फिर हमें इस दूसरी महत्वपूर्ण बात को देखना है कि पहले इक्विटी, फिर बचत, पुराना और तीसरा घरेलू उत्पादक शक्तियां, उनको कैसे बचाया जाये ताकि हम तेज और न्यायपूर्ण ढंग से विकास कर सकें। अब इस आधार पर हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपने अधिक भी एकत्रित किया होता तो भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ होता।

मैंने यह अपने बजट भाषण में कहा था कि इसे प्रारम्भ की शुरूआत कहा जा सकता है। मैंने सोचा था कि उत्तर 'हां' में होगा क्योंकि यह केवल पहला वर्ष है। मुझे इसका पता नहीं है कि क्या वह उत्तर था। लेकिन हमें इसे स्मरण रखना है कि पहले वर्ष में, आप क्या छोड़ रहे हैं? हम 'मैट' पर चर्चा कर रहे हैं। किसी ने भी इसका उल्लेख नहीं किया कि हमने निगम कर पर अधिभार को 15 प्रतिशत से कम कर के साढ़े सात प्रतिशत कर दिया है। आपने कितना छोड़ा? प्राप्ति बजट कहता है। ये आंकड़े बहुत दिलचस्प हैं। वर्ष 1995-96 के लिए जानकारी नहीं है। श्री मनमोहन सिंह को गलत आंकड़े देने की आदत है। अब उन्होंने कहा है कि 15000 करोड़ रुपये निगम कर उदग्रहण के आधार पर 15 प्रतिशत अधिभार के आधार पर, वह 357 करोड़ रुपये जुटाने की आशा कर रहे हैं। इसमें कोई संबंध नहीं है। वास्तव में, संशोधित प्राक्कलनों में, एक शुद्धि है। यहां कहा गया है कि निगम कर द्वारा 14000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों में अधिभार 2044 करोड़ रुपया होगा। अब आप केवल कल्पना कीजिए 15 प्रतिशत की बजाय 7 प्रतिशत अधिभार के आधार पर अगले वर्ष के आंकड़े, जैसा कि बजट में प्रस्ताव किया गया है, 2044 करोड़ से 2051 करोड़ रुपये के बीच है। मुझे इन आंकड़ों पर सन्देह है। मैं इन आंकड़ों को मान लेता हूं। फिर आप कहते हैं कि आपने 2351 करोड़ रुपये और छोड़ दिए हैं क्योंकि आपने अधिभार को 15 प्रतिशत से कम करके साढ़े सात प्रतिशत कर दिया है। जब आप यह कहते हैं कि आप के पास संसाधनों की कमी है तो क्या यह कहना सही था? आप को और दो वर्षों तक प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और ऐसा नहीं किया गया। मुझे पता नहीं कि उनको शीघ्रता करने की सलाह किसने दी। ... **(व्यवधान)** ऐसा नहीं है। यह लगभग* ... कांग्रेस के मित्र संयुक्त मोर्चा को समर्थन दे रहे हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर): हम पूरी वफादारी के साथ एकजुट हुए हैं। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: इसी तरह, इस बात को पूरा करने के लिए, मैं अखबारी कागज पर सीमा शुल्क से सहमत हूँ जिसका उन्होंने उल्लेख किया है।

श्री संतोष मोहन देव: सभा का समय एक या दो घंटे बढ़ाने का सदस्यों का अनुरोध है क्योंकि कल और परसों अंतिम दिन हैं। कई सदस्य बोलने के इच्छुक हैं।

श्री सुरेश प्रभू (राजापुर): सात घंटे का समय नियत किया गया है।

श्री संतोष मोहन देव: हम आज का समय एक घंटा क्यों नहीं बढ़ाते? **(व्यवधान)** जो बोलना नहीं चाहते वे जा सकते हैं। **(व्यवधान)** उनका अवसर समाप्त नहीं होगा। **(व्यवधान)** अतः, यदि संभव हो, तो हम एक घंटा समय बढ़ा सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री सुरेश प्रभू: हम कल बैठ सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: आप सहमत नहीं है।

सभापति महोदय: हम केवल एक घंटा समय बढ़ाना चाहते हैं।

... **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: फिर आप दस मिनट और बोल सकते हैं। **(व्यवधान)**

*अध्यक्षपीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाला गया।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: नहीं, नहीं (**व्यवधान**) रात्रि 8.00 बजे रात्रि भोजन का निमंत्रण है। (**व्यवधान**)

सभापति महोदया: श्री चटर्जी, कृपया अपना भाषण जारी रखिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: सभा का समय नहीं बढ़ाया जा सकता। जब तक समय बढ़ाने पर सहमति नहीं होती, समय नहीं बढ़ाया जाता। अत: यदि आप यह सोचते हैं कि आप सायं 6.00 बजे तक काम करने की बात से जुड़े हैं, तो समय नहीं बढ़ाया जायेगा। (**व्यवधान**)

सभापति महोदया: किसी भी स्थिति में, हमें आगे चर्चा जारी रखनी चाहिए। इस बीच, संसदीय कार्य मंत्री भी आयेंगे।

... (**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उन्हें आने दीजिए। लेकिन वे सभा को आदेश नहीं दे सकते। ... (**व्यवधान**)

आज यह प्रस्ताव किया गया है कि एक टैरिफ आयोग होगा। शायद टैरिफ आयोग केवल सीमा शुल्क को ही नहीं देखेगा बल्कि उत्पाद शुल्क को भी देखेगा। मुझे सुझाव देने दीजिए। उन्हें प्रतियोगिता स्तर और संरक्षण स्तर पर विचार करना है जो बाहर से आ सकता है और इसलिए, उन्हें उत्पाद शुल्क के साथ सीमा शुल्क भी माफ करना है तो वे लगा रहे हैं। एक तरीके से यह दुधारी कैंची है। इसकी जांच करनी है। मुझे आश्चर्य है कि टैरिफ आयोग के प्रस्तावों के बावजूद प्रारम्भिक वर्ष के दौरान 650 करोड़ रुपये का सीमा शुल्क छोड़ दिया गया है। हमें अगले वर्ष की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी और उसकी तुलना में सीमा शुल्क पर दो प्रतिशत सामान्य कर लगाया गया है, जो अच्छी बात है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। उससे घरेलू उद्योग के संरक्षण में वृद्दि होगी। लेकिन कई और शिकायतें हैं क्योंकि शायद यह शीघ्रता में किया गया था। सीमा शुल्क के संबंध में कई शिकायतें थी। उन्होंने अपने प्राक्कलन में उनमें से कुछ को गणना में लेने का प्रयास किया है, लेकिन कई और छोड़ दी गई हैं।

अत: यहां मेरी आलोचना यह है कि अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य बचत दर में वृद्धि करना और सरकारी क्षेत्र, सरकार के लिए अधिक धन के व्यवस्था करना होगा क्योंकि सक्षम सरकारी क्षेत्र के बिना एकाधिकारी प्रवेश के इस विश्व में वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत अर्धविकसित देशों की इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतियोगिता में टिकने और सफल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दक्षिण कोरिया, चीन और मलेशिया की भी यही कहानी है और यदि हमें उनसे सीखना है तो हमें इन क्षेत्रों से सीखना चाहिए।

यहां "मैट" का जिक्र आया है। यह आश्चर्यजनक भी है कि पिछले पांच वर्षों से हम पिछले माननीय वित्त मंत्री से यह आग्रह करते रहे हैं कि पहले भी ऐसा प्रावधान था—बिल्कुल नहीं, लेकिन इसी प्रकार का—ऐसा प्रावधान जिसमें 30 प्रतिशत लाभ पर कर लगाया जाना था। ऐसा प्रावधान था। मेरे विचार में इसे श्री प्रणव मुखर्जी के दिनों में शुरू किया गया था किन्तु निवेश भत्ता आदि के संबंध में कुछ वादविवाद के कारण उसे मुख्यतया हटा दिया गया था।

अब, यह वही तो नहीं है परन्तु उसी प्रकार का है। दृष्टिकोण वही है। यदि आप लाभ कमाते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप केन्द्रीय खजाने में एक भी पैसा न जमा कराएं। परन्तु यह प्रश्न उठाना होगा। इसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उठाया गया है और वह है—हमने इस ढंग से रियायतें क्यों प्रदान की हैं कि वे न केवल इस वर्ष के लिए कर नहीं दे सकते हैं बल्कि ऐसे बचत अगले वर्ष के लिए भी जमा कर सकते हैं? हमारे आयकर नियमों का यह स्वरूप है, एकदम अपवादों से भरा हुआ। हम यह साहसिक कदम क्यों नहीं उठा सकते? और कम से कम घोषणा के रूप में तो ऐसा कर ही सकते हैं। मैं यह मानता हूं कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां रियायतें देनी पड़ेंगी।

अपराह्न 5.56 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभा की सर्वसम्मति के बिना माननीय अध्यक्ष महोदय भी सभा की बैठक बढ़ा नहीं सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं बोलने के लिए आपको और अधिक समय देना चाहता हूं।

(**व्यवधान**)

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: धन्यवाद। मैं यह कहना चाहूँगा कि यदि किसी चीज के लिए कोई शिकायत हो सकती हों तो यह इन ट्रस्टों तथा धर्मार्थ न्यासों के लिए हो सकती है। मेरे मित्र यह सुझाव दे रहे थे कि जब प्रधान मंत्री राहत कोष में अंशदान को छूट दी जाती है तो मुख्य मंत्री राहत कोष में अंशदान को भी छूट क्यों नहीं दी जाती? यदि दृष्टिकोण इन सभी को छूट देने का है तो आय सांविधिक पुस्तक से इन सभी छूटों को हटा दीजिए। केवल तभी हम करों की दरों में सुधार कर सकते हैं। केवल तभी पुस्तकों पर कर की प्रभावी दर 40 प्रतिशत या 50 प्रतिशत रहेगी और यथाचित यह 8 या 10 प्रतिशत है।

मैंने सी.एम.आई. की यह रिपोर्ट देखी है। जब डा. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे तब यह थी। चुनावों में भी हम इसे साथ ले

जाते थे। पूरी शीट मेरे पास थी। लगभग 5000 नाम इसमें थे यद्यपि कम्पनियों की संख्या कम थी, क्योंकि प्रत्येक कम्पनी के लिए कई नाम थे। उस समय हमारा अनुमान यह था कि लगभग 40,000 करोड़ रुपये की आय करों से बची हुई थी। हो सकता है ये आंकड़े एकदम ठीक न हों। कृपया इन्हें दुरुस्त कर लें। किन्तु मुद्दा यह है कि आप अनुसंधान और विकास के लिए करों से छूट दीजिए। मैं कहूंगा कि निर्यात पर भी कर से छूट दीजिए क्योंकि हम चाहते हैं कि निर्यात आयात से अधिक हो। इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें यह करना है। आप पिछड़े क्षेत्रों में निवेश के लिए छूट दीजिए तथा बचत के लिए छूट दीजिए। इसके अतिरिक्त अन्य किसी चीज को कर-मुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: कृपया इसे पुनः कहिए।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: मैंने चार बातें कही हैं। महोदय, मुझे आवंटित समय में से यह समय कम कर लिया जाना चाहिए।

मैंने अनुसंधान और विकास, निर्यात, पिछड़े क्षेत्रों तथा बचत के बारे में कहा था।

बचत के संबंध में, प्रोत्साहन देने पड़ेंगे। बचत के मामले में यह एक विशेष बात है जो इतने वर्षों से जारी है। यहां तक कि इस वर्ष के बजट में भी उन्होंने यह प्रस्ताव किया कि धारा 80-एल के तहत रियायतें 13000 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये कर दी जानी चाहिए।

मैंने डा. मनमोहन सिंह से भी बार-बार यही बात कही है कि धारा 80-एल के उपबंध के बजाय उन्हें इसे धारा 88 से जोड़ना चाहिए जिसके तहत किसी व्यक्ति को वर्तमान वर्ष की आय से या पिछले वर्ष की आय से भी बचत करने की अनिवार्यता है। और ऐसा यहीं, आज ही संशोधन करके किया जा सकता है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने धारा 88 में एक संशोधन प्रस्तुत किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: वह नहीं। आप धारा 88 के विपरीत आय के कुछ अंश को कोई कर देने से छूट देना चाहते हैं जिसमें यह कहा गया है कि 20 प्रतिशत बचत को रियायत दी जायेगी। आप इसे सामान्यतया कर सकते थे—60,000 की सीमा बनी रहने दीजिए। किन्तु 10,000 का प्रथम हिस्सा या 20,000 का प्रथम हिस्सा, यदि इसे जमा किया जाए, तो वह पूरी तरह कर मुक्त होगा।

अपराह्न 6.00 बजे

यह लोगों की वर्तमान वर्ष की आय से बचत होती। मुझे म्यूचुअल फण्ड से जो आय होती है वह 50,000 रुपये से अधिक है। मुझे बचत के लिए अलग से एक नया पैसा भी नहीं देना होता है।

अध्यक्ष महोदय: एक मिनट, कृपया। छः बज गए हैं और इस विधेयक पर 24 और लोगों ने यहाँ बोलना है। यह विधेयक कल राज्य सभा में जाना है, क्योंकि परसों गैर-सरकारी सदस्यों का दिवस है। इसलिए, हमें यह विधेयक पारित करना है और सभा का समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या इस बैठक को बढ़ाने के बारे में सभा की सम्मति है।

श्री मधुकर सर्पोतदार (मुम्बई उत्तर-पश्चिम) : महोदय, क्षमा करें। हमें यह जानकारी पहले से नहीं मिली। हम इस विश्वास से कि सभा छः बजे तक समाप्त हो जाएगी, कुछ कार्यक्रम बाहर भी नियत कर लेते हैं। हम यहां 11 बजे आते हैं और 6 बजे तक बैठते हैं। जब हमें ऐसी जानकारी अंतिम समय मिलती है तो कार्यक्रम समायोजित करना बहुत कठिन हो जाता है। मैं सभा के सम्मुख बहुत की विनयपूर्वक कह रहा हूं कि इसका निर्णय पहले ही कर लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, भविष्य में इसका निर्णय पहले से कर लिया जायेगा।

श्री मधुकर सर्पोतदार: महोदय, आज के बारे में?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका सुझाव स्वीकार करता हूं।

श्री मधुकर सर्पोतदार: इस मामले में मेरा अनुरोध यह है कि हमारी तरफ से बोलने वाले एक या दो व्यक्तियों को कल समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा इस बात पर सहमत हो कि कल शून्य काल नहीं होगा तो मैं सहमत हो सकता हूं, क्योंकि 1 बजे तक यह विधेयक राज्य सभा में जाना है और राज्य सभा को इसे पारित करना है। इसलिए, हमें आज रात ही चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत 6.00 बजे रखा है। उपाध्यक्ष महोदय से दिन भर हमारा ज्यादा सम्पर्क रहता है। अगर हम उनके स्वागत में नहीं जाएंगे तो वे हमारी सी.आर. खराब कर देंगे और हमें हाउस में नहीं बोलने देंगे। इसलिए कृपा करके आप क्षमा कीजिए। आप इस सीट पर बहुत कम आते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उधर से होकर आ जाईये। जब तक आप वापस नहीं आयेंगे, मैं यहां बैठूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: हमारे नेता जसवन्त सिंह जी ने कहा है कि एक घंटा हाउस और बैठ सकता है। इसलिए एक घंटा आप और चला लीजिए। एक घंटे के बाद चलाना अन्याय होगा। यदि हम स्वागत में नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। हम 7.00 बजे चले जायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हमारी समस्या यह है कि इसे कल राज्य सभा में जाना है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, एक सदस्य अपनी समय सीमा से अधिक देर तक बोल रहा है और दूसरे सदस्य को बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। समय-सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: क्या हमें इसे 2 घण्टे करना चाहिए?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: दो घण्टे में तो रात हो जाएगी। आप एक घण्टा बढ़ा लीजिए। इतना ही काफी है। हम वहां 6.00 बजे की बजाय 7.00 बजे चले जाएंगे।

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): समय दो घण्टे बढ़ा दिया जाए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हमें समझौता करके इसे डेढ़ घण्टे ही बढ़ाना चाहिए।

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। जिन्हें आज बोलने का अवसर नहीं मिलेगा क्या उन्हें कल अवसर दिया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता हूं। कल एक बजे वित्त मंत्री को उत्तर देना है। कोई विकल्प नहीं है।

श्री सुरेश प्रभु: उससे पूर्व एक या दो वक्ता बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: जब तक शून्यकाल खत्म न किया जाये ऐसा कैसे हो सकता है?

श्री सुरेश प्रभु: महोदय, यह हमारी गलती नहीं है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: उन्हें बोलने देने के लिए प्रश्न काल भी अस्थगित किया जा सकता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है, हम वह सब करेंगे और हम इसे 7.30 म.प तक जारी रखेंगे। कल दोपहर 1 बजे वित्त मंत्री उत्तर देंगे।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: प्रत्येक सदस्य को ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक बोलने का समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: श्री चटर्जी, अपने साथियों पर रहम कीजिए। कृपया अपनी बात शीघ्र समाप्त करें।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: मैं अपने एक अच्छे मित्र, जसवंत सिंह जी की भांति तथ्यों को नहीं छिपाऊंगा। महोदय, मैं केवल इस वित्त विधेयक के संबंध में ही बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी की ओर से दो वक्ता हैं। उनके लिए 23 मिनट तक के समय की अनुमति दी गई थी और आपने पहले ही 21 मिनट ले लिये हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: मैं आपका सुझाव मानता हूँ।

महोदय, मैं आयकर अधिनियम की धारा-88 के बारे में बात कर रहा था। मेरे विचार से इस बारे में पहले ही बात की जा चुकी है और मुझे उस बात को दुबारा कहने की आवश्यकता नहीं है।

अगला मुद्दा आयकर ढांचे के बारे में है। हम सभी आयकर ढांचे के बारे में चिंतित हैं। हम यह कहते हैं कि उच्च दर पर आयकर का भुगतान करने में लोगों को कठिनाई होती है और कभी-कभी यह दर असामान्य होती है और इसलिए कोई भी व्यक्ति आयकर का भुगतान नहीं कर रहा। हम इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि इस प्रकार की मनोवृत्ति निचले स्तर पर भी देखने को मिलती है।

अपराह्न 6.06 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

मैं पिछले पांच वर्ष से पूर्व वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देता आ रहा हूँ कि आयकर की न्यूनतम दर 10 प्रतिशत से शुरु होनी चाहिए ताकि पहली बार आयकर का भुगतान करते समय किसी व्यक्ति को ठेस न पहुंचे। हमारे वर्तमान वित्त मंत्री अब आरंभिक स्लैब को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने के लिए सहमत हो गये हैं। मैं उनसे अपने इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध कर रहा हूँ कि इस आरंभिक स्लैब को घटाकर 10 प्रतिशत किया जाये। विभाग को निश्चित रूप से इसकी जानकारी है क्योंकि हम पिछले पांच वर्ष से यह सुझाव देते आ रहे हैं। पहली स्लैब 10 प्रतिशत से आरंभ होनी चाहिए। लेकिन आरंभिक चरण में यह

अधोगामी नहीं होना चाहिए किन्तु जब यह स्लैब लंबा होता है तो यह काफी हद तक अधोगामी हो जाता है और इसलिए अगले स्लैब में 15 प्रतिशत का अंतर नहीं होना चाहिए। यह अंतर 10 प्रतिशत का होना चाहिए ताकि पहला स्लैब 10 प्रतिशत से आरंभ हो, दूसरा स्लैब 20 प्रतिशत से, तीसरा स्लैब 30 प्रतिशत से आरंभ हो और यह इसी तरह आगे बढ़ता रहे। बाद में यह 5 प्रतिशत भी हो सकता है क्योंकि स्लैब जितना छोटा होगा वह उतना ही पुरोगामी और उचित होगा। आप इसे सरल अंकगणित कहें अथवा आंकड़े आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि वह इसमें संशोधन कर रहे हैं तो वह इस सुझाव पर विचार करें मुझे विश्वास है कि इससे कोई हानि नहीं बल्कि इससे लाभ ही होगा क्योंकि हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि मध्यम वर्ग के लोगों की यह मानसिकता है कि वे स्वयं को आयकर दाता कहलाने में गर्व महसूस करते हैं। आप उन्हें 10 प्रतिशत का स्लैब देकर तथा आयकर के दायरे में लाकर उनकी इस मानसिकता का फायदा उठायें।

मैं इसके संबंध में जो अगली बात कहना चाहता था वह यह है।

सभापति महोदया: क्या यह अंतिम बात है?

श्री निर्मल कांति चटर्जी: बिल्कुल नहीं।

हमारे वित्त मंत्री ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने सरकारी कार्यालयों द्वारा कम खर्चा करने का अनुरोध किया है और उन्होंने खर्चे में 10 प्रतिशत कटौती करने का सुझाव दिया है। जब वह सरकारी कार्यालयों द्वारा कम खर्चा करने की बात करते हैं तो वह यह क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें किफायत बरतने की इस मानसिकता को बाहर के समाज में प्रतिबिंबित करना है और यही उन्होंने नहीं किया।

मेरी स्थिति चिली के समान है और उन की स्थिति संयुक्त राष्ट्र महासभा के समान है जहां सभी लोगों ने यह कहकर चिली का समर्थन किया कि वे सही बात कह रहे हैं लेकिन अंततः उन्होंने उसके खिलाफ मतदान किया। मैं ऐसा क्यों कहूं? हम आयकर के साथ ही किसी प्रकार की किफायत बरतने की शुरुआत क्यों नहीं कर सके? यह बिल्कुल भी असंभव बात नहीं है। आप मितव्ययता की प्रथा आरंभ करें। आप उन्हें विदेशी निवेश, प्रचार आदि के माध्यम से, संभवतः रिश्वतखोरी के भी माध्यम से खर्च करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और आप कर-निर्धारण में खर्च के तत्व को शामिल करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वहां जो व्यय-कर वहां सूचीबद्ध किये गये हैं, वे स्तर से काफी दूर हैं।

तत्पश्चात् मैंने बजट संबंधी वाद-विवाद के दौरान अपने भाषण में यह स्पष्ट किया था कि विमान द्वारा सामान लाने-ले-जाने पर लगने वाले शुल्क को कम किया गया है और उससे अधिक राजस्व प्राप्त करने का श्रेय लिया गया है। इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है कि आप कम शुल्क पर विदेशों से सुखसाधन का ज्यादा से ज्यादा सामान लाने के लिए लोगों को प्रेरित अथवा संभवतः भड़का रहे हैं ताकि आपको सीमाशुल्क में अधिक से अधिक वसूली हो सके।

इस प्रकार के दृष्टिकोण से बचना होगा और यह एक ऐसा सबक है जिसे समाज को भी सिखाना होगा।

हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान काफी शोर मचाया है। आज उन्होंने उन संशोधनों में भी उपान्तरण कर दिया है जो कि धन-कर के संबंध में इस वर्ष के वित्त विधेयक में शामिल किये गये थे। उन्होंने इसमें एक बार फिर कुछ रियायतें दी हैं। ठीक है, संभवतः यदि धन-कर के दायरे से आवासीय संपत्ति निकाल भी दी जाये तो भी इसका एक आर्थिक दायरा होता है। क्या ऐसा है?

श्री पी. चिदम्बरम: जी हां।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: सही है और वह आवासीय संपत्ति भी संभवतः अवैध रूप से प्राप्त की गई सुखराम जैसी हो सकती है। उन्होंने कहा कि 'एक संपत्ति की कीमत 6 करोड़ रुपये थी।' मान लीजिए मेरे पास केवल वही है। मुझे धनकर के दायरे से अलग क्यों रखा जाये? समता वाली बात का क्या होगा? यहां तक कि इन छूटों के संदर्भ में भी हमें चौकस और सावधान रहना चाहिए और हमें उत्तराधिकार-कर तथा दान-कर पर भी पुनः विचार करना चाहिए। उन्होंने संभवतः अपने राज्य में हुई उस मशहूर शादी के विरोध में अपने मूल संगठन से नाता तोड़ लिया है। इन सभी उपहारों को एकत्रित नहीं किया जा सकता। यदि उस शादी में 2 करोड़ अथवा 3 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं, तो क्या उन लोगों को, जिन्होंने उपहार दिये हैं अथवा लिये हैं, को कर दायरे के भीतर लाया जाना चाहिए। सम्पदा-शुल्क के बिना दान-कर अथवा अन्य संक्रामण कर एक निरर्थक बात होगी। उन्होंने इसकी जांच नहीं की है। उन्होंने इस बात की भी जांच नहीं की है कि किस प्रकार के संशोधन करना संभव है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आयकर के दायरे में लाया जा सके। इसके अलावा...

सभापति महोदया: और कितने सदस्य बाकी हैं?

श्री निर्मल कांति चटर्जी: महोदया, वास्तविकता यह है कि...

सभापति महोदया: लेकिन तब आपको अन्य लोगों के बारे में भी सोचना होगा।

श्री निर्मल कांति चटर्जी: ठीक है। मैं थोड़े से ही समय में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

अंतिम कड़ी मार चैलेया समिति के संदर्भ में जब उन्होंने परेषण-कर को लागू नहीं किया। हम काले धन के बारे में कितनी बातें करते हैं। हम बच निकलने की बात तो काफी करते हैं यद्यपि कहते यह हैं कि मैं पोत से यह सामान ला रहा हूँ और मैं बेच नहीं रहा जिससे मैं बिक्री-कर से बच रहा हूँ। परेषण-कर राज्यों को मिलना चाहिए। देश की कुल अर्थ-व्यवस्था के भीतर सरकारी खजानों में इसका काफी महत्व होगा और यह कदम उन्होंने नहीं उठाया है। उन्होंने कहा है कि साझा न्यूनतम कार्यक्रम तैयार करने वालों में से वह भी एक थे। लेकिन उन्होंने यह मुद्दा वहां भी छोड़ दिया है। इसलिए मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहा हूँ। आप इस पर आगे कार्यवाही नहीं करते? आप यह बात क्यों नहीं कहते? सभी प्रकार के तर्क दिये गये हैं कि राज्य इस बात से सहमत नहीं है, आदि आदि। लेकिन वह बात न तो यहां कही गई है और न ही वहां। मैंने सिर्फ इसी कारण से कोई भी संशोधन करने का सुझाव नहीं दिया है कि मेरी पार्टी उन्हें मुझे सभा के समक्ष रखने की अनुमति नहीं देगी। यद्यपि मैं सरकार में भागीदार नहीं हूँ किन्तु मैं संयुक्त मोर्चे में भागीदार हूँ। इसलिए मेरा सुझाव है कि कृपया इस बात को ध्यान में रखें और स्वयं आयकर पर व्यय अधिभार और परेषण कर संबंधी विवरण सहित अपने संशोधन प्रस्तुत करने का प्रयास करें।

महोदया, आपने मेरी बातों पर जो थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, उसके लिए धन्यवाद और इसके साथ ही मैं यहां अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उत्तम सिंह पवार (जालना): महोदया, वास्तव में दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हमारे वित्त मंत्री को एक दिवसीय क्रिकेट मैच की भाँति व्यवहार करना होगा। जिन्हें अपने आपको सुरक्षित रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति भी करनी है। हालांकि मैं सत्ता-पक्ष से नहीं हूँ तो भी मेरा यह कहना है, कि उनसे सभी अपेक्षाएं रखना बहुत कठिन है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदया, यदि मैं यह बात नहीं करता हूँ तो मैं इस सभा से बाहर जाने के योग्य नहीं रहूँगा। उन्होंने सिन्थेटिक उद्योग को रियायतें दी हैं और पटसन चिन्तित है। वे चिन्तित हैं, क्योंकि जिस तरह की रियायतें उन्होंने दी हैं उससे पटसन से बने हुए सामान का उत्पादन बन्द हो जाएगा। उनको इस बात की शंका है और मुझे इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। अखबारी कागज के संबंध में यह पहले ही उल्लेख किया जा चुका है...

श्री उत्तम सिंह पवार: मैं अखबारी कागज से संबंधित मुद्दे का उल्लेख करता हूँ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: महोदया, वह मेरी ओर से बोलेंगे।

श्री उत्तम सिंह पवार: यह विधेयक अस्सी प्रतिशत कृषकों की अवहेलना करता है। स्पष्ट तौर पर, कितने लोग ड्रिप सिंचाई और ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं? यद्यपि हमने प्रत्येक ट्रैक्टर पर तीस हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की है, और मुश्किल से दो प्रतिशत कृषक ही ट्रैक्टर का प्रयोग कर रहे हैं, इसके अतिरिक्त ड्रिप सिंचाई का भी यही हाल है। एक औसत किसान जिसके पास दो, तीन अथवा चार एकड़ भूमि है, वह इसका सपना भी नहीं देख सकता। निश्चित रूप से, वित्त मंत्री महोदय इस मामले को देखें, यह मेरा पहला निवेदन है।

अखबारी कागज उद्योग के संबंध में, हमारे देश का भाग्य बहुत खराब है, क्योंकि इस समय हम पन्द्रह हजार रुपये प्रति टन की दर से अखबारी कागज का आयात कर रहे हैं जबकि हमारी इसकी उत्पादन दर बीस हजार रुपये प्रति टन के करीब है। अतः बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से मुकाबला करना वास्तव में बहुत कठिन है। मैं स्वयं एक लघु उद्योगपति होने के नाते परेशानियों से अवगत हूँ। सरकार को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारे उद्योगों में गिरावट आनी चाहिए। यदि हमारी नीति इस प्रकार की है तो हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि हम इसके लिए प्रशिक्षित नहीं हैं। हमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी गई है जिस प्रकार की पश्चिमी देशों अथवा अमरीकी देशों में दी जाती है। स्वाभाविक रूप से, हमारी औद्योगिक नीति ऐसी होनी चाहिए, कि हम जिन चीजों को बनाते हैं उनकी तुलना दूसरी चीजों से न करें।

अखबारी कागज के संबंध में, मैं फिर यह कहना चाहूंगा कि यदि वित्त मंत्री इस मामले की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो इस उद्योग का भविष्य बहुत बुरा होगा। राजस्व प्राप्तियों के संबंध में निश्चित रूप से वे अट्ठारह प्रतिशत की दर प्राप्त कर रहे हैं। जबकि सकल घरेलू उत्पाद सात प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। मैं यह नहीं जानता कि वे ग्यारह प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धि कैसे प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त पूँजीगत प्राप्तियां भी बढ़ रही हैं। राजस्व घाटा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहा है। बहुकर प्रणाली हमारे देश को दूषित कर रही है। माननीय वित्त मंत्री, इसे अच्छी तरह जानते हैं।

इसके साथ ही, हमें बहुत सी बातों पर विचार करना होगा। हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं। वित्त मंत्री से मेरा सिर्फ यह अनुरोध है कि वह सेलो कार अथवा मर्सीडिज बेंज़ को यहां न

लाएं। इन गाड़ियों को चलाने के लिए, हमारे यहां सड़कें भी नहीं हैं। कृपया सार्वजनिक-यातायात के लिए कुछ करें। हमारी सार्वजनिक यातायात-प्रणाली बहुत बुरी हालत में है हमारे पास सेलो अथवा मर्सीडिज बेंज को चलाने के लिए सड़कें नहीं हैं।

डा. के.पी. रामालिंगम (तिरुचेंगोडे): सभापति महोदय, मैं उत्साही और गतिशील वित्त मंत्री, जिन्होंने इस वर्ष राष्ट्र को अदभुत और उपयोगी बजट दिया है, द्वारा प्रस्तुत वित्त विधेयक का स्वागत करता हूँ तथा इसका समर्थन करता हूँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने देश में अर्थव्यवस्था के संवर्धन हेतु निगमित क्षेत्रों को अनेक रियायतें और छूट दी हैं। अकेले कृषि विकास से भारत की अर्थव्यवस्था का संवर्धन हो जायेगा। कृषि, जो किसी भी सभ्यता में उपलब्ध की जाती रही है। प्राचीन काल से हमारा परम्परागत व्यवसाय रहा है। महान तमिल कवि श्री तिरुवल्लुवर ने कहा था कि:

"सुझान्द्रम एआरपिन्नाधु उलागम

उझेन्द्रम उझेवे थालई।"

उनका तात्पर्य यह है कि 'प्रत्येक अन्य व्यवसाय कृषि पर निर्भर होता है।' उन्होंने यह भी कहा कि मृदा की जुताई करना प्रत्येक दूसरे व्यवसाय से आगे है। क्या हम इस देश में कृषि को उच्च प्राथमिकता देते हैं? बेशक, अब, स्वतंत्रता के लगभग पांच दशकों के बाद हम ऐसा कर सके हैं। वर्ष 1996-97 के आम बजट में कृषि के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 32 प्रतिशत उपलब्ध करने के मांग की गई है।

अब परिवर्तन का समय आ गया है। सिंचाई लाभ कार्यक्रम में 900 करोड़ रुपये लगाकर तेजी लायी जायेगी। ऋण सुविधाएं बढ़ाना, कृषि उपकरण और खादों के लिए आर्थिक सहायता में बढ़ोतरी, छोटे और सीमान्त किसानों पर विशेष बल, ग्रमीण आधारभूत विकास निधि को सुदृढ़ करना अति-आधुनिक कृषि में निवेश को बढ़ावा देना तथा कृषि-संस्करण को प्रोत्साहन देना इस वर्ष के बजट प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं है।

योजना बनाना एक बात है तथा इसे क्रियान्वित करना अलग बात है। यह दुर्भाग्य की बात है कि वे भारत में दो भिन्न-भिन्न योजनाओं को चलाने का प्रयास करते हैं। व्यवहार्य निगरानी तन्त्र की स्थापना और पंचायत राज और सहकारिता आन्दोलन के जरिये उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना वचनबद्ध भूमि के समान है।

लगभग एक दशक पहले इस देश में बुआई किये जाने वाला सकल क्षेत्र लगभग 18.5 करोड़ हेक्टेयर था। यह देखकर दुख होता है कि इसे पर्याप्त रूप से और नहीं बढ़ाया जा सका। उस बुआई क्षेत्र के लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में वर्ष में एक बार से अधिक बुआई नहीं की जाती है। इसका कारण यह है कि 4.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भू क्षेत्र में ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमें व्यवहार्य सिंचाई नीति बनानी चाहिए। जिसके लिए, सिंचाई सुधार के लिए अभी और निधियां आवंटित की जाएं। इस वित्त विधेयक में इस बात की कमी है।

उन्नत कृषि पद्धतियां, आधुनिक उपकरण, बेहतर जल प्रबन्ध, वैज्ञानिक सिंचाई पद्धतियां, अच्छी किस्म के बीजों की आपूर्ति, विस्तार शिक्षा के माध्यम से हमारे कृषि-वैज्ञानिकों से प्रोत्साहन समय की मांग है। इसके लिए समर्पित और अर्पण की भावना की आवश्यकता है।

हमने अपनी अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा दिया है। हमने विश्वव्यापीकरणी को थोड़ा-बहुत स्वीकार कर लिया है। इससे हमें चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। हमारे विश्व के बाजार में प्रवेश करने के बदले हम अपने देश को खुले बाजार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इस नयी अर्थव्यवस्था की स्थिति को सुअवसर में किस प्रकार बदला जाए, किस प्रकार इससे लाभ उठाया जा सके?

कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का आधुनिक तकनीकी जानकारी के साथ मानकीकरण किया जाना चाहिए। हमें कृषि-प्रौद्योगिकी का आयात करने की आवश्यकता है। निम्न लागत के कृषि उपकरणों का निर्माण करने पर बल दिया जाना चाहिए। इजराइली कृषि पद्धति से हमें सबक लेना चाहिए। इसके लिए, कृषि हेतु और अधिक धन का आवंटन किया जाना चाहिए।

इतने वर्षों से हमारे देश में क्या हो रहा है? यहां पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, किन्तु प्रेरणा और उचित मार्गनिर्देश की कमी है। अब हमें सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम के माध्यम से नया मार्ग मिल गया है।

मुझे पूरी आशा है कि इस वर्ष 2500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता से ग्रामीण आधारभूत विकास निधि को काफी सहायता मिलेगी। राष्ट्रीय कृषि क्रांति लाने हेतु यह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी।

सिंचाई लाभ कार्यक्रम में 900 करोड़ रुपये से तेजी लायी जानी चाहिए। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें और वृद्धि की जाए। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जल-विज्ञान विशेषज्ञ यह महसूस करते हैं कि उन क्षेत्रों में अतिरिक्त कार्य करने से भूतल क्षमता में वृद्धि की जा सकेगी। इससे ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति आदि जैसी विशिष्ट जल प्रबन्ध तकनीकों को व्यवहार्य बनाया जा सकेगा।

इन उपायों को अपनाने वाले किसानों को राजसहायता 78 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है और कमजोर वर्गों को यह 90

प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। हमारे उत्पादन के लिए यह एक अच्छी बात है।

इस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 1000 करोड़ रुपये हो गई है। अगले चार वर्षों में यह तीन गुणा होकर 1500 करोड़ हो जायेगी।

मैं सिंचाई के लिए विद्यमान नहरों के संरक्षण की आवश्यकता, खेतों को हरा-भरा रखने और नहरों के रख-रखाव के लिए अधिक कार्य और धन की आवश्यकता है। बजट में और वित्त विधेयक में भी इस बात का उल्लेख किया गया था। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को उचित अनुदेश दिये जाने चाहिए। तमिलनाडु सरकार की इस बारे में समस्या है। मैं आशा करता हूँ कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करेगी।

कावेरी जल विवाद को सुलझाने के लिए कावेरी अधिकरण के अध्यक्ष के पद को तुरंत भरा जाना चाहिए। केवल तभी इस समस्या का समाधान होगा। तभी हम तमिलनाडु में कृषि-विकास का संवर्धन कर सकते हैं। छोटे ट्रैक्टर खरीदने के लिए सभी किसानों को राज सहायता देने की इस वर्ष की घोषित की गई योजना का स्वागत है। मैं वित्त मंत्रालय को सुझाव देना चाहूँगा कि इस योजना को सभी प्रकार के कृषि-औजार खरीदने के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। कृषि प्रयोजनार्थ भारी ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी राज सहायता उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

महोदय, मैं इस माननीय सभा में इस देश के किसानों की खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। पोटासिक और फासफाटिक उर्वरकों को लगभग 2,224 करोड़ रुपये दिये जाने के कारण राज सहायता में चार गुना वृद्धि हुई। जिससे किसानों की खुशियाँ दुगुनी हो गई हैं।

कृषि विपणन के बारे में हमें अपने किसानों को अतिमहत्वपूर्ण मार्गनिर्देश देने की आवश्यकता है। हमें अपने कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और निर्यात की ओर भरपूर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपनी बुनियादी वस्तुओं के निर्यात संबंधी नीति की समीक्षा करने की आवश्यकता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जैसे देश जिनको बुनियादी वस्तुओं के निर्यात में विशेज्ञता प्राप्त है, को सन् 2005 तक घाटा उठाना पड़ेगा। ऐसा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तंत्र के कारण हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के हस्ताक्षर कर्ताओं के रूप में हम उनसे बन्धे हुए हैं। विश्व व्यापार संगठन साम्राज्य में कृषि-अर्थव्यवस्था में सुधार करके ही भारत अपना अस्तित्व बनाये रख सकता है। अब हमें जागना चाहिए। बीजों का पेटेंटीकरण करके और अधिक अनुसंधान करना लाभप्रद होगा।

कृषक समुदाय केवल फसल ही नहीं उगाता वे पशुपालन, डेरी और मुर्गी पालन का कार्य भी करते हैं। बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों के समय पशु किसानों और उनके परिवार को गरीबी से बचाते हैं। इसलिए सरकार को पशु चिकित्सा विज्ञान के संवर्धन को समान महत्व देना चाहिए और पशु-पालन क्रिया-कलापों के लिए अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए जो कि अब कम दी जा रही है। वित्त विधेयक में भी पशु-पालन क्रियाकलापों के लिए कोई धनराशि का आबंटित नहीं की गयी है। शीघ्र ही हमें अपना ध्यान बड़े पैमाने पर मांस और चमड़े के निर्यात की ओर देना होगा। जबकि फसल खेती अनुसंधान से 100 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, पशुधन अनुसंधान से केवल एक करोड़ रुपये या कम रुपये प्राप्त होते हैं। यह असंतुलन दूर होना चाहिए।

हमारे जैसे अधिक जनसंख्या वाले देश में मांस और मुर्गे जैसी माँसाहारी भोजन की वस्तुएं अधिकांश लोगों के लिए ठोस आहार होता है। इससे भी अधिक यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने लोगों को अच्छी क्वालिटी का माँस उपलब्ध करायें और आधुनिकी बूचड़ खाने और अति आधुनिक प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना करके मांस निर्यात को बढ़ावा दें तथा सम्पूर्ण देश में शीत भण्डारण में सुधार करें। यह और भी महत्वपूर्ण है। इसलिए, इस पर वित्त मंत्री द्वारा पूरा विचार किया जाना चाहिए। इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने हेतु वित्त मंत्री कृषि और पशु-पालन क्रिया-कलापों के लिए अधिक धन प्रदान करने की मंजूरी देंगे।

घाटे से निपटने के लिए मैं एक नये विचार का सुझाव देना चाहूँगा। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के द्वारा जाँच में तेजी लायी जाये और सरकारी धन वापस लिया जाये। *लेकिन किसी भी प्रकार वित्त मंत्री को तमिलनाडु के लोगों को धन वापस दिलाने के लिए अधिक सावधानी बरतनी होगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

श्री पी. आर. दासमुंशी (हावड़ा): महोदय, मैं वित्त मंत्री को अत्यन्त सफलतापूर्वक बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूँ और वित्त विधेयक की सराहना भी करता हूँ। वित्त मंत्री ने आज भी अपने भाषण के दौरान वित्त विधेयक के अधिकार क्षेत्र के भीतर उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क और आय कर उपबंधों के बारे में अनेक रियायतें दी हैं और अनेक निर्णय लिये हैं।

आजकल न्यूनतम साझा कार्यक्रम को संयुक्त मोर्चा सरकार के घोषणा-पत्र के रूप में अधिक जाना जाता है। इससे संयुक्त मोर्चा सरकार को बहुत संतोष होता है। हमारे लिए, विशेष रूप से बजट

*अध्यक्षपीठ की अनुमति से कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

के संदर्भ में, यह कार्यक्रम "कांग्रेस द्वारा मानीटर किया गया कार्यक्रम" है। उदारीकरण की समस्त अवधारणा और सम्पूर्ण नए युग की शुरूआत कब हुई? जो अर्थव्यवस्था तत्कालीन जनता दल सरकार ने 1991 में हमारे लिए छोड़ी थी और जिसका अस्थायी तौर पर बनी चन्द्रशेखर सरकार ने थोड़ा-बहुत उद्धार किया था, उससे हमारी स्थिति वस्तुत: सभी क्षेत्रों में खराब हुई है। सब कुछ दिशाहीन था। आजकल पिछली सरकारों के कार्य निष्पादन की बहुत सराहना की जाती है। मेरे विचार से उसी शासन व्यवस्था के दौरान देश ने आर्थिक मोर्चे पर सबसे विकट स्थिति और सभी मोर्चों पर अव्यवस्था का सामना किया है।

उस दृष्टि से, श्री पी.वी. नरसिंहराव की सरकार ने स्थिति में इस प्रकार सुधार करने का प्रयास किया कि आज हम कम से कम यह दावा कर सकते हैं कि भारत देश का अस्तित्व विद्यमान है और वह अच्छे बाजार की ओर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। मैं श्री चटर्जी द्वारा 'प्रतिस्पर्धा' शब्द के बारे में की गई टिप्पणियों का पूर्णत: समर्थन करता हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम अचानक इन शब्दों और अर्थों से इतने अधिक प्रभावित क्यों हो गए हैं। जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कम्पनी के माध्यम से भारत पर शासन करते थे तो उन दिनों **राय बहादुर, खान बहादुर** और ब्रिटिश सम्राट का आश्रय पसन्द करने वाले लोग यह कहकर लोगों को आश्वस्त किया करते थे कि, "स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग मत लो। आखिरकार, अंग्रेज यहां समृद्धि के लिए आए हैं। अन्यथा, सड़कें कौन बनाएगा, रेलों का निर्माण कौन करेगा? इन लोगों को तो जेल भेजकर फांसी दी जाएगी।"

भारत में आने और उदारीकृत अर्थव्यवस्था का लाभ उठाने से पहले इन बहुराष्ट्रीय तथा बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने "उचित प्रतिस्पर्धा" के नाम से एक अनोखी विचारधारा का पत्र प्रस्तुत किया। किसके साथ उचित प्रतिस्पर्धा? मैं इस मामले पर अपने विचार नहीं व्यक्त करना चाहता क्योंकि माननीय सदस्य श्री निर्मल चटर्जी पहले ही इस मामले पर अपने विचार सुन्दर ढंग से व्यक्त कर चुके हैं। मैं उनके विचारों से पूरी तरह सहमत हूँ। इस विचार को समझना चाहिए कि भारत ने शुरुआत कहां से की, हम कहां पहुंचे हैं और हमारे सामने किस प्रकार की बाधाएं हैं। हममें से कुछ लोगों का अक्सर यह कहना गलत है कि, "सिंगापुर को देखिए-वह कितनी प्रगति कर रहा है; दक्षिण कोरिया को देखिए—वह कितनी प्रगति कर रहा है, जापान को देखिए—वह कितनी प्रगति कर रहा है।" मुझे उन पर आश्चर्य होता है और हंसी आती है क्योंकि उन्हें इस स्थिति का भान नहीं है कि सिंगापुर का क्या अर्थ है, भारत का क्या अर्थ है, अथवा युद्ध के बाद के जापान और कोरिया का क्या अर्थ है। आकाश और समुद्र की चिन्ता किसे है? लोगों और वस्तुस्थिति की चिन्ता किसे है? क्या वे स्वतंत्रता के अर्थों में वास्तव में स्वतंत्र हैं? जब हम एक पृथक वाद-विवाद के माध्यम से इन चीजों पर चर्चा करते हैं तो वे इसकी तुलना भारत से करते हैं और अपनी स्थिति को भारत की स्थिति से तुलना करके कहते हैं कि, "देखिए, हमारे यहां उचित प्रतिस्पर्धा है; हमारे यहां सबके लिए बराबर के अवसर हैं।" मुझे आश्चर्य होता है क्योंकि इसका मतलब है कि हमने उन सब चीजों का महत्व कम कर दिया है जिन्हें स्वतंत्रता के बाद हमने इस देश में अपने खून की एक-एक बूंद से बनाने की कोशिश की है। कितना ही भला बुरा क्यों न कहें, आवश्यकता से अधिक जनशक्ति का इस्तेमाल कार्य कुशलता और अन्य ऐसी बातों के फिर भी वर्षों के अनुभव से इस देश के लिए जो कुछ मैंने किया इस पर मुझे गर्व है।

महोदया, मेरा निजी मत है कि हम सभी अचानक उदार अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, न्यायोचित अर्थव्यवस्ता के प्रति केवल एक चीज के कारण अनुरागी हो गए हैं। वित्त मंत्री ने कुछ दिनों पहले आम बजट संबंधी वाद-विवाद का उत्तर देते हुए सही बात कही थी। मैंने उनकी बात बहुत ध्यान से सुनी थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि देश की रक्षा केवल रक्षा बजट से नहीं, बल्कि सही विदेश नीति तथा पड़ोसी देशों संबंधी सही नीति से होती है। मैं श्री चिदम्बरम् को उनकी स्पष्ट समझ के लिए धन्यवाद देता हूँ। और वास्तव में, हमें तथाकथित खुली अर्थव्यवस्था में कूदना है। मैं अपनी पार्टी की आम सहमति के बिना यह कहता हूँ कि सोवियत संघ के विखण्डन के कारण ही हमें तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था, प्रतिस्पर्धा, उदारीकृत अर्थव्यवस्था के लिए शब्द गढ़ने पड़े हैं।

इस विखंडन के कारण यदि विश्व में किसी राष्ट्र को सर्वाधिक नुकसान हुआ है तो वह भारत को ही हुआ है। और हम इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं। इसीलिए जब हम प्रतिस्पर्धा और केवल प्रतिस्पर्धा की बात करें तो हमें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। कहीं ऐसा न हो कि प्रतिस्पर्धा के नाम पर प्रतिस्पर्धी आएं और अपनी मर्जी के अनुसार देश को चलाएं और जब उनके प्रतिभोगी भी चले जाएं तब भी वे हम पर राज करते रहें। इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से इसके प्रभावों पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। क्या आप जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं? यूरोप में बैंक की ब्याज दर क्या है? अमेरिका में बैंक की ब्याज दर क्या है? हमारे यहां बैंक की ब्याज दर क्या है? वहां पर कच्चे माल की कीमत क्या है? हमारे यहां कच्चे माल की कीमत क्या है? उनके यहां के श्रमिक कैसे काम करते हैं और हमारे यहां के श्रमिक कैसे काम करते हैं? वास्तव में यह तंत्र क्या है? यदि आप उन्हें सीधे-सीधे यह कहकर उचित प्रतिस्पर्धा के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप कुछ धनराशि लेकर अपने कुछ प्रबंधकीय प्रतिभागियों को लेकर आ जाएं और हमारा सब कुछ ले जाएं तथा

हमारे लोगों से कहें कि उसी स्तर पर उनसे प्रतिस्पर्धा करें तो आप उनसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं कह रहे हैं बल्कि आप हमारे लोगों को अपनी मौत मरने के लिए कह रहे हैं।

यह तरीका सही नहीं है। हमें अपने आपको बचाए रखने का तरीका सीखना होगा। वित्त मंत्री महोदय इससे पहले एक कुशल वाणिज्य मंत्री भी रह चुके हैं जब मुझे भी पांच वर्ष तक उन्हें समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या यूरोप में वास्तव में ही ऐसी कोई समस्या नहीं है? वित्त मंत्री जानते हैं कि वे मुक्त बाजार के नाम पर भी अपनी वस्तुओं की रक्षा करते हैं अर्थात चुनिंदा मदों के मामले में वे अधिक लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। परन्तु भारत प्रवेश कर गया। न केवल भारत बल्कि एशिया महाद्वीप और विकासशील देश भी वर्षों तक एक भी मद में प्रवेश नहीं कर सके और यहां तक कि अमेरिका में भी नहीं। उन्हें क्या हो गया? वे जानते थे कि अपनी रक्षा कैसे की जाती है। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या उन्होंने कभी यह कहा कि आप नौसिखिये हैं और हम अनुभवी हैं और हम आपसे यूरोप के बाजार में कपड़ा और वस्त्र के लिए उचित और मुक्त प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हैं? नहीं उन्होंने ऐसा नहीं कहा। गैट की अंदरुनी लड़ाई के कारण आप ऐसा करने में सफल हो गए, वह भी थोड़ा सा और कपड़े का सहारा लेकर परन्तु आप देखें तो पिछले कई वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ।

अत: कृपया प्रतिस्पर्धा की इस अंतहीन दौड़ में शामिल न हों न ही हमारे देशवासियों को उस श्रेणी में धकेले वरना अन्याय हो जायेगा। इसीलिए माननीय मंत्री से मेरा अधिक नहीं बस यह निवेदन है कि यदि वे कर सकते हैं तो एक विशेषज्ञ समिति गठित करें। चिदम्बरम जी यदि ऐसा करते हैं तो इससे आप न केवल देश का भला करेंगे बल्कि इससे देश की स्वतंत्रता की रक्षा भी भोगी। यह समिति निम्नलिखित बातों की संवीक्षा और परीक्षा कर सकती है:- (क) हमारे घरेलू बाजार तथा घरेलू स्वदेशी उत्पादन इकाइयों पर उदार अर्थव्यवस्था का प्रभाव (ख) सीमाशुल्क कटौती की दर तथा आप द्वारा दी जाने वाली रियायतें, जिनका लाभ वस्तुत: न केवल हमारे अभिकर्ताओं द्वारा बल्कि अन्यों द्वारा भी उठाया जा रहा है। और, इसका विपरीत, सही तथा अच्छा प्रभाव क्या पड़ेगा। क्या आप वास्तव में यह महसूस करते हैं कि आधारभूत ढांचे तथा लेबल प्लेयिंग फील्ड'' कहे जाने वाले लोकप्रिय वाक्यांश दोनों के संबंध में एक प्रतिस्पर्धात्मक करार किया गया है। वह समिति संभवत: अगले बजट तक आपको सकारात्मक दिशानिर्देश दे सकती है—जिसका, मुझे विश्वास है, आप निगरानी करेंगे—जिससे आपको आपके नारे के प्रति वास्तव में दिशा प्राप्त होगी; या आपको विदेशों से प्राप्त विज्ञप्ति पर दिशा प्राप्त होगी अथवा आप सिर्फ इसलिए इसे जारी रखे हुए हैं क्योंकि आज हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है?

माननीय विदेश मंत्री श्री गुजराल कल व्यापक परमाणु निषेध सन्धि पर संयुक्त राष्ट्र संघ के परिणामों के बारे में बता रहे थे। यह सही है। हम अलग-थलग पड़ गए हैं परन्तु हमें गर्व है कि हमें कुछ मूल्यों पर अडिग रहने की कीमत चुकानी पड़ रही है। इसी प्रकार, आप भी वही सिद्धान्त अपनाइए—भारत की अर्थव्यवस्था के हितों की रक्षा करें, उनकी दया तथा कीमत पर नहीं जो आए हैं। वित्त मंत्री जी, वे यहां आपके देश का विकास करने नहीं आ रहे हैं बल्कि वे बाजार का दोहन करने आ रहे हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस बाजार की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, कोई भी इस बाजार की क्रय क्षमता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। इसी कारण वे सब आ रहे हैं। इसलिए, यदि आप कर सकते हैं तो कृपया समिति गठित करने के बारे में सोचिए।

दूसरे, अखबारी कागज के संबंध में अनेक मित्रों द्वारा इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वर्तमान में जहां तक सीमाशुल्क आयात का संबंध है उस पर कोई शुल्क नहीं है। सभापति महोदया, यह बहुत ही नाजुक मामला है। ग्राहक पढ़ने के लिए, भली प्रकार टाइप करने के लिए बहुत चमकदार, बहुत अच्छा कागज चाहते हैं और कागज अच्छा होना चाहिए। अखबारी कागज उद्योग चाहता है कि उनका सामान बाजार में ठीक प्रकार से और अच्छी तरह बिक्री किया जाए और इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान पेपर मिल्स जैसे हमारे अपने संगठन और एकक, जो कागज का उत्पादन तथा निर्माण कर रहे हैं। यह शिकायत कर रहे हैं कि यदि सरकार ''शून्य शुल्क'' का वही स्तर बनाए रखने पर विचार करेगी तो उनका सामान कौन खरीदेगा?

इसलिए, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया उन मिलों में थोड़ा और धन निवेश करने के बारे में सोचिए जिससे उनकी दशा में सुधार हो, कागज निर्मित करने के तरीके, गुणवत्ता वाले कागज का उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार हो। आप समाचार पत्र उद्योग सहित उनके कागज के उपयोग के लिए सरकार के कुछ दिशानिर्देश भी दे सकते हैं। और इसके बाद आप शुल्क लगाने के बारे में सोचिए। आप समाचार पत्र उद्योग, हिन्दुस्तान पेपर मिल्स, उद्योग मंत्री की राय मांगिए और तत्पश्चात् इस बात का निर्णय कीजिए कि ''शून्य शुल्क'' का यह उपबंध जारी रहना चाहिए या खत्म कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, मुझे डर है, घरेलू उद्योग इस व्यवस्ता की बलि चढ़ जाएगी।

जूट की वस्तुओं के संबंध में, माननीय वित्त मंत्री जी, मुझे यह कहना है कि मुझे गुस्सा तो नहीं है परन्तु बहुत अधिक निराशा है। वित्त मंत्री को देश की हालत पर समग्र दृष्टि रखनी चाहिए। उन्हें आवश्यकता की जानकारी होनी चाहिए जो कि तात्कालिक जरूरत है और कुछ क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए। मैं डा. मनमोहन सिंह के बजट से आपके

बजट तक निरन्तर देख रहा हूं। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि एक मामले में सभी एक जैसे कैसे हैं।

सिंथेटिक के लिए हमेशा से वास्तव में सहानुभूति रही है। आप जूट वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क समाप्त क्यों नहीं कर देते जो केवल पांच प्रतिशत है। यह ऐसा उद्योग है जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों में यह गलत धारणा है कि जूट की वस्तुओं कर अर्थ बंगाल है। बंगाल की सभी जूट वस्तुएं उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रही हैं। बंगाल के जूट उद्योग के श्रमिक अपनी साप्ताहिक मजदूरी पाने के तुरन्त बाद, अगले दिन, राजस्थान, बिहार और उत्तर प्रदेश में अपने घरों को पैसे भेजने के लिए डाकघर जाते हैं। मैं आपको तथ्य बतला रहा हूं। मिलें बंद हो रही हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे पश्चिम बंगाल सरकार के लिए कानून और अर्थव्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इससे संभवत: उत्तर भारत के लिए भी एक आर्थिक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह केवल बंगाल का ही मुद्दा नहीं है। इसलिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह कहूंगा कि कृपया जूट वस्तुओं पर पांच प्रतिशत उत्पाद शुल्क प्रायोगिक तौर पर कम से कम पांच वर्षों के लिए हटा दीजिए, यह देखिए कि इससे दशा में सुधार आता है या नहीं और यदि सुधार नहीं आता है तो शुल्क पुन: लगा दीजिए। आप कृपया इस संबंध में मेरी सिफारिश पर ध्यान दीजिए।

अब मैं, व्यापक कर-जाल पर आता हूं। मैं बहुत ही रोचक बात सुनता रहा हूं जिसे राजनीति के विद्यार्थी के रूप में मैं समझ पाने में असमर्थ हूं। जब मैं स्कूल, कालेज और तत्पश्चात् विश्वविद्यालय में छात्र था, मुझे यह पता था कि **किसान** उस व्यक्ति को कहते हैं जो खेतों में जाता है, पूरा दिन श्रम करता है। धान या गेहूं उगाता है, शाम को घर लौटाता है और राष्ट्र का पेट भरता है। उसे **किसान** माना जाता है जो वास्तव में हल चलाता है और जो कृषि मजदूर की सहायता करता है। उसके पास भूमि हो अथवा न हो। **किसान** की मेरी यह धारणा थी। राष्ट्रीय राजनीति में आने पर मैं सदैव **किसानों** को रियायतें देने की बात सोचता हूं। परन्तु क्या ये रियायतें उन **किसानों** तक पहुंचती हैं जो वास्तव में भूमि पर काम करते हैं। यहां, मुझे पता चलता है कि किसान का अर्थ अलग है। किसान वह है जो खेत में नहीं जाता परन्तु सालों तक जमीन पर नियंत्रण रखता है और कुछ लोगों द्वारा किये गये काम को पाने में समर्थ हो जाता है। अन्ततोगत्वा लाभ उसे ही मिलता है चाहे लाभकारी मूल्य हो, चाहे कृषि रियायत हो या अन्य कुछ। पुराने सामन्तवाद के स्थान पर अब देश के कुछ भागों में विद्युत, उर्वरक तथा अन्य प्रकार की सहायता के फलस्वरूप दूसरी तरह की ग्रामीण सामन्तवादी जमींदार प्रथा जोर पकड़ रही है। मैं किसी धर्म या सम्प्रदाय के विरुद्ध नहीं हूँ। वे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि जिस अत्याचार का वर्णन प्रेमचन्द की कहानियों में मिलता है, वह अभी भी हो रहा है। आप गोरखपुर से आरम्भ करके हरियाणा की ओर चलिए, वही पुराना अत्याचार अभी भी हो रहा है। लाभ किसानों को नहीं मिलते हैं।

कृषकों और किसानों का आवरण पहने हुए कुछ लोग ही लाभान्वित हो रहे हैं। धन के मामले में वे अत्यधिक समृद्ध हैं और फिर भी वे आयकर के जाल में नहीं आते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प बात है। मैं नहीं जानता कि इसका पता कौन और कैसे लगायेगा। उनके पास हजारों एकड़ भूमि है। वे अपनी पत्नी के नाम पर भूमि लेते हैं और वह भी किसान कहलाती है, वे अपनी पुत्री के नाम पर भूमि लेते हैं-जिसका विवाह किसी और के साथ हुआ है परन्तु वह भी किसान कहलाती है। वे उसके पति के नाम पर भी भूमि लेते हैं चाहे वह अमरीका में रहता हो, परन्तु वह भी किसान कहलाता है यद्यपि वह कभी कभी ही यहाँ आए। वह यहाँ किसलिए आता है?

[हिन्दी]

खेत देखने के लिए आया है, खेत देखकर चला गया।

[अनुवाद]

वह खेत में कुछ नहीं करता, खेती किसी और व्यक्ति के द्वारा की जाती है यदि उसे पता चलता है कि बजट में राजसहायता दी गई है तो वह कहता है कि "ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद"। मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। मैं अपने लिये ही मुसीबत को निमंत्रण दे रहा हूँ। परन्तु मैं आपको बताता हूँ कि देश में इसी प्रकार की गतिविधियाँ चल रही हैं।

यही कुछ हो रहा है। इस स्थिति को समाप्त करना ही होगा। मैं वित्त मंत्री, जो न केवल प्रगतिवादी और आधुनिक विचारधारा के हैं—मैं उनकी खुशामद नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी समय उनके साथ रहा—से यह पता लगाने की अपील करता हूँ कि क्या सरकार द्वारा दिये जाने वाले लाभ वास्तव में लोगों तक पहुँचते हैं। अन्यथा आपको कम कर सीमा निर्धारित करनी चाहिए। आप एक और समिति का गठन करें तथा यह देखें कि कर जाल के आधार को कैसे फैलाया जाए। कर जाल को फैलाने के लिए आप अन्य वर्ग, अन्य क्षेत्र खोजें। मेरा विचार है कि वांछित करदाताओं को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। बजट चर्चाओं के दौरान आपने कहा कि कर लेने में आप स्थिर और दृढ़ रहेंगे। मैं आपको शर्मिन्दा नहीं करना चाहता। अपने उत्तर में आपने ऐसे बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या बताई है जिन्होंने कर नहीं दिया है और दोषी हैं।

यह भयावह स्थिति है कि पंजाब नेशनल बैंक को 31 मार्च, 1996 तक 289.36 करोड़ रुपये अदा करने हैं। हमारे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ही कर नहीं दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति न्यायालय जाकर कहे कि यह दावा न्यायोचित नहीं है, तो मैं मान सकता हूँ। यदि कोई कंपनी न्यायालय जाए तो मैं समझ सकता हूं। परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में, उनकी निगरानी उसी मंत्रालय के दूसरे स्कन्ध, बैंकिंग प्रभाग द्वारा की जाती है। वे ही दूसरे प्राधिकारी पर संदेह करते हैं कि आप मेरे बारे में सही नहीं कह रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और कानून तथा अन्य वस्तुओं तथा अन्य बातों का सहारा लेकर अपना समय ले रहा हूँ। इसका ढंग और तरीका बहुत अजीब है। कौन उन्हें पकड़ेगा और कौन उनका पता लगाएगा? एक के बाद एक चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक सेवानिवृत्त हो गए परन्तु आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यही कुछ हो रहा है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की यही स्थिति है और यदि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दोषी हैं तो सरकार दूसरों के ऊपर सख्ती कैसे बरत सकती है? उस दिन आपका उत्तर पढ़ते हुए मुझे इसी बात का ध्यान आया।

अब मैं अपने प्रिय विषय अर्थात खेलकूद पर चर्चा करूँगा, जिसके लिए मैंने वित्त मंत्री से अपील की थी। मैं श्री जसवन्त सिंह की इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं कि खेलकूद के सामान को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाए। कृपया ऐसा मत करें। यह खतरनाक चीज़ है। मैं इसके साथ पूर्णतः सम्बद्ध हूँ। समाज में अधिकांश लोगों के लिए आजकल खेलकूद का सामान एक प्रकार से फैशन सामग्री बन गया है। यह काफी महंगा होता है। यदि आप इसे सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं तो प्रत्येक दुकानदार, सरकारी और दूसरे सभी खेलकूद के सामान का अंबार लगा लेंगे। इसके कारण खेलकूद के स्वदेशी सामान के निर्माता आपके लिए और अधिक कठिनाई पैदा कर देंगे। कृपया ऐसा न करें।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस बात के स्थायी आदेश दें कि सरकार से स्वीकृति प्राप्त तथा ओलम्पिक द्वारा समर्थित और मान्यता प्राप्त किसी भी राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस या हाकी फेडरेशन को खेलकूद में भाग लेने के राष्ट्रीय हित तथा प्रशिक्षण के उद्देश्य से विदेशी दान या प्रायोजक के द्वारा प्राप्त होने वाले सामान को सीमा शुल्क से छूट दी जाए। किसी प्रकार की आच्छादित छूट नहीं होनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: यह सुविधा पहले से दी जा रही है।

श्री पी. आर. दासमुंशी: नहीं, यह सुविधा नहीं दी जा रही है। प्रत्येक प्रेषण के लिए मुझे तदर्थ छूट लेनी पड़ती है। इस संबंध में कोई स्थायी आदेश नहीं है। इराक पर प्रक्षेपास्त्र हमले के उपरान्त परसों हमारी टीम वापिस आ गई। टीम के सदस्य अपनी वांछित पोशाकें नहीं ले जा सके क्योंकि दस दिन तक मैं छूट संबंधी आदेश प्राप्त नहीं कर सका। वे पोशाकें हवाई अड्डे पर ही पड़ी हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: हम उसे सरल बना रहे हैं। मैंने प्रावधान देका है। मैं उसमें दी गई जटिल प्रक्रिया से सहमत नहीं हूँ। मैंने उसे सरल बनाने का निर्देश दिया है। मैं चाहता हूँ कि सभी संस्थाओं के लिए सरल प्रक्रिया बनाई जायेगी।

अपराह्न 6.49 बजे

(श्री चित्त बसु पीठासीन हुए)

श्री पी. आर. दासमुंशी: धन्यवाद। यह सत्य है कि हमें कोई भी स्वर्ण पदक नहीं मिला है। परन्तु कृपया कुछ सोना या चाँदी या धन खेलकूद के कार्यों में लगाएँ। केवल भारत ही एक ऐंसा देश है जहाँ पर सरकारी धन का खेलकूद के लिए उपयोग नहीं किया जाता। सरकार का खेलकूद मंत्रालय कहता है: 'अपने पैरों पर खड़े होएँ और प्रायोजन के द्वारा अपने लिए धन इकट्ठा करें। प्रायोजककर्ता के द्वारा हम आपकी संपूर्ण परियोजना और सारे कार्यक्रमों को धन उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। आप आयकर अथवा किसी अन्य माध्यम से हमारी सहायता करें। मेरा निवेदन यह है कि यदि आप देश के युवा-वर्ग को कश्मीर या पंजाब में आतंकवादी गतिविधि में नहीं बल्कि रचनात्मक कार्यों में लगाएँगे तो यह देश के लिए योगदान होगा।

अतः मैं वित्त मंत्री से निवेदन करता हूं कि जो परियोजनाओं, सरकारी कार्यक्रमों तथा खेलकूद संस्थाओं के लिए योगदान दें, ऐसे प्रायोजकों जिनकी लेखा परीक्षा होती है तथा पूरा हिसाब किताब लेखा पुस्तकों में दर्शाया जाता है, के द्वारा दी गई सहायता पर तो छूट दे सकते हैं।

यद्यपि मैं प्रधान मंत्री को शर्मिन्दा नहीं करना चाहता परन्तु मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब कर्नाटक को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया था तो वर्तमान प्रधान मंत्री ने, जब वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर खेलकूद संस्थाओं को कर-मुक्त वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया था। आप युवा वित्त मंत्री है। आपको युवा वर्ग की पुकार के प्रति पूर्णतः सजग रहना चाहिए। वे और कुछ नहीं मांग रहे हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो हथियारों से राष्ट्र को विघटित करना चाहते हैं; और कुछ युवा ऐसे हैं जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए कर में छूट की मांग कर रहे हैं। इन दोनों में अन्तर है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैं इस कठिनाई से अवगत हूं। यदि मैं कुछ कर सकता, तो मैंने कर दिया होता। अधिनियम के वर्तमान स्वरूप के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है। उस राष्ट्रीय समिति के द्वारा विशिष्ट रूप से सम्बद्ध अनुच्छेद की व्याख्या की जा रही है; मेरा विचार उससे भिन्न है। इस मामले पर अब कानून राय मांगी गई है। यदि मेरे विचार को मान लिया जाता है तो कर्नाटक में राष्ट्रीय खेलकूद तथा राष्ट्रीय क्रीड़ा के बारे में आपके द्वारा वर्णित कठिनाई का समाधान हो जाएगा। अन्यथा अधिनियम के वर्तमान स्वरूप के अंतर्गत मुझे राष्ट्रीय समिति द्वारा वर्णित विशिष्ट व्याख्या को पढ़ना पड़ेगा। उस विचार वाले व्यक्तियों का मैं अपार सम्मान करता हूं जब कि उस विचार से मैं आदरपूर्वक पूर्णतः असहमत हूँ। मैं कानूनी राय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जो कि, शायद, मेरे विचार से सहमत हो।

श्री पी. आर. दासमुंशी: आप उसकी जाँच कर सकते हैं। परन्तु कानूनी मामलों में आप एक योग्य वकील हैं और आप जानते हैं कि कानूनी उलझन से कैसे निकला जाता है।

श्री पी. चिदम्बरम: एक कठिनाई है।

श्री पी. आर. दासमुंशी: आप बड़े आराम से ऐसा नहीं कह सकते कि समिति इसकी जांच कर रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: मैंने विचार किया है।

श्री पी. आर. दासमुंशी: एक सरल तरीका यह है कि यदि राष्ट्रीय खेलकूद संस्थाओं को सरकारी योगदान से मुक्त प्रायोजक या सहायता मिलती है तथा वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकते हैं तो उस सहायता पर आपको कर की छूट देनी चाहिए। आप रामकृष्ण मिशन को कर की छूट दे रहे हैं; मैं उनके कार्यों के संबंध में संदेह नहीं व्यक्त कर रहा हूँ, वे अच्छा कार्य कर रहे हैं। परन्तु आप कुछ संगठनों को कर में छूट दे रहे हैं जिसके संबंध मैंने सभापटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति से मामला उठाया है। मौरल रिआर्मामेंट आफ बाम्बे नामक एक संगठन है। मुझे उनकी भूमिका तथा दंगों के दौरान उनके द्वारा किये गये कार्यों के बारे में कोई सन्देह नहीं है। कई संगठन हैं, पर वे क्या करते हैं? भारतीय तैराकी संघ क्या करता है? क्या वे तैराकी करते हैं? क्या सरकार ने भारतीय क्रिकेट निकायों, फुटबाल निकायों, टेनिस निकायों को मान्यता प्रदान की है? उनका कहना है कि सरकार उन्हें धन नहीं देगी तो ठीक है हम कॉलगेट से, अन्य बिस्कुट कम्पनियों से धन लेंगे। ये कम्पनियां धन मुहैया कराने के लिए तैयार हैं पर क्या उन्हें कोई राहत मिलेगी? यदि उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी, तो वे पैसा क्यों देंगे। सभी ऐशियाई देशों में ऐसा होता है। मार्लबोरो सिगरेट कम्पनी मलेशिया की समस्त खेलकूद गतिविधियां चलाती है क्योंकि उसे कर-राहत मिलती है। वहां ऐसा हो रहा है परन्तु भारत में ऐसा नहीं है। यह एक विकट समस्या है।

आप इस पर कृपया गंभीरतापूर्वक ध्यान दें, जांचें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। मैं यह नहीं कहता कि आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाएं। आप सभी बिन्दुओं पर विचार करें। मैं तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं और उदाहरण भी दे रहा हूँ।

असम के शिवसागर जिले में दिकू नाम से एक नगर है। वहां सात दिन तक पुलिस गोलियां बरसाती रही और लोग भी मरे। असम के मुख्यमंत्री ने पूछा, "क्या आप यहां खेलकूद गतिविधियां चला सकते हैं?" मैंने पलटकर पूछा, "क्या आप ऐसा कर सकते हैं?" उन्होंने कहा कि खेलकूद स्पर्धाओं के चलते कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं रहेगी। मेरा विश्वास कीजिए कि खेलकूद की अनुमति दे दी गई और खेल आरंभ होने से लेकर अंत तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की एक भी घटना नहीं घटी। ऐसा ही नागालैण्ड में हुआ। भूमिगत हुए युवक बाहर निकले और उन्होंने खेलकूद में भाग लिया। उन्होंने इसका आनन्द लिया और वापस चले गये। कानून और व्यवस्था बिगड़ने की एक भी घटना नहीं घटी। खेलकूद में यह शक्ति है।

वित्त मंत्रालय को जांच पड़ताल करके संसाधनों में वृद्धि करने के संदर्भ में इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। जैसा श्री जसवन्त सिंह ने कहा, मैं यह नहीं कहता कि आप इसको खोलिए। यदि इस पर गंभीरता से विचार किया गया तो यह खेलकूद को एक बहुत बड़ा योगदान होगा।

कलकत्ता के साल्ट लेक स्टेडियम की क्षमता 1,10,000 है। सरकार इतने बड़े स्टेडियम का रख-रखाव कैसे कर सकेगी। कुछ कम्पनियां पट्टे पर इसका रख-रखाव करने को तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें कोई राहत दी जाए। ऐसा सम्पूर्ण विश्व में हो रहा है। खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों की ओर से मेरा यह आग्रह है, जिन्होंने यह मुद्दा उठाने का मुझे आदेश दिया, कि मैं अवसर मिलने पर हमारे युवा वित्त मंत्री, जो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते, के ध्यान में यह बातें लाऊं। इसीलिए, मैं वित्त मंत्री जी से इस पर विचार करने की अपील करता हूं।

अंततः मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा कि वित्त विधेयक अच्छा है। आपने इशारा किया है, मैं यह नहीं कहता कि आप इसकी जांच करेंगे, किन्तु मैं बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा हूं। ईराक पर आक्रमण के पश्चात आपने देश में ईंधन की स्थिति पर कुछ कहा था। भगवान के लिए आप कृपा करके ईंधन के शासित मूल्य में और बढ़ोत्तरी न करें.... **(व्यवधान)**

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं जानता हूं कि आपने ऐसा कहा है और मैं आपसे दुबारा उत्तर नहीं मागूंगा। परन्तु कृपया इस बात को गौर करें कि देश की सुरक्षा की स्थिति गंभीर है। नौसेना अध्यक्ष ने एक वक्तव्य दिया था। हमें इसे हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। थल सेना अध्यक्ष ने कलकत्ता में दिये एक वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा था कि युवा लोग अधिकारियों के रूप में सेना में नहीं आते हैं इनकी कमी है। उन्हें आकर्षक वेतन नहीं मिलता है। यह एक गंभीर स्थिति है। रक्षा विशेषज्ञ भी यह कह रहे हैं कि जिस प्रकार पाकिस्तान स्वयं को रक्षा उपकरणों से लैस कर रहा है और अन्य प्रबंध कर रहा है उससे लगता है कि कहीं 1962 की तरह हम पर अचानक हमला न हो और हम कुछ न कर पाएं। इस पर गंभीरता से विचार करें।

मैं हमारी क्षमता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगा रहा हूं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, कश्मीर की स्थिति, कल पाकिस्तान में दिये गये श्रीमती बेनजीर भुट्टो के भाषण और देश की आवश्यकताओं के बारे में हमारे अपने सेनाध्यक्षों द्वारा दिये गये वक्तव्य के संदर्भ में सम्पूर्ण स्थिति के बारे में हमारे रक्षा मंत्री के विचार का मुझे कोई बोध नहीं है। मुझे सदन में उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिला है। मैं यह बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि यह सरकार का सामूहिक उत्तरदायित्व है।

देश की रक्षा को हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। अब समय आ गया है कि आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। यदि आवश्यक हो तो आप संसाधन जुटाने के लिए यथासंभव प्रयास करें। सदन आपको समर्थन देगा। परन्तु कृपया प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को हमारी चिन्ता से अवगत कराएं क्योंकि अब केवल दो दिन रह गये हैं। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री जी को वित्त विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री वी. वी. राघवन (त्रिचूर): सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी द्वारा पुर:स्थापित वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। समय की कमी के चलते, मैं संक्षिप्त भाषण दूंगा। वित्त मंत्री जी द्वारा कयर श्रमिकों और सम्पूर्ण वायर उद्योग के लिए घोषित प्रोत्साहनों और रियायतों के लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि केरल राज्य के विकास में हमारे वित्त मंत्री जी की बहुत रुचि है।

इस संबंध में मैं माननीय वित्त मंत्री जी के विचारार्थ कुछ और बातें कहूंगा। केरल के सभी संसद सदस्य केपरोलेक्टम के लिए आयात शुल्क दर के बारे में पुनर्विचार किये जाने की मांग करते आ रहे हैं। इसके चलते हमारे अति महत्वपूर्ण कारखाने, 'फेक्ट', की दशा बिगड़ जाएगी। अत: मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वह इस पर पुनर्विचार करें।

मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री जी द्वारा अखबारी कागज के लिए घोषित प्रोत्साहनों से हमें भी मदद मिलेगी। हमारे यहां एक कारखाना है। मैं समझता हूँ कि आज घोषित प्रोत्साहनों के कारण उद्योग में जान आ जाएगी।

मैं वित्त मंत्री जी के ध्यान में कुछ ओर बातें लाना चाहुंगा जो न केवल केरल अपितु सारे राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। आपने अपने बजट भाषण में ठीक ही यह घोषणा की है कि कन्टेनर यातायात के लिए महत्वपूर्ण नौकान्तरण पत्तनों—कोच्चि और तूतीकोरिन—का विकास किया जाएगा।

अपराह्न 19.00 बजे

मेरे मन में कुछ संदेह है। दोनों पत्तन पास पास स्थित हैं। मेरा विचार है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कन्टेनर यातायात के लिए सबसे सस्ता पत्तन कोचीन है। इसलिए, आपको कम से कम कोचीन को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोचीन के पश्चात आप ट्यूटीकोरिन की बात सोच सकते हैं क्योंकि दोनों पत्तनों का एक-साथ काम करना संभव नहीं होगा। अत: आप नौकान्तरण और कन्टेनर यातायात के लिए कोचीन के अति महत्वपूर्ण पत्तन का विकास करें.... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय: भार्गव जी, आप चिन्ता न करें। सूची में अगला नाम आपका है, इसमें आपके प्रति किसी अनुचित अनुग्रह की बात नहीं है। इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): सभापति महोदय, साढ़े सात बजे तक का समय इसलिए रखा गया था कि उपाध्यक्ष महोदय का स्वागत रखा है, उसमें जाना है। हमारे लीडर जसवंत सिंह जी ने हमसे कहा था कि साढ़े सात बजे आप उठकर चले आना। अब हम नहीं जाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया साढ़े सात बजे के बाद सदन को न चलाएं। ... **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): आपको नहीं रोक रहे हैं। आप जाइए। यदि आप बोलना चाहते हैं, तो श्री राघवन के बाद आप बोल लीजिए और उसके बाद आप चले जाएं। ... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव: नहीं, हम बी.जे.पी. की बैंच खाली कर के क्यों जाएंगे। यदि हम जाएंगे, तो आप भी जाएंगे।

हम ऐसे नहीं जाएंगे। आप सभापति महोदय, जैसा पहले तय हो चुका है साढ़े सात बजे सदन की बैठक कल के लिए स्थगित कर दें। ... **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री श्रीकान्त जेना): भार्गव जी, आप पहले बोलकर चले जाइए। हम चाहते हैं कि आज इस पर बोलने वाले बोल लें और कल वित्त मंत्री जी उत्तर दे दें। ... **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल भार्गव : तो क्या आप स्वागत में नहीं जाना चाहते हैं? ... **(व्यवधान)**

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): भार्गव जी, हमारे बहुत सारे मैम्बर्स अभी बोलने के लिए रह गए हैं। वे भी बोल लेंगे। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: महोदय, वित्त मंत्री जी कल अपराह्न 1 बजे उत्तर देंगे।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: वे 1 बजे उत्तर क्यों देंगे। कल शुन्यकाल स्थगित किया जाए। और वे दोपहर 12 बजे अपना उत्तर दें क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश का बजट भी पारित करना है।

श्री श्रीकांत जेना: यदि वित्त मंत्री जी दोपहर 12 बजे अपना उत्तर देंगे तो यह फिर राज्य सभा में जायेगा और राज्य सभा में हमें फिर से जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश संबंधी कार्य पर विचार करना होगा। हमारे पास समय नहीं है। परसों शुक्रवार है और हमारे लिये मात्र कल का कार्य दिवस बचा है। हमें वित्त विधेयक, उत्तर प्रदेश का बजट पारित करना है। और फिर इन्हें दूसरे सदन में भी भेजा जाना है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम और आधे घंटे अथवा 45 मिनटों तक बैठें तथा जो सदस्य इसमें भाग लेना चाहें उन्हें अवसर दें। आज हम इस पर चर्चा समाप्त करें और कल वित्त मंत्री जी अपना उत्तर दें। यही मेरी प्रार्थना है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: ऐसा नहीं है। पहले सदन छः बजे स्थगित हो रहा था, फिर सात बजे तक हम राजी हो गए। उसके बाद साढ़े सात बजे तक हम तैयार हो गए। अब यदि हम उस कार्यक्रम में नहीं जाएं, तो यह ठीक नहीं रहेगा। ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: हम आज बैठ कर चर्चा समाप्त करना चाहते हैं।

सभापति महोदय: हमारा यह आशय नहीं है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, के स्वागत के लिए जाने के इच्छुक सदस्यों को अनुमति न दी जाये। वे वहां जा सकते हैं। कुछ अन्य सदस्य यहां अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं और हमें उनके विचारों का भी आदर करना चाहिए।

... **(व्यवधान)**

श्री जी. एम. बनातवाला: कल वित्त मंत्री जी का उत्तर आने के पश्चात् संशोधन प्रस्तुत किये जायेंगे। मैं इसके लिए तैयार हूं और यदि आप चाहें तो यह काम कल भी हो सकता है। पर कल 1 बजे वित्त मंत्री जी के उत्तर के पश्चात् यह तत्काल राज्य सभा में नहीं जा सकता। संशोधनों में दो-तीन घंटे लग सकते हैं...**(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अतः आप कृपया इसमें सहयोग करें ताकि आज इसे पूरा किया जा सके। उनके विचारों का भी आदर किया जाना चाहिए।

... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: इसका मतलब यह है कि आप उपाध्यक्ष महोदय के कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं।

साढ़े सात बजे तक का समय तय हुआ था। हाउस साढ़े सात बजे तक चलना चाहिए। सभापति महोदय, जैसा अभी जेना जी कह रहे थे कि कल एक बजे मंत्री जी इसका उत्तर देंगे, मैं समझता हूं कि कल भी यह एक बजे होने वाला नहीं है और आपको समय और बढ़ाना पड़ेगा।... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय: भार्गव जी, राघवन जी के बाद आपकी बारी है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप साढ़े सात बजे तक हाउस एडजर्न कर दीजिए।

सभापति महोदय: यह बाद में देखा जायेगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आधा घंटा क्यों बढ़ाया जाये? ...**(व्यवधान)** छः बजे का कार्यक्रम था... **(व्यवधान)** क्या हम साढ़े सात बजे माननीय उपाध्यक्ष महोदय के स्वागत प्रोग्राम में न जायें?... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय, माननीय सदस्य को अपना भाषण पूरा करने दें।

सभापति महोदय: हाँ, हम 7.30 म.प. पर इस मुद्दे के संबंध में निर्णय करेंगे। उन्हें अभी अपना भाषण पूरा करने दें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप साढ़े सात बजे तक आराम से बोलिए ... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : हाँ, श्री राघवन आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री वी.वी. राघवन : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसका केरल राज्य में हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यह तटीय प्रबंध अधिसूचना के बारे में है। तट से 500 मीटर तक की जगह को खाली रखना है। समुद्र तट, नदी के किनारे और 'बैक वाटर पांड्स' से 500 मीटर तक किसी भी प्रकार के विकास संबंधी गतिविधियों और मकानों का निर्माण नहीं किया जाएगा। इसके प्रभावी होने पर लोगों को उंचे स्थानों पर जाना होगा तथा वहाँ भी उन्हें पर्यावरणविदों का सामना करना पड़ेगा। अत: जहां तक केरल राज्य का संबंध है तो इस तटीय प्रबंध अधिसूचना पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए अन्यथा हमारे लिए मुश्किल होगा। मैं इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान इसलिए आकर्षित कर रहा हूँ जिससे कि वह इस पर शीघ्र विचार कर इस अधिसूचना में उपयुक्त संशोधन करें।

महोदय, बजट भाषण में स्थानीय क्षेत्रीय बैंक खोले जाने का उल्लेख किया गया था। इसी को देखते हुए दो या तीन जिलों में स्थानीय ग्रामीण बैंक खोले जाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि केरल में ऐसे निजी और म्युच्वल बैंक काम करना आरम्भ कर देते हैं तो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंकों और अन्य सुस्थापित वित्तीय संस्थान खतरे में पड़ जायेंगे। अत: मेरा विचार है कि इसका परीक्षण किन्हीं अन्य सीमित क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। अन्यथा इन विद्यमान बैंकों के अतिरिक्त, यदि ये स्थानीय बैंक समस्त केरल राज्य में कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं तो राज्य में वित्तीय संस्थानों का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। वहाँ पहले से ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं और उनकी स्थिति अत्यधिक खराब है। माननीय वित्त मंत्री इसके बारे में जानते हैं। यदि विद्यमान ग्रामीण बैंकों के अतिरिक्त ये नये स्थानीय क्षेत्रीय बैंक कार्य करना प्रारम्भ कर देते हैं तो समस्त बैकिंग प्रणाली की स्थिति बहुत खराब हो जायेगी। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पहलू पर पुनर्विचार करें। यदि वास्तव में इसकी आवश्यकता है तो इसका प्रयोग केवल कुछ चुने हुए क्षेत्रों और स्थानों पर ही किया जाना चाहिए।

महोदय, मैं वित्त मंत्री जी का ध्यान एक अन्य मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूँ। अब बजट तैयार करने का बोझ समाप्त होने वाला है। वित्त विभाग को सुचारुबद्द करने के लिए आप कुछ समय दे सकेंगे। इसके लिए मैं आपको दोषी नहीं मानता। विगत एक महीने के दौरान आप काफी व्यस्त रहे—शायद संयुक्त मोर्चा सरकार के सबसे व्यस्त आदमी थे। कल जब आप इस बजट प्रक्रिया से मुक्त हो जाएंगे तो वित्त विभाग के कार्यकरण को सुचारुबद्ध करने की दिशा में कुछ ध्यान अवश्य दें। हाल ही में, कुछ महत्वपूर्ण अखबारों ने निर्यात करने वाले कुछ कम्पनियों के द्वारा धोखाधड़ी करने के संबंध में बुरी खबरें प्रकाशित की हैं।

हर सुबह हम उठकर जब अखबार देखते हैं तो स्कैम या भ्रष्टाचार के बारे में पढ़कर शर्म महसूस होती है। क्या वित्त मंत्री जी इसे रोकने के लिए कुछ करेंगे?

क्या भ्रष्टाचार रोकने में वित्त विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। मेरे विचार से वित्त विभाग भ्रष्टाचार और स्कैम को रोकने के लिए अत्यधिक सक्षम एजेंसी है। यदि उसने ऐसा कुछ किया होता तो हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार अथवा स्कैम न होते? हम कैसी शर्मनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं? विश्व में हम भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया है। उदाहरण के लिए प्रतिभूति घोटाला को लें। देश में बैंकिंग प्रणाली पर नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री है। बैकिंग प्रणाली और वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण रखना वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का मुख्य कर्त्तव्य होता है। क्या वे उस समय सो रहे थे? मंत्री के सामने खुले तौर पर ये सब घोटाले हुए। बीती बातों का भूलना ही हमारे लिए बेहतर होगा।

इसी तरह, युरिया घोटाले का उदाहरण है। मैं जानना चाहता हूं कि वित्त विभाग या बैकिंग क्षेत्र के अधिकारी उस समय क्या सो रहे थे जब ये घोटाले हो रहे थे। यदि वे सतर्क रहते तो मेहनतकश भारतीयों के पसीने की कमाई अर्थात 330 करोड़ रुपये व्यर्थ नहीं जाते। उनका कुछ उत्तरदायित्व है। मैं ज्यादा देर नहीं लेना चाहता। वित्त मंत्री इसकी महत्ता और अविलंबता को जानते हैं।

जब मैं यह कहूँ कि यह एक नए वित्त मंत्री हैं तो मुझे क्षमा करेंगे। 46 वर्षों के उपरान्त देश की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। लेकिन दु:ख इस बात का है कि नौकरशाही में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। नए वित्त मंत्री से राष्ट्र को बहुत उम्मीद है। वह एक युवा मंत्री हैं और संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हें आदर्श स्थापित करना है। उन्हें नई दिशा दिखानी है। केन्द्रीय सरकार में, समस्त राजनीतिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आये हैं उन परिवर्तनों को उनके विभाग और उनके अधिकारियों द्वारा अनुभव नहीं किया गया है। बजट (सामान्य) पर पूरी चर्चा के दौरान, मैं यहाँ से देख रहा था... (पीठासीन अधिकारी द्वारा कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया)। अत:, मेरा विनम्र निवेदन है कि वित्त विभाग के संस्थागत प्रहरी, प्रवर्तन निदेशालय को सतर्क होना चाहिए। हमारे महान राष्ट्र को भ्रष्टाचार और स्कैम के इस कलंक से छूटकारा दिलाना होगा। कृपया अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों, भ्रष्ट लोगों को बचाने की कोशिश न करें।

क्या हमारे यहाँ दो तरह के कानून हैं? गरीब आदिवासी नेता जिन्होंने धन लिया वे तो जेल में हैं पर जिन्होंने धन दिया वे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के नाते, स्वतंत्र हैं। उन्हें तो गिरफ्तार करके उनसे सवाल-जवाब किया जा रहा है जबकि अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के मामले में अधिकारी स्वागत कक्ष में जाकर प्रश्न पूछने के लिए अति महत्वपूर्ण व्यक्ति का इंतजार करते हैं। यह एक शर्मनाक कदम है।

चूंकि, सभापति महोदय बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं अपना भाषण इस उम्मीद के साथ यहीं समाप्त करता हूँ कि श्री पी. चिदम्बरम दूसरों के सामने आदर्श स्थापित करने हेतु कुछ करेंगे। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मान्यवर सभापति जी, अभी तक सभी लोगों ने दार्शनिक भाषण दिये हैं। जो फाइनेंस बिल लाया गया है, इसमें बहुत सी कमियां हैं और बहुत सी कमियां हैं, इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं।

आज देश की जनता जो चाहती है, राज्य कर्मचारी जो चाहते हैं, केन्द्रीय कर्मचारी जो चाहते हैं, उस संबंध में इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सबसे पहली मेरी मांग है कि

[अनुवाद]

आयकर की सीमा 60,000 रुपये तक बढ़ायी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

साठ हजार रुपये तक इन्कम टैक्स में छूट होनी बहुत जरूरी है। मुझे आज खेद हो रहा है, जिस समय उस दल के लोग यहां बैठा करते थे तो इसी बात को दोहराया करते थे, लड़ते थे, वाक आउट करते थे, कुंए में चले जाते थे, बैल में यह सूखा कुआं है न। आज उसी दल की सरकार है, जो यहां बैठते थे, वह भी विपक्षी सरकार है, हमारे भाई-बन्धु ही वहां भी हैं। भाई-बन्धु ऐसे हैं, जैसे मैं प्रारम्भ में कहा करता हूं कि यह जे.डी., जनता दल की सरकार है। जनता दल का मतलब, 'जे' का मतलब जुलाई और 'डी' का मतलब दिसम्बर। सात जनवरी को देश में लोक सभा के नये चुनाव होंगे। दिसम्बर में नोटिफिकेशन हो जाएगा और ये वापस आकर यहां बैठ जाएंगे। इसलिए जहां तक वित्त मंत्री जी का प्रश्न है, ये तो सदैव कांग्रेस में रहे हैं, इसलिए जनता दल के लोगों को सोचना है। ये तो इनके सहयोगी हैं, जैसे राजा-महाराजाओं के दरोगा रहते हैं, वैसे हैं। ये तो वापस चले जाएंगे। जनता दल में कभी आएंगे नहीं और कांग्रेस में ही वापस जाएंगे, इसलिए इनके बहकावे में आकर जनता दल जो आज इनका समर्थन कर रहा है, वह जनता दल भी साफ हो जाएगा। इसलिए केन्द्रीय कर्मचारियों की मांग, देश की सभ्य जनता की मांग, नौकरीपेशा हर एक की मांग, सब की मांग यह है कि 60,000 रुपये तक की इन्कम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए।

दूसरे मैं यहां पर यह निवेदन कर रहा हूं कि यदि नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं, तो आयकर की दर 40,001 से लेकर 60,000 तक 10 परसेंट, 60,001 से लेकर 1,20,000 तक 15 परसेंट, 1,20,001 से लेकर 2,50,000 तक 20 परसेंट, 2,50,001 से लेकर पांच लाख तक 25 परसेंट और पांच लाख एक रुपये से ऊपर 30 परसेंट होनी चाहिए। तीस परसेंट से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बिड़ला जी राज्य सभा के मैम्बर हैं, बड़े अनुभवी हैं, बड़े अर्थशास्त्री हैं, बड़े ज्ञाता हैं, उन्होंने भी यह बात कही है। मैं नहीं कह रहा, मेरी बात को वित्त मंत्री जी नहीं मानेंगे, पर चैलेया समिति ने इसको 30 परसेंट करने के लिए कहा है, 40 परसेंट की तो बात ही खड़ी नहीं होती है। इसलिए आयकर की यही स्लैब हों, यदि मेरी बात नहीं मानते हों, 60,000 की सीमा नहीं करेंगे, इतनी ही रखेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं, मेरी पार्टी कह रही है, आम जनता कह रही है, केन्द्रीय कर्मचारी कह रहे हैं। हर कर्मचारी के मुंह पर आज यह बात है कि सरकार ने दिया क्या है, कुछ नहीं दिया। यह सरकार बेकार है। इसलिए मैं विपक्षी सरकार मानकर, क्योंकि हमारे भाई-बन्धु हमारे जनता दल के थे, कभी जो हमारे साथी थे, वे वहां गये हैं, इसलिए उनकी सद्बुद्धि के लिए कह रहा हूं कि इन वित्त मंत्री जी के बहकावे में नहीं आयें, 60,000 रुपये इन्कम टैक्स की लिमिट करवायें, वरना जनवरी के महीने में चुनाव होगा, सब साफ हो जाएंगे।

दूसरा निवेदन—आप सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देते हैं, तो महंगाई भत्ते पर टैक्स क्यों लेते हैं? महंगाई आपके

कारण बढ़ती है, आप महंगाई को घटा दें, तो टैक्स भी नहीं लगाना पड़ेगा। आप मनमोहन सिंह जी के पैट्रन पर चलिए, जब मनमोहन सिंह जी थे, तो फिर भी कुछ ठीक था। उन्होंने कहा था कि सौ दिन के अन्दर महंगाई घटा देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको डियरनैस एलाउन्स पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। कैसी भीषण स्थिति है, महंगाई आप बढ़ा रहे हैं और उस पर डियरनैस एलाउन्स भी दे रहे हैं तथा साथ में टैक्स भी लगा रहे हैं। आप महंगाई मत बढ़ाइए, जनता को सस्ती चीजें मुहैया कराइए, तो फिर आपको डियरनैस एलाउन्स भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जहां तक हाउस रैन्ट का सवाल है,

[अनुवाद]

मकान किराया कर मुक्त होना चाहिए क्योंकि यह एक प्रोत्साहन है जो कर्मचारियों को मिलता है।

[हिन्दी]

मेरे कहने का मतलब है कि महंगाई भत्ते पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए और साथ ही हाउस रैन्ट पर भी टैक्स नहीं लगाना चाहिए। ये मेरी दो मूल मांगें हैं, जो कि जनता से जुड़ी हुई मांगें हैं।

दार्शनिक बातें तो बहुत से माननीय सदस्यों ने कही हैं और मैं भी कहूंगा। मैंने भी भाषण देना सीख लिया है। मैं इन बातों को भी कहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनकम टैक्स लिमिट 60 हजार और डियरनैस एलाउन्स तथा हाउस रैन्ट टैक्स फ्री होना चाहिए, वरना सरकार महंगाई घटाए।

जहां तक स्टैण्डर्ड डिडक्शन का सवाल है, यह भी बढ़ाया जाना चाहिए। अभी मेल पर्सन्स के लिए अठारह हजार की सीमा है। मनमोहन सिंह जी कहा करते थे कि महिलाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं और आप शायद 33 प्रतिशत आरक्षण से संबंधित बिल भी सदन में ला रहे हैं। अगली बार जब महिलायें आयेंगी, तो वे भी कहेंगी कि आपने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया। मैं यह बात आपकी भलाई के लिए कह रहा हूं कि वर्किंग विमैन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 21 हजार रुपये होनी चाहिए।

आपने जब खाड़ी युद्ध शुरू हुआ था, तो आपने सरचार्ज लगाया था। अब तो खाड़ी का युद्ध समाप्त हो गया है, तो फिर आप क्यों टैक्स लगा रहे हैं। खाड़ी के युद्ध को समाप्त हुए काफी समय हो गया है। आपने अब यह टैक्स 15 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत कर दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, खाड़ी युद्ध समाप्त हो गया है, तो कहीं पर भी सरचार्ज लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा आपसे तीसरा निवेदन है।

मैं टैक्स स्लैब के बारे में भी एक और निवेदन करना चाहता हूं। जैसा अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि इसको बढ़ाकर 60 हजार कर दिया जाए, तो बहुत बढ़िया है। यदि आप इस आधार पर चलेंगे, तो ज्यादा टैक्स आएगा और ईमानदार करदाता नागरिकों की संख्या में वृद्धि होगी। यदि आप ऐसा करेंगे, तो कर्मचारियों की जय-जयकार हो जाएगी, वरना आप, सभापति महोदय, जानते हैं, कर्मचारी यदि चाहें तो अच्छे-अच्छे को औंधा कर देते हैं। हिमाचल में हमने कुछ अच्छा काम करने का प्रयास किया, तो राज्य कर्मचारी नाराज हो गए और वहां अब सरकार हमारी नहीं रही। बड़ा चक्कर है राज्य कर्मचारियों का। राज्य कर्मचारी चाहें, तो किसी को बैठा दें और जिसको चाहें नीचे गिरा दें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको राज्य कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए।

जहां तक कंपनियों पर सरचार्ज लगाने की बात है, यह सही है कि कहीं पर आपने थोड़ा कम कर दिया है और वह भी इसलिए कि वित्त मंत्री जी की जय-जयकार हो जाए। वित्त मंत्री शुरू में भाषण तो आपने मनमोहन सिंह जी के पैट्रन पर दिया, वही शायरी, कविता, दोहे, जैसे कि कोई कवि सम्मेलन हो रहा हो, लोक सभा में मुशायरा हो। जिस प्रकार की बात कह कर मनमोहन सिंह जी लोगों पर जादू कर दिया करते थे, माननीय वित्त मंत्री जी सामने बैठे हैं, वही जादू आप करना चाहते हैं। आंकड़ों के आधार पर आपने कह दिया कि 15 प्रतिशत के स्थान पर 7.5 प्रतिशत कर रहे हैं, कहीं पर दस प्रतिशत कर दिया, कहीं 30 प्रतिशत की जगह पर 20 प्रतिशत कर दिया, यह आंकड़ों का जाल नहीं चलेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सरचार्ज को पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। साथ ही कंपनी कर दरें मेरे विचार से इस प्रकार होनी चाहिए—1,00,000 तक 15 प्रतिशत, 1,00,001 से 1,50,000 तक 20 प्रतिशत और पांच लाख तक 30 प्रतिशत। अगर यह सभी कंपनियों के लिए संभव न हो, तो मेरा निवेदन है कि जो कंपनियां एस.एस.आई. यानि स्माल स्केल इन्डस्ट्री के तहत जो कारखाने चल रहे हैं, उनको तो कम से कम छूट दे देनी चाहिए।

अब इसके बाद मेरा निवेदन यह है कि मासिक वेतन भोगियों के लिए आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन किया है, माननीय वित्त मंत्री जी, आप उसमें विचार कर लीजिएगा। इन्होंने कहा कि 60 हजार तक तो इनको 18 हजार की छूट मिलेगी, लेकिन अगर 60 हजार 1 रुपये हो गए तो उसको 18 हजार की नहीं बल्कि 15 हजार की छूट ही मिलेगी, यानी 15 हजार की छूट एक रुपये ज्यादा होते ही उस व्यक्ति को 18 हजार की बजाए 15 हजार की छूट मिलेगी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बारे में क्लेरीफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद ही यह गाड़ी पार हो पाएगी। मेरे पास यह लिखा हुआ है इसमें पहले नम्बर पर यह है कि इस प्रावधान

में सबसे बड़ी कमी यह है कि यदि किसी वेतन भोगी कर्मचारी का वेतन 60 हजार रुपये से थोड़ा भी अधिक हो गया, जैसे 60 हजार 1 रुपये हो गया तो यह अतिरिक्त 3 हजार की कटौती उसे प्राप्त नहीं होगी। ऐसी दशा में 10 रुपये अतिरिक्त वेतन बढ़ने पर उसे 450 रुपये की आय कर की छूट का नुकसान होगा। इस दशा में 10 रुपये आय पर 450 रुपये आय कर गिना जाएगा।

महोदय, वित्त मंत्री जी को चाहिए कि ऐसी दशा में एक मार्जिनल राहत की व्यवस्था करें। अब डियरनेस एलाउंस बढ़ने वाला है। कर्मचारी पूछते हैं कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट कब आएगी? डियरनेस एलाउंस बढ़ गया, 60 हजार से यदि 10 रुपये भी आगे बढ़ गए तो उसके लिए अपने जो घोषणा की है कि मैंने 15 हजार से 18 हजार कर दिए, लेकिन उस गरीब का एक रुपये बढ़ने पर उसको 15 हजार की ही छूट मिलेगी। इसलिए कम से कम मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा, इसकी भी व्यवस्था करनी चाहिए। इसी प्रकार से महिला वेतन भोगियों के लिए भी क्लेरीफिकेशन हो, क्योंकि पे कमीशन आया तो यह मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार से खुद का मकान बनाने के लिए जो कर्जा दिया जाता है उस पर लगने वाले ब्याज की छूट 10 हजार से 15 हजार की गई है। मैं समझता हूं आप जानते हैं कि जो खुद अपना मकान बनाने वाला हो तो वह व्यक्ति यदि 1-2 कमरे का मकान भी बनाएगा तो उसको कम से कम कितना चाहिए। दो कमरे बनाने वाले व्यक्ति को भी 50-60 हजार रुपये चाहिए। फिर वह उसमें लोन बनाएगा, रसोई बनाएगा, बाथरुम बनाएगा तो उसको मैं समझता हूं कि 2-3 लाख रुपये चाहिए। इसलिए यह छूट आपने बहुत कम दी है। आप इस छूट को 30 हजार तक कम से कम करें। 15 हजार रुपये की छूट तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है और यह तो जीरा भी नहीं है। दूसरा मेरा कहना यह है कि कर दाता द्वारा अपने रहने के लिए मकान हेतु ऋण पर जो ब्याज दिया जाता है उसके संबंध में गृह संपत्ति से आय शीर्षक से उसे 10 हजार तक की कटौती प्राप्त होती है। यह कटौती बढ़ा कर 15 हजार रुपये कर दी गई है। इससे अधिकतम आय वाले करदाता को लाभ होगा। यद्यपि आपने जो यह राहत दी है इसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन इस राशि को 30 हजार रुपये तक किया जाए, यह मेरा माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध है। इसी प्रकार से सैक्शन 32 में आपने अभी जो डेप्रीसिएशन वाली बात कही है, अब इसें दुर्भाग्य यह है कि आपने अभी यहां पर कुछ अमेडमेंट्स कर दिये हैं लेकिन उसकी कापी अभी तक हमको नहीं मिली है। हमने बाहर लोगों से वायदा कर लिया कि वित्त मंत्री जी अमेंडमेंट्स की कापी दे देंगे तो उसको हम आपको लाकर दे देंगे, लेकिन वह अमेंडमेंट की कापी अभी तक तैयार हो रही है। वह कापी अगर हमें मिल जाए तो हम भी कल तक उस पर अपने कुछ अमेंडमेंट दे सकेंगे। तब अगर बहस चलती तो अच्छा होता। अब यहां पर जो बड़े-बड़े ज्ञाता हैं, जैसे माननीय जसवंत सिंह जी हैं और भी बहुत से नेता यहां पर बार-बार बोलते रहते हैं। ये तो ज्ञानी हैं, इनको तो बगैर अमेंडमेंट्स के बोलने का अभ्यास है। लेकिन हम तो बेपढ़े-लिखे गलती से यहां पर लोक सभा में चले आए हैं। मैं समझता हूं अगर हमको अमेंडमेंट्स की कापी मिल जाती तो उसमें हम कुछ और अमेंडमेंट्स दे देते तो अच्छा होता। आपने इसमें कहा कि सिक कम्पनी को छूट दी है। अब 7 वर्ष की बात हो गई, पहले 8 वर्ष थे ... (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह (विदिशा): माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में तय हुआ था कि साढ़े सात बजे तक हाउस चलेगा। अब साढ़े सात बज चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है अब सभा की बैठक समाप्त की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: संसदीय कार्य मंत्री से अभी एक प्रस्ताव मुझे मिला है जिसमें सभा का समय बढ़ाने को कहा गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : सभापति जी, ऐसा नहीं है। हमको बहुत-सी बातें कहनी हैं। हाउस बढ़ेगा तो सबकी सहमति से बढ़ेगा, केवल संसदीय कार्य मंत्री के कहने से नहीं बढ़ेगा। हमको उपाध्यक्ष महोदय के स्वागत कार्यक्रम में जाना है। माननीय वित्त मंत्री जी, हमारा वास्ता रोजाना उपाध्यक्ष महोदय से पड़ता है। आप तो कभी-कभी यहां आकर बैठते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो वहां पर न जाने वाले लोगों के नामों पर निशान लगाए जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: बोलने वाले माननीय सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण सभा का समय और एक घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: हम बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी तो मुझे ही एक घंटे बोलना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यह वक्त हमें कहाँ से मिलेगा?

[हिन्दी]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: आपकी पार्टी का समय समाप्त हो रहा है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: हमारी पार्टी का समय कहां समाप्त हो रहा है, आपकी पार्टी का समय समाप्त हो रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भार्गव, आपके दल को एक घंटा और 54 मिनट आवंटित किया गया है और आपके दल का समय समाप्त हो गया है। अत: आप यह दावा नहीं कर सकते कि मैं एक घंटा और बोलूंगा। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, यह बात सही नहीं है। साढ़े सात बजे तक का समय तय हुआ था। अब साढ़े सात बज चुके हैं इसलिए मैं अब कल बोलूंगा। समय बढ़ाने के लिए आपने लोगों से पूछा नहीं है। मैं समय बढ़ाने का विरोध करता हूं। जसवंत सिंह जी ने हमें कहा था कि हम ठीक सात बजकर पैंतीस मिनट पर स्वागत कार्यक्रम में उपस्थित हों, इसलिए हमारी उपस्थिति आवश्यक है।

श्री जी. एम. बनातवाला: अगर समय बढ़ाने की बात हो रही है तो इसमें क्या हर्ज है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप भी यह कह रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा की राय है कि सभा का समय और एक घंटा के लिए बढ़ाया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, हम सहमत नहीं है।

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला: यदि आवश्यकता होगी तो सभा का समय और एक घंटे के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: समय तो साढ़े सात बजे तक का तय हुआ था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हम उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, अध्यक्ष महोदय ने आठ बजे के बजाए साढ़े सात बजे तक का निर्णय लिया था, इसलिए साढ़े सात बजे तक का ही समय होना चाहिए।

[अनुवाद]

डा. के. पी. रामालिंगम (तिरुचेगौडे): सभापति महोदय, हम अध्यक्षपीठ से सहमत हैं। ... (**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, कल समय मिलेगा और आप चार बजे से पहले इसको राज्य सभा में भेजने वाले नहीं हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: कल समय नहीं मिलेगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: कल शिव सेना के लोग भी बोलेंगे तथा और लोग भी बोलेंगे। अभी चार-पांच लोगों के नाम रहते हैं जिन्होंने बोलना है। कल ज्यों ही जीरो-आवर समाप्त हो, उनको एक से दो बजे तक बुलवा देंगे और उसके बाद अमेंडमेंट्स भी आएंगे। उनके संबंध में भी हमको बोलना है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: संशोधन कल लिए जाएंगे अभी नहीं।

श्री भार्गव, आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: कल फिर आप बहाना करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या आप अपना भाषण समाप्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: माननीय सभापति जी, आप इसको कल कीजिएगा।

[अनुवाद]

डा. के. पी. रामालिंगम: श्री भार्गव, क्या आप कल भी बोलना चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: इसका कोई अर्थ नहीं है। यह कोई बहुमत का आधार नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भार्गव, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: साढ़े सात बज गए हैं, मैं अपनी स्पीच कैसे जारी रखूं, नियमानुसार काम खत्म हो गया है। सभापति जी, हमें उपाध्यक्ष जी के स्वागत समारोह में भी जाना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जाने से कोई नहीं रोक रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, हम तो हाउस एडजोर्न होने के बाद जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भार्गव, अब आप अपना भाषण जारी रखेंगे? अन्यथा मैं अन्य सदस्य को बोलने के लिए आमंत्रित करुंगा।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी, यह अन्याय है। हमें उपाध्यक्ष महोदय के स्वागत समारोह में जाना अनिवार्य है। वहां न जाकर आधे मन से यहां पर कैसे बोलेंगे। पृथ्वीराज जी, आपका कहना तो वित्त मंत्री जी मानते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भार्गव, अब आप अपना भाषण समाप्त करेंगे?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं अपनी स्पीच समाप्त नहीं कर सकता। साढ़े सात बजे तक का समय तय हुआ था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मुझे खेद है। अब मैं श्री के.पी. सिंह देव को बोलने के लिए बुलाता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: यह तो कोई बात नहीं हुई। साढ़े सात बजे तक जो पूरा करना था आप पूरा कर लेते लेकिन अब साढ़े सात बजे के बाद कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री भार्गव जी मैं आपसे अपना भाषण जारी रखने का निवेदन करता हूं। अब सभा का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: सभापति जी हाउस बढ़ाने के बारे में हमारा विरोध है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आपने विनिर्णय दे दिया है। वह सभा में शोर शराबा कर रहे हैं। वह सभा में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं।
(व्यवधान)

सभापति महोदय: मेरे विचार से आप जानते हैं कि सभा में कैसे कार्य होता है। मैंने आपका सहयोग मांगा और यह सभा के समक्ष भी रखा गया कि सभा का समय एक घंटे और बढ़ा दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: हम वहां पर जायेंगे। आप रोजाना ऐसा करते रहते हैं क्या आप इसको साढ़े सात बजे की बजाए आठ बजे तक चलायेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिये मैं बोल रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप मेरी बात पूरी करने दीजिए।
(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइये। मुझे दूसरे सदस्य को कहने दीजिए। आप ही केवल इस सभा के सदस्य नहीं हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: माननीय सदस्य को यह महसूस करना चाहिए जब पीठासीन अधिकारी खड़े हों तो उन्हें बैठ जाना चाहिए। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप मेरे बिन्दुओं को पूरा करने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं खड़ा हूं आपको बैठ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: हम तो बैठ जायेंगे। और चेयर की कद्र करते हैं। जब श्रीमती गीता जी चेयर में बैठी थी और जब अध्यक्ष महोदय आये तो साढ़े सात बजे तक का समय किया था (**व्यवधान**) मैं तो बैठ जाऊंगा। मैं चेयर का पालन करूंगा। मेरा तो यह निवेदन है कि साढ़े सात बजे तक का समय था।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: क्या यह इस सभा की राय है कि सभा का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाये?

कई माननीय सदस्य: हां महोदय।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाईये हमारी पूर्ण असहमति है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री जी. एम. बनातवाला: चर्चा समाप्त होने तक सभा का समय बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय: अतः इस सभा की यही इच्छा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या आपने आठ बजे तक का कर दिया है फिर एक घंटा बढ़ा दिया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कुछ भी हो कृपया बैठ जाइये यदि आप अपना भाषण पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ समय दे सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: यह कब तक चलेगा क्या आठ बजे तक चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इसका मतलब यह नहीं कि आप आठ बजे तक बोल सकते हैं आपको अपना सीमित समय मिला है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: टाईम एक्सटेंड क्यों करेंगे?

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री गिरधारी लाल भार्गव जी भाजपा को एक घंटा और 54 मिनट का समय आवंटित किया गया है और वह समाप्त हो गया है।

श्री शिवराज सिंह: क्या बाकी पार्टियां पालन करेंगी? जितना जिस पार्टी के लिए टाइम अलाट किया गया है वे उसका पालन करेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: यह कब तक चलेगा क्या आठ बजे तक चलेगा।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमें सभा का समय बढ़ाना पड़ा उसी वजह से आपको कुछ और समय दिया जा रहा है।

श्री पी. चिदम्बरम: दो सदस्य सभा की कार्यवाही चलने नहीं दे रहे हैं। एक सदस्य अध्यक्ष पीठ के विनिर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। एक सदस्य लगातार अध्यक्षपीठ के विनिर्णय पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। दो सदस्य अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं। यदि भार्गव जी अपना भाषण पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ और मिनट लेने दीजिए और भाषण पूरा करने दीजिए। यदि वे अपना भाषण देना नहीं चाहते तो अन्य सदस्य बोल सकते हैं। कृपया अपना भाषण पूरा कीजिए। आप इस तरह अध्यक्षपीठ की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह मांग नहीं कर सकते हैं? यह सब क्या हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या एक घंटा तक बढ़ायेंगे या साढ़े आठ बजे तक या साढ़े नौ बजे तक चलेगा?

[अनुवाद]

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया है। अध्यक्षपीठ ने पहले ही विनिर्णय दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मुझे मेरी बात पूरी करने दें, मुझे उपाध्यक्ष जी के कार्यक्रम में जाना है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैंने विनिर्णय दे दिया है आप विनिर्णय का महत्व समझते हैं। एक माननीय सदस्य की तरह मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी सीट पर बैठ जाइये और

यदि आप अपना भाषण पूरा करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मिनट का समय और दे सकता हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम: दस मिनट बर्बाद हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव: जब बात पूरी करने की बात है तो वह मैं कर रहा हूं..... (**व्यवधान**) आप पर क्या जोर आ रहा है?... (**व्यवधान**) ...आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं जानूं या सभापति जी जाने। ... (**व्यवधान**) आप अन्याय कर रहे हैं आपकी मर्जी।

सभापति महोदय: आप बोलिये।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मेरा मतलब यह है कि 30 हजार रुपये पर खुद मकान बनाने वाले मामले में होना चाहिये और जो डैप्रिसिएशन की बात माननीय मंत्री जी ने कही है और उसमें संशोधन किया है वरना 1997-98 से अगले 8 साल के लिए कैरि-फावर्ड किया जा सके परन्तु इस वर्ष से पहले यह कानून नहीं था। अतः उस समय फाईनैंशियस डिसिजन लिये हुये डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया रह गया, उसके बाद वह खत्म हो जायेगा। इस वर्ष के पूर्व तक इकट्ठे हुए डेप्रिसिएशन को भी अगले 8 वर्ष तक उसको अलाऊ किया जाये जबकि आपने 7 वर्ष किया है।

इसलिए मेरा कहना है कि जैसा पहले था उसी प्रकार से होना चाहिए। इसी प्रकार से एम.ए.टी. के बारे में मेरा निवेदन है। इस नये कर से जिस प्रकार पावर कंपनियां तथा इनफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को छूट दी गई है, उसी प्रकार से जिन 16 राज्यों का जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने किया है, जिनको उन्होंने पिछड़ा माना है, वहां लघु औद्योगिक इकाइयों को भी छूट दी जानी चाहिए। पहले मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि जो पिछड़े इलाके हैं, उनमें पांच वर्ष के लिए यह छूट पूर्ण रूप से दी गई है। माननीय मंत्री जी ने भी उस बात को माना है और कहा है कि उन राज्यों में यह लागू रहेगी। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। वरना इनकम टैक्स का जो मूल बिल था उसमें ये बातें नहीं थी।

वैल्थ टैक्स के बारे में मुझे कहना है कि इसमें भी धारा 2(ई) में जो संशोधन प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत व्यापारिक संपत्तियों को कर की परिधि में ले लिया गया है। इसके अंतर्गत अगर किसी ने 50 मकान बनाए और उसमें से 40 मकान बिक गए और 10 मकान 31 मार्च को रह गए, तो जो 10 मकान रह गए, उन पर भी टैक्स लग जाता है। वह अन्याय हो सकता है। हो सकता है कि 1 अप्रैल को वह मकान बिक जाए। इसमें जो विसंगति है, इस पर भी आप विचार करें। इसी प्रकार से आपने मारबल के बारे में भी कहा है कि उसके लिए एक कमेटी राजस्थान में बनायी जाएगी। इस पर उत्पाद शुल्क 20 से 30 प्रतिशत कर दिया गया है। मनमोहन सिंह जी ने इसे 20 प्रतिशत किया था। यह मैनुफैक्चरिंग का काम नहीं है, प्रोसेसिंग का काम है। ग्रेनाइट को काटकर टाइल्स बनाने पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं लगाया जाता। इसलिए मारबल और स्लैब को भी करमुक्त किया जाए। यह उस कार्य में लगे कर्मचारियों की भी मांग है। मेरे पास उनका ज्ञापन भी है। मारबल की खानें ज्यादातर आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में है और 15 लाख अशिक्षित व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के रोजगार और उत्थान की दृष्टि से इस पर उत्पाद शुल्क नहीं लगना चाहिए। केन्द्र सरकार को इस उत्पाद शुल्क लगाने से भी दस करोड़ रुपये से ज्यादा की आमदनी नहीं होगी। मैं एक-दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करुंगा। मैं ज्यादा कहकर अपने भाषण को दार्शनिक नहीं बनाना चाहता।

दीर्घकालीन पूंजी लाभ पर भी नयी कर नीति बनाने की बात कही है। इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इन नये निवेशों पर किसी प्रकार का ऋण करदाता नहीं ले सकेंगे, परंतु वह तीन वर्ष तक या सात वर्ष तक इन नये निवेशों की बिक्री नहीं कर सकेंगे अन्यथा उसे पूरे के पूरे पूंजीगत लाभ पर आयकर देना पड़ेगा। इस संबंध में भी आप विचार करें। जीवन बीमा निगम के बारे में जो बात आपने कही है कि जो व्यक्ति अंशदान देगा, उसको जो पेंशन प्राप्त होगी वह कर योग्य नहीं समझी जाएगी, लेकिन अगर कोई एकमुश्त पेंशन लेगा तो वह करयुक्त रहेगी इसी प्रकार से आपने मेडिकल वालों को भी सहूलियत देने की बात कही है। वरिष्ठ नागरिक वाली जो बात आपने कही है, इस संबंध में मै कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ नागरिक 65 साल के स्थान पर 60 साल के व्यक्ति को मानना चाहिए। आपकी भी आयु 55-60 वर्ष होगी। 60 वर्ष का आदमी बूढ़ा हो जाता है। इसलिए यह जो 65 वर्ष की आयु रखी है यह ठीक नहीं है। इस संबंध में मेरा यह भी कहना है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इक्विटी लिंक्ड शेयर्स, एम.ई.पी.-91 और एम.ई.पी.-92 तथा सीनियर सिटिजन्स को एन.एस.सी. तथा बौण्डज, इन सब पर टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करना चाहिए। क्योंकि लोग वृद्धावस्था में इन सबको जमा करके रखते हैं और जमा करने पर 20 परसेंट से 15 परसेंट टैक्स हो तो मुनासिब होगा। इसी प्रकार से क्लॉज 23 में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी के आधार पर छूट दी जायेगी। यदि वह मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करा रखा है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस में उसको कम रकम है। आपने 6 हजार से 10 हजार की छूट दी है। मेरे कहने का मतलब यह है कि सी.जी.एच.एस. से वह लेता है और

कहीं पर भी वह इलाज कराता है तो उसको 10 हजार तक की या उसके ऊपर तक की छूट दी जानी चाहिए।

मान्यवर, इन सबके बावजूद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि और सारी बातें यहां पर हुई हैं परंतु पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो अकस्मात बढ़ा दी गई हैं, भारत सरकार के पास इसका कंसोलीडेटिड फंड बना हुआ है, सरकार को इनकी कीमतें बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सरकार के पास फंड पड़ा हुआ है। उस संबंध में भी आपने यहां पर कोई जिक्र नहीं किया है। सुरक्षा के बजट के बारे में आपको यहां पर कोई जिक्र नहीं किया है। अखबार वाला कागज जो है उसको भी टैक्स फ्री करना चाहिए ताकि लोगों को ठीक प्रकार से अखबार का कागज मिल जाए। राज्य सरकार ने पांचवी तक की बच्चियों को और आठवीं तक के बच्चों को निशुल्क पुस्तकें देकर यही प्रयास किया है। परंतु यदि उत्पादन शुल्क घट जाए तो राज्य सरकार को भी किताबें मिल जायेंगी और बच्चों को पुस्तकें और कापियां, जो राज्य सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए देती है और लोगों को सस्ते अखबार मिल सकेंगे। अंत में मुझे यह कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक देश में बनाये जाने बहुत आवश्यक हैं, उनकी मांग यहां पर बराबर होती रही है और पांचवा पे कमीशन ग्रामीण बैंकों पर भी लागू किया जाए और प्राइवेट सैक्टर में कोई ग्रामीण बैंक नहीं खोला जाना चाहिए। एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मैंने जो प्रारम्भ में खाद्य तेल और सोयाबीन के बारे में मांग कर रखी है कि आप इन पर 30 परसेंट से 20 परसेंट टैक्स कर दें, यह राजस्थान की मांग है। गुजरात में मूंगफली पर आप टैक्स माफ करें। यह सारी बातें पहले सब लोग कह चुके हैं मैं पुन: कहना चाहता हूं कि राज कर्मचारियों के हित में और सरकार के हित में आप इंकम टैक्स की छूट बढ़ाकर 60 हजार कर दें। यदि यह छूट नहीं दी जाती है तो आप स्व-नियोजन के संबंध में विचार करें। यदि आप 60 हजार तक की छूट नहीं देंगे तो सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज़ हो जायेंगे और मैं यह बात निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगली बार यह सरकार जो वित्त मंत्री जी के बहकावे में आ रही है, नहीं आयेगी। महंगाई भत्ता और रेंट अलाउंस जो दिया जाता है उन पर भी टैक्स लिया जाता है। सरकार या तो महंगाई खत्म करें और यदि वह ऐसा नहीं कर सकती है तो डी.ए. पर और रेंट दोनों पर टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। यह एक जनहित की मांग है जिसके बारे में लोगों में आम चर्चा है। मैं समझता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे सुझाव को मानेंगे। बाकी खेलकूद में छूट दे दी, फुटबाल में, क्रिकेट में दे दी, इन सबको छूट देने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक कर्मचारियों को छूट नहीं मिलेगी, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि अब आप दस बजे तक का समय बढ़ा लें या कुछ भी कर लें, यह अन्याय है। हमको बोलने का समय नहीं मिला। आप हमारे बोलने पर रोक लगा रहे हैं। छोटी-मोटी बातों में सदन का सारा समय चला जायेगा परंतु जो महत्वपूर्ण फाइनेंस बिल है, उस पर आप गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं। आपने अपने बहुमत के आधार पर समय बढ़ा लिया, वह अलग बात है। परंतु मेरा कहना यह है कि माननीय वित्त मंत्री जी को कर्मचारियों के हितों पर विचार करना चाहिए। चमचों, टाई और फुटबाल पर छूट देने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसलिए आपने हमारे कहने के बावजूद भी जो समय बढ़ाया और साढ़े सात बजे आपने कार्यवाही समाप्त नहीं की और हमें माननीय उपाध्यक्ष महोदय के यहां कार्यक्रम में भी जाना है इसलिए उस निर्णय के खिलाफ हम दोनों यहां से वाक-आउट करके, यहां से जा रहे हैं। महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अपराह्न 7.49 बजे

(इस समय श्री गिरधारी लाल भार्गव तथा श्री शिवराज सिंह सभा-भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

श्री के.पी. सिंह देव (ढेंकानाल): सभापति महोदय, धन्यवाद।

महोदय वित्त विधेयक पारित कर हमें बजट पर चर्चा समाप्त करने जा रहे हैं। बजट पर इसकी सामान्य रूप में चर्चा की गई। अनुदानों की मांगें सभा की सहमति से बिना चर्चा के पारित की गईं। 35 मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर मतदान हुआ और अब वित्त विधेयक को पारित करने का काम ही बचा है। बजट कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण के औजार के रूप में कार्य करता है। यह सरकार की नीति के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विवरण है तथा इसका अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है।

सामान्य समय में, यह आसान कार्य नहीं है और माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी कुशलता से विभिन्न मंत्रालयों की प्रतिभोगी मांगों के बारे में इस कठिन कार्य को संपन्न किया है। उन्होंने कुछ क्षेत्रों को राहत भी दी है जो न्याय संगत है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ।

चूंकि वे विगत पांच वर्षों से आर्थिक उदारीकरण के समर्थक रहे हैं। इसलिए उन्होंने उनके और उनके पूर्ववर्ती वित्त मंत्री द्वारा किये गये कार्यों का लाभ उठाया और एक अच्छा बजट प्रस्तुत किया। महोदय, वित्त विधेयक पर चर्चा का लाभ उठाते हुए मैं बजट के कतिपय पक्षों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। हमारे मन में कुछ आशंका है। एक मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से संबधित है। सरल

शब्दों में राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि हमारे राष्ट्र की अखंडता, संप्रभुता तथा देश की आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखना है ताकि नागरिक सुरक्षित और शांतिपूर्वक रह सकें और जी सकें। यदि अखबारों की रिपोर्टों पर गौर करें या यदि रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर गौर करें तो यह निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवंटित संसाधन शायद अपर्याप्त हैं। रक्षा पैनल ने भी यही बात कही है। यह संसद की दोनों सभाओं का प्रतिनिधि निकाय है जिसमें 45 सदस्य हैं।

सेनाध्यक्ष ने कहा है कि जूनियर स्तर—लेफ्टिनेंट और कैप्टन के स्तर पर 13,000 अधिकारियों की कमी है। इन्हीं अधिकारियों की बदौलत हमने 1965 और 1971 की लड़ाइयां जीती थी। जनरलों, ब्रिगेडियरों या कर्नलों की कमी नहीं है। किंतु लेफ्टिनेंट और कैप्टनों की कमी है।

नौ सेनाध्यक्ष ने भी दो ही दिन पूर्व नौसेना के अंधकारपूर्ण भविष्य नौ-सेना की बुरी स्थिति का उल्लेख किया है। हमारी नौ-सेना का स्वरूप बिगड़ गया है। एक विमान वाहक पोत बेकार हो गया है और दूसरा आगामी तीन-चार माह में बेकार हो जाएगा। इस प्रकार हमारी नौ-सेना जिसने 1971 में उत्कृष्ट सेवायें प्रदान की थी उसकी क्षमता भी वही है जो हमारे तटरक्षक बल की है जो हमारे सामुद्रिक मत्स्यन या राष्ट्रीय सामुद्रिक क्षेत्र में पोलीमेटलिक मोड्यूल की रक्षा करने में भी सक्षम नहीं है।

वायु सेना जिसे चुस्त और आक्रामक लड़ाकू मशीन माना जाता है निश्चित तौर पर कमजोर हो गई है यह न तो आक्रामक ही है और न ही एक लड़ाकू मशीन। कल के अखबार में ही खबर छपी है कि नागर विमानों की दुर्घटनाओं को छोड़कर वायुसेना की 85 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं। 465 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है चाहे वह पक्षियों के टकराने या इन संचालन क्षेत्रों में सरकार द्वारा लाइसेंसशुदा बूचड़खानों के कारण पक्षियों से उत्पन्न खतरे के कारण हुआ है।

दि बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने 1984 में एक अध्ययन किया था और कुछ सिफारिशें की थी। उन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया। एयर मार्शल ला फोनटैन समिति की सिफारिशें भी लागू नहीं की गयीं। आज रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान ने इन सशस्त्र बलों की चिन्ताजनक स्थिति बताई है। इसे भारत सरकार द्वारा धनराशि दी जाती है। यह कोई विदेशी निकाय नहीं है। मेरा यह कहना है कि थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में अधिकारियों की कमी है।

फिर हमारे देश में बड़ी संख्या में भूतपूर्व सैनिक हैं। प्रत्येक वर्ष 70,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। आज युवा वर्ग सशस्त्र बलों में भर्ती नहीं हो रहा है। सेवा निवृत्ति के बाद भूतपूर्व सैनिक न तो केन्द्रीय सरकार न ही राज्य सरकार या रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बल के माईबाप होता है। उन्होंने अपने जीवन का सबसे बेहतर हिस्सा इन सशस्त्र बलों में बिताया होता है।

वस्तुतः उन्होंने हमारे भविष्य के लिए अपने वर्तमान को बलिदान किया। हम राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की क्षेत्रीय अखण्डता की बात एक ऐसे समय कर रहे हैं जब हमारे दोनों पड़ोसी मित्रों चीन और पाकिस्तान ने पिछले एक दशक में हथियारों का एक बड़ा जखीरा जमा कर लिया है। जहाँ तक सैनिकों की संख्या का संबंध है पाकिस्तान के सैनिकों की संख्या लगभग हमारे बराबर है तथा जहाँ तक उसके उपकरणों से तुलना करने का संबंध है, हम धन के अभाव में अपने उपकरण बदलने, उन्हें आधुनिक बनाने तथा उन्हें दुरुस्त करने में अक्षम है। यहाँ तक की टूट चुकी बैरकों की मरम्मत करने के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास 1937 विंटेज वायुयान है जोकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय के वायुयान हैं।

इसलिए, यह एक अत्यधिक, निराशाजनक स्थिति है तथा कई सेवारत अधिकारियों के साथ ही साथ कई सेवा निवृत्त सेनाध्यक्षों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बारे में अपनी चिन्ता प्रकट की है। मैं जानता हूं कि माननीय वित्त मंत्री फिलहाल कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बजट प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्त विधेयक को कल पारित किया जाना है। परन्तु उनकी समाधान अन्वेषी बुद्धिमत्ता को जानते हुए, मुझे विश्वास है कि वह कम से कम अगले बजट में सशस्त्र सेनाओं को प्रभावी व शक्तिशाली बनाने के पर्याप्त उपाय ढूंढ निकालेंगे। हम यह भी नहीं जानते हैं कि क्या हमारे पड़ौसी मित्रों द्वारा हमारी शक्ति सम्पन्नता को गम्भीरतापूर्वक लिया जाता है। उन्हें सुनिश्चित रूप से यह ज्ञात है कि हमारे पास क्या है, हम कितने सक्षम हैं हमारी कमियां क्या हैं तथा हमारी कमजोरियाँ क्या हैं।

श्रीमान, आज शांति के समय हम लोग उदासीन हैं तथा युद्ध के समय हमारे पैर कंपकपा जाएंगे तथा हम संत्रस्त हो जायेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के 50 वर्षों के बाद भी हमारे पास एक समन्वित बहु-अनुशासनिक संस्थानिक व्यवस्था नहीं है। हम स्वतंत्रता प्राप्ति के 50वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जो कि 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के सह लेखक भी हैं, वह अपनी सहमत कराने की कला का प्रयोग कैबिनेट में भी करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक निरन्तर चलने वाला उच्च स्तरीय बहु अनुशासनिक बहु संगठनात्मक व्यवस्था हो। विदेशी मामलों तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच विभाजक रेखा अत्यंत सूक्ष्म होती है।

राजनीति के खत्म होने पर युद्ध आरम्भ होता है। यह अच्छी बात है कि हम पहले से ही व्यापक परमाणु परीक्षण संधि तथा निरस्त्रीकरण तथा इन सभी बातों में व्यस्त हैं। परन्तु यह राष्ट्रीय सुरक्षा को गौण महत्व का न बना दे, जैसाकि इस समय हुआ है।

श्रीमान, मुझे दो बातें और कहनी है तथा मैं समाप्त करने के पूर्व नेताजी सुभाषचन्द्र बोस को उद्धृत करना चाहता हूँ। अब, मैं राष्ट्रीय गौरव के प्रश्न पर आता हूं। खेलकूद को हमेशा से राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य का संवाहक माना जाता रहा है या माना जाता है चाहे वह पूँजीवादी देश हो या साम्यवादी देश हो या समाजवादी देश हो। कल ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने श्री राम नाईक तथा अन्य द्वारा प्रश्नकाल के दौरान अटलांटा में भारतीय ओलम्पिक दल के निराशापूर्ण प्रदर्शन के बारे में उठाई गई परिचर्चा के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय खेल नीति के घोषणा की। अन्ततः खासकर जिसकी कमी है वह है बुनियादी ढाँचा तथा खेल संघों के पास धन की कमी क्योंकि भारत सरकार ने सारी जिम्मेदारी खेल संघों को सौंप रखी है।

जैसाकि मेरे मित्र श्री प्रिय रंजन दास मुंशी कह रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आजकल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी एक पण्य वस्तु है, चाहे वह ओलम्पिक हो या राष्ट्रमंडल खेल हों या एशियाई खेल हों तथा एक पण्य वस्तु को प्रायोजित किया जाता है। उनके उपकरणों, स्वास्थ्य, प्रबंध इत्यादि को प्रायोजित किया जाता है। प्रबंध में खेल विज्ञान भी शामिल है। वह समय बीत गया जब हमने एक ध्यान चन्द, या एक मिलखा सिंह या एक पी.टी. उषा खेल जगत को दी थी।

आजकल, वे प्रयोगशाला में बनने वाले उत्पाद हैं तथा पण्य वस्तुएं हैं। उनके उपकरण और बुनियादी ढाँचा अधिक महत्वपूर्ण है। बुनियादी ढाँचा सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए, परन्तु उपकरण खेल संघों को लाने होंगे।

अपराह्न 8.00 बजे

सभी को प्रवेश शुल्क से आय प्राप्त नहीं होती है। यह यू.एस. चैम्पियनशिप या विम्बलडन नहीं है। सभी को प्रवेश शुल्क से आय नहीं होती है। इसलिए, सरकार को विश्व स्तरीय उपकरण प्राप्त करने के लिए खेल संघों के भार को किसी तरह से कम करने के बारे में सोचना होगा जिससे खेलों से सम्बद्ध व्यक्तियों को प्रतियोगिता में जाने से पहले कम से कम समान सुविधाएं प्राप्त हो सकें। यद्यपि इन उपकरणों के आयात की प्रक्रिया को कई बार सरल और कारगर बनाया गया परन्तु दुख की बात तो यह है कि आने वाली योजना में इसमें पर्याप्त कटौती की गई। मैं समझता हूँ, वित्त मंत्री इसे अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि करीब दो सप्ताह पहले ही उन्होंने अपने सहयोगी मानव संसाधन विकास मंत्री से परिचर्चा की थी। अगले वर्ष के बाद राष्ट्रीय खेल विद्यालय तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहे कैम्पों को बन्द कर दिया जायेगा। चाहे यह हॉकी हो या तीरंदाजी, इन प्रशिक्षण शिविरों में पूर्वोत्तर, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के नवयुवक हिस्सा लेते हैं। खेलकूद संवर्द्धनतया विकास प्राधिकरण बन्द होने वाला है।

श्री पी. चिदम्बरम: क्या आपने "नौवीं योजना" कहा? परन्तु अभी तक तो 'अभिगम पत्र' भी तैयार नहीं हुआ है।

श्री के.पी. सिंह देव: सम्भवतः यह योजना मंत्री डा. अलघ के पास है। परन्तु इसमें बहुत ज्यादा कांट छांट की गई है। राजीव गांधी के शासनकाल में 1985 में आरम्भ हुई संक्रिया अवरुद्ध होने जा रही है।

श्री पी. चिदम्बरम: श्रीमान्, रिकार्ड के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक तो 'अभिगम पत्र' भी तैयार नहीं है। इसलिए, जब नौवीं योजना के दस्तावेज को तैयार किया जाएगा तब हमें अपने 'आदान' प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। परन्तु इस समय नौवीं योजना का 'अभिगम पत्र' भी तैयार नहीं है।

श्री के.पी. सिंह देव: मैं अत्यधिक भारमुक्त और आश्वस्त महसूस कर रहा हूँ।

श्रीमान, मैं अपनी अंतिम बात पर आता हूँ। मैं एक ऐसे क्षेत्र से आया हूँ जो सूखा, बाढ़ तथा चक्रवात के चपेट में रहता है। यद्यपि हमारे पास आपदा राहत कोष तथा विभिन्न अनुदान हैं जिन्हें केन्द्र सरकार दीर्घावधि ऋणों तथा अर्थोपाय स्थिति के आधार पर देती है परन्तु एक स्थायी समाधान आवश्यक है जिसके लिए प्राकृतिक संसाधनों, जल संसाधनों, वन संसाधनों तथा खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य केन्द्र सरकार का दरवाजा खटखटा रहे हैं। परन्तु योजना आयोग का फार्मूला, गाडगिल फार्मूला, मुखर्जी फार्मूला, भारद्वाज-फार्मूला तथा दसवें वित्त आयोग ने राज्यों की समस्याओं पर केवल जोर ही दिया है। इसलिए अधिकतर क्षेत्र वर्षा सिंचित ही है। इस बात पर कृषि मंत्रालय बहुत जोर देता रहा है। परन्तु हम इन क्षेत्रों में वर्षा सिंचित इलाकों को या कृषि के उत्साह को बढ़ाने के लिए कोई ठोस प्रयास देखने में नहीं आए हैं। इसलिए भा. कृ. अनु. परिषद की प्रयोगशालाओं में प्रयोगों को किया गया जहाँ वर्षा सिंचित क्षेत्रों की पैदावार में 18 से 19 गुना की वृद्धि की जा सकती है। यह मेरे राज्य में तथा 1994 में मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र में भी हुआ। इसे 'धनकनाल संदर्शी परियोजना" के नाम से जाना जाता है। यदि इसे आज दोहराया जाए तो अद्यतन आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाए गए अनुसार हमारा 1918 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन गिरकर 1900 लाख टन नहीं होता बल्कि हम लगभग 3000 लाख टन के खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकते थे। कृषि उत्पादकता के कम हो

जाने की माननीय वित्त मंत्री की गम्भीर चिन्ता में कमी होती जिस पर उन्होंने अपने भाषण में खेद व्यक्त किया था। मैं अपने भाषण को नेताजी सुभाषचन्द्र बोस की जीवनी से एक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये समाप्त करूँगा।

"राजनीतिक स्वतंत्रता अविभाज्य थी तथा इसका अर्थ विदेशी नियंत्रण तथा संरक्षण से संपूर्ण स्वतंत्रता था। युद्ध ने यह दिखा दिया कि सैनिक शक्ति विहीन राष्ट्र यह आशा नहीं कर सकता कि वह अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकेगा"

"1916 में मैं बंगाल एम्बुलेन्स कोर के एक सैन्य वियोजित अधिकारी से मिला था जिसने हट-ए-आमारा के कब्जे की कार्रवाई में भाग लिया था तथा इसके पश्चात् तुर्की में युद्धबन्दी रहा था। मैं उसके साहसिक कारनामों की कहानियों से बहुत प्रभावित हुआ और मैंने चाहा कि मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊं।"

आजकल कोई भी नवयुवक सेना में भर्ती नहीं हो रहा है।

वह बहुत जल्द ही प्रादेशिक सेना की कलकत्ता विश्वविद्यालय इकाई में भर्ती हुए। जब उन्होंने सेना की वर्दी पहनी तथा अपने कन्धे पर राइफल लेकर ड्रिल करना आरम्भ किया, तो उन्हें प्रफुल्लता का अनुभव हुआ। शायद उनकी इसी प्रफुल्लता ने उन्हें उनके "स्वधर्म" विधि द्वारा उन्हें आवंटित किये गये उनके कर्म क्षेत्र को दिखाया। जब उन्होंने पहली बार सैनिक वर्दी पहनी तो जो प्रसन्नता हुई उसे उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया:

"उस नए वातावरण में अपने को ढालने में मुझे लेशमात्र भी असुविधा नहीं हुई, वरन मुझे इसमें सकारात्मक आनन्द की अनुभूति हुई थी। इस प्रशिक्षण ने मुझे वह प्रदान किया जिसकी मुझमें कमी थी, या जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझमें शक्ति और आत्मविश्वास की अनुभूति और अधिक बढ़ गई थी।"

"ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति हेतु सन्यासियों के चरणों में बैठने से लेकर कन्धों पर राइफल लिये खड़ा होना, यह भी क्या परिवर्तन था!"

आज भारतीय सशस्त्र सेनाएं न केवल संसाधनों की कमी का सामना कर रही हैं, बल्कि जनशक्ति की कमी का भी सामना कर रही हैं। उनके पास तीन बड़ी रिपोर्टें हैं। एक रिपोर्ट भूतपूर्व सैनिकों संबंधी उच्च-स्तरीय समिति की रिपोर्ट है; जिसमें उन भूतपूर्व सैनिकों को पुनः रोजगार देने की बात कही गई है जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं अथवा 35 वर्ष की आयु होने पर सेवामुक्त हो गये हैं क्योंकि इससे आपके पेंशन बिल में बचत होगी।

दूसरी रिपोर्ट भूतपूर्व सैनिकों के लिए वित्त विकास निगम की स्थापना के संबंध में थी। इसके लिए केवल 170 करोड़ रुपये की धनराशि चाहिए, जिसमें से 85 करोड़ रुपए केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्षों में दिये जाने थे जो प्रति वर्ष 17 करोड़ रुपये बैठते हैं तथा बाकी के 85 करोड़ रुपये की राशि भारतीय संघ के 29 राज्यों द्वारा पांच वर्षों में प्रदान की जानी थी जोकि 3 करोड़ रुपये अर्थात् एक वर्ष में 60 लाख रुपये बैठती है। 1984 से आज तक इस रिपोर्ट को कार्यान्वित नहीं किया है। आपसे पहले की सरकार के विख्यात वित्त मंत्री ने लघु उद्योगों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और अन्य बहुत से व्यक्तियों के संबंध में अनेक वित्त विकास निगम स्थापित किये थे। लेकिन बेचारे भूतपूर्व सैनिकों—जिनकी संख्या लगभग 40 लाख थी—को दर-दर की ठोकरें खाने के बाद भी अपनी समस्या का कोई हल नहीं मिला।

इसके अतिरिक्त, 1985 में जनशक्ति आयोजना पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी—इस रिपोर्ट को भी कार्यान्वित नहीं किया गया है—जिसमें जनशक्ति को तर्कसंगत बनाने तथा 'स्टैटिक फार्मेशन्स असैन्यकरण के बारे में उल्लेख किया गया था। हमारे यहाँ फील्ड फार्मेसन्स हैं, 'फील्ड फार्मेसन्स' तथा 'स्टैटिक फार्मेसन्स' सशस्त्र सेनाओं की सहायता करते हैं। एक वर्दीधारी व्यक्ति पर एक सिविलियन की अपेक्षा अधिक खर्च आता है। अतः यदि "स्टैटिक फार्मेसन्स" का असैन्यकंरण किया जाये तो इससे मितव्ययता हो सकती है।

तीसरी रिपोर्ट सशस्त्र सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के प्रादेसिक सैन्यकरण के बारे में है। इस वर्ष 6 अगस्त को भारत के महामहिम राष्ट्रपति को एक पुनरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दुर्भाग्यवश, उस बैठक का सभापति मैं था क्योंकि इसका गठन 1995 में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने किया था इसं संबंध में पर्याप्त बचत की जा सकती है क्योंकि प्रादेशिक सेना एक अंशकालिक सेना मानी जाती है, जो वर्ष में मात्र दो महीने के लिए कार्य करती है। सभी राष्ट्रमंडल देशों, यहां तक कि अमरीका, सोवियत संघ और जर्मनी में भी प्रादेशिक सेनाएं हैं। यहां तक कि इजराइल के रक्षा बलों में अधिकतर प्रादेशिक सेनाएं हैं और शेष लघु स्थायी सशस्त्र बल हैं। यदि इस रिपोर्ट पर तेजी से विचार किया जाये, तो मैं समझता हूं खर्च में काफी कमी हो सकती है तथा आधुनिकीकरण उपकरणों की खरीद तथा भर्ती के लिए भी अधिक धनराशि उपलब्ध हो जायेगी। किन्तु इसके साथ ही, बड़ा पहलू राष्ट्रीय सुरक्षा का होगा और रक्षा विभाग केवल 11 लाख सशस्त्र बलों के कार्मिकों का ही नहीं है बल्कि नागरिकों, स्वयं लोगों को सशस्त्र बलों में शामिल किया जायेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेना अधिनियम और प्रादेशिक सेना अधिनियम में पहले से ही विद्यमान एवं पंचवर्षीय बाध्यकारी सेवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सभी कर्मचारियों तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों

के लिए आरम्भ की जाये, जिसके अन्तर्गत उन्हें अपने सेवाकाल के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा करनी पड़े।

संवर्ग समीक्षा की दूसरी रिपोर्ट है जिसमें कलर सर्विस की बात कही गई है। 1965 के युद्ध के बाद कलर सर्विस को 7 वर्ष से बढ़ाकर 17 वर्ष कर दिया गया था जिससे इस संख्या में लगभग 70,000 लोगों की वृद्धि हो गई, जिनका न तो केन्द्रीय सरकार और न राज्य सरकार ही पुनर्वास कर सकती है और सरकार को इन भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन और लाभांश देते रहना होगा क्योंकि पन्द्रह वर्ष के बाद भूतपूर्व सैनिक पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं।

यदि आप सात वर्ष की कलर सर्विस रखते हैं तो तब वे 25 वर्ष की आयु में सेवा मुक्त हो जाएंगे और फिर किसी भी सरकारी संस्थान अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में उन्हें पुनः रोजगार देना और पुनःनियोजित करना आसान होगा। आप एक पेंशन बचा लेंगे। आपको केवल उपदान देना होगा और आप केवल एक लड़ने वाली मशीन रह जाओगे और उसमें हर व्यक्ति शामिल होगा।

श्री जी.एम. बनातवाला: इस वित्त विधेयक की अनेक विशिष्ट और सराहनीय विशेषतायें हैं। मैं इन विशिष्ट विशेषताओं के लिये माननीय वित्त मंत्री को बधाई देता हूँ। परन्तु समयाभाव के कारण मैं उन कुछ खास मुद्दों तक ही अपनी बात को सीमित रखूँगा जिनमें बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि वित्त विधेयक देश को जिस दिशा में ले जाना चाहता है, मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता।

हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि:

"न्यूनतम साझा कार्यक्रम में घोषणा की गयी है कि सरकार उन आर्थिक नीतियों का पालन करेगी जिनसे सामाजिक न्याय के साथ प्रगति को बढ़ावा मिलेगा और अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। हमें रोजगार रहित प्रगति नहीं चाहिए न ही वैसी प्रगति चाहिए जिसके लाभ से लोगों का बहुत बड़ा एक तबका अछूता ही रह जाता है।"

यह अत्यन्त सराहनीय घोषणा है। हमें अवश्य ही इस दिशा में बढ़ना चाहिए। परन्तु यहां कुछ ऐसे कतिपय क्षेत्र हैं जो दर्शाते हैं कि यह सराहनीय घोषणा पूर्णतः ख़री नहीं उतरी।

मैं उनमें से कुछेक को उद्धृत करता हूँ। आप प्रगति और रोजगार का मसला लीजिए। निस्संदेह प्रगति और रोज़गार निवेश पर निर्भर करते हैं। परन्तु केन्द्रीय योजना परिव्यय पर ध्यान दीजिए। केन्द्रीय योजना परिव्यय में मुश्किल से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 1995-96 में बजट अनुमान 78,849 करोड़ रु. का था। वर्ष 1996-97 के दौरान, यह आकलन बढ़कर केवल 87,086 करोड़ रुपये हुआ। इसमें मुश्किल से 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद में 15 प्रतिशत की वृद्धि दर की आशा थी। अतः मुझे आशंका है कि केन्द्रीय योजना में मुश्किल से केवल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर से प्रगति और रोजगार के लंबे चौड़े दावे कहीं गलत न निकलें।

अपराह्न 8.14 बजे

(श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं)

अब हम केन्द्रीय योजना आवंटन से खर्च के घटकों का अध्ययन करें। इन घटकों से रोजगार सृजन और सामाजिक न्याय हेतु उद्घोषित प्रयास में गंभीर त्रुटियों का पता चलता है। हम कृषि की दुहाई देकर कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं। हम यह दुहाई देते हैं कि हम ग्रामीण विकास और अधिक रोजगार सृजन के लिए वचनबद्ध हैं।

महोदया, परन्तु, यह देखकर हमें बहुत दुःख होता है कि गत वर्ष 1995-96 की तुलना में वर्ष 1996-97 में कृषि पर परिव्यय कम रखा गया है। वर्ष 1995-96 में बजट अनुमान में 3022 करोड़ रुपये का आबंटन था जिसे चालू वर्ष में घटाकर 2831 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हमारा विश्वास शहरी विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आदि में है। परन्तु यहां हम पाते हैं कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आबंटन में 50 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई है। वर्ष 1995-96 में बजट आबंटन 3852 करोड़ रुपये का था और वर्ष 1996-97 में जवाहर रोजगार योजना में 50 प्रतिशत की कटौती कर दी गई यानी 1865 करोड़ रुपये की कटौती की गई। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार हेतु धन आबंटन में भी भारी कटौती की गयी है। वर्ष 1995-96 में 5432 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था और 1996-97 में यह घटकर 3835 करोड़ रुपये हो गया। जब हम क्षेत्रवार आबंटन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें बहुत दुःख होता है। हमारे इन लंबे-चौड़े दावों के बावजूद कि हम किसानों के साथ हैं, हम ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों आदि के हिमायती हैं; समस्त ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार विभाग हेतु ग्रामीण रोजगार के लिए कुल आवंटन की धनराशि लगभग वही अथवा अपरिवर्तित रही है। वर्ष 1995-96 का बजट अनुमान 6437 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1996-97 में भी बजट अनुमान वही यानी 6437 करोड़ रुपये ही रहा। आगे मैं यह बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम हेतु भी धनराशि में वृद्धि की बजाय 17 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है। वर्ष 1995-96 में इसके लिए आबंटित राशि 615 करोड़ रुपये की थी जबकि वर्ष 1996-97 में आबंटन घटाकर 598

करोड़ रुपये कर दिया गया और इस प्रकार इसमें भारी वृद्धि की बजाय 17 करोड़ रुपये की कटौती की गयी।

आप पूरे ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता का ही मसला लीजिए। मैं ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता के साधारण क्षेत्र का सवाल उठा रहा हूँ। हम पाते हैं कि वर्ष 1995-96 के समान वर्ष 1996-97 में भी इसमें धन का आबंटन 1170 करोड़ रुपये ही रखा गया है। उसी प्रकार, लघु उद्योगों, जिनके बारे में हम काफी कुछ कहते हैं, और कृषि तथा ग्रामीण उद्योगों के लिए भी गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी केन्द्रीय योजना परिव्यय उतना ही अर्थात् 607 करोड़ रुपये रहा। यही स्थिति चल रही है।

हम इन मामलों में साझा न्यूनतम कार्यक्रम को काफी महत्व देते हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि क्षेत्रीय आबंटन काफी कम किया गया है। मैं कृषि, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और किसान के बारे में बात कर रहा था। मछुआरों के साथ जो व्यवहार किया गया है वह भी काफी दुखदायी है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मछली पकड़ने के उपकरणों पर लगने वाले शुल्क में काफी अधिक वृद्धि की गई है। शुल्क में जो संशोधन किया गया है वह काफी अधिक है। मैं यह कहते हुए इस बात को स्पष्ट करूंगा कि 'आउट बोर्ड मोटर्स' के संबंध में कर-ढांचे में अत्यधिक वृद्धि की गई है और विद्यमान 15 प्रतिशत मूल शुल्क के स्थान पर हमने अब 10 प्रतिशत मूल शुल्क लगाया है और इसके साथ दो प्रतिशत विशेष शुल्क तथा 11.2 प्रतिशत प्रतिशुल्क भी है जोकि कुल मिलाकर 23.2 प्रतिशत बनता है। इस प्रकार आउट बोर्ड मोटर्स के लिए शुल्क, जो 15 प्रतिशत था, बढ़कर 23.2 प्रतिशत हो गया है। औसत मछुआरे को इन सबका भुगतान करना पड़ेगा। पूरी सभा इस बात को जानती है। और वित्त मंत्री जी को भी इस बात की पूरी जानकारी है कि हमारे मछुआरे हमारे देश की जनसंख्या के आर्थिक रूप से सर्वाधिक कमजोर वर्ग से हैं। लेकिन आउट बोर्ड मोटर्स के लिए अतिरिक्त कलपुर्जों के मूल्यों में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। सहकारी क्षेत्र को भी नहीं बख्शा गया है। विद्यमान मूल शुल्क 15 प्रतिशत है। इसकी बजाय अब हमारा मूल शुल्क 20 प्रतिशत है और इसके साथ दो प्रतिशत विशेष शुल्क, 24.48 प्रतिशत प्रति-शुल्क है, जो कि कुल मिलाकर गरीब मछुआरों पर 46.48 प्रतिशत पड़ जाता है। अतिरिक्त कल पुर्जों, मछली पकड़ने वाले उपकरणों पर शुल्क, जो 15 प्रतिशत था, बढ़कर 46.48 हो गया है।

मेरे राज्य केरल और देश के सभी तटीय क्षेत्रों में भी मछुआरों के लिए यह एक अत्यंत दुःखदायी स्थिति है। मैं उनकी स्थिति जानता हूँ। यहां प्रत्येक व्यक्ति को उन सभी की स्थिति का पता है। इससे निर्धन मछुआरों पर काफी अधिक वित्तीय बोझ पड़ जायेगा। एक अनुमान के अनुसार एक औसत मछुआरे पर प्रति 'आउट बोर्ड मोटर्स' लगभग 6000 रुपये से 8000 रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। निःसन्देह आप यह कह सकते हैं कि यह प्रतिशुल्क है। लेकिन प्रतिशुल्क का स्वरूप क्या है। यहां इस विशेष मामले में प्रतिशुल्क न्यायसंगत नहीं है। प्रतिशुल्क का उद्देश्य भारतीय उद्योग को प्रोत्साहन देना और स्वदेशी उद्योगों का संवर्धन करना है। लेकिन मैं मिट्टी के तेल से चलने वाली 'आउट बोर्ड मोटर्स', जिनका इस्तेमाल किया जाता है की बात कर रहा हूँ। उन्हें यहां निर्मित नहीं किया जाता। उनका आयात करना पड़ता है। इसका कोई और विकल्प नहीं है। इस प्रकार प्रतिशुल्क का प्रश्न ही कहां है? हम वित्त विधेयक का समर्थन करते हैं किन्तु शायद अनजाने में हमारे मछुआरों पर इसका बहुत अधिक बोझ पड़ गया है जबकि हम उन मछुआरों के उत्थान की बात करते हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री इस मुद्दे पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

अब हम कराधान प्रस्ताव की बात करते हैं। मैं इस बात पर अवश्य बल दूंगा कि छूट की अधिकतम सीमा को 40,000 रुपये से बढ़ाकर कम से कम 60,000 रुपये किये जाने की आवश्यकता है। मैंने माननीय वित्त मंत्री की बात काफी ध्यानपूर्वक सुनी है और वस्तुतः हमने यह नोट किया है कि जहां वर्तमान वित्त विधेयक में 40,000 रुपये की इस छूट की अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वहीं 40,000 से 60,000 रुपये के स्लैब में दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि यह राहत बहुत ही कम है। मुद्रास्फीति की दर में हुई वृद्धि की तुलना में यह संतुलित समायोजन भी नहीं है।

अब यह कहना कि कुछ लोग कर के दायरे में नहीं आयेंगे और बाद में उन्हें कर के दायरे में लाना कठिन हो जायेगा, मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख है कि यह एक घटिया और झूठा बहाना है। हमें अपने कराधान विभाग के अकुशल कार्यकरण के कारण लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। जब लोगों की छूट की अधिकतम सीमा को कम से कम 60,000 रुपये किये जाने की मांग न्यायोचित है वह सीमा बढ़ायी जानी चाहिए और हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कराधान विभाग बाद में कराधान के दायरे में उन लोगों को नहीं लाएगा। जो आज अधिकतम सीमा में वृद्धि के कारण इससे बाहर रह सकते हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार के तर्क बहुत ही घटिया किस्म के तर्क हैं।

अब नौकरीपेशा वाले कर्मचारियों का प्रश्न लीजिए। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का इस बात के लिए शुक्रगुजार हूं उन्होंने कुछ रियायतें दी हैं। लेकिन इसे 15000 रुपये मानक कटौती से बढ़ाकर

18000 रुपये तक करना होगा। लेकिन इस पर पुन: दो कड़ी शर्तें लगाई गई हैं। मुझे यह कहते हुये दुख हो रहा है कि वित्त मंत्री जी ने बड़े संकोच के साथ ऐसा किया है जो एक भिन्न बात है और यह संकोच उचित नहीं है। मैंने कहा कि दो शर्तें लगाई गई हैं? जहां तक वेतन से मानक कटौतियों का संबंध है इससे पहले हमने अधिकतम आय के संबंध में कभी भी किसी शर्त के बारे में नहीं सुना। $33^1/_3$ प्रतिशत अथवा 15000 रुपये, जो भी कम हो, मानक कटौती की जाती थी, चाहे वेतन प्राप्तकर्त्ता की आय कितनी भी क्यों न हो, चाहे कर्मचारी का वेतन कितना ही क्यों न हो। लेकिन यहां कुछ रियायतें देते समय एक शर्त लगायी जा रही है कि रियायत उन लोगों को दी जायेगी जिनकी आय 60,000 रुपये से अधिक नहीं है। अब चाहे आप 60,000 रुपये भी क्यों न लेते हों और आप $33^1/_3$ प्रतिशत मानक कटौती के रूप में देते हैं तो सरल अंकगणित यह दर्शाता है कि मानक कटौती 18,000 रुपये की बजाय 20,000 रुपये होनी चाहिए। लेकिन इस संकोच की दूसरी बात यह है कि 2000 रुपये फिर से ले लिये जाते हैं और वित्त मंत्री द्वारा जेब में रख लिये जाते हैं, नि:संदेह मेरे कहने का तात्पर्य राजकोष से है। इस प्रकार का संकोच क्यों?

वेतन भोगियों के लिए अधिकतम सीमा 60,000 रुपये है। वे हमारे समाज में विद्यमान ऐसे चालाक लोगों जो कराधान की अत्यधिक दर के कारण कोई न कोई बहाना बनाते रहते हैं और उन पर कर बकाया रहता है की तुलना में कर का भुगतान करने वाले सबसे अधिक ईमानदार लोग हैं। कर का ईमानदारी से भुगतान करने वाले वेतनभोगियों की बजाय उन लोगों के पीछे जाइए, उन चालाक लोगों को पकड़ें, काले धन के संबंध में कुछ करें जो समानान्तर अर्थव्यवस्था चला रहे हैं।

समग्रवित्त विधेयक अथवा यहां बजट में काले धन के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला गया है। आपका इससे किस प्रकार निपटने का विचार है। इन चालाक लोगों से कर की बकाया धनरासि वसूल करने के उद्देश्य से जो प्रयास किये जायेंगे, उस संबंध में इस पूरे बजट अथवा वित्त विधेयक में एक शब्द भी नहीं बोला गया है। और मैं यह जानता हूँ मैंने इस सभा की अनेक वित्तीय समितियों में कार्य किया है कि यह बकाया राशि कई करोड़ रुपयों और हजार करोड़ रुपयों में है लेकिन इसके लिए क्या प्रयास किये जायेंगे, इस संबंध में इस बजट में कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन वेतन में भी मानक कटौती पर कुछ शर्तें लगाई गई हैं जोकि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

सभापति महोदया: चूंकि आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं....

श्री जी. एम. बनातवाला: महोदया, मैं आपकी बात मानता हूँ। मैं आपको सहयोग दूंगा और अपनी बात समाप्त करूंगा यद्यपि मेरे विचार से, मैंने अपनी बात अभी शुरू भी नहीं की है।

अब वयोवृद्ध नागरिकों के मुद्दे के संबंध में 65 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति को रियायत दी जाती है। यह रियायत 65 वर्ष पर ही क्यों दी जाये? सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। हमारी सोच सही होनी चाहिए। हमें यह आयु 58 वर्ष रखनी चाहिए। 58 वर्ष की आयु होने पर व्यक्ति सेवानिवृत्त होता है और वयोवृद्ध नागरिक बनता है लेकिन इस प्रयोजनार्थ वयोवृद्ध नागरिक बनने के लिए सेवानिवृत होना ही पर्याप्त नहीं है। हमारे वित्त मंत्री के लिए व्यक्ति को 58 वर्ष से 65 वर्ष तक की आयु पर पहुंचने के लिए और सात वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। इन छोटे-मोटे मामलों के संबंध में इस प्रकार का संकोच वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

तत्पश्चात मैं घाटे की प्रतिपूर्ति करने के प्रश्न पर आता हूं। व्यापार में होने वाले घाटे को अगले वर्ष व्यापार में होने वाले लाभ से ही पूरा किया जा सकता है। वहां ऐसी शर्त क्यों रखी गई है? इसकी किसी भी कराधेय लाभ, किसी भी कराधेय आय से प्रतिपूर्ति की जा सकती थी, चाहे यह आय निजी संपत्ति से अथवा वेतन से अथवा कहीं से भी प्राप्त होती हो। क्योंकि यह व्यक्ति की कुल आय है जिस पर कर लगाया जा रहा है। इसलिए, व्यापार में होने वाले घाटे की व्यापार से होने वाली आय के साथ-साथ किसी भी अन्य कराधेय आय से प्रतिपूर्ति करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह शर्त नहीं होनी चाहिए।

श्री पी. चिदम्बरम: आप किस खंड का उल्लेख कर रहे हैं?

श्री जी.एम. बनातवाला: मैं वित्त विधेयक के खंड 10(ग) का उल्लेख कर रहा हूँ।

दूसरी बात, ... **(व्यवधान)**

सभापति महोदया: यह दूसरी नहीं बल्कि नौवीं बात है।

...**(व्यवधान)**

श्री जी.एम. बनातवाला: इसके बाद, मेरे संशोधन भी हैं जिन के बारे में बाद में बात करुंगा।

इसी प्रकार, मुजरा (सेट आफ) को आगे ले जाने के प्रयोजनार्थ जिस व्यापार में पिछले वर्ष हानि रही होती है उसे भी आगामी वर्ष में जारी रखना होता है। यह क्या है? यदि मेरे व्यापार से मुझे हानि होती है तो मुझे हानि-वाला व्यापार जारी रखने हेतु क्यों बाध्य किया जा रहा है? मुझे जो हानि हुई है, उसे आगे लाया जाना है और आगामी वर्ष में इसे किसी कराधेय आय से पूरा कर लिया जाए तथा तब आप मेरी पूरी आय पर कर लगा सकते हैं; इस प्रकार की स्वस्थ अवधारणा होनी चाहिए।

एक घटक कृत्रिम करारोपण का भी है। यूं कहिए कि स्वामित्व वाली या फिर भागीदारी फर्म को लिमिटेड कम्पनी में बदलने के लिए व्यापार का पुनर्गठन करना है। यदि इस दौरान आस्तियां बढ़ जाती हैं तो पूंजीगत अभिलाभ कर लग जाता है... **(व्यवधान)** मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, आपको इसमें इतनी जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं समाप्त कर दूंगा... **(व्यवधान)**। किसी परिसम्पत्ति की बिक्री नहीं हुई है। इसलिए, कोई पूंजी अभिलाभ प्राप्त नहीं हुआ है। बेहतर कार्यकुशलता के लिए ही व्यापार का पुनर्गठन किया गया है तथा तब भी हमसे पूंजी अभिलाभ कर और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करने हेतु कहा जाता है। अधिक कार्यकुशलता के प्रयोजन हेतु व्यापार का पुनर्गठन करने में ऐसे अनुत्साहन सामने आते हैं।

'मेट' (एम.ए.टी.) के मामले में, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि लघु उद्योग विशेष रूप से जो निर्यात से जुड़े हैं, को 'मेट' से छूट दी जानी चाहिए। जब मैं अपने संशोधन पर बात करुंगा तब इस पर बाद में विस्तार से चर्चा करुंगा। जब हम लघु उद्योग की बात करते हैं, हम कहते हैं कि लघु उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था का आधार हैं। इस बात को माननीय वित्त मंत्री ने भी अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है। इसलिए, लघु उद्योग, जो अपने स्वयं के उत्पादों का निर्माण और निर्यात कर रहे हैं उन्हें सहायता दिये जाने की आवश्यकता है।

मैं जल्दी-जल्दी कुछ वाक्यों में अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा।

मेरा अगला मुद्दा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम से संबंधित है। इसका क्या बना? इसके संबंध में कुछ नहीं पता। क्या इसे वायदे के अनुसार पैसा दे दिया गया है? यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा? यह दिखावटी सहानुभूति क्यों तथा अल्पसंख्यकों के संबंध में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है?

कम मूल्य के नोटों अर्थात एक रुपये, दो रुपये और पांच रुपये के नोटों की कमी के प्रश्न के संबंध में मैं यह जानता हूँ कि नोटों के स्थान पर सिक्के शुरु किये जाने हैं। ये भी उपलब्ध नहीं होते हैं तथा जो नोट उपलब्ध भी होते हैं, वे गंदे होते हैं। उन्हें इनका ध्यान रखना चाहिए। हमारा आयकर विभाग भी कभी-कभी बहुत गलत ढंग से कार्य करता है। मुम्बई में उन वकीलों को नोटिस भेजे गए हैं जो टाडा अभियुक्तों का मुकदमा लड़ रहे हैं। उनसे यह पूछा गया है कि वे यह बताएं कि प्रत्येक टाडा अभियुक्त ने उन्हें फीस के रूप में कितनी रकम दी है और उसने वह भुगतान करने हेतु धनराशि कहां से प्राप्त की। वे बहुत सारी जानकारी मांग रहे हैं। ऐसा भेदभाव पूर्ण रवैया क्यों अपनाया जा रहा है तथा उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। एक ओर तो यद्यपि टाडा समाप्त कर दिया गया है फिर भी मामले वापिस नहीं लिये गये हैं। ऐसा लगता है कि हम इंगलैंड का अनुसरण कर रहे हैं। इंगलैंड में वे कहते हैं, राजा मर गया है; राजा दीर्घायु हो। यहां भारत में हम कहते हैं, टाडा समाप्त हो गया है; टाडा लम्बे समय तक चलता रहे। टाडा कानून समाप्त होने के बावजूद, मामले चल रहे हैं तथा जो वकील टाडा अभियुक्तों के मुकदमें लड़ रहे हैं, उन्हें भेद-भाव पूर्ण तरीके से परेशान किया जा रहा है। वे भी उन वकीलों के समान ही हैं जिन्हें अपनी आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होती है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए तथा उनके साथ भेद-भाव पूर्ण रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए तथा उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। यह हमारी न्याय प्रणाली के हित में नहीं है।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अपील करना चाहता हूँ कि कोपरालेक्टम पर आयात शुल्क में 45 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक की यह कमी केरल में हमारे जो उद्योग हैं, उन्हें पूर्णतया बर्बाद कर देगी। वहां 'फेक्ट' (एफ ए सी टी) है। इसे पूर्णतया समाप्त करना होगा। इस ओर ध्यान दिया जाना है। ऐसा कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से हमारे उद्योगों को दंडित और बर्बाद किया जाए। वहां अकार्यकुशलता का प्रश्न नहीं है। वर्ष 1991 में इस परियोजना को शुरु किया गया था तथा इसे उचित स्तर पर आने तथा विदेशों के साथ प्रतियोगिता की स्थिति में आने में कुछ समय अवश्य लगेगा।

अन्त में, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। पोन्नानी में जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय या एक शाखा एकक स्थापित किये जाने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां व्यापारिक कार्यकलापों की भरमार है। वहां शाखा खोलने का प्रस्ताव था। किन्तु यह खोली नहीं गयी है। कहीं कुछ न कुछ हुआ है। हम नहीं जानते क्या हुआ है। इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया है। मैं केरल के मल्लापुरम जिले में पोन्नानी तालुका में जीवन बीमा निगम की शाखा एकक खोलने की अपील करता हूं।

यदि मैंने वित्त विधेयक के कुछ पहलुओं के संबंध में कठोर रुख अपनाया हो तो मुझे माफ करना। कुल मिलाकर, विधेयक अच्छा है तथा हम माननीय वित्त मंत्री को अपनी अर्थव्यवस्था का संपोषण करने की बधायी देते हैं। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका (तेजपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं उनके इतने कम समय के बावजूद बिल्कुल संतुलित और उचित बजट और वित्त विधेयक प्रस्तुत करने के लिए माननीय वित्त मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ। ऐसी अनेक विशिष्ट बातें हैं जिनकी प्रशंसा की जानी चाहिए किन्तु इस बात को समझना होगा कि यह बजट आधे वर्ष के लिए ही है।

इसलिए, नीति में किये जाने वाले अनेक आधारभूत परिवर्तनों की हमें आशा नहीं थी।

सभापति महोदया: कृपया एक मिनट के लिए मुझे क्षमा करें। सभा का समय एक घंटे अर्थात सायं 8.30 बजे तक बढ़ाया गया था इसलिए हमें समय बढ़ाना होगा। यदि आप अब सहमत हैं तो हम समय उस वक्त तक बढ़ा दें जब तक चर्चा पूरी हो... **(व्यवधान)** सभा की अनुमति लेनी होगी।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: एक बार फिर मैं देश के पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में मेट (एम ए टी) को पुन: देखने के हमारे अनुरोध को मान लेने के लिए वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। जैसाकि वित्त विधेयक में पहले प्रस्तुत किया गया था कि इससे नए उद्योगों में नये निवेशों के रूप में राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभ समाप्त हो जाते। किन्तु अपने भाषण में, विधेयक पेश करते समय उन्होंने यह मान लिया कि पिछले राज्यों, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में नये उद्योगों में निवेश के संबंध में धारा 80 (एक) (क) के लिए मेट (एम ए टी) लागू नहीं होगा।

वित्त विधेयक में, वित्त मंत्री ने गुवाहाटी में एक वर्ष पहले स्थापित किये गये पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एन एफ डी एफ आई सी) द्वारा अर्जित आय को छूट देने में पर्याप्त उदारता का परिचय दिया। किन्तु यह एक ऐसा संस्थान है जो साहस पूंजी निधि की प्रकृति का है तथा देश के पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों में औद्योगिक और अन्य उद्यमों की विकास प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे स्थापित किया गया है। वर्षों से हमने यह देखा है कि असम में गुवाहाटी में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) कार्य कर रहा है किन्तु उन्होंने राज्य में उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने में अत्यन्त कम कार्य किया है। ऋणों या आवेदनों का मूल्यांकन करने में उनके मानदण्ड बहुत अधिक सख्त हैं, ये मानदण्ड अन्य राज्यों के मुकाबले असम में बहुत अधिक सख्त हैं। इसीलिए उस क्षेत्र के लिये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने काफी कम ऋण दिये हैं। नये निगम ने, जो पिछले एक वर्ष से कार्य कर रहा है, भी कुछ खास नहीं किया है। ऐसी आशंका है कि यह नया निगम भी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जो कि पिछले कई वर्षों से उक्त क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, की भाँति ही कार्य करने लगेगा।

इसलिए, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस निगम की आय पर छूट सिर्फ उस आय से संबद्ध होनी चाहिए जो उसे ऋणों, अग्रिम तथा उस क्षेत्र में स्थापित होने वाले नए औद्योगिक उपक्रमों में पूंजी निवेश से हो रही है, न कि आय के अन्य तरीकों से; वे आय अर्जित करने वाली अन्य आस्तियों में निवेश कर रहे हैं और वे छूट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इस निगम का एक कार्यालय गौहाटी में भी स्थित है। मुझे आशंका है कि यह निगम ऐसा करने जा रहा है। यह निगम क्षेत्र के बाहर कम्पनियों में 'इक्विटी' निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा। यह निगम अन्य जगहों पर वित्तीय प्रपत्रों अथवा अन्य प्रकार के पूंजी निवेश करके अधिकाधिक धन अर्जित करने का प्रयास करेगा और छूट का लाभ उठाकर भी उक्त क्षेत्र के विकास हेतु कुछ भी नहीं करेगा।

इसलिए, अगर छूट दी जाए तो यह छूट सिर्फ उस आय पर होनी चाहिए जो कि उक्त राज्य में नए उद्योगों और नए उपक्रमों में किये गये पूंजी निवेश से अर्जित हो।

'मैट' पर चर्चा करते हुये एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि क्या यह निर्यातोन्मुखी परियोजनाओं पर भी लागू होना चाहिए। आयकर अधिनियम के खण्ड 80 जज(ग) के अनुसार निर्यात से होने वाली आय पर छूट दी जाती है। कई वर्ष पूर्व यह प्रावधान लागू किया गया था, परन्तु तब से ही इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। कई मामलों में हमने पाया है कि इसका दुरुपयोग काले धन को सफेद धन में परिवर्तित करने में किया जाता रहा है।

निर्यातोन्मुखी उत्पादन के मामले में हमने देखा है कि काले धन का दुरुपयोग कच्चे माल को खरीदने और मजूरी आदि देने के लिए किया जाता रहा है ताकि लाभ दर बढ़ जाए। निर्यात के पश्चात यह धन कर मुक्त निर्यात आय के रूप में वापस आ जाता है। इसलिए हम मुम्बई और अन्य व्यापारिक पत्रिकाओं में छपे विज्ञापन देखते हैं जिनमें निर्यात लाभ को बेचने के प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। एक करोड़ रुपये की निर्यात आय को 10 अथवा 20 लाख रुपये में किसी भी लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी को बेचा जा सकता है क्योंकि वह कम्पनी निर्यात कारोबार से कर छूट का फायदा उठायेगी। और वे अपने अवैध साधनों से निर्यातक फर्म के लिए कतिपय धनराशि देने को तैयार हैं और इसके साथ-साथ इस कम्पनी के निर्यात ऋण भी दे सकती हैं ताकि निर्यातोन्मुखी कम्पनियों के निर्यात ऋण का लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार का दुरुपयोग काफी लम्बे समय से होता आ रहा है। मेरे विचार में 'मैट' को निर्यातोन्मुखी कम्पनियों पर लागू करना एक सही कदम है। वर्तमान में यह सिर्फ निगमित इकाइयों पर ही लागू होता है। इसके प्रभाव जानने के लिए इसे थोड़े समय के लिए उन्हीं के पास रहने देना चाहिए। तत्पश्चात, अगर इसके संतोषजनक परिणाम सामने आते हैं, तो इसको गैरनिगमित इकाइयों जैसे साझेदारी कम्पनियों और व्यक्तियों के समूह आदि पर भी लागू किया जा सकता है।

मेरे पास समय का अभाव है। इसीलिए, मैं अब करों के प्रशासनिक पहलुओं को उठाना चाहता हूँ। राजस्व विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1994-95 में करों की कुल बकाया राशि 22,699 करोड़ रुपये थी। वर्ष 1995-96 में यह 28,987 करोड़ रुपये हो गई थी। यह काफी अधिक बढ़त है। साधारणतः व्यापार में कहा जाता है कि विविध देनदारियाँ दो माह की बिक्री के बराबर होनी चाहिए। अगर हम कर वसूली प्रतिमाह 2,500 रुपये मान लें तो इसका अर्थ 10 अथवा 12 माह की वसूली के बराबर राशि है। यह बहुत अधिक है। इसलिए, बकाया राशि को कम करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इस प्रकार विकास हेतु संसाधनों को जुटाया जा सकता है। बड़े करदाताओं को, जनता और सरकार के धन को लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से, अपने-अपने व्यवसायों में उक्त धन का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मैंने पृष्ठ 64 पर एक अन्य महत्वपूर्ण बात पढ़ी है जिसमें सर्वेक्षणों और छापों के नतीजों से संबंधित आँकड़े प्रकाशित हैं। इसमें प्रकाशित है कि वर्ष 1995-96 के अंत तक पिछले चार वर्षों के दौरान नए कर निर्धारितियों की संख्या 50 लाख के लगभग है। हमारे पास केवल लगभग 12 लाख निर्धारिती हैं और पिछले चार वर्षों के दौरान 50 लाख नए कर निर्धारिती और हो गए हैं और उसके पूर्व 1991-92 में सिर्फ 12 लाख के लगभग ही थे तो अगर 10 लाख कराधान के क्षेत्र से बाहर निकल भी गए तो शेष 60-70 लाख होने चाहिये। इसका अर्थ है कि ये आँकड़े काफी बड़े हुये हैं। यह जाँच की जानी चाहिये कि क्या ये वास्तव में सही हैं।

हमने स्पष्ट देखा और जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है काले धन का प्रकोप सारे देश को घेरता जा रहा है और कुछ भी वास्तविक रूप से नहीं किया जा रहा है। मैं महसूस करता हूँ कि कुछ भी प्रति उपाय नहीं किये जा रहे हैं। वर्ष 1993-94 के दौरान 941 अभियोजन के मामले थे। वर्ष 1994-95 में यह आँकड़ा 792 था। परन्तु, वर्ष 1995-96 में यह अचानक घटकर 288 हो गया। इसलिए, इसको अति महत्व दिया जाना चाहिये। मैं ब्रिटेन के आयकर विभाग और आंतरिक राजस्व विभाग के संबंध में अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूँ कि उस देश में बिना किसी झिझक के सभी विवरणियां स्वीकार कर ली जाती हैं और कुछेक प्रतिशत विवरणियाँ व्यापक जाँच हेतु एक अलग विभाग, जिसको व्यापक एवं कड़ी जाँच विभाग कहा जाता है, द्वारा चुन ली जाती हैं। आवश्यकता पड़ने पर कर अपवंचन करने वालों का पता लगाने के लिए जाँच विभाग 'स्काटलैंड यार्ड' की सहायता ली जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के संबंध में कर अपवंचन करने अथवा आय को छुपाने के संबंध में प्रमाण मिल जाते हैं तो उस पर मुकदमा चलाया जाता है तथा दण्ड दिया जाता है। जुर्माने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। अपितु, भारत में आयकर अधिकारी कहते हैं कि सकल लाभ बहुत कम है इसको इतना होना चाहिए। इसलिए, इतनी राशि जोड़ दीजिए और छुपायी गयी आय पर इतना अतिरिक्त कर और 100 अथवा 70 प्रतिशत अथवा कुछ जुर्माना दे दीजिए। अंत में जब न्यायाधिकरण के पास मामला जाता है तो जुर्माना हटा दिया जाता है जिससे सारी प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। इसलिए, विभाग का पुनर्गठन किये जाने की आवश्यकता है ताकि जाँच पहलू पर अधिक बल दिया जा सके।

जहाँ तक वर्तमान वित्त विधेयक का प्रश्न है, समयाभाव के कारण मैं अधिक नहीं बोल सकता हूँ लेकिन उम्मीद करता हूँ कि श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत यह आखरी बजट नहीं होगा। मैं आशा करता हूँ कि अगले बजट की प्रस्तुति के समय वो यहाँ पर मौजूद होंगे। इसलिए, मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुये उनको कुछ सुझाव देना चाहता हूं जो कि अगले बजट को तैयार करते समय वो ध्यान में रखेंगे।

सरकार ने बिना वार्षिकी विवरणी और लेखों को प्रस्तुत किये 1400 रुपये के प्रकल्पित कर को जमा करने की प्रक्रिया आरम्भ की है। यह बहुत अच्छी परिकल्पना है। इसका विस्तार किया जाना चाहिए और लोकवाद को कम करके इसको समतुल्य किया जाना चाहिए ताकि देश में संसाधनों में वृद्धि की जा सके। मेरे विचार से अब समय आ गया है जब हमको उत्साहित लोकवाद को समाप्त करके कृषि क्षेत्र को कर के दायरे में लाने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। उदाहरण के तौर पर सरकार कृषि क्षेत्र को किन-किन वस्तुओं पर राजसहायता दे रही है? उर्वरकों पर राजसहायता बढ़ती जा रही है। कृषि के लिए रियायती दरों पर ऋण भी दिये जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र को भी काफी अधिक राजसहायता दी जा रही है। कृषि क्षेत्र को दी जा रही करोड़ों रुपये की राजसहायता का लाभ बड़े और धनवान किसानों को मिल रहा है। भूमिहीन मजदूरों के नाम पर हरित क्रांति के लाभ बड़े किसान व जमींदार उठा रहे हैं। इसलिए, कृषि क्षेत्र में प्रकल्पित कर को लागू करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। इसका आधार भूमि का मालिकाना अधिकार, भूखण्डों का क्षेत्रफल और औसत उत्पादकता हो सकती है। अधिकांश राज्यों में राजस्व प्रयोजनार्थ भूमि का मूल्यांकन किया जाता है। सम्भवतः, कृषि क्षेत्र को प्रकल्पित कर के दायरे में लाने के लिए और उसके आधार को निर्धारित करने इसी तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है। मुझे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, यह सब नहीं कहना चाहिये किन्तु, चूँकि मैं असम से हूँ जहाँ अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं और उनको उर्वरकों, विद्युत, ऋण इत्यादि पर दी जा रही राजसहायता का कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

असम में प्रति हैक्टेयर भूमि में सिर्फ 4 किलोग्राम ही उर्वरक प्रयोग किये जाते हैं जबकि पंजाब में प्रति हैक्टेयर 159 अथवा 160 किलोग्राम प्रयोग किये जाते हैं। असम की औसत दर भी राष्ट्रीय औसत दर से काफी कम है।

इसी प्रकार, कृषि ऋण में भी, हमारी जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे सभी कृषक गरीब हैं। मुझे मालूम है कि यदि कृषि को कर के अंतर्गत लाया जाता है, तो मेरे राज्य में बहुत थोड़े कृषक इससे प्रभावित होंगे, और मुझे अपने वोट खोने का भय नहीं है यदि मैं कृषि आय पर कर लगाने का समर्थन करता हूँ परन्तु यह कहकर, मैं महसूस करता हूं कि यदि समृद्ध कृषक, जो विकास कर रहे हैं और जिन्होंने आधारभूत सुविधाओं और ऋण में सुधार कर लिया है, उनको कर सीमा के अंतर्गत लाया जाता है, तो यह कृषि श्रमिकों, भूमिहीनों और सीमान्त कृषकों तथा अन्य लोगों जिनके लिए बहुत कुछ किया जाना है, के लिए यह उचित होगा।

कराधान के मुद्दे पर, कार्यविधि के कुछ ही मामले हैं। मैं जानता हूं, अब आयकर को संग्रहित करने में लगभग डेढ़ प्रतिशत खर्चा आता है। जोकि बहुत अधिक है। आयकर संग्रह की अधिकांश लागत निम्न आयकरदाता श्रेणियों पर खर्च होती है। इस प्रकार, यदि हम आयकर सीमा छूट को बढ़ाकर एक लाख रुपये अथवा दो लाख रुपये कर दें और तब उच्च दर से कर लगाएं और नीचे वाले स्लेब को हटा लें, तब उच्च करदाताओं पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्व संग्रह की वृद्धि में यह एक हितकर प्रभाव होगा और इसके अतिरिक्त यह बहुत से गैर उत्पादक प्रकरणों को समाप्त कर देगा। आजकल, यदि आप कर-कार्यालय जाते हैं, तो आपको हजारों और लाखों फाइलों का ढेर मिलेगा और उनमें से यदि आपको कोई अपेक्षित फाईल की आवश्यकता है तो आपको चपरासी से ऊपर तक के कर्मचारी को काफी पैसा देना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति इस प्रकार की है। आयकर विभाग ने स्थायी लेखा संख्या को लागू करने का प्रयत्न किया है, पिछले बहुत से वर्षों से यह प्रयास किये जा रहे हैं। लेकिन इसे सफलतापूर्वक नहीं चलाया जा सका। अभी भी वे (जी.आई.आर.) जनरल इंडेक्स रजिस्टर संख्या का सहारा लेते हैं। पिछले पचास वर्षों से आयकर विभागों को चलाने का यही आधार रहा है। कम्प्यूटरीकृत (पैन) स्थायी लेखा संख्या आरंभ करने से इस पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनेक छोटी मोटी फाइलें और अनेक छोटे मोटे मामले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पहलू की सन्तुलित ढंग से जांच की जानी चाहिए—सीमा बढ़ाना वांछनीय अथवा लाभदायक होगा या नहीं और तब बड़े निर्धारिती पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। इससे वसूली लागत में कमी आएगी और इसके साथ-साथ मैं समझता हूँ, कि इससे राजस्व वसूली में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

इससे पूर्व वेतन भोगी लोगों को आयकर विवरणी जमा नहीं करनी पड़ती थी। पहले कर की कटौती स्रोत पर ही हो जाती थी, और कर्मचारियों की विवरणी के आधार पर आयकर विभाग द्वारा जांच की जाती थी, और मामले निपटाये जाते थे। आजकल वेतन भोगी कर्मचारियों को भी आयकर विवरणी भरनी पड़ती है, और इससे आयकर कार्यालयों में कार्यभार बहुत बढ़ गया है। इसलिए इस पहलू पर पुर्नविचार किये जाने और ये देखने की आवश्यकता है कि क्या हम पुरानी प्रणाली को पुनः अपना सकते हैं। जिसके तहत हम वेतन भोगी कर्मचारियों को अपनी विवरणी भरने से छूट दे सकते हैं। यदि उनका आय का अपना कोई अन्य स्रोत हो तो वह स्वयं विवरणी जमा करेंगे। लेकिन तब भी विवरणी जमा करने को अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए, जैसाकि अब है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कर-प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल और दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

महोदया, दूसरा मुद्दा राष्ट्रीय कर न्यायालयों के बारे में है। हम राष्ट्रीय कर न्यायालयों के बारे में वर्षों से सुनते आ रहे हैं, परन्तु किसी न किसी कारणवश इसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका है। न्यायालयों में भारी संख्या में मुकदमें लम्बित हैं। यदि हम इन मामलों को उच्च न्यायालय से हटा देते हैं। तो उनका बोझ बहुत कुछ कम हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के साथ भी ऐसा ही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्य करने के बावजूद उच्च-न्यायालय और उच्चतम-न्यायालय स्तर पर भारी संख्या में मामले हैं, सम्भवतया राष्ट्रीय कर न्यायालयों के गठन से देश में हमारे उच्च न्यायालयों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि वह राष्ट्रीय कर न्यायालयों की स्थापना के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दें।

सभापति महोदया: क्या आप अपनी बात समाप्त करेंगे?

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: महोदया, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं वित्त विधेयक की अधिकांश बातों का स्वागत करता हूँ परन्तु एक बात पर मुझे वित्त मंत्री से सहमत होने में कुछ कठिनाई हो रही है, और वह है पट्टे के वित्त-पोषण का मुद्दा। अब, पट्टा करने वाले के उपकरणों की लिखित कीमत वही होगी, जोकि पिछले मालिक की है। जिसमें ऋण पाने के लिए अपने उपकरणों को पट्टे पर दिया था।

अपराह्न 9.00 बजे

इस पट्टे के वित्त पोषण से हमारे विद्युत क्षेत्र को काफी सहायता मिल रही है। महोदया, जैसा कि आपको मालूम है राज्य बिजली बोर्डों के सामने बहुत भारी वित्तीय संकट है और उनके तुलन-

पत्र इतने दयनीय हैं कि उनको देखकर कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था कभी एक रुपया भी नहीं देगी। अतः बाजार से धन प्राप्त करने का कोई साधन नहीं है। इसी के कारण वे निरन्तर घाटे में जा रहे हैं। उदाहरण के लिए राज्य बिजली बोर्डों में लाखों मीटर स्टाप-मीटर या दोषपूर्ण मीटर हैं, और इस कारण कीमती राजस्व की हानि हो रही है। वित्तीय संकट की स्थिति में हमारे लिए राजस्व की हानि एक अपराध है किन्तु नए मीटर खरीदने, दोषपूर्ण मीटरों को बदलने या बिना मीटर वाले ग्राहकों को मीटर देने के लिए उनके पास धन नहीं है। ये बोर्ड पट्टे पर धन देने वाली कम्पनियों के पास जाते रहे हैं। वे सभी घाटे वाले बोर्ड हैं, इसलिए अदा करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए वे अपने मूल्य ह्रास को एक तरह से पट्टे पर वित्त पोषण करने वाली कम्पनियों को बेच रहे हैं और उपकरण को बेचकर, जिसे बोर्ड को पुनः पट्टे पर दिया जाता है, कुछ धन प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह वे अपनी कुछ अत्यावश्यक और स्थगित न की जा सकने वाली जरूरतों को पूरा करते हैं। अनेक राज्य बिजली बोर्ड इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और अपनी वित्तीय-स्थिति सुधारने हेतु कम से कम कुछ धनराशि प्राप्त कर रहे हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: ये कोई लाभ नहीं है जिसे छीन लिया जा रहा है। ये स्पष्ट रूप से एक त्रुटि है जिसको ठीक किया जा रहा है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: ठीक है, लेकिन यह इस लिये कोई बुराई नहीं है कि कुछ संस्थाएं इस योजना का उपयोग कर बचाने के लिए नहीं बल्कि जनता के कल्याण के लिए कर रही हैं। आप इस बात पर गौर कीजिए कि पट्टे पर वित्त-पोषण का व्यवसाय विद्युत क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कारक हो गया है। मैं जानता हूँ। खुद असम में, मैंने स्वयं सौ करोड़ रुपये के लगभग पट्टे पर वित्त पोषण उस स्थिति में लिया है जब मुझे किसी से एक रुपया भी ऋण नहीं मिल सकता। उस धन से अनेक कार्य किये गये हैं और बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति सुधर रही है। राज्य उपक्रमों या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में जो वास्तव में रुग्ण है और सघन चिकित्सा स्तर से परे हैं, कम से कम कुछ छूट पर विचार किया जा सकता है। अतः इन कुछ अति विशिष्ट मामलों में सरकार कुछ छूट देने पर विचार कर सकती है। ताकि यह राहत, जो आज राज्य बिजली बोर्डों को मिल रही है वापस न ले ली जाए, क्योंकि देश के लिए यह अच्छा ही करेंगे। इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए।

अन्त में, मैं एक अन्य अंतिम मुद्दे का उल्लेख करूंगा। तीस प्रतिशत से बीस प्रतिशत की दीर्घावधि पूंजी लाभ दर कटौती केवल कम्पनियों पर ही लागू है।

श्री पी. चिदम्बरम: सहभागिता को छोड़कर यह प्रत्येक व्यक्ति पर लागू है। आज मैंने सहभागिता के लिए भी एक संशोधन प्रस्तुत किया है।

श्री ईश्वर प्रसन्ना हजारिका: अगर ये बात है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है।

श्री जी.ए. चरण रेड्डी (निजामाबाद): महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। रात्रि के इस समय, जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि वित्त मंत्री सहित सब लोग शारीरिक और मानसिक रूप से थक गए हैं। सबके चेहरों पर थकान स्पष्ट रूप से झलक रही है। मैं गत 20 वर्षों के दौरान अमरीका में रहने के पश्चात् बड़ी आशा के साथ पहली बार इस सभा के लिए निर्वाचित हुआ हूं और कुछ कहने से पूर्व मैं वित्त मंत्री को ऐसा बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देना चाहता हूँ जिससे पता चलता है कि वह सही दिशा में जा रहे हैं।

यद्यपि उन्होंने कहा कि वह वित्त विशेषज्ञ नहीं हैं, परन्तु सौभाग्यवश वह ही वित्त विशेषज्ञों से उत्तराधिकार के रूप में बजट प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। जब वर्ष 1991 में वित्तीय सुधार आरंभ हुआ, तो वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ वह भी आर्थिक सुधारों का एक अभिन्न अंग थे। ये वे ही आर्थिक सुधार हैं जिनसे भारतीय इतिहास में पहली बार यह आशा जगाई गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में निश्चित रूप से भारत आज भी उभरता हुआ बाजार माना जाता है। सामान्य बजट और वित्त विधेयक पूर्णतः सही दिशा में हैं। परन्तु बजट तथा वित्त विधेयक संबंधी कुछ मुद्दों पर मैं विस्तारपूर्वक विचार करना चाहता हूँ।

वित्त मंत्री महोदय द्वारा कही गई एक बात वित्त विधेयक का तत्व है अथवा सामान्य विधेयक में ही वित्तीय अभाव की चर्चा की गई है। वित्तीय अभाव राजस्व तथा पूंजी अभाव के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मुझे यह सुनकर प्रसन्नता हुई है कि वित्त मंत्री ने सभा को राजस्व में 2,692 करोड़ रु. की वृद्धि का आश्वासन दिया है। परन्तु इसके साथ-साथ ही आपने हमारे पूंजी निवेश भी बढ़ा दिये हैं जिससे यह आशा होती है कि यह कदम सही दिशा में है।

मैं कुछ मुद्दों की चर्चा करना चाहूँगा। इनमें से एक है धन लगाना। जब तक कि प्रवर्तन निदेशालय को प्रभावी और कार्यकुशलता से नहीं चलाया जाता, तब तक बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि ऐसा देश जीवित नहीं रह सकता जहाँ केवल 9 प्रतिशत लोगों द्वारा ही प्रत्यक्ष कर दिया जाए।

दूसरा, करों का सरलीकरण भी इस संबंध में निश्चित रूप से सहायता करता है क्योंकि भारत के कर-फार्म विश्व के कर-फार्मों

में सबसे अधिक जटिल हैं। मैंने कम से कम सात या आठ देशों के फार्म देखें हैं। भारत के कर संबंधी फार्म सबसे अधिक कठिन हैं। यहाँ तक कि अमरीका में भी थोड़ा सरल ही है। एक गृहिणी भी यह फार्म भर सकती है। गत 20 वर्षों के दौरान मैंने पाया है कि व्यक्तियों और व्यापार संस्थाओं को यह काम करने में दो घण्टे लग जाते हैं। भारत में यह कार्य करने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है। यदि आप इसे सरल बनाने का कोई रास्ता ढूँढ लें तो इससे करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा। यदि कर उद्देश्यों के लिए कोई राष्ट्रीय पहचान बनाई जाए तो, मेरे विचार में, शेष भारतीय इतिहास में माननीय वित्त मंत्री को याद किया जाएगा। जब तक कि हम व्यक्ति को ढूँढ नहीं लेते—मेरा अभिप्राय यह है कि, मैं भारत में किसी दूसरे स्थान पर जाकर छद्म नाम या किसी दूसरे का नाम अपना लूं और फिर भी जीवित रहूँ। जब तक कि हमारी इस प्रकार की राष्ट्रीय पहचान नहीं होगी, दोषियों को पकड़ना बहुत कठिन होगा।

सरकार, विशेषत: वित्तीय क्षेत्र को व्यापार की तरह कार्य करना पड़ता है। हमने प्राय: देखा है कि विशेषत: राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशक का नाम समाचार-पत्रों में आता रहा है परन्तु बहुत से धन संबंधी मामलों में दोषी व्यक्तियों को न तो कारावास का दंड दिया जाता है या फिर अधिकतम कारावास नहीं मिलता। बहुत सी भारतीय निर्यातक कम्पनियाँ और इनवायसिंग करती हैं तथा अमरीका या लंदन में दलाली ले रही है तथा विदेशों में धन इकट्टा कर रही हैं। यह सीधा मातृभूमि को लूटना है। भारत में बहुत से राज्य राजसहायता दे रहे हैं। मैं अपने ही राज्य आंध्र प्रदेश का उदाहरण देता हूँ—मैं अपने राज्य की आलोचना नहीं कर रहा हूँ—परन्तु प्रत्येक मांग पर राजसहायता देना उचित नहीं है जिससे राज्य अन्तत: दीवालिया हो जाता है। फिर राज्य केन्द्र की शरण में आते हैं परन्तु केन्द्र भी 66000 करोड़ रु. के घाटे के चलते इतनी कुशल स्थिति में नहीं होता कि राजसहायता देने वाले राज्यों की स्थापना कर सके। जब तक कि आधारभूत अनुशासन नहीं होगा, जब तक कि सरकार उसी पथ पर नहीं चलेंगी तब तक हम आर्थिक संकट से बच नहीं सकते। वर्ष 1991 में भारत दीवालियापन के कगार पर था। उस समय अप्रवासी भारतीयों ने देश को बचाया। यही नहीं, यहाँ तक कि इस देश को आज़ादी भी उस समय के एक अप्रवासी भारतीय, महात्मा गाँधी द्वारा दिलाई गई।

अप्रवासी भारतीय भारी योगदान दे रहे हैं परन्तु बहुत से अप्रवासी भारतीयों को कोई भी रियायत नहीं दी जा रही है। मैं इस बात के कुछ उदाहरण दे सकता हूं कि अप्रवासी भारतीय किस प्रकार निराश हैं। मैं 29 अगस्त के 'द हिन्दु' में से उदाहरण देता हूँ। उसका शीर्षक है: 'एन आर आईज़ वान्ट टू रन अवे, नाट टू इन्वेस्ट'

"हाल ही में एक अप्रवासी भारतीय को आये स्पेयर पार्टस और रबड़ उत्पादों के उत्पादन में 6.5 करोड़ रु. का निवेश करने के पश्चात् निकासी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ीं। उसे औपचारिकताएं पूरी करने के लिए घूस देनी पड़ी यहाँ तक कि अब वह ऐसी अग्निपरीक्षाओं से मुक्ति पाना चाहता है।"

हाल ही में हमने देखा है कि उद्योग विभाग (मंत्रालय) ने एफ डी आई को बहुत सी परियोजनाओं पर स्वीकृति दी है। परन्तु उन परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वियन बहुत कम है। हमने सुना है कि 300 या 400 नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। अन्तत: जब तक उन्हें वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तथा वे रोजगार के अवसर और राजस्व पैदा करते हैं। तब तक उनका कार्यान्वयन सीमित हो जाता है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूँढना चाहिए कि स्वीकृत की गई प्रत्येक परियोजना का सही कार्यान्वयन हो जिससे भारत में रोजगार के अवसर तथा राजस्व बढ़े।

समय की कमी को देखते हुए मैं केवल वित्त विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

पहली बात यह है कि बजट प्रस्तुत होने के उपरान्त मुम्बई स्टाक एक्सचेंज का सूचकांक 4000 से 3000 तक नीचे आने के कारण पूंजी बाजारों की स्थिति खराब है। बहुत से शेयरों का मूल्य गिरने के कारण प्राथमिक बाजार (इनीशियल पब्लिक आफर) की स्थिति खराब है। वित्त मंत्री साझा न्यूनतम कार्यक्रम में परिकल्पित 10 अरब अमरीकी डालर के बराबर वार्षिक विदेशी निवेश कैसे आकर्षित करते हैं? जहाँ विदेशी वित्तीय संस्थाओं को अनेक सुविधाएं दी जाती हैं जैसे कि स्वत: स्वीकृति, खरीदने, बेचने की स्वतंत्रता और धन की छूट आदि। अप्रवासी भारतीयों को अपने बैंकरों के माध्यम से शेयर खरीदने और बेचने के लिए भारतीय बैंक क्यों जाना पड़ता है? एफ आई आई केवल दस प्रतिशत पूंजी लाभ कर देती है जबकि अप्रवासी भारतीयों को 20 प्रतिशत देना पड़ता है। क्या वे अमरीकी डालरों में निवेश करके उद्योग निर्माण में देश की सहायता नहीं कर रहे हैं?

दूसरा, एफ आई आई द्वारा किसी कंपनी में व्यक्तिगत निवेश की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर इक्विटी के 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बराबर कर दी गई है। एफ आई आई संस्थाओं को सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश करने की अनुमति दी जाती है। अप्रवासी भारतीयों तथा ओवरसीज कार्पोरेट संस्थाओं को ऐसी छूट क्यों नहीं दी जाती जिसमें अधिकांश निवेश अप्रवासी भारतीयों द्वारा होता है?

तीसरे, कम्पनियों द्वारा कुल हिस्से के पच्चीस प्रतिशत के नान-वोटिंग शेयर जारी करने से एफ आई आई द्वारा ब्लू चिप कंपनियों को बेचने के कार्य में तेजी आई है जिससे बाजार की स्थिति में और गिरावट आई है। माननीय वित्त मंत्री को इस प्रावधान को हटा देना चाहिए और पूंजी वृद्धि के लिए कम्पनियों को बाजार से अपने शेयर खरीदने की अनुमति देनी चाहिए।

चौथे, अप्रवासी भारतीयों को प्रस्तावित इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस डिवेलपमेंट कार्पोरेशन (आई एफ डी सी) के इक्विटी बांड इशुओं में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।

पांचवां, बीमा नियामक प्राधिकरण (आई आर ए) जब स्थापित हो गया है तो बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेशकों के लिए खोल दिया जाना चाहिए।

छठे, जो कम्पनियाँ धन प्राप्त करने के छः महीने के भीतर अप्रवासी भारतीयों को शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती हैं, उन पर सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

तथा सातवें, साहसिक पूंजी कम्पनियां प्रौद्योगिकी उन्मुखी कम्पनियों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सेबी द्वारा अभी भी दिशानिदेश जारी किये जाने हैं जिसके कारण इस क्षेत्र में निवेश का प्रवाह अवरुद्ध हो रहा है।

हम सभी वित्त मंत्री तथा उनकी प्रतिष्ठा से अवगत हैं। हाल में उन्होंने सिंगापुर में अप्रवासी भारतीयों के बारे में एक टिप्पणी की जिसको मैं उद्धृत करता हूँ उन्होंने कहा:

> "भारत में आपका स्वागत है क्योंकि जिन विचारों, निपुणता और प्रौद्योगिकी की हमें आवश्यकता है वे आपके पास है। आपका और भी अधिक स्वागत है क्योंकि आपके पास हमारे विचारों को कार्य रूप देने और दूसरों द्वारा उनके विचारों को कार्यरूप देने में सहायता करने के लिए धन है।"

अप्रवासी भारतीयों द्वारा इस देश में किया गया कुल निवेश 50 करोड़ डालर है। यदि आप हमारे पड़ोसी चीन की तरफ देखें तो उनका विदेश निवेश लगभग 42 अरब डालर है और आज चीन का विदेशी निवेश विश्व के कुल निवेश का 40 प्रतिशत है जबकि हमारा निवेश मात्र 8 प्रतिशत है।

एक कारण यह है कि अप्रवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने हेतु आकर्षित करने के लिए पर्याप्त रियायतें नहीं दी गई हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उनका गर्मजोशी से स्वागत किया जाये परन्तु उनका निवेश सुरक्षित होना चाहिए और उसका समय के अनुसार उचित उपयोग किया जाना चाहिए। वे यहाँ की घटनाओं से तथा बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय बाजार पर पड़ रहे दबाव से निराश हैं। हमें उनका विश्वास जीतना होगा। मैं इस बात पर बल दूंगा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि अप्रवासी भारतीयों को दो महीनों की अवधि के भीतर शेयर प्रमाणपत्र जारी नहीं करने वाली कम्पनी को सेबी या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दंडित किया जाये। अप्रवासी भारतीयों के धन का ही नहीं बल्कि उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का भी स्वागत किया जाना चाहिए। सभी तरह से, अप्रवासी भारतीय खुले दिल से स्वेच्छा से बिना किसी हिचकिचाहट के इस देश के निर्माण में मदद करना चाहते हैं। वे केवल प्रोत्साहनों, न्याय और कानून के अंतर्गत अपने निवेश की सुरक्षा चाहते हैं।

अप्रवासी भारतीयों को आई.एफ.डी.सी. की प्रस्तावित इक्विटी या बाण्ड निर्गमों में भागीदारी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। किसी भी देश को अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, उसके पास संचार, परिवहन, बिजली इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं जो कि अत्यंत आवश्यक हैं, होनी चाहिए। यह हैरानी की बात है कि आजादी के 49 वर्षों के बाद भी मेरे जिले निजामाबाद में बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़कें, टेलीफोन, बिजली और यहाँ तक कि पेय जल उपलब्ध नहीं है। यह अत्यधिक पिछड़ा हुआ जिला है, जो कि चिन्ता का विषय है और इससे व्यापारिक समुदाय की अत्यधिक हानि हो रही है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद, जो तेलंगाना क्षेत्र का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, को और अधिक निधियों का आबंटन करे जिससे वहां बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर हमारे क्षेत्र के विकास में क्षेत्रीय असमानता को दूर किया जा सके।

समय की कमी के कारण मैं अपने भाषण को सीमित करते हुए और मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और मैं प्रशंसा करूंगा यदि माननीय वित्त मंत्री मेरे द्वारा अप्रवासी भारतीयों के बारे में वक्तव्य की गई चिन्ताओं से संबंधित सलाहों को मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री पी. सी. चाक्को (मुकुन्दपुरम): सभापति महोदया, मैं अंतिम वक्ता होने के नाते आपके धैर्य की परीक्षा नहीं लूंगा और इसमें कोई शंका नहीं है मैं कुछ विवशताओं के कारण कुछ कहने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि ये मेरे राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं। केवल तीन चार बातें ही कहना चाहूंगा।

एक बात जो यहाँ पहले कही जा चुकी है वह रक्षा बजट के बारे में है। वस्तुतः मुझे इस बात का पूरा-पूरा विश्वास है कि माननीय मंत्री महोदय ने बजट पेश किये जाने के पश्चात् प्रकाशित हुए विभिन्न लेखों, कई आलोचनाओं का अध्ययन किया होगा। मैं

वर्तमान वित्त मंत्री का आदर करता हूं और उनकी प्रशंसा करता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि उन्हें कल इतिहास द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जाए जिसने अत्यधिक कठिन समय में गलत निर्णय लिया हो।

आज जानकार लोगों द्वारा लिखे गए विस्तृत निबन्धों, विभिन्न लेखों द्वारा मैं यह समझ पाया हूँ कि हमारी सशस्त्र सेनाएँ अत्यधिक हताश, कुण्ठित और अत्यधिक निराश हैं। मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए कुल बजट में की गई सोलह प्रतिशत वृद्धि से वास्तविक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी। जब सशस्त्र सेनाएँ, विशेषकर भारतीय वायु सेना, भारतीय नौसेना को वास्तविक में आधुनिकीकरण और विभिन्न क्षेत्रों में बड़े निवेश की आवश्यकता है तब रक्षा बजट में हमने जो प्रावधान किया है वह उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप है या नहीं, यह मामला माननीय रक्षा मंत्री द्वारा गम्भीरतापूर्वक विचार किये जाने योग्य है। वित्त विधेयक पर विचार करते समय इस प्रकार की सलाह उपयुक्त नहीं होगी परन्तु फिर भी स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए, मैं इस प्रश्न पर अपने विचार प्रकट करना चाहूँगा।

आयात और उत्पाद शुल्क को कम किये जाने पर मैं केवल यह कहना चाहूँगा, इसके विस्तार में नहीं जाते हुए कि एक बात जो श्री बनातवाला ने कही है, वह केपरालेक्टम पर आयात शुल्क के बारे में है। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह ने पिछले तीन चार वर्षों में लगातार अपने सभी बजटों में उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क को कम करने और सुसंगत बनाने का प्रयास किया है। पिछले दो बजटों में जब प्लास्टिक उद्योग के कच्चे माल केपरालेक्टम पर आयात शुल्क घटाया गया तो इससे देश की दो प्रमुख सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों पर प्रभाव पड़ा है। इनमें एक तो फैक्ट (एफ.ए.सी.टी.) और दूसरी गुजरात फर्टिलाइजर्स है।

इन दोनों राज्यों के संसद सदस्यों, विशेषकर केरल राज्य के संसद सदस्यों ने जब अपना अभ्यावेदन दिया तो शुल्क की पुरानी दर को फिर से लागू कर दिया गया। अब केपरालेक्टम पर शुल्क को फिर से बहुत कम किया जा रहा है और यह केवलै इसलिए कम किया जा रहा है क्योंकि केरल राज्य की प्रमुख औद्योगिक इकाई "फैक्ट" (एफ.ए.सी.टी.) बन्द होने के कगार पर है।

यही गुजरात फर्टिलाइजर्स की भी नियति होगी। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इन दो सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को जिन विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाए।

रबड़ और खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाने पर, हम वास्तव में चिन्तित हैं क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था रबड़ और अन्य नकदी फसलों पर बहुत निर्भर करती है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क घटाया गया है और मुझे आशंका है कि अन्य खाद्य तेलों पर कम आयात शुल्क के कारण नारियल के गिरते दामों में और गिरावट आ जाएगी। मैं यह नहीं कहता कि खाद्य तेल आम आदमी की पहुंच से बाहर होने चाहिए। अत: यदि सामान्य उपभोक्ता की सहायता करनी है तो मैं इसका पूरा विरोध नहीं कर सकता। परन्तु साथ ही इससे स्वदेशी नारियल उत्पादक प्रभावित नहीं होने चाहिएं। नारियल केरल की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। हमें इस बात की आशंका है और हमें चिन्ता है कि इससे घरेलू बाजार में नारियल के मूल्य प्रभावित होंगे।

वित्त मंत्री जी जब वाणिज्य मंत्री थे तो वह हमारे राज्य के अधिकांश रबड़ उत्पादकों के हितों की रक्षा करते थे और मुझे याद है कि मैंने इनका आभार प्रकट किया था। बजट प्रस्तुत करने वाले दिन ही कोट्टायम में प्रति किलो रबड़ का मूल्य पांच रुपये कम हो गया। ऐसा हुआ है और रबड़ उत्पादकों को बिना किसी कारण के घाटा उठाना पड़ रहा है।

अत: केपरालेक्टम, रबड़ और खाद्य तेल पर आयात शुल्क घटाने से केरल की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसलिए, मैं वित्त मंत्री जी से उपचारात्मक उपाय करने का आग्रह करता हूं।

मैं संक्षेप में दो और बातें कहना चाहूंगा। एक मामला ग्रामीण बैंकों से संबंधित है। मैं ऐसे राज्य का हूं जहां एक तरह से बैंकों की बहुतायत है। आज राज्य में 8000 लोगों के लिए एक बैंक शाखा है। वहां सहकारी बैंकों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और अनुसूचित बैंकों का पूरा जाल है। इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे पास बहुत बैंक हैं। पर निश्चय ही कम भी नहीं हैं। ऐसे राज्य में, पांच करोड़ रुपये की पूंजी वाले नये बैंक आ रहे हैं जिससे विद्यमान बैंकों की अर्थक्षमता प्रभावित हो सकती है। अत: मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह इसके लिए चयन करें कि किस क्षेत्र में और बैंक हों। कुछ सदस्य इस सुझाव का स्वागत करते हैं। इसलिए, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता परन्तु क्षेत्रों का चयन इस प्रकार किया जाए कि जिन क्षेत्रों में वास्तव में कम बैंक है वहां नये बैंक खोलने की अनुमति दी जाए। परन्तु जहां इनकी आवश्यकता नहीं हैं वहां अन्य बैंकों की अर्थक्षमता पर प्रभाव न पड़ने दिया जाए।

मैंने एक अन्य मामला भी माननीय वित्त मंत्री जी के ध्यान में लाना है। आज उन्होंने कागज और कागज बोर्डों के कुछ रियायतें देने की घोषणा करने की है। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि केरल में लुगदी कारखाने और कागज कारखाने, दोनों के कारण वन सम्पदा का ह्रास हो रहा है। केरल की तमान वन

सम्पदा, बांस, सरकण्डा इत्यादि इन दो कारखानों के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार हमारी समस्त वन सम्पदा नष्ट हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अपारम्परिक कच्चे माल का उपयोग करने वाले, रद्दी कागज का पुनरावर्तन करने वाले उद्योगों को कुछ रियायत दी जानी चाहिए। मुझे यकीन नहीं है कि आज घोषित रियायतों से वास्तविक एककों को सहायता मिलेगी अथवा नहीं। भारत में आप 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक कागज और कागज के बोर्ड ऐसे क्षेत्र द्वारा तैयार किये जाते हैं जो अपारम्परिक कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करता है। अतः कागज और कागज के बोर्ड तैयार करने में 75 प्रतिशत अपारम्परिक कच्ची सामग्री का इस्तेमाल करने वाले एककों को ऐसी संयुक्त मिलों के समतुल्य नहीं रखा जाना चाहिए जो अपारम्परिक कच्ची सामग्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शुल्क की तीन दरें थीं और मंत्री जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने ठीक निर्णय लिया है। मैं नहीं चाहता कि एक बड़ा व्यवसायी क्षेत्र पूरी तरह कराधान के क्षेत्र से बाहर रहे। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। साथ ही साथ 75 प्रतिशत अपारम्परिक कच्ची सामग्री का उपभोग करने वाले कागज के बोर्ड बमाने वाले एककों को भी वरीयता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उनकी बराबरी पारम्परिक तथा अपारम्परिक कच्ची सामग्री का उपयोग करने वाली संयुक्त मिलों से नहीं की जानी चाहिए। मंत्री जी इस समस्या से भली भांति परिचित हैं और मुझे आशा है कि वह ध्यान रखेंगे।

इन बातों के साथ मैं मंत्री जी को फिर से बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जो कांग्रेस को भी मान्य है और वामपंथी दलों जिन्होंने सदा कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया है, को भी मान्य है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी को उनकी राजनैतिक कुशाग्रता और क्षमता के लिए बधाई देता हूं और वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदया: सभा कल, 12 सितम्बर, 1996 को 11 बजे पूर्वाह्न समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 9.25 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 सितम्बर, 1996/ 21 भाद्र, 1918 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।